राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6]   तेरहवीं विधान सभा के छठे सत्र का अट्ठाईसवां दिवस   [संख्या : 9

सोमवार,

14 मार्च, 2011

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

कंटालिया ग्राम (मारवाड़ जंक्शन) के ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों के राजस्व रिकार्ड में अनियमितताएं

119. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति (जी.एस.एस.) द्वारा ऋण देने पर किसानों की जमीन का रिकार्ड पटवारी से लिया जाता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम कंटालिया के ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों का भूमि विवरण रजिस्टर वर्ष 2001-02 व 2004-05 किसके द्वारा प्रमाणित किया गया? भूमि विवरण रजिस्टर वर्ष 2001-02 व 2004-05 में पटवारी द्वारा प्रमाणित भूमि (खसरा व रकबा) तथा उस समय के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) की प्रमाणित प्रति सहित दोनों रिकार्डों का विवरण तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन द्वारा सत्यापित करवाकर सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भूमि विवरण रजिस्टर वर्ष 2001-02 व 2004-05 में कई भूमिहीनों के नाम अन्य खातेदारों की भूमि तथा सरकारी भूमि भी दर्शाकर प्रमाणित की हुई है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार दोषी कार्मिक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में व्यवधान तो नहीं डालना चाह रहा था परन्तु, अध्यक्ष महोदय, शुक्रवार को जिस तरह से सदन स्थगित हुआ है, अचानक आप क्षुब्ध होकर आसन छोड़कर चले गये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सदन की कुछ परम्पराएं हैं, हम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आसन को सहयोग करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आपने क्षुब्ध होकर सदन से आसन छोड़ा, इससे हम सभी को पीड़ा हुई। हम खुद चाहते हैं, सदन के संचालन में सहयोग करें, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

सहकारिता मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा ऋण देने पर किसानों की जमीन का रिकार्ड संबंधित पटवारी से प्रमाणित करवाया जाता है।

पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के ग्राम कंटालिया की ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों का भूमि विवरण रजिस्टर 2001-02 व 2004-2005 पटवारी श्री गोपाल सिंह, श्री कानसिंह एवं श्री छगन लाल द्वारा प्रमाणित किया गया है।

भूमि विवरण रजिस्टर वर्ष 2001-02 व 2004-05 ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड का अभिलेख होने के कारण तहसीलदार द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है।

भूमि विवरण की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है तथा उस समय के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) की तहसीलदार द्वारा प्रमाणित प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। यह सही है कि भूमि विवरण रजिस्टर वर्ष 2001-02 व 2004-2005 में कई भूमिहीनों के नाम अन्य खातेदारों की भूमि तथा सरकारी भूमि भी दर्शाकर प्रमाणित की हुई है। ऐसे राजस्व दोषी कार्मिकों के विरुद्ध जिला कलक्टर, पाली द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की जा रही है एवं समिति के व्यवस्थापक के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, बैंक को आदेश दिये जा चुके हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न के खण्ड नम्बर (2) में आपने स्वयं ने माना है कि सहकारी समिति के भूमिहीनों व अन्य खातेदारों की भूमि सरकारी भूमि दर्शाकर प्रमाणित की हुई है, मेरा सीधा सा सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि भूमि विवरण रजिस्टर के क्रम संख्या-177 पर चुन्नीलाल का खसरा नम्बर 873, धन्नाराम का क्रम संख्या 144 पर खसरा नम्बर 637 और हनुमान प्रसाद का क्रम संख्या 536 पर, भूमि विवरण रजिस्टर के तीनों नम्बर पर इन्होंने जो जमीन दिखाई है, इस

(श्री केसाराम चौधरी)

चुन्नीलाल ने जो को-आपरेटिव का अध्यक्ष था उस समय, उस अध्यक्ष ने अपने पिता के नाम, अपने पुत्र के नाम लोन ले रखा है और इनके नाम से जो जमीन दिखाई है, उनका खसरा नम्बर क्या है?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बताया, इस सम्बन्ध में चुन्नीलाल के पुत्र और अन्य, जो सरकारी जमीन के खसरे नम्बर के नाम पर उन्होंने सहकारी समिति से लोन लिया है, यह सही है आपकी बात और उसमें जिन लोगों के नाम जमीन तो सरकारी रिकार्ड थी या दूसरे चार मामले ऐसे थे, जिनके नाम जमीन थी ही नहीं, उनको भी को-आपरेटिव ने लोन दिया है, उसकी शिकायत आने पर उसकी जांच की गई। कलक्टर (सतर्कता) के यहां उसकी शिकायत आई, उसकी जांच करवाई गई। एक ए.सी.बी. में भी प्रकरण दर्ज हुआ है, एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। यह सही है कि चुन्नीलाल के लड़के हनुमान के नाम से उन्होंने लोन लिया है। उसकी हमने कलक्टर के मार्फत पटवारी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लिख दिया है और जिन हमारे विभाग के कर्मचारियों की इसमें लापरवाही है या मिलीभगत है, हम उसकी धारा 55 में जांच करवाकर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस अध्यक्ष की जो यह शिकायत की गई है, सहकारी समिति में अध्यक्ष सर्वेसर्वा होता है या व्यवस्थापक होता है, आप यह बता दें कि इसमें सर्वेसर्वा कौन है ? और जिसने गलती की है, उसके खिलाफ में आप क्या कार्यवाही करेंगे? अध्यक्ष के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? क्या इसके खिलाफ में ए.सी.डी. में मुकदमा दर्ज है? क्या उसके खिलाफ में बगड़ी थाना में एक मुकदमा दर्ज हुआ है? और इस मुकदमे में आपके विभाग द्वारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाने के कारण से यह कितने टाइम से मुकदमा लम्बित है?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी दी कि ए.सी.बी. में प्राथमिकी संख्या 129/10 दर्ज की गई है और उसमें कार्यवाही अपेक्षित है। वह ए.सी.बी. को जो भी रिकार्ड चाहिए, वह हमने उपलब्ध करवा दिया है। दूसरे, बगड़ी थाने में इसकी एक एफ.आई.आर. व्यक्तिगत तौर पर डगलिया नाम के व्यक्ति ने दर्ज करवाई है, उसमें भी पुलिस की कार्यवाही अपेक्षित है और जिसने भी इसमें कार्यवाही की है, पुलिस उसके खिलाफ चालान पेश करेगी। ऋण की वसूली, करीब-करीब जिनको फर्जी लोनिंग भी किया, जिनके जमीन नाम थी उनको भी दिया, ऋण

(श्री परसादीलाल)
की रिकवरी कम्प्लीट हो चुकी है। इसलिए ऐसा कोई प्रकरण नहीं है हमारे किसी वसूली का।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे दिया, सफिशिएंट है। कार्यवाही करने का आश्वासन दे दिया है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सिर्फ एक प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब 126 व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें 20 व्यक्ति तो बिलकुल भूमिहीनों को लोन दिया गया और 53 व्यक्ति ऐसे हैं, जिनके नाम से जमीन तो है कम, मान लो तीन एकड़ है, उस जगह 9 एकड़ या 10 एकड़ बताकर उनको लोन दिया गया और इस तरह से ऋण माफी भी ली गई। इस सहकारी समिति के अन्दर लाखों रुपयों का गबन और घोटाला हुआ है और इसमें अध्यक्ष द्वारा, उनके विभाग द्वारा उस गबन को दबाने के लिए विभिन्न तरीके के हथकंडे अपनाये जाते हैं। इसमें, अध्यक्ष महोदयजी, मैं कहना चाह रहा हूं कि आप कितने समय में रिकार्ड उपलब्ध करवाकर, पुलिस को पूरा-पूरा सहयोग कर विभाग का रिकार्ड उपलब्ध करवा देंगे ताकि उनका चालान हो सके।

श्री अध्यक्ष: केवल एक प्रश्न। माननीय सदस्य, विराजिये। केवल एक प्रश्न।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आडिट रिपोर्ट में क्या आया? उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। केवल कटारियाजी, एक पूरक प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दो एफ.आई.आर. के लिए आपने कहा है कि एक ए.सी.बी. में और दूसरी बगड़ी थाने में दर्ज हुई है, उनमें मेन मुलजिम कौन है? कारण क्या है कि इसमें आपकी भाषा से यह लग रहा है कि व्यवस्थापक तो इसका दोषी है लेकिन जिसने यह सारी गड़बड़ी की है, अध्यक्ष, उसने अपने ही परिवार के नाम पर दूसरे लोगों की जमीन को दिखाकर, उनका बच्चा तो नाबालिग था, नाबालिग लड़के को भी यानी उसकी जमीन बताकर उसमें दिया हुआ है, रिकार्ड में। तो इनमें अभियुक्त कौन-कौन हैं, जिनके खिलाफ आपके यहां दोनों रिपोर्ट दर्ज हैं ? और कब से दर्ज हैं ? और तब से लेकर अब तक इसमें क्या कार्यवाही हुई?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें मुलजिम कौन है। एफ.आई.आर. नम्बर मैंने बताये हैं कि यह एफ.आई.आर.

(श्री परसादीलाल)

नम्बर है 14 और बगड़ी थाने में है जो 2011 में दर्ज हुई है। हमको शिकायत ज्यों ही मिली, कलक्टर (सतर्कता) के माध्यम से हमारे पास ज्यों ही शिकायत आई, हमने उसमें कार्यवाही करना प्रारम्भ कर दिया। मुलजिम इसमें चुन्नीलाल, धन्नाराम, कानसिंह पटवारी वगैरह, ये मुलजिम हैं इस एफ.आई.आर. में और थाने में या ए.सी.बी. में जो भी रिकार्ड चाहिए हमारा, हम पूरा रिकार्ड देंगे और जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ की है...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष मुलजिम है क्या?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): हां, अध्यक्ष भी इसमें मुलजिम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष को भी इसमें मुलजिम बनाया है, एफ.आई.आर. में और ए.सी.बी. में भी यही कहा है। ए.सी.बी. में एफ.आई.आर. दर्ज हुई है अभी, 'पी' दर्ज हुई है और ए.सी.बी. को आगे कार्यवाही करनी है। जो उनको सहयोग हमारे विभाग से चाहिए, हम उनको रिकार्ड अवेलेबल करायेंगे। जो भी जिसके खिलाफ कार्यवाही ए.सी.बी. करेगी, वह करेगी, उसके मामले में हम पूरा सहयोग करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। श्री वासुदेव देवनानी। अगला प्रश्न, श्री वासुदेव देवनानी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये। सफिशिएंट हो गया। कृपया विराजिये। श्री वासुदेव देवनानी।

एम.फिल. व पीएच.डी. धारी प्राध्यापकों से प्रोत्साहन राशि की वसूली

120. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कालेज शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्ष 1996 में दिये गये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) वेतनमानों में एम.फिल. व पीएच.डी. के प्रोत्साहन स्वरूप कितने प्राध्यापकों को अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त प्राध्यापकों से उक्त अग्रिम वेतनवृद्धि का

(श्री वासुदेव देवनानी)
लाभ वापस लेने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा अब तक कितने प्राध्यापकों से उक्त लाभ की राशि वापस वसूल की जा चुकी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से उक्त राशि प्राप्त कर ली थी? यदि हां, तो प्राध्यापकों से राशि वापस लेने का क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): (1) यू.जी.सी. वेतनमानों में एम.फिल. व पीएच.डी. के प्रोत्साहन स्वरूप एडवांस इन्क्रीमेंट का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। प्राध्यापकों को दिये गये दोहरे लाभ को ही वापस लिया गया है। संबंधित आदेश दिनांक 2.3.2010 एवं 13.9.2010 की प्रतियां परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) सरकार द्वारा 106 प्राध्यापकों से उक्त दोहरे भुगतान की राशि का ही पुनर्भरण करवाया गया है। जिन व्याख्याताओं से दोहरे लाभ का पुनर्भरण किया गया है, की सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से राशि का आबंटन किया जाता है। प्राध्यापकों को दोहरा लाभ दिये जाने के कारण परिशिष्ट 'ब' अनुसार दोहरा परिलाभ वापस लिया गया है।

(विवरण, प्रतियां व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बताया गया है कि यह दोहरा लाभ है। हायर एजुकेशन में स्टेंडर्ड को मेनटेन करने के लिए यूजीसी ने सारे भारत में एम.फिल. और पीएच.डी. डिग्री होल्डर्स को दो और चार इन्क्रीमेंट देने का उन्होंने आदेश दिया, उसके पांच साल तक इस वेतन के अस्सी प्रतिशत का भुगतान भी यूजीसी ने दिया लेकिन यहां पर यह इन्होंने कहा कि दोहरा भुगतान किया गया है। मुझे यह समझायें कि क्या यह सीनियर स्केल में ये दोनों जो इन्क्रीमेंट उनको एंट्री पाइंट पर मिलते हैं, क्या ये मर्ज हो जाते हैं ? नम्बर एक। यदि मर्ज हो जाते हैं तो उसके बाद यह

(श्री वासुदेव देवनानी)

दोहरा लाभ कैसे हुआ? नम्बर दो। नम्बर तीन, क्या सारे भारत के बाकी राज्यों में यह रिकवरी की गई है ? नम्बर चार, क्या आपके शिक्षा सचिव ने इस संदर्भ में कोई रिपोर्ट आपको दी ?नम्बर पांच, क्या यह यूजीसी को भी आपकी सरकार ने कोई चिट्ठी लिखी और वहां से क्या उत्तर आया? फिर मैं आगे का प्रश्न पूछता हूं।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट थी, जो लाभ था, परिलाभ था, वह माननीय लेक्चरर्स को और सबको दिया लेकिन जब यह मैटर एजी के पास गया तो 'कैग' ने इसमें आब्जेक्शन किया। उनका कहना था कि परिलाभ एक ही बार सर्विसेज में दिये जा सकते हैं और दो बार वह लाभ नहीं दिये जा सकते। अत: सरकार द्वारा जो लाभ दिया गया है, उसको उन्होंने ठीक नहीं ठहराया और उसके लिए 'कैग' ने यह डायरेक्शन दिया कि जो जिनको लाभ दिया गया है, जिनको डबल बेनिफिट दिया गया है उसका पुनर्भरण किया जाय।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने लैटर क्रमांक एफ3/62/एजुकेशन/499 दिनांक 4.7.2001 द्वारा यूजीसी को क्वेरी भेजी। यूजीसी ने अपने पत्र संख्या एफ2/399/पीआर डेटेड 5.3.2002 में क्लेरिफाई कर दिया, एजुकेशन सेक्रेटरी गवर्नमेंट आफ राजस्थान को कि यह दोहरा जो है वह नहीं है क्योंकि कोई भी लेक्चरर जब वहां पर एंट्री प्वाइंट पर उसको इन्क्रीमेंट मिल जाता है, उसके बाद यदि वह सलेक्शन स्टेज पर आता है तो उसमें मर्ज हो जाता है तो उसको उन दोनों इन्क्रीमेंट का तो उसमें लाभ खतम हो गया; फिर जब सीनियर स्केल से वह सलेक्शन स्केल में आता है तो वह दोनों उसके मर्ज हो जाते हैं तो उसको तो कोई इसका लाभ मिला नहीं। यह इसलिए लागू किया गया था ताकि सीनियर लोग जो हैं, जूनियर्स की तुलना में उनकी वेतन विसंगति खतम हो जाय, क्योंकि इसके कारण से सैकड़ों लेक्चरर्स जो कि जूनियर थे उनका वेतन तो अधिक हो गया और जो सीनियर लेक्चरर्स थे उनका वेतन कम हो गया। इसीलिए उनको तो केवल दो ही लाभ मिले, कोई इस प्रकार का दोहरा लाभ उसे प्राप्त हुआ ही नहीं। नम्बर एक। नम्बर दो, यूजीसी से जब आपने पैसा प्राप्त कर लिया तो यह लेक्चरर्स से आप वापस लेकर के आखिर किस फंड में जमा करेंगे ? क्या आप यूजीसी को वापस भेजेंगे? आपने आज तक एक भी पैसा यूजीसी को वापस भेजा नहीं है। स्टेट फंड में आप किस खाते में रखेंगे? यूजीसी से तो पैसा ले लेंगे और कर्मचारी से

(श्री वासुदेव देवनानी)

इधर वसूली कर लेंगे तो सरकार एक तरह से लेक्चरर्स का शोषण कर रही है और अवैधानिक पैसे की वसूली कर रही है। तो जो लेक्चरर्स कोर्ट में गये उनकी तो आपने रोक दी लेकिन जो सज्जनता के कारण कोर्ट में नहीं गये, उनसे आप दो-दो लाख, ढाई-ढाई लाख वसूली कर रहे हैं। इस तरह 106 लेक्चरर्स से आज करोड़ों रुपये आप वसूल कर चुके हैं। इसका क्या कारण है?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में जैसे बताया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के निर्देश थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, फिफ्थ पे कमीशन के बाद यह आर्डर से रिकवरी की गई, यूजीसी का सर्टिफिकेशन संलग्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट आपके लूंगा।" As you are aware, the UGC with the approval of the Ministry of Human Resources Development had extended the benefit of two advance increments at the time of promotion as Reader, Lecturer (Selection Grade) to those teachers who have acquired/will acquire Ph.Ds. on or after 1.1.96. The issue regarding grant of advance increments to teachers who acquired Ph.D. during service prior to 1.1.96 was under consideration of the government. It has now been decided that teachers who acquired Ph.Ds. during service prior to 1.1.96 and who were not given the benefit of any advance increments as per the earlier circular of advancement scheme, may now be given the benefit of two advance increments which shall, however, be applicable from 27.7.98."

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेरा इसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जब वे सीनियर स्केल और सलेक्शन स्केल में आ गये, मर्ज हो गये तो यह दोहरा लाभ कैसे हुआ? जब आपके एजुकेशन सेक्रेटरी साफ लिख रहे हैं – "As a matter of fact, the two advance increments given to Ph.D. holders in senior scale merges at Rs. 12,000 (minimum pay) and advance Ph.D. increments discontinue. To continue the benefit, the proviso under rule 3(c) of the notification was framed. A person with Ph.D. in senior scale after moving in selection scale between 1.1.1996 to 5.5.2002 is getting only the benefit of two increments. However, one may interpret that this is double benefit of 4 increments under rule 3 c and 3 d, but, this is not true." यह आपके सैक्रेटरी का है। इसके बाद भी क्या मेरे केवल राजस्थान के लेक्चरर्स ही आपको मिले जिनसे आप वसूली कर रहे हैं? आखिर हरियाणा है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, देश के किसी भी राज्य में किसी भी लेक्चरर से इसकी रिकवरी नहीं हुई। केवल राजस्थान के लेक्चरर के साथ अचानक आपकी नींद जगी, आप 6.5.2002 को इस प्रकार का एक आदेश जारी करके आज उन लेक्चरर्स के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस अन्याय को

(श्री वासुदेव देवनानी)

समाप्त करके लेक्चरर्स को राहत दें ताकि हायर एजुकेशन में यह बेनिफिट मिलता रहे और जूनियर्स जो हैं, उनको अधिक वेतन की जो विसंगति हो गई, उससे जो लेक्चरर कुंठित होगा, उससे वह कैसे काम कर पायेगा? उसको राहत प्रदान करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्षजी, मैं पीड़ित हूं इस मामले में।

श्री अध्यक्ष: एक पूरक प्रश्न आपको भी अलाउ करता हूं। एक पूरक प्रश्न की इजाजत आपको दे रहा हूं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): जी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेरा उत्तर तो दिलायें इनसे। तीन प्रश्न पूछे हैं।

श्री अध्यक्ष: उत्तर देंगे न। उत्तर देंगे, एक उनका...

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्षजी, यह बहाना वित्त विभाग जो कर रहा है उसका मैं पढ़ रहा हूं डाक्युमेंट, एजी की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है, 21.4.2006 को एजी लिख रहा है, जो भीलवाड़ा के कन्या महाविद्यालय का संदर्भ देकर वित्त विभाग ने अन्याय किया है, मेरे से भी एक लाख अट्ठाइस हजार रुपये वसूल हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): हां, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं, इसमें पैरा नम्बर तीन को निरस्त कर दिया गया है, एजी ने निरस्त कर दिया पैरा नम्बर जिसको बहाना बनाकर वसूल किया जा रहा है। अन्याय किया जा रहा है राजस्थान के टीचर्स के साथ। यह पैरा ड्राप हो चुका है। यह मेरे पास डाक्युमेंट है, 21.4.2006, अनुक्रमांक संख्या तीन निरस्त कर दिया गया है। एजी का कागज है यह मेरे पास, एजी का कागज है।

श्री अध्यक्ष: विराजें। जी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट थी और फिफ्थ पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ और जो परिलाभ मिलने थे वे राज्य सरकार ने दिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, जैसा कि विराट नगर से आने वाले माननीय सदस्य

(डा. जितेन्द्र सिंह)

ने भी इस बारे में आब्जेक्ट किया, इस सारे प्रकरण को लेकर कुछ लेक्चरर्स माननीय न्यायालय में गये और न्यायालय ने इस तरह के दो केसेज में स्टे किया है कि उनसे वसूली न की जाये। मैं माननीय सदस्यों को इस बारे में अवगत कराना चाहूंगा कि जैसा कि आपने, सरकार की मंशा स्पष्ट थी और सरकार ने परिलाभ दिया, लेकिन जो उन्होंने दोहरे लाभ को कैटेगराइजड किया हमारे सीएजी ने, उसको आधार मानते हुए, सीएजी के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार ने उसके पुनर्भरण के निर्देश दिये। लेकिन क्योंकि, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय न्यायालय के दो केसेज में इस तरह के निर्देश हुए हैं कि पुनर्भरण नहीं लिया जाय उनसे, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आगे जितने भी इस तरह के केसेज हैं, उनमें वसूली नहीं की जायेगी and we will examine the case.

जैसा कि आपने अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य, आपने कहा, अन्य राज्यों में, नेबरिंग स्टेटस में अगर इस तरह से रिकवरी नहीं हुई है तो I assure the House that we will give benefit to them.

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उनको लौटायेंगे आप?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): I say, Sir, benefits according to rules …

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): और दूसरा मेरा यह था कि आज तक आपने जो वसूली की है, इस पैसे को किस फंड में रखेंगे?

श्री अध्यक्ष: पहले जवाब तो आने दीजिये, जवाब आने दीजिये।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): देखिये सर, यह फंड्स हैं आटोमेटिकली, it is known कि जो हमारा यूजीसी का फंड है, UGC gives 80 per cent for 5 years only, that too for 4 years and 3 months, बाकी सर, उसके बाद में ट्वंटी परसेंट स्टेट गवर्नमेंट देती है और जब पांच साल बाद सारा पैसा राज्य सरकार वहन करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो यह तो अन्डरस्टूड है कि जिसका बजट जिस हैड का होगा उसमें जायेगा। But I can assure you, Sir, मैं आपको इस बारे में एश्योर करता हूं कि जो माननीय कोर्ट के डायरेक्शन हैं, उनके अनुसार हम आगे वसूली नहीं करेंगे और उसका पुनर्निरीक्षण करायेंगे, अदर स्टेट्स में क्या उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की, उसको एग्जामिन करेंगे and we will give relief, Sir. We are with the teachers.

श्री अध्यक्ष: सफिशिएंट है। श्री अशोक परनामी। अगला प्रश्न ।

कैदियों पर व्यय राशि में कमी

121. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) एवं **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश की जेलों में कुल कितने कैदी बंद हैं एवं इन जेलों की कार्यक्षमता कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में निर्धारित मानदण्डानुसार एक बंदी पर प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय होनी चाहिए व वर्तमान में राज्य की जेलों में बंद कैदियों पर कितनी राशि व्यय की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रति वर्ष प्रति कैदी व्यय होने वाली राशि निरन्तर कम होती जा रही है? यदि हां, तो क्यों? गत 5 वर्षों में कैदियों पर व्यय की गई राशि का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कारागार (श्री रामकिशोर सैनी): (1) राजस्थान राज्य की कारागृहों की (बंदी खुले शिविरों सहित) बंदी क्षमता 17,796 है। दिनांक 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार 17,194 बंदी निरुद्ध थे जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट-ए पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान राज्य की कारागृहों में बंदी पर व्यय की जाने वाली राशि निर्धारित नहीं है। अपितु इन्हें निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भोजन सामग्री, कपड़े एवं बिस्तर उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्ष 2009-10 में प्रति बंदी 8,412.00 रुपए व्यय हुए हैं।

(3) जी नहीं। गत पांच वर्षों में कैदियों पर व्यय की गई राशि का वर्षवार तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-बी पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि जेलों में बंद कैदियों के भोजन पर मात्र 617 रुपए प्रति कैदी मासिक खर्च किया जा रहा है? क्या इतनी कम राशि में भोजन की अच्छी गुणवत्ता और भरपूर डाइट उपलब्ध हो रही है? प्रश्न नम्बर-दो, जयपुर कारागृह में क्षमता 1,500 की है और वहां पर 1,929 बंदी रखे हुए हैं, क्या सरकार जयपुर शहर के वर्तमान कारागृह को यहां से स्थानान्तरित करने की मंशा रखती है? इससे पहले भी काफी बार यह मांग आ चुकी है कि इस कारागृह को यहां से स्थानान्तरित किया जाए। समय-समय

(श्री अशोक परनामी)

पर इसकी योजना भी बनी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि कृपया स्पष्ट करें कि कितने समय में यह कारागृह स्थानान्तरित कर दिया जाएगा और कहां पर किया जा रहा है?

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न किया है भोजन की गुणवत्ता के बारे में, मैंने भी अपने जवाब में निवेदन किया है कि हमारे यहां राशि निर्धारित नहीं है। हमारे यहां डाइट स्केल फिक्स है और उस डाइट के अनुसार बंदियों को भोजन दिया जाता है। इसलिए उसमें राशि का कम होना और ज्यादा होना, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है।

दूसरा जो आपने प्रश्न किया है कि जेलों में बंदी का जनाधिक अधिक है, यह सही बात है जयपुर में 1,500 की क्षमता है उसमें हमारे 1,929 बंदी हैं लेकिन यह बंदियों की संख्या घटती-बढ़ती रहती हैं। इसमें दो तरह के बंदी रहते हैं, एक तो जो सजायाफ्ता हैं वे लोग और एक वे जो विचाराधीन हैं। विचाराधीन बंदी कुछ समय के लिए आते हैं, जमानत हो जाती है तो वे छूट जाते हैं। तो यह संख्या घटती बढ़ती रहती है। यह बात सही है कि जेलों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से बंदियों की संख्या बढ़ती है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी अपने बजट में घोषणा की है कि नई जेलें भी हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें जयपुर में दंडित बंदियों के लिए अलग जेल की व्यवस्था होगी और विचाराधीन बंदियों के लिए अलग व्यवस्था होगी, कोटा में विचाराधीन बंदियों के लिए अलग जेल बनेगी, बीकानेर में दंडित जेल बंदियों के लिए अलग जेल बनेगी, अजमेर में उच्च सुरक्षा की एक जेल हम और बनाने जा रहे हैं और दौसा में दंडित बंदियों के लिए अलग जेल बनेगी। इस प्रकार लगभग पांच हजार बंदियों की क्षमता और बढ़ जाएगी। इसलिए यह जो ओवर-क्राउडिंग की स्थिति है यह ठीक हो जाएगी और सभी बंदियों के लिए उपयुक्त स्थान मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरणजी सराफ। मूल प्रश्नकर्ता।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, मैं पूरक प्रश्न पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: इसीलिए मैंने आपका नाम पुकारा है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 2010 में क्या राज्य सरकार ने वर्तमान सी.एस., एस. अहमद साहब की अध्यक्षता में राज्य की जेलों में स्थित

(श्री कालीचरण सराफ)
के सुधार के लिए कोई उच्च स्तरीय समिति गठित की थी? यदि हां, तो उस कमेटी ने क्या सिफारिशें कीं और उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? दूसरा, प्रश्न मेरा यह है कि प्रति बंदी व्यय की गई राशि का राष्ट्रीय औसत क्या है और हमारे राज्य में प्रति बंदी व्यय राष्ट्रीय औसत से कितना प्रतिशत कम है? इन दो प्रश्नों का जवाब दे दीजिए।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): पहला प्रश्न आपका माननीय अध्यक्ष महोदय यह रहा है कि कोई कमेटी गठित की गई थी, कमेटी गठित की गई थी और उसकी रिपोर्ट आ भी गई है। उसका अध्ययन किया जा रहा है और उसके उपरांत उस कमेटी की जो सिफारिशें हैं, वे लागू की जाएंगी। दूसरा आपका प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति बंदी कितना खर्चा आ रहा है, राजस्थान में प्रति व्यक्ति बंदी 8,412 रुपए प्रति वर्ष प्रति बंदी पर खर्च है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): राष्ट्रीय औसत से कितना कम है?

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): यह जो प्रश्न था आपका, यह प्रति व्यक्ति राजस्थान के संदर्भ में था। मेरे पास वह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जो और प्रदेशों के हैं। इसलिए आप यदि इसे इस फोर्म में इसको लगाते तो निश्चित तौर पर होते।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अहमद साहब ने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रीय औसत 12,965 रुपए है और आपका 8 हजार रुपए कुछ है। यानी 35 परसेंट कम आपका राष्ट्रीय औसत से है। तो वहां बंदी जेल में नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यानी इतना तक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि टायलेट का पानी, नहाने का पानी और पीने का पानी, यह एक ही नल से आ रहा है वहां और जो आपके आटे की और उसके गेहूं की जो क्वालिटी है, वह इतनी घटिया है कि इसको जानवर भी नहीं खा सकते। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि कम से कम जो बंदी हैं, उनको हम सुधार के लिए जेलों में रखते हैं, वे और ज्यादा अपराधी बन जाए, इसलिए नहीं रखते। इसलिए कृपा करके जो रिपोर्ट अहमद साहब ने भेजी है आपको, उस पर कार्यवाही करें और कम से कम राष्ट्रीय औसत जितना है 12,965 उतने तक तो कम से कम उनको सहायता दें यह मेरा कहना है।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि डाइट स्केल फिक्स है, इसलिए इसको पैसे से जोड़ा जाना कतई उचित नहीं है। राशन दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं, उनके रोजमर्रा का सामान उनको दिया जाता है और वह बाजार से भी लिया जाता है। इसलिए जितनी राशि प्रति बंदी आती है, उतना खर्च होता है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप वहां जाकर के एक बार देखें जेल में कि कितना नारकीय जीवन वे लोग व्यतीत कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: चलिए आप विराजिए, आपके दोनों प्रश्नों का जवाब आ गया है। अगला प्रश्न, श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

अजमेर एवं जयपुर जिलों के चयनित परिवारों को वितरित किए जाने वाले आटे की दर

122. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) एवं **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में चयनित परिवारों को आटा वितरित कराया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2011 के लिए पिसाई का ठेका किया जा चुका है? यदि हां, तो किस-किस जिले के लिए किस-किस फर्म को किस-किस दर पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2010 एवं 2011 के लिए पिसाई की दर क्या-क्या निर्धारित है? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 2010 एवं 2011 के लिए जिला अजमेर एवं जयपुर की पिसाई की दरों में अंतर रहा है? यदि हां, तो कितना व क्यों? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि पिसाई दर में कमी आने से अब चयनित परिवारों को वितरित की जाने वाली आटे की दर में कमी आई? यदि हां, तो कितनी?

(6) क्या पिसाई दर में कमी आने से वितरकों को मिलने वाले कमीशन में भी वृद्धि की गई है? यदि हां, तो वितरकों को अब कितना कमीशन दिया जाएगा? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री बाबूलाल नागर): (1) जी हां। चयनित परिवारों के लिए नियमित आबंटन में कोई आटा योजना लागू नहीं है। चयनित परिवारों के लिए जून, 2011 तक तदर्थ आबंटन किया गया है जिसमें उपलब्धता के आधार पर सिरोही जिले को छोड़कर (न्यायालय के स्थगन के कारण) सभी जिला मुख्यालयों पर 10 किलो आटा प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) जी नहीं। चयनित परिवारों के लिए आटा उपलब्ध कराने की कोई पिसाई के ठेके की निविदा आमंत्रित नहीं की गई है। विभाग द्वारा केवल पिसाई का ही कोई ठेका नहीं किया जाता, बल्कि फ्लोर मिलों द्वारा भारतीय खाद्य निगम में आबंटित गेहूं की लागत की राशि का बैंक ड्राफ्ट एवं गेहूं की मात्रा के अनुसार लगने वाला वैट शुल्क का भुगतान मिलधारकों द्वारा करने पर गेहूं का उठाव किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम गोदाम से गेहूं की लोडिंग, मिल तक परिवहन, गेहूं की अनलोडिंग, गेहूं की सफाई, धुलाई, पिसाई, भराई, पैकिंग, सिलाई, प्रिन्टिंग, मैटेरियल सहित बैग, बैंक गारंटी, आटे की लोडिंग, मिल से राशन की दुकान तक परिवहन, अनलोडिंग तथा आटे का टैक्स, उक्त समस्त व्यय मिलधारकों द्वारा ही भुगतान कर राशन की दुकान, डेयरी बूथ एवं उपभोक्ता भण्डारों तक आटा उपलब्ध कराने का कार्य निविदा दरों में शामिल है।

(3) ए पी एल परिवारों के लिए 26 जिलों जिनमें जयपुर एवं जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र एवं शेष जिलों के जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा के लिए आटा वितरण की दरों का निर्धारित किया गया है तथा 2011 के लिए 7 संभाग मुख्यालय एवं भीलवाड़ा, चूरू, नागौर, बाड़मेर जिलों के जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा के लिए आटा वितरण की दरों का निर्धारण किया है जो परिशिष्ट-1-1 व 1-2 पर संलग्न है।

(4) जी हां। उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर आटा उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा 2011 की निविदा की शर्तों का सरलीकरण किया गया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा निविदादाता भाग ले सकें और उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो। इस कारण 2011 में दरें कम आई। दरों का विवरण परिशिष्ट 2-1 व 2-2 पर संलग्न है। 2010 व 2011 की निविदा शर्तों के अंतर का विवरण निम्नानुसार है:-

1- 2010 में आमंत्रित निविदा में मिल की भण्डारण क्षमता 300 से 800 मैट्रिक टन रखी गई थी तथा दिनांक 12.07.2010 को जारी निविदा में जयपुर

(श्री बाबूलाल नागर)

की 4000 मैट्रिक टन तथा अजमेर की 1500 मैट्रिक टन की भण्डारण क्षमता का प्रावधान किया गया था। 2011 के लिए जारी की गई निविदा में गोदाम भण्डारण क्षमता 400 मैट्रिक टन ही रखी गई है। 2009 में जारी निविदा में 500 मै. टन रखी गई थी।

2- 2010 में जारी निविदा शर्तों में फ्लोर मिल परिसर में ही गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला का प्रावधान रखा गया था, जिसकी लागत 20 से 25 लाख के बीच में ही है। 2011 के लिए जारी निविदा में प्रयोगशाला की शर्त को हटा दिया गया है।

3- 2010 की निविदा शर्तों में स्पेसिफिक आठ तरह की मशीनों का प्रावधान किया गया था, जबकि 2011 के लिए जारी निविदा शर्तों में स्पेसिफिक मशीनों का प्रावधान नहीं किया गया।

4- 2010 की निविदा शर्तों में टर्न ओवर राशि अजमेर के लिए 2 करोड़ एवं जयपुर के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जबकि 2011 के लिए जारी निविदा में कोई टर्न-ओवर प्रावधान नहीं है।

5- 2010 की निविदा में फर्म की 25 लाख की हैसियत की शर्त रखी गई थी, जबकि 2011 में कोई हैसियत शर्त नहीं रखी गई।

6- दिनांक 12.07.2010 की निविदा में अजमेर के लिए अमानत राशि 4,46,400 रुपये रखी गई तथा जयपुर के लिए 16,40,364 रुपये रखी गई, जबकि 2011 के लिए जारी निविदा में अमानत राशि अजमेर, जयपुर के लिए 2-2 लाख रुपये रखी गई।

7- 2010 में जारी निविदा के लिए फर्म का अनुभव 3 वर्ष का रखा, जिसका प्रति वर्ष का टर्न ओवर 3 करोड़ का होना चाहिए था, जबकि 2011 के लिए जारी निविदा में टर्न ओवर की शर्त 1 करोड़ एवं अनुभव एक वर्ष रखा गया।

8- 2010 के लिए जारी निविदा में पिसाई क्षमता प्रति दिन 100 मैट्रिक टन रखी गई, जबकि 2011 के लिए जारी निविदा में प्रतिदिन 20 मैट्रिक टन क्षमता पिसाई क्षमता रखी गई।

9- 2009 में जारी निविदा में केवल रोल फ्लोर मिलों को ही योग्य माना गया था, जबकि 2011 के लिए जारी निविदा में साधारण फ्लोर मिल को भी योग्य माना गया है। उपरोक्तानुसार 2011 के लिए जारी निविदा शर्तों का

(श्री बाबूलाल नागर)
सरलीकरण किया गया जिसके कारण संभाग मुख्यालय की निविदाओं में... (व्यवधान)... 74 निविदा...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो जवाब दिया है ...(व्यवधान) हमने पूछा ही नहीं था।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): ...आपने 6 पूछा है। आपके 6 खंड हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ठीक है, दो।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): 74 निविदाओं में ... हो गया, पूरा हो गया। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ...(व्यवधान) 9 खंड जवाब में दिये जा रहे हैं, दिये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): जो आपने पूछा है वह दे रहा हूं। अन्तर पूछा है, क्यों पूछा है, कारण पूछा है। (व्यवधान) 74 निविदादाताओं द्वारा भाग लिया गया।

(5) चयनित परिवारों के लिए नियमित आबंटन योजना के लिए कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई है । तदर्थ श्रेणी के गेहूं के आबंटन में से चयनित परिवारों को वितरण किये जाने वाले आटे की दरों में 30 पैसे प्रति किलो की दर कम करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

(6) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय,..(व्यवधान) रुको आप, हमने शांति से सुना है पूरा जवाब, आप अब हमारे प्रश्न सुनने दो। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, पूरा लंबा-चौड़ा जवाब है। मैंने पूछा क्या था और इन्होंने जवाब क्या दिया है, अभी तक मेरे कुछ चीजें समझ में नहीं आयी हैं।

श्री अध्यक्ष: विस्तार से दे दिया।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 2010 और 2011 की दरों में जो अन्तर आया है, वह लगभग 65 रुपये प्रति क्विंटल यानी 65 पैसे प्रति किलो का अन्तर है 2011;

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

में और 2010 में लगभग 50 पैसे से लेकर 65 पैसे प्रति किलो तक। तो मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि 2011 में इस अन्तर के कारण से कितने रुपयों की पूरे राजस्थान में बचत होगी ?

दूसरा मेरा प्रश्न है, मैंने पूछा यह था, ''क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2011 के लिए पिसाई का ठेका दिया जा चुका है? यदि हां, तो किस-किस जिले के लिए किस-किस फर्म को किस-किस दर पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।'' अब इनका जो जवाब है, अध्यक्ष महोदय, यह आया है, ''जी, नहीं। चयनित परिवारों के लिए आटा उपलब्ध कराने की कोई पिसाई की ठेके की निविदा आमंत्रित नहीं की गई है। विभाग द्वारा केवल पिसाई का ही ठेका नहीं किया जाता बल्कि फ्लोर मिलों में भारतीय खाद्य निगम में आबंटित गेहूं लागत की राशि का बैंक ड्राफ्ट, गेहूं की मात्रा, वैट, गेहूं का उठाव किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम से गोदाम में गेहूं की लोडिंग, मिल तक परिवहन, अनलोडिंग, गेहूं की सफाई, धुलाई, पिसाई, भराई, पैकिंग, सिलाई, प्रिंटिंग मैटीरियल ...।"

श्री अध्यक्ष: अब आप जवाब क्यों पढ़ रहे हैं, प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मेरे सवाल का इसमें जवाब ही नहीं है। ये क्या है? मैं पूरे सदन से पूछना चाहता हूं कि मैंने जो पूछा है, ये आपके समझ में आ रहा है क्या जवाब? मैंने रेटें पूछी हैं और इन्होंने कही है, ढुलाई होती है, फलाना होता है। (व्यवधान) सुनो। तो मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहता हूं कि ये जो इन्होंने पूरा प्रोसेस लिखा है, क्या 2011 के ठेके में यह प्रोसेस हटा दिया गया है कि यह शामिल है? मेरा यह प्रश्न है कि 2011 का जो ठेका दिया गया है, निविदा दी गई है पिसाई की, उसमें ये सारी शर्तें अभी यथावत हैं या हटा दी गई हैं? तीसरा मेरा सवाल है...

श्री अध्यक्ष: दो ही बहुत हैं एक बार में।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, तीसरा मेरा सवाल है कि पिछले साल सड़े गेहूं की बहुत चर्चा थी और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि गेहूं को सड़ाने की बजाय आप मुफ्त में बांट दो। तो यह जो आटा बांटा जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, वह सड़ा गेहूं पीसकर बांटा जाएगा या इसकी कोई जांच करने की हमारी जो प्रयोगशाला की शर्त थी, वह भी इन्होंने हटा दी है? तो मैं यह आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या वापस गेहूं वितरण व्यवस्था सरकार करने की मंशा रखती है जिससे सही गेहूं आदमी के पास पहुंचे, सड़ा गेहूं आटे के रूप में नहीं पहुंचे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): चौथा, एक और है।

श्री अध्यक्ष: विराजें-विराजें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): एक और है। अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट 2-2 में क्रमांक 13, 14, 15, 16, 17की नेगोशियेशन-पश्चात्-दरें नहीं दिखाई गई हैं, प्रस्तावित दरें ही दिखाई गई हैं। क्योंकि इनमें वे ही फर्में शामिल थीं जो पिछले साल भी थीं तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि इन फर्मों की, जो पिछले साल भी ठेकेदार थीं, उनकी और अभी जो इन्होंने रेट तय की हैं, उन स्पेसिफिक फर्मों की रेट दिखाई नहीं गई है। उनकी रेट आप बतायें कि इस वर्ष क्या रेट है?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): इसमें सब है।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): इसमें नहीं है, साहब।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): जवाब में लगाया है हमने।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): साहब, ये आपका ही जवाब है न मेरे पास।

श्री अध्यक्ष: हां, दे रहे हैं, दे रहे हैं। मंत्रीजी।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन से आग्रह करना चाहूंगा चूंकि ये बहुत लंबे समयतक कई बार चर्चा में रहा है, इसलिए इसको इतना तो को-आपरेट करें, जो भी वस्तुस्थिति है पूरे हाउस के सामने आ सके कि वस्तुस्थिति क्या है, यह मैं प्रार्थना करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप तो स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब देकर छुट्टी करें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, पहला माननीय सदस्य ने जो पूछा कि 2010 से 2011 में 50 से 65 रुपये का एक क्विंटल पर अन्तर आया है और वह बचत कहां है, निश्चित रूप से, अध्यक्ष महोदय, आटा योजना जब हमने शुरू की तो इस आटा योजना के लिए तरह-तरह का काम करना पड़ता है विभाग को। आम उपभोक्ता को जाग्रति भी देनी पड़ती है, विज्ञापन भी जारी करना पड़ता है। इसके अलावा, अध्यक्ष

(श्री बाबूलाल नागर)

महोदय, जो भी उपभोक्ताओं के भले के लिए जो-जो राज्य सरकार कर सकती है, अभी मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना लागू की, तो मैं यह कहना चाहूंगा निश्चित रूप से क्योंकि एक ही जिले में एक दर नहीं है, अध्यक्ष महोदय, दरों में भी कई बार विभिन्नता है, उन दरों का जो अन्तर होता है उसकी भी इसमें पूर्ति करनी पड़ती है। लेकिन इन सबके बाद भी, अध्यक्ष महोदय, जो भी इसमें अन्तर राशि आयी है, वह हमने सरकार को नहीं दिये पैसे, उपभोक्ता कल्याण समिति को दिये हैं। उपभोक्ता कल्याण समिति पिछली सरकार के तहत बनायी गयी थी, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि प्रदेश के उपभोक्ताओं के वेलफेयर के लिए जो भी विभाग को काम करना हो, उसकी जो अन्तर राशि है, कई जगह तेल, केरोसीन में डिफरेंस है जगह-जगह जिलों में, पहले कहीं जयपुर से उठाव होता था, अजमेर से होता था, अब वहां बंद कर दिया, दूसरी जगह होने लग गया, ज्यादा लागत आने लग गई, इस तरह की जितनी भी अन्तर राशि है वह सब उस उपभोक्ता कल्याण समिति में हम जमा कराते हैं। ये जो भी बचत हुई है...

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितने रुपयों की 2011 में सरकार को बचत होगी, आप यह ही बता दो।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं यही बात रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य, कृपया विराजिए, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आप स्पेसिफिक जवाब दें। जो प्रश्न पूछा गया है, आप उसी का जवाब दें। इस जवाब में भी पूरा घुमा कर दिया है। आप स्पष्ट रूप से नहीं बताना चाहते हैं।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय सदस्य, पाइंट-वाइज जवाब दे रहा हूं। चार बातें इन्होंने पूछी हैं, चार बातें इन्होंने पूछीं। इन्होंने अपने प्रश्न में पहली बात तो इस तरह का कोई प्रश्न ही नहीं पूछा कि कितनी बचत हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि जो भी बचत हुई है। वह उपभोक्ता कल्याण समिति में जमा है। विभाग उसमें एक पैसा भी खर्च नहीं करता है, फाइनेंस विभाग से एप्रूवल लेकर उपभोक्ताओं के भले के लिये खर्च करता है और माननीय सदस्यों को मैं उपलब्ध करा दूंगा।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में 25 पैसे की गेहूं में छूट देकर तालियां बजवाई हैं और यहां गये साल 65 पैसे की लूट हो रही थी, उस पर आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मुझे आप स्पष्ट जवाब दिलवाएं। 25 पैसे की छूट दी मुख्य मंत्रीजी ने तो सबने तालियां बजाई थीं, यहां उपभोक्ता से 65 पैसे प्रति किलो की लूट लिखी जा रही थी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 2010 में केवल 5 फ्लोर मिलों को ही आर्डर क्यों दिया गया? क्या यह सही है कि जो 27 करोड का घाटा विभाग को हुआ, उसमें से +++ उन पांचों फ्लोर मिल ने दिया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) इसको एक्सपंज कर दिया जाये। आरोप संबंधी जो कहा गया है, उसको एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ...(व्यवधान) साहब, यह जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष: आप पहले नोटिस देकर नियमानुसार कहेंगे तो मैं मानूंगा। आप नियमानुसार नोटिस देकर आरोप लगा सकते हैं, सीधे आरोप नहीं लगा सकते। (व्यवधान) मैंने एक्सपंज कर दिया, आप विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न माननीय मुख्य मंत्रीजी से है कि क्या यह सही है कि मंत्रीजी के खिलाफ ए सी डी में कोई मामला दर्ज हुआ, ए सी डी ने उसकी जांच की ....

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं जवाब दूंगा इसका।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): और जांच में क्या पाया गया? क्योंकि इसका जवाब यह नहीं दे सकते।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं ही दूंगा जवाब।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सुनो आप, बैठो आप एक मिनट। बैठते क्यों नहीं हो? इसका जवाब माननीय मुख्य मंत्रीजी दें। और क्या कारण रहे कि ...(व्यवधान) राजस्थान में जितने जिले हैं ...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): पब्लिक का पैसा लुट रहा है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बैठिए आप, बीच में मत खड़े होइए। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है कि राजस्थान में केवल 11 जिलों में ही 2011 में टेंडर क्यों किये गये? और उसमें जब रेट कम आ गई 149 रुपये 98 पैसे, तो बाकी जिलों में 215 रुपये में ही क्यों दे रहे हो आप? यह 65 रुपये का जो डिफरेंस है, वह कहां जा रहा है? यह जरा स्पष्ट कीजिए।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पहला प्रश्न पूछा है, एक अननोन व्यक्ति ने 30-40 लोगों के नाम एक रजिस्ट्री कराई जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष को भी कराई गई, माननीय वसुंधराजी को भी कराई गई, राजस्थान के तमाम समाचार पत्रों को भी उसकी कापी दी गई और प्रधान मंत्रीजी, सोनिया गांधीजी, मुख्य मंत्रीजी, सी बी आई, इन सबको करीब 30 जगह रजिस्ट्री कराई।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसका जवाब तो मुख्य मंत्रीजी दें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप जवाब सुन लें। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसका जवाब तो मुख्य मंत्रीजी दें कि ए सी डी रिपोर्ट का क्या हुआ? मुख्य मंत्रीजी जवाब दें, ये क्या जवाब देंगे?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मंत्री मैं हूं मैं, विभाग का मंत्री मैं हूं। (व्यवधान) मुझसे कंविंस नहीं हों तो मुख्य मंत्रीजी जवाब दे देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता बताएं। (व्यवधान) क्या अधिकारी दोषी है कि नहीं, क्या गबन किया गया है या नहीं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया मंत्रीजी का जवाब आ जाने दीजिए। कृपया आप बैठिए, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आप स्पेसिफिक जवाब दिलवाइए। ये सदन का समय जाया कर रहे हैं।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): ...(व्यवधान) हमें सदन के नेता से जवाब दिलवाया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मेरा जवाब आ जाये ...(व्यवधान)...

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, सदन का समय व्यर्थ किया जा रहा है, मेरे जवाब नहीं आ रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अभी माननीय सदस्य आदरणीय कालीचरणजी ने ...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ये कहां से खड़े हो गये ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने जो सवाल पूछा, उसका जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान) मैं आपका जवाब दे रहा हूं।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आपसे संबंधित प्रश्न नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने जो कहा ना कि ए सी डी की जांच हो गई, ए सी डी की जांच जिस पत्र पर चालू हुई थी उस पत्र पर किसी के दस्तखत नहीं थे। कम से कम इतनी हिम्मत तो होती, इतनी हिम्मत तो दिखाते, कम से कम वह दस्तखत तो करता। आपको अगर इस प्रकार की शिकायतें करवानी थीं तो कलेजा रखना चाहिये था।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के बारे में पूरा राजस्थान जानता है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये कोई कोर-कसर नहीं छोड़ते। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, यहां आटे की बात चल रही है, आटे की। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): ...(व्यवधान) चाहे वसुंधरा राजे पर हो, चाहे अरुण चतुर्वेदीजी पर हो, चाहे हमारी सोनिया गांधीजी पर हो, अध्यक्ष महोदय, जिस-जिस को पत्र लिखा उन पत्रों को माननीय मुख्य मंत्रीजी को संलग्न कर के भिजवाया। मुख्य मंत्रीजी ने प्राइमा फेसाई उसको दिखवाया। अध्यक्ष महोदय, पता गलत था, नाम गलत था, इसके बाद भी चूंकि हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि हम प्रदेश में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वह किसी पर भी लगे, एक अननोन पत्र पर, हमारे मुख्य मंत्रीजी की हिम्मत देखो कि चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने बेनामी पत्र पर भी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। बैठिए, बैठिए। कर्नल सोनाराम।

अग्निकाण्ड से पीड़ितों को देय सहायता राशि में वृद्धि

123. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार वर्तमान अग्नि/आगजनी से पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता राशि के नियमों में संशोधन कर वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी एवं कब तक व नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक अग्निकाण्ड से पीड़ितों को सी आर एफ मानदण्डानुसार सहायता दी जाती है। इस राशि को बढाना केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में है। इसे बढ़ाने हेतु राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को 13 नवम्बर, 2009 को पत्र लिखा गया था। केन्द्र सरकार से उत्तर आना अपेक्षित है।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे को एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह थोडे ही होता है। राजस्थान की जनता का पैसा लुट रहा है ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): ...(व्यवधान) आपकी पोल खुल जायेगी अभी... (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सवालों का जवाब दिलवाइए। मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं आया है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जनता की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है। (व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ...(व्यवधान) 65 पैसे आटे की पिसाई ले रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट …(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ...(व्यवधान) सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है यह सड़ा हुआ आटा देकर, गला हुआ आटा। (व्यवधान) सड़ा हुआ आटा वितरण कर रही है यह सरकार। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, पिछले साल पिसाई का दाम 2 रुपया 15 पैसा गया और इस समय 1 रुपया 59 पैसे का अंतर क्यों हुआ ?सरकार को यह कहां आवश्यक था ?आपको गेहूं की जगह आटा पीसकर देने का निर्णय करने की जरूरत क्यों पड़ी? गेहूं की बजाय आटा पिसा कर लोगों को देने का यह विचार कैसे पैदा हुआ जो सामान्यत: होता नहीं? दूसरा यह है कि आटा पिसाई की रेट, आप और मैं एक सामान्य गृहस्थी में रहते हैं तो एक रुपया से ज्यादा आटा पिसाई की नहीं लगती और आपके सामने जब 2 रुपया 15 पैसे का भाव आ गया तो आपकी बुद्धि में यह क्यों नहीं आया...

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह आटा पिसाई का मामला नहीं है, खाली आटा पिसाई नहीं होता विभाग द्वारा। (व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) जब बाजार का भाव एक रुपया था ...(व्यवधान) अगर आप ढाई सौ रुपये में लोगे तो क्या यह ईमानदारी है? (व्यवधान) बाजार में एक रुपये में आप और हम पिसवा कर आते हैं तो 2 रुपये 15 पैसे का भाव कैसे लगता है ? (व्यवधान) एक तो चोरी की है और उस पर सीनाजोरी और कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ...(व्यवधान) इस साल कम कैसे हुआ पैसा ?

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी, माननीय कटारियाजी। माननीय सदस्य, कृपया विराजिए। सदन के नेता।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो आपके माध्यम से उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। विराजिये, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से...(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आदमी बोला, ये बीच में बोले और बीच में बोलने के बाद में ये आंख और दिखा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन यह करना चाहूंगा कि आपकी भावना व्यक्त करने की बात है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिये आपको गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, बड़ी प्यार-मुहब्बत से बात करनी चाहिए।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि आप सबको, सदन को जानकारी रहनी चाहिए कि मंहगाई बहुत ज्यादा, पीक पर पहुंची थी, उस वक्त सरकार ने कांशस निर्णय किया कि हम आटे के माध्यम से, जैसे दिल्ली के अन्दर, और कई राज्यों में होता है, उसी प्रकार आउटलेट खोलकर के, चाहे वह डेयरी के बूथ के माध्यम से हो, चाहे पी.डी.एस. के माध्यम से हो, आटा अधिक से अधिक जगहों पर पहुंचे और सस्ते भाव पर पहुंचे, उसके लिये प्रयास किया गया। इससे पहले भी कई आरोप लगे। आरोपों में कोई सच्चाई, कोई सामने लाया नहीं, आरोप खाली लगे थे। फिर भी जो अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से और जहां-जहां शिकायत की गई थी, बिना कोई नाम के, बिना कोई पते के झूठी शिकायतें की गई, तब भी जो मेरे आफिस के अन्दर, कार्यालय में, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पत्र आये थे, उनको हमने फिर भी ए.सी.डी. को भेज दिया कि पता लगायें, वास्तव में यह कोई जो नाम, कौन सा नाम, कहां रहता है, क्या करता है। उसका आज तक पता लग नहीं पाया। एक बात। वह तो एक प्रकार से ए.सी.डी. की जांच का विषय हो सकता है लेकिन फिर भी हमने हमारे पास पेपर रखना उचित नहीं समझा, हमने वहां भेज दिया।

इस मौके पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सहमत होंगे, हम लोगों ने इसमें फोर्टिफाइड आटा देने का निर्णय किया है जो जनहित के अन्दर है, जिसमें फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन-बी-12

(श्री अशोक गहलोत)

मिलाकर के आटा देने का काम प्रारम्भ किया गया फरवरी से और सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर, कोटा को छोड़कर के, कोटा में सिर्फ एक पार्टी आई थी टेण्डर में, इसलिये उसको छोडकर के, वापस टेंडर होंगे वहां पर, बाकी जगहों पर यह निर्णय किया गया है। इसके अलावा भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, बाड़मेर में लागू किया गया है और इसकी जांच के लिये भी हमने तय किया है कि जो निजी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं होंगी, उसकी गुणवत्ता की जांच वहां की जाएगी। यह जनहित के अन्दर है, हैल्थ के पाइंट-आफ-व्यू से उचित है।

अन्त में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सदन की राय होगी, हम धीरे-धीरे चाहेंगे कि पी.डी.एस. की सभी जगहों पर फोर्टिफाइड आटा ही मिले। नम्बर-एक। नम्बर-दो, कई राज्यों में यह भी है, प्राइवेट सेक्टर के अन्दर भी आटा जो मिलता है वह फोर्टिफाइड मिलना कम्पलसरी किया हुआ है जिससे गरीब आदमी तक भी फोर्टिफाइड आटे के माध्यम से न्यूट्रिशन मिल सके; फोलिक एसिड, आयरन, जैसा मैंने कहा, आपको विटामिन-बी-12 मिले, यह भी हमारा प्रयास है। इसको हम एग्जामिन करवा रहे हैं, पूरे प्रदेश में पी.डी.एस. के अन्दर क्या हम इसको लागू कर सकते हैं। वह भी हम करने का प्रयास करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं... (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल है, अगला सवाल आ चुका है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कुछ बातें कहीं तो हमारा भी हक बनता है, सवाल पूछने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। सारी बातें एक्सप्लेन कर दीं, क्या बचा फिर? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मुख्य मंत्रीजी ने कहा तो हम भी तो जानकारी ले लें, अध्यक्ष महोदय। मुख्य मंत्रीजी, मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं कि फोर्टिफाइड आटे का मामला नहीं है, मामला इस बात का है कि पिसाई की दरों में जो अन्तर आया, एक वर्ष के अन्दर नौ-नौ इनकी शर्तों में बदलाव किया गया, इन नौ शर्तों में बदलाव क्यों किया गया?

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, यह मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरा सवाल बहुत सीधा सवाल है।

श्री अध्यक्ष: विराजें, अब आप विराजें। अगला प्रश्न आ जाने दीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): और पिसाई की दरों के अन्तर में उपभोक्ता पर कितना भार पड़ा ?क्या मुख्य मंत्रीजी इसकी जांच कराएंगे? यह मामला इतना सरल नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मंत्री महोदय ने जो बताया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पूछिये, आप पूछिये। (व्यवधान) आप तो पूछिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मेरा सवाल था, बहुत पाइंटेड क्वेश्चन है, इसके तहत मैंने यह कहा है कि ''क्या सरकार अग्नि/आगजनी से पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता राशि के नियमों में वृद्धि करने का विचार कर रही है। यदि हां, तो कितनी एवं कब? नहीं तो क्यों? "मंत्रीजी हमारी पार्टी के हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, किसान के बेटे हैं परन्तु मुझे बहुत एक केजुअल आंसर मिला है और जवाब क्या है," राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक अग्निकांड से पीड़ितों को सी.आर.एफ. मानदण्डानुसार सहायता दी जाती है। इस राशि को बढ़ाना केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में है। इसे बढ़ाने हेतु राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को 13 नवम्बर, 2009 को पत्र लिखा गया था। केन्द्र सरकार से उत्तर आना अभी बाकी है।'' सवाल मैंने बहुत गम्भीर उठाया है जिसमें अग्निकाण्ड, जो खासकर के पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जिसमें बाड़मेर, जालोर, नागौर, वहां पर करीब 70-80 प्रतिशत लोग अभी तक झोंपड़ियों में रहते हैं, मेरे बायतू के अन्दर आज 42 प्रतिशत बी.पी.एल. हैं...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): तो मेरा प्रश्न यह है कि उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को भेज दिया, डेढ साल हो गया, मैंने उसमें यह भी कहा है कि राशि कितनी है। उन्होंने तो मुझे बताया नहीं, मुझे राशि मंगानी पड़ी। यह है, भारत सरकार का जो सेंट्रल रिलीफ फंड है, उसके अन्दर झोंपड़ी अगर नष्ट होती है, दो हजार रुपये ;अगर उसके अन्दर कपड़े, बरतन और घरेलू सामान जल जाते हैं तो 2-1 हजार रुपये। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह कई बार आ चुका हूं, मुख्य मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, यह मामला बहुत गम्भीर है, गरीबों

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में, आप जानते हो, लोग झोंपड़ियों के अन्दर रहते हैं, अग्निकाण्ड बहुत, मैं मानता हूं, रोज का एक अग्निकाण्ड होता है वहां मेरे बाड़मेर के अन्दर। आप आंकड़ों में जाकर देखो। तो मैं यह नहीं कहता हूं, हमारी सरकार है, मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, आप भारत सरकार के भरोसे क्यों रहते हैं? आपको घोषणा करनी चाहिए, आपको अपनी तरफ से करनी चाहिए कि आग लगती है, जो झोंपड़ी जल जाती है, जितनी झोंपड़ियां उसके अन्दर हैं...(व्यवधान) सारी की सारी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आ जाने दीजिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, इसी में हमारा सवाल है।

श्री अध्यक्ष: आप मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर आने दीजिए। (व्यवधान) मूल प्रश्नकर्ता को मैंने इजाजत दी है, आप कृपया विराजिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मेरा सवाल है कि राजस्थान सरकार जिस तरह से भारत सरकार सेंट्रल रिलीफ फण्ड के तहत जो राशि अलग-अलग आपदाओं के लिये देती है, रिलीफ देती है क्या राजस्थान सरकार भी इसके अन्दर कुछ पैसा देगी कि नहीं देगी? जैसे कई रिलीफ फंड, आपदाओं अन्दर भारत सरकार कुछ कम्पोनेंट देती है तो, मुख्य मंत्रीजी, कुछ बताएंगे कि जो गरीब की झोंपडियां जल जाती हैं जिसमें सारा उनका बर्बाद हो जाता है, उनको देंगे कि नहीं देंगे ?

दूसरा मेरा सवाल है इसी से जुड़ा हुआ,...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। मूल प्रश्नकर्ता को इजाजत दी है मैंने।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, भाग दो, जो भारत सरकार ने डेढ़ साल तक जवाब नहीं दिया है, क्या मुख्य मंत्रीजी इसमें दखलंदाजी करके भारत सरकार के जो मंत्री हैं, उनसे जवाब मंगाएंगे? और मंगाने पर वह जितनी देते हैं, अगर ठीक नहीं देंगे तो क्या जिरह करके इस राशि को बढ़वाना चाहिए ? दोनों सवालों का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्रीजी। (व्यवधान) विराजिये, आप विराजिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): यह मंत्रीजी के बस की बात नहीं है, यह मंत्रीजी नहीं दे सकते। मुख्य मंत्रीजी को जवाब देना चाहिए इसका।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, आप विराजिये। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं इसका।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): जो जवाब आया है, अग्निकाण्ड में झोंपड़ी और पूरा घर जल जाता है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिए, तब तक मैं अलाऊ नहीं करूंगा। (व्यवधान) मैं अलाऊ नहीं करूंगा। मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिए। कृपया आप विराजिये। (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): पूरे राजस्थान का मामला है। हमारे बीकानेर में भी ऐसे मामले हैं। मैंने भी एक क्वेश्चन उठाया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बायतू से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि अग्निकाण्ड को हम प्राकृतिक आपदा के तहत लेते हैं और सी.आर.एफ. नार्म्स और हमको भारत सरकार के दिशा-निर्देश मानने पड़ते हैं। उसमें बढ़ोतरी करना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले जवाब आ जाने दीजिए आप। आप जवाब आने दीजिए। (व्यवधान) नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। जवाब आने दीजिए। अंकित नहीं होगा।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता): गृह मंत्रालय को बार-बार राज्य सरकार ने अनुरोध किया है, मुख्य मंत्री के लेवल से भी किया है।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दीजिए पहले आप। आप जवाब ही सुनने को तैयार नहीं हैं। नहीं, मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं। अंकित नहीं होगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दीजिए। अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) आप मंत्रीजी का जवाब सुनिये। आप मंत्रीजी का पहले जवाब सुनिये। अंकित नहीं होगा।

(समय : 12.00 बजे)

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनने को तैयार नहीं हो। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: गम्भीरता तो तब ही होती जब आप जवाब सुनते। प्रश्न काल समाप्त।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से सीमल्या थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव की अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार एवं हत्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(2) श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से जोधपुर केन्द्रीय कारागृह में कैदियों के पास मोबाइल फोन, नशीले पदार्थ एवं अन्य अवांछित सामग्री बरामद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(3) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से तहसील रोहट के ग्राम निम्बलि-उर्रा में ग्राम सेवक द्वारा वृद्धा एवं विकलांग पेंशन के पात्र व्यक्तियों के आवेदनों को गलत टिप्पणियों से निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(4) श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से जिला श्रीगंगानगर में भूतपूर्व सैनिकों के हथियार लाइसेंसों का नवीनीकरण रोके जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(5) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से जिला उदयपुर की पंचायत समिति खैरवाड़ा की ग्राम पंचायत ऋषभदेव में पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। वैसे भी माननीय सदस्यों को बजट भाषण पर बहस एवं संबंधित विभागों की अनुदान की मांगों पर चर्चा के समय बोलने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री नरपत सिंह राजवी एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण प्राप्त करने वाले किसानों की बीमा कम्पनियों द्वारा जबरन बीमा कर उनके खाते से हजारों रुपये प्रीमियम के काटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(7) श्री ओम बिरला एवं एक अन्य सदस्य की ओर से कोटा में सेमटेल ग्लास फैक्टरी के प्रबंधकों द्वारा अचानक तालाबंदी किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(8) डा. दिगम्बर सिंह एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य में नकली व अमानक दवाइयों की बिक्री से आम जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(9) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से राज्य सरकार की दिनांक 02 फरवरी, 2011 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या अ.शा. टीप 4 II (81) (वित्त-1/2010 के द्वारा गारंटी फीस में 0.1 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य श्री नरपत सिंह राजवी, श्री ओम बिरला, डाक्टर दिगम्बर सिंह एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री नरपत सिंह राजवी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रही हूं कि हमारा भी नाम आ जाए। हम रोज-रोज स्थगन प्रस्ताव लगाते हैं लेकिन एक बार भी हमारा इसके लिए नाम नहीं आया। यह बड़ा गलत है। आप देखिए, एक दलित महिला की हत्या हुई है, उसका अपहरण किया, उसको मारकर डाल गए...

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। श्री नरपत सिंह राजवी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): और उस पर इस मुद्दे को इतना गम्भीर नहीं मानते हुए आपने गम्भीर नहीं माना।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजिए। गृह विभाग की चर्चा हो तब आप कहें। विराजिए। आप विराजिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): आप देखिए, उस दलित महिला के हत्यारे का अभी तक पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए आप। विराजिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): सब कुछ स्पष्ट है, बिलकुल सरासर सामने है, उसके बावजूद भी कोई हमें परमिशन नहीं मिली। यह गलत बात है, साहब। हम डेली लगाते हैं, डेली इस तरह से हमारा स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: आप नहीं बोल रहे हैं क्या?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): बोल रहा हूं न, हाउस को आर्डर में करिए।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया विराजिए।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण प्राप्त किसानों का बीमा कम्पनियों द्वारा जबरन बीमा

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य के विभिन्न बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की कम ब्याज दर पर अल्प अवधि ऋण सुविधा के लिए... (व्यवधान)

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): यह महत्वपूर्ण बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। कृपया आप विराजिए। दो मिनट बोल गयीं वे तो बिना इजाजत ही। विराजिए-विराजिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित ग्रामीण बैंकों के अलावा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बैंक के माध्यम से अल्प अवधि के ऋण दिलाने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार फसल बीमा भी ग्रामीण

(श्री नरपत सिंह राजवी)

अंचलों में स्थापित बैंकों, ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से बीमा कम्पनियों द्वारा करवाया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड पचास हजार से तीन लाख रुपये तक का ऋण देता है। उसमें यह देखने में आया है कि 2000 से लेकर 10000 रुपये की जीवन बीमा बैंकों द्वारा बिना उनकी सहमति और स्वीकृति के कर ली जाती है। किसान अपने सिर्फ पत्रादि पर हस्ताक्षर करता है, उसको पता नहीं है कि मैं कौन से पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इस चीज की किसान की जानकारी के बिना उसके खाते से सीधी ही यह राशि काट ली जाती है और कई जगह किसान आन्दोलन भी कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना रोक-टोक के जबरन बीमा कराने के फलस्वरूप करोड़ों रुपये की राशि प्रीमियम के रूप में वसूल की जा रही है और वह इंश्योरेंस कम्पनी के साथ बैंक्स एम.ओ.यू. भी कर रहे हैं। उस एम.ओ.यू. के आधार पर टार्गेट्स दे रहे हैं। अभी एक बैंक ने एक परिपत्र जारी करके यह किया कि जबरन नहीं किया जाए, इंश्योरेंस अगर स्वयं, अपने खुद करना चाहे तो किसान करवाए लेकिन वास्तविकता से यह परे है। टार्गेट्स दिए हैं और टार्गेट्स में उसमें हर जिसने बीमा करवाया है, उसके आधार पर उसको लाभ दिया जाता है। इसी प्रकार फसल बीमा कराने वाले किसानों से भी बिना उनकी जानकारी के बीमा कर प्रीमियम काट लिया जाता है।

इस बाबत बाड़मेर जिले में तहसील सिवाना के किसान यूनियन द्वारा गत कई महीनों में आन्दोलन चलाया गया। अधिकांश नुकसान की भरपाई हेतु तहसील क्षेत्र में फसल खराब होने पर अलग-अलग बैंकों द्वारा अलग-अलग राशि दी गई। पादरू स्थित स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं ब्रांच मोकलसर, इन दो ब्रांचों पर सांकेतिक रूप से किसानों ने स्टेट बैंक को बंद करवाया। उनका कहना था कि बीमा प्रीमियम जबरन वसूली कर काटा गया है एवं खेत में आई बुवाई, की गई फसल जिसकी पुष्टि गिरदावरी द्वारा होती है, उसके अलावा किसान बीमा, फसल बीमा किया गया है, उसके कारण से लाखों किसानों को नुकसान हुआ है। गिरदावरी और उसके अन्दर, 2009 की अभी जैसे बात उठी थी, 2009 में अभी भी वे केसेज सारे सेटल नहीं हुए हैं और बहुत से किसानों को काफी कम कम्पंसेशन मिला है। गिरदावरी तो रेवेन्यू रिकार्ड का एक अधिकृत डाकुमेंट है, उस डाकुमेंट पर जो भी जिंस लिखी है, उसी का प्रीमियम कटना चाहिए और उसी के आधार पर उस खराबे का लाभ भी मिलना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

इसी प्रकार यह जयपुर थार ग्रामीण बैंक ने जो कि यूको बैंक द्वारा प्रायोजित है, बजाज अलियांज बीमा कम्पनी से एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर कर लिए। 8 अप्रैल, 2007 को तत्कालीन जयपुर थार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष वी.सी. साहु के समय में प्रथम बार एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए। इसी प्रकार एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करने पर बीमा कम्पनी ने अलग-अलग बैंकों से अलग-अलग प्रोत्साहन हेतु अलग-अलग प्रकार के उपहार देकर सहयोग किया एवं भ्रष्टाचार में अपना सहयोग दिया, सम्मिलित हुए। जयपुर थार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष वी.सी. साहु को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करने के बदले महंगी विलासिता कार उनको दी गई। जो आज जयपुर में चल रही है। वर्तमान में श्री साहु जयपुर स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में उप-कुलपति के पद पर कार्य कर रहे हैं। जयपुर थार ग्रामीण बैंक में वर्तमान अध्यक्ष उड़ीसा निवासी श्री उमाकांत मिश्र हैं, इन्हें भी महंगी विलासिता कार उपहार में उस बीमा कम्पनी ने दी। इस प्रकार की अनियमितता पर समाचार-पत्रों एवं व्यक्तिगत जानकारी करने पर बैंक अधिकारियों ने सिवाना की भांति इस विषय में यह भी कहा कि बीमा स्वेच्छा से करवाया जा रहा है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है।

मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि जयपुर थार ग्रामीण बैंक द्वारा एक परिपत्र भी जारी किया गया जिसमें सभी ब्रांच मैनेजरों को इस प्रकार का बीमा कराने हेतु किसान पर दबाव नहीं डालने की बात कही गई लेकिन तथ्य इसके विपरीत हैं। जयपुर थार ग्रामीण बैंक के ब्रांच मैनेजरों को बीमा कराने एवं प्रीमियम वसूल करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाकसू में इंश्योरेंस का कैम्प लगा और इसमें तकरीबन 10 लाख रुपये का प्रीमियम इकट्ठा हुआ। इसी संबंध में दिनांक 27 जनवरी, 2010 को रेनवाल में कैम्प लगा जिसमें 10 लाख रुपये का प्रीमियम इकट्ठा हुआ। इसी प्रकार वितीय वर्ष 2010 में तकरीबन 15 करोड़ रुपये का प्रीमियम किसानों से वसूल करके बीमा कम्पनी को दिया गया। इसके फलस्वरूप ब्रांच मैनेजरों को विभिन्न प्रकार के उपहार दिए जाते हैं। हालांकि नाबार्ड ने एक परिपत्र जारी कर किसान क्रेडिट कार्ड में केवल सरकारी कम्पनी द्वारा बीमा करवाए जाने के निर्देश दिए हैं लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।

बीमा कम्पनी से बैंक मैनेजरों को मिलने वाले उपहार प्रीमियम के आधार पर निर्धारित हैं। उदाहरण स्वरूप जयपुर थार ग्रामीण बैंक की शाखा को 40 लाख रुपये का प्रीमियम वसूल करने पर चार दिवसीय मलेशिया की हवाई

(श्री नरपत सिंह राजवी)

यात्रा करने का खर्चा बजाज अलियांज कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा। 33 लाख रुपये का प्रीमियम वसूल करने पर एक एल.जी. टी.वी., एक माइक्रोवेव, एक कैमरा-युक्त मोबाइल उपहार में दिया जाएगा। 28 लाख के प्रीमियम पर एक माइक्रोवेव, एक एल.जी. टी.वी., एक डबल डोर फ्रिज दिया जाएगा। इसी प्रकार 20 लाख के प्रीमियम पर एक लैपटाप और 10 लाख के प्रीमियम पर एक डबल डोर फ्रिज, 5 लाख के प्रीमियम पर एक माइक्रोवेव देने की योजना बजाज अलियांज कम्पनी की है।

मैं सदन के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को देय राशि का बीमा होता है। यह राशि किसान से नहीं लेने पर बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति करती है। दूसरी योजना फसल बीमा है। इसका प्रीमियम अलग-अलग फसल पर अलग-अलग प्रति बीघा के हिसाब से किसानों से लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मूंग, मोठ, बाजरा, दलहन पर किसानों को ढाई रुपये प्रति बीघा प्रीमियम देना होता है, बाजरे की फसल पर साढ़े तीन रुपये प्रीमियम देना होता है। शेष राशि राज्य सरकार व केन्द्र सरकार वहन करती हैं। इस पर भी जीवन बीमा अथवा अन्य प्रकार के बीमा कागजातों पर अनपढ़ किसानों के हस्ताक्षर करवाकर दो से दस हजार रुपये का प्रीमियम सीधा ही खाते में काट लिया जाता है। कृषि विभाग ने अभी तक किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया है जिससे किसानों से हो रही जबरन राशि की वसूली पर रोक लगाई जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के मामले में जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी हस्तक्षेप है, अत: विधायकों की सर्वदलीय समिति गठित कर जांच करवाई जाये जिससे पूरे राजस्थान का विवरण सामने आ जायेगा। मैंने एक-दो जिलों का ही उदाहरण दिया है।

आपने समय दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो दिलाओ, कितना महत्वपूर्ण सवाल है। मंत्री महोदय बैठे हैं, किसान लुट रहा है, उत्तर तो दिलाओ।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

सेमटेल ग्लास फैक्ट्री में अचानक तालाबन्दी

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा का एक उद्योग सेमटेल कलर लिमिटेड, जिसके देश में और भी उद्योग हैं, में 10 मार्च को

(श्री ओम बिरला)

अचानक, बिना पूर्व सूचना के तालाबंदी कर दी गयी और तालाबंदी करने से हजारों कर्मचारी और श्रमिक आज कोटा की धरती पर बेरोजगार हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां कोई श्रमिक यूनियन नहीं है, कोई ट्रेड यूनियन नहीं है। वहां के कर्मचारियों ने अपने वाजिब इन्सेंटिव के मामले में मैनेजमेंट से वार्ता करने का प्रयास किया, जोइंट लेबर कमिश्नर से वार्ता करने का प्रयास किया। तीन-तीन बार जोइंट लेबर कमिश्नर के सामने 3 तारीख को, 8 तारीख को और 9 तारीख को वार्ता हुई लेकिन मैनेजमेंट द्वारा 9 तारीख को वार्ता नहीं करके और अचानक तालाबंदी कर दी गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा शहर जो औद्योगिक नगरी रूप से जाना जाता है, जब सेठों को लाभ हो, तब फैक्टरी चलायें और सेमटेल कलर लिमिटेड, इसकी जो दूसरी ब्रांच थी गाजियाबाद में, सेमटेल कलर लिमिटेड-थ्री, गाजियाबाद में भी इसी तरीके से तालाबंदी करने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां की सरकार ने तालाबंदी नहीं होने दी परन्तु राजस्थान सरकार के संरक्षण के अन्दर आज तालाबंदी कर दी गयी।

वहां के जोइंट लेबर कमिश्नर ने इस अवैध तालाबंदी के खिलाफ इस संस्थान को नोटिस दिया। औद्योगिक विकास निगम की धारा 2 एल, 22, 23, 24 एवं 25 के तहत तालाबंदी के पूर्व नोटिस देना चाहिये और इसलिये जोइंट लेबर कमिश्नर ने बिना नोटिस के तालाबंदी करने पर प्रबन्धकों को नोटिस दिया लेकिन सरकार के सरंक्षण के अन्दर, पुलिस के बल पर सरकार उद्योगपतियों को

(समय : 12.14 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

संरक्षण कर रही है। उद्योग लाभ में है, लाभ का हिस्सा मजदूरों और कर्मचारियों का भी होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, सरकार चाहे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 के सेक्शन 10(क) के तहत उस अवैध तालाबंदी को समाप्त कर सकती है।

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है। राजस्थान के अन्दर औद्योगिक रूप से वातावरण बना हुआ है, ट्रेड यूनियन नहीं है लेकिन जिस तरीके से अवैध तालाबंदी करके श्रमिकों और कर्मचारियों को बेरोजगार किया जा रहा है, यह राजस्थान के अन्दर कोटा की धरती पर सबसे गम्भीर मामला है। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, यह सेमटेल कलर लिमिटेड का मालिक लगातार वहां के कर्मचारियों का शोषण कर रहा है, वहां के मजदूरों का

(श्री ओम बिरला)

शोषण कर रहा है। अगर फैक्टरी प्रोफिट में नहीं होती तो इसेंटिव नहीं दिया जाता, लेकिन लगातार इसेंटिव दे रही थी। जब उन्होंने कहा कि आपने प्रोडक्ट में परिवर्तन किया है, इसलिये हमारा इसेंटिव बढ़ना चाहिये तो भी प्रबन्धकों और मालिकों ने कर्मचारियों की एक बात नहीं सुनी।

माननीय सभापति महोदय, कोटा के अन्दर आज वे कर्मचारी दर-दर की ठोकरें खाकर कलक्टर के दरवाजे के बाहर बैठे हैं। पुलिस संरक्षण दे रही है, उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है। सभापति महोदय, मैं माननीय श्रम मंत्रीजी से कहूंगा, वे उद्योगपतियों को यहां बुलायें, प्रबन्धकों को यहां बुलायें। कोई वहां ट्रेड यूनियन नहीं है। कर्मचारियों और प्रबन्धकों को बुलाकर वार्ता करके जो अवैध तालाबंदी की है, जिसको सरकार ने भी माना है कि यह तालाबंदी अवैध तालाबंदी है, उस तालाबंदी को निरस्त करके उन श्रमिकों को काम पर लगाये।

सभापति महोदय, कोटा में पहले भी जे.के. उद्योग में इसी तरीके से जे.के. फैक्टरी बंद कर दी गयी। फैक्टरी बंद करने के बाद नये कारखाने के मालिक ने फैक्टरी चलाई और चलाने के बाद उसने कहा कि मैं 500 कर्मचारियों को दुबारा लूंगा, लेकिन एक कर्मचारी को दुबारा नहीं लिया। जे.के. फैक्टरी नहीं चली। उसकी जमीन को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, उसके सामान को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय उद्योग मंत्रीजी बैठे हैं, श्रम मंत्रीजी भी बैठे हैं, दोनों का विषय है, सरकार तुरन्त प्रभाव से वार्ता करे। कोटा के बंद उद्योगों को किस तरीके से चलाया जा सकता है, इसकी योजना बनायें और बंद उद्योगों की जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम उद्योगपति नहीं करें। माननीय सभापति महोदय, आज बूंदी के अन्दर धान के अन्दर पेड़ी पर टैक्स लगाने के बाद 10 हजार मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। आपने चावल पर टैक्स माफ कर दिया और पेड़ी पर टैक्स माफ नहीं किया। आज बूंदी की तीन दिन से चावल मिलें बंद पड़ी हुई हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सरकार उद्योगों को सरंक्षण देना बंद करे और जिस तरीके से लगातार हाड़ौती के उद्योगों को बंद करने की योजना चल रही है, उन उद्योगों को चालू करें और सरकार कार्य योजना बनाये कि किस तरीके से बंद उद्योगों और रुग्ण उद्योगों को हम चालू कर सकते हैं ताकि राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बन सके। माननीय सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्री और उद्योग मंत्री से फिर मांग

(श्री ओम बिरला)

करना चाहता हूं, तुरन्त अवैध तालाबंदी रोक करके उद्योगपतियों और उन कर्मचारियों को यहां बुलाकर इस अवैध तालाबंदी को समाप्त करायें, नहीं तो आज कोटा का विद्यार्थी, कोटा का नौजवान कलेक्टरी पर प्रदर्शन कर रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सरकार लाठियां मारने पर उतारू हो रही है। सरकार लाठियों के बल पर, गोलियों के बल पर उद्योगपतियों को संरक्षण देना बंद करे।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। राजस्थान के इतिहास में श्रमिकों पर ऐसा वज्रपात कभी नहीं हुआ। 10 मार्च को कोटा के सेमटेल में जैसे आपातकाल लग गया हो। 'ए' यूनिट में श्रमिक अपने काम पर गये और बी यूनिट में जब श्रमिक काम पर गये तो वहां पर भारी पुलिस बल, सत्ता के इशारे पर वहां के सुरक्षा बलों को भेजा गया और सुरक्षा बलों ने मजदूरों को, श्रमिकों को, कर्मचारियों को धक्के देकर वहां से कारखाने के बाहर निकाला। जब भी कोई तालाबंदी होती है, कोई कानून होता है, कोई नियम होता है, श्रम विभाग का कानून होता है, उद्योग विभाग के कई नियम होते हैं, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाईं, नियमों की धज्जियां उड़ाईं और धज्जियां उड़ाकर तालाबंदी कर दी गयी। माननीय सभापति महोदय, जब कोई कारखाना घाटे में होता है तो तालाबंदी होती है लेकिन सेमटेल कारखाना घाटे में नहीं था। सभापति महोदय, वहां पिक्चर ट्यूब बनती है और 9 सेकंड में 14 इंच की पिक्चर ट्यूब बनती थी लेकिन आज वहां पर 11 सेकंड में 21 इंच की पिक्चर ट्यूब बनती है। जब उत्पादन बढ़ रहा है, जब लागत कम हो रही है तो उसके बाद भी कारखाने का प्रबन्धक, मालिक वहां तालाबंदी करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह जिस तरह से छंटनी की जाती है, कारखानों में यह छंटनी की शुरुआत कोटा की इस धरती पर सेमटेल कारखाने में मालिक सरकार के इशारे पर कर रहे हैं। वहां पर सेमटेल कारखाने में 6000 वेतन मिलता था मजदूर को, 3200 इन्सेंटिव मिलता था जिसे बंद कर दिया और बंद करने के बाद में फिर तालाबंदी कर दी। इसमें षड्यन्त्र है प्रबन्धकों का कि छंटनी की जाये; तालाबंदी कर दी जाये, उसके बाद में छंटनी की जाये। माननीय सभापति महोदय, वहां का मजदूर, वहां का श्रमिक, वहां का कर्मचारी 10 मार्च से आज पांच दिन हो गये, आज चार-पांच दिन से भूखे-प्यासे बैठे हुए

(श्री भंवानी सिंह राजावत)

हैं और सत्ता के इशारे पर प्रशासन के लोगों ने पुलिस को भेजकर रात को जवाहर नगर थाने में बन्द कर दिया। रात को उद्योग नगर थाने में पांच मजदूरों को बन्द कर दिया और बोरखेड़ा पुलिस चौकी में दो मजदूरों को बन्द कर दिया। यह ताण्डव नृत्य खत्म किया जाए। उद्योग मंत्रीजी जबाव दें, श्रम मंत्रीजी जबाव दें कि यह तालाबन्दी क्यों हुई? और तालाबन्दी होने के बाद आपने तालाबन्दी खुलवाने के लिए अब तक क्या किया?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, श्रम मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं।

श्री सभापति: दो-दो माननीय सदस्य एक साथ कैसे बोलेंगे? आप विराजें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): सरकार आंखें बन्द करके बैठी हुई है। यह सरकार मजदूरों का शोषण करना चाहती है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। दो माननीय सदस्य एक साथ कैसे बोलेंगे ?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हमारा कहना है कि श्रम मंत्रीजी और सरकार मान रही है कि तालाबन्दी गलत है, उसको हटाया जाए। सरकार क्यों वार्ता नहीं कर रही है? यह गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, हजारों श्रमिक परेशानी में हैं। तालाबन्दी अवैध रूप से, चुपचाप और मनमाने तरीके से की गई है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आज सात सौ कर्मचारी बाहर बैठे हैं, भूखे-प्यासे बैठे हैं। एक महीने से वेतन नहीं मिल रहा है उनको। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं समझता हूं, इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उद्योगपतियों को संरक्षण देना बन्द करो।

श्री सभापति: अब अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: डा. दिगम्बर सिंह।

नकली व अमानक दवाइयों से जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर नकली और अमानक दवाइयों का प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है, इसको लेकर मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार के बजट को देखें, मंत्रियों के भाषणों को सुनें, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का भाषण सुनें तो ऐसा लगता है कि राजस्थान की जनता की इस सरकार को बहुत बड़ी चिन्ता है। गेहूं इसलिए देना बन्द किया सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री ने अभी कहा कि हम फोर्टिफाइड आटा दे रहे हैं। उसमें आयरन और फोलिक एसिड मिलाकर दे रहे हैं जिससे आम आदमी का स्वास्थ्य ठीक होगा पर मुझे अफसोस इस बात का है कि जब दवाइयां ही आदमी को शुद्ध नहीं मिल रही हैं और सरकार के पास इस तरह की कोई कार्ययोजना नहीं हो, चैकिंग का कोई सिस्टम नहीं हो तो फिर स्वास्थ्य के साथ लोग खिलवाड़ करेंगे ही। इसको रोकने का जिम्मा किसका है?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जोधपुर में प्रसूताओं की मौतों का सिलसिला रुका नहीं है। आज के अख़बार में भी था कि कल फिर एक प्रसूता की मौत हुई। प्रसव के दौरान लगातार महिलाओं की मौतें हो रही हैं। जोधपुर के अन्दर दवाइयों के कारण बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं, आई वी फ्लुड के कारण से मौतें हुई हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय विराजे हुए हैं, आई वी फ्लुड किस कम्पनी का था, वह था पेरेंटल सर्जिकल कम्पनी, इन्दौर और इस पेरेंटल सर्जिकल कम्पनी का जो जोधपुर में डिस्ट्रिब्यूटर है, वह आपकी जानकारी में, पता नहीं, है या नहीं, एक फर्म है रोइंट ग्राफिक, जोधपुर, यह मिस्टर अमित जैन की फर्म है और मिस्टर अमित जैन आपके ड्रग डिपार्टमेंट के आफिसर का सुपुत्र है। उनके पास भण्डारण की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने फर्जी लाइसेंस बीकानेर का ले रखा है। उन्होंने फर्जी बिलिंग के लिए दो-दो, तीन-तीन लाइसेंस प्राप्त कर रखे हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपकी नाक के नीचे आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी के घर में, अधिकारी के सुपुत्र इस तरह से महिलाओं की जान को अगर खतरे में

(डा. दिगम्बर सिंह)

डाल दें तो मुझे इस सरकार के बारे में कुछ कहना नहीं है। इस सरकार को सवा दो साल हो गये। कितने अभियान आपने चलाये, अमानक और नकली दवाइयों को पकड़ने के लिए? मेरे ख्याल से इन सवा दो सालों में सरकार को इस बात का ध्यान ही नहीं आया कि ड्रग डिपार्टमेंट की ओर से अभियान चलवाया जाना चाहिए, इसका रेगुलर सिस्टम होना चाहिए। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि रोजाना, कहीं पुलिस पकड़ती है और कहीं कोई और पकड़ता है। यह पूरा पुलिन्दा इस सरकार के टाइम का मेरे पास मौजूद है, आये दिन इनके कारण कितने लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं।

कल का अख़बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बात कर रहे हैं फोर्टिफाइड आटे की, सरकार इसकी क्या गारंटी देगी कि आटे में पिसा हुआ पत्थर नहीं मिलाया जा सकता। जब लाइफ सेविंग ड्रग्स के अन्दर पत्थर का चूरा मिल रहा है, उनके अन्दर नमक मिल रहा है तो फिर फोर्टिफाइड आटे की क्या गारन्टी देंगे? क्या इनके पास ट्रैकिंग सिस्टम होगा? कहां ये चैक करवायेंगे कि इसमें आयरन इतना है, फोलिक एसिड इतना है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार का शुरू से ही यह सिस्टम रहा है कि यदि कोई रिटायरमेंट होता है तो उस पद को ही समाप्त करवा दिया जाता है। इनकी सरकार के टाइम में शुरू किया गया था। दो ड्रग कंट्रोलर के पद हैं, वर्तमान में एक ड्रग कंट्रोलर काम कर रहा है। अक्टूबर, 2010 में एक ड्रग कंट्रोलर रिटायर हुआ था, उस खाली जगह को अभी तक नहीं भरा। बारह पद असिसटेंट ड्रग कंट्रोलर के हैं, चार रिटायर हो गये, चारों खाली पड़े हैं। सैंतीस ड्रग इंस्पेक्टर्स के पद हैं। सैंतीस में एक-तिहाई खाली चल रहे हैं बारह ड्रग इंस्पेक्टर्स के पद खाली हैं। आपके पास फोर्स ही नहीं है, आपके पास स्टाफ ही नहीं है तो आप कैसे नकली दवाइयों को पकड़ेंगे और कैसे अभियान चलायेंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बैंड दवाइयां धड़ल्ले से बाजार में बिक रही हैं। खाली कैप्सूल लेकर कुछ भी उसमें मसाला भरकर कोई भी बेचने लग जाता है। पूरा ट्रक रोका गया, उस ट्रक में दवाइयां थीं, कल के अख़बार में जो आया। ब्यावर के पास की घटना है। कैप्सूल में पिसा हुआ पत्थर और नमक का चूरा भरते हुए पकड़े गये हैं।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ड्रग डिपार्टमेंट एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, आप इसको यूं ही मत छोड़िए।

(डा. दिगम्बर सिंह)

आप इस पर जब तक शिकंजा नहीं कसेंगे तब तक फर्जी और अमानक बिक्री पर आप रोक नहीं लगा पायेंगे और जोधपुर के अन्दर प्रसूताओं की जिस प्रकार मौतें हुई हैं, वह पूरे राजस्थान में हाहाकार देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, मैं एक सेकंड लूंगा। माननीय सदस्य बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, जब एक ईमानदार अधिकारी रहेगा, वह पूरे राजस्थान को संभाल लेगा फिर कर्मचारियों की जरूरत कहां है? क्योंकि आपने कर्मचारी नियुक्त ही नहीं किये थे, आप जानते थे कि कर्मचारियों की जरूरत ही नहीं है। इस टाइम तो हाई कोर्ट का स्टे है। आप कृपा करके सरकार का साथ दीजिए।

ऋण गारण्टी फीस में बढ़ोतरी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान राज्य के लाखों किसानों से जुडे हुए गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं यह भी आशा करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी की भावना के अनुरूप, उन्होंने कहा कि स्थगन प्रस्ताव हो, चाहे पर्ची के माध्यम से उठे हुए गम्भीर विषय हों, सरकार जबाव देगी, सरकार इसका भी जबाव दे। सभापति महोदय, अभी भारत सरकार का बजट आया था।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप सुधार कर लें, माननीय सदस्य। देगी नहीं, दिये जाने के लिए सरकार अपनी ओर से हर समय तैयार है, आप इस बारे में राय फरमायें। उस दिन आपके प्रतिपक्ष के उप नेता भी विराजमान थे, इसके बारे में आपकी राय कर ली जाए, यह बात कही गयी थी। सुधार करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसका जवाब देना चाहिए, हमारी राय तो यहीं सुन लो आप।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): एक विषय हो गया लेकिन आपने कहा, 'देगी', जो आप कोट करना चाह रहे हैं, रिकार्ड में वह ही बात आये जो सही हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि अभी भारत सरकार का बजट आया, बजट के अन्दर हमारे प्रधान मंत्रीजी ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह चिंता की कि देश में कृषि विकास की दर मात्र 5.4 प्रतिशत है, वहीं जी.डी.पी. के अन्दर कृषि की योजना भी बहुत कम है और इन सबको देखते हुए भारत सरकार ने जो किसानों को ऋण देने की योजना है उस योजना के अन्दर जहां एक ओर ऋण की सीमा में वृद्धि की, वहीं दूसरी ओर जो समय पर अपने ऋण को चुकायेगा उसकी ब्याज दरों में भी कमी की। अब राजस्थान की सरकार, किसान हितैषी सरकार, इस सरकार ने भी इसी बजट के अन्दर घोषणा की कि हम 21 लाख किसानों को पांच हजार करोड़ का ऋण सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्प ऋण और दीर्घकालीन ऋण देंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसी 2 फरवरी को वित्त विभाग ने एक अधिसूचना निकाली ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बजट पर वाद-विवाद चल रहा है, उस पर बोल लो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्यों बोल लें? मेरा अधिकार है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, अधिकार है, उसी वक्त बोल लो न आप। दूसरे को काम में लेने दीजिए न, जो समय अभी आप कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरे माननीय सदस्यों को लेने दें। आखिर इसमें कौनसी नयी बात आ गयी है? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप कहो, वह ही बोलेंगे क्या ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उसमें भी बोल लें, इसमें भी बोल लें ?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): जो आप कहोगे, वह ही बोलेंगे क्या ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपको क्या कष्ट है ?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): हां ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपको क्या तकलीफ है ?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): तकलीफ है न।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप मेरे मित्र भी हैं, एक तो यह जो अपनी पीली किताब है, नीली किताब है, यह आपके पास नहीं है तो इसको ले लें आप। स्थगन प्रस्ताव देने का मेरा अधिकार है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और आसन ने बड़ी कृपा पूर्वक मेरे स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने की अनुमति दी है। आप न जाने क्यों हमेशा मुझे टोकते हैं? नहीं, यह आप अपनी आदत को सुधारो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, आपको और कोई मैटर नहीं मिला क्या स्थगन प्रस्ताव पर ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप अपनी आदत को सुधारो, आप संसदीय कार्य मंत्री हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप इस पर वाद-विवाद पर बोल सकते थे। औरों का समय क्यों खराब ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप संसदीय कार्य मंत्री हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं आपकी सरकार की कुछ पोल खोल रहा हूं, अब आप मेरा नोट कर लें। एक, 2 फरवरी, 2011 को ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपकी पोल कहां-कहां खुल रही है, यह पता है आपको ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता से मैं डरने वाला नहीं हूं। आप उसकी चिंता मत करना।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो अपने विषय पर बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप जो कह रहे हो न, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, यह फौलादी सीना लिए हुए राठौड़ है। (व्यवधान)

तो, 2 फरवरी, 2011 को एक अधिसूचना जारी की, अर्द्धशासकीय टीप 41181/वित्त/1/2010, इसके माध्यम से। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने जितनी भी प्रतिभूतियों के माध्यम से जो ऋण लेते हैं, चाहे सहकारी बैंक ऋण लें, चाहे बिजली कम्पनियां ऋण लें, चाहे स्थानीय निकास, नगर निगम से लेकर नगरपालिकाएं ऋण लें, यह सारा ऋण जो वित्तीय संस्थाएं देती हैं, उसमें गारंटी स्कीम में .01 परसेंट की पहले गारंटी फीस होती थी, अब इन्हीं गृह मंत्रीजी के कहने पर वित्त विभाग ने एक अधिसूचना निकाली और अधिसूचना निकालकर इसमें शत-प्रतिशत यह बढ़ोतरी कर दी कि एक परसेंट गारंटी कमीशन फीस राजस्थान की सरकार प्रति वर्ष लेगी। इसका असर क्या होगा,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, कि आज राज्य के अन्दर जितनी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक हैं, ये सहकारिता मंत्रीजी विराज रहे हैं, और जितने 29 सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक हैं उनमें से लगभग-लगभग 18 बैंक घाटे में चल रहे हैं और 12 भूमि विकास बैंक घाटे में चल रहे हैं। अब यह 21 लाख किसानों को ऋण देने की बात कर रहे हैं, जो अल्पकालीन सात परसेंट से देते हैं, अब इन बैंकों में जो पैसा आता है, माननीय सभापति महोदय, गम्भीर बात यह है कि नाबार्ड से पैसा आता है, नाबार्ड से पैसा अपैक्स बैंक के पास जाता है और अपैक्स बैंक पैसा प्राथमिक सहकारी बैंकों को देता है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय ने अभी आसन की व्यवस्था का जो पालन करते हुए इस पर अपना वक्तव्य देना प्रारम्भ किया है, यह एक लाइन भूल गये इसमें पढ़ना, इसमें लिखा है कि दो मिनट की आपको बोलने की अनुमति है। समय ज्यादा हो रहा है। मैं नियमों का हवाला दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति: सम-अप करो, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तो, माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि यह सरकार ने नादिरशाही-पूर्ण जो अधिसूचना निकाली है जिसके चलते ये सारे बैंक, और मैं ही नहीं कह रहा, भूमि विकास बैंक में इनके जो चेयरमैन हैं अशोक फौजदार, उन्होंने 24 फरवरी को, सहकारिता मंत्रीजी, आपको पत्र लिखा, मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा और कहा कि अब हम जो ऋण किसानों को देंगे, अल्पकालीन ऋण, उसमें पांच परसेंट की हमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि अगर यह हो गया तो होगा क्या? 1200 करोड़ का ऋण अकेले भूमि विकास बैंक लेते हैं, उनको हर साल 12 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे और हमारी जो बिजली कम्पनियां हैं, जिन पर अब 37,061 करोड़ ऋण है, भूतो न भविष्यति, इतना ऋण ले रखा है, इसका एक प्रतिशत कितना होगा, 370 करोड़ रुपये इन बिजली कम्पनियों को देने पड़ेंगे, स्थानीय निकाय कम्पनियों को देने पड़ेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक तरफ वाह-वाही लूटने के लिए कहते हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं तो बैठ जाऊंगा और मुझे इस गूंगी-बहरी सरकार से उम्मीद भी नहीं है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

संवेदनशीलता इनमें है नहीं वरना इस तरह की अधिसूचना जारी नहीं होती। यह किसान विरोधी चेहरा इस सरकार का है क्योंकि इस सरकार को चलाने वाले परदे के सामने और परदे के पीछे, संसदीय कार्य मंत्रीजी बैठे हैं, इन्होंने कभी खेत देखा ही नहीं, इनको किसान की पीड़ा मालूम ही नहीं। इनके खुद के गृह क्षेत्र में षड्यंत्रपूर्वक उद्योग बंद हो जाएं, रातों-रात श्रमिकों की छुट्टी हो जाए, कोई इनको पीड़ा नहीं।

इसलिए निवेदन कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, कि यह एक गम्भीर सवाल है। यह गारंटी कमीशन के नाम पर जो संस्थाएं ऋण लेंगी, उनकी ऋण में इतनी बढ़ोतरी और इसके कारण ये सहकारी बैंक बैठ जायेंगे। 15 परसेंट ब्याज दरें बढ़ाना, मैं समझता हूं, इतने गम्भीर मसले पर सरकार को विचार जरूर करना चाहिए। सरकार बोलेगी, यह सरकार की आदत है, सरकार की न जाने क्या बात हो गयी, किसी चीज का उत्तर ही नहीं देना चाहते। इसलिए इस गम्भीर विषय पर मैंने आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया है यद्यपि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है और राजस्थान का किसान जागेगा उस दिन सरकार से हिसाब लेगा।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री सभापति: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्रीमती अनिता भदेल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): नाम बतो दो, सभापति महोदय।

श्री सभापति: सब के नाम पुकारे जा चुके हैं पूर्व के अन्दर।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): नाम बता दीजिए।

श्री सभापति: (1) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा संचालित पुस्तकालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पदों के सम्बन्ध में।

(2) श्री छोटूसिंह भाटी, सदस्य की ओर से जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में भूमिहीन आवेदकों के लम्बित आवेदनों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

(श्री सभापति)

(3) श्री कानसिंह कोटड़ी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बाड़मेर से पाली वाया बालोतरा समदड़ी मजल जैतपुर की निगम की बस संचालित करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर में आजाद टाकीज रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री गोपाल मीणा, सदस्य की ओर से झालाना डूंगरी आगार के स्थान पर नया आगार खोले जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(6) श्री अर्जुन लाल गर्ग, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में मैसर्स अदानी पावर्स लिमिटेड, पाली द्वारा मुन्दरा (गुजरात)-महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) के मध्य लगायी जाने वाली हाईटेंशन लाइन से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।

(7) श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से बूंदी शहर को पेयजल के लिए चम्बल से पानी दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) डा. जसवंत सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में उद्योगों के लिए उपजाऊ भूमि को अधिग्रहित किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री पवन दुग्गल, सदस्य की ओर से राज्य में नियुक्ति से वंचित रहे प्रशिक्षित पैराटीचर/शिक्षाकर्मी/मदरसा पैराटीचर/शिक्षा सहयोगी/लोक जुम्बिश कार्मिकों को प्रबोधक पद पर नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर जिला भरतपुर की सड़कों की खराब स्थिति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती कमला कस्वां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर (चूरू) के हमीरवास थाना क्षेत्र में लगातार चोरियों से बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री संतोष कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की अन्तरराष्ट्रीय सीमा के पास तारबंदी में आई भूमि के किसानों को अन्यत्र भूमि या मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। पढ़ने की।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के माध्यम से राजस्थान राज्य के मेडिकल टीचर्स के वेतनमानों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, 295 के अन्दर आपने दिया है वह आप गलत वाचन कर रही हैं। इसमें आपने दिया है- राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से राजस्थान के भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा संचालित पुस्तकालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पदों के सन्दर्भ में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में पुस्तकालयाध्यक्षों के रिक्त पद

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, नियम 295 के माध्यम से राजस्थान के भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा संचालित पुस्तकालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के रिक्त पदों के सम्बन्ध में निवेदन है कि भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन राज्य भर में संचालित पुस्तकालय जहां पुस्तकालयाध्यक्षों की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं इनमें कर्मचारियों के अन्य पद भी लम्बे समय से रिक्त हैं। वर्ष 1996 से अब तक इस विभाग में पुस्तकालय अध्यक्षों के पद पर भर्ती नहीं हुई है तथा करीब डेढ़ दशक से डी पी सी भी नहीं हुई है। इन हालात में सरकार की ओर से देखा जा रहा प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर पुस्तकालय स्थापित करने का सपना कैसे साकार हो पाएगा, यह समझ से परे है।

कुछ ऐसे ही हालात शिक्षा विभाग के अधीन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों के भी हैं। इनमें भी प्रदेश भर में दर्जनों पुस्तकालयाध्यक्षों के पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं। अकेले जयपुर संभाग में चल रहे विद्यालयों में करीब 227 पुस्तकालयों में से 24 पुस्तकालय ऐसे हैं जहां पुस्तकालयाध्यक्षों का पद रिक्त है। जबकि नये अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून के तहत प्रदेश के करीब 75 हजार स्कूलों में सम्पन्न पुस्तकालय खोलने होंगे। फिलहाल राज्य के करीब चौदह हजार सीनियर सैकंडरी, सैकंडरी स्कूलों के पुस्तकालयों में किताबों सहित अन्य संसाधनों का अभाव है। पुस्तकालयों को शिक्षा की धुरी मानते हुए शिक्षा अधिकार कानून के तहत स्कूलों में पुस्तकालय जरूरी किये गये हैं, इधर सरकार ने 11 साल से पुस्तकालयाध्यक्षों के पदों पर नियुक्तियां नहीं की हैं। इसके अलावा, शिक्षा विभाग में 4,500 पुस्तकालयाध्यक्षों को आज तक पदोन्नति नहीं दी है। इसमें ज्यादातर

(श्रीमती अनिता भदेल)

पुस्तकालयाध्यक्ष शिक्षकों की कमी के चलते मूल काम को छोड़कर स्कूलों में शिक्षण कार्य करवा रहे हैं।

भाषा और पुस्तकालय विभाग की हालत देखें तो उसमें भी रिक्त पदों की संख्या काफी ज्यादा है। हालत यह है कि राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष का पूरे प्रदेश में मात्र एक पद स्वीकृत है और वह भी लम्बे समय से रिक्त पड़ा है। इसके बाद मंडल पुस्तकालय अध्यक्ष के छह स्वीकृत पदों में से तीन पद रिक्त हैं। जिला मुख्यालय पर स्थित पुस्तकालयों की स्थिति तो और भी बदतर है। प्रदेश में जहां 33 जिला मुख्यालयों पर भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से 33 जिला पुस्तकालय संचालित हैं, वहीं इन पुस्तकालयों के संचालन हेतु सरकार की ओर से मात्र 14 पद ही स्वीकृत हैं और उनमें से भी दो पद लम्बे समय से रिक्त हैं। द्वितीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्षों के पदों का भी यही हाल है। पूरे प्रदेश के लिए मात्र 20 पद ही स्वीकृत हैं। इसी प्रकार पुस्तकालयों से जुडे कैटलोगर के तीन पद, पुस्तक उठाने वालों के छह पद एवं जिल्दसाज के भी मात्र छह पद स्वीकृत हैं। ऐसी स्थिति में तहसील स्तर पर पुस्तकालय संचालन की योजना कैसे साकार हो पाएगी, भगवान ही मालिक है।

श्री सभापति: श्री छोटूसिंह भाटी।

जैसलमेर के उपनिवेशन क्षेत्र में भूमिहीन आवेदकों के लम्बित आवेदनों का निस्तारण

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में भूमिहीन आवेदकों के पेंडिंग आवेदनों के निस्तारण एवं आबंटन हेतु राज्य सरकार एवं माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 में भूमिहीन आवेदकों से आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। अब तक मात्र तीन-चार हजार आवेदकों को आबंटन किये गये हैं। वर्तमान में 52,700 आवेदन पत्र पेंडिंग पड़े हैं जबकि दूसरी तरफ सरकार विशेष अलाटमेंट, नीलामी अलाटमेंट, अनकमांड अलाटमेंट आदि आबंटन कर यहां की कृषि भूमि बेच रही है और जिलेवासी केवल नजारा देख रहे हैं। सरकार को, मंत्री महोदय को, पूरे सदन को जानकारी है कि जैसलमेर जिला सुदूर व पिछड़ा क्षेत्र है। यहां के लोगों की इतनी क्रय शक्ति नहीं है कि विशेष अलाटमेंट या नीलामी अलाटमेंट में भूमि खरीद सकें। हालत यह है कि आवेदन

(श्री छोटूसिंह भाटी)

लम्बित होते हुए भी भूमिहीनों को सरकार भूमि नहीं दे रही है। सरकार का यह जवाब आया है कि विशेष व नीलामी की भूमि सामान्य में अलाटमेंट करने से राज्य सरकार की भूमि आरक्षण की नीति प्रभावित होती है।

सामान्य की भूमि सरकार के पास नहीं है और दूसरी भूमि सरकार नहीं दे सकती। सरकार जिले से बाहर के लोगों को यह भूमि बेचने पर आमादा है। आरक्षण नीति, आबंटन नीति सरकार बनाती है और आवश्यकतानुसार सरकार ही उसमें आवश्यक परिवर्तन करती है परन्तु पिछले सात वर्षों से पेंडिंग पड़े आवेदनों के आबंटन में सरकार रुचि न लेकर जिले के निवासियों के साथ घोर अन्याय कर रही है और केवल विशेष आबंटन में भूमि बेचकर सरकार पैसा चाहती है। सरकार के पास राजस्व आमदनी के हजारों क्षेत्र हैं परन्तु जिले के लोगों के रोजगार पर पेट रखकर प्राप्त पैसे को सरकार कहां रखेगी ?

मेरा सरकार से, मंत्री महोदय से निवेदन है, वे तो हालात जानते हैं कि विशेष व नीलामी आरक्षित भूमि को सामान्य में बदलकर जिलेवासियों को आबंटन किया जाए अन्यथा जिले का जन मानस आंदोलन पर उतारू होगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही सरकार की होगी। मुझे आशा है कि सरकार जन मानस की भावनाओं का ख्याल अवश्य रखेगी । जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री कानसिंह कोटड़ी।

सिवाना में बाड़मेर से पाली बस का संचालन

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बाड़मेर से पाली वाया बालोतरा, समदड़ी, मजल, जैतपुर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस संचालित कराने के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं माननीय यातायात मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत समदड़ी लगभग तीस हजार की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत है जो पूर्व में नगरपालिका रह चुकी है। ग्राम पंचायत समदड़ी एवं उसके आसपास की ग्राम पंचायतों यथा: जेठन्तरी, करमावास, कोटड़ी, मजल, ढीढस, रामपुरा, अजीत, रानीदेशीपुरा में वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की एक भी बस संचालित नहीं है। पूर्व में भी वर्ष 2003 में बाड़मेर से पाली वाया बालोतरा, समदड़ी, करमावास, मजल, जैतपुर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

संचालित की गई थी जिससे उक्त ग्राम पंचायतों की आम जनता को जिला मुख्यालय पर अपने कार्य से आने-जाने की सुविधा उपलब्ध थी परन्तु उक्त सुविधा भी बाद में बन्द कर दी गई जिससे स्थानीय जनता को अपने आवश्यक कार्य से जिला मुख्यालय जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मैं जन मांग, जन हित को देखते हुए बाड़मेर से पाली वाया बालोतरा, समदड़ी, करमावास, मजल, जैतपुर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस संचालित करवाकर स्थानीय आम जनता को राहत पहुंचाने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्रीगंगानगर में आजाद टाकीज रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाया जाना

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीगंगानगर में आजाद टाकीज रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज की मांग कब पूर्ण होगी, यह तो पता नहीं लेकिन भविष्य में होने वाली घटनाओं में वृद्धि होगी, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इस जगह पर रेलवे ओवरब्रिज बनाये जाने की मांग पिछले लम्बे समय से की जा रही है लेकिन मांग के प्रति सरकार गम्भीर नहीं है। अब कहा जा रहा है कि नगर विकास न्यास को ओवरब्रिज का प्रारूप तैयार करने का अधिकार दिया गया है। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि सरकार ने सैद्धान्तिक तौर पर इस प्रस्ताव को मान लिया है। यह कार्य कब तक पूर्ण होगा, सदन में स्थिति स्पष्ट की जावे।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इस रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज बनाये जाने की सख्त आवश्यकता है लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जनता इस मांग को लेकर आंदोलन कर चुकी है। आये दिन किसी न किसी की जान इस फाटक पर चली जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण इस मार्ग पर 24 घण्टे वाहनों का आना-जाना लगा रहता है। रेलवे फाटक बंद होने से वाहनों की लम्बी कतार लग जाती है। दुपहिया वाहन चालक जैसे-तैसे जल्दबाजी में बन्द रेलवे फाटक से अपने वाहन निकालकर रवाना हो जाते हैं परन्तु कई बार इसी प्रयास के चलते दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इस

(श्री राधेश्याम गंगानगर)
फाटक पर स्थिति तब बिगड़ जाती है जब कोई बीमार व्यक्ति फाटक बंद होने के कारण फंस जाता है। इस कारण मरीज की हालत भी बिगड़ जाती है। आर्मी का हैडक्वार्टर फाटक के पार होने के कारण सेना का आना-जाना इस फाटक से निरन्तर रहता है। शिक्षण संस्थाएं भी फाटक के दूसरी तरफ हैं, इससे कई बार विद्यार्थी परीक्षा आदि में देरी से पहुंचते हैं।

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आजाद टाकीज रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज की मांग अतिशीघ्र पूर्ण की जावे। इसके अलावा डा. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय के पास रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाये जाने की भी सदन में घोषणा की जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपाल मीणा।

झालाना डूंगरी आगार के स्थान पर नया आगार

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत झालाना डूंगरी आगार को राज्य सरकार द्वारा बंद करने तथा उसके स्थान पर नया आगार नहीं खोलने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विभिन्न गांवों के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें पूर्व में झालाना डूंगरी आगार से संचालित की जा रही थीं किन्तु सरकार द्वारा टनल रोड बनाने हेतु झालाना डूंगरी आगार की भूमि का अधिग्रहण किए जाने पर दिनांक 19.4.2010 को इस आगार को बंद कर दिया गया है और निगम की बसों को अलग-अलग आगार, वैशाली नगर, विद्याधर नगर, सांगानेर, दौसा एवं भरतपुर आगारों में स्थानान्तरित कर दिया गया है जिसके कारण सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की बसें अस्त-व्यस्त हो गयी हैं। वर्तमान में मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के विभिन्न गांवों के लिए निम्नांकित आगारों से निगम की बसें संचालित की जा रही हैं:-

1. वैशाली नगर आगार से- रेलवे स्टेशन से डूंगरावता-अचलपुरा-नेवर-लालवास ;

(श्री गोपाल मीणा)

2. विद्याधर नगर आगार से- बड़ी चौपड़ से प्रतापगढ़-बोबाड़ी-मालियावास, बड़ी चौपड़ से भानपुर, बड़ी चौपड़ से जैतपुर खींची, बड़ी चौपड़ से नक्चीघाटी;

3. सांगानेर आगार से- बड़ी चौपड़ से पापड़, बड़ी चौपड़ से डांगरवाड़ा, नायला से बगरू, रेलवे स्टेशन से रूपाड़ी; एवं

4. दौसा आगार से- मांजी की छतरी से तलाब गांव, मांजी की छतरी से फूटाला, बड़ी चौपड़ से महंगी।

उपरोक्त सभी बसें पूर्व में झालाना डूंगरी आगार से संचालित की जा रही थीं। पहले जब निगम की बस किसी कारणवश स्टैंड पर नहीं आती थी तो यात्रियों की सुविधा के लिए तत्काल झालाना डूंगरी आगार नजदीक होने के कारण दूसरी बस की व्यवस्था हो जाती थी और यात्रियों को परेशानी नहीं होती थी। लेकिन अब हालत यह है कि अगर किसी कारण से दौसा आगार या अन्य आगार की बस स्टैंड पर नहीं पहुंचती है तो यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त आगारों से बसें समय पर नहीं आती हैं और कभी आती हैं, कभी नहीं आती हैं जिसके कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीणों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मेरे विधान सभा क्षेत्र की सम्पूर्ण जनता की मांग को देखते हुए मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस अति लोक महत्व के मुद्दे की ओर आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के इस अति गम्भीर मुद्दे पर जन हित में विचार करते हुए झालाना डूंगरी आगार के स्थान पर जयपुर (आगरा रोड या रामगढ़ रोड) के आस-पास तत्काल नया आगार खोलने की कृपा करें जिससे मेरे सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए पूर्व की भांति उक्त चारों आगारों से संचालित होने वाली सभी बसें एक ही आगार से संचालित हो सकें और यात्रियों को परेशानी नहीं हो।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल।

बिलाड़ा में हाईटेंशन लाइनों से किसानों को कारित नुकसान

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में मैसर्स अदानी पावर्स लिमिटेड, पाली द्वारा मुन्दरा (गुजरात)-महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) के बीच लगायी जाने वाली+500 केवीए उच्च क्षमता की विद्युत लाइन व टावर के द्वारा विद्युत लाइन निकाली जा रही है। इसके कारण ग्राम बिजवाड़िया, ग्राम हर्ष, नगरपालिका बिलाड़ा, ग्राम जेलवा, बिजासनी, झांझनवास, पृथ्वीपुरा के किसानों के खेतों व उसमें बोई हुई फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जा

(श्री अर्जुन लाल)

रहा है तथा उसकी एवज में किसानों को भूमि के मुआवजे के रूप में व फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में किसी भी तरह की राशि प्रदान नहीं करने के कारण किसान बहुत दुःखी हो रहे हैं। कई किसानों द्वारा व्यथित होकर मुख्य मंत्रीजी, राजस्व मंत्रीजी, जिला कलक्टर एवं स्थानीय प्रशासन को कई बार इस हेतु गुहार की गयी लेकिन किसानों की मदद करने के लिये एक भी आगे नहीं आए, उलटा किसानों ने उक्त कार्य को रुकवा दिया था, उसे पुन: चालू कराने के लिये जिला/पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को बार-बार धमकियां दी जा रही हैं। कम्पनी द्वारा टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 10-डी एवं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 का हवाला देकर बिना मुआवजे एवं फसल की क्षतिपूर्ति की राशि दिये बिना कम्पनी के नुमाइंदे पुलिस के जरिये प्रत्येक टावर हेतु करीब ¼ बीघा जमीन एवं उसमें बड़े मोटे तार की विद्युत लाइन का कार्य जबरदस्ती से कराने पर उतारू हैं।

अत: आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि अदानी पावर्स लिमिटेड, पाली द्वारा खींची जा रही विद्युत लाइन को रुकवावें अन्यथा वहां पर कानून-व्यवस्था बिगड़ जाने की सम्भावना है या फिर किसानों को अन्य मोबाइल टावर्स की भांति मासिक किराये के रूप में मुआवजा दिलाया जावे तथा गत दो वर्षों से कार्य निरन्तर चलने के कारण लगातार चार फसलों का जो नुकसान किया गया है, उसका उचित मुआवजा तथा इलेक्ट्रिसिटी टावर का मासिक किराया 2,500/- से 3,000/- रुपये प्रति माह दिलवाकर किसानों को राहत दिलवावें। कम्पनी द्वारा तार खींचने की प्रक्रिया में जो हरे वृक्ष काटे गये हैं, उनके पांच गुणा वृक्ष वापस लगवाये जाएं एवं किसानों को उन हरे वृक्षों की भी मुआवजे के रूप में उचित राशि दिलायी जाए।

श्री सभापति: श्री अशोक डोगरा।

बूंदी शहर को पेयजल हेतु चम्बल के पानी की उपलब्धि

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): मेरे विधान सभा क्षेत्र बून्दी के बून्दी शहर में पेयजल आपूर्ति की समस्या रहती है जो गर्मी के दिनों में भीषण समस्या बन जाती है तथा आये दिन धरने-प्रदर्शन होते रहते हैं। वर्तमान में बून्दी शहर की पेयजल आपूर्ति को सुधारने के लिये 27 करोड़ की योजना से मांगली नदी से बून्दी तक नयी पाइप लाइन डालने तथा शहर में पुरानी पाइप लाइनों को बदलने का कार्य चल रहा है। बून्दी शहर को पेयजल हेतु चम्बल से जोड़ने की मांग सभी राजनीतिक दलों तथा समस्त जनता द्वारा पिछले 40 वर्षों से की जा

(श्री अशोक डोगरा)

रही है। कोटा से बून्दी की दूरी 36 किलोमीटर है तथा वर्तमान में जिस स्थान से बून्दी को पेयजल हेतु 27 करोड़ की योजना का कार्य चल रहा है, वहां से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी रह जाती है। यदि बून्दी को कोटा चम्बल से जोड़े जाने की प्रस्तावित 65 करोड़ की योजना स्वीकृत की जाती है तो योजना का खर्च भी कम हो जाता है तथा कोटा से बून्दी के बीच पड़ने वाले 19 गांव के लोगों को भी शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलने लगेगी।

यहां यह भी उल्लेख है कि कोटा से 200 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा के लिये पेयजल हेतु 1020 करोड़ की योजना प्रभावशाली नेताओं व जन-प्रतिनिधियों को राज़ी करने के लिये स्वीकृत की जा सकती है तो बून्दी को क्यों कर चम्बल से नहीं जोड़ा जा रहा? जबकि बून्दी के जवाहर सागर बांध से चम्बल नदी निकलती है जिस कारण भी चम्बल के पानी पर पहला हक बून्दी का बनता है।

(समय : 13.00 बजे)

श्री सभापति: डा. जसवन्त सिंह यादव।

बहरोड़ में उद्योगों हेतु उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है। राजस्थान सरकार का यह कहना है कि उपजाऊ भूमि का उद्योगों के लिए अधिग्रहण नहीं किया जायेगा, फिर भी बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसका मुआवजा भी नगण्य है।

अत: सभापति महोदय के माध्यम से निवेदन है कि उद्योगों के लिए जो भूमि अधिग्रहित की जा रही है वह उपजाऊ भूमि है, जो हरियाणा सीमा से लगी हुई है। हरियाणा में ऐसी भूमि जो सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाती है, उसका मुआवजा मूल्य 25 लाख रुपये प्रति बीघा दिया जाता है व 30 वर्षों का किराया देती है। श्रीमान् जी से निवेदन है कि जो भूमि राजकीय कार्य के लिये अधिग्रहित की जाये, उसका मुआवजा 25 लाख रुपये प्रति बीघा एवं 30 वर्षों तक का किराया दिया जाये तथा उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाये।

श्री सभापति: श्री पवन कुमार दुग्गल।

प्रशिक्षित पैराटीचर, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैराटीचर, शिक्षा सहयोगी, लोक जुम्बिश कार्मिकों को प्रबोधक पद पर नियुक्ति

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि अक्टूबर, 2008 में राज्य में कार्यरत पैराटीचर्स, शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बिश कार्मिकों में से लगभग 26 हजार कार्मिकों को राजस्थान सरकार ने प्रबोधक सेवा नियम के अनुरूप प्रबोधक पदों पर नियुक्ति दी थी। इसके उपरान्त भी राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं में 1999 से कार्यरत, वैकल्पिक विद्यालयों व मदरसा वैकल्पिक विद्यालयों में 2001 से कार्यरत एवं लोक जुम्बिश व शिक्षा कर्मी परियोजना में 1984 से कार्यरत लगभग 4,600 कार्मिक प्रबोधक पद पर नियुक्ति पाने से वंचित रह गये हैं। राजस्थान सरकार से हमारा अनुरोध है कि प्रबोधक सेवा नियमों की पालना करते हुए, नियुक्ति से वंचित रहे प्रशिक्षित पैराटीचर, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैराटीचर, शिक्षा सहयोगी, लोक जुम्बिश कार्मिकों को प्रबोधक पद पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया पूर्ण की जावे।

सभापति महोदय, हालांकि इनकी समस्या के निस्तारण हेतु वंचित पैराटीचर्स के प्रतिनिधियों के साथ सरकार से समय-समय पर वार्ता हुई। सरकार ने इनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु गत बजट सत्र से पहले माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक मंत्रीमंडलीय उप समिति का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट आज दिन तक सार्वजनिक नहीं की गयी है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाये और इन वंचित कार्मिकों को यथाशीघ्र प्रबोधक भर्ती पर नियुक्ति दी जाये।

श्री सभापति: श्री बहादुर सिंह।

वैर (भरतपुर) में सड़कों की खराब स्थिति

श्री बहादुर सिंह (वैर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर, जिला भरतपुर की सड़कों की हालत बहुत खराब है। इनमें बहुत गहरे खड्डे हो गये हैं जिसके कारण आम जन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनकी मरम्मत की तुरन्त व्यवस्था करायी जावे।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की हलैना से नदबई जाने वाली सड़क,

(श्री बहादुर सिंह)

छोकरवाड़ा से बल्लभगढ़ जाने वाली सड़क व हलैना से वैर जाने वाली सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इनमें गहरे खड्डे हो जाने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं जिसके कारण कई आदमियों की जानें जा चुकी हैं तथा आम जन को बहुत परेशानी हो रही है। कई बार इनमें गाड़ी फंस जाने के कारण कई घंटों जाम लग जाता है जिसके कारण कई बीमार व्यक्तियों की समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण जान जा चुकी है। इसलिए इन सड़कों की तुरन्त मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता है ताकि आम जन को बहुत बड़ी परेशानी से छुटकारा मिल सके।

श्री सभापति: श्रीमती कमला कस्वां।

(अनुपस्थित)

श्री संतोष कुमार सहारण।

सादुलशहर में तारबंदी में आई भूमि के एवज में अन्यत्र भूमि अथवा मुआवजा

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य की पाकिस्तान सीमा के सीमान्त कृषकों को उनके कार्य के संपादन में वर्षों से समस्या हो रही है। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के पश्चात सीमान्त कृषक अपनी काश्त भूमि पर काश्त नहीं कर पा रहे हैं। कलक्टर के आदेश से खेतों की सिंचाई हेतु प्रात: 8 बजे से 5 बजे तक का समय कृषकों हेतु निर्धारित है लेकिन बी एस एफ द्वारा उक्त छूट के दौरान भी किसानों को खेतों से बाहर निकाल दिया जाता है।

सीमावर्ती क्षेत्र में 1965 के युद्ध के दौरान सेना द्वारा मोर्चों का निर्माण किया गया था और आज भी उक्त मोर्चे विद्यमान हैं जिसके कारण कृषकों की जमीन में कमी होकर उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र के सीमांत कृषकों की भूमि 1971 के युद्ध के पश्चात् तारबंदी से प्रभावित हुई है एवं 1965 के युद्ध के दौरान किसानों की भूमि पर मोर्चों का स्थायी निर्माण किया गया है।

अत: इस संबंध में मेरा राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिन किसानों की भूमि 1971 के युद्ध के पश्चात् तारबंदी में आयी है, जिनमें आज तक काश्त नहीं हुई है, उन्हें सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाये। भूमि के बदले

(श्री संतोष कुमार सहारण)

अन्य स्थान पर कृषि भूमि अलाट की जाये एवं 1965 के युद्ध के दौरान जिन किसानों के खेतों में मोर्चों का निर्माण किया गया है, उनको मुआवजा दिलाकर सीमांत कृषकों को राहत प्रदान की जाये।

श्री सभापति: आज दिनांक 14 मार्च, 2011 को शून्य काल में बोलने के लिए 21 पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिनमें से श्लाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयी हैं। निम्न माननीय सदस्य पर्चियों पर बोलेंगे-

1-डा. रघु शर्मा,

2-श्रीमती किरण माहेश्वरी,

3-श्री प्रताप सिंह खाचरियावास व

4-श्री रमेश चन्द मीणा।

डा. रघु शर्मा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

अजमेर जिले की पेयजल समस्या

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का और जलदाय मंत्रीजी का ध्यान अजमेर जिले की पेयजल समस्या के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, जब अजमेर में भीषण पेयजल संकट था तब कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में और शिवचरण जी माथुर मुख्य मंत्री थे। अजमेर के लोगों की मांग पर बीसलपुर बांध का निर्माण किया गया ताकि अजमेर शहर के लोगों को तथा अजमेर के ग्रामीण परिवेश में जहां पर पीने के पानी की भारी किल्लत थी, उनके पेयजल की समस्या का निदान किया जा सके।

सभापति महोदय, कालांतर में बीसलपुर बांध से जयपुर को जोड़ा गया। अब इस बजट में घोषणा की गयी है सरकार की तरफ से कि टोंक को भी जोड़ा जायेगा। मैं समझता हूं कि जब जयपुर को जोड़ने का फैसला किया गया, तभी से अजमेर में भीषण पेयजल की समस्या वापस से पैदा हो गयी। सौभाग्य से जो जलदाय मंत्री हैं, वे हमारे जिले के प्रभारी भी हैं, इन्होंने जिले का दौरा किया कि नहीं किया, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने इनको अजमेर जिले का प्रभारी मंत्री बना रखा है। काश, ये दौरा करते अजमेर जिले का तो जो वीभत्स हालात अजमेर जिले में बने हुए हैं, उसका नजारा इनको खुद करने का अवसर मिल जाता।

(डा. रघु शर्मा)

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ब्यावर के माननीय विधायक यहां बैठे हुए हैं, पूरा मगरा आज बूंद-बूंद पानी को तरस रहा है। ये संसदीय सचिव बैठे हैं, ये मसूदा से माननीय सदस्य हैं सदन के अन्दर और नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य से पूछ लीजिये, पुष्कर से आने वाली हमारी माननीय सदस्य से पूछ लीजिये, किशनगढ़ से आने वाले माननीय विधायक से पूछ लीजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अजमेर जिले के हालात तो सही बता रहे हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, आज की तारीख में अजमेर भीषण पेयजल की समस्या से ग्रसित जिला है और जलदाय मंत्रीजी खुद उस जिले के प्रभारी हैं। मैं तो आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बीसलपुर बांध, बनास नदी जिसकी स्रोत है, खारी नदी जिसकी स्रोत है, डारी नदी जिसकी स्रोत है, ये सारी नदियां हमारी छाती पर बहती हैं और हम बूंद-बूंद पानी के लिए तरसते हैं। यह सम्भव नहीं हो सकता। सारे पम्प हाउस मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर हैं। माननीय सभापति महोदय, यह जो बांध है जिसके टेल पर हम लोग बैठे हैं, डूब क्षेत्र में आता है अगर कोई इलाका तो मेरा विधान सभा क्षेत्र आता है। हम किस पाप की सज़ा भुगत रहे हैं? ये मंत्रीजी जरा आज सदन को बताएं। मैं तो आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरा एरिया, अजमेर जिले के फ्लोराइड युक्त गांव हैं, जगह-जगह बरसों से लोग फ्लोराइड की मार झेल रहे हैं। गांवों में दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर से पानी लाने को विवश हैं। किसी के कूब हो गई, किसी के दांत खराब हो गए, किसी की हड्डियां चरमरा गईं। 50 साल से ज्यादा एवरेज उम्र नहीं है किसी की वहां पर।

माननीय सभापति महोदय, किसी को तरस क्यों नहीं आता? सरकार क्यों नहीं कोई कार्य योजना बनाती है? 50 बस्तियां विस्थापितों की, इस बांध को बनाने के लिए मेरे इलाके के जो लोग अपने घरों से दर बदर हुए, विस्थापित हुए, उन लोगों की 250 कालोनियां सरकार को बनानी थीं, वहां सुविधाएं देनी थीं, पानी की सुविधा देनी थी, टंकियां बनवानी थीं, स्कूल बनवाने थे, सड़कें बनवानी थीं, चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवानी थीं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह बजट कहां चला गया? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया वह बजट। मंत्रीजी सोये हुए हैं, मंत्रीजी की आंख बार-बार खुलवाने की कोशिश की गई मेरे द्वारा, मैंने बार-बार चिट्ठियां लिखीं इनको। मैंने मुख्य मंत्रीजी को

(डा. रघु शर्मा)

भी कहा है। मेरे यहां कर्मचारी ही नहीं है दो-दो साल से। भगवान के भरोसे यह विभाग चल रहा है।

मैं आज यह कहना चाहता हूं इस सदन के अन्दर, हम सत्ता पक्ष के जरूर हैं लेकिन हमारा यह कर्तव्य है कि अजमेर जिले के लोगों को पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार से हम करवाकर दें। 40-40 साल से पाइप लाइन तक मेरे इलाके के अन्दर नहीं बदली गई है। माननीय सभापति महोदय, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? मैं जन-प्रतिनिधि जिस इलाके का हूं, केकड़ी में पीलिया फैला, 300 लोग पीलिये की चपेट में आए। माननीय सभापति महोदय, मजबूरी में सीवर लाइन से जुड गए, लाइन टूटकर आज भी इलाके के अधिकांश हिस्से में सीमेंट की पाइप लाइनें बिछी हुई हैं। मैं मंत्रीजी से हर बार यह सवाल लगाता हूं, हर बार फ्लोराइड की बात करता हूं, हर बार विस्थापितों की कालोनियों के डवलपमेंट की बात करता हूं, हर बार इन पाइप लाइनों को बदलने की मांग करता हूं। आज भी मेरे इलाके की पाइप लाइनें जर्जर हैं; आज भी इलाके में टंकी जो बनी हैं, कई इलाकों में जाएं तो वे टंकियां जर्जर बन गई हैं, वे पिछले दो साल से ताबूत की तरह खड़ी हैं। माननीय सभापति महोदय, उन टंकियों को पाइप लाइनों से जोड़ा नहीं गया है और जो टंकियां पाइप लाइनों से जुड गई हैं तो उनसे पानी पहुंचाने का काम नहीं किया गया है। इससे ज्यादा अंधेरगर्दी, इससे ज्यादा कमजोरी, मैं समझता हूं, कोई हो नहीं सकती।

सरकार समय रहते, भीषण गर्मियां आ रही हैं, अभी इन गर्मियों के आने से पहले मैं आज इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से, मंत्रीजी यहां विराज रहे हैं, आप क्या कार्य योजना रखते हैं अजमेर की प्यास बुझाने के लिए, यह मैं पूछना चाहता हूं। जो शर्त तय हुई थी बीसलपुर बांध बनाने के टाइम, उस शर्त के मुताबिक क्या अजमेर को आप पानी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कितने गांव आज भी वंचित हैं, बीसलपुर योजना से जुड़ने के लिए। मखौल बना दिया। मजाक नहीं है यह। यह लोकतंत्र है, वोटों का राज है, पानी का बंटवारा बराबर होगा राजस्थान के अन्दर। एक-एक बूंद के लिए तरसा हुआ अजमेर जिले का किसान, अजमेर जिले का ग्रामीण, चाहे वह ब्यावर का हो, चाहे वह अजमेर का हो, चाहे केकड़ी का हो, चाहे पुष्कर का हो, चाहे नसीराबाद का रहने वाला हो, हर आदमी को पानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि

(डा. रघु शर्मा)

मंत्रीजी जवाब दें इस बात के लिए, एक समयबद्ध, सीमाबद्ध तरीके से कब तक पेयजल समस्या से निजात दिलाएंगे? और क्या वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने की है अजमेर जिले की पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए? वरना अब वहां जन आंदोलन होगा, गर्मी के मौसम में कानून और व्यवस्था ठप हो जाएगी। मुख्य मंत्रीजी से इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आपने ही तो व्यवस्था दी है प्रभारी मंत्रियों की, हमारा सौभाग्य रहा है कि आपने जलदाय मंत्री को अजमेर जिले का प्रभारी बनाया, इसको दुर्भाग्य में मत बदलने दीजिए; इनको इशारा कीजिए कि जरा ये चैम्बर में बैठने के बजाय गांवों में जाएं और इलाके की सुध लें।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): सारा का सारा बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बिलकुल सही कह रहे हैं, बिलकुल सही कह रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे भाई रघुजी ने मामला उठाया, यह मामला बिलकुल सही है लेकिन इस बीसलपुर बांध से सज़ा हम क्यों काटे? क्योंकि बीसलपुर बांध के कैचमेंट वाले एरिया में हम रो रहे हैं, हैड वाले। अभी भी वहां 2 मीटर का एनीकट नहीं बना सकते हैं। (व्यवधान) 2 मीटर का एनीकट नहीं बना सकते। बीसलपुर बांध की वजह से सज़ा हम भुगत रहे हैं, हैड वाले ;हम रो रहे हैं, इन सबको रो रहे हैं हम।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, इसमें मेरा भीम विधान सभा क्षेत्र भी पड़ता है, वहां पर भी पानी की विकट समस्या है।

श्री सभापति: सम-अप करें, माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): पूरे जिले में लगभग 100 टंकियां बनी हुई हैं। माननीय सभापति महोदय, दो साल में, सवा दो साल में हम उनको जोड़ नहीं पाए हैं पाइप लाइनों से। इससे ज्यादा बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? दूसरी बात, आज बारिश अच्छी हुई, फसलें अच्छी हैं, यह ऊपर वाले की मेहरबानी है, लेकिन आज भी चार-चार दिन के अंतराल, चार दिन के अंतराल में पानी मिल रहा है। अप्रैल, मई, जून के महीने आने वाले हैं। क्या होगा, इसकी कल्पना से ही हम भयभीत हैं। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनको पाबन्द कीजिए और माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस सदन के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार में बैठे हुए आदमी को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि लोग तिल-तिल कर पानी को तरसते रहें और

(डा. रघु शर्मा)
वे अपने कमरे में आराम फरमाते रहें, वे जिस जिले के प्रभारी हैं, वहां के गांवों का दौरा ही नहीं करें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित किया जाए।

मैं आपके माध्यम से सुनिश्चित चेतावनी भी देना चाहता हूं, मैं कमजोर आदमी नहीं हूं, सड़कों पर आंदोलन लड़ूंगा, लड़ाई लड़ूंगा। आपको बताता हूं, पूरे जिले में अभी तक तो हम खामोश थे और अब आपको कहना चाहता हूं कि पेयजल का प्रबन्धन सही नहीं हुआ तो हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। अपने माननीय मुख्य मंत्रीजी और उनको पहले कहकर लड़ेंगे और समय रहते इसका इलाज कर दिया जाना चाहिए, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): हाकिम जहां बहरा हो वहां फरियाद न करनी चाहिए। असलियत तो सत्ता पक्ष वाला कह रहा है, असलियत तो आ गई न सारी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, आपको आमंत्रण है इधर आने का। आपके विद्रोही तेवरों के लिए आपको बधाई। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजो। (व्यवधान) अब अंकित नहीं होगा। विराजो-विराजो, माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: आप विराजो तो सही।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति : आप विराजो तो सही।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: कितने सदस्य बोलेंगे? (व्यवधान) श्रीमती किरण माहेश्वरी। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: आप बोलना चाहते हैं?(व्यवधान) विराजिए, विराजिए।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, बहुत ही गम्भीर रूप से अजमेर जिले की बात को उन्होंने उठाया। 16 तारीख को विभाग की डिमांड होगी, मैं इनका सम्पूर्ण जवाब उस दिन दे दूंगा।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी। विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, हम सब यहां पर पर्ची के माध्यम से अपने क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए सुबह-सुबह जल्दी आते हैं और अपनी पर्चियां लगाते हैं कि कहीं हमारा नम्बर आज आ जाए। तो मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि सत्ता पक्ष के जो हमारे माननीय सदस्य, जो केकड़ी से आते हैं, उन्होंने बहुत संवेदनशील विषय को उठाया यहां पर।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप अपनी बात कहिए न। (व्यवधान) आपकी जो पर्ची है, उस पर बोलिए न, माननीय सदस्या।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): पीने के पानी की गम्भीर समस्या के उठाने के बाद भी जवाब न आये।

श्री सभापति: इस पर्ची पर क्या लिखा है आपने? पशु चिकित्सालय से संबंधित है आपका। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हां, बिलकुल मैं वही उठाना चाहती हूं, माननीय सभापति जी और आपके माध्यम से ही सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

श्री सभापति: इसी, इसका?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मेरा इश्यु अभी मैं बोलती हूं।

श्री सभापति: हां, पशु चिकित्सालय पर बोलो आप।...(व्यवधान)

पशु चिकित्सालय, राजसमन्द को शहरी सीमा से शिफ्ट किया जाना

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): लेकिन मैं एक चीज आपसे और भी पूछना चाह रही हूं। एक सदस्य होने के नाते आप सभापति की चेयर पर बैठे हैं, माननीय सभापतिजी, हम यहां जो सदस्य हैं, यहां भाषण देने नहीं आये हैं। हमारे काम की प्रगति क्या हो रही है, हम जो यहां कह रहे हैं, क्या वास्तव में उसका कुछ असर इन मंत्रियों के ऊपर होता भी है या नहीं? उनको जवाब देना चाहिए, इस चीज के ऊपर। आज मैं यहां पर आपके माध्यम से पशुपालन मंत्री जी से कुछ पूछना चाहती हूं। मेरी कुछ क्वेरीज हैं, मेरे मन में कुछ संदेह हैं, कुछ जो मेरे क्षेत्र के लिए समस्याएं हैं, उनका निराकरण भी मैं इनसे चाहती हूं। वे यहां पर बिराजमान हैं इसलिए आपके माध्यम से मैं यह पूछती हूं और मैं यह चाहती हूं, वे अगर इन पर कुछ कहेंगे तो शायद हम सब को अच्छा लगेगा।

मैं राजसमंद विधान सभा क्षेत्र से आती हूं और राजसमंद जिला मुख्यालय का जो पशु चिकित्सालय है, वह नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर शहर के बीचोंबीच बना हुआ है। काफी लम्बे समय से हम पत्र लिखते आये हैं, माननीय मंत्रीजी को भी लिखा जिसमें हमने यह कहा कि यह जो चिकित्सालय है, इस चिकित्सालय को नगरपालिका क्षेत्र से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में जहां पंचायत समिति जमीन दे रही है, वहां पर इसको शिफ्ट किया जाए। उसका मेन कारण यह है कि जो पशुपालक हैं, उन पशुपालकों को अपने पशुओं को चिकित्सा के लिए वहां नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर भीड़भाड़ के क्षेत्र में लाने में परेशानी होती है इसलिए इस चिकित्सालय भवन को आप नगरपालिका क्षेत्र से बाहर शिफ्ट कर दीजिए। लेकिन बार-बार पत्र लिखने पर भी कोई इसका रिजल्ट नहीं आया। जैसा कह रहे थे कि हम कितनी बार भी मंत्रियों को पत्र लिखें लेकिन जवाब सिर्फ यही आता है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ और उसे विचारार्थ हमने दे दिया है, लेकिन क्या विचार हुआ, क्योंकि आज मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं तो कृपा करके

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हमें भी इस पर कुछ बताएं, क्या इसमें करने जा रहे हैं। क्योंकि यह पशु चिकित्सालय बहुत इम्पोर्टेंट है, वहां पर और राजसमंद जिले के जिला मुख्यालय पर है। इसको अगर आप बाहर ले जाएं तो जो पशुपालक हैं, उसका पूरा लाभ ले सकते हैं।

दूसरा, भवन निर्माण के सम्बन्ध में पूछना चाह रही हूं, वह यह है ...(व्यवधान) हां, एक चीज, दो बातें का आप इकट्ठा ही जवाब दे दीजिए। इसमें जो भवन निर्माण है, वह जो आलरैडी भवन है वहां पर पशु चिकित्सालय का, उसको तो आप क्वार्टर्स बनवा दीजिए और नये भवन निर्माण के संदर्भ में आप अपनी बात कहें।

एक, गौशालाएं जो आपके यहां से अनुदान के रूप में दो गौशालाएं हमारे यहां पर चल रही हैं, जिनमें आप अनुदान देते हैं लेकिन वह अनुदान 20 रुपये तो देते हैं बड़े पशुओं का और 10 रुपये देते हैं छोटे पशु के लिए। अब वह 20 रुपये जो आप अनुदान देते हैं, कितने वर्षों से वह 20 रुपये एक पशु के ऊपर अनुदान देते हैं, आप चारा है, खाखला है, बाटा है, ये सब चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि इतना सा 20 रुपये में प्रति पशु को वहां पर वह नहीं मिल सकता है, पेट नहीं भर सकता है। तो आप पशुपालन विभाग के द्वारा इन गौशालाओं को जो अनुदान देते हैं, उनके पोषाहार का, तो क्या उस अनुदान को बढ़ाने की कुछ सरकार की मंशा है? या इसी तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा लेकिन वह पशुपालन विभाग जो है, यह इनके ऊपर भी कुछ विचार रखता है?

यह, माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान मैंने आकर्षित किया है और मैं यह उम्मीद करती हूं कि हम जोसब सदस्य आये हैं, वे अपने क्षेत्र की बहुत प्रेसाइज अपनी बात को रखते हैं और बहुत ही प्रेसाइज उत्तर भी आपका मिल जाए तो बहुत ही कृपा होगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले तो, सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्या को यह बताना चाहता हूं कि विभाग द्वारा किसी गौशाला को कोई अनुदान नहीं दिया जाता है, अकाल के टाइम में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा यह अनुदान दिया जाता है। इसलिए आप इस बात को समझ लें कि पशुपालन विभाग से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। दूसरा, सिर्फ फेमिन के टाइम में ही यह दिया जाता है। तीसरी बात यह है कि पिछले साल इनका बढ़ाया है, पहले 15 रुपये था उसका 20 किया है। इसी प्रकार से, हालांकि मेरे विभाग से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: एक मिनट, पहले जवाब आ जाए, पहले जवाब आ जाने दो न आप। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ये कह रहे हैं कि देते नहीं हैं और मेरे पास में दो गौशालाएं हैं ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह सवाल-जवाब तो नहीं होंगे न । ... (व्यवधान)

श्री सभापति: जवाब तो सुनें न। आप, माननीय सदस्या, जवाब सुन लें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आपको जवाब चाहिए, सवाल थोड़े ही होंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): ये सवाल कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, ये कागज दिखा रही हैं। दूसरा सवाल यह है कि वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्टिल को बदलने का कोई सवाल नहीं है। केवल शहर में डिस्ट्रिक्ट का जो हैड क्वार्टर है, उसमें केवल यही है कि पशु चिकित्सालय, दूसरी बात यह कही, वह भीड़भाड़ के क्षेत्र में है, वह कोई भीड़भाड़ के क्षेत्र में नहीं है। जिला हॉस्टिपल में जो सुविधाएं हैं, वे बाहर नहीं दी जा सकतीं, यह पूरे जिले के लिए है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अरे, साहब, यह क्या है? मंत्रीजी ने शायद एक बार भी दौरा ही नहीं किया, इन्होंने राजसमंद क्षेत्र का। अगर ये आ जाएं तो इन्हें यह पता चले।

श्री सभापति: यह जरूरी नहीं है कि यह दौरा करें। इनको अपने विभाग की जानकारी है, जो उपलब्ध करा दी आपको।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अरे, इनके विभाग में जानकारी... कान बंद, आंखें बंद करके तो आप यहां नहीं बैठ सकते। आपको जब मैं माननीय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपको जवाब दे दिया कि पशु चिकित्सालय जिले का है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अरे, जिले की ही बात कर रही हूं मैं भी।

श्री सभापति: तो जिले का जवाब दे दिया न?

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): 'अरे' क्या होता है?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): 'अरे' क्या होता है, साहब? सभापति महोदय, ये माननीय वरिष्ठ सदस्या आई हैं, लोक सभा में भी रही हैं, यह 'अरे' क्या होता है? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह संसदीय शब्द है। 'अरे' शब्द संसदीय है, असंसदीय नहीं है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): क्या संसदीय नहीं है? बहुत कुछ असंसदीय है लेकिन मानहानिकारक तो है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): देखिए, माननीय सभापतिजी, माननीय मंत्रीजी को अगर जानकारी का अभाव है तो मैं वहां से चुनकर आई हूं, मैं जानकारी दे रही हूं कि यह चिकित्सालय जो है, यह भीड़भाड़ के क्षेत्र में है और जिसकी वजह से पशुपालक अपने पशुओं को इलाज के लिए नहीं ला सकते हैं। हमने तो छोटी सी बात आपको कही और केवल यहीं नहीं कहा है, बार-बार पत्र भी लिखकर कहा है कि इस पशु चिकित्सालय को अगर आप बाहर शिफ्ट करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में शिफ्ट करते हैं, तो मैंने यह नहीं कहा कि यह पूरे जिले का है, मैं भी जानती हूं कि जिले का है, जो नगरपालिका एरिया में है, उसको नगरपालिका एरिया से ग्रामीण में पंचायत समिति के बाहर शिफ्ट कर दीजिए जिससे कि वहां पर पशुपालक आराम से अपने पशुओं को इलाज के लिए ला सकें।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, विराजें आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इतनी सी बात है, आप कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है।

श्री सभापति: दे दिया जवाब मंत्रीजी ने।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है, इसका मतलब सरकार बिलकुल संवेदनहीन है, यही हम मान लें?

श्री सभापति: माननीय सदस्या।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): या सरकार किसी भी चीज में प्रगति करना ही नहीं चाहती? सरकार ने कह दिया, वही अल्टरनेट हो गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, यह जरूरी नहीं है कि आप जो बोलो, उसको मंत्रीजी पूरा का पूरा जैसा आप चाहो, वैसा ही जवाब दें। सरकार के रूप में उन्होंने जवाब दे दिया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मंत्रीजी को सकारात्मक होना चाहिए, प्राब्लम को समझ कर उसके बाद में उसका उत्तर देना चाहिए।

श्री सभापति: आप विराजें। श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह एकदम ऐसी निकम्मी सरकार हमने नहीं देखी पहले ....(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। अरे, आप विराजें ....(व्यवधान)... आप बिराजें।

एक माननीय सदस्य: 'अरे' क्या होता है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री प्रतापसिंह खाचरियावास।

जयपुर में निम्न स्तर की सड़कों का निर्माण

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, मैं आज आपका ध्यान राजस्थान के एक गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। राजस्थान की राजधानी जयपुर रोल माडल है और राजस्थान की सरकार जयपुर को मेट्रो सिटी के रूप में डवलप कर रही है। लगभग 12 हजार करोड़ रुपये का मेट्रो प्रोजेक्ट जयपुर में शुरू हो गया। ऐसे में मैं यह मानता हूं कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और भ्रष्टाचार के मामलों में आगे बढ़कर कार्यवाही भी करती है लेकिन कहीं न कहीं हमारे अधिकारियों पर लगाम लगाने की जरूरत है। राजस्थान की सरकार का ऐसा पैसा सड़कों पर खर्च हो रहा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण पैसा है और सड़कें किसी भी राज्य का विकास पूरे देश के सामने प्रस्तुत करती हैं। बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है और जयपुर की सड़कों पर से गुजरता है तो सड़कें अगर अच्छी हों तो वह तारीफ करता है कि राजस्थान की सरकार का काम अच्छा है।

हमारे यहां पर जब से, पिछले दो वर्ष से कांग्रेस की सरकार शासन में आई, तब से बार-बार यह चर्चा हो रही है कि अधिकारियों की काम के प्रति जवाबदेही तय हो। ऐसे में, माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जयपुर में एक दिन तो पेचवर्क किया जाता है और दूसरे दिन वह पेचवर्क खतम हो जाता है, उखड़ जाता है। इसके लिए दिक्कत यहां पर है कि जे डी ए जो सड़कें ठीक कर रहा है, उस जे डी ए के या कहीं भी पूरे राजस्थान में जो भी डिपार्टमेंट सड़कों का काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकारें बदल गईं लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार नहीं बदल रहा क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग तो 2-4 प्रतिशत तो अपना ईमानदारी का समझते हैं कि किसी भी ठेकेदार से काम करा लो, यह तो

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

हमारा है, यह तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह परसेंटेज तो हम लेकर के रहेंगे। ऐसे में राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत ने जयपुर में अपने भाषण में कहा है कि सड़कों के प्रति जिम्मेदारी जे डी ए की है, सड़कों के प्रति जिम्मेदारी नगर निगम की है और उन्होंने महत्वपूर्ण अधिकारियों का नाम लेकर के कहा कि मुझे 15 दिन में जयपुर की सड़कें ठीक चाहिए। उन्होंने जे डी सी का भी नाम लिया, सी ई ओ का नाम लिया, मेयर का भी नाम लिया। सबका नाम लेकर के उन्होंने कहा कि ये जो सड़कें बार-बार टूटती हैं, इसके लिए नियम-कायदे तय होने चाहिए।

सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहूंगा कि, मंत्रीजी, आपकी नीयत ठीक है, आप काम करना चाहते हैं, आपने कई अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की है पर मैं आगे के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि जयपुर के लिए तो आप एक नीति बना दो कि अब जो भी सड़क नई बनेगी, उसकी उम्र तय हो जाए। उम्र तय होने के साथ वहां के अधिकारी की जिम्मेदारी तय हो जाए और यदि उस उम्र के दौरान यह सड़क खराब हो जाती है तो उस ठेकेदार की जिम्मेदारी तय की जाए, उस दौरान उस सड़क को ठीक करना, रिपेयर का काम और सड़क चाहे दुबारा बनवानी पड़े, उसके प्रति होगा। यदि फिर भी कोई ठेकेदार और इंजीनियर ढंग से काम नहीं करता है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सड़कों के मामले में और दूसरे मामलों में आप सज़ा का प्रावधान करें जिससे यह बेईमानी होना बन्द हो।

यदि हमने सज़ा का प्रावधान नहीं किया, अभी मैट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है अजमेर रोड से, अजमेर रोड पर मैंने खुद ने वहां पर देखा है, मैं खुद वहां से गुजरता हूं, वहां पर अभी कल ही सड़क डाली है, पेचवर्क हुआ है और मेरे खुद के पिताजी ने मुझे कहा है कि थारी सरकार के अन्दर आज तो डाला है और शाम को ही खतम हो गई। अब स्थिति यह है कि यदि मेरे घर पर ही यह बात हुई तो मेरी मोरल ड्यूटी बनती है। मैं सुबह आया, आकर मैंने मंत्रीजी से बात की तो मैं मंत्रीजी, धारीवालजी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे किसी भी सड़क पर बुला लो, मैं आपके साथ चलूंगा। मंत्रीजी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने आगे बढ़कर के कहा कि मैं सड़कों पर चलूंगा, जाकर के देखूंगा और आपने राजस्थान में कई जगह जाकर के देखा भी है, अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की है। यह पूरे राजस्थान का विषय है, मैं निवेदन करूंगा कि जहां भी पी डब्ल्यू डी सड़क बनाये, चाहे जे डी ए सड़क

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

बनाये, चाहे नगर निगम सड़क बनाये, कोई भी सड़क बनाये लेकिन सड़क बनने के बाद उस सड़क की सीमा तय होनी चाहिए, उम्र तय होनी चाहिए। सड़क बनने के बाद जब टूट जाती है तो आम आदमी मुख्य मंत्रीजी से लेकर के एम एल ए तक सीधी गाली देता है और यह कहता है कि सड़क बना भी दी और सड़क को तोड़ भी दिया। तो सड़क न तो हम बना रहे हैं, न हम तोड़ रहे हैं, ऐसे में जो सड़क बना रहा है और बनाने के बाद तोड़ने का भी मन बना रहा है, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे ठेकेदारों को ब्लेकलिस्टेड किया जाना चाहिए। ऐसे अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए क्योंकि यह राजस्थान की जनता के खून-पसीने की कमाई है। कोई इन्कम टैक्स के जरिये, कोई सेल्स टैक्स के जरिये, कोई किसी और टैक्स के जरिये, कहीं न कहीं रोड टैक्स के जरिये, कहीं न कहीं सरकार के खजाने में आम आदमी पैसा जमा करा रहा है और उस आम आदमी का अधिकार है। मैं मानता हूं कि राइट-टू-इन्फार्मेशन के तहत आम आदमी को पूरी सूचना मिल रही है और आजकल आम आदमी बहुत समझदार हो गया है कि वह इन्फार्मेशन के जरिये हर बात की सूचना ले रहा है और उस सूचना में यह दिक्कत कब आ रही है कि जब जे डी ए के खुद के प्लांट लगे हुए हैं, खुद के प्लांट में रोड़ी मिक्सिंग का प्लांट है, उस प्लांट में मिक्सिंग होकर सड़क के लिए मैटेरियल आ रहा है। मैटेरियल जे डी ए के मिक्सिंग प्लांट से आ रहा है और उसके बावजूद उस मैटेरियल को कोई भी देख ले, जो भी जयपुर की सड़कों से गुजरता है, वह खुद आश्चर्य करता है कि यह सड़क अभी डाली है और एक घंटे बाद खतम हो जायेगी।

यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजधानी जयपुर पूरे राजस्थान की जनता के आकर्षण का केन्द्र है, पूरी दुनिया के टयूरिस्ट यहां पर आते हैं। ऐसे में जरूरत है कि हमारी जो हेरिटेज सिटी जयपुर है, उसकी सड़कों की जिम्मेदारी इन अधिकारियों के माथे पर डाली जाए। जे डी ए और नगर निगम जहां भी सड़कें बना रहा है, जो लोग गलत सड़कों के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए और टाइम लिमिट तय की जाए। क्योंकि जब खुद मुख्य मंत्रीजी कह दें, मंत्रीजी कह दें, विधायक कह दें, एम.पी. कह दें, अखबारों में छप जाए कि अब ये सड़कें ठीक चाहिए और फिर अखबारों में अधिकारियों का बयान छप जाए कि 15 दिन में जयपुर की सारी सड़कें ठीक कर दी जायेंगी। मुझे खुद से अधिकारियों ने कहा कि हम 15 दिन में सारी सड़कें ठीक कर देंगे। मैं तो यह तो धन्यवाद दूंगा कि

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)
अभी बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने हाथ में लिया है लेकिन अब सड़कों की गुणवत्ता और सड़कों की उम्र सीमा तय की जाए।

आगे के लिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मंत्रीजी, जयपुर का एक जागरूक नागरिक होने के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जयपुर की सड़कों का आप एक बार निरीक्षण कर लें। आपसे मैं निवेदन करूंगा, मैं खुद आपके साथ चलने को तैयार हूं, आप देख लें, समझ लें और आपको लगे कि इन सड़कों में गड़बड़ हुई है, आपको लगे कि इनमें बेइमानी हुई है और एक मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यह जो जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी है, इसका मिक्सिंग प्लांट, इसकी सड़कें, जो सड़कें इन 10 दिनों में बनी हैं, 2-4 दिन में बनी हैं, उन सड़कों का आप हमारे साथ घूमकर निरीक्षण कर लें और आप यदि खुद सेटिस्फाई हो जाएं तब आप डायरेक्शन दें। मैं यह नहीं कह रहा कि आप उठाकर किसी को सस्पेंड कर दें लेकिन आगे के लिए आप एक स्पष्ट नीति बना दें जिससे जयपुर के आम आदमी को लगे कि हमारी सरकार, वास्तव में हमारा कोई भी प्रतिनिधि, हमारी सरकार का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जिम्मेदार नहीं है इन सब बातों के लिए। ऐसे में यदि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करे या गलती करे तो हम उसको माफ नहीं करें। सभापति महोदय, मुझे विश्वास है कि मंत्रीजी खुद आगे बढ़कर के ऐसी सड़कों के लिए जो भी जिम्मेदार होगा, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और निश्चित रूप से मेरे सवाल का जवाब देकर के राजस्थान में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार की जो नीति है, उसको स्पष्ट करेंगे और कहेंगे कि हम किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य, आपकी सरकार ने तो कहा है कि 'दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ।'

श्री सभापति: श्री रमेश चन्द मीणा।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप तो इतना जल्दी चला रहे हो, कोई ट्रेन तो छूट नहीं रही है। मैं मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं, जवाब देने दो, सभापति महोदय, पूरा राजस्थान जवाब सुनना चाहता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने सड़कों के बाबत अपनी चिंता व्यक्त की है, निश्चित तौर

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

पर यह वाकई चिंता का विषय तो रहा है क्योंकि अक्सर यह देखा गया कि सड़क बनी और कुछ ही दिनों में वह टूट गई। तो उसके लिए एक नीति का निर्धारण किया गया है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जे डी ए की जे डी ए रीजन में 5 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं और इन सड़कों पर, लगातार बनती भी रहती हैं और टूट-फूट भी होती रहती है। जब पिछली बार यह शिकायत पिछले साल आई तो 4 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया और अब यह नीति बना दी गई कि डिफेक्ट लाइबिलिटी के तहत जो भी कांट्रेक्टर जिसको भी ठेका दिया जाएगा, वह तीन साल तक उसकी मेंटिनेंस करने का काम भी करेगा। इसी के साथ-साथ जो मुख्य सड़कें हैं, उन पर एक नोडल आफिसर कायम किया जायेगा और वह एक्स.ईएन. लेवल का होगा। मेंटिनेंस को देखना और मेंटेन करना, यह भी जिम्मेदारी उसी की होगी।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि फिर भी यदि आपको कभी भी कोई शिकायत मिले तो निश्चित तौर पर आप मुझे लेकर के चलना, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं और यह आप पक्की मानकर चलें, अफसोस इस बात का है कि....

श्री बहादुर सिंह (वैर): सभापति महोदय, जो ट्रैक्टर या ट्रकों में से तेल निकलता है, वह तेल मिलाया जाता है कोलतार के बजाय इसलिए वे सड़कें नहीं चल पातीं। उनमें घटिया किस्म का मैटेरियल होता है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का भी प्रोविजन रखा गया है, डिफेक्ट लाइबिलिटी का भी प्रोविजन रखा गया है, मुख्य सड़कों पर नोडल आफिसर नियुक्त करने का, जो एक्स.ईएन. लेवल का होगा, वह भी रखा गया है। इसी के साथ-साथ 68 मेन सड़कें इस प्रकार की चिह्नित की गई हैं जिनको कि दुबारा बनाया जायेगा और करीब-करीब 9,000 किलोमीटर की सड़कों पर रिपेयर का काम भी शुरू किया जा रहा है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मंत्री महोदय, यह तो आपने फरमाया कि तीन साल तक की मेंटिनेंस की ठेकेदार की गारंटी है, आपने नोडल आफिसर बना दिया, पूरी टीम बना दी परन्तु आपकी जानकारी में यह बात भी है कि नहीं, मेंटिनेंस के पूरे कानून-कायदे तो आपने बना दिये, परन्तु वास्तव में फील्ड में मेंटिनेंस होती है क्या? आपके नोडल आफिसर से लगाकर जितने भी इंजीनियर्स हैं, वे ठेकेदार से इस बात के भी पैसे ले लेते हैं और सड़कों पर काम नहीं होता है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जो क्वालिटी है काम की, उस

(डा. दिगम्बर सिंह)

क्वालिटी में तब तक सुधार नहीं होगा, कितना उसमें कोलतार मिलना है, कितना क्या मिलना है, जब तक उसकी बचत में ठेकेदार लगे रहेंगे तो सड़कों की गुणवत्ता में कोई सुधार हो नहीं सकता।

श्री सभापति: श्री रमेश चन्द मीणा। अब आप बोलेंगे, मंत्रीजी?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय,...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): पर्ची पर वाद-विवाद! पर्ची पर वाद-विवाद!

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले पांच साल तक जब भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, एक इंजीनियर बता दीजिये जिसके खिलाफ आपने कार्यवाही की हो ?

श्री सभापति: आप बिराजिये, माननीय सदस्य। आप विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हमने काम ही खराब नहीं किया ना।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप एक इंजीनियर बता दीजिये और...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 100-100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...और आप यह बता दीजिये, आप एक सड़क का नाम बता दीजिये जिसका नवीनीकरण आपके द्वारा करवाया गया हो ?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मंत्री महोदय, पिछले पांच साल की बात करेंगे तो राजस्थान में हम लोग सड़कों के नाम पर...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह पहली बार हो रहा है कि डिफेक्ट लाइबिलिटी का प्रोविजन डाला गया है। यह डिफेक्ट लाइबिलिटी का प्रोविजन पहली बार डाला गया है। आप कह रहे हैं कि...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): डीग से आने वाले माननीय सदस्य, आप पर तो यह कहावत चरितार्थ हो रही है कि 100-100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मंत्री महोदय, पूरे देश में सड़कों के नाम पर राजस्थान नम्बर वन स्टेट आया था, नम्बर वन।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। श्री रमेश चन्द मीणा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नम्बर आपके बी जे पी के दफ्तर से मिलते होंगे?

करौली जिले और टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान करौली जिले और टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में चल रही पेयजल की गम्भीर समस्या और इसमें बरती जा रही अनियमितताओं और पक्षपात के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। जो अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं बरती गई हैं, उनके बारे में मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि बांडोर से सोप परियोजना चार करोड़ रुपये की स्वीकृत हुई थी और उसमें कई गांव आये थे। जिन गांवों में जो पानी की सप्लाई की जा रही है, उसका जब मूल्यांकन करेंगे तो मुश्किल से, ज्यादा से ज्यादा 4,000 व्यक्तियों को पानी उपलब्ध हो पा रहा है चार करोड़ रुपयों में से। उसके साथ-साथ में दूसरी तरफ आपके परम्परागत जल स्रोतों पर केवल पांच लाख रुपये लगाये गये हैं एक ग्राम सोप पर और सोप की जनता, उसमें पांच लाख रुपयों से वही 4,000 की जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध हो रहा है। तो पहली बात, मेरा निवेदन यह है कि जो टंकी वहां 50 लाख रुपये की बनी है, उससे आज तक क्यों नहीं पानी की आपूर्ति हुई? और केवल एक पाइंट पर पानी डाला जा रहा है। उस चार करोड़ रुपये की परियोजना का लाभ बिलकुल नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस टंकी का भी उपयोग किया जाये और उसमें जो दूसरी अनियमितताएं हुई हैं ठेकेदारों की, अधिकारियों की, उन पर जिम्मेदारी फिक्स करें। उनके खिलाफ जो भी सतर्कता से कार्यवाही होनी है, वह उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। उनको करवाने का आपसे मेरा निवेदन है।

इसके साथ-साथ अन्य बहुत सी परियोजनाएं हैं टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में और करौली जिले में, उसमें मुख्य परियोजना चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती वृहद पेयजल योजना, माननीय वसुन्धरा राजेजी ने जिसको 2004 में स्वीकृत किया था, 478 करोड़ रुपये की परियोजना है। इसको पिछले दो साल में बजट क्यों नहीं उपलब्ध करवाया गया? बजट उपलब्ध नहीं करवाने का कारण

(श्री रमेश चन्द मीणा)

जो मुझे प्रश्न संख्या-97 अन्त: सत्रकाल प्रश्न, तृतीय सत्र के जवाब में यह बताया गया कि इंटेक वेल की पर्यावरण मंजूरी के बिना इसमें काम मंजूर नहीं हो सका, इसका कार्य प्रगति पर नहीं लिया जा सकता, ऐसा इसमें उल्लेख है। तो मेरा यह निवेदन है कि जब इतना पैसा लगा दिया इसमें, इसमें अभी तक 188 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है, 188 करोड़ रुपये राज्य सरकार के और केन्द्र सरकार के जब लग चुके हैं तो दो साल से इसमें क्यों इस तरह से अनुपयोगी करके डाला जा रहा है? मुख्य मंत्रीजी के पास इतना समय है कि टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में छह-छह बार जहां चले गये, लेकिन इसके लिए मुख्य मंत्रीजी के पास एक भी दिन में यह गौर करने का समय नहीं है। यह आपके ऊपर भी बहुत गम्भीर प्रश्न है कि इतना पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपना रहे हैं कि दो वर्ष में एक भी बार उसके ऊपर उल्लेख नहीं किया बजट में? अब की बार जब मैंने देखा तो अब की बार भी इसमें कोई इस तरह का बजट प्रस्तावित नहीं किया है, आपने इसके लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो परियोजना इतने गांवों की है, लगभग इसमें 636 गांव हैं और 636 गांवों को गम्भीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो आज तक इसमें ध्यान किन कारणों से नहीं दिया जा रहा है? मुझे तो मंशा ऐसी लग रही है कि टोडाभीम में हार के कारण अथवा दूसरे राजनैतिक कारणों से इसमें पक्षपात कर रहे हैं और बजट का प्रोविजन आपने नहीं रखा है।

इसके साथ में और भी दूसरी परियोजनाएं हैं, उनके बारे में भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। टंकियां वहां पर कुछ जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और कुछ नई टंकी बनी हैं तो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में जो टंकियां हैं, उनको अभी तक ध्वस्त क्यों नहीं किया गया? वह खतरनाक रूप से जहां टंकियां खड़ी हैं तो आपने उसके लिए सतर्कता विभाग को अथवा अपनी टीम से रिव्यू करने में क्यों नहीं रखा? इसके साथ-साथ में वह ठेकेदार जिनके काम की वजह से और वे अधिकारी, जिनके कार्यकाल में इस तरह का मामला हुआ है, यह करोड़ों का नहीं, अरबों का इनवेस्टमेंट हुआ और वह अरबों का इनवेस्टमेंट जब काम नहीं आ रहा है जो जिस तरह के मानदण्ड हम राजस्थान में सड़कों के लिए निर्धारित कर रहे हैं तो क्यों नहीं उन ठेकेदारों के खिलाफ भी और उन अधिकारियों के खिलाफ भी ऐसे मानदण्ड निर्धारित किये जायें कि तीन साल तक अथवा पांच साल तक यह पानी की रेगुलर सप्लाई नहीं होगी तो उनका कुछ भुगतान अटकाकर रखेंगे अथवा वह भुगतान बाद में किया जायेगा? और

(श्री रमेश चन्द मीणा)

जो भी उसमें कोई गलती होगी तो उसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा, उसके लिए वह अधिकारी जिम्मेदार होगा। ऐसा मेरा निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा साबरमती नदी से देवास योजना के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण पूर्ण कर उदयपुर, मातृकुण्डिया (चित्तौड़) तथा मेजा डेम (भीलवाड़ा) को पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

साबरमती नदी से देवास योजना (उदयपुर), मातृकुण्डिया (चित्तौड़) तथा मेजा डैम (भीलवाड़ा) को पेयजल की उपलब्धि

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्रीजी का इस बात के लिए ध्यान आकर्षित करता हूं कि उदयपुर की पश्चिमी पहाड़ियों का जो पानी है, वह सारा का सारा कैचमेंट का पानी बहकर नदियों के माध्यम से साबरमती में होता हुआ समुद्र में जा रहा है। इस पानी को डाइवर्शन देकर, उस सारे पानी का उपयोग उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सभी को यह पानी उपलब्ध हो सकता है। उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापित महोदय, साबरमती नदी से उदयपुर को पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विधान सभा प्रक्रिया के कार्य संचालन नियमों के नियम 131 के तहत प्रस्ताव के सम्बन्ध में उत्तर है कि उदयपुर जिले की जनसंख्या वृद्धि के दबाव से भविष्य में पीने के पानी की आवश्यकता, औद्योगिक विस्तार हेतु पानी की आवश्यकता एवं पर्यटन की गतिविधियों की बढ़ती आवश्यकता के मध्य नजर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1966-67 में साबरमती बेसिन से अतिरिक्त पानी को अपवर्तित कर उदयपुर शहर की पिछोला एवं फतेहसागर झीलों में लाने की परियोजना पर कार्य प्रारम्भ किया। इसके अन्तर्गत देवास स्टेज प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रस्तावित की गई।

देवास स्टेज-प्रथम के अन्तर्गत साबरमती बेसिन के वाकल नदी के

(श्री महीपाल मदेरणा)

सहायक नाले पर ग्राम अलसीगढ़ में बांध बनाकर 105 एम.सी.एफटी. पानी अपवर्तित करने की परियोजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की मांग पर सन् 1973-74 में बनाकर पूर्ण की गई। देवास स्टेज-द्वितीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की आवश्यकतानुसार दो बांध आकोदड़ा एवं मादड़ी मय साढ़े ग्यारह किलोमीटर लम्बी सुरंग निर्माणाधीन हैं, जिनके पूर्ण होने पर 549 एम सी एफटी पानी फतेहसागर एवं पिछोला झीलों में अपवर्तित किया जायेगा। देवास स्टेज-तृतीय परियोजना के अन्तर्गत साबरमती बेसिन की वाकल नदी के सहायक नाले पर गांव नाथियाथल ग्राम पंचायत चाटियाखेड़ी के पास एक बांध बनाकर 10.38 किलोमीटर लम्बी सुरंग के माध्यम से पानी पिछोला एवं फतेहसागर झीलों में अपवर्तित किया जाना मूल योजना में प्रस्तावित किया गया था। इसी प्रकार देवास स्टेज-चतुर्थ परियोजना के अन्तर्गत साबरमती बेसिन की वाकल नदी पर ग्राम अम्बा ग्राम पंचायत भड़ावती के पास एक बांध बनाकर 3.88 किलोमीटर लम्बी सुरंग के माध्यम से पानी लाया जाना प्रस्तावित किया गया था।

साबरमती बेसिन की नदियों में पानी की मात्रा के सही आंकलन हेतु कोई मापक यंत्र स्थापित नहीं थे। पूर्व में पानी की मात्रा का आकलन वर्षा के आंकड़ों के आधार पर किया जाता रहा है जो पूर्ण तौर पर सही नहीं है। उदाहरण के तौर पर देवास स्टेज-प्रथम में 22 वर्षों के उपलब्ध जल आवक आंकड़ों में से सिर्फ दस वर्षों में ही पूर्ण जल प्रवाहित हुआ। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध जल के सही आकलन हेतु वर्ष 2010 में मापक यंत्र स्थापित किए गए हैं जिसके आधार पर परियोजना रिपोर्ट तैयार कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

राज्य सरकार इस बात हेतु कृत संकल्पित है कि राजस्थान के हिस्से का एक-एक बूंद पानी भी बहकर राज्य के बाहर नहीं जावे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं आपसे कुछ, यह योजना सुखाड़ियाजी ने 1965 में जिस समय किसी को यह कल्पना नहीं थी कि पानी की कमी आयेगी और पूर्ति नहीं होगी और यह सम्पूर्ण जो पश्चिम की पहाड़ियों का जो पानी है वह सारे का सारा साबरमती में बहता हुआ आपके अरब सागर में जाकर गिरता है और पूर्व का पानी सारे का सारा बंगाल की खाड़ी में आता है। यह एक डिवाइडर है, वाटर डिवाइडर के रूप में और इसलिए उस साइड का जितना भी कैचमेंट एरिया है उसमें बहने वाली नदियों का पानी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ग्रेविटी से कैसे झील में लाया जाय, इसका सारा प्रोजेक्ट बना था, यह सारा प्रोजेक्ट एक स्टेज, दो स्टेज, तीन और चार, सारा मिलाकर उस समय केवल 18 करोड़ की योजना थी और उस 18 करोड़ में लगभग 1,750 एम सी एफटी पानी उदयपुर की झीलों में डाइवर्ट होना था। उदयपुर की झील की कैपेसिटी केवल 800 एम सी एफटी पानी की है, उदयपुर के अलावा भी उसके नीचे का जितना भी उदयसागर है, उसके नीचे का बड़गांव है, उसके नीचे का मातृकुण्डिया है और वहां से मेजा से फीडर बनाकर के आपके मेजा को भी कवर करने का प्रयास किया। यह एक महती योजना है।

जो पानी वेस्ट जा रहा है और ग्रेविटी से जा रहा है, हमारी दुविधा क्या है कि हम कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते जो ग्रेविटी से आता हो। हमें तो पाइप खरीद कर, पम्प लगाकर पानी लाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। इसलिए हमने उस योजना को तो रफा-दफा किया और जयसमंद से पानी उठाकर लाये। वह भी किसी किसान का ही था, उसके खेत में जाता था। आगे भी हम इसी प्रकार की योजना, अभी आपने वाकल का भी एक नया प्रोजेक्ट और बनाया है जहां आप नीचे बिरोठी के पास में वाकल और मानसी दोनों को बंद करके वहां से लिफ्ट बनाकर और फिर आप सारे जिलों में पानी। क्यों पैसा वेस्ट करते हैं? जो पानी ग्रेविटी से आ रहा है और चंद पैसों से आ रहा है, अभी आपने यह देवास में जिस प्रकार का काम किया और पैसा दिया, मैं आपको, सारे सदन को आश्वस्त करता हूं कि उस योजना को जाकर देखो, उन इंजीनियरों को धन्यवाद देओ जिन्होंने 226 मीटर डेप्थ में जाकर के उन्होंने शाफ्ट बनाई और ऐसी चार शाफ्टों के द्वारा उन्होंने आठ मोखों पर काम शुरू करके टनल खोदी और टनल भी ऐसी कि एक सूत का भी अंतर नहीं आता है जबकि चार अलग-अलग डायरेक्शंस से टनल खुदती हुई आ रही हैं। उसके कारण से यह जो पानी, एक बार आपका खर्चा जरूर लगा लेकिन उससे आपका पानी सीधा का सीधा झील में आयेगा। वह केवल उदयपुर के ही काम में नहीं आने वाला है, वह पानी आगे कई गांवों को पीने के लिए होगा।

यह जो प्रोजेक्ट बनाया था न, यह नाबार्ड से, हमारे सहयोग से बना है। 268 करोड़ का नाबार्ड ने लोन दिया है, तीन डिपार्टमेंट ने तो केवल सौ करोड़ रुपये दिये हैं जिसमें आपका जो जलदाय विभाग है उसका चालीस प्रतिशत का शेयर है, तीस प्रतिशत का शेयर यू डी एच का है और तीस प्रतिशत का शेयर आपका पर्यटन का है, इन तीनों ने मिलकर बाकी दिया मैं आपको आज भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गारंटी कर रहा है, पता नहीं, दुर्भाग्य है मेरा कि मैं न तो इन अधिकारियों को समझा पा रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि यह 379 करोड़, 379 करोड़ अगर इसको एट ए टाइम आप खर्च करो न तो आपके अस्सी करोड़ की बचत है इसमें। प्रोजेक्ट उठाकर देख लेना, इसमें 56 करोड़ तो केवल आपका जो चार्ज लगता है न डिपार्टमेंट का बारह प्रतिशत का, वह पैसा इसमें सम्मिलित है, बारह प्रतिशत आपकी जो बाकी कुछ सामग्रियां लेते हैं उसका, वह पैसा खर्च नहीं हुआ है। अभी आपने केवल पचास करोड़ दिये, अगर यह सौ करोड़ रुपया इस साल आप दे दें ना तो केवल आठ सौ मीटर की टनल आपकी बाकी रही है और उसके चार किलोमीटर की लाइनिंग बाकी रही है। आकोदड़ा डैम लगभग पचास प्रतिशत बना है। अगर आप पैसा देंगे ना तो अगली बारिश में उदयपुर में पानी झीलों में आ जायेगा और उदयपुर की झीलें अगर भरी रहेंगी तो आपको टैक्स किसी न किसी रूप में प्राप्त हो जायेगा। यह तो पहला, सेकंड फेज का है लेकिन कम से कम थर्ड और फोर्थ फेज का भी सर्वे आप करायें और सर्वे कराकर इसका काम शुरू करेंगे न, आज शुरू करेंगे, पांच साल बाद यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। उसमें कोई बड़े-बड़े डैम नहीं है, केवल पानी का डाइवर्शन का टनल है और यही टनल जो आपने दो में बनाये हैं, जो ग्यारह किलोमीटर की टनल बनी है, यही पीछे का पानी लेगी और उससे चौथे फेज का पानी भी यही टनल लेगी। यही सारे के सारे डैम आपके काम में आने वाले हैं।

मैं सोचता हूं कि इस बारे में आपका कहना, इसके लिए तो धन्यवाद कि हम एक-एक बूंद का उपयोग करना चाहेंगे पर यह जिस ढंग से उपयोग करते हैं न, अठारह करोड़ की योजना अठारह सौ करोड़ की योजना हो गई, ऐसे ही जितना डिले करते जायेंगे न उतना ही, केवल इतना ही आपको कन्फर्म करना है कि पानी की कैपेसिटी कितनी है, पानी कितना डाइवर्ट होगा और डाइवर्ट होगा तो न तो आपका बिजली खर्चा लगेगा। अभी आपने उदयपुर को ही पानी देने के लिए, उसी के ऊपर चैनल के ऊपर आपने एक डैम बनाकर मानसी और मानसी वाकल से आप पानी लेकर के लिफ्ट, है न, उसका खर्चा कितना है, उसका खर्चा है साल का 16 करोड़ रुपये केवल बिजली का। 16 करोड़ रुपये बिजली का खर्च करो, पम्प खर्च करो, स्टाफ रखो, वह तो आपको स्वीकार है लेकिन आपको सौ करोड़ के अन्दर पानी बहकर के हमेशा झील में आ जायेगा और आपके पीने के पानी की समस्या हल हो जायेगी। (व्यवधान) लिफ्ट चलती नहीं और इतनी कास्टली है, आये दिन खर्चा होता है, आये दिन आपकी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मशीनें खराब होती हैं, कितना स्टाफ लगता है। ग्रेविटी से पानी आपको आ रहा है लेकिन पता नहीं, आपकी इच्छा नहीं। और वह भी नाबार्ड से लोन स्वीकृत है। अभी आपने बजट में पचास करोड़ स्वीकृत किये, इसकी जगह सौ करोड़ एक ही बार में क्यों नहीं दे देते जिसके कारण से अगली जुलाई में पानी आयेगा ? नहीं तो 13-14, पता नहीं कब जाकर के पानी आयेगा। जो पैसा आपने लगाया, उसका उपयोग नहीं होगा। तीसरा और चौथा चरण जो इसका है, उसका कम से कम सर्वे का पैसा तो दे दो। सर्वे के आधार पर कम से कम आपको फीजिबल लगेगा तो बनाइये, नहीं लगे तो ड्राप कर दीजिये, कोई बात नहीं लेकिन कम से कम सरकार का पैसा भी बचाइये।

केवल उदयपुर की सुंदरता ही नहीं है, इसके कारण से नीचे का नीचा, पूरे का पूरा एरिया, मावली से लेकर बल्लभ नगर से लेकर आपका मातृकुण्डिया, चित्तौड़गढ़ का हिस्सा लेकर, यह जो मेजा तक का, पानी की पूर्ति करता है। आज हाहाकार कर रहा है भीलवाड़ा और आप ला कहां से रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट का दिमाग है कि कहां से लिफ्ट का पैसा मिलता है। आपने लिफ्ट किया हमारे पानी को ही वापस, हम ही आपका लिफ्ट का पानी वापस अजमेर ले जा रहे हैं, अजमेर के बाद पाइपों से पानी ले जा रहे हैं ताकि हमारा पाइप का कमीशन बनता रहे, हमारा काम चलता रहे। कोई परमानेंट व्यवस्था करने का दिल और दिमाग ही नहीं है, यह सोचते नहीं हैं कि इस जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा किस प्रकार से, हम बरबादी के रास्ते पर तो चलते हैं, हमें क्या जरूरत थी कि हम पानी जयसमंद से उठाकर के लाते? यही सात करोड़ रुपये अगर वहां खर्च किये जाते, यह ग्रेविटी से आपका पानी आ जाता और उदयपुर की प्यास बुझ जाती। पर आपका तो दिमाग, मैं सोचता हूं, मंत्रीजी, इसको बहुत गहराई से सोचें, इस योजना को तुरन्त, देवास को सौ करोड़ देकर इसी साल पूरा करने का प्रयास करें। बाकी आपके 70 करोड़ रुपये बच जायेंगे, यह ऊपर का पैसा नहीं लग रहा है, इतना मेरा विश्वास है और आगे की योजना के लिए आप सर्वे के लिए अपना काम शुरू करें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मंत्रीजी, जीरो बजटिंग पर आओ, यह रोज का खर्चा इस सिस्टम में नहीं चल सकता। मजबूरी में हमें लिफ्ट बनानी पड़ती है अदरवाइज आप वेलोसिटी से, ग्रेविटी से लाइये।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आप सुन तो लें। बहुत विषय के ऊपर माननीय सदस्य ने देवास योजना के लिए कहा और ग्रेविटी से पानी

(श्री महीपाल मदेरणा)

लाने की बात भी कही। देवास योजना का जो काम है वह 1965-66 में शुरू हुआ और यह जो देवास द्वितीय जिसकी परियोजना में विलम्ब हुआ, यह इसकी स्वीकृति 19.1.2005 को जारी की गई और यह कार्ययोजना बनाकर इसको 2009 तक पूर्ण करनी थी। इसके अन्दर जो कार्यादेश दिये, वह 269.5 करोड़ के दिये और उसके अगेंस्ट के अन्दर 58.3 करोड़ तीन साल में आपने पैसा दिया। इसी कारण आप देखेंगे कि जो बजट घोषणाएं थीं 2005-06, 2006-07 के बजट भाषणों में यह कहा गया कि इस योजना को एक साल में पूर्ण करने की, करेंगे।

(समय : 14.00 बजे)

फिर भी पिछली सरकार के समय बजट आबंटन नहीं हुआ और आप देखिए कि दूसरे साल भी 23.8 करोड़ का ही आबंटन किया गया और प्रोजेक्ट के लिए जितनी राशि उपलब्ध होनी थी, उतनी नहीं कराई गई। हमारी सरकार आई, आप देखें कि 2008-09 के अन्दर जहां इस प्रोजेक्ट को पूरा करना था, 2008-09 के अन्दर 27.14 करोड़ रुपए दिये।

उसके साथ-साथ हमको 12 हजार करोड़ की देनदारियां भी आप साथ में देकर गये। उन देनदारियों के साथ हमने आपकी यह जो देवास योजना है, इसको प्राथमिकता दी। क्योंकि हमें इसके रिसोर्सेज, फंड को पूरा देखना है। आपने 63 स्कीमें स्वीकृत कर दीं। अब फाइनेंशिल रिसोर्सेज तो, आप तो खुद पी ए सी में हैं, अच्छी तरह पता है और उस किटी को किस तरीके से और किस हिसाब से प्राथमिकता के ऊपर दिया जा सकता है, हमने किसी भी योजना में भेदभाव नहीं किया। हमने यह रखा जिस योजना में 85 प्रतिशत तक काम हो गया है उनको जल्दी पूर्ण किया जाए। आपको बता दें कि वर्तमान में हमारी सरकार आई तो इस परियोजना के लिए वर्ष 2009-10 में 77 करोड़ रुपए दिए, 2010-11 के अन्दर 100 करोड़ रुपए दिया और आगामी वर्ष के अन्दर 50 करोड़ का प्रावधान किया। इसके अलावा भी कार्य की प्रकृति और अनुरूपता को देखते हुए बजट आबंटन की हम समीक्षा करने का विचार रखते हैं।

दूसरा, आपने बताया कि देवास का पानी थर्ड और फोर्थ स्टेज का, आप यह देखेंगे कि जहां पर पानी मेजर्ड नहीं होता है, पानी की एक-एक बूंद को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के सम्पूर्ण राज्य के लिए हम मास्टर प्लान बना रहे हैं और उस मास्टर प्लान में साबरमती बेसिन भी है। इन्टरनेशनल कमीशन आन इर्रिगेशन एंड ड्रेनेज की रिपोर्ट 2005 के अनुसार साबरमती बेसिन में अतिरिक्त जल की उपलब्धता नहीं है। यह रिपोर्ट हमको डेफिशिएंट वाटर की

(श्री महीपाल मदेरणा)

बताई। राज्य सरकार ने विभिन्न नदियों और बेसिनों में पानी की उपलब्धता का आकलन करने के लिए इन्टरनेशनली मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी को कंसल्टेंट के रूप में एंगेज किया है और वह मेसर्स टेल कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड, इजरायल है और उसको यह कार्य जनवरी में सौंप दिया जिसमें साबरमती बेसिन भी शामिल है। इसकी रिपोर्ट जब हमें प्राप्त हो जाएगी, रिपोर्ट से साबरमती बेसिन की जल उपलब्धता का आकलन भी सम्मिलित है।

आप देखेंगे, एक काम हमने और किया, जब हमको पता लगा कि हमारे जो बांध हैं, आप यह देखेंगे कि जो पानी 75 से 100 प्रतिशत जिन बांधों में आया, वह 20 परसेंट में आया; 50 से 75 प्रतिशत, 10 परसेंट में आया; 25 से 50 प्रतिशत पानी 12 प्रतिशत में आया और जीरो से 25, 58 बांधों में पानी आया। उसके बाद हमने सोचा, क्योंकि यह थर्ड और फोर्थ फेज का हमको यह पता रहना चाहिए, इनकी हम वर्षा का आकलन करें और हमारे पास यह डैटा हो, जिससे हम पानी की उपलब्धता के हिसाब से आगे की योजना बना सके। इसलिए हमने मेसर्स टेल कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड, इजरायल को दिया है। सरकार यह भी विचार रखती है, जैसा आप चाहते हैं, मैं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलाजी, रूडकी से देवास स्टेज थर्ड और फोर्थ की पानी की उपलब्धता की जांच कराने के लिए तैयार हूं।

इन्हीं के साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप तो पी ए सी के मेम्बर हैं और आपको जैसा मैंने बताया कि हम पानी की एक-एक बूंद का आज आकलन करने जा रहे हैं जिससे हमें पता रहे और हम यह कोशिश करें कि हमारा पानी, राजस्थान का पानी बाहर नहीं जाए। आज जितनी भी जो हमें योजनाएं बनानी हैं, हम सतही पानी के ऊपर ज्यादा बनाना चाहते हैं और हमारा पानी बूंद-बूंद पानी है, उसका कैसे उपयोग कर सकें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस बीसलपुर बांध की यह चर्चा कर रहे हैं, आज बीसलपुर बांध के ऊपर 27 हजार वाटर बाडीज बन गई हैं। उस बांध की जो है कि पानी आएगा कि नहीं आएगा, इसका आकलन हमको करना है। यह अच्छा हुआ कि इस बार वर्षा के कारण बीसलपुर में पानी आया और उस बीसलपुर में पानी आने के कारण जयपुर, अजमेर, टोंक, दूदू, इन सबको पानी की उपलब्धता है। इसके अलावा आप तो खुद पी ए सी के अन्दर बैठते हैं, पी ए सी के अन्दर आपको पता है, आप खुद अनुभवी हैं, आप उसके सभापति हैं, वहां पर सिंचाई विभाग से संबंधित प्रकरण आते हैं। हम बहुत कन्सर्न हुए उन सब चीजों को देखकर के, हम भी सीखें आगे, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं।

(श्री महीपाल मदेरणा)

आपने कहा कि उस हाइड्रोलाजी के हिसाब से पानी क्यों नहीं आया; यह बांध की हाइड्रोलाजी किसने बनाई और जिन्होंने इस हाइड्रोलाजी के अनुरूप नहीं किया है, उनके खिलाफ आप जांच भी करें। फिर भी हमने एक हमारी जल नीति में यह किया था और हमने वादा किया था राजस्थान की जनता को कि हम पूरे राजस्थान का वाटर आकलन करेंगे और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमने इन्टरनेशली रेप्यूटेड की कंपनी को दे दिया है। उसको 2011 में आदेश दे दिये हैं और वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र देगी। उसके अनुसार ही अगले सभी निर्माणों पर हमें एक डैटा मिलेगा जिससे हम अपने आपको अच्छी तरीके से कर सकेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं कि आपने तीन और चार के लिए सर्वे का अपना मन बनाया और उसकी जो रिपोर्ट आएगी, अगर वह उपयोगी होगी तो निश्चित बने, मैं उस पक्ष का व्यक्ति हूं। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि यह जो देवास में आपने पैसा दिया इसको फिर एक साल आगे खींच दोगे। अगर आप इसमें केवल 25-30 करोड़ रुपए भी और एक्स्ट्रा मिलाएंगे, तो केवल 800 मीटर की टनल बाकी है, लाइनिंग बाकी है और डैम आपका बन रहा है, 50 परसेंट बन गया। कम से कम मादड़ी डैम पर अभी आपका विवाद पड़ा हुआ है, इसके कारण से हो सकता है, इसमें डिले हो लेकिन यह 11 किलोमीटर की जब टनल बनकर के, तैयार होकर के दौ सौ, सवा दौ सौ करोड़ रुपया हमारा लग गया तो चालीस-पचास करोड़ के लिए अगर पानी एक साल डिले हो गया तो यह कोई समझदारी का काम नहीं होगा। मैं सोचता हूं, इतना पैसा लगाकर के जो हमारा सोर्स तैयार हो गया, कम से कम वह पानी अगली बारिश के समय झीलों में आ जाए।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): मैंने पहले भी कहा आपको कि कार्य की प्रकृति के अनुरूप हम बजट आबंटन की समीक्षा का विचार रखते हैं। जहां तक आप कह रहे थे कि यह पानी हो जाना चाहिए, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि वर्षा ऋतु 2011 का पानी देवास की सुरंग के माध्यम से उदयपुर की झील में लाने का सरकार का प्रयास पूरा रहेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): धन्यवाद आपका। बस यही तो प्रस्ताव था।

श्री सभापति: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री आदराम मेघवाल।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जाति कल्याण समिति (वर्ष 2010-2011) का प्रतिवेदन (संख्या-3)

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार अनुसूचित जाति कल्याण समिति-2010-2011, राज्य सरकार के नियंत्रित/निदेशित/निदेशित निगमों/उपक्रमों/मण्डलों/ संस्थाओं की सेवाओं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1996-1997 के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2010-2011 के परिपालनात्मक तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

पुस्तकालयाध्यक्ष, द्वितीय श्रृंखला को चयनित वेतनमान दिया जाना

1. पुस्तकालयाध्यक्ष, द्वितीय श्रृंखला को चयनित वेतनमान दिये जाने के संबंध में,

उदयपुर की वाटिकाओं के निकटवर्ती लोगों की परेशानियां

2. उदयपुर की वाटिकाओं के आस-पास रहने वाले लोगों की परेशानियों के संबंध में,

उदयपुर की झीलों से जलकुम्भी निकलवाया जाना

3. उदयपुर की झीलों से जलकुम्भी निकलवाने के संबंध में, एवं

शिक्षा प्रसार अधिकारियों की पदोन्नति नियमानुसार निर्धारित सीमा तक नहीं किया जाना

4. शिक्षा प्रसार अधिकारियों की पदोन्नति राजस्थान सेवा नियम, 1970

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के शिड्यूल के ग्रुप-ई के अनुसार 50 प्रतिशत सीमा तक नहीं दिये जाने के संबंध में 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री सभापति: श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

बालेसर व शेरगढ़ के क्लस्टर/हैबिटेशन को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा जाना

(1) पंचायत समिति बालेसर व शेरगढ़ से प्राप्त व जिले की अन्य पंचायत समितियों से प्राप्त प्रस्तावों को जिला परिषद, जोधपुर में अनुमोदन अनुसार 500 जनसंख्या की समूह (कलस्टर) ढाणियां (हैबीटेशन) के प्रस्तावों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ने के संबंध में 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

शेरगढ़ में सहायक कृषि अधिकारी, चामू एवं कृषि पर्यवेक्षक का पदस्थापन

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कृषि विस्तार के अधीन सहायक कृषि अधिकारी, चामू एवं कृषि पर्यवेक्षक के नवीन अथवा पुनर्गठन कर पदस्थापन के संबंध में 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

धार्मिक/पर्यटन स्थलों को सड़क से जोड़ा जाना

(3) धार्मिक/पर्यटन स्थलों को सड़क से जोड़ने बाबत् 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री सभापति: श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

भीम के राजकीय महाविद्यालयों में वाणिज्य व विज्ञान संकाय खोलना एवं अतिक्रमण रोका जाना तथा गरीब छात्राओं हेतु आवासीय छात्रावास की उपलब्धि

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम के राजकीय महाविद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोलने एवं राजकीय महाविद्यालय में अतिक्रमण रोकने व गरीब छात्राओं हेतु आवासीय छात्रावास के संबंध में 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

(श्री हरिसिंह रावत)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम व देवगढ़ में रिक्त पड़े पद एवं देवगढ़ पंचायत समिति में राजकीय महाविद्यालय

(2) विधान सभा क्षेत्र भीम के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम एवं देवगढ़ में कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पड़े पद एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं पंचायत समिति देवगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोला जाय। धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. विश्वनाथ मेघवाल।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

छतरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन

(1) खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र की तहसील छतरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

छतरगढ़ में सहायक अभियंता (विद्युत) कार्यालय

(2) खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र की तहसील छतरगढ़ में सहायक अभियंता (विद्युत) कार्यालय खोलने के संबंध में 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, ...(व्यवधान) मजाक मत किया करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। आप उस सीट पर बैठे हो, इधर होते तो पता नहीं क्या बन जाते। इसलिए कृपा करके अच्छी बातें मत कहा करो, एक-दो गन्दी भी बोल दिया करो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

बम्बोरी (बूंदी) माध्यमिक विद्यालय के लिए समुचित खेल मैदान

(1) बम्बोरी (बून्दी) माध्यमिक विद्यालय के लिए पर्याप्त रकबे के खेल मैदानों की व्यवस्था किये जाने के संबंध में 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

(श्री रामनारायण मीणा)

ख्यावदा माध्यमिक विद्यालय (बूंदी) में राजीव गांधी सेवा केन्द्र का अभाव

(2) माध्यमिक विद्यालय ख्यावदा (बून्दी) के खाते एवं स्वामित्व की भूमि में राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण नहीं करवाये जाने के संबंध में 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

बूंदी, पंचायत समिति के लिए सी.ए.डी. रेस्ट हाउस माटून्दा/खटियाड़ी में खोला जाना

(3) पंचायत समिति बून्दी के लिए सी.ए.डी. रेस्ट हाउस माटून्दा/खटियाड़ी में खोले जाने के संबंध में 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री सभापति: श्री कर्नल सोनाराम।

(अनुपस्थित)

श्रीमती अंजू खन्गवाल।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं:-

रोजवाड़ी ग्राम (बस्सी) में निर्मित सी.सी. रोड की मरम्मत एवं अपूर्ण नाली का निर्माण

(1) जयपुर जिले की बस्सी तहसील के ग्राम रोजवाड़ी में 12 वर्ष पूर्व निर्मित सी.सी. रोड की मरम्मत करने एवं अपूर्ण नाली निर्माण को पूर्ण करने बाबत् 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

राजपुरा पातलवास ग्राम पंचायत (बस्सी) के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड का परीक्षा केन्द्र निर्धारण एवं क्रमोन्नयन

(2) जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी की ग्राम पंचायत राजपुरा पातलवास की स्कूल राजकीय माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड की परीक्षा का केन्द्र कायम करने एवं क्रमोन्नत करने बाबत् 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

राजपुरा-पातलवास ग्राम पंचायत (बस्सी) में बांसखो-लवाण सड़क से राजपुरा गांव की फतवारी तक आबादी क्षेत्र में सड़क निर्माण

(3) जयपुर जिले की बस्सी तहसील की ग्राम पंचायत राजपुरा-पातलवास में बांसखो-लवाण सड़क से राजपुरा गांव की फतवारी तक की आबादी क्षेत्र में सड़क की जीर्ण-शीर्ण स्थिति होने के कारण सड़क निर्माण करने बाबत् 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री सभापति: श्री अमराराम।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पलसाना का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पलसाना को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने बाबत् 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

सूरसागर में गुरों के तालाब की ओर जाने वाले तिराहे की समस्याओं का निवारण

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के गुरों का तालाब की ओर जाने वाले तिराहे की समस्याओं का निवारण करने बाबत् 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करती हूं।

श्री सभापति: अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2010-2011 का उपस्थापन। श्री शांती कुमार धारीवाल।

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2010-11 का उपस्थापन

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2010-2011 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। रेफरल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011 । डा जितेन्द्र सिंह।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

रेफरल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से रेफरल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि रेफरल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से रेफरल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत रेफरल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011 (2010 का अध्यादेश संख्यांक-03) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011 । श्री हेमाराम चौधरी।

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011 । श्री हेमाराम चौधरी।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी

(श्री हेमाराम चौधरी)
अनुमति से राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 । मास्टर भंवरलाल।

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)
अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक-01) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011 । डा. जितेन्द्र सिंह।

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक-02) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 । श्री गुरमीत सिंह कुन्नर ।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक-05) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक-05) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 । श्री गुरमीत सिंह कुन्नर।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक-06) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक-06) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्री कर्नल सोनाराम चौधरी।

याचिकाओं का उपस्थापन

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

बायतू मुख्यालय पर महाविद्यालय खोला जाना

(1) बायतू मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने के संबंध में,

सियागों की ढाणी, माण्डपुरा बरवाला को सड़क से जोड़ा जाना

(2) सियागों की ढाणी, माण्डपुरा बरवाला को सड़क से जोडने के संबध में,

चिड़िया मुख्यालय स्थित पेयजल होदी की मरम्मत

(3) चिड़िया मुख्यालय स्थित पेयजल होदी की मरम्मत करने के संबंध में, एवं

खरंटिया, बोडवा एवं सणपा को बाड़मेर लिफ्ट द्वितीय चरण में शामिल किया जाना

(4) खरंटिया, बोडवा एवं सणपा को बाड़मेर लिफ्ट द्वितीय चरण में शामिल करने बाबत।

श्री सभापति: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-12, सामान्य वाद विवाद। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन के सामने अपना तीसरा बजट पेश किया है। सन् 2008 में चुनाव हुए और 2009-10 तक आते-आते राजस्थान की वही दशा हो गई जो मुख्य मंत्रीजी के पुराने काल में हुआ करती थी। 2009-10 में डेट जी एस डी पी रेश्यो 35 परसेंट। बारहवां वित्त आयोग बहुत पहले कह चुका कि जब आपका डेट जी एस डी पी रेश्यो 30 परसेंट या 30 परसेंट से ऊपर की ओर जाता है तो वह प्रदेश फिस्कल स्ट्रेस में है, राजकोषीय दबाव में है। मुख्य मंत्रीजी के आते ही राजस्थान राजकोषीय दबाव में आ गया। फिस्कल डेफिसिट का जी एस डी पी का रेश्यो जिसे इस बार वे 2.4 परसेंट कर रहे हैं, वह 4 परसेंट आ गया। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की बजाय स्थिर हो गई। 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राजकोषीय घाटा हो गया और जितना राजकोषीय घाटा था, उसका लगभग आधा राजस्व घाटा था और राजस्व घाटा भी ऐसा जिसमें गैर-योजनागत राजस्व घाटा था । राज्य के खुद के जो कर थे, उनमें से 152 परसेंट, यदि राज्य के स्वयं के करों से डेढ़े से भी ज्यादा सरकार का वेजेज में, पेंशन में, इंटरेस्ट में जाने लगा, सरकार के पास अपना कुछ नहीं बचा। दिल्ली से जो पैसा आ रहा था, उस पैसे को भी जोड़ दो, टोटल टैक्स रेवेन्यू राजस्थान की मान लें तो राजस्थान की टोटल टैक्स रेवेन्यू की भी 91 परसेंट कमिटेड लायबिलिटीज। केवल 8 परसेंट उसका डिस्पोजल बचा हुआ था। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी, जो वित्त मंत्रीजी भी हैं, उनके हाथ से राजकोषीय नियंत्रण समाप्त होने लगा।

मुख्य मंत्रीजी किस्मत वाले हैं, गये चुनाव में भी आपने देखा, कौन जीत रहा था, वह नहीं जीता, इसलिए मुख्य मंत्रीजी फिर से बन गये। इस बार भी किस्मत ने साथ दिया और 13वां वित्त आयोग आ गया। कमीशन ने कहा, चिंता करने की बात नहीं है, जितना पैसा हम आपको अभी दे रहे हैं, केन्द्र से जो हिस्सा आपको करों का मिल रहा है, उसको हम ढाई गुणा बढ़ाने को तैयार हैं; जितना दिल्ली से आपको ग्रांट इन-एड-मिल रहा है उसको 2.8 परसेंट बढ़ाने को तैयार हैं; हम आपकी नगरपालिकाओं का पैसा भी देने को तैयार हैं; हम सेंट्रल असिस्टेंस बढ़ाने को तैयार; केवल एक चीज करनी होगी और वह यह करनी होगी कि थोड़ी सी सूरत बदलनी होगी, थोड़ी कोस्मेटिक सर्जरी कीजिए, अपने रेवेन्यू अकाउंट के डेफिसिट को जीरो ले आइए या सरप्लस में ले आइए और जो डेट जी एस डी पी रेश्यो है उसको जरा 3 परसेंट के आसपास ले आइए। पहला काम तो मुख्य मंत्रीजी का कर दिया मनमोहन सिंहजी ने।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

गये दो साल में हिन्दुस्तान में जिस प्रकार की महंगाई का आलम रहा है, हिन्दुस्तान की आजादी के बाद इस प्रकार की मुद्रास्फीति किसी ने नहीं देखी। पूरी दुनिया में मुद्रास्फीति का आकलन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर किया जाता है। अमेरिका में किया जाता है, जापान में किया जाता है, जिस चीन से टकराना चाहते हैं उस चीन में किया जाता है दुनिया की तमाम 15 बडी इकोनोमीज में अगर इन्फ्लेशन को मैजर किया जाता है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर किया जाता है लेकिन हिन्दुस्तान में यह होलसेल प्राइस इंडेक्स पर किया जाता है। गये दो साल में लोगों ने कंज्युमर प्राइस इंडेक्स में 24 परसेंट तक का इन्फ्लेशन भुगता है। 24 परसेंट तक का फूड इन्फ्लेशन और 20 परसेंट का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर टोटल इन्फ्लेशन। 20 परसेंट का इन्फ्लेशन अगर हो और आपकी 18 परसेंट की ग्रोथ आ जाये तो कौनसी बड़ी बात है ? आपका जी एस डी पी अपने आप बढ़ गया। महंगाई और बढ़ रही है, जी एस डी पी अपने आप बढ़ जायेगा। जी एस डी पी बढ़ने की जो ट्रेंड ग्रोथ है, उस ट्रेंड ग्रोथ में अगर आप इन्फ्लेशन की ग्रोथ रेट 20 परसेंट को जोड दें गये दो साल की, जो एब्सोल्यूट टर्म में 12 परसेंट है तो जी एस डी पी अपने आप बढ़ जाता है। यह बढा हुआ जी एस डी पी केवल इन्फ्लेशन ड्रिवन जी एस डी पी है, जो राजस्थान की जनता के ऊपर महंगाई की मार से पैदा हुआ जी एस डी पी है, जिसमें राजस्थान के गरीब की चीख जुड़ी हुई है, उस चीख का जी एस डी पी है। राजस्थान के गरीब के खून से बढ़ा हुआ जी एस डी पी बढ गया तो फिस्कल डेफिसिट अपने आप में उसके कंपोनेंट के रूप में कम हो गया। इसमें आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया।

आपने एक चमत्कार किया कि जब आपको पता लगा कि दूसरा काम और मुश्किल है, रेवेन्यू सरप्लस में कैसे आयेगा, रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो कैसे किया जाये। मुख्य मंत्रीजी जादूगर हैं, एक जादू उन्होंने यहां बजट में भी करने की कोशिश की। राजस्थान की आजादी के बाद बहुत कम वर्ष ऐसे आये होंगे जहां आपके राजस्व व्यय के बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा राजस्व आय के बढ़ने की रफ्तार रही होगी और कांग्रेस के शासन में तो शायद ही कोई साल रहा होगा जहां पर राजस्व आय तेज गति से बढ़ी हो और राजस्व व्यय धीमी गति से बढा हो। इस साल में भी आपने देखा कि रेवेन्यू रिसीट बढ़ी 13 परसेंट की दर से और राजस्व खर्चा बढ़ा 16.8 परसेंट की दर से। अचानक मुख्य मंत्रीजी को लगा कि इसको उल्टा कर दें तो क्या हुआ, अगर राजस्व खर्चे के बढ़ने की रफ्तार को कम कर दें और राजस्व आय की रफ्तार को ज्यादा शो कर दें तो क्या होगा, अपने आप रेवेन्यू सरप्लस आ जाएगा। उन्होंने उलटा कर दिया।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

उन्होंने डिजिट उलटा कर दिया और बजट पेश कर दिया। बजट में फिडलिंग, जब उन्होंने बताया कि इस साल जो आने वाला साल होगा, उस आने वाले साल में हमारे राजस्व की आय बढ़ेगी 11.4 प्रतिशत की दर से और हमारा राजस्व व्यय बढ़ेगा केवल 10.8 प्रतिशत की दर से। अगर आपका राजस्व व्यय इतना धीमा बढ़ेगा और राजस्व आय इतनी तेज बढ़ जाएगी, अगर यह सच है तो निश्चित रूप से सरप्लस आ जाएगा। आपने दूसरा आंकड़ा इन्पुट कर दिया और आपने 13वें वित्त आयोग की जो प्रायोरिटीज थीं, जो कंडिशंस चाहिए थीं, उनको कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर राजस्थान का राजस्व व्यय 10.8 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ेगा, अगर यह सच है तो मुख्य मंत्रीजी आएं और सदन में इस बात को कमिट करें कि 10.8 प्रतिशत से ज्यादा वे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाएंगे तो घोषणाएं किस बात की कर रहे हैं? यह 52 हजार लोगों को नौकरी कौन देगा? काकाजी देंगे? 52 हजार लोगों को आपको नौकरी देनी है और इतना मोटा, आपने तीन घण्टे तक जो घोषणाओं का पुलिन्दा जनता के सामने रखा है, जो भ्रम पैदा करने की आपने कोशिश की है, जो ढिंढोरा आपने पीटा है, वह ढिंढोरा अगर आपने पीटा है तो 10 प्रतिशत, सभापति महोदय, आज मेरा नाम लिख लें, आज की तारीख लिख लें, आज का समय लिख लें, मैं कह सकता हूं कि वित्त मंत्रीजी, जो आपके सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने यह बजट पेश किया है, 10.8 प्रतिशत पर राजस्थान के राजस्व खर्चे को नहीं रोक पाएंगे।?

हालत यह होगी, थोड़ा-बहुत आपको जो आसान मिला है लेकिन इसके बाद यह कहकर के कि 13वें वित्त आयोग की कंडिशंस को आपने पूरा कर दिया, ये कंडिशंस आपने क्यों पूरी कर दीं, इसलिये पूरी कर दीं, आपने बजट में कहा, आपने खुद की पीठ जोर-जोर से थपथपाई कि 2010-11 के मुकाबले में, संशोधन अनुमान के मुकाबले में 2010-11 के अन्दर हमारा राजस्व कर 18 प्रतिशत बढ़ा है। सही बात है, अपनी बड़ाई करनी चाहिए, आपने बढ़ाया लेकिन आपको यह सच बात भी जनता के सामने बतानी चाहिए थी कि आपका राजस्व कर तो बढ़ा 18 प्रतिशत के हिसाब से और दिल्ली से जो पैसा आपको ग्रांट-इन-एड मिला, जो दिल्ली से आपको पैसा आपको कुछ शेयर में मिलता है, वह बढ़ा 38.85 प्रतिशत के हिसाब से; आपको यह बताना चाहिए था कि ग्रांट-इन-एड का जो पैसा दिल्ली से आयेगा, वह बढ़ा 53.64 की रफ्तार से, उन्हें कहना चाहिए था कि दिल्ली के अन्दर जिस प्रकार के टैक्सों का, उसमें बाएंसी पैदा हो रही है, उसके मुकाबले हम कमजोर हैं। हम जब 18 प्रतिशत का टैक्स बढ़ा पाते हैं, तब

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

ग्रोथ कर पाते हैं। तो हमें जो एड मिलती है, जो 13वें वित्त आयोग की हम पर कृपा होती है, उसकी कृपा की दर है 38.95 प्रतिशत और ग्रांट, जिसका नाम ही ग्रांट है, जो ग्रेस से पैदा होती है, उसकी वृद्धि होगी 53.64 प्रतिशत। माननीय सभापति महोदय, 2010-11 में आपने देखा 6,362 करोड़ रुपये अतिरिक्त इस बजट के अन्दर दिल्ली से ट्रांसफर होकर राजस्थान में आये हैं। 6,362 करोड़ रुपये की ग्रांट-इन-एड और केन्द्रीय करों में हिस्सा बढ़ने के बावजूद 888 करोड़ का जो राजस्व घाटा छोड़ा है मुख्य मंत्रीजी ने, और 7,553 करोड़ का राजकोषीय घाटा कैसे आयेगा, जवाब देना चाहिए। उन्हें जवाब देना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि दिल्ली से 6,362 करोड़ रुपये अतिरिक्त आय के बावजूद वे एक हजार करोड़ रुपये का जो राजस्व घाटा था, उसको एलिमिनेट कैसे नहीं कर पाये। वे राजस्व घाटे को एलिमिनेट नहीं कर पाये, वे राजकोषीय घाटे को भी कम नहीं कर पाये। जब इतने बड़े ट्रांसफर के बावजूद भी आप टैक्स कम नहीं कर सकते, राजस्व घाटे को आप समाप्त नहीं कर सकते तो आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? किस दिन का इंतजार? और किस दिन का इंतजार करके आप राजस्व घाटे को समाप्त कर देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 13वें वित्त आयोग से गये दो सालों में 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा आपको अतिरिक्त पैसा मिला है। 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा अतिरिक्त पैसा आया जो बट्टे खाते गया, बट्टे खाते गया और राजकोषीय घाटा आपकी छाती पर मूंग दल रहा है। राजकोषीय घाटा आपका आज भी आपके सामने है। 5 साल के अन्दर इस बार वित्त आयोग की जो कृपा आप पर है, जिस कृपा पर आपकी सरकार चल रही है, जिस कृपा पर यहां आप कह रहे हैं कि 18 प्रतिशत ग्रोथ है और जिस कृपा पर आप कह रहे हैं, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, अब आपको प्रभु के गुण गाने के अलावा काम भी नहीं है क्योंकि आप आर्थिक प्रबन्धन नहीं कर सकते। 13वें वित्त आयोग को धन्यवाद दीजिए। आपने सोनिया गांधी को धन्यवाद दिया है, आपने राजीव गांधी को धन्यवाद दिया है, आपने मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद दिया, आपने 13वें वित्त आयोग को धन्यवाद नहीं दिया जो आने वाले कोई 5 सालों में, 2010 से लेकर 2015 तक आपको एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा देगा जो आपके कर्जे के मुकाबले बराबर है। आपके कर्ज के बराबर पैसा आने के बावजूद भी आपकी हालत पतली है। आपके पास जितना कुल कर्जा है एक लाख करोड़ रुपये का, एक

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

लाख सात हजार करोड़ का, उससे ज्यादा 13वें वित्त आयोग से आपको 5 साल में वह पैसा मिल जाएगा। उसके बावजूद राजकोषीय घाटा कायम है। यह किस बात का सबूत है? यह इस बात का सबूत है कि मुख्य मंत्रीजी केवल जादूगरी करते हैं, केवल थोथी घोषणाएं करते हैं, विकास के नाम पर लोगों में भ्रम पैदा कर सकते हैं।

इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक लाख करोड़ रुपये का ट्रांसफर दिल्ली से 5 साल में हो जाएगा। 2 साल में 10 हजार करोड़ रुपये मिल गया, एक साल में एक बार मिला 6 हजार करोड़ रुपये से ऊपर, दूसरे साल मिला 4 हजार करोड़ रुपये से ऊपर, उसके बावजूद आप एफ.आर.बी.एम. एक्ट का उल्लंघन कर बैठे। इसको बाइबल मानते हैं। यह बाइबल है अगर राजस्थान की जनता की सेवा करनी है, अगर राजस्थान की जनता के प्रति आपका समर्पण का भाव है, अगर राजस्थान का विकास करने की आपकी नीयत है तो एफ.आर.बी.एम. एक्ट आपके लिये बाइबल है। आपने उसका उल्लंघन किया। एफ.आर.बी.एम. एक्ट कहता है कि आपकी औकात नहीं है, आप डेट सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई रेवेन्यू रिसीट से, आपकी रेवेन्यू रिसीट से डबल पैसा अगर आपके कर्जे का है, आपका कर्जा रेवेन्यू रिसीट से डबल हो गया और कुछ ज्यादा हो गया है तो अनसस्टेनेबल डेट है। आपने उस एक्ट का उल्लंघन किया और उल्लंघन करने के बाद में आज राजस्थान पर जो कर्जा है, वह आपकी रेवेन्यू रिसीट से दुगने से ज्यादा है और अगर 40 हजार करोड़ रुपये की वाइकेरियस लायबिलिटी को जोड़ दें, 40 हजार करोड़ रुपये की आपकी गारंटी को जोड़ दें तो आपकी हालत तो भगवान ही है, 'राम रखवालो राज्या, सब राम के रखवा' पर चलेगा। सच्ची बात है कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। पूरे राजस्थान के विकास के नाम पर चुपचाप बैठ जाएं, सिर्फ दाल रोटी खाओ और गहलोत साहब के नहीं, गाओ, वह भी प्रभु के गुण गाओ। अगर गहलोत साहब के गुण गाएंगे तो दाल-रोटी जो छिन गई थी पहले वाले जमाने में, उस जमाने के अन्दर, उस प्रकार से अब के छिन जाएगी।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब गहलोत साहब यहां पधारे थे मुख्य मंत्रीजी की हैसियत से, हम 17 करोड़ रुपये रोज ब्याज के पेटे चुका रहे थे। गहलोत साहब के पधारने के तुरन्त ही, दूसरे साल साढ़े 18 करोड़ रुपये रोजाना ब्याज के चुका रहे थे, इस साल 20.3 करोड़ रुपये रोज के चुका रहे हैं। इतने पैसा मिलने के बावजूद अगली बार हमें चुकाना

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

पड़ेगा, आने वाले वर्ष में 22 करोड़ रुपये रोज का। 22 करोड़ रुपये रोज का ब्याज में जा रहा है। मैं कर्जा लेने का विरोधी गई बार भी था और गई बार भी इसी विधान सभा में मैंने यह कहा था कि इस बार आपका कर्जा एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर होगा। मैंने कहा, मैं कर्ज लेने के खिलाफ नहीं हूं। अगर कोई कर्जा लेकर गांव के गरीब की सेवा करना चाहता है, अगर कोई कर्जा लेकर सामाजिक सेवाओं का उन्नयन करना चाहता है, अगर कोई कर्जा लेकर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एग्रेसिव कैपिटल इम्प्रूवमेंट करना चाहता है तो निश्चित रूप से कर्जा लेने का अधिकारी है लेकिन जो कर्जे को पी जाता है, जो कर्जे को निपटा जाता है और जिस मुख्य मंत्री का तो यह इतिहास रहा हो कि 19,500 करोड़ की योजना को पूरा करने के लिये 23 हजार करोड़ का कर्जा लिया हो, उस मुख्य मंत्री को कोई अधिकार नहीं है कि जनता की छाती के ऊपर कर्जे का भार डाल दिया जाए।

राजस्थान की हालत क्या है? आपने कर्जा लिया। कटारिया साहब बड़े चिंतित हो रहे थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना था, कर्जा इतना लिया, असेट नहीं बनी; हमारे टाइम में बनती थी, आपके टाइम में क्यों नहीं बनी, राजस्थान डूब रहा है, कर्जा ज्यादा होए जा रहा है। असेट बनेगी कैसे? एक आम धारणा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट बनती है; जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उतनी असेट बनेगी। यह सच नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अन्दर तो हम कर्जे का चुकारा भी करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का वह कलेजा, जिसे कैपिटल आउट-ले कहते हैं, वह कैपिटल आउट-ले विकास पैदा करता है। वह कैपिटल आउट-ले इकोनोमी के अन्दर उत्प्लावन पैदा करता है, वह कैपिटल आउट-ले जनता की पर्चेजिंग पावर को बढ़ाता है। अब देखना यह होगा कि आपका कैपिटल आउट-ले कितना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आउट-ले हमारा लगातार गिर रहा है। आउट-ले गिर रहा है, गहलोत साहब के राज में तो लगातार ही गिरता रहता है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, 2007-08 में जब माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी तो हमारी कैपिटल रिसीट्स थीं 6,114 करोड़ रुपये और हमारा कैपिटल आउट-ले पर खर्चा था उससे 108 प्रतिशत ज्यादा, 6,555 करोड़ रुपये। गहलोत साहब आये और राजस्थान के अन्दर अशोक गहलोतजी के आते ही राजस्थान में शोक हो गया। राजस्थान में कैपिटल रिसीट थी 2008-09 के अन्दर 10,209 करोड़ रुपये, कर्जा 10,209 करोड़ रुपये का हमने लिया, जबकि कैपिटल आउट-ले था, कितना, 5,899

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

करोड़। जो प्लस 108 प्रतिशत था, वह माइनस 10 प्रतिशत हो गया! उससे अगले साल ले लो। उससे अगले साल हमारी कैपिटल रिसीट थी 13,158 करोड़ रुपये। 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई कैपिटल रिसीट के कर्जे में। कैपिटल आउट-ले क्या हुआ? उससे भी घट गया। 5,900 करोड़ रुपया रह गया, माइनस 12.94 करोड़ हो गया। इससे बड़ी शर्मनाक बात और किसी सरकार के लिये हो नहीं सकती है।

आप हर बजट बढ़ा रहे हैं दिखाने के लिये, तालियां बजाने के लिये बजट का वोल्यूम बढ़ रहा है क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका बढ़ रहा है। आप कितना ही कहें, उसकी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, इसलिये बजट झख मारकर बढ़ाना पड़ेगा लेकिन बजट के टोटल वोल्यूम में कैपिटल आउट-ले का कम्पोंनट क्या है, वह लगातार गिरावट में है। 2007-08 के अन्दर टोटल बजटीय वाल्यूम जिसे हम बजट एक्सपेंडिचर कहते हैं, वह था 37,816 करोड़ रुपये का माननीया वसुंधरा जी के राज में और कैपिटल आउट-ले था बजट का 17.18 परसेंट। टोटल बजट एक्सपेंडिचर का 17.18 परसेंट कैपिटल आउट-ले था जो राजस्थान की इकोनोमी के अन्दर बायेसी पैदा करने के लिए इन्फ्यूज किया गया। 2008-09 में आप पधारे, बजट हुआ 43,133 करोड़ रुपये का, बढ़ गया लेकिन कैपिटल आउट-ले घट गया, वह 13.67 परसेंट रह गया। 2009-10 के अन्दर फिर आपका बजट बढ़ गया, 48,749 करोड़ रुपये हो गया, कैपिटल आउट-ले फिर घट गया, 10.6 परसेंट ही रह गया। थोड़ा सा बढ़ाया 2011 में, 11.94 परसेंट रह गया। जो कैपिटल आउट-ले 17 परसेंट, 18 परसेंट पर चल रहा था, वह 2011-12 के अन्दर इतनी सारी सहायता मिलने के बावजूद, आपके कटोरे के अन्दर कृपा का, उसको लबालब करने के बावजूद आपका कैपिटल आउट-ले टोटल बजट वाल्यूम का 13.35 परसेंट।

आप किसके भरोसे राजस्थान का विकास करना चाहते हैं? और आप कर्जा ले रहे हैं। कर्जा चुकाना पड़ता है। कर्जा चुकाना पड़ता है। कर्जा चुकाना पड़ता है। आपको नहीं पड़ेगा तो राजस्थान की अगली पीढ़ी को कर्जा चुकाना पड़ेगा। सवाल यह है कि कर्जा लेने का आपको अधिकार है लेकिन अधिकार के साथ आपके ऊपर कर्जा चुकाने की जिम्मेदारी है। कर्जे का एक उपयोग उस प्रकार से किया जाए कि इकोनोमी के अन्दर यह कर्जे का पैसा झोंका जाए जिससे इकोनोमी के अन्दर रेवेन्यू क्रिएट हो, रेवेन्यू जनरेट हो, जी.डी.पी. जनरेट हो, पर-कैपिटा इनकम जनरेट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप हो, जनरेशन हो और राजस्थान की जी.एस.डी.पी. की रफ्तार इतनी तेज हो जाए कि जी.एस.डी.पी. की

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रफ्तार कर्जे लेने की रफ्तार से बढ़ जाए। ऐसी स्थिति में हम कर्ज का चुकारा फिर कर पाए। लेकिन हालत क्या है? हालत यह है कि 2007-08 में कर्जा था, हमारा टोटल कर्जा, यह कर्जा चुकाएंगे तो हम ही न, उस 71,170 करोड़ रुपये का कर्जा चुकाने की राजस्थान की अर्थव्यवस्था की कोशिश के लिए कैपिटल आउट-ले था, केवल 8.49 परसेंट डेट का। यानी कर्जे को चुकाने का प्रयास कितना सा था। यह कर्जा जिस चीज से चुकेगा, उसको पैदा करने का प्रयास कितना था, वह प्रयास था केवल 8.49 परसेंट। वह बहुत कम था। वह कम था लेकिन आपके टाइम में तो बंटाढार है। आपके टाइम 2008-09 के अन्दर कर्जा हो गया 84,149 करोड़ रुपये, कैपिटल आउट-ले रह गया 7 परसेंट उसका। 2009-10 के अन्दर कर्जा हो गया 91,588 करोड़ रुपये, कैपिटल आउट-ले और घट गया, हो गया 5.64 परसेंट। 2010-11 के अन्दर कर्जा हो गया आपका 99 हजार करोड़ रुपये का, कैपिटल आउट-ले रह गया 6.88 परसेंट। 2011-12 के अन्दर जब आप लखपति बने कर्ज की कर्जदारी में, एक लाख सात हजार करोड़ का कर्जा जब आपने राजस्थान की छाती पर डाल दिया तो उस कर्जे को चुकारा करने का पोटेंशियल पैदा करने के लिए इकोनोमी में डाला पैसा कितना? केवल 7.98 परसेंट। यह पाप है। यह अपराध है। यह आम राजस्थान के आने वाली जनरेशन के साथ खिलवाड़ है।

मैं कहना चाहता हूं कि आप कर्ज किस प्रकार से चुकाएंगे, यह मुख्य मंत्रीजी को बताना चाहिए; यह कर्ज चुकाने के लिए विकास कैसे करेंगे, यह बताना चाहिए। फिर मैं यह आग्रह करना चाहता हूं, उसमें एक लाख सात हजार करोड़ के कर्जे में अगर 40 हजार करोड़ की गारंटियां, सरकार सम्प्रभु है और सम्प्रभु है इसीलिए उसकी गारंटी मान लेते हैं और आप जैसी दिवालिया सरकार की गारंटी मान ली जाती है केवल इसलिए नहीं कि वह कोई आर्थिक रूप से बहुत मालामाल है बल्कि वह सम्प्रभु है, इस सम्प्रभुता का दुरुपयोग करते हुए आपने चालीस हजार करोड़ का कर्जा जनता पर डाला वाइकेरियस ढंग से, पिछले दरवाजे से और उस चालीस हजार करोड़ को जोड़ दूं मैं तो फिर तो, साहब, 'राम रखवालो राजिया' फिर तो राम ही रखवाला है, राम रखवाला है। अब 'राम रखवाले' की स्थिति में राजस्थान को लेकर आपने छोड़ दिया है।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक और चमत्कार आपने किया, जी.एस.डी.पी. में चमत्कार। आप गई बार भी बजट लेकर आये थे तो आपने कहा था कि 2.5 परसेंट की ग्रोथ रेट है, कांस्टेंट प्राइस पर। हमने भी बड़ा

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अफसोस जताया कि आपके कारण नहीं है, मानसून खराब था; आप आते हो तब मानसून खराब आता है; यह किस्मत खराबी का मामला है, आपका कोई मामला नहीं है। अब अचानक आपने कहा कि नहीं, नहीं, हमारी ग्रोथ रेट 2.5 परसेंट नहीं थी जी.एस.डी.पी. की, 4 परसेंट। कैसे? आपने यह चमत्कार कैसे किया? कि हमने कुछ नहीं किया, वह बेस ईयर बढ़ा दिया। बेस ईयर 2004-05 ले आये। अगर 5 फीट के आदमी को लम्बा आदमी बताना है तो आम हिन्दुस्तानी की हाइट 4 फीट 5 इंच ले लो, लम्बा हो जाएगा अपने आप ही, कहने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्यों कृपा की? 2004-05 को बेस ईयर क्यों किया? 2010-11 ही कर देते तो दिक्कत ही मिट जाती। आपने किसलिए किया, वह बतायें। इन्फ्लेशन आपके काबू से बाहर है। आप जी.एस.डी.पी. को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करना चाहते हैं, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना चाहते हैं। यह फजिंग है, यह फिडलिंग है। यह इकोनोमिक मिस-चीफ है जो मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की जनता के साथ इस ढंग से करने की कोशिश की है।

मैं उम्मीद करता हूं कि यह दिल्ली की सरकार भी इसी प्रकार का काम कर रही है। दिल्ली की सरकार तो आपसे भी एक कदम और आगे है। दिल्ली की सरकार ने भी यही काम किया है। दिल्ली की सरकार ने बताया कि जी.एस.डी.पी. की ग्रोथ रेट उनकी 18.8 परसेंट; नहीं, आपने बताई है 18.8 परसेंट; मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की सरकार ने भी यही काम किया है, दिल्ली की सरकार ने एक और जोरदार काम किया है, उन्होंने बताया कि हमारा फिस्कल डेफिसिट हमारी जी.डी.पी. का 5.8 परसेंट है। अच्छी बात है। आपने घटाया फिस्कल डेफिसिट। कैसे घटाया? 3-जी स्पेक्ट्रम, 3-जी स्पेक्ट्रम, ब्राडबैंड, यह स्पेक्ट्रम की वेल्यूएशन देना, यह सरकार की सम्पत्ति है, हिन्दुस्तान की जनता की सम्पत्ति है। इस सम्पत्ति को बेचा, इस पैसे से आपने, एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर में आपके 3-जी स्पेक्ट्रम को बेचा, ब्राडबैंड को बेचा, यह हिन्दुस्तान की जनता की सम्पत्ति को बेचा और सम्पत्ति बेचकर आपने इनकम में ले लिया। मैं अपना मकान बेचूं और मकान को इनकम में दिखाऊं? मैंने मकान बेचा, उसको इनकम में दिखाया। मैंने कोई सम्पत्ति बेची, एक लाख करोड़ रुपये की और उसको इपकम में दिखाया। मैंने डिस्इंवेस्टमेंट किया 22 हजार करोड़ रुपये का; डिस्इंवेस्टमेंट किसका होगा, जो इंवेस्टमेंट होगा; और इंवेस्टस्मेंट होगा क्या, जो कि मेरी असेट होगी। जो इंवेस्टस्मेंट है वह मेरी असेट है और असेट जब लिक्विडेट हो गयी तो वह इनकम में तब्दील नहीं होगी। वह लिक्विडिटी में

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

तब्दील तो हो सकती है लेकिन मेरी इन्कम में तब्दील नहीं हो सकती। लेकिन दिल्ली की सरकार ने किया, यह चमत्कार है। एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर का जो 3-जी स्पेक्ट्रम बेचान हुआ, उस पैसे को और 22 हजार करोड़ रुपये जो डिस्इंवेस्टमेंट में लाया गया, उस पैसे को इन्कम में दिखा दिया। यह इन्कम, यह दोनों पैसा कितना था, आपकी जी.डी.पी. का 1.6 परसेंट। अगर यह पैसा आप इन्कम में नहीं दिखाते तो आपका फिस्कल डेफिसिट 5.8 परसेंट नहीं होता, आपका फिस्कल डेफिसिट होता 6.7 परसेंट और 13वें वित्त आयोग ने आपको भी कह रखा है, हम कोई थोड़े ही कह रहे हैं, आपको भी कहा है, होशियार। आप होशियार दिखना चाहते हो, होशियार होना नहीं चाहते और इसलिए आपने यह फजिंग की, यह फिडलिंग की और यह फिडलिंग आपने इसलिए की, दिखाने की कि हिन्दुस्तान के रोजरी सिनेरियो, हाई ग्रोथ रेट, 9.6 परसेंट की ग्रोथ रेट। चाइना से टकराव है हमारा। आने वाली दुनिया में कल हमारा ही हमारा है। हिन्दुस्तान की जनता को हम आने वाले 20 साल के अन्दर, ग्रोथ को लेकर चलेंगे, वह तो आसमान पर, चांद पर जाकर टिका देंगे। इस बात का आप सीन बनाना चाहते हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि यह ग्रोथ किसकी है? अव्वल तो यह ग्रोथ नहीं है, अगर मैं कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स पर इन्फ्लेशन को घटाऊंगा तो ग्रोथ नहीं निकलेगी। चलो, आपकी बात मान लेता हूं पर यह ग्रोथ किसकी है? राजस्थान की 18 परसेंट की ग्रोथ भी जो आपने करंट प्राइस पर दिखाई, वह आम जनता लादूराम, बोदूराम की तो नहीं है। हो सकता है, राजस्थान में किसी महणोत, किसी कोठारी की ग्रोथ 18 परसेंट हो। किसी राठौड़ या किसी महणोत या किसी कोठारी की 18 परसेंट ग्रोथ से आम जनता में ग्रोथ नहीं पहुंच सकती। ग्रोथ चाहिए क्यों? हमें क्या जरूरत है 9 परसेंट ग्रोथ की? 8 परसेंट ग्रोथ की? 18 परसेंट ग्रोथ की? किसके लिए ग्रोथ? क्यों ग्रोथ? यह ग्रोथ इक्विटेबल ग्रोथ होनी चाहिए, यह इन्क्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, अगर यह ग्रोथ इन्क्लूसिव नहीं है, अगर यह ग्रोथ इक्विटेबल नहीं है, अगर यह ग्रोथ किन्हीं कुछ लोगों की जेब को भरने के लिए है और उनकी जेब के भारीपन से अगर आपकी यह ग्रोथ निकलती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य न तो इस देश का हो सकता है और न इस प्रदेश का हो सकता है।

जिस गांव की बात करते-करते, जिस गरीब की बात करते-करते 60 साल से हिन्दुस्तान और राजस्थान की जनता को आप बेवकूफ बना रहे हैं, वैसे

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

ही पर-कैपिटा इनकम में राजस्थान पीछे है नेशनल एवरेज से। मैं आपकी पर-कैपिटा इनकम भी मान लेता हूं, कोई डिस्प्यूट नहीं करता। 39 हजार करोड़ रुपया बताया है? नहीं, 38 हजार रुपये बताई है आपने। 38 हजार रुपये की आपने पर-कैपिटा इनकम बताई है आम राजस्थानी की। साथ में दिल्ली में आपकी लेबर मिनिस्ट्री ने एक सर्वे किया और सर्वे में बताया कि राजस्थान में 65 परसेंट लोग गांवों में रहते हैं। उन 65 परसेंट में से 43.3 परसेंट लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर और अलाइड के अन्दर डिपेंडेंट हैं, 26.1परसेंट लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट हैं और 30 परसेंट लोग ऐसे हैं जो सर्विस पर डिपेंडेंट हैं। मैं देखता हूं उस जी.डी.पी. में एग्रीकल्चर शेयर कितना है तो मालूम पड़ता है कि कांस्टेंट प्राइस पर जी.डी.पी. बनेगी, एन.डी.पी. पर, नेट पर ...(व्यवधान) 74,744 करोड़ रुपया मिलता है 43 परसेंट राजस्थान की आबादी को। उस पर पर कैपिटा इन्कम अगर मैं फलाता हूं तो 24 हजार रुपया बट रहा है आपके 18 परसेंट ग्रोथ पर भी, 24 हजार रुपया ;और गई साल कांस्टेंट प्राइस पर 13 हजार रुपये; और गई साल 10 हजार था, उससे एक साल पहले 12 हजार था, 12 हजार से 10 हजार पर आ गया गरीब। नरेगा में जो पैसा मिलता है, उससे भी नीचे है राजस्थान का गरीब। राजस्थान का किसान। राजस्थान का गांव। किसका ग्रोथ? किसकी ग्रोथ? किसकी कीमत पर ग्रोथ? जैसा मैंने कहा, कारपोरेट इंडिया की ग्रोथ, करप्शन की ग्रोथ, राजा की ग्रोथ, कोठारी की ग्रोथ, मेहनोत की ग्रोथ। हमें चाहिये लादूराम की ग्रोथ, हमें चाहिये बोदूराम की ग्रोथ और लादूराम-बोदूराम की ग्रोथ नहीं मिलती तो इस प्रकार की ग्रोथ का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने ग्रोथ का सीन दिखाकर हिन्दुस्तान और राजस्थान की आम जनता को तबाह किया है, जिसकी नेगेटिव ग्रोथ रही है, जो साल में दस हजार रुपये कमाता है, उसकी हाय आपको लग रही है। आप मानें या नहीं मानें, हाय लग रही है, आप तबाह हो रहे हैं, आप तबाही की ओर जा रहे हैं। आप असत्य आंकड़े सदन में पेश कर सकते हैं। असत्य आंकड़े देकर एक बार जनता को भरमा सकते हैं। यह जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता को अगर आपने बेवकूफ समझ रखा है तो आपकी गलतफहमी हो सकती है, किसी और की गलतफहमी नहीं है।

आप गये चुनाव में कह रहे थे, कड़ी से कड़ी मिला लो। कड़ी से कड़ी मिल गयी और ज्यों ही कड़ी से कड़ी मिली, हिन्दुस्तान की जनता की कमर की कड़ी टूट गयी। आप कड़ी से कड़ी मिलाकर अभी दिल्ली गये थे ना, योजना

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

लाये हो 28 हजार करोड़ की, जो प्लान अप्रूवल है उससे भी ज्यादा ले आये आप तो, आपने पेश किया है। अब वह अलग बात है, आप पूरी नहीं कर पायें। कोई योजना पूरी नहीं कर पाये आप। इससे जो पिछली पंचवर्षीय योजना थी, उसमें तो आपने कटौती की, आप पूरी नहीं कर पाये पर इस बार आपको लगा, माना तो सही आपने कि प्लान साइज बड़ा होना चाहिये। गयी बार यही गहलोत साहब कह रहे थे कि प्लान साइज छोटा हो तो क्या फर्क पड़ता है, इम्प्लीमेंटेशन इम्पोर्टेंट है, प्लान साइज छोटा होना चाहिये। आज उन्हीं गहलोत साहब की नई फिलोसाफी इकोनोमिक्स की समझ में आई और उन्होंने माना, भैरोंसिंह जी के टाइम से सीखा और वसुन्धरा जी की बात को माना कि प्लान साइज बड़ा होना चाहिये। लेकिन कड़ी से कड़ी मिलाने दिल्ली गये थे आप, बजट में क्या मिला आपको? मेट्रो आपका क्राउन प्रोजेक्ट है, धारीवाल साहब बिराजे हुए नहीं हैं, आपका क्राउन प्रोजेक्ट है और राहुल गांधी जी का सपना है जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का। राहुल जी का सपना अपना है, उसको पूरा करना है। आप दिल्ली में गये। हिन्दुस्तान के पांच शहरों को मेट्रो के लिये पैसा मिला, आपको छदाम नहीं मिली। आप मेट्रो के तो पीछे लगे हुए हैं, आप रिफाइनरी के पीछे क्यों नहीं लगे हुए? जिस रिफाइनरी से राजस्थान की गरीब जनता को रेवेन्यू मिलेगा, जिसके कारण से आप जो बातें कर रहे हो, 1,600 करोड़ रुपये आपको इस साल बाड़मेर से मिला है, पहले नहीं मिला था। 1,600 करोड़ बाड़मेर से मिल गये, साढ़े छह हजार करोड़ रुपये आपको थर्टिन्थ फाइनेंस कमीशन से मिल गये, आप वहां रिफाइनरी नहीं लगा पाये। आज आपने एम ओ यू कर लिया है। हमने 25 परसेंट की इक्विटी पार्टिसिपेशन तय कर ली है, 50 परसेंट क्यों नहीं की आपने? मेट्रो बंद करते। हंड्रेड परसेंट पर लगाते, हम आपके साथ होते। आप इसी सदन में आते और कहते कि राजस्थान की जनता की बहबूदी के लिये, वेस्टर्न राजस्थान की बहबूदी के लिये हम रिफाइनरी लगायेंगे और रिफाइनरी के लिये 100 प्रतिशत इक्विटी पार्टिसिपेशन की राजस्थान सरकार को जरूरत पड़ती तो हम करेंगे, तो पूरा का पूरा सदन एकमत से इसका समर्थन करता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मंत्री लोग गायब हैं, सरकार सो रही है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मेट्रो के नाम पर रिफाइनरी को आपने स्वाह कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, आपके कोल ब्लॉक्स का क्या हुआ ?

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कोल लिंकेज का क्या हुआ? आपको कोल ब्लाक्स नहीं मिले, आपका प्लान साइज छोटा हो गया। अब पी डी अकाउंट में कैसे डालेंगे या कहीं और ट्रांसफर करेंगे? अनप्लांड ढंग से प्लान में ट्रांसफर करेंगे? फिर भी छोटा हो गया, छोटा हो गया, फिर भी आप 28 हजार करोड़ का प्लान लाये। कोल ब्लाक्स काउंटर आज भी नहीं है, कोल लिंकेज काउंटर आपका आज भी नहीं है।

आप पेयजल के लिये दिल्ली गये। योजना आयोग के सामने कहा था विशिष्ट श्रेणी दी जाये, पेयजल की बड़ी समस्या है।

श्री सभापति: थोड़ा सम-अप करो माननीय सदस्य।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): स्पेशल स्टेटस, उन्होंने कहा स्पेशल स्टेटस..(व्यवधान)

श्री सभापति: बोलने वाले बहुत हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मेरे सम-अप करते ही आपका बजट ही सम-अप हो जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं कि पेयजल के लिये आपको स्पेशल दर्जा नहीं मिला, आपको पूरे दो साल हो गये। वसुन्धरा जी आपको बहुत अच्छी लगती हैं, आपको आब्सेशन हो गया। सोते-जागते, उठते-बैठते वसुन्धरा जी, वसुन्धरा जी। या तो यह फोबिया है या आब्सेशन है। मुझे आब्सेशन है तो आज मैं एम एल ए हूं, आपको भी आब्सेशन होगा तो आप मंत्री बनोगे।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वह पब्लिक ने बनाया है। आप बाहर जाकर दूसरी बात करते हो, सदन में दूसरी बात करते हो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): देखिये रघु जी, आप मेरे मित्र हैं, इतनी देर मैं बोला, वह बात आपके समझ में नहीं आई। यह बात आपके समझ में आई, इसलिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अगले वित्त मंत्री आप तय हो, चिन्ता मत करो। आप तो पांच-पांच बार यह प्रोसीडिंग्स निकाल लो..(व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): आपने यह मान लिया कि सरकार गयी। आपने यह मान लिया कि आपकी सरकार गयी, वेरी गुड, धन्यवाद।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, वसुन्धरा जी को याद रखने के साथ-साथ जो रिसर्जेंट राजस्थान ...(व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, रघु शर्मा जी ने अपनी सरकार जाने का ऐलान कर दिया है, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): और वसुन्धरा जी को याद रखने के साथ रिसर्जेंट राजस्थान को याद रखा होता, जिस रिसर्जेंट राजस्थान के अन्दर 1 लाख 62 हजार करोड़ रुपये के एम ओ यू हुए। आपका राज आया, अब 1 लाख 62 हजार करोड़ रुपये के एम ओ यू को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाये? आपसे नहीं होता तो आप जाते और राजस्थान की जनता के वृहद हित में वसुन्धरा जी के पास जाते कि आप सम्भालो, राजस्थान का विकास होना चाहिये। मेरे बस की बात नहीं है, आप सम्भालो। लेकिन आपने उस 1 लाख 62 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में नहीं कराकर राजस्थान की आम जनता की पीठ में छुरा भोंका है। आज आप कह रहे हैं, एन आर आई का सम्मेलन करायेंगे अगली साल। आपको याद ही नहीं आती एन आर आई की। कहां करायेंगे? 'प्रताप नगर में एक इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनायेंगे', जिसकी आज तक आधारशिला नहीं रखी।

अब ऐसी स्थिति के अन्दर जहां राजस्थान की इन्वेस्टमेंट ग्रोथ घट गयी है, उसका शेयर घट गया है, ऐसी शर्मनाक स्थिति राजस्थान के लिये फिर से पैदा हुई है। राजस्थान जो 'बीमारू' प्रदेश से और आगे बढ़कर तेजी से विकसित होते राज्यों की कतार में खड़ा था, आज आपने तीन साल में 2 हजार करोड़ का टैक्स लादने के बावजूद राजस्थान को गर्त में डाल दिया है और राजस्थान इस बात को भूलेगा नहीं। राजस्थान का गरीब इस इन्फ्लेशन के दंश को भूलेगा नहीं और एक लाख करोड़ के होने वाले ट्रांसफर के बावजूद राजस्थान के ऊपर जो कर्जा आपने लादा है, राजकोषीय घाटे के अन्दर जो आपने नाइंसाफीपूर्वक इसका मिस-एप्रोप्रिएशन किया है, मैं उम्मीद करता हूं, इस प्रकार के पाप का समर्थन करना धर्म के विरुद्ध है, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता।

माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): पांचों ट्रैजरी बेंचेज पर कोई मंत्री नहीं है। जिस तरह से बजट पर बहस विधायक ने शुरू की और अपने जो तर्क रखे, मैं गारंटी से कह सकता हूं, एक भी खड़ा होकर एक सवाल का जवाब ठीक प्रकार से देने की स्थिति में नहीं है। जो ट्रैजरी बैंजेज के हैं, पांच बेंचें हैं फर्स्ट की, पांच में से एक भी मंत्री नहीं बैठता। इससे ज्यादा हमारा दुर्भाग्य क्या होगा ?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, आपका बहुत बड़ा अपमान है। सारी बेंचें खाली हों। रथ लेकर नेता घूम रहे हैं, कह रहे हैं भ्रष्टाचारी हैं नेता।

श्री सभापति: डा. रघु शर्मा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने जो 2011-12 का बजट इस सदन के अन्दर प्रस्तुत किया, मैं उसका समर्थन करने के लिये, उनका आभार व्यक्त करने के लिये आज इस सदन में खड़ा हुआ हूं।

अभी झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, जो आंकड़ों का जाल यहां बता रहे थे, उनमें अधिकांश बातें रिपीटिशन थीं। माननीय सभापति महोदय, दो सत्र बजट के पहले हो चुके, यह जो रिसर्जेंट राजस्थान की बात कर रहे थे, अभी 1 लाख 62 हजार करोड़ रुपये के एम ओ यू की बात कर रहे थे, उसको मैंने गलत करार दिया इसी सदन के अन्दर ;वह रिसर्जेंट राजस्थान नहीं था, वह डिटर्जेंट राजस्थान था; राजस्थान को धोने का अभियान था। अगर यह सच्चाई पर बहस करना चाहते हैं तो बहस करने के लिये मैं तैयार हूं। इतना शानदार बजट हमारे मुख्य मंत्रीजी लेकर आये हैं। यह जो 1 लाख 62 हजार करोड़ रुपये के एम ओ यू की बात माननीय सदस्य अभी कर रहे थे, यह उद्योग लगाने की मंशा से नहीं था। सभापति महोदय, यह लैंड ग्रेबिंग का एक स्कैंडल था। राजस्थान का इतिहास कभी इनको माफ नहीं करेगा। 1 लाख 62 हजार करोड़ रुपये का सब्ज-बाग़ दिखाकर उद्योगपतियों को किसानों की जमीन ओने-पौने दामों में लेकर इन्होंने हैंडओवर कर दी। ये पाप के भागीदार हैं। आज उसको यह उपलब्धि बता रहे हैं। जिस तरह के हालात हैं, मेहनोत का नाम लेते हो, कभी कोठारी का नाम लेते हो, यह ललित मोदी काकाजी लगते हैं तुम्हारे! जरा गौरव से एक बार नाम ले लेते ललित मोदी का। क्या हो रहा था राजस्थान के अन्दर पिछले पांच साल में, किससे छिपा हुआ है? जबान सबके है। बजट पर बात करो, बजट पर बात करने को तैयार हैं। ऐसा शानदार बजट दिया है राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने, जो गांव, गरीब और हमारे किसान को समर्पित बजट है, नौजवानों को समर्पित बजट है।

मैं तो यह सोच रहा था, जिस तरह से यह बाहर से लेकर आये हैं सदन के अन्दर फिर से, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, डेढ़-दो साल पहले भी हमने देखा। चाहे मुख्य मंत्रीजी का या राज्यपाल का अभिभाषण हो,

(समय : 15.00 बजे)

(डा. रघु शर्मा)

ये योजनाबद्ध तरीके से बहिष्कार करते हैं। बजट का रिप्लाई हो मुख्य मंत्रीजी का, योजनाबद्ध तरीके से, इशारे से महारानी साहिबा से बहिष्कार करवाते हैं। क्यों? प्रदेश की करोड़ों जनता ने चुनकर भेजा है हमको, यहां पर आते हैं। आपको विपक्ष का दायित्व सौंपा और हमको सरकार चलाने का जिम्मा दिया और ये सलाहकार उनको कहते हैं कि बहिष्कार कर जाओ। बहिष्कार किस बात का? बहस होने दीजिए। वर्ष 2003 से 2008 के बीच में आपसे जो गलतियां हुई, जो भ्रष्टाचार के कारनामे हुए इस राजस्थान में, इतिहास माफ नहीं करेगा, चर्चा उनकी होनी चाहिए सदन के अन्दर। यदि गलती हम करें तो आप करिए चर्चा। कौन मना करता है? चर्चा से हम नहीं भाग रहे, चर्चा से ये भागते हैं। डेढ़ साल शांति रही, सभापति महोदय। पता नहीं, किन कारणों से विदाई हुई और पता नहीं, किन कारणों से आगमन हुआ। मैं इस पर नहीं जाना चाहता। यह तो वही बतायेंगे जो जाने वाले और हटने वाले हैं लेकिन जब से आयी हैं, तब से यह क्या हो रहा है। कान में पीछे से फूंक, बहिष्कार-बहिष्कार। राजस्थान का विपक्ष अगर विधान सभा से बहिष्कार करेगा, राजस्थान की छह करोड़ जनता आपसे अपेक्षा करती है कि आप यहां आकर हमारी गलत नीतियों का विरोध करो, हमारी गलतियों पर आप हमको ठीक करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): विरोध भी करेंगे और ब्रूट मेजोरिटी के दम पर आप हमारी नहीं सुनेंगे तो बहिष्कार करने का भी हमारा अधिकार है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बोलने दीजिए। बोल लिए आप बहुत बढ़िया। (व्यवधान) सभापति महोदय, इनको पता नहीं है, नादान हैं ये कि ये किस तरह का अपमान कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, इस सदन में बैठे हुए हैं, लोग हमें देख रहे हैं, आवाज आती है वहां से। उस दिन जब बिजली के दाम बढ़ाने की बात हो रही थी और नेता, प्रतिपक्ष बोल रही थीं कि किसानों की जो बिजली की दर बढ़ायी हैं, पीछे से तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बोले, किसानों की नहीं, आम उपभोक्ता पर। +++ सभापति महोदय, वे राजस्थान की मुख्य मंत्री रही हैं पांच साल, क्यों उनका कद घटाने में लगे हो ?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं कहा था। हम भी यहीं बैठे हुए थे। I was here.

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैंने सुना है। आप विराज जाओ, सुन लो। और

(डा. रघु शर्मा)

भी नाम लूंगा अभी। चाटुकारिता से प्रदेश का भट्ठा बैठाने में लगे हुए हैं। सभापति महोदय, राजस्थान का इतिहास इनको माफ नहीं करेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप कौनसा इतिहास बना रहे हैं? (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): राठौड़ साहब, व्यवधान पैदा नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दीवारों पर लिखा है, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, विधान सभा के खम्भों पर हाथ लगाकर देख लो, दुबारा मौका नहीं मिलेगा। आज कह रहा हूं जिम्मेदारी से, यहां से।

श्री करणसिंह (छबड़ा): रघुजी बोल रहे हैं, आप सुनिए तो सही। अभी तो पोल खुलना चालू हुई है, आप सुनिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, इनको पच नहीं रहा है। पहले तो इनको हार नहीं पची। हार हमारे हाथ में तो नहीं है, यह तो राजस्थान की छह करोड़ जनता तय करती है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अबकी बार आप तैयार हो जाओ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बैठ जाओ, माननीय सदस्य। सभापति महोदय, मेरा जितना टाइम ये खराब कर रहे हैं, आप उतना टाइम ज्यादा मुझे दे देना।

राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति को बारीकी से समझकर, राजस्थान में कौन लोग रहते हैं, ये बार-बार चर्चा कर रहे थे दो साल से कि मंहगाई बढ़ गयी, मंहगाई बढ़ गयी; इस बजट के अन्दर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने करके दिखाया है कि आम गरीब आदमी को दाल, रोटी, चावल, चिमटा, बेलन...और वे हंसी उड़ा रही थीं, महिला नेता हैं प्रतिपक्ष की... (व्यवधान) बोलो, सारे बोलो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री करणसिंह (छबड़ा): पोल खुलते ही सारे लोग खड़े हो जाते हैं। आपके पापों का घड़ा फूटेगा अभी। चिन्ता मत करो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप कुछ देर पहले माननीय मंत्रीजी को कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपके टाइम के भ्रष्टाचारों को खोलने के लिए निकल रहे हैं। चिन्ता मत करो। ललित मोदीजी कहां हैं, बता सकते हो क्या, ... +++(व्यवधान)... कहां है पासपोर्ट उनका? (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): क्वात्रोची के पास हैं। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप तो अपनी बात करो। एस-बैंड की बात करो। टू-जी की बात करो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, इस सदन को बताया जाए कि ललित मोदी थे कौन। (व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): क्वोत्रोची मामा कहां हैं? (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मोदी क्वोत्रोची का मित्र है और क्वोत्रोची आपका मामा है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ललित मोदी कौन था, क्या था, आपकी सरकार ने ढाई साल तक क्या कर लिया उनका?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मोहनोत और कोठारी को ला रहे हैं तो मोदी भी आयेगा। झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बहुत दुःखी हैं इनके सिस्टम से। इसलिए उन्होंने नाम लिये यहां पर। उनको पता था कि यह भी नाम लेगा। वह तो आपका उद्देश्य सफल हो गया। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ललित मोदी अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ललित मोदी कौन था, यह सारी दुनिया जानती है पर क्वोत्रोची कौन था? मामा था क्या? वह तो हिन्दुस्तान का भी नहीं था। किस बवाल को लेकर आये। कहां से लेकर आये? रक्षा सौदों में अरबों रुपये खा गया जिनकी गिनती भी नहीं हो सकती। इतना रुपया ले गया हिन्दुस्तान का। यह क्या बवाल था?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यह तो पता चल गया, मैं तो मानता था कि आप ज्ञानी हो, आज तो प्रूव कर दिया कि डा. रोहिताश कुमार जी ज्ञानी हैं। कहां की बात को कहां जोड़कर अचानक इन्होंने बोला है।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

ललित मोदी जी का पावर आने वाले टाइम में नहीं चलेगा, चिन्ता मत करो। किनारे कर दिया उनको। आप क्यों दुःखी हो रहे हो? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं तो लिखकर भी दूंगा और बजट पर भी बोलूंगा। मेरा अधिकार है कि मैं क्या बोलूं। आप बतायेंगे, वह बोलूंगा क्या? माननीय, ऐसा मत करो। सभापति महोदय, यह बजट इतना शानदार है। मुझे अभी भी शंका है, आपको चुनौती है, आपको कसम है लगे जो, मैं प्रतिपक्ष वालों को कहना चाहता हूं कि बहिष्कार मत करना अबकी बार। आपकी नेता को बोलने का मौका भी मिलेगा पूरा। अब तो हम भी समझ गये। पहले तो आप कह रहे थे कि पहली बार आये हो। आपकी नेता को मौका मिलेगा। (व्यवधान)... आप सुनना ही नहीं चाहते। यह क्या तरीका है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एहसान करोगे क्या? सदन आपकी बपौती है क्या? सत्ता आपकी बपौती है क्या? आप चाहें जिसको मौका देंगे, चाहे जिसको नहीं। किस भ्रम में हो?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपकी भी बपौती नहीं है। सभापति महोदय, ये बपौती शब्द निकलवा दीजिए। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बदतमीजी कर रहे हैं। बपौती क्या होता है? (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप बजट पर बोलिए, माननीय सदस्य।

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय सदस्य, आप सुनने की हिम्मत रखिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय सदस्य, यह उम्मीद आपसे नहीं थी, जो आप कर रहे हैं। कमाल है। आप इतने विद्वान हैं, आप कैसे बोल रहे हैं?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये बपौती बोल रहे हैं, कौनसा शब्द है यह?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, माननीय सदस्य इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, ऐसी असम्मानजनक और असंसदीय भाषा में बोलते हैं यहां पर।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बजट पर बोलने के लिए आपके पास कोई आंकड़े नहीं हैं क्या? यह क्या है, माननीय सदस्य?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मेरे पिता आपके पिता के समान हैं, मेरे पिता पर आप जा रहे हैं। किसलिए जा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): मजाक बना दिया इन लोगों ने।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अजमेर में इतनी सारी समस्याएं हैं, केकड़ी में पानी की समस्या है, आप उस पर बोलिए यहां। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, माननीय सदस्य, आपके द्वारा नाम पुकारे जाने पर भी बोल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनके अधिकारों की रक्षा करें। हाउस को आर्डर में लायें और उनको प्रताड़ित करें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, बजट इतना अच्छा आया है, इसमें एस सी और एस टी का ख्याल किया गया है, इसमें ओ बी सी का ख्याल किया गया है, इसमें माइनोरिटीज का ख्याल किया गया है, इसमें राजस्थान के हर वर्ग का ख्याल किया गया है और भौगोलिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए बारीकी के आधार पर बनाया हुआ बजट है। मुझे शंका इस बात की है, सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया बता रहा था कि नेता प्रतिपक्ष बोलेंगी, उसके बाद मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे, मुझे जो शंका है, इनमें इतना साहस नहीं है, मुख्य मंत्रीजी के बजट रिप्लाई के समय बिना सुने कल ये बहिष्कार कर जाएं। इनका भरोसा नहीं है। इसलिए सदन को यह विश्वास दिलायें। मेरे पिताजी पर तो मत जाओ वे तो स्वर्ग में हैं। वहां जाने के लिए तो आपको स्वर्गवासी होना पड़ेगा। मैंने आपके पिताजी पर कभी टिप्पणी नहीं की। आप पांच बार यहां पर सदस्य रहे हैं, आप इतनी हल्की बात पर उतर जाएं, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। सभापति महोदय, आप यह शब्द एक्सपंज करवाइये।

राजस्थान में नोशनल फ्लो की बजाय पहली बार वास्तविक..... (व्यवधान) आप ही समझते हो, मैं तो कुछ ही नहीं समझता।

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्य, आप विराजो। अगर इस तरह से बीच में व्यवधान चलता रहा, अभी तो 17 में से एक ही माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य बोले हैं। (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय... (व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपकी आदत कितनी खराब है, आप इन्टरवीन करते हैं, किसी को बोलने ही नहीं देना चाहते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, बजट पर बोलें न। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मुख्य सचेतक महोदय, आपके और इनके बहुत अच्छी मित्रता है, यह शुरुआत आप दोनों ही करते हो। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, जब उधर से आरोप लगाते हैं, हम चुपचाप सुनते हैं और इधर से कोई आरोप लगता है तो तिलमिला जाते हैं ये लोग। पुराने पापों को लोग भूलते नहीं हैं। अभी आपको सबको ठिकाने लगायेंगे, चिंता मत करो आप।

श्री सभापति: आप विराजो। इस तरह से आप व्यवधान मत करो। पहले माननीय सदस्य बोल रहे थे, किसी ने व्यवधान नहीं किया। ये लगभग 33 मिनट तक बोले हैं, 33 मिनट तक, तब किसी ने व्यवधान नहीं किया। आप बोलने दो इनको। जब आपके माननीय सदस्य बोलेंगे, जवाब दे देंगे अगर कुछ ऐसा लगता है तो। पर आप अगर सब खड़े होने लग जायेंगे तो फिर सदन चलेगा कैसे? (व्यवधान)... आप विराजो, आप विराजो। (व्यवधान) जो भी असंसदीय होगा, मैं उसको एक्सपंज कर दूंगा, उसकी चिंता आप मत करो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, एस.सी., एस.टी. के लिये पहली बार 16.66 और 13.2 नोशनल फ्लो के बजाय वास्तविक प्रोविजन किया गया बजट के अन्दर। यह बात इनको डाइजेस्ट कैसे होगी? बजट का आकार बढ़ाया गया। अब झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कितने आंकड़ों का रिपीटिशन किया, उनके मन में तो कुछ और है, ऊपर से कुछ और बोल रहे हैं। कुछ नाम प्रोवोकेशन में उन्होंने बोले, उनको पता है कि बदले में सामने से दूसरे नाम आयेंगे। जैसा पहले कहा, वे अपने उद्देश्य में सफल हो गये। मुझे अच्छा लगता, अगर मैं नाम ले रहा हूं, मुझे रोक रहे हो आप, उनको भी रोकते। आपको अपनी बड़ाई सुननी है, सामने वाला आपके बारे में कुछ नहीं बोले, तो यह ठीक नहीं है। अभी तो आगे भी बहुत बोलूंगा, आपको ज्यादा एतराज होगा लेकिन सुनने का माद्दा रखो। आप भी बोलो, आप भी बोलो हाउस में, क्या बोलना है, आपको बोलिये आप।

माननीय सभापति महोदय, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो इस बजट में नहीं छुआ गया। लगातार आप हल्ला कर रहे थे, महंगाई, महंगाई, महंगाई; महंगाई को नियंत्रित करने का उपाय किया है इस बजट के अन्दर। आलोचना करो आप, बजट की आलोचना करना विपक्ष का दायित्व है, माननीय सभापति महोदय, लेकिन एक शब्द तो मुंह से निकल जाता कि गरीब क्या खाता है घर के अन्दर, रोटी खाता है, चावल खाता है, दाल खाता है, बेलन से काम पड़ता है, चकले से काम पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, जिन लोगों ने ...

श्री विजय बंसल (भरतपुर): रघु जी, चकले से आपका काम चलता होगा ?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मेरा तो चलता नहीं है लेकिन नेता, प्रतिपक्ष महिला हैं, उनको पता होना चाहिए कि बेलन और चकले का महत्व क्या होता है। यह अलग बात है।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): महिलाएं रोजाना ही चकला, बेलन खरीदेंगी क्या ?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हैं? यह क्या है ?

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): महिलाएं क्या रोजाना चकला, बेलन खरीदेंगी क्या ?

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप विराजो, इस तरह से व्यवधान होगा।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): महंगाई कम करनी हो तो मसालों में करो न। चकला, बेलन से होगी क्या ?

श्री सभापति: सुनिये। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनके अलावा कोई भी अंकित नहीं होगा। कोई भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनके अलावा कोई अंकित नहीं होगा।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। अंकित नहीं होगा।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने सोने की चम्मच और चांदी की चम्मच में निवाला खाकर अपनी जिंदगी शुरू की हो, वे क्या जानेंगे बेलन और चकले का महत्व। (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हां, आता है, आता है, बोलिये, आपका क्या कहना है? (व्यवधान) क्या बीमारी है, क्या बीमारी है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप हो बीमारी, इस सदन की सबसे बड़ी बीमारी आप हो। आप किसी को बोलने ही नहीं देना चाहते।

माननीय सभापति महोदय, अशोक गहलोत जी ने यह साबित कर दिया इस बजट के माध्यम से, राजस्थान में चाहे सड़कों का जाल बिछाना हो, ऊर्जा के क्षेत्र में विकास करना हो और चाहे आदिवासी अंचल का वह इलाका अभी ...(व्यवधान)

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, 16 माननीय सदस्य और बोलेंगे।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): ×××

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): रोड बन रहा है। चिंता मत करो, बन रहा है, बन रहा है।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मेरे मन तक जा रहे हैं वे लोग। आप मेरे पर कृपा करो, माननीय सदस्य।

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, अभी तो मैंने अपनी असली बात कही नहीं है, उसमें तो आप बहिर्गमन कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है, जब अगर सही बात बोलूंगा तो आप बहिर्गमन करोगे।

माननीय सभापति महोदय, कटारिया जी ने कहा ...

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): फिर वही बात, यह सदन है, कोई सब्जी मण्डी थोड़ी है। अपने सचेतक आपसे ज्यादती करते हैं, बोलने का मौका नहीं देते, उसका मेरे को दण्ड क्यों दे रहे हो? नाम लिखाओ और बोलो। नाम लिखाओ और बोलो। यह पाप कर रहे हैं, उसका भी मेरे को दण्ड। आप नाम दीजिए इनका।

माननीय सभापति महोदय, कल कटारिया साहब कह रहे थे, कटारिया साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि 22 विधायक

(डा. रघु शर्मा)

उदयपुर डिविजन से दिये और उदयपुर डिविजन को क्या मिला? मैं यह कहता हूं कि 50 साल के अन्दर किसी मुख्य मंत्री के जेहन में यह सोच तो आयी कि वह आदिवासी अंचल रेल यातायात से जुड़े और उसके लिए इस बजट के अन्दर पैसा दिया। क्या यह स्वागत योग्य बात नहीं है? (व्यवधान) वह ही बात।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 1200 करोड़ रुपये। यह क्या तरीका है, माननीय सभापति महोदय?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप कौन हैं? आप कौन हैं ?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप बैठ जाइये, मैं सभापति जी से, आप नहीं पूछ सकतीं कुछ भी मेरे से। बैठ जाइये आप। सदन की परम्परा मालूम नहीं है आपको। (व्यवधान) बैठ जाइये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप मेरे से पूछने वाली कौन? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। कुछ भी अंकित नहीं होगा। विराजो आप, आप विराजो। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी) राजसमन्द): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मुझसे सीधा सवाल आप नहीं कर सकते। आप आसन से पूछ सकते हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। आप विराजो। आप विराजिये। (व्यवधान) आप विराजो, आप विराजो। अंकित नहीं होगा। आप बैठ जाओ, आसन पांवों पर है। यह तरीका नहीं है। (व्यवधान) कुछ अंकित नहीं होगा।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री सभापति: आप विराजो, मैं व्यवस्था दूंगा। आप विराजिये। आप विराजो तो सही। (व्यवधान) जो जी में आये, बोलो, आप बोलो, बोलो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये तो सही। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजो, विराजो। आप विराजो। माननीय सदस्य, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री सभापति: आप सदन को नहीं चलने देना चाहते? (व्यवधान) इस तरह से व्यवधान होगा, कैसे बहस होगी इस बजट के ऊपर (व्यवधान) मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप माननीय सदस्यों को बोलें। (व्यवधान) आसन पांवों पर है। आप आसन की बात कर रहे हो और आसन की बात ही नहीं मान रहे हो। आप विराजो। मैं देख रहा हूं ना, आप विराजो तो सही। माननीय सदस्य, आप विराजो। डाक्टर साहब, आप विराजिये। विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये तो सही, आप विराजिये। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि बहस तो आज पूरे दिन चलेगी, रात तक चलेगी, कल भी चलेगी और अगर हम इस तरह से कि कोई माननीय सदस्य बोल रहा है और उसके ऊपर प्रत्युत्तर आपस में करने लग गये, उस वादविवाद का क्या अर्थ रह जाएगा? इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है, मैं कोई आपसे निवेदन नहीं कर रहा हूं, मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से भी निवेदन कर रहा हूं, सभी से, निर्दलीय सदस्य हैं उनसे भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर इस तरह से चलता रहा, अभी तो सोलह माननीय सदस्य और बोलेंगे। अगर आपको लगता है कि सत्ता पक्ष के किसी माननीय सदस्य ने कोई

(श्री सभापति)

बात बोली है, उसका जवाब देना चाहें, आपके पास समय है, आप बोलें और कोई प्रतिपक्ष का माननीय सदस्य कोई ऐसी बात बोलता है जिसका जवाब देना ......

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये, मैं देख लूंगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये, आप लोक सभा में दो बार चुनकर के गयी हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): एक बार गलती से ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री सभापति: आपको नियमों का और परम्पराओं का बहुत अच्छा ज्ञान है, माननीय सदस्य; कोई मानहानिकारक शब्द होगा, कोई अपमानजनक बात होगी, मैं उसको एक्सपंज कर दूंगा। आप आपस के अन्दर प्रत्युतर नहीं करें। मेहरबानी करके प्रत्युत्तर नहीं करें, यह मेरा निवेदन है और जो भी इस तरह का प्रत्युत्तर होगा, वह आपका अंकित नहीं होगा। यह व्यवस्था मैं अभी दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, नहीं, यह मुझे आपसे नहीं पूछना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, इनकी सलाह की जरूरत नहीं है, आप विराज जाओ। आपकी सलाह की जरूरत नहीं है मुझको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं आपकी मेहरबानी के ऊपर कभी नहीं आया हूं, न आपकी पार्टी की मेहरबानी से आया हूं। इस सदन में आया हूं लोगों के आशीर्वाद से और आप कहोगे ...(व्यवधान) बैठ जाओ आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री सभापति: कौन माननीय सदस्य क्या-क्या बोल रहे हैं, वह मैं भी सुन रहा हूं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, आपने कुछ व्यवस्था फरमाई; धन्यवाद आपका कि आपने हाउस को आर्डर में लाने के लिए कुछ व्यवस्था फरमाई। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को आपकी तरफ से हाउस को आर्डर में रखने के लिए जो बात फरमाई गयी, उसका तो धन्यवाद। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी शब्द हैं, आप रिकार्ड में देखकर के उनको तो दुरुस्त फरमायेंगे। प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्य और अभी राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या जो फरमा रही थीं, भावावेश में आकर के वे यह बोल गयी हैं, आपको आसन की ओर उन्होंने कुछ चिह्नित करके कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जो कि संसदीय भाषा के अनुरूप उचित नहीं हैं। (व्यवधान) आसन पर यह टिप्पणी लगाई गई है कि आप +++ और वे जो कहें वह करिए, यह आसन के ऊपर आरोप है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आसन की परम्पराओं का ध्यान रखा जाए और जो भी बात है, इसको दुरुस्त किया जाए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह नहीं कहा, मैंने कहा कि आप कौन होते हैं पूछने वाले; (व्यवधान) आप आसन से पूछिये, मुझसे पूछने का अधिकार नहीं है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): यह व्यवस्था बनाये रखना आसन का काम है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मुझसे सीधा सवाल करने का अधिकार नहीं है। जो भी पूछना है...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री सभापति: आप विराज जाओ ना। माननीय सदस्य, विराजो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री सभापति: फिर वही बात, आप विराजो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य का इम्पोर्टेंट काल आ गया, वे तो चले गये निर्देश लेने...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह डूंगरपुर से बांसवाड़ा की जो रेल लाइन थी, लम्बे समय से आदिवासी इलाके में यह मांग

(डा. रघु शर्मा)

चली आ रही थी। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पचास परसेंट राशि, इसी बजट में करीब बारह सौ करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है जिससे उस इलाके के विकास की तस्वीर बदलेगी। क्या यह बजट ठीक नहीं है आपकी नजर में, कटारिया साहब? अगर आदिवासी इलाके में .....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एक सेकंड।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं पूरी बात कर लूं, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपने नाम लिया, मैं बहस करने के लिए नहीं खड़ा हूं। मैंने जब गिनाया था तो उसमें उसको मैंने गिनाया है। यह नहीं है, मैंने उस बांसवाड़ा में आपने जो योजना दी, मैंने उसको एप्रिशिएट किया है। मैं उस तरह के स्वभाव का नहीं हूं कि अच्छे काम को नकार करके कोई फालतू बात कहूं। मैंने स्वयं ने कहा है। ऐसी क्या बात है? जबरदस्ती काहे को उलझ रहे हैं?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं आभार व्यक्त करता हूं कटारिया साहब का क्योंकि कटारिया साहब, तिवाड़ी जी का एक खासा अनुभव है और ये सदन की परम्पराओं को समझते हैं।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये फिर हो गये चालू। सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है? उस दिन मुझे तो इतना अफसोस हुआ, सभापति महोदय, मेरी आत्मा रोई, तिवाड़ी साहब सवाल कर रहे हैं, इतने अनुभवी आदमी हैं, राजस्थान के शिक्षा मंत्री रहे हैं और पीछे से हमारे तारानगर से आने वाले उसमें भी अपना नुक्स निकाल रहे। भई, इनकी योग्यता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाना चाहते हो क्या? ''यह आपका अन्दर का मामला है, इसको रहने दो।'' क्या दिक्कत है ? लेकिन अगर चुटकी लेते हैं, तकलीफ होती है....

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं, सभापति महोदय, आश्वस्त करता हूं इनको, अगर ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा लेकिन अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो मेरे पास बहुत सारा मसाला है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका समय हो रहा है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हां, मैं बताऊंगा पर आप सुन लो तो मैं बता दूंगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताऊं, सभापति महोदय, यह रोग फैलता जा रहा है, तारानगर से शुरू हुआ डीग तक पहुंच गया, डीग से राजसमन्द चला गया और पता नहीं, कहां-कहां जा रहा है। मुझ पर कृपा करो। मैं तो बात ही तो कह रहा हूं बजट पर।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय हो रहा है आपका।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सुनना ही नहीं चाहते बजट पर। अब आपने समय कर दिया पूरा। सभापति महोदय, हर दृष्टिकोण से बजट शानदार बजट है। इस बजट से चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार हुआ, नहीं हुआ क्या इस बजट के माध्यम से? (व्यवधान) आप फिर बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है...

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप तो विराजो। जब मौका आए तब बोल लेना।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, क्या हो रहा है यह?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपका नम्बर आए तब बोलना आप।

श्री सभापति: उत्तर का प्रत्युत्तर चलता रहा तब तो फिर यह बहस हो गयी। (व्यवधान) आप क्यों बोल रहे हो? बोलने दो ना।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री सभापति: आप जवाब दे देना अगर..(व्यवधान) डा. साहब, विराजो। विराजो माननीय सदस्य। आप विराजो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आज राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा के कवच को मजबूत करने की कोशिश की गयी है इस बजट के माध्यम से। सामाजिक सुरक्षा का जो कवच है, उसको और मजबूती देने की कोशिश की गयी है। जो विकलांग हमारे भाई-बहन हैं, उनके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अलग से निदेशालय बनाने की घोषणा की है। मुख्य मंत्री सम्बल योजना के तहत उनको अलग-अलग तरह की ट्रेनिंग देकर, उनको इक्विपमेंट्स देकर जिन्दगी की मेनस्ट्रीम में लाने की कोशिश की गयी है। यह इस सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक है, माननीय। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): एस टी, एस सी के बच्चे जो छात्रावासों में रहते हैं, पिछली बार भी हमारी सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाया, उनका भत्ता बढ़ाया, इस बार भी हमारी सरकार ने 250 रुपये बढ़ाकर 1,250 रुपये किया। यह सोच है सरकार का कमजोर तबकों के प्रति। लेकिन मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं सरकार को कि ये जो छात्रावास बने हुए हैं जगह-जगह, ये दुर्दशा का शिकार हैं। इनकी प्रोपर मानिटरिंग की व्यवस्था जब तक हम सुनिश्चित नहीं करेंगे, जो पैसा हमने जिस व्यक्ति के लिये बढ़ाया, उस बच्चे के लिये बढ़ाया, उस तक पहुंचना चाहिये इसका लाभ। इस बात की सुनिश्चितता को सरकार अपनी कार्य योजना का हिस्सा बनाए, यह मैं इस सरकार से निवेदन भी करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाने के लिये पिछली बार भी सदन में हमने निवेदन किया।

मुख्य मंत्रीजी ने अभी प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान चलाया। राजस्थान में जो विधवा महिलाएं घूम रही थीं, गांव-गांव में जो विकलांग भाई-बहन घूम रहे थे, जो हमारे वृद्ध महिला और पुरुष घूम रहे थे, पालनहार योजना के अन्तर्गत जिनकी पेंशन बननी थी...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...एक अच्छा प्रयास सरकार के माध्यम से हुआ और उनको पेंशन मिलने की कार्यवाही शुरू हुई। मैं तो अब सरकार से निवेदन

(डा. रघु शर्मा)

करना चाहता हूं कि चाहे राजकोष पर 400 करोड़ का बर्डन बढ़े, 200 करोड़ का बढ़े लेकिन ये जो राइडर्स हैं सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, वे राइडर्स अगर सरकार हटा देती है तो राजस्थान में लाखों की संख्या में जो इस कैटेगरी के लोग रहते हैं, उनका भला हो जायेगा। 400 करोड़ या 500 करोड़ की राशि कोई बड़ी राशि नहीं है। प्रशासन-गांवों-के-संग में मैंने देखा है, हमने राइडर लगा दिया कि जिसके जवान बच्चे होंगे, उस विधवा को पेंशन नहीं मिलेगी। वह जवान होने के बाद चला जाता है, विधवा को जरूरत पड़ी है उसके बाद भी पैसे की। जो बूढ़े मां-बाप घूमते हैं, उनके जवान बच्चे हैं, उनकी पेंशन हम इसलिये नहीं देते कि उनके जवान बच्चे हैं। लेकिन गांव-गांव की कहानी बयां करती है कि हमारे वृद्ध पुरुष और महिलाएं, उनकी दशा क्या है। जवान बच्चा होने की वजह से पेंशन भी रुक रही है और बेटा भी रोटी नहीं देता। तो ये जो राइडर्स हैं, इन राइडर्स को मैं यह सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि खतम कर दीजिये। जो भी आदमी मांगे, क्योंकि रघु शर्मा विधायक है और किरण माहेश्वरी जी भी राजसमन्द से विधायक हैं, उनके पिता-मां पेंशन मांगने नहीं आयेंगे। पेंशन जो मांगने आयेगा, वह जरूरतमंद आदमी आयेगा। सम्पन्न आदमी का बाप पेंशन लेगा तो उसकी बदनामी होगी। इसलिये कोई आदमी ऐसा जिसको जरूरत नहीं हो, मांगने नहीं आयेगा। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इसका दायरा बढ़ाओ। पैसे की तरफ मत देखो। सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाने से गांव में बैठे हुए बूढ़े आदमियों को, गरीब मां-बाप को, गरीब विधवा बहनों को, पालनहार योजना के अन्तर्गत जो हमारे बच्चे हैं, उनको लाभ पहुंचेगा और आज इसकी जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, अल्पसंख्यकों के लिये बहुत सारे फैसले इस बजट के अन्दर सामने झलकते हैं। चाहे उनके लोन की बात हो, चाहे उर्दू अध्यापक लगाने की बात हो, पूरी तरह से कल्याण का एक स्वरूप...(व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हबीब साहब, आप तो बहुत समझदार मंत्री रहे हो...(व्यवधान) हमारी सरकार के मंत्री रहे हो। बोल तो लेने दो। आप चांस लो ना अपनी तरफ से...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, फिर वही बात। (व्यवधान) बोलेंगे ना। माननीय, आप विराजो...(व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): ×××

श्री सभापति: गलत बात । बोलेंगे ना। आप विराजो ना। आप बिराजो, इस तरह से टोकाटाकी, व्यवधान मत करो। आप विराजो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह ट्रेनिंग ही गलत हो गयी है। माननीय सभापति महोदय, यह ट्रेनिंग, यह सचेतक महोदय का काम है उधर लेकिन वे तो खुद ही नेतृत्व करते हैं इस तरह के कामों का। यह काम आपका है, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य। यह उनका काम है अपने सदस्यों को नियंत्रित करना। जब नेतृत्व ही नियंत्रित नहीं है, फिर इनका कसूर थोड़ी है।

श्री सभापति: दोनों मित्र हो आप। आप दोनों की मित्रता इतनी प्रगाढ़ है, बस...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, इतिहास गवाह है इस बात का, सहरिया आदिवासी क्षेत्र है इस राजस्थान के नक्शे में एक जगह, वोट कौन लेता है वहां, काम कौन करता है वहां, यह दीया तले अंधेरा चला आ रहा था वहां बरसों से। बरसों से काबिज हैं लोग राजनीति में वहां के वोटों के आधार पर लेकिन नजर गयी तो हमारे मुख्य मंत्रीजी की गयी। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पिछले शासनकाल में दीपावली मनायी वहां पर। अब की बार सहरिया क्षेत्र में जाकर आए हैं और उस इलाके की दशा बदलने का कदम उठाया है तो राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने उठाया है। मौका और लोगों को भी मिला था। वहां वोट लेने वालों को भी मिला था, आज आई आई टी खुल रही है, रोजगार के अवसर आ रहे हैं, उनके विकास के नये आयाम स्थापित होंगे इस बजट के माध्यम से। इसलिये मैं तो कह रहा था लाख-लाख धन्यवाद देता हूं मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने सहरिया आदिवासी इलाके के लोगों की जिन्दगी में बदलाव लाने के लिये इस बजट में प्रोविजन किया..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

घंटी नहीं बजाएं, सभापति महोदय। मेरा आदेश है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। आप भी, माननीय सदस्य...(व्यवधान) आप भी बोलते हो ना।...(व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इस सदन के...व्यवधान) अब तो मैं अच्छी बातें कर रहा हूं, काहे परेशान हो रहे हो? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): साथिनों का मानदेय, 9,000 साथिनें हैं, हमारी सरकार ने इस बजट में पूरे राजस्थान के अन्दर उनका मानदेय बढ़ाकर... (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): फिर वही बीमारी...(व्यवधान) मैं वही बोल रहा हूं...(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): उनको तो पीड़ा है कोई और। मैं यह कह रहा हूं कि 1,250 किया। मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो आंगनबाड़ी में काम करने वाली बहनें हैं, उनका मानदेय बढ़ाकर 3,000 रुपये किया। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब उनका बजट रिप्लाई आए तो इन साथिनों, आशा सहयोगिनियों का जो 250 रुपये बढ़ाया है, कम से कम उनको सम्मानित जिन्दगी जीने का अवसर तो प्रदान करें। उनका समान एक साथ कर दें। आंगनबाड़ी में काम करो, चाहे साथिन के रूप में काम करो, चाहे आशा सहयोगिनी के रूप में काम करो, 3,000 रुपये की राशि तो कम से कम उनको मिलनी ही चाहिये। यह व्यवस्था इस बजट के अन्दर करें, यह मेरा उनसे पुरजोर निवेदन रहेगा। (व्यवधान) सुनते ही नहीं हो। आप पहले बोलते हो...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपका नम्बर आए, तब बोल देना। जिस तरह से रणथम्भौर को मद्देनजर रखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने फैसला किया रेस्क्यू वैन का, दो चिकित्सकों की वहां परमानेंट ड्यूटी लगायी। जिस तरह से वनों की कटाई आस-पास होती थी और उसमें जानवरों के हमले में लोग मारे जाते थे, कितनी बारीकी से सोचा गया यह कि आस-पास रहने वाले 5,000 परिवारों को गैस के कनेक्शन प्रायोरिटी पर देकर 1,000 की छूट देने का काम मुख्य मंत्रीजी ने किया। यह एक सोच है, ऐसे मुख्य मंत्री का सोच है जो इस माटी में न केवल पैदा हुआ है अपितु...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मेरे को। यह एक ऐसे मुख्य मंत्री का सोच है जो इस माटी में पैदा हुआ है और इस माटी के लिये समर्पित है। न हमारे मुख्य मंत्रीजी का कोई मकान है, न फार्म हाउस है। यही नहीं,...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप विराजो। यह मंत्रीमंडल के टुकड़े तो आपके लिये छोड़ दिये मैंने।(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): एक चीज के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि राजस्थान में गरीब लोगों का पूरा ध्यान रखा गया। आने वाले 3 सालों के अन्दर 10 लाख मकान देना कोई मजाक बात नहीं है। (व्यवधान) ताली बजाओ, अगर आपके दिल में सच्चाई है। आपने बायस्ड तरीका अपना लिया है। सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश करना चाहते हो तो मुझे कुछ नहीं कहना। सभापति महोदय, 10 लाख मकान बनाकर 3 साल में जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं हमारे मुख्य मंत्री...

श्री सभापति: आप थोड़ा सम-अप करो, माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): दो मिनट। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक अभियान प्रशासन-शहरों-की-ओर चलाने की घोषणा हुई अभी बजट में, मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रशासन-गांवों-के-संग

(डा. रघु शर्मा)

अभियान हर साल चलाया जाये ताकि गरीब लोगों के काम एक जाजम पर बैठकर हो सकें।

सभापति महोदय, यह जो 25 किलो गेहूं 2 रुपये किलो के हिसाब से हर महीने बंटते हैं, पहले 36 लाख को दायरे में लिया, 4 लाख लोग और जुड़ गये, 40 लाख लोग हो गये। सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो केरोसीन पी डी एस के माध्यम से इनको मिलता था, उसको कर-मुक्त कर दिया। गरीब का चूल्हा जलाने की व्यवस्था की है राजस्थान के मुख्य मंत्री ने। यह मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, एन टी टी के छात्रों ने इनके टाइम में भी आंदोलन किया, हमारे टाइम में भी आंदोलन किया। इनके टाइम में तो राधाकृष्ण शिक्षा संकुल के बाहर रात को दो बजे, वे हमारी बहन-बेटियां भी हैं, जिस तरह से निर्ममतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी की करुणा देखिये, एन टी टी के छात्र जो आंदोलित थे, उनकी व्यवस्था की गयी इस बजट में ताकि उनका रोजगार लग जाये और वे बच्चे सही रास्ते पर आ जायें, जिनका जीवन खतरे में पड़ गया था इनके कारनामों की वजह से। मुख्य मंत्रीजी ने इसी बजट के अन्दर घोषणा की है।

सभापति महोदय, कोटा वाले लोगों की बहुत समय से मांग चली आ रही थी, मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इसको कहते हैं समग्र विकास, ट्रिपल आई टी कोटा को दी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप तो बैठो, माननीय सदस्या, बैठें। कोटा के लिए बोल रहा हूं, मेरे अजमेर के लिए नहीं बोल रहा हूं। उसकी तारीफ करो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, यह जो युवा और खेल मामलों का मामला आया, मैं आज कुछ चीजें सदन में रखना चाहता हूं। मैं दस मिनट लूंगा।

श्री सभापति: नहीं, माननीय सदस्य। नहीं, माननीय सदस्य। सम-अप करें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, सम-अप नहीं। हमारे खिलाड़ियों ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, एशियाड हो, चाहे कामनवैल्थ गेम्स हों। सरकार ने उनको प्रोत्साहित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि जब तक ग्रामीण खेलकूद को हम बढ़ावा नहीं देंगे तब तक जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनको हम आगे नहीं ला सकते हैं। जो दो करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में मुख्य मंत्रीजी ने किया है ग्रामीण स्पोर्टस को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक बात सुनिश्चित करें कि राजस्थान में 9,187 पंचायतों में से हर पंचायत में खेल का मैदान सुनिश्चित कर दिया जाये, उसकी बाउंड्री सुनिश्चित कर दी जाये, दस हजार रुपये की खेलकूद की सामग्री की व्यवस्था हर पंचायत मुख्यालय पर कर दी जाये, तीन हजार रुपये महीने से एक कोच की व्यवस्था पंचायत मुख्यालय पर कर दी जाये तो मैं दावे के साथ कहने वाला हूं कि आने वाले समय में अनेक खिलाड़ी ग्रामीण परिवेश से निकलेंगे और हमें इसका फायदा मिलेगा। सभापति महोदय, काम की बात है।

श्री सभापति: दो मिनट की जगह चार मिनट हो गये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अभी केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने बजट का जब रिप्लाई देने की बात आयी तो उन्होंने सांसद कोष को बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने की घोषणा की है। अब आप विरोध करो तो करो, अब कोई सामने बोल रहा हो तो मैं बैठ जाऊंगा। माननीय तारानगर से आने वाले सदस्य, आपकी क्या सहमति है इस मामले में?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पूरा सदन एकमत है इस पर, इसको तीन करोड़ रुपये करें। क्योंकि जब हम गांवों में जाते हैं ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वह आप कर लेना, मैं तीन करोड़ की कर रहा हूं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इसमें तो व्यवधान मत करो।(व्यवधान) सभापति महोदय, तीन करोड़ की राशि मिलेगी तो गांव का विकास होगा।

मैं एक निवेदन और आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि यह जो

(डा. रघु शर्मा)
आवासन मंडल के मकान माननीय विधायकों को मिला करते हैं, ये विधायक हट जाते हैं, पांच साल गुजर जाते हैं, कइयों का निधन हो जाता है लेकिन ये आवास उनको मिल नहीं पाते हैं टाइम पर। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार को आपके माध्यम से कि जब तक हम विधायक हैं, अगले चुनाव से पहले यह मकान विधायकों को मिल जायें, इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बाबूसिंहजी, क्यों बोल रहे हो? बोल लेने दो।

सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मेट्रो के लिये 18 हजार करोड़ का प्रोविजन किया। प्रताप सिंहजी नाराज हो जायेंगे, मुझे कहना कुछ नहीं है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो-तीन चीजें हैं जो राजस्थान की जनता हमसे उम्मीद करती है कि हम जब सरकार में आयें तो वे चीजें हम करके बतायें। क्या कसूर किया है राजस्थान के 40 हजार गांवों में रहने वाले लोगों ने 9,187 ? पंचायतें हैं। मैं इस सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, माननीय राजपालजी, आपको बहुत सहयोग दिया है मैंने, झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य; राजस्थान में 40 हजार गांवों का मास्टर प्लान बनना चाहिए। सभापति महोदय, यह जो चरागाह की जमीन खतम होती जा रही है, सरकार अगर इसकी व्यवस्था कर देती है कि चरागाह की जमीन सुरक्षित रहेगी; खेल का मैदान चिह्नित कर दो गांव के अंदर; एक बस स्टैंड की व्यवस्था कर दो; सौर ऊर्जा की लाइट गली में जल जाये ;गांव का कीचड़ मिटाने के लिए गांव-गांव में ब्लाक रोड और नाली की व्यवस्था हो जाये; रोडवेज की या प्राइवेट बस गांव के अंदर चली जाये; एक पटवार घर, मुझे बहुत धन्यवाद करना है सरकार का कि एक हजार पटवार घर बनायेंगे, गांव-गांव में पटवार घर बन जायें। एक आदर्श गांव की कल्पना, चाहे हम एक काम एक साल में शुरू करें, दूसरा काम दूसरे साल में शुरू करें लेकिन शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, नौजवानों के खेलकूद की व्यवस्था, उनके पशुधन को चरने की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, एक सबसे बड़ी प्रोब्लम गांव के अन्दर शौचालयों की है...

श्री सभापति: अब आप सम-अप करें। अब आप सम-अप करें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, शौचालय की दिक्कत है गांव के अन्दर, यह शौचालयों की व्यवस्था गांव-गांव में कर दी जाये तो हमारी बहनों को दिक्कत नहीं होगी। गांव जब आदर्श बनेंगे तब लोकतंत्र महफूज होगा। जब

(डा. रघु शर्मा)

वोट देने वाला असली आदमी जो गांव में बैठा हुआ है, जो आज शहरों में घूमते हैं वे प्रिविलेज्ड क्लास हैं, गांव का गरीब आदमी जो विकास की उम्मीद लिये बैठा है, अगर मास्टर प्लान राजस्थान के गांवों का बनता है तो निश्चित रूप से राजस्थान में विकास होगा, यह मेरा दावा है।

सभापति महोदय, मैं एक बात और आपसे करना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार पर बहुत सारी बातें होती हैं, आज हमारे एक विधायक के बेटे की भी हत्या हो गयी, यह हमको देखना पड़ेगा कि राजस्थान के यह जो ठेके हो रहे हैं, चाहे शराब के हो रहे हों, चाहे रायल्टी के हो रहे हों, चाहे किसी तरह के हो रहे हों, किस तरह का एलीमेंट इन ठेकों के अन्दर आ रहा है। सभापति महोदय, आज राजस्थान में संगठित अपराध क्यों घटित होने लग गये? एक शांत प्रदेश के अन्दर यह शुरुआत कहां से हुई है और अंत कहां हो रहा है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। इस बात पर भी सदन को एक होना पड़ेगा कि राजस्थान में यह जो आपराधिक गतिविधियां करने वाले लोग हैं, जो विभिन्न तरीके से ठेके लेकर आर्थिक रूप से सम्पन्न हो जाते हैं और फिर इस राजनीति को अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हैं, यह अपराध को नियंत्रित करने की कार्यवाही अगर सरकार करना चाहती है तो सबसे पहले इसकी तरफ देखना पड़ेगा कि किन लोगों को ठेके देने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, दूसरी चीज, सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता का संकल्प तो इस सदन में हो जायेगा, लोक सभा में आने वाले लोग अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दे देंगे...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप सम-अप करें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): लेकिन इस दीर्घा में आने वाले लोग, इन अफसरों पर लगाम कौन लगायेगा? ना वे लगा सके, ना हम लगाने की नीयत रखेंगे तो गरीब लुटेगा। इनकी संपत्ति का जायजा लीजिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सम-अप करो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, भ्रष्टाचार इतना ज्वलंत मुद्दा है, इस पर प्रभावी नियंत्रण करना पड़ेगा।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं तो एक किस्से के साथ खतम कर दूंगा।

श्री सभापति: आप किस्सा वही बोलना जो आप दोनों के समझ में आ जाये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आप भी उनको सुनाते हैं और वे भी आपको सुनाते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, प्रायोजित कार्यक्रम किया हमारे माननीय सदस्य ने और मास्टर हैं प्रायोजित कार्यक्रम करने में। देखिये, मैं एक बात बताऊं, अगर शासन चलता है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

श्री सभापति: आप विराजो। मैं अगले वक्ता का नाम पुकार रहा हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप हमारी पार्टी का समय बढ़ा दें, हमारी पार्टी का समय बढ़ेगा। माननीय, आपका क्या जा रहा है ?

माननीय सभापति महोदय, यह शासन चलता है नजर से, जबान से और कलम से। एक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे, हरिदेव जोशीजी उस समय मुख्य मंत्री थे, जब बाबू जगजीवन राम का अस्थि कलश यहां आ रहा था, उस समय एक प्रेस कांफ्रेंस वे कर रहे थे अपने घर पर। अति उत्साही एक जिला अध्यक्ष, जिला कलक्टर और एस पी को देखकर अपने नम्बर बढ़ाने के लिए यह कहने लगे कि बाबूजी, आप कहें तो अस्थि कलश मैं आपके घर ही ले आऊं। हरिदेव जोशीजी माजरा भांप गए और भाग कर गए और श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीर की, खंजर की ...

श्री सभापति: श्री देवीसिंहजी भाटी।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह तलवार क्यों पकड़ा रहे हो? आपका इतिहास ठीक नहीं है, राजस्थान में कत्लेआम हुआ था आपके टाइम में। यह तलवारें क्यों भेंट कर रहे हो? (व्यवधान) कलम भेंट की होती तो समझ आती। यह मरवाने का काम कर रहे हैं अपने नेता को और जिस तरह का भोंडापन आ रहा है राजस्थान की राजनीति में, वह चिंता का विषय है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजो। श्री देवीसिंहजी भाटी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, आप मुझे 50 मिनट देंगे।

(श्री देवी सिंह भाटी)

बजट पर चर्चा चल रही है। मैं कोई इकोनोमिस्ट नहीं हूं। वर्षों से एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, वह मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाह रहा हूं। यह जो हमारी पंचवर्षीय योजना है, वार्षिक योजना है, जो हम बजट बनाते हैं, आखिर उसका आधार क्या है? अभी हमारे प्लानिंग कमीशन के विजय शंकर व्यास, राजसिंहजी निर्वाण ने बीकानेर में आकर बैठक ली। बैठक में मैंने उनसे पूछा कि इसका आधार क्या है, उन्होंने बताया कि हम जिलों से फीडबैक ले लेते हैं, हम विभागों से फीडबैक ले लेते हैं और उसके आधार पर हमारी योजनाएं बन जाती हैं। मैंने कहा कि यह योजना, हमारे सामने जो हम देख रहे हैं पिछले 60 साल से, सही दिशा की ओर नहीं है, आप उस गांव को यूनिट मानते हुए, उस शहर, कस्बे और मोहल्ले को यूनिट मानते हुए आगे की बीस-पचास साल की योजना बनाओ जिससे हमारे पूरे राजस्थान का एक समान विकास हो। मैं प्रभावशाली व्यक्ति हूं, मेरे गांव में पी एच सी भी है, आयुर्वेद चिकित्सालय भी है, होम्योपेथी चिकित्सालय भी है; दूसरा 40 किलोमीटर दूर दवा के लिए रात-दिन दौड़ता रहता है। तो इसका कोई आप आधार बनाइए। आप जिस प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं, 60 साल निकल गए, 100 साल निकल गए, यह असमानता बढ़ती जाएगी।

आप बजट बना रहे हैं, इसका जो परिणाम दिख रहा है, जो सबसे मुझे अखर रहा है वह यह है कि एक तरफ हम जीरो बजटिंग की बात करते हैं और हमारा कोई भी कदम उस दिशा में नहीं बढ़ रहा है। हम तो यह कह रहे हैं कि जो हमारी पूर्वजों की जीरो बजटिंग की व्यवस्था समाज में थी, आप तो उसको पकड़ो और जो नई तकनीक सामने आई है, उसको भी जोड़ते जाओ तब तो कोई दिशा बनेगी। हमारी उस व्यवस्था के अन्दर हमें खेती के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ता था। बीज मेरे घर का, हल भी मेरे घर का, बैल वगैरह मेरे घर के, कटाई और निकलवाई फसल की, उसमें एक-दूसरे का सहयोग कर देते। हमारी जो पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था थी, उसमें बिना खर्च के हमारा पशुपालन होता था। पूर्वजों ने बहुत आगे की सोची कि यह आदमी की जमीन की भूख नहीं जाएगी इसलिए उन्होंने चरागाह, गोचर और ओरण के नाम से जमीन छोड़ी। लेकिन हमने पिछले 30-40 साल में कभी भी इस ओर गौर नहीं किया। सरकारी योजनाएं बनाईं और कोई भी कामयाब नहीं हुई। आज हम स्टाल फीडिंग पर चल रहे हैं। हमारे पानी की व्यवस्था बिलकुल सही चल रही थी, उसके अन्दर आपने सीधा कह दिया कि यह तालाब का पानी गंदा है, कुएं का पानी ठीक नहीं है, बावड़ी का पानी ठीक नहीं है, हम तो आपको फिल्टर्ड

(श्री देवी सिंह भाटी)

पानी पिलाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी खड़ा होकर यह कह दे कि मैं फिल्टर्ड पानी पी रहा हूं, इस हिन्दुस्तान में कोई भी नहीं कह सकता। आप हमारे वे साधन रखते। उसके साथ में मैं कहता हूं कि जैसे हमारे पश्चिमी राजस्थान में इतने खारे पानी के कुएं हैं, आप खारे पानी के कुओं को यथावत रखते जिनके ऊपर पशुधन आधारित था। सबसे ज्यादा खपत उसमें होती है लेकिन वे आपने बंद करवा दिए। कहते हैं डब्ल्यू एच ओ और केन्द्रीय जल आयोग यह कहता है कि इसमें टी डी एस की मात्रा ज्यादा है। सदियों से हम पी रहे थे, उसे तो आपने छुड़वा दिया और आपने यह नई योजनाएं जो बनाई हैं, पाइन लाइन के माध्यम से, वह एक भी योजना आपकी नहीं चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, इस व्यवस्था की हमें थोड़ी दिशा बदलनी पड़ेगी, इस दिशा से काम हमारा चलने वाला नहीं है। अब इस सारी व्यवस्था के अन्दर मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि लाखों बीघा हमारी गोचर, ओरण भूमि पूरे पश्चिमी राजस्थान में, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि जिलों में हमारे पूर्वजों ने जो गोचर भूमि छोड़ी थी। पिछले साल सेवण घास बीजी थी उस इलाके में, बीकानेर के पास एक गोचर है 27 हजार बीघा का, उसमें 5 हजार बीघा में हमने सेवण घास बीज दिया, जाली की तारबंदी करके और आज के दिन उसमें 30-35 हजार गाएं नि:शुल्क चर रही हैं। हम वह कर नहीं रहे हैं और सरकार और पंचायतों को बीच में लाएंगे। पशु-पालन विभाग से, केन्द्र सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान की योजना आई और उसमें चारा उगाने के लिए अनुदान था 100 प्रतिशत अनुदान, उसमें एक भी किसी पशुपालक को उसका फायदा नहीं मिला। हम कह रहे थे कि आप इसमें प्रवासी हमारे जो व्यापारी हैं, जिनकी अच्छी एक बैलेंस शीट हो, वे जिस गांव के, जिस इलाके के रहने वाले हों, उनको आप इसमें इन्वाल्व करो तब जाकर आपकी कोई दिशा बनेगी। आज के दिन तो जितनी भी हम बातें करें, हमारी कोई भी योजना सफल नहीं हो रही है।

आप किसी भी गांव में चले जाइए, गरीब का वही कपड़ा और उसकी छत की हालत वही, दवाई के लिए उसके पास पैसे नहीं, उसका खाना बेकार। हमारी स्थिति यह थी कि लार्ड मैकाले जब आया था, उसने देशाटन करके इंग्लैंड को रिपोर्ट दी कि पूरे हिन्दुस्तान में मैंने देशाटन किया है, इसमें कोई भी व्यक्ति मुझे गरीब नहीं मिला, इसलिए इंग्लैंड वालों से यह कहा कि हम हजारों साल भी राज कर लें पर इस हिन्दुस्तान को गुलाम नहीं बना सकते। इसलिए

(श्री देवी सिंह भाटी)

वह शिक्षा पद्धति लेकर आए। हम यह कहते हैं कि हमारी जो पुरानी अर्थव्यवस्था है, उस सोच के अनुसार यदि हम चलेंगे तो निश्चित तौर पर एक दिशा बनेगी। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि आप उस जीरो बजटिंग की ओर दिशा लो।

माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रीजी और पशुपालन मंत्रीजी से कहूंगा कि आप यह विदेशी नस्ल के पीछे क्यों पड़े हो? आप भेड़ें लेकर आए, आप गायें लेकर आएं लेकिन आज दिन तक वे कामयाब नहीं हो सकीं। उसके लिए आपके पास चरागाह चाहिए, चारागाह आपके पास हैं नहीं। आप आस्ट्रेलियन मेरिनो, रशियन मेरिनो लेकर आए; चाहे वह फतेहपुर में हो, चाहे अविकानगर में हो, एक भी कहीं फ्लाक नजर आपको नहीं आएगा। इसकी कोई दिशा बने। यह होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसलिए आप उस दिशा में काम करें तो निश्चित तौर पर दिशा बनेगी।

आज भेड़ों की हालत क्या हो गई है? आप भेड़ों के लिए क्या कर रहे हो? सिर्फ दवा के अलावा आपका कोई सहयोग नहीं है। मुफ्त में आपको आय होती है। जहां इस राजस्थान में करीबन 8 करोड़ भेड़ें होती थीं, आज मात्र 1 करोड़ 11 लाख भेड़ें बची हैं। आपके ऊंटों की संख्या नगण्य हो गई है, कुल 4 लाख 4 हजार आपके पशु बचे हैं ऊंट के। अगर इस दिशा में हमने काम नहीं किया तो निश्चित तौर पर हमारे गांव सारे उजड़ जाएंगे। आप भेड़ों के लिए इतना भी नहीं कर सकते, हम फेमिन में सब पशुओं के लिए मदद करते हैं लेकिन भेड़-बकरियों के लिए हमारे फेमिन कोड में कोई व्यवस्था नहीं है। सब भगवान भरोसे छोड़ दिया। आपका जो बजट बनता है, सारा कारपोरेट्स के लिए बनता है। हमारे लिए क्या आप लॉलीपोप देते हैं कि केन्द्र का बजट आएगा, राज्य का बजट आएगा। आप यदि कोई ऋण लेते हैं और आप समय पर जमा करवा देते हैं तो एक प्रतिशत छूट हो जाएगी। यह आपका क्या सहयोग है? जो भी वह काम करें, बिना खर्चे के, कम से कम खर्चे में करें, तब तो उसकी मदद होगी और वह खड़ा हो सकता है लेकिन यह नाटक करने से कोई दिशा बनने

(समय: 16.00 बजे)

वाली नहीं है। इसलिए आप जब तक गांवों में जो खेती का काम है, जो पशुपालन का है, चाहे पानी का है, उस दिशा में अगर काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई दिशा नहीं बनेगी।

(श्री देवी सिंह भाटी)

आपने तो आय के साधन क्या बना लिये, कहते हुए शर्म आती है कि आपने शराब की एक्साइज को आय का स्रोत बना लिया कि इस साल हमने 22 सौ करोड़ रुपये अर्जित किये, 6 सौ करोड़ और अगले साल अर्जित करेंगे। जिस व्यवस्था के अन्दर गांवों में कोई शराब नाम की चीज जानता नहीं था, वहां आपने गली-गली में शराब कर दी। हमारा दायित्व है, सामाजिक व्यू से हम जुड़े हुए हैं कि उनकी आदत धीरे-धीरे छूटे, वह प्रयास करें; यह नहीं कि हम गांव-गांव और गली-गली में शराब की दुकानें खोल लें।

साथ में, सभापति महोदय, यह कौनसी आय है कि हम दवाई के ऊपर भी टैक्स ले रहे हैं जो जीवनदायी औषधि है, उसके ऊपर भी कमाई करके? बहुत साधन हैं करने के। इस प्रकार के काम आप नहीं करें। मैं यह कहना चाहूंगा, सुझाव भी है कि चिकित्सा के अन्दर आज हम सारे इस एलोपेथी के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, एलोपेथी के ऊपर इतना भारी प्रेशर हो गया। आज एस एम एस के अन्दर बाइपास की सुविधा कर दी, मैं जाता हूं, दिखाता हूं, बीमार हूं, डाक्टर कहता है कि तेरे तो 90 परसेंट ब्लाकेज है, तुरन्त बाइपास करा नहीं तो मर जाएगा; वह आता है कि साहब, मैंने पैसे जमा करवा दिये, अब मेरा आपरेशन करो; कि तेरा नम्बर तो दो महीने के बाद आ जाएगा। अरे, साहब, अभी तो कह रहे थे कि तू मर जाएगा! हम यह कह रहे हैं कि आप कितने हास्पिटल बनाओगे, कितने डाक्टर तैयार कर दोगे, आप वह थेरेपी भी रखिए लेकिन जो कम खर्चे में हमारी जो पुरानी थेरेपी हैं, चाहे आयुर्वेद है, चाहे होम्योपैथी है, चाहे हमारी यूनानी है, चाहे प्राकृतिक है तथा योगा का है, चाहे एक्यूप्रेशर है, इनको बढ़ावा दो। यह जब तक आप नहीं करोगे तो कोई भी इस प्रकार की चिकित्सा की व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल सकेगी।

अभी मैंने सुझाव दिया था कि आप पहले जीरो बजटिंग की दिशा में कुछ काम करो। योजना आयोग वाले भी आये थे, मैंने कहा, आप सड़क के ऊपर हर साल अरबों रुपये खर्च करते हैं, जहां पर भी तेज गति से वाहन नहीं चलते हैं, जहां सरकारी कालोनीज हैं, हमारे मोहल्ले की गलियां हैं, वहां तो कम से कम आप खण्डा के उस पत्थर से सड़कें बना दो। आपने देखा होगा कि जैसलमेर में, करौली में, और भी शहरों के अन्दर वह जो पुराने पत्थर की सड़कें बनी हुई हैं, दो सौ साल, ढाई सौ साल से आपने 10 रुपये भी कहीं खर्च नहीं किया। आपकी फास्ट ड्राइविंग जहां हो, स्पीड वाला जहां परिवहन अगर चल रहा हो

(श्री देवी सिंह भाटी)

तब आप निश्चित तौर पर तार बनाइए, चाहे सीसी बनाइए लेकिन उस दिशा में हम करेंगे, निश्चित तौर पर जीरो बजटिंग की ओर दिशा हमारी बढ़ेगी।

मेरा यह भी सुझाव है, आप और हम सारे तकलीफ पा रहे हैं कि रेल की फाटक सब जगह हो रही है, मेरा यह सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार ने नरेगा योजना चला रखी है, जहां-जहां इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में रेलवे फाटक की समस्या है, वहां पर आप नरेगा में यदि अंडरपास बना दो तो काफी बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है और हमारी बजट राशि उसमें नगण्य खर्च होगी। अगर इसके ऊपर गौर करें तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सहूलियत मिल जाएगी।

आप यदि समस्याओं का समाधान चाहते हो, कुछ करना चाहते हैं तो आप हम सारे पानी के कारण से, चाहे वनों के कारण से, सब पर्यावरण से दुःखी हो रहे हैं, मेरा इसमें सुझाव है कि जहां-जहां पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर आप नरेगा के माध्यम से जहां खण्डा पत्थर उपलब्ध है, उसकी बड़ी दीवार चारों तरफ बना दो। आपने कुछ नहीं करना, केक्टस उगेगा, उसके बीच में से पेड़ निकलेगा, खूब घास हो जाएगी। उसके बाद में चाहे आप पशुओं के लिए खोलो लेकिन उसके बाद में निश्चित तौर पर दिशा बनेगी और 10 साल के अन्दर आपके वहां झरने बहने शुरू हो जाएंगे और पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। जहां पत्थर उपलब्ध नहीं हैं, आप नरेगा के माध्यम से जहां चिकनी मिट्टी है, वहां चिकनी मिट्टी की एक फट्टों की दीवार बनती है, वह आप दीवार बना दो तो आपके जो चरागाह हैं, गोचर हैं, ओरण हैं, वे सुरक्षित हो जाएंगे, उसमें घास और पेड़ सारे उग जाएंगे। जहां चिकनी मिट्टी भी नहीं है, वहां आप कच्ची ईट बनाकर भी आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित तौर पर दिशा बनेगी।

हमारे वन विभाग में अधिकारी आते हैं, बेचारे वे बच्चे होते हैं। सारे स्कूल, कालेज से पढ़कर सीधे अधिकारी बनते हैं। जिम्मेदारी का काम आ जाता है, कभी ननिहाल देखा नहीं, दादाणा देखा नहीं। एक लाइन पर ही काम करेंगे कि चार फीट की दूरी हो। हर जगह पेड़ लगाये, चाहे केरल में लगाए, चाहे रेगिस्तान में लगाए, आपने जितने भी विदेशी पौधे हमें धोखे में डालने के लिए खेत में लगवाये, किसी ने कुछ किया, एक भी विदेशी प्रजाति कामयाब नहीं हुई, चाहे आपका सफेदा ले लो, चाहे जोजोबा, होहोबा ले लो, चाहे आप जटरोफा ले लो, चाहे खजूर ले लो। अब वह एक लाये हैं ओलिव, जैतून। अब इस प्रकार के हैं, वे आपने लगाये जहां कहीं भी, राजस्थान कैनाल में, जोशीजी के पड़ोस फलौदी

(श्री देवी सिंह भाटी)

से जाती है, वह नहर के साथ-साथ बड़ी कैनाल सारी, वे पेड़ टोटली आज के दिन बड़े होकर राख हो गये। हम स्थानीय प्रजाति को देखें, संभालें; जो ईश्वर ने हमें दे रखा है, पहले हम गोदी वाले को संभालें, उसके बाद पेट वाले की आस करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप खेजड़ी के बारे में सोचिए, खेजड़ी आपको कुदरत ने दी है, अपने आप उगती है। अगर आप 15-20 दिन उसके सिर्फ सांगरी तोड़ लो, हरी सांगरी तोड़ लो तो आपकी वह सांगरी बाजार में आज के दिन 30 से 35 हजार रुपये क्विंटल बिकती है। पर उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, हम तो कह रहे हैं विदेशी लाओ, उससे तुरन्त हो। हमें कहा, मैं फंस जाता, सफेदा है, वह मैंने देखा, वह पूरा मेरे खेत में लगा दूं; उन्होंने कहा, सातवें साल, साहब, आप करोड़पति हो जाओगे पर जब लोगों का हाल देखा, मैंने नहीं बीजा तो बच गया लेकिन जो कर रहे हैं...। धीरे-धीरे सरकारी व्यवस्था से आस्था उठ जाती है, इस प्रकार से। आप देखें कि अगर स्थानीय प्रजाति चाहे खेजड़ी हो, बेरी हो, कुमट हो, केर हो, इनको बढ़ावा देने के लिए आप मदद करें तो निश्चित तौर पर दिशा बनेगी लेकिन बहुत हम बेपरवाह हो रहे हैं।

मुख्य मंत्रीजी अभी पिछले दिनों बीकानेर आये। हमने भी वह गोचर है जो सरेनथानिया, पांच-चार बीघा में, हमने दिखाया, वहां हमने कहा कि साहब, इस साल बारिश अच्छी हुई है, मूंग का चारा और ग्वार की फली कटी है, यह ईंट के भठ्टों में, फैक्टरियों में जलाने के लिए ले जा रहे हैं; दो सौ, डेढ़ सौ रुपये क्विंटल बिक रही है। मुख्य मंत्रीजी ने वहां निर्देश दिये, सब के सामने, सार्वजनिक रूप से, बेनीवालजी भी वहां थे, पर आज मैं कह रहा हूं, बेनीवालजी बिराज रहे हैं, उसी तरीके से, चारा हमारा इतना महंगा जो पांच सौ-छह सौ रुपये क्विंटल पिछले साल हम खरीद रहे थे, वह आज जलाने के लिए काम में ले रहे हैं। उसको कोई रोकने वाला नहीं। दर्द यह है कि मुख्य मंत्रीजी ने सार्वजनिक रूप से वहां निर्देश दिये, उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में आप रोक लगाइए, यह भी वहां निर्देश दिये लेकिन यह नहीं देख रहे हैं। तो वास्तविकता में नजदीक जाएं तब कोई बात बनेगी।

मेरा सुझाव है, कृषि मंत्रीजी, आप प्रयास कीजिए, मुख्य मंत्रीजी सुनें, दुःख तो यह है कि हमारे बजट के ऊपर चर्चा हो रही है, वित्त मंत्रीजी यहां कभी हाउस में बिराजते नहीं हैं, न सुनते हैं, आप अगर देना भी है तो उस काश्तकार को बीज है वह मात्र बाजार की कीमत से 10 प्रतिशत में दो; उसके हल के लिए, ऊंट के लिए, बैल के लिए, चाहे वह खाद तैयार करता है, नाम मात्र की

(श्री देवी सिंह भाटी)

आप राशि लेकर उसको दो तो कुछ उसके हमारे खर्चीली जो खेती है, उससे पीछा छूट सके। यह जो आपने विश्वविद्यालय, रिसर्च इंस्टिट्यूट, ये जितने बनाये हैं, आप सब देख रहे हैं, कोई भी न तो किसान को उसकी जो भी उन्होंने नई को बीज बनाकर उन्नत बीज लाये, कोई सूचना नहीं मिलती। मैं जाकर मिला, जोधपुर के अन्दर 'आफरी' हमारे पेड़ों के लिए इंस्टिट्यूट खड़ी की हुई है, उनके डाइरेक्टर से मिला कि खेजड़ी जल रही हैं, नागौर में हजारों की तादाद में जल रही हैं, जोधपुर के अन्दर बाप और फलौदी, पोकरण में जाकर मिला। तो उन्होंने कहा, साहब, इनकी जड़ के अन्दर एक सफेद लट्ट है, उसके कारण से यह खेजड़ी जल रही है। हमने भी माना, होगी, भाई, कौन जड़ खोदे, किसको पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कृषि मंत्रीजी, वे सारे जो पेड़ सूखे हुए थे, जिनके लिए मैंने चिंता की, उनके जाकर मिला और जो बरसात हुई, जचा कर वह सारी खेज़डियां जो ठूंठ हुए पेड़ थे, दो-दो, पांच-पांच साल से वे हरी हो गईं। यह क्या रिसर्च करते हैं? होगा वह कारण, लट्ट भी होगी लेकिन मुख्य कारण यह था, उसके अन्दर पानी नहीं।

इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि देखिए, निजी तौर पर किसान हैं, ग्रामीण हैं, सीकर जिले के अन्दर हमसे बार-बार वे किसान मिलते रहते हैं, अपने स्तर पर इतने नये-नये अविष्कार करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए कोई भी राशि का प्रावधान, मदद नहीं मिलती। बहरोड़ में एक सूबेसिंह जाट हैं, मेरे से मिले; वे कहते हैं, साहब, मैंने एक जीरो वेलोसिटी की मोटर चलाने की व्यवस्था कर दी है, यह मैंने सारा डेमोंस्ट्रेशन कर दिया, पूरा मैगजिंस में छपा है ;पर उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। ऐसे किसानों की मदद करोगे तो निश्चित तौर पर कोई दशा बनेगी।

अनुदान, कृषि मंत्रीजी, हम सब जानते हैं कि चाहे औषधीय पौधों का हो, चाहे बागवानी का हो, दिल्ली में बैठे हैं, वहीं पर इसकी प्रक्रिया पूरी करके, वहां से हमारे वहां जमीनें खरीदीं; वह जमीन दिल्ली के खरीदने वाले हैं, उनको लोग कहते हैं कि साहब, चलकर के जमीन तो देख लो लेकिन वे कहते हैं कि नहीं, हमारी तो रजिस्ट्री करा दो, इन्द्राज करा दो और वहां बैठे-बैठे वे सारी करोड़ों-अरबों रुपये की सब्सिडी वहां पर उठाकर के खतम कर देते हैं। इसलिए कम से कम जो आपकी अनुदान की कोई दूसरी योजना है तो आप मासिक रूप से तय करें, आप उसको टी वी में, अख़बार में, रेडियो में बार-बार प्रचारित करें तो लोगों को जानकारी हो। आप इतनी ज्यादा उसमें फार्म में फार्मेलिटीज करवा

(श्री देवी सिंह भाटी)

देते हो, चाहे केन्द्र की योजना हो, वहां करो या यहां है। आप तो साधारण फार्म भरवाओ और यह जिम्मेदारी विभाग को दो कि वह ही उसको पूर्ण करके मोहर लगायेगा। अभी हमारे वहां से आपके यह जो चारा योजना में बीकानेर पशुपालन विभाग से भेजा गया, सैकड़ों फार्म लोगों ने भरकर भेजे, वे काफी समय बाद में वापस वहां के वहां आ गये कि अधूरे हैं। तो इससे जो लाभ हम देना चाहते हैं, वह लोगों को मिलता नहीं है। इसलिए उसमें आप कुछ दिशा बनायें तब जाकर के कोई बात बनेगी वरना हमारे किसानों की स्थिति ठीक नहीं है।

कृषि मंत्रीजी, दु:ख इस बात का है कि जो जलाऊ लकड़ी, जिसको इधर-उधर से चुनकर ले आओ या कहीं से काटकर ले आओ, जिसमें कोई खर्चा नहीं, कोई आपने लगाया नहीं, वह जलाऊ लकड़ी बाजार में 300 से 400 रुपये क्विंटल बिक रही है और मैं गन्ना बेचने जाता हूं गंगानगर शुगर मिल के अन्दर तो मेरा गन्ना बिकता है 185 रुपये क्विंटल। यह दु:खदायी स्थिति है किसानों के लिए कि वह जो 10 महीने लगातार मेहनत करता है, खर्चा करता है उसे तो मिलता है 185 रुपये क्विंटल और जलाऊ लकड़ी आप कहीं से भी ले आओ, जो किसी काम में नहीं आती, सिर्फ जलाने के काम आती है, उसके मिलते हैं 300-400 रुपये क्विंटल। पूरी सब्जी जा रही है, मैं सब्जी मण्डी जाता हूं तो 200-250 रुपये क्विंटल से ऊपर मुझे भाव नहीं मिल रहा है और जलाऊ लकड़ी 300 रुपये क्विंटल। तो इस दिशा में आप कुछ करेंगे तो निश्चित तौर पर दिशा बनेगी वरना इससे कोई दिशा बनेगी नहीं।

यहां अगर मैं ज्यादा कहूंगा तो मुझे लगता नहीं कि यहां कोई बात पकड़ने वाला कोई हो, क्योंकि मुख्य मंत्रीजी रुचि लेते नहीं और बाकी के पास सामान नहीं है। यह दु:खदायी स्थिति है। पूरे हाउस के अन्दर सब के मन में आती होगी कि योजनाएं हमारी विभिन्न विभागों से इतनी ज्यादा बन जाती हैं कि मैं दावा करता हूं कि कोई भी मंत्री, विधायक खड़ा होकर के, या चाहे आम जनता में से, राजस्थान के विभिन्न विभागों की योजनाओं को कोई गिना दे तो। कोई गिना सकता है? इतनी योजनाएं, इतने नये-नये नाम रख देते हैं। तो आप उनको कंसोलिडेट करके थोड़ा कम करो। एक के अन्दर ही आप सारी व्यवस्था करो तो निश्चित तौर पर कोई दिशा बन सकती है। 108 की माला तो फिर भी फेर लें लेकिन योजनाओं के लिए तो हम गिनती नहीं करवा सकते। इसलिए कम से कम इसको आप देखिये।

(श्री देवी सिंह भाटी)

मेरा यह भी सुझाव है कि आप हर चीज को थोड़ा अन्दर जाकर के देखो कि आज टाउन प्लानिंग, हम सरकार में हैं तो हमारी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दिशा देने की भी जिम्मेदारी बन जाती है। अब आप उसके अन्दर पता नहीं, कैसी अंग्रेजों की नकल की कि पूरी भी नहीं कर पाये। जो मकान, कालोनी बनेगी, वह सीधी लाइन, रेखा में बनेगी। फ्लैट आ गये, फ्लैट सिस्टम बन रहा है तो उसमें कोई पड़ोसी को पता नहीं, कोई किसी को जानता नहीं। फ्लैट में कोई मर जाता है तो बदबू आती है, तब कहते हैं कि बदबू आ रही है और तब पता चलता है कि कोई आदमी मर गया है। यह देखिये, सामाजिक जुड़ाव, समरसता होनी चाहिए, उस दिशा में हमें काम करना चाहिए। जो हमारी पुरानी गांव की, शहर की, कस्बों की बसावट थी कि एक गोलाई में बसें, बीच में चौक हो, गुवाड़ हो, सबका आपस में मिलना-जुलना हो, बूढ़े अलग बैठे हैं, बच्चे अलग बैठे हैं, महिलाएं अलग बैठें जिससे सामाजिक समरसता बने। पर यह परिवारों को बांटने का काम हमारा नहीं है और इस दिशा में सोचना पड़ेगा, तब जाकर के हम बनेंगे। हम टाउन प्लानिंग की तरफ सोचते ही नहीं। पूरे हिन्दुस्तान में घूम लो, सब जगह हमारी नालियां खुली, नाले खुले लेकिन हमने इतना भी नहीं देखा कि हड़प्पा और मोहन जोदड़ो की सभ्यता चाहे कालीबंगा, पीलीबंगा में हो, चाहे और जगह, वहां आपको कोई भी खुली नाली और नाला नहीं मिलेगा। उस समय उन्होंने सोचा लेकिन हम नकल भी करना नहीं जानते। इसलिए कम से कम उस दिशा में हमें काम करना चाहिए।

मैं यह कह रहा था कि शहरों के अन्दर भी आप अगर खरंजा की सड़क बनाओ तो हमारा एक बार खर्चा होगा, जो गलियां हैं, जो कालोनियां हैं, वहां। अब यह पता नहीं, फ्लाई-ओवर बनाने लग गये। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आप फ्लाई-ओवर बना रहे हो पर मैंने मेरा पहले फ्लैट ले लिया, मैंने वहां पर इतना खर्चा करके आपकी डी एल सी रेट के अनुसार वहां मकान बना लिया और तुरन्त आप बीच में लाकर के फ्लाई-ओवर खड़ा कर देते हो। तो मेरे मकान की वेल्यू खतम, मेरी प्राइवेसी खतम। मेरी यदि कोई व्यापार की दुकान, शोरूम है तो उसकी वेल्यू सारी खतम हो जाती है, पर उसके मुआवजे की व्यवस्था नहीं है। आप जहां हो सकता है, वहां पर कम से कम अंडर-पास से चलें। यह फ्लाई-ओवर वाली कौनसी संस्कृति है? हम नकल पर नकल किये जा रहे हैं पर यह दिशा ठीक नहीं बन रही है। इसको हमें देखना चाहिए और निश्चित तौर पर आप विचार करेंगे तो दिशा बन सकती है। यहां जयपुर शहर में भी पोलोविक्ट्री से स्टेशन तक एक फ्लाई-ओवर बना दिया पर एक आदमी

(श्री देवी सिंह भाटी)

चलता हुआ नजर नहीं आता है। हम जयपुर से दिल्ली जाएं तो सड़क के बीचों-बीच एक लम्बा फ्लाई-ओवर बन रहा है। हमने पूछा कि यह क्यों, तो बताया कि साहब, पहले कोई रास्ता नहीं छोड़ा, गांव वाले कैसे क्रास करें क्योंकि ये वाहन इतने तेज चलते हैं। हमारी प्लानिंग सही नहीं है और इस दिशा में जब तक आप उस यूजर से, आप उन गांव वालों से, शहर वालों से पहले योजना की बात नहीं करोगे, उनसे चर्चा करो, उनके पास समस्या के साथ में समाधान भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि उसके पास सिर्फ समस्या है, वह हर चीज का समाधान बता सकता है लेकिन हम उससे बात नहीं करते और करते हैं तो उससे दिशा बनती है।

आपने देखा होगा कि अभी बिहार में पहले वहां नितीश सरकार थी और अभी दुबारा आई है। मैंने टीवी में सुना कि पहले पटना के अन्दर कोई प्लाट का खरीददार नहीं होता था लेकिन जब से नितीश सरकार आई तो मुम्बई का कोई पाश एरिया है, उसके बराबर आज कानून-व्यवस्था ठीक होने से पटना के उन फ्लैट्स की जमीन के भाव हो गये हैं, मुम्बई के बराबर। तो कानून-व्यवस्था उससे जुडी हुई है और वह जब तक सही नहीं होगी, वह सिक्योर नहीं होगा, चाहे बाहर से कोई आये; वह तभी सम्भव होगा जब आप लॉ एंड आर्डर का पूरा ध्यान रखेंगे। धारीवालजी, हमारे गृह मंत्रीजी तो चलते ही कह देते हैं, मैं कल टीवी में सुन रहा था, कि पुलिस का काम पहले नहीं होता, पुलिस तो घटना होने के बाद अपना काम करती है। हमारे पहले पुरानी व्यवस्था थी कि गांव में कोतवाल होता था और वह पहले सूचना दे देता था कि इनमें आपस में तनातनी है या वह साजिश कर रहा है। आप इसको देखेंगे, लोगों से बात करेंगे तब तो दिशा बनेगी वरना यह कोई दिशा बनने वाली नहीं है।

सभापति महोदय, हमें तकलीफ इस बात की होती है कि हमारी नई परम्पराएं बन गईं, जैसे अभियान चल रहे हैं शहर-की-ओर, गांव-की-ओर, वैसे ही प्रभारी मंत्री हम सब जगह बनाने लग गये। प्रभारी मंत्री का क्या काम है? प्रभारी मंत्री का काम यह है कि जिला हैडक्वार्टर पर जायेंगे, अधिकारियों की बैठक लेंगे, प्रेस कांफ्रेंस करेंगे, अपनी जाति वालों से मिलेंगे और चल देंगे। अब वह जो गांव में बैठा है, वह तो इंतजार कर रहा है कि मंत्रीजी का दौरा है, मेरे से पूछेंगे, हाथ फेरेंगे, सुख-दु:ख की जानकारी करेंगे। लेकिन यह ठीक नहीं है कि मंत्री यदि अपने विधान सभा क्षेत्र के मंत्री बनते हैं तो यह प्रदेश के हित में

(श्री देवी सिंह भाटी)

नहीं है। पूरा प्रदेश उनसे आशाएं रखता है। अगर इस ओर कोई न कोई आप दिशा बनायेंगे तो निश्चित तौर पर दिशा बनेगी।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा अब समय नहीं लूंगा क्योंकि विषय काफी है, लेकिन मुझे सामने कोई पात्र नजर नहीं आ रहा जिसको कि मेरी बात कहूं। मेरा दायित्व था इसलिए वह मैंने दायित्व पूरा किया। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती जकिया।

सूचना

बेरोजगार फार्मेसिस्टों का विधान सभा पर प्रदर्शन

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: मैं आपको, आपकी पर्ची आई? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): एक मिनट में आप जब तक बात करोगे तब तक। आज 5 हजार फार्मेसिस्ट राजस्थान विधान सभा पर धरना देने आये हैं....

श्री सभापति: सरकार के ध्यान में है, माननीय सदस्य। ध्यान में है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उनकी मांग यह है कि जो सी एच सी, पी एच सी, मेडिकल कालेज, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल हैं, उनके अन्दर फार्मेसिस्टों की नियुक्ति की जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सरकार के ध्यान में है। है ध्यान में, आप विराजें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, यह जोधपुर में जो प्रसूताओं की मौतें हो रही हैं.....

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, किन नियमों में इजाजत मिल रही है माननीय सदस्य को?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सरकार के ध्यान में है। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अलाउ नहीं, सभापति महोदय, राजस्थान के 5 हजार जवान सड़कों पर बैठे हैं....

श्री सभापति: सरकार के ध्यान में है। सरकार के ध्यान में है1

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सरकार सुनना नहीं चाहती। 35 हजार लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। सभापति महोदय, सरकार उनसे बात करे। 1980 के बाद एक भी फार्मेसिस्ट को नियुक्ति नहीं दी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोल चुके, अब तो विराजो। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): राजस्थान के चिकित्सा मंत्री उनको बुलाकर के वार्ता करें।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ इन्फार्मेशन है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब क्या आपका पाइंट आफ इन्फार्मेशन है, यह मैंने देख ली।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। मैंने आपको नियमानुसार पर्ची भी दी है।

श्री सभापति: पर्ची दी है, उसको मैंने देख भी लिया। (व्यवधान)

अनूपगढ़ में प्रसूता की मौत

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): यह ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी तत्काल सूचना सरकार में देंगे। (व्यवधान) सभापति महोदय, अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक हफ्ते पहले भी अस्पताल के अन्दर एक प्रसूता की मौत हुई है और अब फिर एक घंटे पहले एक प्रसूता की मौत और हो चुकी है। सभापति महोदय, सरकार इस पर वक्तव्य जारी करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह जीरो आवर नहीं है। यह जीरो आवर नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अगर इस तरह से यह चलता रहेगा, इस तरह से अगर कोई यह इन्फोर्मेशन थी... अब विराजिये, ठीक है, मिल गई सूचना। आप विराजिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, अनूपगढ़ की जनता, उस गांव की जनता पंडित दीनदयाल अस्पताल को घेरकर बैठी हुई है।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): वहां पर कानून-व्यवस्था की स्थिति

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

बिगड़ रही है। हम तो आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार कोई व्यवस्था करे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, माननीय सदस्य को कहीं पर समस्या है तो वे माननीय मंत्री महोदय से मिलें। यह सदन में कोई भी विषय कभी भी उठाया जाये, कोई नियमों, व्यवस्था और परम्पराओं को देखना पड़ेगा, आप उसके तहत आयें।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): यह सदन सूचनाएं देने के लिए है, सभापति महोदय। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी को बुलाओ और उत्तर दिलाओ।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, हमें चिंता है कि जोधपुर रिपीट नहीं हो जाये।

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): पूरे प्रदेश में जोधपुर रिपीट नहीं हो जाये। अभी अनूपगढ़ में चालू हुआ है और उसके बाद बीकानेर चालू हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): पूरे प्रदेश के यह हालात हो गये हैं और सरकारी मशीनरी काम नहीं कर रही है।

श्री सभापति: अब तो बोल गये ना।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह कोई नया विषय नहीं है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): बोल गया ना, लेकिन इस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। इस पर जवाब दिलवाया जाये, हो क्या रहा है वहां। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोल गये आप। आप विराजिये। श्रीमती जकिया इनाम।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती जकिया (टोंक): माननीय सभापति महोदय, बजट 2011-12 सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसके पक्ष में मैं बोलने के लिए और साथ-साथ मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देने के लिए आपकी इजाजत चाहूंगी।

(श्रीमती जकिया)

सभापति महोदय, बजट पूर्णतया राजस्थान की जनता को आसानतर जिंदगी देने के लिए भरपूर कोशिश है। मैं जब इसको पूरी तरह घर पर पढ़ रही थी तो अनायास ही दिल में आया और मुंह से भी निकला कि आज गुलशन में नहीं, घर में बहार आई है। बजट पर बोलने से पहले मैं चार लाइन कहना चाहूंगी। कुछ समय पहले विपक्षी तरफ से केन्द्रीय नेतृत्व पर कुछ टिप्पणी की गई थी। यह वह परिवार है, जिसने अपनी जायदाद 'आनन्द भवन', अपनी जानें इस देश को न्योछावर की हैं, कुर्बानियां दी हैं, शहादत का दर्जा हासिल किया है। प्रधान मंत्री की पोस्ट सोच से भी परे है। उसको भी उसी खानदान की महिला ने ठुकराकर वे आपकी और हमारी सेवा के लिए आगे आई हैं। ऐसे ही खानदान की लीडरशिप अगर कांग्रेस के पास है तो हम लोग, कांग्रेसी गौरवान्वित महसूस करते हैं, बाइसे फख्र है और इस बारे में किसी को भी सोचने या बोलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। गांधी परिवार खानदान की तवारूफ किसी की तारीफ की मोहताज नहीं है। बच्चे से पूछो तो वह भी जानेगा मगर उनकी शान में दो लाइन मैं कहना चाहूंगी, "इतना तो हर जमाल रहे ए जाने बेनजर, महफिल में बैठ जायें तो तनहा दिखाई दे" ।

अब अपन बजट की तरफ आते हैं। Panchayati raj is concerned with the people. जो बिलकुल देहात में, सुदूर इलाके में रहते हैं, पंचायती राज उनसे कनेक्टेड है। मुख्य मंत्रीजी ने खास ध्यान रखा है, पांच डिपार्टमेंट जो पंचायती राज को दिये हैं, वे मय राशि के दिये हैं ताकि उनकी समस्या उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में, उन्हीं की टेबल पर हल हो सके और वे आसान जिंदगी जी सकें।

पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से सड़कों का जाल किसी बिरले ही बजट में देखा गया है। धर्मस्थलों को सड़कों से जोड़ना एक बेमिसाल सोच है और जनता की भावनाओं का आदर है। धर्म का ठेका तो आप लोग लेते हैं, काम कांग्रेस सरकार करती है। अब आप लोगों को क्या कहूं, जयपुर में तो पानी को भी धर्म में बांट दिया।

वर्षों से उपेक्षित थे बांसवाड़ा-डूंगरपुर, वहां पर रिफाइनरी, वहां पर रेलवे लाइन, एक ऐसी कोशिश है जो जीवन स्तर को ऊपर उठायेगी और वहां के लोग अपने को राजस्थान के गौरवपूर्ण नागरिक समझने का गौरव प्राप्त कर सकेंगे।

पी.एच.ई.डी. मंत्री नहीं हैं, मैं उनकी तवज्जोह चाहूंगी कि टोंक में बीसलपुर का बांध बंधा, अवाप्ति में जमीन हमारी गई और बेघर हमारे लोग हुए और पानी जा रहा है जयपुर को, अजमेर को, दूदू को। सब्र की भी कोई एक

(श्रीमती जकिया)

इंतहा होती है। 300 करोड़ रुपये की योजना है देवली-उनियारा-टोंक, वह हिन्दुस्तान में पहली योजना आ रही है बी.ओ.टी. के माध्यम से। एम.ओ.यू. में कहीं परेशानी आ रही है दो-ढाई साल से। अगर परेशानी है तो जनता क्यों परेशान हो? इसमें बजट अलाट करने के लिए मैं मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन कर रही हूं। कहीं शिकायत या एजिटेशन की बात नहीं है पब्लिक की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी।

बी.पी.एल. परिवारों को इलाज फ्री करना, लफ्जों में बताना बड़ा मुश्किल है कि एक आदमी जब बीमार होता है और वह सिर्फ पैसों की वजह से इलाज नहीं करा पाये, उस समय क्या ख्यालात दिल में आते हैं, वह किस दौर से गुजरता है। उन बी.पी.एल. और स्टेट बी.पी.एल. को इलाज के लिए जो प्रबंधन किये हैं, वह एक वरदान से कम नहीं है। मगर मैं सिफारिश करना चाहूंगी विधवाओं के लिए और विकलांगों के लिए कि कोई राइडर नहीं हो। ये जिंदगी भर अकेले रहते हैं, इनसे किसी का कोई रिश्ता नहीं होता, न कोई रिश्तेदार बनना चाहता है। यह सोच लेना कि एक विकलांग का भाई है, सिर्फ नाम लिखने के लिए भाई है। कोई विकलांग का साथ नहीं देता और अगर ज्यादा कहूं तो पिता भी साथ नहीं देता। इसलिए राइडर हटाकर विधवा और विकलांगों को पेंशन, उनके लिए एक अमृत के समान होगी, जीवनदान होगा।

पालनहार योजना भी एक बहुत बड़ा उपहार है उन बच्चों के लिए जो यतीम कहलाते हैं, अनाथ कहलाते हैं। उनको एक छत मिलती है, इज्जत की जगह मिलती है, कुछ आगे बढ़ने के लिए साधन भी मिलते हैं।

अल्पसंख्यकों को इस बजट में इतना कुछ मिला है, वे दिल से शुक्र-गुजार हैं और मैं नतमस्तक हूं।

मुझे बड़ा अफसोस है कि इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, एम.एल.ए. साहिबान ने, महिलाओं पर किसी ने भी नहीं बोला। राजस्थान महिला अत्याचार निवारण और संरक्षण विधेयक लाया जायेगा। मैं एक लाइन औरत की जिंदगी के बारे में बोलूं या यूं कह सकती हूं कि एक आग का दरिया है और तैरकर जाना है। महिलाओं के लिए दशकों से कानून बन रहे हैं मगर आज भी औरत उसी जर्जर प्लेटफार्म पर खड़ी है जहां सदियों से खड़ी थी। कानून अपनी जगह है, परम्परा अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है। महिला को समाज में बहुत कमजोर इकाई के रूप में स्थापित किया गया है। मगर ताज्जुब की बात देखो कि उस कमजोर इकाई के भरोसे पूरे खानदान की इज्जत का ठेका है, वह

(श्रीमती जकिया)

औरत के माथे बांधा गया है। लड़का रावण हो, कोई परवाह की बात नहीं मगर बहू तो सीता ही होनी चाहिए। अब अगर लड़की नौ बजे पढ़कर घर पर आती है तो भी इज्जत खानदान की खतरे में पड़ जाती है। कहीं औरत को अपनी अहमियत समझने की भी और समझाने की भी जरूरत है। आज से 1,500 साल पहले लड़की को पैदा होने के बाद दफन कर दिया जाता था। कम्प्यूटर युग में कोख ही कब्र बन जाती है और जो जीवित रहती हैं, वे क्या वाकई जीवित कहलाने लायक हैं? या सिर्फ सांसों के आने-जाने को ही जीवित कहा जा सकता है? औरत को हिम्मत दिखाने की जरूरत है और जब उसूल सामने आते हैं तो, मैं दो लाइन बोलूंगी- हमको मिटा सके यह जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। औरत को कहीं न कहीं अपनी प्रजेंस दिखाने की जरूरत है।

आबादी बेहिसाब बढ़ रही है और हरेक का कर्तव्य है कि यह कम करे। कितना भी विकास कर लें, जिस प्रपोर्शन में आबादी बढ़ रही है, विकास कहीं दिखाई देने वाला नहीं है। मैं तो फिर भी कहूंगी कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी यह सोचने की जरूरत है। मगर फिर भी अगर हास्पिटल के रिकार्ड निकाल कर देखे जायें तो यह भी जिम्मा महिलाओं के जिम्मे है। वेसक्टामी और ट्यूबेक्टामी में फर्क आपको रजिस्टरों में मिल जायेगा। एक तरफ तो कहते हैं महिला बहुत कमजोर है, दूसरी तरफ कहते हैं सब जिम्मा उसका है। ये दो चीजें एक साथ तो नहीं चल सकतीं।

महिला जब तक शिक्षित और फाइनेंशली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती, आप कितने ही कानून बना लें, कितनी ही संस्थाएं काम कर लें, कुछ भी होने वाला नहीं है। जब काम करने की बात आती है तो औरत का काम भी मर्द ही तय करते हैं। पापड़, बड़ी, अचार, इसके आगे तो उसको सोचने की इजाजत ही नहीं है। माइन्स पर औरत मजदूरी करती है मगर माइंस ओनर नहीं बन सकती। 48 डिग्री पर सड़क पर वह काम कर सकती है मजदूरी का मगर ठेकेदार नहीं बन सकती। क्यों? इसलिए कि वह औरत है? और समाज ने यह समझा दिया है उसको कि तू बहुत कमजोर है? ऐसा नहीं है। औरत को आपको हर हालत में एक जीवित व्यक्तित्व समझना होगा, उसे चीज की संज्ञा देना छोड़ देना पड़ेगा।

साउथ इंडिया सैल फोर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एंड मानिटरिंग का हाल ही में एक सर्वे आया है, हर 26वें मिनट पर एक बालिका के साथ छेड़छाड़ होती है, हर 34वें मिनट पर एक रेप केस होता है। बड़े शर्म की बात है। यह

(श्रीमती जकिया)

कुछ भी नहीं है, सभापति महोदय, यह साइकोलोजिकल प्राब्लम आफ मेल डोमिनेशन है और औरत इस प्राब्लम को सहने के लिए तैयार नहीं। मौत तो किसी को एक ही दिन आती है मगर जिस लड़की के साथ या जिस महिला के साथ रेप होता है, वह हर दिन तिल-तिल करके मरती है और फिर उसी लड़की से यह उम्मीद करते हैं कि वह एक ऐसे बच्चे को जन्म देगी जो देश के लिए एक अच्छा नागरिक साबित होगा। कितने ताज्जुब की बात है इस सोच के ऊपर! उनको चाहिए, उसूलों पर जहां आंच आये, टकराना जरूरी है; जो जिंदा हो तो फिर जिंदा दिखाना जरूरी है। कानून को सख्त करने की बहुत सख्त जरूरत है। मैं इरान और सउदी अरबिया दोनों जगह रही हुई हूं, वहां न रेप केस है, न डोमेस्टिक वायलेंस है। कारण, कि सजाएं बहुत सख्त हैं और केस फास्टट्रेक में चलते हैं, औरत को बीस साल इंतजार नहीं करना पड़ता। वह ही अगर यहां लागू हो जाय तो स्थिति में बहुत सुधार आयेगा। मैंने इतना सब कुछ इसलिए बोला है क्योंकि विधेयक आने वाला है तो मैंने अपनी एक कोशिश की है कि मैं सामने सही तस्वीर रख सकूं। औरत तो खुद बहुत ताकत है, उसको सिर्फ पहचानने की जरूरत है। दो लाइन के साथ मैं खतम करूंगी, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है; जिस तरफ चल पड़ेंगी, रास्ता बन जायेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, बीच वालों का भी ध्यान रखो। तीन दिन हो गये आज। बीच वालों का भी ध्यान रखो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, 9 मार्च को सदन के नेता ने बजट रखा और बजट ऐसा रखा, साल भर तक जनता इंतजार करती है कि बजट आयेगा, बजट आयेगा और बजट ऐसा रखा कि खोदा भाकर और निकला उंदरा, मतलब बजट के अन्दर कुछ नहीं है। सामने वाले बैठे हैं, खूब लम्बी-लम्बी बातें करते हैं कि बजट बहुत जोरदार है, वह है और एक परम्परा बन गई है कि हम ऐसा कहेंगे, वह ऐसा कहेंगे। मगर वास्तविकता देखी जाय तो बजट कुछ नहीं और बजट अगर जो दिया है तो महिलाओं के साथ एक मजाक की है। बजट के अन्दर क्या दिया है, चिपिये के ऊपर से टैक्स हटाया, चकलोटे के ऊपर से हटाया, बेलन के ऊपर; कौन खरीदता है, साहब, बेलन और चकलोटा? मेरे तो दादा ससुर के साथ के बेलन और चकलोटे पड़े हैं। कौन खरीदता है रोज चकलोटा और बेलन? और मैं ही काम में नहीं ले रही हूं, मेरी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)
सास ने लिये हैं, मैंने लिये हैं और मेरे पोते की बहुएं भी लेंगी। कौन खरीदने वाला है? मतलब महिलाओं के साथ कैसा एक मजाक किया। सदन के नेता ने चार दफा बोला है, चिमटा, मूसल, बेलन। क्या, भई, इसमें कर दिया आपने? आप करते, गैस के ऊपर करते, डीजल के ऊपर आप टैक्स कम करते, आप पेट्रोल के ऊपर करते। आपने गेहूं के ऊपर कर दिया और आटे के ऊपर का क्या हुआ, कुछ नहीं।

तो इस तरीके से एक ऐसा बजट का माहौल बना कि मेरे को तो कुछ इस बजट का... अगर यह सत्ता पक्ष वाले कहते हैं कि बजट बढ़िया है, बढिया है, आप जोधपुर के अन्दर चलो और एक-एक हथई के ऊपर जाकर देखो, आपको मालूम पड़े कि बजट कैसा है। मेरे से बजट की फोटोस्टेट ली है लोगों ने, कम से कम पच्चीस और जगह-जगह बैठकर एक-एक लाइन पढ़ते हैं और कहते हैं कि अपने जोधपुर के मुख्य मंत्री ने यह क्या बजट दिया है, मतलब वे इस तरह से अपनी भाषा बोलते हैं। जो आप इस बजट की तारीफ करो, वैसी बात कुछ नहीं है, मगर फिर भी आप अपनी जगह पर हो, हम हमारी जगह पर हैं। माननीय सभापति महादेय, मैं तो बिलकुल सही-सही बात बता रही हूं, तीसरा बजट पेश किया है मगर जोधपुर को कुछ भी नहीं दिया है। मेरी पीड़ा सबसे बड़ी यह है कि जोधपुर के साथ अन्याय किया है। जोधपुर ने एक मुख्य मंत्री दिया है मगर जोधपुर का मुख्य मंत्री होते हुए जोधपुर को बिलकुल नेग्लेक्ट किया है, जोधपुर को कुछ भी नहीं दिया है। माननीय सभापति महोदय, जोधपुर की जनता बहुत आशान्वित थी मगर उसको निराशा देखनी पड़ी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं भूजल के ऊपर कुछ मेरी बात कहना चाहूंगी। भूजल स्तर बढ़ने की समस्या, मुख्य मंत्रीजी के गृह जिले के अन्दर सरदारपुरा में मोहनजी के हत्थे तक बढ़ चुकी है परन्तु इस बजट के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने इस बारे में कोई अपना विचार नहीं रखा है। दूसरी बात आती है पुलिस की, कमिश्नर प्रणाली लागू; कमिश्नर प्रणाली कहां लागू की है, आज की तारीख तक तो कोई भी लागू नहीं हुई है। माननीय सभापति महोदय, जोधपुर एक ऐसा शहर है, बड़ा शांत शहर है; जयपुर से दूसरा नम्बर जोधपुर शहर है मगर जोधपुर शहर को कुछ नहीं दिया है, इसकी मुझे बड़ी भारी पीड़ा है। माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा के अन्दर मैं कहना चाहूंगी कि चिकित्सा के अन्दर पिछले साल बजट के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैं गांधी अस्पताल में इमरजेंसी में वह करूंगा, बजट के अंदर काफी कुछ रखा,

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

अगर आप अनुमति दें तो मैं एक-एक लाइन इसके अन्दर बता दूं, मगर आज की तारीख तक हुआ नहीं है। यह बात जरूर है, वे कहते जरूर हैं, कागजों में है मगर क्रियान्विति नहीं हो रही है। मैं हमेशा चाहूंगी कि कोई भी काम करें, मुख्य मंत्रीजी और सरकार करे, वह क्रियान्विति तो करें, साहब। मगर पिछले बजट की भी कोई क्रियान्विति नहीं हुई है, इससे लोगों में बहुत भारी निराशा है। माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणा हुई, पैसा रिलीज हो गया मगर काम आज तक नहीं हुआ है। इसके मैं प्रमाण चाहें तो अभी दे सकती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सूरसागर विधान सभा क्षेत्र की कुछ बात कहना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, इतना नाला गंदा है, जैसा अभी एम एल ए साहब ने बताया था कि ऐसा इतना गंदा नाला है कि जिसकी कोई हद नहीं है, वहां कोई सफाई करने वाला नहीं है। अभी दो दिन पहले एक दो साल का बच्चा इस नाले के अन्दर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से और जानवरों का तो कोई मेरे को कहने वास्ते है ही नहीं, कितने ही मरते होंगे मगर आज तक कोई इसके बारे में नहीं सोचा है कि क्या करना है। माननीय सभापति महोदय, इस गंदे नाले के वास्ते, ले आउट निकालने के वास्ते धनराशि भी सेंक्शन होकर पड़ी हुई है बासनी श्रमिक कालोनी के लिए, मगर वहां काम कुछ नहीं हुआ है और उसको रोककर रखा हुआ है। भगवान जाने क्या पालिसी है, यह मुझे मालूम नहीं है।

सभापति महोदय, मैं दो-दो लाइन में मेरी सारी बात कह दूंगी क्योंकि आप घंटी बजा देंगे, आप घंटी बजाएंगे तो मुझे तकलीफ होगी। माननीय सभापति महोदय, मैं सूरसागर से चुनी हुई हूं और सूरसागर क्षेत्र में शिक्षा के लिए बहुत बड़े-बड़े भाषण दिये हैं, बहुत बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हैं और अखबारों में आता है मगर शिक्षा के लिए मैं अपनी आंखों देखी बात बता रही हूं। सूरसागर क्षेत्र में शिक्षा की ऐसी हालत है कि एक कमरे में पहली से आठवीं तक की क्लासें चलती हैं। मैं खुद वहां जाकर के आई हूं साल भर पहले और मैंने इतने पत्र व्यवहार किए हैं और मैंने इनको कहा कि वहां बहुत भारी तकलीफ है। ऐसी-ऐसी बहुत सी स्कूलें हैं। वहां शोभावतों की ढाणी है, मैं जगह बता दूं और मैं वहां देखने के लिए गई स्कूल, सभापति महोदय, तो मैंने पूछा कि यह बच्चा ऐसे कैसे बैठा है, तो वहां बहनजी ने कहा कि यह रामदेव जी का मंदिर है, उसमें है एक कमरा, उस कमरे में बच्चे एक से आठवीं तक के पढ़ रहे हैं। अब अंदाज लगा लें कि शिक्षा कहां तक पहुंच रही है। मैंने पूछा, बच्चे किस से बैठते हैं, तो

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

एक बच्चा यूं बैठा है, सात-आठ ऐसे बैठे हैं, चार-पांच ऐसे बैठे हैं; मैने कहा, ऐसे कैसे बच्चों को बिठाया है तो उसने कहा कि क्या करें, यह पहली वाला है, यह दूसरी वाला है, यह तीसरी वाला है। मैं वहां इतनी भावुक हो गई कि मैने कहा कि यह भविष्य बनाने वाले बच्चे हैं देश के और आज बच्चों की शिक्षा की यह स्थिति है। सभापति महोदय, वहीं उनके खाने की व्यवस्था; पढ़ाने के लिए वहां बोर्ड नहीं है, दीवार के ऊपर सीमेंट का बना हुआ है, उसके ऊपर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षा की तो यह स्थिति है। इसके लिए मैंने साल भर से खूब मेहनत की। कोई परवाह की नहीं अधिकारियों ने और मंत्रियों को भी लिखा, कुछ किया नहीं तो मैंने वहां पर धरना दिया। यह स्थिति हो गई वहां पर। धरना देने के बाद आये और कहा कि हम जमीन अलाट कर रहे हैं। वह भी अभी तक नहीं की है। कहा था कि सात तारीख तक कर देंगे, मगर वह भी अभी तक नहीं की है। इसके बाद दूसरे दिन अख़बार के अन्दर आने के बाद काफी लोग सुबह-सुबह ही मेरे यहां आ गये। उनकी लाइन लग गई कि मेरे स्कूल चलो, मेरे स्कूल चलो। तो मैं एक और स्कूल है जहां बाबूसिंहजी राठौड़ का भी मकान है, वहां पर मैं गली नम्बर-6 के स्कूल में गई। वह भी रामदेव जी के मंदिर में है और टूटी-फूटी जगह पर चल रहा है। वहां स्कूल की हालत देखो, स्कूल के समय में स्कूल पर ताला लगा हुआ था, कोई बच्चा वगैरहा नहीं था, कोई टीचर नहीं, कोई बात नहीं और स्कूल का ताला लगा हुआ था। यह तो मैंने शिक्षा की स्थिति के बारे में आपको बताया है। माननीय सभापति महोदय, ऐसी-ऐसी जितनी भी स्कूलें हैं, मैं यह चाहूंगी आपके माध्यम से सरकार से कि प्राइवेट स्कूलों को तो आप भवन दे देते हो, जमीनें दे देते हो और जो खुद के स्कूल हैं, उनके लिए कोई जमीन नहीं। इसलिए शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों के अन्दर जाकर पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूलों का कोई अता-पता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि जोधपुर एक विश्व प्रसिद्ध शहर है जहां कि पत्थर की खानें हैं। जोधपुर का पत्थर अपने आप में पहचाना जाता है और वहां भी सूरसागर क्षेत्र के अन्दर सबसे ज्यादा खानें हैं। मैंने माननीय सदन के नेता से कई बार पत्र व्यवहार भी किया है और लिखा भी है कि आप इसको उद्योग का दर्जा दें मगर इस बजट के अन्दर उसका भी कोई जिक्र नहीं है। सूरसागर सहित जोधपुर में अनेक पहाड़ियां हैं जो खनन एवं भू-माफियाओं के कारण गायब हो रही हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जोधपुर की पहाड़ियों को बचाने के लिए इन पहड़ियों को

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सिटी पार्क, अरबन पार्क और फूलों की घाटी के रूप में विकसित किया जाये, मेरी यह भी मांग है।

माननीय सभापति महोदय, सूरसागर क्षेत्र को सहकारी उपभोक्ता सेंटर से दूर किया जा रहा है। चौपासनी, हाउसिंग बोर्ड, प्रताप नगर, सूरसागर में सहकारी डिपार्टमेंटल स्टोर खोला जाये। इसकी भी कोई चर्चा नहीं की गई है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदन के नेता ने अपने इस बजट में बताया कि मैंने जो लोहे के कूलर बनते हैं उनके ऊपर टैक्स पांच परसेंट माफ कर दिया है मगर फाइबर के जो कूलर हैं उनके ऊपर तो वही का वही टैक्स रखा है। उनके ऊपर क्यों नहीं किया गया? कूलर तो वही कूलर है। इसके लिए मेरी मांग है कि इनके ऊपर भी पांच परसेंट टैक्स माफ किया जाये। मेरा आपसे अनुरोध है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जोधपुर की हेरिटेज को बचाने के लिए कहना चाहूंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, जब स्टेशन से सीधे उतर करके आते हैं तो सामने राज रणछोर जी का मंदिर दिखता है और इतना सुन्दर राज रणछोर जी का मंदिर बना हुआ है और उसकी क्या कारीगरी है, वह आज तक कोई भी नहीं करा सकता है। मगर उसके ऊपर माननीय सदन के नेता ने कुछ नहीं दिया। यहां देवस्थान विभाग के मंत्रीजी हैं नहीं, मैं यह कहना चाहूंगी कि उसके पीछे दुकानें सारी बनी हैं, ये किसकी परमिशन से बनी हैं? सारा हेरिटेज खराब कर दिया है। दुकानें बनाने के लिए न तो किसी से परमिशन ली है और न कोई बात, और वहां हेरिटेज खराब कर दिया है। हेरिटेज खराब करने के लिए किसी को भी अधिकार नहीं है। ऐसी कौनसी देवस्थान विभाग के अन्दर भूख आ गई कि उन्होंने वहां दुकानें बनाकर के सारी व्यवस्था को बिगाड़ा है ?

माननीय सभापति महोदय, मैं कुंओं बावड़ियों के बारे में कहना चाहूंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, कृपया घंटी मत बजाना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं अनुशासन में रहने वाली हूं। घंटी मेंमें अपनी बात नहीं कह सकती।

श्री सभापति: फिर आप जल्दी-जल्दी...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, नहीं, जल्दी क्या होती है? मैं तो अभी बोली ही नहीं हूं, दो मिनट ही नहीं हुए हैं और आप घंटी बजा रहे हो।

श्री सभापति: दो मिनट नहीं हुए हैं। आपको कृपा करिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सदन के नेता ने अपने बजट के अन्दर जोधपुर शहर की कुंओं-बावड़ियों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया है, न उसके लिए कोई पैसा रिलीज किया है। जोधपुर के अन्दर सबसे बड़ी बात है कि राणीसर है, पदमसर है जो कि राजा-महाराजाओं के बनाये हुए हैं। इसी तरीके से जोधपुर के अन्दर गुलाब सागर है, फतेह सागर है। इसी तरीके से जो बायजी का तालाब है, वह कूड़े-कचरे से भरा हुआ है, आज तक उसकी कोई सफाई नहीं हुई है। इसी तरीके से एक गंगा तालाब है, उसकी भी स्थिति यही है, इसके लिए कोई भी धनराशि का प्रावधान नहीं रखा है। मुझे इस बात की बड़ी भारी पीड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कल सुबह का जिक्र करना चाहूंगी जब मैं इस बजट को देख रही थी। मेरे कार्यकर्ता आये थे सूरसागर से, बाबूसिंहजी को पता है, सूरसागर में कोई एक-दो आदमी नहीं आता है, पन्द्रह-बीस एक साथ ही आते हैं, उन्होंने कहा कि जीजी आज सुस्त कैसे बैठे हो, मैंने कहा कि मुझे इस बजट को देखकर के सुस्ती इसलिए आ गई कि जोधपुर को तो कुछ नहीं दिया है। जोधपुर का मुख्य मंत्री तो जरूर है मगर जोधपुर को कुछ नहीं दिया है। मैंने विचार किया, माननीय सभापति महोदय, मैं पिछली टाइम एम एल ए थी, मैंने पूर्व मुख्य मंत्रीजी से मांग की, उन्होंने मुझे कि आपको क्या चाहिए आपके विधान सभा क्षेत्र में, मैंने कहा कि मुझे तीन-चार बातें कहनी हैं आपको, मैंने इनको कहा कि एक तो जोधपुर के अन्दर गौरव पथ बनना चाहिए, फर्स्ट क्लास गौरव पथ बना, यह पैसा कोई ऊपर से थोड़े ही आया था; मैंने इनसे मांग की कि जो पुराना स्टेडियम है इसको उम्मेद स्टेडियम बनाया जाए और शिवदत्त बोड़ा पेवेलियन बनाया जाए तो तुरन्त उन्होंने मेरी बात को माना; मैंने इनको यह कहा कि गुलाब सागर, फतेह सागर की स्थिति खराब है तो उन्होंने साढ़े तीन करोड़ रुपए सैंक्शन करके गुलाब सागर, फतेह सागर और झागरे को तैयार करवाया गया। तो यह भी तो एक सरकार ही काम था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

एक मिनट, साहब, मुझे बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए, मैं भूल जाऊंगी। मेरे कहने का तात्पर्य समझना कि इसके पीछे मेरा राज क्या है? माननीय सभापति महोदय, यह गौरव पथ हुआ, राणीसर, पदमसर हुआ, जागरा ठीक हुआ और इसके साथ मैंने एक और मांग रखी थी कि यह नगर सुधार न्यास है; अशोकजी मुख्य मंत्रीजी थे, कहा जरूर था, कागजों में लिया था कि हम इसको जोधपुर प्राधिकरण बनाएंगे मगर बनाया नहीं है; मैंने वसुंधराजी को कहा कि आप बना दो इसको तो वह भी बात मानी और जोधपुर के अन्दर ही उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया। जब मैंने एम एल ए होकर भी इतना काम वहां पर करवा दिया और हमारे जोधपुर के मुख्य मंत्री हैं, जोधपुर ने मुख्य मंत्री दिया है और वहां पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है, इससे मुझे बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, न तो सूरसागर की कोई सड़क बन रही है, न सूरसागर में कोई पार्क ठीक हो रहे हैं, न सूरगसार में कोई सफाई हो रही है....

श्री सभापति: अब आप सम-अप करो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): फिर मैं इस बजट को क्या बताऊं? आप मेरे को, माननीय सभापति महोदय, कोई मेरी बात ही नहीं कहने दे रहे हो।

श्री सभापति: अब कई डिमांडस आएंगी, उन पर बोलना आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैंने आपको हाथ जोड़ कर कहा था कि आप मेरे को टोकना मत, मैं अपने आप ही बैठ जाऊंगी। माननीय सभापति महोदय, मेरे को अभी एकदम ध्यान आया कि जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र की खानें हैं, खानों के अन्दर इतना पानी भरा हुआ है कि अगर वह पानी कायलाना में डाल दें तो मेरे ख्याल से 6 महीने का पानी हो जाए मगर अभी तक न तो कोई खान विभाग वाले सोच रहे हैं, न कोई सरकार सोच रही है कि इसमें क्या करना चाहिए। इतना पानी भरा हुआ है, लोगों को जान-माल का भी खतरा रहता है। इसलिए मैं यह चाहूंगी कि जलदाय मंत्रीजी इस बारे में विचार करें और सोचें कि इस पानी को कैसे काम में लेना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक-दो मिनट आपके लूंगी। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने ये दिया है...

श्री सभापति: अब आप सम-अप करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं-नहीं, समाप्त क्या करें, साहब, मैं तो बोली ही नहीं, क्या समाप्त करूं? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है।

श्री सभापति: नहीं-नहीं, माननीय सदस्या, आप वरिष्ठ हो, बहुत सम्मानित हो लेकिन अब सम-अप करो आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हां, तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, साहब, मेरे तो ऐसे के ऐसे पड़े हैं।

श्री सभापति: डिमांड्स पर आप बोल लेना न काफी सारा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): डिमांड्स पर क्या बोल लूं, मैं मेरी बात तो कहूंगी कि नहीं कहूंगी, साहब ?

श्री सभापति: आप यूं अगर लम्बा चलाओगे तो लम्बा चल सकता है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं-नहीं, लम्बा नहीं चलाना।

श्री सभापति: सारगर्भित बोलोगे तो बहुत कम समय में आप बहुत कुछ बोल सकोगे। अब थोड़ा सम-अप करो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं बता रही हूं आपको, आगामी वर्ष में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में यह कहा था कि जोधपुर हास्पिटल के अन्दर इतना पैसा, पैरा नंबर-47 देख लो आप, सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए जेनेरिक औषधियां, सर्जिकल एवं डायग्नोस्टिक उपकरणों की खरीद हेतु व्यवस्था की जाएगी, अभी तक तो पहले वाले बजट में ही नहीं हुआ तो अब इस बजट में क्या होगा।

तो मैं तो इस बजट का, आपने जो बोलने का मौका दिया, उसके लिए तो बहुत धन्यवाद मगर, माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि मुख्य मंत्रीजी के बजट में कच्ची बस्तियों के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ, न कोई हास्पिटल के बारे में जिक्र हुआ है। मैं यह चाहूंगी कि किस तरीके से, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट हास्पिटलों में जाते हैं, फिर केस बिगड़ जाता है तब सरकारी अस्पतालों के अन्दर आते हैं, तो अपने इन प्राइवेट हास्पिटलों को, प्राइवेट स्कूलों को प्राथमिकता सरकार ने ही दी है, जमीनें दे रही है। मैं इस बजट की निन्दा करती हूं, मैं इस बजट से कतई भी संतुष्ट नहीं हूं। जोधपुर के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने कुछ भी नहीं दिया, मैं यह चाहूंगी कि जो कुछ भी धनराशि अगर दें मुख्य मंत्रीजी, तो हिस्सा करें और सूरसागर को ज्यादा से ज्यादा धनराशि देकर के सूरसागर की व्यवस्था को ठीक करें। धन्यवाद।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति: एक मिनट सचेतक महोदय बोल रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): धन्यवाद है आपका, आप कभी मान भी जाते हो।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7.00 बजे तक के लिए बढ़ाया जाय।

श्री सभापति: क्या सदन का समय 7.00 बजे तक बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7.00 बजे तक बढ़ाया गया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, आज एक आधे घंटे की चर्चा लगी हुई है नये जयपुर के लिए। मेरी स्पीकर साहब से बात हो गयी थी, उन्होंने मंत्रीजी से भी बात कर ली थी और 5.00 बजे का समय उन्होंने नियत किया है। तो मंत्रीजी को बुलवायें और 5.00 बजे उस पर चर्चा हो जाए।

श्री सभापति: मैं व्यवस्था दे दूंगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): लेकिन स्पीकर साहब ने आदेश दे दिये।

श्री सभापति: हां, है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): तो 5.00 बजे मंत्रीजी को तो बुलाओ।

श्री सभापति: मैं कर दूंगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): क्या बात रिकार्ड पर ला रहे हैं आप ?

श्री सभापति: श्री पेमाराम।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): वह ठीक है, आपकी कोई बात चैम्बर में हो गयी तो आप कोई उस बात को यहां रिकार्ड में थोड़ी लायेंगे। कोई होगी, आसन से व्यवस्था आ जाएगी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 5.00 बजे मंत्रीजी तो आयें। (व्यवधान) वे तो आयें, मंत्रीजी तो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं दे दूंगा व्यवस्था।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, जहां तक बजट का सवाल है, निश्चित तौर पर पक्ष और प्रतिपक्ष लगातार बजट पर डिबेट में भाग ले रहा है। यह बजट एक ऐसे समय में रखा गया है जिस दौरान हमारे राजस्थान प्रान्त के साथ-साथ पूरे भारत देश में महंगाई इस कदर चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, पता नहीं, अमीर के तो जेब में पैसा ज्यादा होता है, उसको महसूस हो कि नहीं हो लेकिन महंगाई ने आम इंसान का कचूमर निकाल कर रख दिया है। एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ यह बजट उस समय रखा गया है, जब हमारे भारत देश में, चाहे हमारे प्रान्त में, जहां भ्रष्टाचार इस कदर जैसे कोई बरसात ऋतु में बरसात होती है और तमाम लोग भीग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से भ्रष्टाचार के वातावरण के दौरान यह बजट हमारी राजस्थान की विधान सभा में रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, जहां तक कानून-व्यवस्था का सवाल है, निश्चित तौर पर डिमांड आएगी लेकिन मुझे यह कहना है कि यह बजट उस समय रखा गया है जब राजस्थान प्रान्त में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, आम इंसान अपनी जिन्दगी में कोई सुरक्षित नहीं है कि मैं अभी जिन्दा हूं और किस कदर कब मुझे भू-माफिया, खनिज माफिया, शराब माफिया, पता नहीं, किसका निशाना बन जाऊं; इसलिए पूरे राजस्थान में जब भय और आतंक का वातावरण बनाया गया है, उस दौरान यह बजट रखा गया है।

सभापति महोदय, इस बजट में मैं किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं करना चाहता, न व्यक्ति विशेष की वाहवाही करना चाहता, जो जैसा कर्म करेगा निश्चित तौर पर जनता उसको वैसा ही फल देगी। ये अभी कह रहे थे कि तुम विपक्ष में बैठ गये, ये कह रहे थे, तुम विपक्ष में बैठ गये। 156 लेकर के आयी थी इससे पहले कांग्रेस और जब जनता के साथ खरी नहीं उतरी तो सौ उड़ गये 56 रह गये। ये इधर इन्होंने जो गरूर किया तो इधर आ गये। निश्चित तौर पर जनता के दुःख-तकलीफ में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आती है इसलिए एक के बजाय तीन के रूप में हम यहां जनता की आवाज रखने के लिए आये हैं।

(श्री पेमाराम)

सभापति महोदय, इस बजट में कायदा तो यह बनता था कि पूरे राजस्थान में कुदरत ने बरसात की, पूरे राजस्थान की सड़कें टूटी पड़ी हैं; चाहे प्रतिपक्ष वाले बोलें और चाहे सत्ता पक्ष वाले वाहवाही करें लेकिन यह वास्तविकता है, यह कोई राजनीतिक पार्टियों का सवाल नहीं है, पूरे राजस्थान की सड़कें टूटी हुई है; सरकार को चाहिए तो यह था कि पूरे राजस्थान की सड़कें जो टूटी हुई पड़ी हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि दीपावली तक ठीक हो जाएगी, अभी होली आ रही है लेकिन सड़कें शायद कागजों में ठीक हो गई होंगी या फिर कोई चुनिन्दा लोगों के इलाकों में ठीक हो गई होंगी। मैं तो इसलिए कहना चाहूंगा कि हम तो खिलाफ वाले चुनाव जीत कर आये हैं, मेरे इलाके में तो मुझे पता है कि एक नया पैसा नहीं लगा लेकिन शायद हमारे इलाके सीकर ही नहीं, शेखावाटी इलाके में भी एक नया पैसा राजस्थान की सरकार सड़कों को ठीक कराने के नाम पर नहीं लगाया।

सभापति महोदय, जहां तक अभी कह रहे थे कि गरीब का भला कर रहे हैं, मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा हूं, सामने जो बैठे हैं भाई, उनसे भी एक निवेदन है कि अभी बी पी एल को, लोग जो ढाणियों में आवास करते हैं, कनेक्शन नहीं हो पाया और विचार करो कि ढाणियों में जो कोई किसान है, ढाणी में कुआ बना लिया, पुख्ता मकान बना लिया, ढाणी में उसके कनेक्शन है लेकिन सरकार ने राइडर लगा दिया, दो-ढाई साल हो गये, ढाणी में रहने वाले को घरेलू बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। 60 साल की आजादी के बाद कोई भी गरीब हो, चाहे किसान हो ढाणी में आवास करने वाला, यदि बिजली के एक लट्टू की मांग करता है और सरकार बजट में वाहवाही लूटने की बात करती है, ढाणियों वालों के कनेक्शन को ताले लगा करके उसके बाद में कहते हैं कि आकाश में बना दी, पाताल में भी बना दी, बिजली खूब बना दी, पता नहीं, बिजली कहां बना दी लेकिन गांव के गरीब और ढाणी में आवास करने वालों के लिए तो घरेलू कनेक्शन आज भी बंद हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, मुख्य मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि जवाब के समय ढाणियों का, अभी कह रहे थे कि कनेक्शन खोल दिये, सिंचाई के लिए खोल दिये, मुख्य मंत्री महोदय, ढाणियों में आवास करने वालों के लिए भी घरेलू कनेक्शन खोलो जिससे कोई गरीब 60 साल की आजादी के बाद भी अपनी झोंपड़ी में यदि उजाला कर ले तो मैं समझता हूं कि येकांग्रेस के लिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, पूरे राजस्थान की जनता के लिए ठीक ही होगा कि आजादी के साठ साल बाद उसको उजाला करने का मौका मिलेगा।

(श्री पेमाराम)

सभापति महोदय, पता नहीं, कहां बना रहे हैं, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक इलाका है, माजीपुरा गांव है, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, माजीपुरा गांव में आज भी आयुर्वेद अस्पताल है, वैद्य है, कंपाउंडर है, एक चपरासी है, वह अस्पताल तीन दिन यहां किराये पर रहता है, तीन महीने उसके किराये पर रहता है। उस गांव में, पता नहीं, वह अस्पताल कितने चक्कर काट गया, पता नहीं, राजस्थान में कितने मुख्य मंत्री आ गये, पता नहीं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आयी, कांग्रेस की भी सरकार आयी लेकिन आज तक उस आयुर्वेद अस्पताल का भवन बारम्बार तमाम अधिकारियों से मुलाकात की तमाम मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद भी,

(समय : 17.00 बजे)

विकास की गंगा बह रही है, कहां गंगा बह रही है? या तो माफियाओं के घर गंगा बह रही है या फिर अमीर लोगों के घर में गंगा बह रही है। कोई गांव का गरीब आयुर्वेद अस्पताल में इलाज कराने के लिये आये, आज वह अस्पताल उत्तर साइड में है, कल किराये के मकान में दक्षिण साइड में चला गया, आने वाले को पता नहीं लग पाता कि अस्पताल कहां है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि निश्चित तौर से बिना राजनीतिक भेदभाव के, हो सकता है कि हम कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से चुनाव जीत कर आ गये और हमारे इलाके में एक नया पैसा भी खर्च करना कांग्रेस वाले गुनाह समझते हैं तो आपकी मर्जी की बात है वरना मैं समझता हूं कि उस इलाके की जनता भी राजस्थान की जनता है, भारत की अभिन्न अंग है, कोई पाकिस्तान की जनता नहीं, हक का पैसा लगाना चाहिये। यदि वहां पर पुख्ता एक मकान सरकार बना दे तो एक मकान सरकार के पैसे के साथ विधायक कोष से, जितना सरकार देगी उतना विधायक कोष से देकर जनता को वह सुविधा उपलब्ध करवाने में मैं भी सहयोग करूंगा और फिर भी सरकार नहीं चेते तो इनकी मर्जी का सौदा है।

(समय : 17.04 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, जहां तक महिला व बाल विकास का सवाल है, वाकई में खूब बोल गये, मुझे एक ही बात कहनी है कि चाहे आशा सहयोगिनी है, चाहे आंगनबाडी कार्यकर्ता है, निश्चित तौर पर जो ढाई सौ रुपया सरकार ने बढ़ाया, वाकई में आज के जमाने में कम है। मुख्य मंत्री महोदय ने बढ़ाया, उसके लिये

(श्री पेमाराम)

तो धन्यवाद लेकिन वाकई में यह राशि कम है। जवाब के समय में सोचकर इस राशि को और बढ़ाये तो और बेहतर होगा। राजस्थान में जो आशा सहयोगिनियां हैं और तमाम लोग जो सुबह से शाम तक काम करते हैं और उसके बाद में उनको परिश्रम के रूप में कुछ भी नहीं मिल पा रहा, इसलिए सरकार को चाहिये कि इस राशि को भी बढ़ाये।

सभापति महोदय, जहां तक खेती का सवाल है, किसान के लिये इन तीनों बजट में सरकार ने किसान आयोग बना दिया, पता नहीं, कहां बना दिया, किस जगह बना दिया लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूं कि वाकई में अब राजस्थान में किसान आयोग का गठन किया जाना चाहिये । जब तक राजस्थान में किसान आयोग का गठन नहीं करेंगे, जमीन का कलेजा चीरकर अन्न पैदा करने वाले अन्नदाता की वोट के समय वाहवाही ले लें, सभापति महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इलाके में, शेखावाटी वह इलाका है जो प्याज उत्पादन में एक नंबर है, राजस्थान में एक नंबर पर प्याज उत्पादन करने वाला इलाका, इस पर अभी ओलों की मार आ गई, कुदरत की मार आ गई और सब कुछ चौपट हो गया। यदि किसान आयोग होता, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें सरकार लागू करती क्योंकि कभी प्याज 80 के भाव, और हम पैदा करके ले जाये मण्डी में तो दो रुपये मिलें। अनाज पैदा करके ले जाये तो कोई व्यवस्था नहीं, बुरी हालत है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि जब तक राजस्थान की सरकार दिल से किसान आयोग बनाकर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को ईमानदार के साथ लागू नहीं करेगी, तब तक राजस्थान के किसान का भला हो नहीं सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसान आयोग का गठन किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, मुझे एक चीज की कसक है और वह इसलिए कहनी है कि विकास की गंगा बहा दी, 5,000 ढाणियों को सड़कों से जोड़ेंगे, यह करेंगे, सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में तो यह लिख दिया होगा लेकिन शेखावाटी इलाके के साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया। वह शेखावाटी इलाका जहां के सबसे ज्यादा फौजी सीमाओं पर हैं, जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी तब सबसे ज्यादा लाशें किन्हीं इलाकों में आई थीं तो वे हमारे इलाकों में आई थीं, हमारे इलाके की बहन-बेटियां आज भी विधवा के रूप में वहां पर हैं, वह शेखावाटी इलाका जो हर काम में आगे रहता है, खेती में आगे है, पढ़ाई में आगे है, राजस्थान की सरकार ने उस शेखावाटी इलाके के साथ जो

(श्री पेमाराम)

दुर्व्यवहार किया है, जो अन्याय किया है, पता नहीं, राजस्थान में चुन-चुनकर मंत्रियों के इलाकों में, कलस्टर में ढाणियों को जोड़ने के प्रस्ताव यूं तो पी एम जी एस वाई में भेज दिये होंगे लेकिन शेखावाटी इलाके का कागज गलती से यहां आ भी गया तो उसको उठाकर बाहर फेंक दिया । सभापति महोदय ,मैं समझता हूं कि सरकार चलाने वाले ऐसा राजनीतिक भेदभाव करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा भुगतेंगे। हमारे सीकर जिले में फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, नीमकाथाना, आधे इलाके में फ्लोराइड है और आधे इलाके में जमीन में पानी ही खत्म हो गया। इस बजट में, अभी सदन के नेता कह रहे थे गत वर्ष में हमने ट्रेनों से पानी पिला दिया, पता नहीं, किसको पानी पिला दिया, अभी मंत्री महोदय हैं नहीं, हमारे साथ तो इतना रखते हैं, तीन साल में एक ट्यूबवेल मांगा था, आप कह रहे हो ना कि विकास की गंगा, एक ट्यूबवेल, एक नलकूप वह भी विधायक कोष से देना पड़ा। राजस्थान के मंत्री महोदय तीन साल में एक ट्यूबवेल भी हमारी कांस्टिट्युएंसी में नहीं दे पाये हैं।

मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा पंचायती राज मंत्री महोदय को जो यहां बैठे हैं, इन्होंने गत वर्ष, पंचायत समिति धोद का भवन नहीं था, वाकई में पंचायती राज मंत्रीजी ने इसको गम्भीरता से लिया, जिला कलक्टर से बात भी की, जमीन भी अलाट कराई और उसके लिये पैसा भी दिया। आज वह भवन निर्माण कार्य चल रहा है। आने वाले समय में शायद पंचायत समिति धोद का खुद का कार्यालय भवन होगा। साहब, भला करने वाला तो चाहे कोई भी हो, उसके लिये तो भली बात कहनी पड़ेगी । मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि राजस्थान की बाकी पंचायत समितियों के भवन निर्माण में तो 10 लाख रुपये से ज्यादा दिये हैं, तो औरों के बराबर ही हमारे पंचायत समिति भवन निर्माण के लिये भी अलाट कराने की कृपा करें।

सभापति महोदय, शेखावाटी में न फ्लोराइड वालों के लिये पानी, न जमीन वालों के लिये पानी, शेखावाटी में राजा कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने स्कूलें बनाईं, कालेज बनाया, अस्पताल बनाया लेकिन आज भी वहां शेखावाटी विश्वविद्यालय की मांग को लेकर सीकर, झुंझुनूं, चूरू के लोग अध्ययन में एक नंबर होने के बावजूद, शेखावाटी के व्यापारी आये दुकानें बंद करके शेखावाटी विश्वविद्यालय की मांग को लेकर के लेकिन राजस्थान की सरकार ने उस मांग को भी ठुकरा दिया। मैं समझता हूं कि इस तरह से सत्ता के नशे में, गुरूर में रह कर करेंगे तो आने वाले समय में शेखावाटी की जनता माफ नहीं करेगी।

(श्री पेमाराम)

इन्होंने किया था, रेट बढ़ाई थी, अगुआई करके यहां पर पड़ाव डालकर, अगुआई करने वाले भी शेखावाटी, लड़ाई में भी है, आंदोलन में भी है, शिक्षा में भी है, शेखावाटी की वह बहादुर जनता, उसके साथ जो भी गुनाह करेगा वह सज़ा पायेगा। आने वाले समय में यदि आप गुनाह करेंगे तो चुनाव के दौरान निश्चित तौर पर कांग्रेस का सफाया होगा।

मैं पुन: इस बजट में जहां चारों तरफ गरीब के लिये कुछ नहीं है, किसान के लिये कुछ नहीं है, शेखावाटी इलाके के लिये कुछ नहीं है, अस्पतालों के लिये कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है, महंगाई को रोकने का कोई उपाय नहीं है, वाहवाही लूटने के अलावा कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिये बजट में कुछ नहीं है, यह बजट जन-विरोधी बजट है, इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शाले मोहम्मद। आप पांच मिनट और रुकें।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना तीसरा बजट 2011-12 का यहां पेश किया और इस बजट से विशेष तौर से पूरे राजस्थान की जनता ने राहत महसूस की है और हर क्षेत्र में आने वाले समय में अच्छा विकास हो, राजस्थान विकास की ओर बढ़े, इस प्रकार का यह बजट पेश किया गया है।

अभी विपक्ष के साथी, जब यह बात कह रहे थे, खास तौर से जब मैंने जीजी की बात सुनी, तो पूरा विपक्ष और राजेन्द्र जी राठौड़ और पूरे साथी कहते हैं कि जो बजट पेश हो रहा है, वह पूरा जोधपुर ले जा रहे हैं और जीजी कह रही हैं कि जोधपुर में कुछ भी नहीं हुआ। यह मुझे समझ में नहीं आया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जोधपुर में तो आ रहा है लेकिन मेरे क्षेत्र में नहीं आ रहा है।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): यह मैं कह रहा हूं खास तौर से। जोधपुर में मुख्य मंत्रीजी ने, इस बजट को भी देखें, जो कार्ययोजना बनाई है पिछले बजट से लेकर आज तक, मैं समझता हूं, इस प्रकार की कार्ययोजना, जीजी, कभी नहीं बनी और आप जानते हो, आप सीनियर हो, इसलिये मैं कह रहा हूं। आपको राजेन्द्र राठौड़ साहब की भाषा नहीं बोलनी है, आपको तो जोधपुर का विकास कराना है, इसलिये कह रहा हूं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): विकास तो हो रहा है लेकिन मौतें हो रही हैं, उनको तो रुकवाओ आप।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): वह तो कोशिश कर रहे हैं। आप भी चिकित्सा मंत्री रहे हैं, फिर मैं यह कह रहा हूं, आप भी चिकित्सा मंत्री रहे हैं और आपने भी दौरे किये हैं, मौतें होती हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): कोशिश करते, मैं यह कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं, नहीं होती हैं, ऐसे नहीं होती हैं, लगातार। अभी तक कोई कारण पता नहीं चला।

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, आप आसन की तरफ मुखातिब होकर अपने श्रीमुख से जो फरमाना चाहें, वह फरमाएं।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में विशेष तौर से हर क्षेत्र में अच्छा विकास हो, उस सोच के अनुसार यह बजट पेश किया गया है। खास तौर से मैं पंचायती राज के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे पंचायती राज मंत्रीजी ने पंचायतों को मजबूत करने के लिये उनको जो अधिकार दिये हैं, यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जब पूर्व में मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत साहब थे तब उन्होंने 16 विभाग पंचायती राज विभाग को दिये थे और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने बिलकुल पंचायती राज को इग्नोर कर दिया और उनके जितने भी अधिकार थे, उन सभी अधिकारों को छीन लिया और पंचायती राज को पंगु बनाने की कोशिश की। आज पंचायतों को अधिकार दिये हैं, जो मुख्य मंत्रीजी की और मंत्रीजी की सोच है कि उस गरीब व्यक्ति का, जो पिछली पंक्ति में बैठा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उसका किस प्रकार से विकास हो, उसकी किस प्रकार से कार्य-योजना बनाई जाए। जो इस प्रकार की सोच रखता है और उस व्यक्ति को मजबूत करने की जो बात है, उनको जो अधिकार दिये हैं, वह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कदम है और इस बजट में विशेष तौर से पंचायती राज विभाग के पास जो विभाग गये हैं, उनका बजट भी पंचायती राज विभाग को दिया है। यह भी इस बजट में अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि असली बात यह रहेगी कि अभी हम गरीब के लिये, गांव के व्यक्ति के लिये सोचें, उनका विकास तभी होगा जब उनको जो दायित्व दिये हैं, जो अधिकार दिये हैं, तो यह अपने आप में एक मजबूत बनाने वाला अधिकार है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में पंचायती राज विभाग ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी अच्छी

(श्री शाले मोहम्मद)

कार्ययोजना लाएगा और पूरे क्षेत्र में अच्छा, गांव में गरीब व्यक्ति को उसका अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छी कार्ययोजना बनेगी तो मैं समझता हूं, एक अपने आप में यह बहुत ही सराहनीय कदम है, अपने आप में बहुत ही बड़ा कदम है।

मेरे साथियों ने कहा, जो सड़कों की बात हम कह रहे हैं, पिछली बार कुछ भी सड़कों के नाम से नहीं दिया गया था। आज मुख्य मंत्रीजी ने विशेष तौर से गांव के मिसिंग लिंक्स हैं, चाहे उनके नवीनीकरण की बात है, चाहे धार्मिक और पर्यटन स्थल जोड़ने की बात है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो सड़कों के लिये बजट दिया है, यह अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है। मैं समझता हूं कि जो सड़कें, मिसिंग लिंक्स, जो किसानों को, वहां के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोगों को तकलीफ होती थी, जल्दी वह तकलीफ दूर होगी, वहां अच्छी सड़कों का निर्माण होगा और वहां के लोगों को बहुत ही अच्छा इसका फायदा मिलेगा।

ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें, वह भी देखिये, आज जैसलमेर जिले के रामगढ़ में देखें, वहां डेढ़ सौ मेगावाट का संयंत्र लग रहा है, पवन ऊर्जा से वहां ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, दो ग्राम पंचायतों के बीच में जी.एस.एस. बन रहे हैं। अभी इस बजट में 440 के.वी. का रामगढ़ में नया जी.एस.एस. बनेगा। तो मैं समझता हूं, आने वाले समय में जो वहां के किसान हैं, जो अभी पेमारामजी, जिस प्रकार से चिन्ता व्यक्त कर रहे थे ऊर्जा के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं, यह सब चीजें जब होंगी, जब इस प्रकार के संयंत्र लगेंगे, बड़े-बड़े जी.एस.एस. बनेंगे, तब जाकर लोगों को उसका फायदा मिलेगा, किसानों को। इस बजट में विशेष तौर से मेरे क्षेत्र में भी काफी, 18 के करीब नये जी.एस.एस. ग्राम पंचायतों को मिलेंगे, जो अभी बन रहे हैं। अभी 440 के.वी. का जी.एस.एस. आकल में भी बना है अभी रामगढ़ में और बन रहा है। तो आने वाले समय में जैसलमेर जिले के लिये ऊर्जा की जो किसानों को वोल्टेज की कमी महसूस होती थी, वह वोल्टेज की कमी बहुत ही जल्दी दूर होगी, किसानों को उसका अच्छा लाभ मिलेगा।

सबसे बड़ी बात इन्होंने जो खास तौर से, जिस प्रकार से 2007 की कट-आफ-डेट से जो किसानों को कनेक्शन दिये हैं और अभी 65 हजार नये कनेक्शन और देने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं जो किसान, काफी वर्षों से जिन्होंने आवेदन कर रखा था, जिनको आज तक कृषि के कनेक्शन का इंतजार करना पड़ रहा था, जिन्होंने उम्मीद खो दी थी कि हमारे कनेक्शन होंगे, वह

(श्री शाले मोहम्मद)

उम्मीद वापस हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने जगाई। आज जैसलमेर जिले अकेले में एक हजार कनेक्शन 2007 कट-आफ-डेट के उनको मिले हैं, अब नई घोषणा में 65 हजार और दिये हैं तो मैं समझता हूं, जैसलमेर जिले को और ज्यादा विद्युत के कनेक्शन मिलेंगे जिससे वहां के जो किसान, लम्बे समय से इनको चिन्ता हो रही थी, वह चिन्ता जल्दी दूर हो जाएगी, किसानों को बहुत ही अच्छी राहत इसमें मिलेगी, नये कनेक्शन भी होंगे जिससे गरीब आदमी को इसका बहुत बड़ा, अच्छा फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की कि किसानों के लिये बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, यह अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और राजस्थान भर के किसान इस पर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़ी इस प्रकार की जो घोषणा की है, उसके लिये भी मैं मुख्य मंत्रीजी को और ऊर्जा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं खास तौर से जो इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिये अभी हमारे जैसलमेर जिले को जो दो बड़ी माइनर दी हैं, लूणार माइनर और बुलनगढ़ वितरिका, जो वहां के किसानों की लम्बी मांग थी कि एक हजार हेक्टेयर जमीन, जो हमारे आदरणीय विधायक छोटूसिंह जी चिन्ता व्यक्त कर रहे थे कि 65 हजार फाइलें भरवा दीं पिछली सरकार ने और हमारे पास जमीनें नहीं थीं कि जो आवेदन आये हैं, उनको हम कहां जमीन आबंटन करें, यदि हमारे पास जमीन नहीं होगी तो उनको कहां आबंटन करेंगे, इस प्रकार से जो नया क्षेत्र आगे विकसित हो रहा है, एक हजार हेक्टेयर जो नया विकसित होगा तो मैं समझता हूं, हमारे पुराने आवेदन जो हमारी चिन्ता का विषय बने हुए थे, तो ये जो दो नई वितरिकाएं अब बनेंगी, वहां के रहने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा और जो जैसलमेर के लोग, जिन्होंने आवेदन कर रखे हैं, 65 हजार उन लोगों को भी वहां पर भूमि आबंटित होगी जिससे मैं समझता हूं, जैसलमेर के लोगों और किसानों को बहुत अच्छी राहत मिलेगी।

खास तौर से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी से और आई.जी.एन.पी. विभाग के मंत्रीजी से कि आपने जो नहरी क्षेत्र के लिये बजट दिया है, उस बजट को, विशेष तौर से नहरी क्षेत्र में जो मेन कैनाल है, उस कैनाल में काफी इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, पिछली बार एक ट्रैक्टर अन्दर चला गया तो बाप-बेटे की मृत्यु हो गई, तो वह जो मेन कैनाल है, उसके डोले को ऊपर करने की जरूरत है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उस साइड में जो

(श्री शाले मोहम्मद)
दीवार बन रही है, उस दीवार को थोड़ा ऊपर किया जाए ताकि जो किसान जो पटरी पर चलते हैं, नहरी क्षेत्र के वह कभी ऐसे हालात नहीं बनें कि किसानों को...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैंने तो अभी पांच मिनट पहले शुरू किया है। मेरे से पहले तो आधे-आधे घण्टे लोग बोले हैं, मैंने तो अभी शुरुआत की है।

श्री सभापति: तीन-चार मिनट आप और ले लीजिए, तीन मिनट ले लीजिए।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मेरे से पहले जो लोग बोले थे, आधे-आधे घण्टे बोले थे। मुझे तो अभी 5 मिनट ही हुए हैं, मैंने तो शुरू ही किया है।

श्री सभापति: वैसे 10 मिनट हो गये हैं, आप 2-3 मिनट और बोल लीजिए।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आई.जी.एन.पी. क्षेत्र में विशेष तौर से जो वहां की, आई.जी.एन.पी. की मेन कैनाल है, उस डोले को बड़ा किया जाए ताकि इस प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो और जो नहरें टेल पर टूट गई हैं उनकी मरम्मत की बहुत बड़ी जरूरत है। उस टेल को भी बांधने के लिये एक इस प्रकार की एक योजना बनाई जाए ताकि जो टेल पर किसान बैठा है, उसको किसी प्रकार की तकलीफ न हो। मैंने परसों भी निवेदन किया था मंत्रीजी से कि चिन्नू माइनर अभी जो हाल में निकली थी उस माइनर का काम पूरा हो गया परन्तु उसमें जिस प्रकार से एक रिपोर्ट दी थी एक संस्था ने, वह रिपोर्ट ठीक नहीं थी। एक-दो सी.एन.एम. के दो चक हैं, उनमें कम से कम हजार हेक्टेयर जमीन खोल सकते हैं। उसमें हम चाहते हैं कि वहां के बाशिंदों को और किसानों को लाभ देने के लिए जो रिपोर्ट पहले दी गई थी, वह ठीक नहीं थी, उसकी पुन: रिपोर्ट कराई जाए ताकि जो दो नए खाले हैं, वे बन जाएं और तीन-चार ग्राम पंचायतों के लोगों को उसका फायदा मिले।

इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां काफी ऐसे गांव हैं, जहां पर अभी तक प्राथमिक पाठशालाएं नहीं हैं, आस-पास दस किलोमीटर एरिया में कोई विद्यालय भी नहीं है। तो वहां के बच्चों को बहुत बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां पर जिस राजस्व गांव

(श्री शाले मोहम्मद)

में, जहां आस-पास पांच किलोमीटर के दायरे में कोई विद्यालय नहीं है तो वहां विद्यालय खोला जाए ताकि वहां के जो बच्चे हैं, किसानों के, उनको काफी दूर सफर तय नहीं करना पड़े, उनके आस-पास विद्यालय भी बन जाए ताकि उनको एक अच्छी शिक्षा मिले और कई ऐसे विद्यालय हैं जिनको क्रमोन्नत नहीं कर पाए, वह लम्बे समय से वहां के लोगों की मांग रही है। जिस प्रकार से आपने सेकंडरी स्कूलें हर ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर खोली हैं, उसके लिए मैं शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा, मुख्य मंत्रीजी को, पर जहां ऐसे विद्यालय हैं जो क्रमोन्नत बिलकुल नहीं हुए, उन विद्यालयों को भी क्रमोन्नत करना चाहिए ताकि जो एक ग्राम पंचायत स्तर पर या किसी गांव में आठवीं तक विद्यालय नहीं है तो वहां के बच्चों को और किसी ग्राम पंचायत में नहीं जाना पड़े। आस-पास में क्योंकि हमारा जो एरिया है, बहुत ही बिखरा हुआ एरिया है, 10-10 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर की ऐसी दूरी तय करके, आस-पास के गांव इतनी दूरी के अन्दर हैं, इसलिए वहां की जरूरतें भी अलग-अलग प्रकार की हैं। तो हमारी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इस प्रकार की योजना बनाई जाए ताकि वहां के लोगों को भी हर तरह से अच्छी चीजें मिल सकें।

विशेष तौर से जो अभी 50 पी.एच.सी. और 35 सी.एच.सी. दी हैं, तो साथ -साथ ही मैं चाहूंगा कि विशेष तौर पर रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए जो आपने पहले भी बजट में जिस प्रकार से रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया था तो इसमें भी विशेष तौर से रेगिस्तानी इलाके के लिए अलग से कुछ डायरेक्शन दिये जाएं ताकि जो पी.एच.सी. और सी.एच.सी. जो पूरे राजस्थान के लिए बन रही हैं, उसमें रेगिस्तानी इलाके को अलग से उनका लाभ दें ताकि वहां जो लोग वास्तव में पिछड़े हुए हैं, वहां बहुत बड़ा विकास करने की हमें जरूरत है। तो उसके लिए मैं समझता हूं, चिकित्सा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि वहां पर आप विशेष तौर से रेगिस्तानी इलाके के नाम से नए सब-सेंटर्स और पी.एच.सी. और सी.एच.सी. दी जाएं ताकि वहां के लोगों को इसका पूर्ण रूप से लाभ मिल सके।

इसके अलावा मैं ऊर्जा के क्षेत्र में भी निवेदन करना चाहूंगा। जैसलमेर जिला एक ऐसा जिला है जहां पर अधीक्षण अभियंता की पोस्ट नहीं है। यदि पूरे राजस्थान को देखें तो ऐसे दो जिले मेरे हिसाब से हैं जहां पर अधीक्षण अभियंता नहीं बैठ रहे हैं। तो वहां पर, हमारे यहां पर किसान कोई सामान लेने भी जाता है, छोटे ट्रांसफार्मर्स लेने भी जाए तो उसके लिए उनको बाड़मेर जाना

(श्री शाले मोहम्मद)

पड़ता है। तो यह बहुत बड़ी उनकी समस्या का विषय है। हम चाहते हैं कि जैसलमेर जिले को अधीक्षण अभियंता और मेरे पोकरण विधान सभा क्षेत्र में अधिशासी अभियंता, एक्स.ईएन. और एस.ई. की पोस्ट दी जाए ताकि वहां के किसानों को ऊर्जा के लिए जो हमें एक बहुत बड़ा काम अभी वहां करना है, वहां काफी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ, सीमावर्ती इलाके में कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक विद्युत कनेक्शन नए नहीं गये, तो वहां पर बहुत बड़ा विकास करने की जरूरत है। इसलिए वहां बहुत बड़ी वहां के लोगों की जरूरत है कि वहां पर एस.ई. और एक्स.ईएन. की पोस्टें दी जाएं। इसलिए विशेष तौर से मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस बजट में उनको साथ में सम्मिलित किया जाए।

कुछ नहरी क्षेत्र में ऐसी सड़कें हैं जहां पर उनकी पुलिया नहीं बनी हुई है। ग्रामीण रोड्स हैं, वहां पर सड़क बन गई लेकिन पुल नहीं होने की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, नहरी क्षेत्र में। तो उसको भी मैंने पहले भी निवेदन किया है, उसमें ऐसी जगह को चिह्नित किया जाए ताकि जो लोग, किसान जहां आवा-जाही करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो वहां पर पुलिया निर्माण होंगे तो मैं समझता हूं कि वहां के लोगों को फायदा होगा।

तो, माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया, विशेष तौर से दालें, गेहूं और चावल, जिनको उन्होंने करमुक्त किया। जो बी.पी.एल. लोग हैं, उन चार लाख परिवारों को जिस प्रकार से दो रुपये प्रति किलो का गेहूं दे रहे हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चिकित्सा में विभिन्न लोगों को जो फायदा दे रहे हैं, यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। इस प्रकार से गरीब व्यक्ति के लिए, दलितों के लिए और अभी खास तौर से माइनोरिटी के लिए उन्होंने जो बजट दिया है, वह बहुत ही अच्छा बजट दिया है। आज तक ऐसा कभी किसी ने सोच नहीं रखा।

बिरलाजी यहां पर हैं नहीं, तो उस दिन जिस प्रकार से कह रहे थे कि आप अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं, तो अल्पसंख्यक कोई बाहर से तो आए नहीं हैं। तो उनकी भी अच्छी ही सोच रखने वाले हैं, उन लोगों का यदि विकास नहीं होगा तो कौन विकास करेगा? मुख्य मंत्रीजी हैं जो अच्छी सोच रखते हैं। आपको मना किसने किया? आप यदि अच्छा बजट देते इनके विकास के लिए, क्योंकि आपकी सोच नहीं है, आप नहीं चाहते कि उनका विकास हो, इसलिए आप कहां बजट देने वाले हो।

(श्री शाले मोहम्मद)

इसलिए मुख्य मंत्रीजी ने विशेष तौर से जो मदरसा पैराटीचर्स, जो अजमेर में एस.टी.सी. का काम दिया है या फिर जो नई आई.टी.आई. खोलने की बात कही है या बच्चियों को पढ़ाने के लिए कन्या छात्रावास दिए हैं, यह अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज है। वे चाहते हैं कि यहां के जो अल्पसंख्यक हैं, जो शिक्षा में बिलकुल पिछड़े हुए हैं, वे शिक्षा से जुड़ सकें। तो इस प्रकार की घोषणा से मैं समझता हूं कि वहां के दूर-दराज के लोग जो गांवों में बैठे हैं, जो शिक्षा में बिलकुल पिछड़े हुए हैं, आने वाले समय में वे शिक्षा से जुड़ेंगे।

इसलिए एक बार पुन: मैं मुख्य मंत्रीजी को और इस बजट के लिए जो उन्होंने राजस्थान को बहुत ही राहत देने वाला बजट पेश किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं उसका समर्थन देता हूं। जय हिन्द।

आधे घंटे की चर्चा

नया जयपुर योजना के पूर्व निर्धारित क्षेत्रफल में संशोधन

(तारांकित प्रश्न संख्या 29 दिनांक 18 फरवरी, 2011)

श्री सभापति: आधे घंटे की चर्चा। आदरणीय श्री कालीचरण सराफ। मैं निवेदन करूंगा, please take it very comfortably. Don’t get excited. ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या?

श्री सभापति: आराम से आराम से।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां। माननीय सभापति महोदय, प्रश्न संख्या-29 जो कि 18 तारीख को, 18 फरवरी को सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था, उसके बारे में मैंने नियम-49 के अन्तर्गत यहां पर तथ्य प्रस्तुत करने के लिए कहा था और उसके बाद आधे घंटे की चर्चा रखी गई थी। क्योंकि जो माननीय मंत्री महोदय ने उस दिन जवाब दिया था, वह अधूरा जवाब था और स्वयं मंत्रीजी ने यह कहा कि इसके लिए आधे घंटे की चर्चा रख ली जाए, उस पर विस्तार से इस मामले में चर्चा कर ली जाए, तो मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने कुछ प्रश्न और कुछ तथ्य इस बाबत रखना चाहूंगा।

14 अक्टूबर को नया जयपुर योजना विकसित करने का निर्णय लिया गया, 27 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की गई, 105 वर्ग किलोमीटर इसका

(श्री कालीचरण सराफ)

एरिया रखा गया और बाद में इस एरिया को घटाकर 39 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया, 66 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया कम कर दिया। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपको नया जयपुर बसाने की आवश्यकता क्यों हुई? ऐसी कौनसी रिपोर्ट थी जिसके आधार पर आपने नया जयपुर 105 वर्ग किलोमीटर में बसाने का निर्णय किया? और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने आनन-फानन में एरिया घटाकर 39 वर्ग किलोमीटर कर दिया? मैं यह चाहूंगा कि दोनों रिपोर्ट, जिनके आधार पर आपने 105 वर्ग किलोमीटर एरिया तय किया और उसके बाद 39 वर्ग किलोमीटर एरिया किया, यह दोनों रिपोर्टों की आप जानकारी आप यहां पर दें। जो इलाका छोड़ा गया है, यह मैं पूछना चाहूंगा कि उसमें किन-किन नेताओं के, किन-किन आई.ए.एस. अधिकारियों के, आई.पी.एस. अधिकारियों के, किन-किन मंत्रियों के और किन-किन बड़े लोगों की जमीन है, इसके बारे में जानकारी दें।

आपने कहा आपके जवाब में कि इलाका पहाड़ी होने के कारण, सघन आबादी क्षेत्र का होने के कारण, उसमें जंगल होने के कारण, मंदिर-मस्जिद, श्मशान, कब्रिस्तान होने के कारण ऐसी जमीन को निकाल दिया गया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जब अधिसूचना जारी की थी, उस समय क्या वहां पहाड़ नहीं थे, जंगल नहीं थे, श्मशान या कब्रिस्तान नहीं थे, सघन आबादी क्षेत्र था या नहीं था? क्या अचानक पहाड़ खड़े हो गये? जंगल किसने बना दिये? श्मशान-कब्रिस्तान क्या रातों-रात बना दिये गए? आबादी किसने बसा दी? यह सब आपने स्पष्ट नहीं किया, तो इसके बारे में भी कृपया स्पष्ट करें।

इसी प्रकार से जिस मीटिंग में नए जयपुर को बसाने का निर्णय हुआ और जिसमें यह एरिया घटाने का निर्णय हुआ, उन दोनों मीटिंग की अध्यक्षता किसने की, यह भी बताने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि जल्दबाजी में इस योजना की घोषणा क्यों की गई? योजना की घोषणा से पहले मौके की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए सर्वे क्यों नहीं करवाया गया? क्या इस योजना की घोषणा से उक्त क्षेत्र में जमीनों के भाव नहीं गिरे? क्या दामों में या कम दामों में खरीदने का भू-माफिया और आपके नजदीकी लोगों को फायदा नहीं हुआ?

मैं यह कहना चाहूंगा कि इस नए जयपुर के मामले में पहले 105 वर्ग किलोमीटर का एरिया तय करना, उसकी अधिसूचना निकालना, साल भर का समय देना और उसके बाद में उस एरिया को, उसको एक तिहाई करके केवल

(श्री कालीचरण सराफ)

37 वर्ग किलोमीटर में इसको सीमित करना, सीधा-सीधा भू-माफियाओं को इसका फायदा हुआ। क्योंकि जैसे ही नये जयपुर की अधिसूचना जारी हुई, वहां जमीनों की रेटें गिर गयीं और फिर उसमें आनन-फानन में पावर आफ एटार्नी के जरिये, एग्रीमेंट के जरिये हजारों सौदे हुए, जिसका सीधा-सीधा फायदा लोगों को और यहां तक कि जानकारी है कि आपके नजदीकी लोगों को इससे फायदा मिला। करोड़ों रुपये का इसमें घोटाला हुआ है।

अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुमेल, जहां रोक के पहले 2,000 रुपये रेट थी, वह 1,500 रुपये हो गयी। इसी प्रकार से जामड़ोली में जहां 2,000 और 2,500 की रेट थी, वहां 1,800 से 2,200 की रेट हो गयी; श्रीनाथ विहार 3,500 और 4,000 की रेट थी, वहां 3,200 और 3,700 की रेट हो गयी। इसी प्रकार से ग्रीन पार्क, जहां 7,600 से 8,000 की रेट थी, वहां 7,500 से 8,200 की रेट हो गयी। इसी प्रकार से हर कालोनी की रेट वहां पर 500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये प्रति वर्ग गज कम हो गयी और जैसे ही आपने इस एरिये को निकाला, वापस रेट बढ़ गयी। तो यह जो फायदा लोगों ने उठाया, इसके पीछे आपकी क्या मंशा थी? क्यों इस प्रकार का हुआ? इन सबके बारे में आप जानकारी दें, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, निश्चित तौर पर नया जयपुर में पहले 105 वर्ग किलोमीटर के एरिये को अधिसूचित करना और फिर उसे घटाना, इसमें बू इसलिये आती है क्योंकि जो सामने सरकार बैठी है, इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि पिछली सरकार ने अजमेर-दिल्ली रोड पर नालेज कोरिडोर की घोषणा करके बाद में बनाया नहीं, उसमें भयंकर घोटाला हुआ।

मंत्रीजी, मैं तो सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि आपने 1 फरवरी, 2011 को जे.डी.ए. के अन्दर जाकर कोई बैठक में यह कहा था कि इसकी सच्चाई की मैं जांच करवाऊंगा? 90बी रोकने और 90 बी की दुबारा अनुमति देने के बीच में कितनी कितनी जमीनों के सौदे किस-किस दर पर हुए हैं? आपने जब यह घोषणा की थी तो उस घोषणा के अनुसार वह जांच किसकी अध्यक्षता में आपने करवानी प्रारम्भ की? और जांच की रिपोर्ट कहां है ? एक बात।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

क्या यह सही है कि नया जयपुर बसाने के लिये आपने कोई डी.पी.आर. बनाया? क्या उसकी कोई कंसल्टेंसी बनी, क्या उसकी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी? क्या नया जयपुर बसाने के लिये आपने जो सर्वे करवाया, उस सर्वे के अनुसार नक्शे के अंदर आपने अधिसूचना जारी करने से पहले उसे चिह्नित किया? और मेरा स्पेसिफिक सवाल आपसे यह है कि जे.डी.ए. की 57वीं बैठक 14 अक्टूबर को हुई और उसमें आपने फैसला किया कि नया जयपुर बसायेंगे 105 वर्ग किलोमीटर में और फिर 27 अक्टूबर को जे.डी.ए. अधिनियम की धारा 39 के अनुसार आपने अधिसूचना निकाली। यह जो 13 दिन का गैप है आपकी अधिसूचना जारी करने के बीच में, इसमें जो अभी मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इशारे-इशारे में कई बातें कह दीं, मंत्री महोदय, यह किन-किन लोगों ने सौदे किये हैं ?इसी तरह, सभापति महोदय, जब इन्होंने 1 नवम्बर को फैसला किया कि जे.डी.ए. का जो नया जयपुर है, उसमें 65 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र में से निकालेंगे। मंत्री महोदय, आपने फैसला किया, उस बैठक की सदारत भी आपने की, फिर क्या कारण हैं कि इसकी अधिसूचना, नवम्बर, 2010 के फैसले की अधिसूचना 10 जनवरी, 2011 को निकलती है? इन ढाई महीनों के अन्दर क्या यह सही है कि बड़ी संख्या में भू-माफियाओं ने सौदे किये और वह भी सत्ता के नजदीकी लोग? क्योंकि आम आदमी सोच रहा था कि यह फैसला तो हो गया पर अधिसूचना नहीं आ रही है, शायद सरकार की मंशा बदल जाये। यह बात भी आप कृपया बताने की कोशिश करें।

फिर आपने जिस भूमि को निकाला, 26.80 स्क्वायर किलोमीटर, सभापति महोदय, इसमें वह जमीन दर्शाई, क्योंकि इन्होंने जो 65 वर्ग किलोमीटर जमीन को अधिसूचित क्षेत्र से निकाला, उसमें यह कहा कि इसमें 26 वर्ग किलोमीटर में वे जमीनें थीं जो पूर्व में जे.डी.ए. ने या तो सरकारी विभागों को अलाट कर दीं या विभिन्न संस्थाओं को अलाट कर दीं। जब यह जमीन 26 किलोमीटर आपको मालूम थी, आपके रिकार्ड के अनुसार सरकारी विभागों को अलाट कर दी, और संस्थाओं को अलाट कर दीं तो इसमें अधिसूचित क्षेत्र में क्यों आपने लिया ?

इसी तरह से जब आप यह कह रहे हो कि इसके अन्दर से 3.61 वर्ग किलोमीटर में 90-बी हो चुकी थी तो क्या कारण था कि 90-बी करने वाला जे.डी.ए. उसी जमीन को अधिसूचित क्षेत्र में ले रहा है? सभापति महोदय, यह इसलिये लिया गया कि जिसकी पहले 90-बी कर दी टाउनशिप के लिये, वह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चक्कर काटने लगे। पहले मेरी 90-बी की, अब अधिसूचित एरिये से बाहर निकालो और इसके बीच में क्या-क्या बातें हुई? मंत्री महोदय कहना बड़ा आसान है, पूर्ववर्ती सरकार पर पत्थर फेंकना भी बड़ा आसान है, अब आप क्या कर्म कर रहे हो, यह इस नये जयपुर से सारा स्पष्ट हो गया।

क्या यह भी सही है कि आपने इसमें से 2.36 वर्ग किलोमीटर, यह ग्राम पंचायत की आबादी है, लोग बसे हुए हैं, आपने अधिसूचित क्षेत्र में आबादी क्षेत्र को कैसे शामिल किया जहां सैकड़ों की संख्या में लोग मकान बनाकर रह रहे हैं? और क्या यह सही है कि इसी के अन्दर आपने साढ़े 12 वर्ग किलोमीटर भूमि, जिसका जिक्र मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, वह अनुपयोगी है, यानी वहां जंगल भी हैं, जंगलात की भी जमीन है? क्या जंगलात की जमीन एवं विभाग की जमीन और अधिसूचित पहाड़, क्या इनके स्वरूप को आवासीय के लिये बदला जा सकता है? यह साढ़े 12 किलोमीटर को कैसे आपने शामिल किया? इस चीज को आप स्पष्ट करो।

सभापति महोदय, जो बैठक में निर्णय और अधिसूचना के बीच में जो टाइम रहा, मंत्री महोदय, मुझे खुशी थी, आपका मैंने बयान पढ़ा था, आपने खुद ने कहा कि सच्चाई तक जाऊंगा, जिन्होंने इसके अंदर गड़बड़ की है, जितने सौदे हुए हैं, एक-एक की लिस्ट बनाऊंगा, दोनों बैठकों की सदारत आप करो; तो आज आप यह स्पष्ट कहो, आपने जांच की घोषणा की है 1 फरवरी को, आज हम खड़े हैं मार्च के मध्य में, तो इस डेढ महीने में आपने क्या-क्या जांच करवाई ?और जांच किसकी अध्यक्षता में कराई, वह भी बतायें। यह अधिसूचना जारी करने में विलम्ब के क्या-क्या कारण रहे? यह जमीन जो पहले संस्थाओं और विभागों को अलाट कर दी, इसको अधिसूचित क्षेत्र में लेने का क्या कारण था? और बाहर निकालने का क्या कारण था? डी.पी.आर. आपने बनाया नहीं; बिना सर्वे, बिना कंसल्टेंट के नया जयपुर जैसा प्रोजेक्ट बनाया। मैं समझता हूं, इसके बारे में भी आप उत्तर दें। आप इन सवालों का उत्तर दें।

श्री सभापति: मंत्री महोदय। I cannot allow that.

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): एक क्वेश्चन। केवल एक क्वेश्चन है।

श्री सभापति: I cannot allow that.

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं भी जयपुर से आया हूं, साहब।

श्री सभापति: I cannot allow that. You may be from Jaipur, you may be

(श्री सभापति)

a resident of Jaipur and you may be an elected member, but rules don't allow it. Kindly go through the rules. Rules do not allow you.

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): तो क्या हुआ? रूल्स में क्या है ?

श्री सभापति: The Chair is limited and bound by the rules. Please sit down. आदरणीय सदस्य, कृपा करके विराज जायें। आदरणीय सदस्य, कृपा करके विराज जायें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): Only one question, Sir.

श्री सभापति: I cannot allow. I cannot allow it. आदरणीय मंत्री महोदय।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आपने तय ही कर लिया है, सभापति महोदय, कि बोलने नहीं देना, वह अलग बात है, बाकी मेरा राइट तो बनता है। मैं एक क्वेश्चन तो पूछ सकता हूं।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्रीजी के उत्तर के बाद तो पूछ सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी के बाद कौन पूछ सकता है, यह भी चेयर का प्रेरोगेटिव है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, नये जयपुर के बाबत जो सवाल आपने पूछे हैं, मैं उनको एक बार दोहरा देता हूं ताकि कोई बात रह नहीं जाये। पहली बात आपने पूछी कि आवश्यकता क्यों पड़ी नये जयपुर के बसावट की; फिर आपने कहा कि फिर अचानक आनन-फानन में इस एरिया को कम क्यों कर दिया और रिपोर्ट बनी तो क्या बनी; तीसरी बात आपने पूछी कि किन-किन नेताओं के, मंत्रियों के, अधिकारियों के प्लॉट इसमें हैं ; चौथी बात आपने पूछी कि अधिसूचना जब जारी की गई थी तब क्या वहां बसावट नहीं थी, नदी-नाले नहीं थे; पांचवी बात आपने पूछी कि अध्यक्षता दोनों मीटिंग्स की की जिसमें यह फैसला हुआ कि नया जयपुर बसाया जावे, उसके लिए 105 वर्ग किलोमीटर का एरिया रखा जावे और फिर उसको कम करके

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

कितना एरिया रखा जावे; दोनों मीटिंग्स की अध्यक्षता किसने की; भूमि के दाम कम हो गये; आपके नजदीक के लोगों को आपने लाभ पहुंचाया। यह भी सवाल आपने पूछा। राठौड़ साहब ने पूछा कि सौदों की जांच करवायी गयी या नहीं करवायी गयी ; हमने कहा था कि एक-एक सौदे की जांच करवायी जाएगी, डी पी आर बनी या नहीं बनी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी या नहीं बनी; कंसलटेंट अपाइंट हुए या नहीं हुए; नये जयपुर का क्या प्लान बना। तेरह दिन के गैप के सम्बन्ध में भी आपने पूछा कि तेरह दिन का गैप क्यों दिया गया। आखिरी सवाल आपने यह पूछा कि क्या आवश्यकता पड़ रही थी। मेरे ख्याल से कुल मिलाकर ये बात थीं।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं एक तो आपसे यह आज्ञा चाहूंगा कि मेरा जवाब थोड़ा लम्बा है, जबाव पूरा है और उसके बाद में मैं इस बात के लिए भी तैयार हूं कि जो आप सवाल पूछेंगे, उनका एक-एक का जवाब दूंगा, चाहे आधे घंटे के बजाय चार घंटे लगें। पहली बात तो ठीक है कि आवश्यकता क्यों पड़ी। सभापति महोदय, जयपुर हेतु विश्व स्तरीय शहर की एक परिकल्पना सोची गयी। इसको किस प्रकार से क्रियान्वित किया जावे क्योंकि जयपुर की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, यह आवश्यकता महसूस की गयी कि नये जयपुर की बसावट की जाए। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मैंने की। उस प्राधिकरण की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नया जयपुर विकसित करने के लिए अधिसूचना जारी की जावे, यह जो एरिया है 105 वर्ग किलोमीटर का ;उसको प्रतिबन्धित कर दिया जाए ; इसमें कोई नया निर्माण नहीं हो; इसमें कोई आबंटन नहीं हो ; भूमि उपयोग उपान्तरण नहीं हो; भूमि रूपान्तरण नहीं हो और किसी प्रकार की कोई नयी बसावट नहीं आ जावे जिससे कभी जो कुछ भी प्लान बने, वह डिस्टर्ब न हो सके। तो प्राधिकरण अधिनियम की धारा 39 के तहत यह अधिकार होता है प्राधिकरण को कि डिक्लेरेशन आफ इंटेंट जाहिर करें। एक बात आपने पूछी, उसका बीच में मैं जबाव देता हूं। राठौड़ साहब ने पूछा कि तेरह दिन का गैप क्यों रखा। नियमों की शायद आपको जानकारी नहीं है, तीस दिन का हवाला है। जिस रोज से आप तय करते हो, उस दिन से तीस के अन्दर-अन्दर अपना डिक्लेरेशन आफ इंटेंट जाहिर करना होता है। हमने तो सिर्फ तेरह ही दिन में कर दिया। ...(व्यवधान)... मुझे बोल लेने दीजिए। आप बोले, मैंने कतई डिस्टर्ब नहीं किया आपको। मेरे बोलने के बाद में भी अगर आपका कोई सवाल रहेगा तो निश्चित तौर पर उसका जबाव दूंगा।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

तो तीस दिन की बजाय तेरह दिन में ही हमने डिक्लेरेशन आफ इंटेंट जाहिर कर दिया। मोटे तौर पर यह सोचा गया कि जयपुर की चारदीवारी और जयपुर की नयी बसावट इसी के नजदीक यदि हमें कोई जगह मिलती है तो उसी जगह हम नया जयपुर बसायेंगे। यदि, मान लीजिए, चालीस किलोमीटर या पचास किलोमीटर दूर जाकर नया जयपुर बसाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। लोगों को आज भी मानसरोवर के लिए ही काफी मुश्किल होता है क्योंकि वह भी बीस-बाइस किलोमीटर दूर है। तो यह सोचा गया कि इसके नजदीक का कौनसा इलाका है। तो ढूंढ नदी पूर्व में, पश्चिम में झालाना की पहाड़ियां, उत्तर में जमवारामगढ़ रोड और दक्षिण में जयपुर दिल्ली रेलवे लाइन, यह सारा एरिया 105 वर्ग किलोमीटर का था, यह कहा गया कि इसको प्रतिबन्धित कर दिया जाए। इसमें 90-बी की अनुमति, नया निर्माण, आउटले प्लान का अनुमोदन, भूमि रूपान्तरण आदि, सब पर इसलिए रोक लगा दी जावे क्योंकि यदि नहीं लगायी गयी तो वहां पर बसावट होती रहेगी। एक रोज, दो रोज में तो जयपुर बसता नहीं है नया, जयपुर को बसाने में सालों लग जाते हैं। जयपुर की चारदीवारी सिर्फ साढ़े छह वर्ग किलोमीटर की है लेकिन सवाई जयसिंह को जयपुर को बसाने में सालों लग गये थे। आप कोई सा भी शहर देख लीजिए। चाहे आप मोहाली देख लीजिए चण्डीगढ़ के पास का, पंचकुला देख लीजिए, गांधीनगर देख लीजिए, जितने भी नये नगर बसे हैं, वे एक या दो या तीन सालों में नहीं बसे हैं, सालों लग गये बसाने में। यदि उस इलाके को प्रतिबन्धित नहीं किया जाता है तो फिर बसावट होती रहेगी, निर्माण की स्वीकृतियां होती रहेंगी, भू-रूपान्तरण होता रहेगा, 90-बी होती रहेगी और रिक्त भूमि कुछ नहीं मिलेगी। फिर वहां पर नया जयपुर बस भी नहीं सकता था। इसलिए प्रतिबन्धित करना आवश्यक होता है। पहली बार इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी है, पिछले सरकार के द्वारा भी की गई है। वह भी एक-एक बताऊंगा आपको। नया जयपुर हम ही नहीं बसाना चाहते थे, भैरोंसिंह जी के वक्त में भी बसाने की बात थी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हमने अधिसूचना जारी नहीं की थी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं की, ये सब कागज मेरे पास हैं। मैं एक-एक करके बताऊंगा आपको। आप कहोगे तो टेबल कर दूंगा। हमने 105 वर्ग किलोमीटर का एरिया प्रतिबन्धित किया, 1995 में आपकी सरकार ने उस वक्त 140 वर्ग किलोमीटर का एरिया प्रतिबन्धित किया था। हमने तो

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

कारण बताये हैं, 105 वर्ग किलोमीटर को कम करके, 66 वर्ग किलोमीटर को निकालकर 39 वर्ग किलोमीटर पर नया जयपुर बसेगा। आपने तो एक कारण ही नहीं बताया, कारण छोड़कर के जयपुरवासियों को एक लाइन तक यह नहीं बताया कि हमने 140 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो नया जयपुर बसाने के लिए रखा, उसको क्यों छोड़ा गया। वे सब कारण मेरे पास हैं और अधिसूचनाएं मेरे पास हैं। आप कहेंगे तो मैं टेबल कर दूंगा।

सभापति महोदय, 105 वर्ग किलोमीटर के एरिये के बारे में जैसा मैंने निवेदन किया आपको, यह विस्तृत क्षेत्र इसलिए चुना गया था कि विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद भी नये जयपुर के लिए ज्यादा से ज्यादा रिक्त भूमि कहां पर हो सकती है, 105 वर्ग किलोमीटर का मतलब यह नहीं था कि पूरे 105 वर्ग किलोमीटर पर नया जयपुर बसाया जाएगा। देश का कोई सा भी क्षेत्र आप देख लें, 105 वर्ग किलोमीटर के इतने बड़े एरिये में कोई भी बसावट नहीं होती। शुरू-शुरू में जब कोई प्रोजेक्ट बनता है तो बड़ी जमीन पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है, यह चयन किया जाता है कि यह जमीन है, यह इतनी बड़ी जमीन है, इसमें हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब प्रोजेक्ट कहां आयेगा, यह सर्वे होगा, उसका सर्वेक्षण होगा, उसका विश्लेषण होगा और विश्लेषण होने के उपरान्त यह देखा जाएगा कि इतने बड़े क्षेत्र में यह इतनी सी जगह है जहां पर कि हम हमारी योजना की क्रियान्विति कर सकते हैं। इसलिए 105 वर्ग किलोमीटर का एरिया रखा गया। यह हमारी जानकारी में था कि वहां नदी भी है, वहां पहाड़ भी हैं, वहां नाले भी हैं, वहां पर आबंटित भूमि भी है, वहां पर 90-बी भी हो चुकी है, जयपुर विकास प्राधिकरण की कई योजनाएं वहां पर चल भी रही हैं, हाउसिंग बोर्ड की योजनाएं चल रही हैं, विभिन्न विभागों की वहां पर कई प्रकार की योजनाएं हैं; यह सब हमारी जानकारी में था लेकिन यह आवश्यक था क्योंकि अगर उसको प्रतिबन्धित नहीं करते और मान लीजिए, जैसा आज तय किया गया कि एक तरफ तो ग्रीन सिटी बनेगी नये जयपुर की और एक तरफ हेरिटेज सिटी बनेगी, दोनों के बीच में फासला है, फासला नहीं रखेंगे तो वह इन्टर-कनेक्टेड कैसे होंगी, सेक्टर रोड्स कैसे बनेंगी। अगर वह एरिया प्रतिबन्धित नहीं करते तो आपस में रोड भी नहीं बन सकती थी और इंटर-कनेक्शन भी नहीं हो सकता था।

तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि नजरी पैमाइश करवायी जाती है। कोई योजना बनाओ, उसके लिए शुरू-शुरू में एक एरिया प्रतिबन्धित

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

किया जाता है और फिर नजरी पैमाइश करवायी जाती है, टेबल सर्वे करवाया जाता है। यह देखा जाता है कि निजी भूमि कितनी उपलब्ध होगी। अगर निजी भूमि उपलब्ध होती है, उसको अवाप्त किया जाता है तो प्राधिकरण के ऊपर कितना आर्थिक भार आयेगा। वित्तीय भार देखा जायेगा और यथासम्भव यह भी देखा जाएगा कि जो कुछ वहां पर बसावट हो चुकी है, इसका समायोजन नये प्लान में किस प्रकार होगा। मान लीजिए, ऐसा एरिया मिलता है कि जहां पर सौ, दो सौ, चार सौ मकान बने हुए हैं लेकिन वह क्षेत्र नये जयपुर की बसावट में आता है, उसका समायोजन किस प्रकार से होगा, यह भी देखा जाता है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह जो कुछ भी हुआ, वह हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में होता है। मैं आपको अपने देश की मिसाल भी देना चाहता हूं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): राजस्थान की बात करो अपने तो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): राजस्थान की नहीं, जयपुर की ही बात कर रहे हैं अभी अपन। हां, लेकिन फिर भी सुन लो। जयपुर की बता देता हूं आपको, बता देता हूं।

गांधी नगर बसाया गया अहमदाबाद के पास, उसके लिए 250 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया शुरू ही शुरू में प्रतिबंधित किया गया लेकिन बसावट कितने पर हुई, 150 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह बताओ, उसमें से एरिया कितना छोड़ा गया ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): साहब, मैं सबका जवाब दूंगा। कालीचरण जी सराफ साहब, जरा आप मुझे सुन लो, उसके बाद में आप पूछोगे, सबका जवाब दूंगा आपका, हां।

कलकत्ता, कलकत्ता के पास में साल्टलेक बनाया गया है, इसके लिए, ऐसा भी होता है कि शुरू-शुरू में प्रतिबंधित किया जाता है इलाका लेकिन बसावट होते-होते वह एरिया बढ़ भी जाता है, जैसा कलकत्ता में हुआ; कलकत्ता में साल्टलेक नाम की एक बसावट हुई, उसके लिए सिर्फ 17 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखा गया था लेकिन हो गया 33 स्क्वायर किलोमीटर। बढ़ गया, घटने के बजाय बढ़ गया। ठीक इसी तरीके से ग्वालियर में 300 स्क्वायर

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

किलोमीटर का एरिया चिह्नित किया गया लेकिन बसावट सिर्फ 80 स्क्वायर किलोमीटर में हुई। नया रायपुर बन रहा था, प्रतिबंधित किया गया है इलाका 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया से भी ज्यादा का लेकिन बसावट हो रही है सिर्फ 80 स्क्वायर किलोमीटर पर।

तो इस प्रकार के कई उदाहरण आपको मिल जायेंगे। नहीं, कई मिल जायेंगे। पर कोई भी योजना जब आप बनाने जाओगे, कोई भी योजना का खाका आप बनाने जाओगे तो आपको पहले बहुत बड़ा एरिया चिह्नित करना पड़ता है और उसके बाद में फिर कंसल्टेंट देखते हैं, डी.पी.आर. बनती है, योजना बनती है, कहां-कहां लागू हो सकता है, कहां-कहां पर लागू नहीं हो सकता और उस एरिया को, फिर उसको बाकी को छोड़कर के और उस एरिये की अधिसूचना जारी की जाती है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

जहां तक आपका सवाल था कि आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता इसलिए पड़ी, यह आवश्यकता आज ही महसूस नहीं हो रही, मैं आपसे पहले निवेदन कर चुका हूं कि ...

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): पढ़ा हुआ मान लिया जाय। कालीचरण सराफ जी, पढ़ा हुआ मान लो।

एक माननीय सदस्य : टेबल करवा दो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह देखिये, सभापति महोदय, यह 21.10.1995 की अधिसूचना जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आदरणीय भैरोंसिंह जी शेखावत जब यहां के मुख्य मंत्री थे तो उनके द्वारा 21.10.1995 को यह अधिसूचना निकाली गयी, 140 स्क्वायर किलोमीटर पर नये जयपुर की बसावट के लिए यह अधिसूचना निकाली गयी और फिर अचानक, बिना कोई कारण बताये जनता को, बगैर कुछ सोचे और यह दूसरी अधिसूचना निकाल दी गयी। नहीं, फिर इसकी पुष्टि की गयी है अलग निकालकर के, वह पुष्टि की गयी 03.02.1995 और फिर तीसरी अधिसूचना निकालकर के सिर्फ अधिसूचना में चार लाइनें लिखी गयीं, 'आम सूचना,' यह निकाली गई 8.6.96 को 'सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा नया जयपुर योजना के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकारण अधिनियम, 1982 की धारा 29 (2) के अन्तर्गत दिनांक 15.11.95 को प्रसारित अधिसूचना को इसके सम्बन्ध में लिये प्रशासनिक निर्णय अनुसार प्रभावहीन करार दिया जाता है। 'यह सूचना थी आपकी।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

सभापति महोदय, दूसरी बात जो पूछी गयी आपके द्वारा, यह आवश्यकता बता दी, दूसरी बात आपके द्वारा पूछी गयी कि आनन-फानन में क्यों इस प्रकार का फैसला लिया गया। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि खूब विचार-विमर्श हुआ, देश के बड़े-बड़े कंसल्टेंट्स को यह काम दिया गया कि नया जयपुर किस प्रकार से बसाया जा सकता है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनायी, उस रिपोर्ट में एक साल से भी ज्यादा समय लिया। कंसल्टेंट की रिपोर्ट पर प्लेन टेबल सर्वे करवाया गया, एक-एक मकान चिह्नित किया गया, कहां नदी है, कहां नाले हैं, कहां पर पहाड़ है, कहां पर क्या है; एक-एक चीज दिखाकर के, कहां पर पंचायत की जमीन है, कहां जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाएं क्रियान्वित हैं, किस भूमि की 90-बी हो चुकी है, किस भूमि का रूपान्तरण कर दिया गया है ; जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा, भू-उपान्तरण कर दिया गया है; ये सब चीजें उनकी रिपोर्ट में मौजूद थीं, जो रिपोर्ट मेरे पास पूरी उपलब्ध है। अगर आपकी इजाजत हो तो यह भी मैं टेबल पर रख दूंगा कि उनकी रिपोर्ट क्या थी ताकि विस्तार से उनको जानकारी मिल सके, जो भ्रमित लोग हैं उनको कम से कम अपना भ्रम दूर करने का मौका मिलेगा।

सभापति महोदय, 105 स्क्वायर किलोमीटर में पंचायत की भूमि थी, अनुमोदित योजनाएं थीं और निजी एकल पट्टे थे, ये 3.21 स्क्वायर किलोमीटर थे; अवैध रूप से बसा हुआ क्षेत्र भी था जो 8.66 स्क्वायर किलोमीटर था; जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाएं और प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे, वे कुल मिलाकर के 11.53 स्क्वायर किलोमीटर पर चल रहे थे; संस्थाऐं कई संस्थाएं, जो यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं वहां पर, संस्थाएं, राजकीय विभागों को जो आवंटित भूमि थी, वह करीब-करीब 27.10 स्क्वायर किलोमीटर थी; 90-बी शुदा क्षेत्र था, वह भी 3.43 स्क्वायर किलोमीटर था; और अनुपयोगी भूमि जिसमें कि नदी भी आती है, पहाड़ भी आता है, नाला भी आता है, कब्रिस्तान भी आता है, श्मशान भी आता है, वगैरह- वगैरह मिलाकर के 12.42 स्क्वायर किलोमीटर थी। यह सारा मिलाकर के अपन अगर पूरा जोड़ते हैं तो वह ही फीगर बैठती है, 66.95 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको कि छोड़ा गया।

सभापति महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा इरादा कभी भी इस जमीन को एक्वायर करने का नहीं था। हमने कभी यह नहीं कहा कि

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

इस पूरे 105 स्क्वायर किलोमीटर को हम अधिकृत कर लेंगे, हम इसकी अवाप्ति कर लेंगे, हम इसका एक्विजिशन कर लेंगे। हमने कभी किसान को डराया नहीं, जिस प्रकार के उदाहरण मैं आगे जाकर के बताऊंगा आपको कि क्या-क्या हुआ था। (व्यवधान) यही तो बता रहा हूं, यही बता रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप तो अपने इसकी बात बताओ न, एक सवाल का जवाब दो ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आगे पोल खुलेगी न, मेरे जवाब में आगे पोल खुलेगी।

हमारा इरादा सिर्फ यह देखना था कि 105 स्क्वायर किलोमीटर भूमि में से कितनी रिक्त भूमि नये जयपुर की बसावट के लिए उपलब्ध हो सकती है, अवाप्ति का नहीं था। हमने कभी अवाप्ति के लिए नहीं कहा कि अवाप्त कर लिया जायेगा किसान की जमीन को। जो रोक हमने लगायी थी, वह टोटल अस्थायी थी, टेम्पोरेरी थी, स्पष्ट इरादे के साथ रोक लगायी गयी थी कि सिर्फ 90-बी नहीं होगी, आबंटन नहीं होगा, नये निर्माण की स्वीकृति नहीं होगी। यदि रोक नहीं लगायी जाती, मैं आपको पहले भी निवेदन कर चुका हूं, सभापति महोदय, कि यदि रोक नहीं लगायी जाती तो नयी बसावट को नहीं रोका जा सकता था, रिक्त भूमि पर बसावट और होती और जो कुछ जमीन आज हमें नये जयपुर के लिए उपलब्ध हो रही है, वह भी नहीं हो पाती।

सभापति महोदय, सुनियोजित विकास के लिए, किसी भी योजना की क्रियान्विति के लिए यह हमेशा आवश्यक होता है कि पहले एक बड़ा क्षेत्र चिह्नित किया जाय और फिर यह देखा जाता है कि किस क्षेत्र में उस योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। उसका सर्वेक्षण करवाया जाता है, उसका प्लेन टेबल सर्वे करवाया जाता है जिसी से यह इरादा जाहिर होता है बाद में कि यह एरिया है जिस पर कि हम अपनी जो कुछ योजना है, उसको क्रियान्वित कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने बता दिया आपको ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक बात को रिपीट मत करो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): किन-किन अधिकारियों की, किन-किन ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं आ रहा हूं, आपकी सब बातों का जवाब दूंगा। मैं आ रहा हूं कि किन-किन अधिकारियों की, किन मंत्रियों की, किन नेताओं की, किन प्रभावशाली लोगों की, किन उन लोगों की जो मेरे नजदीक हैं, मेरे पास तो सूचना नहीं है लेकिन अगर आपके पास सूचना हो तो आप कहो, मैं जिससे जांच करवाने को तैयार हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक भी व्यक्ति, मैं आपको बता रहा हूं सारा, जो आपने पूछा था कि आपने कहा था कि मैं इसका सारा सर्वे कराऊंगा, सारा रिकार्ड इकट्ठा करूंगा; सारा रिकार्ड इकट्ठा किया मैंने लेकिन नेता बेनामी नाम से ले लेवें, अधिकारी अपने

(समय : 18.00 बजे)

नाम से नहीं लेवें, ससुर के नाम से ले लेवें, साले के नाम से ले लेवें, मैं कहां से तलाश करने जाऊं? आप बताओ, बर्डन आफ प्रूफ आप पर है क्योंकि आरोप आपने लगाया है, साबित आपको करना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप जांच समिति बना दो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सभापति महोदय, एक अपने सदन के पांच सदस्यों की जांच समिति बना दो और वे जांच कर लेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप आरोप तो लगाओ ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आरोप लगा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, विराज जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं आरोप लगा रहा हूं कि इस नया जयपुर के पहले नोटिफिकेशन से लेकर इसका इलाका छोड़ने तक, एक साल एक महीने तक जो बीच का गैप पीरियड है, इस गैप पीरियड के अन्दर भूमि माफियाओं ने जमीनें खरीदीं, सत्ता में, सत्ता के नजदीकी लोगों ने खरीदीं और इसमें करोड़ों रुपए का ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह कह रहे हैं ना, आरोप लगाओ, आरोप लगा रहा हूं।

श्री सभापति: किसी प्रकार का आसन से बिना इजाजत लिया हुआ वक्तव्य अंकित नहीं होगा, स्पष्ट पहले भी कह दिया गया था, दुबारा मैं कह

(श्री सभापति)

रहा हूं। (व्यवधान) एक मैं ट्रैजरी बैंचेज को और अपोजिशन बैंचेज को, दोनों को यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि रूल 49 का सब सेक्शन-5 स्पष्ट करता है, आप भी अपनी बात संक्षिप्त में पूछेंगे और, मंत्री महोदय, आपको भी बाध्य करता है कि संक्षिप्त में कहें। This House cannot be used for timeless issues and for timeless period. It has to be confined to a limited time.

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपसे पहले निवेदन कर चुका...

श्री सभापति: तो आप कन्क्लूड करें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इन्होंने इतने सवाल पूछे हैं कि मुझे एक-एक का जवाब देना पड़ेगा।

श्री सभापति: आप पाइंटेडली एक-एक का जवाब...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, बिल्कुल पाइंटेडली। तीसरा सवाल इनका जो आता है यह मैं पहले कह चुका हूं कि दोनों मीटिंगों की, प्राधिकरण की जो मीटिंग्स हुईं जिनमें फैसला हुआ, प्रतिबन्धित किया जाए और फिर फैसला हुआ कि इसको छोड़ दिया जाए, दोनों की अध्यक्षता मैंने की ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): तीसरी बात, आपने जो सबसे बड़ा आरोप लगाया कि भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाया गया और आपने दो-चार गांवों के दाम बताये कि किन-किन दामों में यह हुआ, राठौड़ साहब ने पूछा कि ...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री सभापति: आपने सूची थोड़े ही मांगी है। नहीं मांगी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री सभापति: आप विराज जाएं। न तो आपको अधिकार है सूची मांगने का और न आपको अधिकार है सूची देने का जब तक आसन इस बात की परमिशन न दे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: चलिए, आप विराज जाएं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, तो यह कहा गया कि ग्राम सुमेल में अधिसूचना जारी होने के पहले 1,500 का भाव था।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 16 है, मैं आपको वही बता रहा हूं और कुछ गांवों के नाम तो मैंने ले दिये। जमीनों के भाव रोक के पूर्व 1,500 से 2,000 थे और रोक के बाद 1,200 से 1,500 हो गये, सुमेल में आपने कहा; जामडोली में आपने कहा कि 2,000 से 2,500 थे, उसके बाद 1,800 से 2,200 करीब हो गये। श्रीनाथ विहार का आपने जिक्र किया, श्रीनाथ विहार नाम की कोई योजना ही नहीं है वहां पर और न कोई गांव है वहां पर।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कालोनी है, आपकी जानकारी होगी, आप मुझे बता दो। जे डी ए के पास अगर इस प्रकार की कालोनी कोई रजिस्टर्ड है तो मुझे बता दीजिए आप।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन दरों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि पूर्व में जो प्रचलित डी एल सी की रेट थीं, इस अवधि में कम नहीं हुई, उसमें और इजाफा हुआ है। यह कहते हैं कि कम हुई है, मैं कहता हूं कि इजाफा हुआ है और वह इजाफा मैं आपको साबित करना चाहता हूं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं लिखकर दूंगा आपको, लिखकर दूंगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इस तरह से, सभापति महोदय, बीच में बोलेंगे तो कुछ नहीं। मैं जो कुछ यहां पर कह रहा हूं....

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आदरणीय सदस्य, आप मंत्रीजी से अगर जवाब चाहते हैं तब तो मैं जवाब दिला दूं और आप सिर्फ बात ही करना चाहते हैं तो सदन इसके लिए इजाजत नहीं देगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दूसरा निवेदन यह है मेरा कि मैं जो कुछ भी यहां पर बोल रहा हूं, यह सब अंकित हो रहा है। अगर मेरा स्टेटमेंट कहीं पर भी गलत है तो इनको पूरा अधिकार है मेरे खिलाफ विशेषाधिकार चलाने का, चलाइये अगर मेरी सूचना गलत है तो।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

जामडोली, जामडोली में 27.10.09 से जबसे प्रतिबन्ध लागू हुआ उसके पूर्व वहां की दर थी तीस लाख रुपये बीघा और उसके बाद प्रतिबंध के दौरान, जिस पर कि आप यह आरोप लगाते हैं कि दाम कम हो गये, प्रतिबंध के दौरान 26.05.2010 तक जो प्रभावी रही यह तीस लाख से बढ़कर तैतीस लाख हो गयी, जिसकी रजिस्ट्रियां हुई हैं सुमेल। जो आपने कहा था, 27.10.09 से प्रतिबंध लागू होने के समय व पूर्व से दर प्रति बीघा जो थी वह तीस लाख थी वह घट गयी, तीस लाख के बजाय वहां पर भी तैतीस लाख हो गयी। ठीक इसी तरह से बगराना, यह भी तीस लाख थी, यह भी तैतीस लाख हो गयी वहां पर। खो रेवाडियान, यह बीस लाख थी जिसकी बाइस लाख हो गयी प्रतिबंध के दौरान। विजयपुरा, वह तीस लाख थी, वहां पर भी तैतीस लाख हो गयी और हिंगोनिया, यहां पर भी छह लाख पच्चीस हजार थी, वह भी छह लाख पच्चीस हजार से बढ़ गयी। तो दाम घटे नहीं हैं, बढ़े हैं।

अब सवाल यह आता है, सभापति महोदय, आपने कहा कि भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाया गया। जिस प्रकार के भूमाफिया होते हैं, वे एक-एक, दो-दो, चार-चार, पांच-पांच बीघा का सौदा नहीं करते। इस पर रजिस्ट्रियां हुई हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): और कौनसी बताऊं? (व्यवधान) कहां से बताऊं और कहां से बताऊं, आप बता दीजिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप एक एग्रीमेंट ऐसा बता दीजिए, टेबल रख दीजिए जिसमें कि दाम कम हुए हों या रजिस्ट्री डी एल सी रेट से भी कम हुई हो। आप एक बता दीजिए। आप लगाइये, लिखित में लगाइये आरोप, मैं उसकी जांच कराने को तैयार हूं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एग्रीमेंट बता दीजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, अगर आप अभी सब कुछ पूछ लेंगे तो उनके वक्तव्य के बाद क्या पूछेंगे?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप ठीक कह रहे हैं, डी एल सी रेट से कम में रजिस्ट्रियां नहीं हो सकतीं लेकिन डी एल सी रेट से ज्यादा हो गयी तो? दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? एक बात। दूसरी बात यह कि अगर डी एल सी रेट से कम में रजिस्ट्री नहीं हो सकती, एग्रीमेंट तो हो सकता है, उस एग्रीमेंट की कापी लाकर दे दीजिए मुझे, मैं जांच करवा लूंगा।

दूसरी बात, मैं बता दूंगा, आदरणीय सभापति महोदय, भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाया गया ...(व्यवधान) मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री सभापति: मैं, आदरणीय सदस्य, फिर आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर इसी प्रकार से आप बीच में टोका-टोकी करते रहे तो मुझे यह चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी। पर्टिकुलर जिस रूल में यह अलाउ होती है, उसमें जिसने स्पीकर को इंटिमेट किया होता है, सिर्फ वही सदस्य पूछ सकते हैं और बहुत ब्रीफली लिखा हुआ है, संक्षिप्त लिखा हुआ है। इसलिए वक्तव्य दोनों तरफ से संक्षिप्त आना चाहिए।

आदरणीय मंत्री महोदय, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जो इनके फाइनल पाइंट्स हैं, उन पर आप सीधा जवाब दे दें जिससे कन्क्लूड ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): करीब चार-पांच पाइंट रह गये हैं बाकी। आपने यह पूछा कि आपने कहा था कि जांच करवाई जाएगी। सुमेल गांव में कुल मिलाकर 89 दस्तावेज पंजीकृत हुए हैं और उनमें भी पंजीकृत जो हुए हैं, वे एक हजार वर्ग मीटर के नीचे-नीचे के दस्तावेज हैं, सिर्फ एक हजार वर्ग मीटर के और उसमें भी ज्यादातर कौनसे लोग हैं, जिन्होंने कि अपना हक त्यागा, मुख्त्यारनामा रजिस्टर करवाया, दानपत्र रजिस्टर करवाया। ठीक इसी तरीके से जामडोली में कुल मिलाकर 548 दस्तावेज पंजीकृत हुए, एक भी दस्तावेज कृषि भूमि का पंजीकृत नहीं हुआ। जामडोली में 548 में से एक भी नहीं हुआ। छोटे-छोटे भूखण्ड अथवा दान पत्र या हक त्याग वगैरह-वगैरह, इस तरीके के हुए हैं ।

तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि जहां तक जमीनों की कीमत में गिरावट की बात है अथवा पावर आफ अटार्नी एवं एग्रीमेंट के जरिए सौदों की बात है, ऐसा कोई तथ्य जानकारी में नहीं आया जिससे कि किसी भू-माफिया को फायदा पहुंचाया गया हो। मेरा यह निवेदन है कि भू-माफियाओं को फायदा

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

पहुंचाना, यह एक ऐसा वेग शब्द है कि जैसे कोई करोड़ों रुपये की भूमि का लेना-देना हो गया हो और सैकड़ों बीघा जमीन बिक गयी हो। सारे इस पूरे पीरियड़ में..(व्यवधान) माननीय सदस्य, जरा ध्यान दें इस बात को। इस सारे पीरियड़ में कुल मिलाकर अगर सबसे बड़ा कोई सौदा हुआ है तो सिर्फ 8 बीघा का सौदा हुआ है। बाकी कोई आधे बीघे का, दो बीघे का, एक बीघे का, तीन बीघे का और चार बीघे का।

अगर भू-माफिया, वह ओमेक्स याद है आपको, ओमेक्स का किस्सा, ओमेक्स सिटी, वाटिका, सेज, क्या-क्या सौदे हुए थे, उस वक्त कैसा-कैसा क्या दे देता, वह सब बताता हूं मैं आपको। यह पूरा रिकार्ड मेरे पास है। सभापति महोदय, आप कहेंगे तो मैं जितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं और कितने-कितने बड़े क्षेत्र की रजिस्ट्रियां हुई हैं, किस आदमी ने ली है, किस आदमी ने बेची है, इन सबका रिकार्ड यहां पर रखने को तैयार हूं और उसके बाद, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बाद भी अगर यह कोई आरोप निश्चित तौर पर लिखकर इस सदन में पेश करते हैं तो मैं तैयार हूं, ये चाहें जिससे जांच करवा लें, अगर एक भी भू-माफिया को फायदा पहुंचाने की नीयत हमने रखी हो तो मैं इसके लिये गुनहगारी कबूल करने के लिये तैयार हूं। यह सारा रिकार्ड मेरे पास मौजूद है कि किसने बेची, किसने खरीदी। 8 बीघा से एक भी बड़ा सौदा वहां पर नहीं किया। 877 बीघा ओमेक्स को दे दी गयी, 280 बीघा के लगभग वाटिका को दी गयी। क्या-क्या सौदे हुए थे, क्या नहीं हुए थे, वह सब बताऊं? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह छोड़ो, अच्छा। अच्छा, वह खा गये...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आदरणीय मंत्री महोदय, आप विषय पर कन्क्लूड करिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, खतम कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं खतम कर रहा हूं, सभापति महोदय। दो-चार बातें मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं जिससे यह साबित हो कि वाकई भू-माफियाओं को...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप समय का ध्यान रखवाएं क्योंकि 40 मिनट हो चुके हैं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): किसी प्रकार से लाभ पहुंचाया जाता है। पहली बात तो मैं आपसे यह निवेदन कर चुका हूं कि अगर आप लिखित में यह आरोप लगाते हैं कि किसी भी भू-माफिया को कितना बड़ा फायदा पहुंचाया तो मैं इसके लिये पहले भी कह चुका हूं कि मैं किसी प्रकार से जिससे आप संतुष्ट हो, जांच कराने के लिये तैयार हूं। अब आप आगे लीजिये... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपको... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बस हो गया। जवाब हो गया? आप कुछ पूछो, वह तो जवाब दे रहा हूं ना मैं। आपकी तो हर बात का जवाब आ चुका है।...(व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, मैं पुन: आपसे निवेदन करूंगा, जिस विषय पर आप बोलना चाहते हैं और जिस वक्त आप बोलना चाहते हैं, नियम मुझे, नियम आसन को इजाजत नहीं देता। इसके लिये आपको स्पीकर साहब से इजाजत लेनी होती है, उनको इंटिमेट करना होता है। आपने नहीं किया, उसके बाद भी आसन अगर यह देखता है कि कुछ ऐसा विषय रह गया है लेकिन पहले जो वास्तविक विषय जिस पर चर्चा हो रही है और वक्तव्य आ रहा है, एक बार आ जाए, हो सकता है, मंत्री महोदय के वक्तव्य में आपकी जो भी जिज्ञासा है, उसका समाधान हो जाए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, यदि सरकार की नीयत, किसी भी सम्बन्धित अधिकारी की नीयत या मंत्री की नीयत जब किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की होती है तो उसके लिये बाकायदा वह प्लान करता है और प्लान इस तरीके से करता है कि प्रतिबंधित कर दे इलाके को और फट

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

से उसका काम, अपने मिलने वाले भू-माफियाओं को फायदा पहुंचा करके उसको वापस खोल दे, जिस प्रकार से पिछली सरकार के वक्त में खूब हुआ। खूब हुआ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक नहीं, मैं आठ एग्जाम्पल देता हूं आपको। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप भी नये जयपुर तक ही सीमित रखें। नये जयपुर तक ही सीमित रखा जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री सभापति: आदरणीय मंत्री महोदय, नये जयपुर तक ही सीमित रखें।

श्री अब्दुल सगीर खां धौलपुर): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): ×××

श्री सभापति: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आसन पांवों पर है। व्यवस्था दे देता हूं इस सम्बन्ध में, कृपा करके विराज जाएं। (व्यवधान) विराज जाएं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री सभापति: आसन इसी बात की व्यवस्था देता है। आसन आदरणीय मंत्री महोदय से भी यह निवेदन करना चाह रहा है कि अपने वक्तव्य को सीमित, संक्षिप्त और टू-दी-पाइंट रखते हुए आप नये जयपुर के सम्बन्ध में और इनकी जो क्वेरी हैं, उनको आप...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सवाल इतने पूछ लिये गये... (व्यवधान)

श्री सभापति: पर क्योंकि आप खुद फरमा चुके हैं, अगर कोई डाक्यूमेंट ले करना है तो आसन इसकी व्यवस्था देगा। अगर ले करवाना होगा, आसन मंत्रीजी को निवेदन कर देगा। आप...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, ठीक है। मैं बताना चाहता हूं आपको, 9/5/2005 को रोक लगा दी गयी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सभापति: कृपया विराज जाएं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सभापति: कृपया विराज जाएं। (व्यवधान) आसन का काम है इस बात को सुनिश्चित करना। (व्यवधान) आप कृपा करके बिराज जाएं। (व्यवधान) आदरणीय, कृपा करके बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: मैं निवेदन कर रहा हूं, आप कृपा करके विराज जाएं। आदरणीय सदस्यगण, कृपा करके विराज जाएं। मंत्री महोदय, आसन आपसे पुन: इस बात के लिये निवेदन कर रहा है कि जिस बात को आप अंकित करवाना चाहते थे, उसको आसन की बगैर स्वीकृति के भी आपने अंकित करवा दिया। अब इसको नये जयपुर की सीमाओं तक सीमित रखते हुए, वर्तमान परिस्थिति और समय की परिधि को देखते हुए इसको संक्षिप्त रखते हुए अपना वक्तव्य कनक्लूड करें। आसन भी आपसे इसी प्रकार की अपेक्षा करता है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कंक्लूड ही कर रहा हूं, अब पांच मिनट में कंक्लूड कर दूंगा।...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य...(व्यवधान) श्रीमान्...(व्यवधान) आदरणीय सदस्य, कृपा करके...(व्यवधान) आदरणीय सदस्य। सचेतक महोदय, कृपा करके अपने सदस्यों को यह बात निवेदन करें कि आपके मंत्री सक्षम हैं, हर प्रकार से सक्षम हैं। कोई संशय है तो आप आसन से कह दें, नहीं है तो मंत्रीजी को अपना कार्य करने दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा था कि जब कभी किसी मंत्री की, किसी सम्बन्धित अधिकारी की, सरकार में बैठे हुए किसी भी शख्स की अगर किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की नीयत होती है तो उसका वह बाकायदा प्लान करता है। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि 9/5/2005 को रोक लगा दी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री सभापति: आसन इस प्रकार...(व्यवधान) अब आसन को सख्त होना पड़ेगा, आदरणीय मंत्री महोदय। इस प्रकार की किसी...(व्यवधान) अब आप कृपया उस साल का भी ध्यान रखें।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वही बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: समय और साल का भी ध्यान रखें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं पांच मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री सभापति: कृपा करके नये जयपुर तक आप आ जाएं।...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): पांच मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नये जयपुर के साथ-साथ भू-माफियाओं का भी डिस्कस करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कि आपने किन-किन भू-माफियाओं को मदद की है, आप लोगों ने किन-किन भू-माफियाओं की मदद करने में कहां तक, आगे तक बढ़कर काम किया है। यह मैं बताऊंगा आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरे पर आरोप लगाओ ...(व्यवधान).

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, कृपया आप सब विराज जायें। मंत्री महोदय, एक मिनट आप भी विराजें। (व्यवधान) अगर आप इसको इसी प्रकार से चर्चा करना चाहते हैं तो आसन बाध्य होगा इस चर्चा को समाप्त करने के लिये। (व्यवधान) दो माननीय सदस्यों ने आधे घंटे की चर्चा के लिये आसन को और अध्यक्ष महोदय को निवेदन किया था। आधे घंटे की चर्चा का समय दिया, एक घंटा व्यतीत होने जा रहा है। अगर आप उत्तेजित होकर बाकी सदस्यों की भावनाओं की अनदेखी करेंगे तो आसन भी आपसे अपेक्षा करता है कि सदन को नियमों से चलने दीजिये। जो बातें कही गयी हैं, जो प्रश्न पूछे गये हैं, मैं, मंत्री महोदय, आपसे भी यह कहूंगा कि राजनीतिक इतिहास के बगैर वर्तमान पृष्ठभूमि में जो कुछ भी आप फरमाना चाहते हैं, वह आप फरमायें अन्यथा मुझे भी बाध्य होना पड़ेगा अंकित ना होने का निर्देश देने के लिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, जब बात भू-माफियाओं की आ रही है तो निश्चित रूप से बात आगे तक जायेगी, बिलकुल आगे तक जायेगी। यह बताया जायेगा कि भू-माफियाओं को किस प्रकार से फायदा पहुंचाया जाता है। अगर इस नये जयपुर के सौदे के प्रकरण में एक भी भू-माफियाओं का नाम लेकर के ये यहां पर लिखकर के देते हैं, सदन की मेज पर रखते हैं, तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं उसके लिए इन्क्वायरी करवाने के लिए तैयार हूं, इन्क्वायरी भी आपकी संतुष्टि के लिए करवाना चाहता हूं, जिससे आप इन्क्वायरी करवाना चाहें, उससे इन्क्वायरी करवाना चाहता हूं। या अगर व्यक्तिगत रूप से आप मुझ पर आरोप लगाते हैं तो लिखकर दीजिये। वरना मेरे आरोप को सुनना पड़ेगा आपको। मेरे लगाये हुए आरोपों को सुनना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आगे वाला विषय, अब और कोई विषय रह गया हो तो वह आप फरमायें। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, एक रोज प्रतिबंधित किया जाता है और इसी बीच में दिल्ली के बड़े-बड़े बिल्डरों को बुलाकर के 800-800, 900-900 बीघा जमीन बिकवा दी जाती है काश्तकारों की। काश्तकारों में हड़कंप मच जाता है, काश्तकारों को छला जाता है, उनको धोखा दिया जाता है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आसन इमेजिनेशन को अंकित करने की इजाजत नहीं देगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री सभापति: That is a figment of imagination. Imagination cannot be recorded.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, इमेजिनेशन नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आपसे पुन: निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, इमेजिनेशन का शब्द आप काम में ले रहे हैं ...(व्यवधान) लेकिन यह हकीकत है। मैं इनके नोटिफिकेशन रखने को तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरे पास नोटिफिकेशंस हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन मंत्रीजी से निवेदन करता है ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरे पास नोटिफिकेशंस हैं, इमेजिनेशन नहीं है। (व्यवधान) यह देखिये, ये नोटिफिकेशंस हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन मंत्रीजी से निवेदन कर रहा है कि पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित कोई बात आपको कहनी है ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बात उच्च न्यायालय तक पहुंच गयी है। (व्यवधान) चीफ सेक्रेटरी के अंडर में कमेटी बनायी गयी ...(व्यवधान) और चीफ सेक्रेटरी को (व्यवधान)और चीफ सेक्रेटरी ने यह फाइंडिंग दी ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: आदरणीय मंत्री महोदय, मैं चर्चा को यहीं समाप्त करवाता हूं। (व्यवधान) अगर वाकई में इस चर्चा का कोई सार निकालना है तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि इसको आप कम से कम ...(व्यवधान) वर्तमान समय की पृष्ठभूमि में ही आप वक्तव्य दें ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं खतम कर रहा हूं, मैं चार लाइनों में खतम करता हूं अब।(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय इसको अब कर रहे हैं, चार लाइन में खतम ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): चार लाइनों में खतम करता हूं। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सभापति: आसन के धैर्य की भी आप परीक्षा ना लें। (व्यवधान) आसन को बाकी सदस्यों की भावनाओं की ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं खतम कर रहा हूं, खतम कर रहा हूं मेरा जवाब। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। आदरणीय सदस्य, विराज जायें।...(व्यवधान) मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन कर रहा हूं... (व्यवधान)...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं खतम कर रहा हूं, चलो छुट्टी हुई। (व्यवधान) मैं जानता हूं कि ये सुन ही नहीं सकते इस बात को। सभापति महोदय, कुल मिलाकर जो बात थी नये जयपुर की बसावट की, नया जयपुर बसेगा, ना बसेगा, इसकी किसी को चिंता नहीं थी। सरकार को चिंता जरूर थी कि नया जयपुर बसे ...(व्यवधान) उसी बात पर बोल रहा हूं। अब मैं जो बात बताना चाहता हूं, वह तो आप सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपकी जानकारी में हैं अच्छी तरह से, आपने क्या-क्या किये हैं, सब कबाड़े याद हैं। मैं आखिर में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि प्रतिपक्ष के सदस्यों के पास कोई भी, किसी भी तरीके का ऐसा आरोप हो ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, फिर रिपीट कर रहा हूं कि किसी भू-माफिया को सरकार के द्वारा या प्राधिकरण के द्वारा या मंत्री के द्वारा लाभ पहुंचाया गया तो कृपया यह लिखित में उसकी शिकायत पेश कर दें। उस पर यथा संभव उसकी इन्क्वायरी करवा ली जायेगी। फिर दुबारा से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि प्रतिबंधित की दिनांक 27.10.2009 से लेकर के 6.1.2011 की अवधि के बीच प्रस्तावित नये जयपुर के क्षेत्र में किसी भू-माफिया, भू-कारोबारी द्वारा कोई बड़ी भूमि का क्रय किया गया हो जिसके कारण किसानों को नुकसान पहुंचाया गया हो या भू-माफियाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया हो, इस कालावधि के बीच की अवधि के संबंध में कोई पुख्ता शिकायत मुझे मिली तो ऐसे व्यक्तियों के भू-उपयोग का परिवर्तन हम नहीं करेंगे, निर्माण की इजाजत नहीं देंगे और यथा संभव उसके खिलाफ जो कुछ भी कार्यवाही कर सकते हैं, वह करने का प्रयत्न करेंगे। सभापति महोदय, लेकिन मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके मुंह पिछली बार +++ हो चुके हैं ... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यदि उचित समझते हैं ...(व्यवधान) आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप यह उपयुक्त समझते हैं कि इस पर कोई इन्क्वायरी करवायी जाये तो मेहरबानी करके 2005 से लेकर 2008 के बीच के प्रकरणों की भी जांच करवायी जाये। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराज जायें ...(व्यवधान) अगर कोई भी ऐसा शब्द जो असंसदीय हो, वह अंकित नहीं होगा और किसी पर अगर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप लगा है, वह भी अंकित नहीं होगा।

अब मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक घंटे का समय व्यतीत हो गया, पाइंटेड क्वेश्चन आप दोनों सदस्यों को भी पूछने हैं और दो जयपुर शहर की सीमा के विधायक भी पूछना चाहते हैं। वैसे नियम इस बात की मुझे इजाजत नहीं देते, this will not be considered as a precedent, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, यह प्रीसीडेंट के रूप में काम आगे भी नहीं लिया जायेगा, मैं आप दोनों को एक-एक प्रश्न पूछने की इजाजत देता हूं, लेकिन स्पष्ट प्रश्न पूछेंगे। एक मिनट, सदस्य, आप स्पष्ट प्रश्न पूछेंगे और टू-दी-पाइंट पूछेंगे। प्रश्न का मतलब चार लाइन तक सीमित है। आप न तो पैरा पूछेंगे, ना स्टेटमेंट देंगे, ना आप पूरे का पूरा चैप्टर बोलेंगे। अगर यह बात आपको ठीक लगती है, आदरणीय, मैं आप दोनों को बाद में दूंगा, उनके भी इसमें हैं, आदरणीय मोहनलाल जी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मुझे भी कितनी लाइनों में देना है, वह भी बता दें।

श्री सभापति: मैं आपसे निवेदन कर दूंगा इस चीज का। Thank you very much for considering it.

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: आप कृपया करके विराज जायें। यह अंकित नहीं होगा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: किसी भी सदस्य की कोई भी बात आसन की इजाजत के बगैर अंकित नहीं होगी। आप फरमाएं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, आपकी जुबान जरूर कठोर है लेकिन दिल आपका बड़ा कोमल है।

श्री सभापति: Thank you very much for appreciating it.

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आपने हमारे अधिकारों की रक्षा की। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह जो नया जयपुर बसाया है ...(व्यवधान) इसके सम्बन्ध में मास्टर प्लान 2005 जो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है, उसमें उसका प्रावधान है? दूसरा यह कि क्या वह जयपुर का नया मास्टर प्लान पास कर दिया गया है? जब मास्टर प्लान अप्रूव ही नहीं किया, उसमें है या नहीं है, यह बात ही मालूम नहीं है, उसके पहले अधिसूचना जारी करने या मास्टर प्लान बन रहा है! आपके पास में है, कैबिनेट में है या कैबिनेट में नहीं है, जे डी ए की अथोरिटी में नहीं आया। तब यह नए जयपुर का प्लान किस प्रकार से कर रहे हैं? किस प्लानिंग के तहत कर रहे हैं? यह मेरा पिन पाइंटेड क्वेश्चन है।

श्री सभापति: आदरणीय अशोक जी परनामी।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): आदरणीय सभापति महोदय, यह जो नया जयपुर शहर बनाने की चर्चा हो रही है इसमें काफी एरिया मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरे क्षेत्र की जनता इससे बहुत ही त्रस्त हुई और मंत्री महोदय अभी कह रहे थे..

श्री सभापति: अब प्रश्न पूछ लें सीधा।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): मैं वही कर रहा हूं। यदि माननीय मंत्रीजी इसके अन्दर बिलकुल ईमानदारी से जाना चाहते हैं, मैं माननीय मंत्रीजी को एक सुझाव दे रहा हूं कि आप एक जांच समिति बनाएं और जांच समिति में मैं उन किसानों को पेश करूंगा जिन गरीब किसानों ने डर की चिंता से अपनी जमीनों का आनन-फानन में सौदा कर दिया। ऐसे कितने ही किसान मेरे पास आए जिनको मैंने मंत्री महोदय के पास भी भेजा। उसके बाद ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय आपका जवाब दे देंगे।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): उसके बाद मंत्री महोदय ने हवाई दौरा किया और हवाई दौरे से जयपुर शहर का पूरा चित्रण उन्होंने लिया। उसके बाद यह निर्णय लिया कि यह 37 किलोमीटर जो अपन लेंगे उसमें करेंगे। मंत्री महोदय, यदि आप ईमानदारी से जांच करवाना चाहते हैं तो मैं उन किसानों को आपके समक्ष पेश कर दूंगा जिन किसानों ने इस डर से, इस भय से आनन-फानन में अपनी जमीन कम कीमतों पर बेच दी।

श्री सभापति: आदरणीय कालीचरण जी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आदरणीय सभापति महोदय, जिस एक्टिंग के साथ और जिस अदा के साथ आदरणीय मंत्रीजी यहां जवाब दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि या तो इनको नालेज नहीं है या नालेज होने के बाद भी वह सदन को भ्रमित करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि रेटें बढ़ गईं, पहले 30 लाख रुपए में रजिस्ट्री हुई और उसके बाद 33 लाख में हो गई। तो मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि रजिस्ट्री कभी भी मार्केट रेट पर नहीं होती है, रजिस्ट्री डी एल सी रेट पर होती है। जब यह अधिसूचना जारी हुई, उसके पहले डी एल सी रेट जो थी, अधिसूचना जारी होने के बाद फरवरी में डी एल सी रेट 10 प्रतिशत बढ़ा दी गई तो जो 30 लाख की जगह 33 लाख में रजिस्ट्री हुई, वह डी एल सी रेट बढ़ने के कारण वह वहां रेट बढ़ गई। इस कारण नहीं हुई। नम्बर एक।

दूसरा आपने कहा कि जो मकान हैं, जो भू-खण्ड हैं, उनकी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई। आपको यह जानकारी है कि नहीं, कोटा में ऐसा होता है कि नहीं, मुझे पता नहीं पर जयपुर में 90 प्रतिशत सौदे या तो एग्रीमेंट से होते हैं या पावर आफ एटार्नी से होते हैं, रजिस्ट्री सब लोग नहीं करवाते हैं। तो आप यहां पर यह जवाब दे रहे हैं कि कोई रजिस्ट्री नहीं हुई तो, श्रीमानजी, यदि आप इतने सच्चे हैं तो हमारा यह आरोप है कि करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है और आप कहते हैं कि एक पैसे का भी नहीं हुआ, आप सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दें, तीन महीने में वह अपनी रिपोर्ट दे देगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब आपने कहा ...(व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपको पता नहीं, आपको जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, उन्होंने तो केवल जांच कमेटी की राय दी है, जांच कमेटी बैठायी थोड़ी है अभी तक। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इतना असत्य तो मत बोलो, पहले असत्य बोलते थे तो आसमान गिर जाता था। आपको पता नहीं है कि वहां पर +++ की जमीन है, आपको पता नहीं है कि वहां पर +++ की जमीन है, आपको पता नहीं है कि वहां पर +++ की जमीन है, और आप यहां पर गलत जवाब दे रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है। आपने जो जवाब दिया है, वह बिलकुल सदन को गुमराह करने वाला जवाब दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, अफसोस इस बात का है कि जो पाइंटेड सवाल हमने खड़े किए, उनमें से एक का भी मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया है। इन्होंने कहा कि जे डी ए एक्ट की धारा 39 के अनुसार डिक्लेरेशन आफ इन्टेंशन, उसमें 30 दिन का समय है, तो, मंत्री महोदय, 1 नवम्बर को आपने निर्णय लिया कि 65 वर्ग किलोमीटर जमीन, अधिसूचित एरिया निकालेंगे, उसका नोटिफिकेशन 10 जनवरी को ढाई महीने के बाद क्यों किया ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उसमें टाइम लगता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): टाइम लगता है और यह सिद्ध हो गया कि बिना सर्वेक्षण के, बिना डी पी आर के, बिना योजना के इन्होंने नया जयपुर आनन-फानन के अन्दर, तुगलकी आदेश से इन्होंने किया। माननीय सभापति महोदय, इसमें भ्रष्टाचार हुआ, सरेआम भ्रष्टाचार हुआ है और उस भ्रष्टाचार के छींटें सरकार में बैठे लोगों के दामन पर लगे हैं। मंत्री महोदय के उत्तर से असंतुष्ट होकर मैं और मेरा दल इस बात पर कि यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, हम बहिर्गमन करते हैं।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): ×××

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सभापति: आपको तो इजाजत दी ही नहीं गई, माननीय सदस्य। आप विराज जाओ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): लो, यह वापस भी आ गए। काहे के लिए गए और काहे के लिए वापस आए ?

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप अपना जवाब दे दें। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अभी राठौड़ साहब ने कहा कि मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप विराज जाएं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): I am on a point of propriety. You have permitted two other MLAs from Jaipur.

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर) : Two MLAs from Jaipur but not MLAs from Jaipur. Why am I left here?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): Yes, MLAs from Jaipur but he said two MLAs from Jaipur. This gentlemen and two other MLAs from Jaipur. I believe, he too is an MLA from Jaipur and half the part of my constituency is urban. That is a matter of fact that the rural area is also in the JDA limit. Therefore I do have an equal right to seek the certain information from the Hon'ble Minister.

श्री सभापति: वैसे मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। I made it very clear, Sir, that I do not want to take it as a precedent. It is because two Members from the Jaipur city periphery had requested. In fact, this request should have gone to the Hon'ble Speaker before this discussion was to take place. If I keep on allowing like that, then probably we need to seriously deliberate how we would go ahead with the debate on the budget. In case मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि whether you feel comfortable to take certain queries? Because the Chair is now not in a position to give any more liberty or relaxation as far as time is concerned. The Chair also has to take into account the time that has been left. मैं आप दोनों से इतना निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार मंत्री महोदय जवाब दे दें इसके अलावा भी कुछ रह गया है तो then I will give you. One thing more, I will not allow the previous Members who have already put up their query to make supplementary queries now.

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): That's right. I mean, when the Minister replies, can I ask the question later on. Do you mean it?

श्री सभापति: Yes, if you wish.

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अभी किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मास्टर प्लान जारी किया गया कि नहीं किया गया; अभी ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार हुआ है, अभी जारी नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि उसमें प्रावधान रखा गया कि नहीं रखा गया, उसमें इस एरिये को स्पेशल एरिया घोषित कर दिया गया है। आपकी बात का जवाब आ गया है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): उसमें हो गया ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हो गया, छोड़िए।

श्री सभापति: आप मंत्री महोदय का जवाब एक बार सुन लें, बाद में आप आगे बोलिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह मास्टर प्लान की बात है जो आपके समझ के बाहर की बात है, श्रीमान्।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आपके समझ में आ गई न, तो आप बता दो प्लान क्या होता है? अभी पास ही नहीं हुआ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): परनामी साहब ने अभी जो बात कही कि मैं किसानों को पेश कर दूंगा, आपने एक भी किसान मेरे पास नहीं भेजा। मैं आपको फिर कहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको भी शिकायत हैं, कृपया आप उन किसानों को लेकर के मेरे पास आ जाएं, मैं इन्क्वायरी को तैयार हूं।

श्री सभापति: Thank you.

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): तीसरी बात मैं आखिर में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अक्सर होता है....

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ...समिति के सामने लेकर के जायेंगे। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जब किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा कोई न कोई गलती कर दी जाये तो उसके आरोपों को वे सुनने को तैयार नहीं होते और उसको काउंटर करने के लिए ऐसी-ऐसी ऊलूल-जलूल बातें करने के लिए कि आनन-फानन में कर दिया, डी पी आर नहीं बनी, कंसल्टेंट अपाइंट नहीं किये गये, आर्किटेक्ट अपाइंट नहीं किये गये, बगैर जानकारी के या जानकारी होते हुए भी इस प्रकार की गलत बातें यहां पर बोली गईं, मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं और खतम कर रहा हूं दो लाइन बोलकर के कि यदि कोई भी ठोस शिकायत मुझे प्राप्त होती है.....

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नाम बताये हैं मैंने तीन।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कोई भी ठोस शिकायत मुझे प्राप्त होती है तो मैं उसकी जांच करवाने के लिए निश्चित तौर पर तैयार हूं लेकिन जांच कब से होगी, जांच 2005 से होगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय सदस्यगण, कृपा करके I will be grateful if you could just limit yourself to the specific points.

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): Let me speak and then I will see whether you are grateful or not. You will be grateful because I don't talk about whereabouts. सभापति महोदय, 105 किलोमीटर का एरिया है उसमें से जो आपने बताया है....

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): चर्चा समाप्त हो गई या चल रही है?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं, आप एक बता दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

श्री सभापति: एक मिनट आप विराज जाएं। मंत्री महोदय, आसन ने चूंकि दो और सदस्यों को परमिशन दे दी थी तो दो और हैं, जयपुर पेरिफेरी से रिलेटेड हैं। They are not extending this to the entire periphery of Rajasthan. Two more hon'ble members from this side. When we have used one and a half hour, probably we can devote two more minutes. यह वेस्टेज की जगह यूज कर लेना।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, जो मैं अभी तक समझ पाया हूं, 105 किलोमीटर की पेरिफेरी थी जिसमें नया जयपुर का निर्माण होना था। उसमें सेक्शन 39 में प्रतिबन्धित किया, करना भी आवश्यक है लेकिन जो 65 किलोमीटर का एरिया है वह पेरिफेरियल एरिया नहीं है। पहाड़ भी हैं, नदी-नाले भी बताये हैं, श्मशान भी हैं तो वे आइसोलेटेड एरिया में नहीं हैं, पाकेट्स में हैं तो उसका सरकमफरेंस तो कम नहीं होगा। हां, लार्जेस्ट सिटी में काम में, उपयोग में नहीं आ सकते क्योंकि श्मशान में कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होगा, नदी में कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होगा, फोरेस्ट की थोड़ी बहुत लैंड होगी, पहाड़ों का होगा उसके अन्दर नहीं होगा लेकिन पेरिफेरियल एरिया तो कम नहीं होगा। वह कम होता है तो संशय होता है और वह कम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं आपको वह बता दूंगा। मैं समझता हूं कि आप संतुष्ट होंगे।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, एक साथ जवाब दे दें। राजपाल जी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): सभापति महोदय, मुझे तो बिलकुल नहीं मालूम कि डी पी आर हुई या नहीं हुई या जो भी हुई, पर यह तय है कि जयपुर के 105 वर्ग किलोमीटर के इलाके में नया जयपुर बसाने की बात को लेकर आपने नोटिफिकेशन जारी किया। जयपुर जिसके लिए कहते हैं

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कि नगर नियोजन जहां परम्परा है तो क्या पूरी सरकार 105 वर्ग किलोमीटर के इलाके का इस प्रकार से नियोजन भी नहीं कर पाई कि इसके बाद एक हवाई दौरे ने तो इस 105 किलोमीटर को 35 किलोमीटर में तब्दील कर दिया? इसका मतलब किसी प्रकार से नया जयपुर के बारे में स्टड़ी नहीं हुई, सुओमोट उसको बना दिया गया। इतने डिफेक्टिव ढंग से बनाया गया कि 105 वर्ग किलोमीटर से 35 वर्ग किलोमीटर में तब्दील कर दिया गया। क्या मंत्री महोदय मंत्री होने के नाते इस बात की मोरल रेस्पोंसिबिलिटी नहीं लेते कि आनन-फानन में योजना बनी, इस प्रकार की योजना बनी कि जो आपके एक हवाई सर्वे के अन्दर हवा में उड़ गई और बाकी 30 प्रतिशत रह गई। इसकी मोरल रेस्पोंसिबिलिटी तो कम से कम मंत्रीजी लेंगे या नहीं लेंगे? डी पी आर अगर हुई, और सारा कुछ हुआ और इतनी बड़ी बसी हुई कालोनियां उनको नहीं दिखीं, 90बी का रिकार्ड जे डी ए को नहीं दिखा और आपने डी पी आर जारी कर दी, आर्किटेक्ट भी आ गया, सारा हो गया, जैसा आप कह रहे हैं, जो है, अगर ऐसा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता कि किस प्रकार की आपने डी पी आर बनवाई होगी, किस प्रकार की आपने स्टडी करवाई होगी। और नया जयपुर बसाने की इतनी जल्दी आपको किस बात को लेकर के थी? बसाने की इतनी जल्दी थी तो आपका नया जयपुर सिकुड़ क्यों गया ?अगर यह सिकुड़ गया है तो इसका मतलब अनप्लांड था और अनप्लांड था तो रेस्पोंसिबिलिटी निश्चित रूप से आपकी बनती है। आप इसमें किस प्रकार से रेस्पोंसिबल नहीं हैं, यह मुझे बता दें।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप जवाब दें।

श्री करणसिंह (छबड़ा) : ×××

श्री सभापति: इसे किसी प्रकार से अंकित होने की इजाजत आसन नहीं दे रहा है। मंत्री महोदय, आप जवाब दे दें और फिर उसके बाद यह चर्चा समाप्त समझी जायेगी।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, सरकार का जब यह सोच बना कि एक नया जयपुर की बसावट के लिए एक एरिया चिह्नित किया जाए तो उसके बाद यह सारा काम आर्किटेक्ट्स को, कंसल्टेंट्स को डी पी आर बनाने के लिए दे दिया गया। वे ही एक्सपर्ट होते हैं। किस एरिया में क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, यह सारा का सारा टेक्निकल आदमी ही जाकर के

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

बताता है। यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया कि जब आप भी उस वक्त विधान सभा में विराजते थे सन् 1993 से 1998 तक, जब आपकी ही सरकार ने 140 स्क्वायर किलोमीटर पर नया जयपुर बसाने की बात कही थी और एक घोषणा से खत्म कर दिया था बगैर किसी कारण के। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का फैसला कंसल्टेंट करते हैं, आर्किटेक्ट करते हैं कि किस एरिया में बसावट आ सकती है, नया जयपुर कहां बस सकता है, कहां नहीं बस सकता है। यह टोटल टेक्निकल चीज है, यह हम तय नहीं कर सकते, हमें उनकी राय के अनुसार चलना पड़ता है। हमें अपनी अभिशंषा जरूर बतानी पड़ती है।

श्री सभापति: धन्यवाद। मंत्री महोदय, विराजें। चर्चा समाप्त। श्री राधेश्याम जी गंगानगर।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय सभापति महोदय, 9 मार्च को जो राजस्थान की 6 करोड़ जनता को उम्मीदें थीं कि ऐसा बजट आयेगा जो लोगों के लिए राहत लायेगा लेकिन हुआ वह ही ढाक के तीन पात, जो पिछले साल या उससे पिछले साल हुआ। तीसरा बजट मुख्य मंत्री महोदय ने पेश किया और वह वास्तव में असत्य का एक बहुत बड़ा नमूना था। वह कोई बजट नहीं था जिसमें तालियां बजीं। बड़ा शोर हुआ कि ऐसा बजट कभी आया ही नहीं है। मेरी दृष्टि में, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि पहली बात तो यह है कि यह कहा गया कि हमने गेहूं पर, चावल पर, दाल पर और केरोसिन पर टैक्स खतम कर दिया। बड़ी विडम्बना है, वह किनके लिए? व्यापारियों के लिए खतम किया है, लूट करने के लिए। आप बी पी एल को तो दो रुपये में दे रहे हो फिर आप आटा सप्लाई कर रहे हो। आप मार्केट में पता करवा लें, एक भी वैट अगर कम हुआ हो तो। एक भी किसी व्यक्ति को उसका लाभ हुआ हो तब तो हम मानें और तालियां भी पीटें पर वाकई में कोई लाभ नहीं हुआ है; और यह बिलकुल भ्रमित करने वाली चीज हुई है। मैदा पर आपका कम नहीं है, एक गरीब आदमी रोज का आधा किलो या एक किलो आटा खरीदता है पर उस आटे पर कम नहीं किया; बेसन पर कम नहीं किया। आपने जिन चीजों पर भी कम किया, वे चीजें, सामान केवल व्यापारियों को लाभ देती हैं, आम कंजूमर को, आम उपभोक्ता को उसका कोई लाभ नहीं मिला।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(समय : 18.49 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

आप कितनी ही ताली पीट लें, आप पता करवा लें मार्केट में जाकर के, किसी भी चीज का रेट उस दिन के बाद घटा हो।

हां, एक बात जरूर है, सभापति महोदय, एक बात यह है कि आपने 250 करोड़ तो माफ किये और 500 करोड़ का टैक्स लगाया। इसमें भी हुआ क्या कि जैसे तुगलकी आदेश होते हैं, वैसे 15 प्रतिशत डी एल सी, 10 प्रतिशत रजिस्ट्री पर सरचार्ज कर दिया और वह कब से लागू होगा, 9 तारीख को रात में 12 बजे और जो छूट की घोषणाएं की हैं, वे कब लागू होंगी, अप्रेल में। क्यों? यह दोहरी नीति किसलिए? हमें जो लेना है वह तो अभी ले लें और दूसरों को जो लाभ होना है, वह बाद में हो। यह इस तरह का बजट मैंने कभी आज तक नहीं सुना।

आज वास्तव में झोटवाड़ा से आने वाले हमारे सम्माननीय सदस्य राजपाल जी ने आंकड़ों सहित ऐसा बढ़िया समां बांधा और पूरे हाउस को जो जानकारी दी, मेरे ख्याल में वह अपने आप में इस हाउस में हमेशा के लिए एक मिसाल बनी रहेगी लेकिन वह कहते हैं, अंधा राजा, पदाप नगरी, रोयें किसके सामने? कोई सुनने वाला हो तब तो रोयें। यह तो केवल कहकर बात अपनी खतम करनी है। आप मेरे को बताइए, महंगाई कम कैसे होगी? महंगाई कम करने का जो तरीका है, वह तो यह है कि आप एन सी डी एक्स अगर बंद कर दोगे तो एक मिनट में महंगाई बंद हो जाएगी। लेकिन वह आपका विचार नहीं क्योंकि उसमें जो बड़े लोग हैं, करोड़पति, अरबपति बनते जा रहे हैं, आगे से आगे; जो गरीब है, वह गरीब होता जा रहा है। आपने इस बात की कभी चिंता नहीं की। मैंने पिछले बजट में भी यह बात कही थी कि जब तक यह एन सी डी एक्स, आज सोने का रेट है, 10 हजार रुपये हैं, मैं दो-तीन साल पहले की बात कर रहा हूं और एन सी डी एक्स, बिना खरीदे हुए, एकदम 20 हजार, 22 हजार, 23 हजार; पैसा लगाना नहीं, चांदी का सौदा हो रहा है, हल्दी का सौदा, दाल का सौदा हो रहा है। अरबपति अरबपति बन रहे हैं, गरीब गरीब बन रहा है। यही हमारी महंगाई कम करने की स्कीम है, यही हमारा बजट है।

आप कहते हो शिक्षा का अधिकार, हमने संविधान में एक लाइन ऐसी डाल दी, संविधान में यह किया कि छठी क्लास से लेकर आठवीं, दसवीं क्लास

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

तक फ्री शिक्षा देंगे ; आपके पास स्कूल कोई है नहीं, कोई पढ़ाने वाला आपके पास टीचर नहीं, काहे की शिक्षा दोगे? थोथी बातें करके, लोगों को भ्रमित करके जनता के अन्दर अपनी साख बढ़ाना, ऐसे साख कभी नहीं बनती। हम समानीकरण कर रहे हैं, दो साल तक शिक्षा का समानीकरण होता रहा लेकिन, सम्माननीय सभापति महोदय, वह कहां गया? समानीकरण क्या हुआ? टीचर रोते फिर रहे हैं। एक चार सौ हमारे अगर स्कूल में, मान लो, छात्र हैं तो उसमें एक टीचर और कई जगह यह हालत है कि 33 तो हैं हमारे पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले हैं 5। इस तरह की हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हमने कभी ठीक नहीं किया।

मैं उद्योग के बारे में बात करना चाहता हूं। बड़ी विडम्बना है, आपकी सरकार यहां है और आपकी सरकार हिन्दुस्तान में है, वहां भी आपकी पूरी चलती है, तूती बोलती है, योजनाएं आप बड़ी-बड़ी मंजूर करके लाते हैं तो स्पेशल कैटेगिरी राजस्थान को क्यों नहीं मिली? स्पेशल कैटेगिरी दूसरे स्टेट्स को, उड़ीसा को, उनको मिल गई। जब हमारी कृषि में कमजोरी आ रही है तो हमारा उद्योग उन्नति करना चाहिए। बाहर से हमारे एन आर आई आकर यहां बड़े-बड़े उद्योग लगाएं। हमारे राजस्थान के बहुत बड़े मित्तल जैसे जो सारी दुनिया में अपना नाम कमाते हैं, वे राजस्थान के रहने वाले हैं, वे यहां योगदान देना चाहते हैं लेकिन योगदान दें किसको? करेंगे एकल खिड़की, सिर्फ खिड़की दिखती है; न वहां पर कोई कर्मचारी है, न कोई अधिकारी हैं, केवल घोषणाएं हैं। घोषणा से कभी काम चल जाएगा? पहले भी दो साल पहले भी आपने घोषणाएं की थीं, उनका क्या हुआ? आप राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में अगर तरक्की चाहते हैं तो स्पेशल कैटेगिरी उनको दिलवाएं, जोन बने हमारा राजस्थान, तो राजस्थान की उन्नति होगी।

एक बात हमारे राव साहब जी ने बहुत बढ़िया कही, 12 हजार करोड़ रुपये आप मेट्रो पर एक ही शहर के लिए जयपुर में लगाना चाहते हो, लगा रहे हैं, गजब की बात है और आपकी रिफाइनरी वह रो रही है। अगर वही बात रिफाइनरी के लिए करते तो हमारी इन्कम बढ़ती, राजस्थान की जनता निहाल होती और पता नहीं, कितने हजार करोड़ रुपये हमारे खजाने में आकर जमा होते। राजस्थान का एक-एक व्यक्ति करोड़पति बन जाता, राजस्थान का नक्शा बदल जाता, हिन्दुस्तान में राजस्थान का नम्बर पहला हो जाता। उसकी हमें चिंता नहीं है, हमें तो चुनाव जीतना है, वाहवाही करनी है, हमारी जय-जयकार होनी चाहिए, सिर्फ हमें यह चीज चाहिए।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

इससे हटकर मैं यह भी बात करूंगा, बिजली की इतनी बड़ी-बड़ी योजनाएं आपने बनाईं, कितना कर्जा है हमारे ऊपर, बिजली को लाने के लिए कितना भारी कर्जा है। उसके प्रबंध हमने किये। किस तरह से हम उनका चुकारा करेंगे? जैसा कि आपको विदित है कि 26 करोड़ रुपये रोज का, हमारे राजस्थान की जनता का एक-एक पैसा इकट्ठा करके 26 करोड़ रुपये हम ब्याज दे रहे हैं एक दिन का। बड़े गजब की बात है, बड़े सोचने का विषय है, इस पर कभी कोई विचार नहीं करता।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वह शिक्षा नीति हो, मैं एक आपको ऐसी ही, सभापति जी, बात बताना चाहता हूं, आप हैरान होंगे। हमारे श्रीगंगानगर के बारे में आपको अर्ज करूंगा, वहां हमारे चार सिस्टम हैं, एक इंदिरा गांधी कैनाल, एक भाखड़ा कैनाल, एक गंग कैनाल, एक घग्घर सिस्टम। मेरे ख्याल में ऐसा सिस्टम पूरे राजस्थान में किसी जिले में नहीं है, एशिया में नहीं है और वह गंगानगर जिला, इंदिरा गांधी कैनाल के लिए आपने पैसा रखा है, अभी हमारे मदनजी या कोई व्यक्ति ऐसे बोल रहे थे कि जोधपुर में हमारे बहुत सारी कैनाल की योजनाएं आ रही हैं, अरे, मेरे प्यारे भाइयों, जब फर्स्ट फेज में ही पानी नहीं है, आपको पानी कहां से मिलेगा? फर्स्ट फेज वाले रो रहे हैं, रोज वहां हड़तालें हो रही हैं, भूख हड़ताल हो रही है, धरने दिये जा रहे हैं। पानी लाने की स्कीम है, पहले इंदिरा गांधी कैनाल तो ठीक करो। जिसे डिजाइन किया था, 18,400 क्यूसेक्स का डिजाइन था और उसमें कभी भी 13 हजार से ज्यादा पानी नहीं चला। सिल्ट जमी हुई है। किन लोगों ने उसका डिजाइन किया, किन इंजीनियरों ने उसको किया, क्यों नहीं उनको पनिश किया गया? वह पानी आज पाकिस्तान में जा रहा है। अगर हमें 18 हजार क्यूसेक्स पानी शुरू से मिलता, आज राजस्थान की दिशा बदल जाती। आज सांस ले-लेकर चल रही है, पता नहीं, कब खतम हो जाए। आप जाकर देखो ......(व्यवधान) क्या?

श्री सभापति: समय बढ़ाना है, थोड़ा सम-अप करो।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): हां, हां...... (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय साढ़े 8 बजे तक बढ़ाया जाए?

श्री सभापति: क्या सदन का समय साढ़े 8 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय साढ़े 8 बजे तक बढ़ाया गया।

अब आप थोड़ा संक्षिप्त करना......(व्यवधान)......देखिए, माननीय सदस्य , एक मिनट बिराजो। अभी कम से कम 13 माननीय सदस्य प्रतिपक्ष के बोलने हैं, सत्ता पक्ष के कम से कम 6 माननीय सदस्यों को बोलना है। आपने अगर समय सीमा का ध्यान नहीं रखा तो फिर यह समय बार-बार बढ़ाना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि आप जितना सारगर्भित तरीके से अपनी बात संक्षिप्त में कह सकें, यह मेरा निवेदन है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): बिलकुल, आपके आदेश की पालना की जाएगी, लेकिन सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है कि एक अपनी पीड़ा जो है, वह आपके माध्यम से हाउस में अगर नहीं रखूंगा तो मेरे को बोलने का कोई लाभ नहीं है। वैसे तो होना-जाना कुछ नहीं है।

श्री सभापति: डिमांड पर बोलिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): यह मालूम है, कुछ होने वाला नहीं है, मुझे ही अपना गला साफ करना है। बाकी यहां उम्मीद रखें तो कुछ उम्मीद पूरी होने वाली नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, मैं बात कर रहा था इंदिरा गांधी कैनाल की। सभापति महोदय, आप एक कमेटी बनाइए, आपकी एक कमेटी गई भी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट आई होगी आपके पास; इंदिरा गांधी कैनाल जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है, पानी ले नहीं सकती, सांस ले-लेकर चल रही है। जिस कैनाल का यह डिजाइन था कि इसके अन्दर स्टीमर चलेंगे, पानी वाले जहाज चलेंगे और यह पूरे वर्ल्ड की स्वेज नहर के बाद अगर कोई नहर होगी तो इंदिरा गांधी कैनाल होगी लेकिन इसका हश्र क्या किया गया है? इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं, एक ही ध्यान दिया गया है। यहां लिफ्ट, वहां दूसरी लिफ्ट, वहां तीसरी लिफ्ट। नजारा ला दिया, पानी आगे से आगे। बड़ी अच्छी स्कीम है कि पानी सबको मिले, पीने का जल भी मिले और खेती के लिए भी मिले, ज्यादा से

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

ज्यादा उसका उपयोग हो लेकिन कोई चीज आएगी तो जाएगी। जब आपकी जेब में कुछ है ही नहीं, झूठे वायदे करते रहेंगे तो काम कैसे पूरा होगा? इससे पहले कि इंदिरा गांधी कैनाल की पूरी रिपेयर की जाए, उसकी पूरी मरम्मत होने के बाद उसकी जो क्षमता है, 18 हजार चार सौ क्यूसेक्स वह पानी चलाकर उसमें देखा जाए; फिर आगे जो स्कीमें बनें, उनको जरूर बनाया जाए, मैं उसका समर्थन करता हूं। साथ ही साथ, मैं यह भी निवेदन करता हूं कि उसके अन्दर बड़ी भारी सिल्ट है और वह सिल्ट जब तक नहीं निकाली जाएगी, 4-4, 5-5, 6-6,

(समय : 19.00 बजे)

10-10 फीट, यह हमारे देखने की बात है। आप भेज दो, हमारे विधायकों का दल बनाकर देख लो, कहीं चार फीट, कहीं तीन और कहीं 10 फीट तक सिल्ट है। जबसे बनी है, उसकी सिल्ट कभी निकाली नहीं गई। अगर इस योजना को पूरी तरह से कामयाब करना है तो सरकार को इसकी ओर पूरा ध्यान देना चाहिए।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महाराजा गंगासिंह जी की बनाई हुई गंग कैनाल जो 1926 में बनी थी, वह हमारी जीवनदात्री है, गंगानगर की शान है। अगर गंगानगर जिले में गंग कैनाल नहीं हो तो गंगानगर जिला उजड़ जाये, उजाड़ हो जाये, वहां कुछ भी नहीं रहे। हम जो कुछ भी सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, वह केवल गंग कैनाल के कारण जी रहे हैं। 1926 में बनी हुई कैनाल 20 जगह से क्षतिग्रस्त है और कई दफा हमने रिपोर्ट की लेकिन मैं दाद दूंगा हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी को कि उन्होंने इस नहर की चिंता करके पिछली बार जब किसान बहुत उद्वेलित हुए, बहुत हड़ताल हुई, धरने दिये गये तो यहां लोग आये, किसान मिलने के लिए आये तो वसुन्धरा राजे जी ने एक अध्ययन दल बनाया कि मेरे को आप रिपोर्ट सौंपो कि पूरी गंग कैनाल की क्या स्थिति है। 11 आदमियों का अध्ययन दल अध्ययन करने के लिए गया। 15 सितम्बर, 2010 को भाजपा अध्ययन दल ने पंजाब से राजस्थान को मिलने वाली पानी की व्यवस्था का जायजा लिया। 16 सितम्बर, 2010 को मुख्य मंत्री महोदय, पंजाब के निवास स्थान पर बैठक हुई। 17 सितम्बर, 2010 को भाजपा अध्ययन दल ने जल संसाधन मंत्री, राजस्थान को सर्किट हाउस, श्रीगंगानगर में ज्ञापन सौंपे कि आई.जी.एन.पी. की आर डी 313 पर लगे कट को बंद किया जाये ; आर डी 117, 411, 496 पर नये कट लगाने की योजना को रोका जाये;

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

गंग नहर के लाइनिंग कार्य को तुरन्त पूर्ण किया जाये। राजस्थान के अधिकारी इंडेंट नहीं देते, पानी पाकिस्तान में चला जा रहा है। वाल्व जो उस कैनाल में लगे हुए हैं, बदलने की बजाय 45 आर डी की सफाई के लिए 85 लाख रुपये मांगे पंजाब सरकार ने, फिरोजपुर फीडर के लिए 2.17 लाख रुपये मांगे। कट के लिए चीफ इंजीनियर, हनुमानगढ़ की सहमति हुई। यह बड़ा गम्भीर विषय है; सभापति महोदय, यह बड़ा गम्भीर विषय है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सम-अप करें। उस पर भी बोल लेना, नहर की डिमांड आ रही है, माननीय सदस्य। नहीं, नहीं, अब नहीं। अब आप सम-अप करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अध्ययन दल गया। साल भर पहले रिपोर्ट दे दी, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? एक भी बात इस सम्बन्ध में हाउस में नहीं कही गई। यह बड़ा चिंता का विषय है। अध्ययन दल गया, किसान भूख हड़ताल पर बैठे। किसान वहां पूरी तरह से पता नहीं, कितनी बार धरने दिये सैकड़ों बार और उनकी आवाज को अनसुना करके हमारी राजस्थान सरकार नहीं देखे और जो चिंता राजस्थान सरकार को या अधिकारियों को होनी चाहिए, वह चिंता श्रीमती वसुन्धरा राजे जी को हुई और उन्होंने अध्ययन दल बनाया, उसकी रिपोर्ट दी, मंत्रियों से बात की। मंत्रीजी से बात करने पर भी कोई लाभ नहीं मिला अभी तक।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ऐसा है जी, आप अगर इस तरह से घंटी बजायेंगे, सभापति महोदय, तो...

श्री सभापति: विराजिये आप। अब आप सम-अप करो।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आप तो मेरे बड़े प्रिय हैं, इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैं थोड़ी देर में ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मेरी अपनी तो कोई बात ही नहीं आई।

श्री सभापति: डिमांड पर बोल लेना आप, माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): नहीं, पेयजल के लिए मैं निवेदन करूंगा...

श्री सभापति: पेयजल पर भी चर्चा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ...योजनाएं तीन साल से बनी हुई हैं, सरकार के पास पहुंच गईं। योजनाएं धक्के खा रही हैं। 5-जी सारणवाला के लोगों ने जमीन दी वाटर वर्क्स के लिए। यह कहा गया कि जमीन नहीं है हमारे पास, लोगों ने जमीन दे दी और उसके बाद में उस वाटर वर्क्स की कोई सुध नहीं ली गई।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, केरोसीन आदि, ये दवाइयां, ये हमारे कश्मीरी लोग जो कश्मीर से आते हैं, उन लोगों ने गंगानगर में नये अपने राशन कार्ड प्राप्त कर लिये किसी भी तरीके से और जब उसकी शिकायत हुई तो उन लोगों को पिछले छह दिन से पकड़ रखा है लेकिन एफ.आई.आर. करने की हिम्मत नहीं हो रही है कि एफ.आई.आर. करें। तो उनका यह मतलब है कि यह राशन कार्ड बने तो कैसे बने? जब वे कश्मीर के रहने वाले हैं, उनके गंगानगर में राशन कार्ड का मतलब क्या है, यह जांच का विषय है।

श्री सभापति: अब, माननीय सदस्य, सम-अप करें आप। माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): कमाल कर रहे हैं जी। तो मैं अपने इलाके की बात ही नहीं कहूं?

श्री सभापति: अब नहीं, नहीं। आप कितना समय लेंगे? मुझे सदन के अन्दर सारी व्यवस्था ठीक रखनी है। फिर आपसे निवेदन है कि आप डिमांड पर बोल लेना।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): गंगानगर में मेडिकल कालेज बनाने की बात मैं कई दफा कह चुका हूं। हमारे गंगानगर में पुराना बनाया हुआ अस्पताल जो बहुत बड़ा अस्पताल था, वह छोटा पड़ता था पूरे जिले के लिए। वह अस्पताल हमने सरकार को इसलिए दिया कि यहां जनाना अस्पताल बने और नया अस्पताल, उसकी जमीन 50 बीघा और अस्पताल बनाया पब्लिक की तरफ से, सरकार से एक रुपया नहीं लगा लेकिन उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। कोई डाक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं। एक गजब की बात है, माननीय सभापति महोदय, दो मित्रों ने, एक गोपीराम गोयल और एक मिस्टर सर्राफ, उन्होंने दो कोटेज वार्ड बनाकर दिये, दो-दो करोड़ रुपये लगाये, लेकिन कोटेज वार्ड बंद पड़े हैं। उनको कोई चला नहीं रहा और बिलकुल व्यवस्था खराब है। सारी बिल्डिंग, जबरदस्त बिल्डिंग बनी, मेडिकल कालेज के हिसाब से बनी थी। वह बिल्डिंग जगह-जगह से जर्जर हो गई, उसको कोई पूछ नहीं रहा। गरीब आदमी रो रहा है

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

और वहां पर जो डाक्टर है, वह प्राइवेट प्रैक्टिस करता है। लोगों को कहता है कि उस नर्सिंग होम पर आ जाना, आपको देखूंगा।

मैं आपका ध्यान पुलिस की व्यवस्था पर दिलाना चाहता हूं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, चिकित्सा की डिमांड आयेगी, पुलिस की आयेगी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): दो मिनट, सिर्फ दो मिनट। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपने कमिशनर प्रणाली तो लागू कर दी लेकिन हुआ क्या, चोरियां बढ़ीं, डकैती बढ़ गई, लेडीज की चैन खींचना बढ़ गया। जेबकतरे आ गये, पता नहीं, कहां से आ गये, डाकू आ गये। यह कमिशनर प्रणाली का नाम सुनते ही एकदम गदर मच गया। उसकी तरफ से ध्यान रखें आप।

श्री सभापति: श्री रामहेत सिंह यादव। माननीय सदस्य, विराजिये आप। श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अच्छा, एक मिनट। नरेगा की बात मैं करना चाहता हूं।

श्री सभापति: अब नरेगा की बात भी होगी उसमें। अब उसमें बोल लेना, माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं नहीं बोलूंगा, जी, एक मिनट और। अच्छा, मैं लास्ट बात कहकर समाप्त करता हूं। नरेगा की स्थिति यह है, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, आपके मतलब की चीज है और सारे हाउस के लोगों के मतलब की चीज है, 15 मार्च से 30 मार्च तक नरेगा का कार्य बंद रहना चाहिए और अक्टूबर से दिसम्बर तक नरेगा का काम बंद रहना चाहिए। अन्य दिनों में 100 दिन का रोजगार उनको दो और उनका जो बचा हुआ समय है, वह किसान का कटाई का, बुवाई का सीजन होता है और मजदूर मिलते नहीं। किसान मारा-मारा फिरता है, पैदावार में कमी आती है। मैं यह चाहूंगा कि नरेगा को किसान के साथ जोड़ा जाये, आधा पैसा सरकार दे और आधा पैसा किसान दे ताकि हमारे अनाज के भण्डार भर जाये।

बिजली की व्यवस्था के बारे में बोलूंगा। 400 के.वी. की लाइन...

श्री सभापति: श्री रामहेत सिंह यादव। अब अंकित नहीं होगा। अब अंकित नहीं होगा। नहीं, अब आप विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री सभापति: अब नहीं, अब आप विराजिये। माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर) श्रीगंगानगर): ×××

श्री सभापति: वह आपका सब आ जायेगा। आसन की व्यवस्था में सहयोग करें। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ये साथी तो खुद छोड़कर ही चले गये, माननीय सदस्य, साथी रहे कहां आप ?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री सभापति: श्री रामहेत सिंह यादव। श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री सभापति: अब नहीं, अब नहीं। अब मैं आपका अंकित नहीं करने का निर्देश दे चुका हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री सभापति: आप बोलेंगे तो अंकित नहीं होगा। अब अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य। नहीं, नहीं, आप बार-बार रोकने पर भी मान नहीं रहे हैं। आसन की व्यवस्था को बनाये रखें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री सभापति: दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं?

(आसन ने हाथ से अंकित करने के निर्देश दिये)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने पिछली विधान सभा में, पिछले बजट में नगर परिषद् में भ्रष्टाचार, घोर भ्रष्टाचार, मेरे ख्याल से राजस्थान में ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं होगा।

श्री सभापति: अब आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैंने यहां स्थगन के माध्यम से बोला। उस स्थगन पर यहां मंत्रीजी ने जवाब दिया, मंत्रीजी ने यह कह दिया कि जिस आदमी से चाहिए, उससे जांच करवा दूंगा। मैंने ए.सी.डी. के लिए कहा, मंत्रीजी ने हां भरी। साल गुजर गया, भ्रष्टाचार और बढ़ गया। मंत्रीजी कहां हैं और इन्क्वायरी कहां, इसका कोई अता-पता ही नहीं है।

श्री सभापति: अब आप विराजें, हो गई बात। अब आप विराजें। श्री रामहेतसिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): सभापति महादेय, जरा टाइम बता दें, कितना बोलना है तो मैं उसी हिसाब से बोलूं मेरा।

श्री सभापति: सात-आठ मिनट से ज्यादा, माननीय सदस्य, नहीं हो पायेगा।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढबास): पन्द्रह मिनट के लिए अलाउ कर दें ताकि विषय रख दें।

श्री सभापति: सात-आठ मिनट से ज्यादा नहीं होगा। आप शुरू करो, आप शुरू करो और अपना सीधे-सीधे विषय पर बोलो आप तो सारी बातें आ जायेंगी।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): यह जो पहली बार आने वाले माननीय सदस्य हैं, उनके लिए तो आप इतनी कंजूसी करते हैं। सभापति महोदय, थोड़ा हृदय बड़ा रखें ताकि हमको भी सीखने का अवसर मिले।

सभापति महोदय, 2009-10 में 18,334 करोड़ की योजना का माननीय मुख्य मंत्री ने बजट पेश किया और बजट में कहा कि यह बजट आम आदमी, गरीब और गांव को समर्पित है; दोबारा बजट पेश किया 2010-11 में, उसका आकार बढ़ाकर 23,822 करोड़ किया और यह कहा कि यह बजट समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नि:शक्तजन, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के कल्याण हेतु रखा गया है; अब की बार उस बजट का आकार और बढ़ाया गया 2011-12 में, 11-12 के लिए इसका आकार बढ़ाया 28,461 करोड़ और राज्य का चहुंमुखी विकास होगा, राज्य के चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं राज्य के निर्धन एवं पिछड़े वर्ग को विकास की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर मिलेगा और आमजन को दाल-रोटी खाने का अवसर मिलेगा, यह आमजन को दाल-रोटी की व्यवस्था इस बजट में होगी।

इसमें अलवर जिले को उपेक्षित रखा गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहता हूं, जब बजट का जवाब दें तो मैं जो बात अपने जिले से संबंधित कर रहा हूं, उन पर जरूर गौर फरमायें। पहले 2009 में कहा गया कि भिवाड़ी को, नीमराना को ग्लोबल सिटी और भिवाड़ी को ग्रेटर कैलाश बनायेंगे 2010-11 में और अब 11-12 में एक भी पैसा अलवर के

(श्री रामहेत सिंह)

विकास के लिए नहीं रखा। दो साल में क्या हुआ ग्लोबल सिटी का, उसका मैं उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों 301 फैक्टरियों को नोटिस दिया कि आपने प्रदूषण फैलाया है, आपके कारण किसानों की फसल बरबाद हुई है, पीने का पानी खराब हुआ है, यह हमको दो साल में बख्शीश के रूप में मिला है। मैं बताना चाहता हूं, आज किसान परेशान है, उद्योगपति परेशान है, इस पर्यावरण की एन ओ सी अब मिल नहीं रही है। लगभग चार हजार उद्योगपति उद्योग लगाना चाहते हैं लेकिन अलवर जिले का जो माहौल बना है, इतना प्रदूषित हुआ है कि पर्यावरण विभाग ने एन ओ सी देना बंद कर दिया है और नौजवान लोगों को भी रोजगार नहीं देते हैं। क्या ऐसी परिस्थिति में जहां उद्योग नहीं लगे, नौजवान लोगों को रोजगार नहीं मिले, वहां दाल-रोटी की कल्पना कर सकते हैं ?

हम दूसरी बात करें किसानों की, बहुत सारे लोगों ने, किसान के हितैषी कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने बहुत जोर-जोर से कांग्रेस के लिए हितैषी बजट बताया है, मैं बताना चाहता हूं कि बजट 2009-10 में जहां 95 हजार कृषि कनेक्शन देने की बात कही थी उनमें से 64 हजार दिये गये थे और 10-11 में जहां 65 हजार कृषि कनेक्शन देने की बात कही, बजट में यह बताया नहीं गया कि कितने कनेक्शन जारी कर दिये और वापस 65 हजार कनेक्शन कृषि देने की घोषणा की है जबकि 2009-10 में यह कहा था कि हम कृषि प्रतीक्षा सूची को दिसम्बर 2009 तक खतम कर देंगे। वह माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा कहां गई जिसमें 31 दिसम्बर, 2009 तक किसानों को कृषि कनेक्शन की जो प्रतीक्षा सूची थी, उसको खतम करने की बात कही थी ? आज किसान की हालत क्या है? मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं, आज लगभग एक हजार कृषि कनेक्शन बाकी हैं और कृषि कनेक्शन ही नहीं हैं, अभी माननीय सत्ता दल के सदस्यों ने बहुत जोर-जोर से प्रशासन-गांव-के-संग की बात कही, मैं बताना चाहता हूं, मेरे एक विधान सभा क्षेत्र में 45 पंचायतें पड़ती हैं और 44 पंचायतों में मैं हर पंचायत में जाकर आया और मैंने देखा, जो रिजल्ट हुए, वह बताना चाहता हूं। किसान परेशान थे, लगभग चार हजार शिकायतें विद्युत विभाग की मिलीं और जो आज भी लगभग दो हजार किसानों की जो मांग है, जो समस्या है, वह आज भी एज-इट-इज ही पड़ी हुई है। जहां सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में श्रीमती वसुंधरा राजे के राज में 132 केवीए का सैंक्शन किया था जी एस एस, दो साल गुजरने के बाद भी आज तक उसको चालू नहीं

(श्री रामहेत सिंह)

किया गया। जहां पर सरकार ने 33 केवीए के 13 सब-स्टेशन सैंक्शन किये, एक भी सब-स्टेशन के लिए आज तक जमीन अलाट नहीं की गई, एक भी सब-स्टेशन चालू नहीं किया गया। खैरथल में जहां पर 132 का सरकार के पास पिछले ढाई साल से पेंडिंग है, 132 केवीए जी एस एस बनें, आज तक उनमें भी स्वीकृति नहीं दी गई।

जहां किसान हितैषी की बात करते हैं, किसान को सरकार बिजली नहीं दे रही, किसान के जले हुए ट्रांसफार्मर को बदल नहीं रही, किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। मैं बताना चाहता हूं, यह सरकार छिपाना चाहती है इस बात को, किसान के खेत में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिस पर मीटर लगा हुआ है, वे मीटर मेरे विधान सभा क्षेत्र में 1,350 मीटर जले हुए हैं। पिछले दो साल से किसान परेशान है, उन मीटरों को बदलवाना चाहता है, सरकार उनको बदल नहीं रही और एवरेज के आधार पर बिल। किसान को बिजली मिल नहीं रही, उसके ट्रांसफार्मर पर जो मीटर जला हुआ है, उसको बदला नहीं जा रहा।

एक बात और कहना चाहता हूं, अभी माननीय गृह मंत्रीजी चले गये, अलवर जिले के अन्दर एक हजार एफ आई आर, मैंने अभी प्रश्न पूछा था कि दो साल में कितनी एफ आई आर बिजली चोरी की दर्ज हुई, ट्रांसफार्मर की, मुझे जुलाई, 2010 तक का जो आंकड़ा दिया गया उसमें 751 एफ आई आर ट्रांसफार्मर चोरी की हुई हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं, अलवर जिले के एक हजार किसानों के जो ट्रांसफार्मर चोरी हुए, क्या एक भी बरामद हुआ? जहां जिले में एक हजार ट्रांसफार्मर चोरी हो जाय, एक हजार तो एफ आई आर हैं और एक एफ आई आर में तीन-तीन, चार-चार गांवों में चोरी हुए ट्रांसफार्मर्स का हवाला है, उस हालत में क्या वह किसान सुरक्षित रह सकता है? अपने आप को महसूस कर सकता है? ऐसी हालत हमारे जिले में है।

मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम गैर-खातेदारों को खातेदारी देंगे, मेरे जिले अलवर की बात कहता हूं, चौदह हजार गैर-खातेदार आज भी हैं। आप कहो तो मैं तहसीलवार आंकड़े दे सकता हूं। चौदह हजार किसान ऐसे हैं जिनको 65 साल आजादी के बाद हो गये, जो पाकिस्तान से आये थे, जिनको भूमि अलाट हुई थी, आज तक उनको खातेदारी नहीं दी गई। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मुख्य मंत्रीजी जवाब दें, इसके लिए कौन दोषी हैं? कौन जवाबदेह है? आप बजट में क्या व्यवस्था करेंगे?

(श्री रामहेत सिंह)

अभी पोकरण से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोर-जोर से कहा कि अल्पसंख्यकों की बहुत चिंता करती है कांग्रेस सरकार, मैं बताना चाहता हूं, राजस्थान में जो टर्म लोन था, जिसको 1925 लोगों ने एप्लाई किया, 9 करोड़ 49 लाख रुपये वित्तीय सहायता रखी गई, मात्र 361 लोगों को लोन दिया गया और उसमें मात्र 19.92 प्रतिशत राशि खर्च की गई। यह टर्म लोन अल्पसंख्यकों के लिए है। शैक्षिक लोन जो 210 लोगों का टारगेट था, मात्र 17 लोगों को लोन दिया गया और वह भी, उसका भी प्रतिशत अगर आप राशि खर्च करने का केलकुलेट करेंगे तो वह 7.82 आता है। इसी तरह से अलवर जिले की बात मैं कहना चाहता हूं, मात्र 16 लोगों को जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अलाउद्दीनजी, जरा सुनना और जब बोलने का अवसर मिले तो आप जरूर चर्चा करना मुख्य मंत्रीजी से, 16 लोगों को शैक्षिक लोन देने की बात सरकार ने तय की थी, टारगेट दिया था और उसके लिए राशि 8.21 लाख रुपये रखी गई थी, एक भी व्यक्ति जो माइनोरिटी का है, उसको एक भी पैसा शैक्षिक लोन के रूप में नहीं दिया गया।

इसी तरह से मैं बताना चाहता हूं, मेवात विकास बोर्ड हमारे यहां है, डांग है, डांग की जो राशि बढ़ाई गई है, 722 लाख रुपये पहले रखा गया था लेकिन मात्र उसमें 365 लाख रुपये सरकार ने खर्च किये हैं, बाकी राशि लैप्स हुई है। इसका सरकार जवाब दे जब माननीय मुख्य मंत्रीजी बोलें। मैं मेवात विकास की जो बात कह रहा हूं, आपने देखा कि मेवात विकास बोर्ड की 7 करोड़ से 15 करोड़ की राशि तय की गई है जबकि डांग क्षेत्र में, यह 7 करोड़ से 15 की है, दुगनी होती है, और डांग क्षेत्र में दो करोड़ से दस करोड़ की गई है; डांग क्षेत्र की जो राशि थी, पिछले बजट में दो करोड़ थी जिसको 10 किया है; यानी उसको डांग क्षेत्र में तो पांच गुना बढ़ाया गया है और मेवात में मात्र दुगना किया गया है।

इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, जब पूर्ववर्ती सरकार माननीय वसुन्धरा राजे की थी, उन्होंने जो पैरा टीचर थे उनको प्रबोधक के रूप में क्रमोन्नत कर दिया था, अलवर जिले में 144 मदरसे थे उन मदरसों के पैराटीचर को प्रबोधक में चेंज कर दिया, उनको हटाकर के सरकारी स्कूलों में कर दिया। इस माइनोरिटी के हितों की हितैषी बनने वाली कांग्रेस सरकार ने एक भी पैराटीचर आज तक दो साल में नहीं लगाया। मैं पूछना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब दें जो हितैषी बनते हैं।

(श्री रामहेत सिंह)

एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय वसुन्धरा जी की कल्पना थी कि माइनोरिटी की बालिकायें पढ़ें, 16 आवासीय विद्यालय अलवर, भरतपुर में तय किए थे, भवन बन गए, दो साल में यह कांग्रेस की सरकार आज तक उनको चालू नहीं कर पाई है। माननीय मुख्य मंत्रीजी बतायें, इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं, कौन मंत्री दोषी है और क्यों आज तक ये चालू नहीं किए गए? इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो माइनोरिटी की बात करते हैं और इसी तरह से शिक्षा की बात करें...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करो।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): दो-तीन मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: दो मिनट से तीसरा मिनट नहीं, माननीय सदस्य।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): पांच मिनट दे दें, सर।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, पांच मिनट नहीं हो सकते। बिलकुल नहीं हो सकते। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): जहां मेवात के जो विद्यालय हैं, उनमें औसत जो टीचर हैं, वह है 168 बालक-बालिकाओं पर एक टीचर। दूसरी तरफ बानसूर से आने वाले माननीय विधायक साहब के क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, उसमें स्कूल में बालक की संख्या जीरो है और टीचर है एक। दूसरा स्कूल है जैनपुरबास जिसमें बालक एक भी नहीं है और उसमें तीन टीचर हैं। तीसरा है गुलजारी का बास, उसमें एक भी बालक नहीं है और वहां पर टीचर की संख्या दो है। इसी तरह से मेवात की अगर देखें तो 168, 135, 131, 91, 88, 86, यह बालकों की संख्या, उसी अनुपात में टीचर लगाये हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा सबके लिए समान है और मेवात में जो पिछड़ापन है, उसके लिए निश्चित रूप से सरकार को कोई कार्यवाही करनी चाहिए।

मैं एक बात कहकर के मेरी बात को खतम करूंगा। माननीय सभापति महोदय, यह तीसरा बजट है, अलवर जिले को कुछ नहीं मिला और उसका कारण है अलवर जिले ने भारतीय जनता पार्टी को सात विधायक दिये लेकिन कांग्रेस को तीन विधायक दिये हैं और चौथा विधायक जो निर्दलीय है वह भी कांग्रेस के साथ है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रतापपुर से लेकर के खेडली तक और भिवाड़ी से लेकर प्रतापगढ़ तक, 200 किलोमीटर एक छोर को दूसरे छोर तक जोड़ता है। 11 विधायक हैं, 14 पंचायत समिति हैं, 7 नगरपालिका क्षेत्र हैं

(श्री रामहेत सिंह)

और इतना बड़ा भू-भाग है, 445 पंचायतें हैं, मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी सोचें कि इसका विकास कैसे हो। एन सी आर में आता है, अगर अलवर जिले का सम्पूर्ण विकास करना चाहते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला अलवर जिला है, सरसों, राजस्थान में सबसे ज्यादा, राजस्थान की टोटल जो सरसों पैदा होती है उसकी 22 परसेंट अलवर जिले में पैदा होती है, तो सोचना पड़ेगा कि इसका सम्पूर्ण विकास कैसे हो। नीमराना उप तहसील है, हरसौली उप-तहसील है, टपूकड़ा उप-तहसील है, इन तीनों को तहसील दर्जा मिले ; किशनगढ़बास को नगरपालिका दर्जा मिले, खैरथल को उप-तहसील का दर्जा मिले और बानसूर, नीमराना, बहरोड़, मुण्डावर, भिवाड़ी, तिजारा, कोटकासिम और किशनगढ़बास, इन सबको मिलाकर के लगभग 200 पंचायतें हैं, सात पंचायत समिति और सात नगरपालिका को मिलाकर के किशनगढ़बास क्षेत्र में आने वाला क्षेत्र जो कोटकासिम है उसको जिला बनायें। यह घोषणा करें तभी अलवर जिले का सम्पूर्ण विकास हो सकता है।

यह कहते हुए आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक परनामी।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे बजट भाषण की शुरूआत में जो राजस्थान सरकार के द्वारा, स्टेट प्लानिंग बोर्ड के द्वारा मिड-टर्म एप्रेजल आफ इलेवंथ फाइव ईयर प्लान 2007-2012 जो छापा है उसके पेज नम्बर-11 पर जो कुछ लिखा है। मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं –
"The current 5 Year Plan started with fairly comfortable financial situation for the State Government. There was Revenue Account surplus and fiscal deficit was at a lower level of less than 2% of GSDP with primary balance in surplus. This translated into a positive and significant year for the Plan. Total Plan expenditure excluding Central Sponsored Schemes (CSS) was at a relatively high level of 5% of GSDP which was about a quarter of total expenditure excluding the discharge of various liabilities including pubic debt despite accommodating relatively high level of interest payment at 3.37% of GSDP. Non-Plan Revenue Expenditure were contained at relatively low level of 13.6% of GSDP. Salary, wages and pension together did not cross 35% of total revenue expenditure." सभापति महोदय, यह लिखा है प्लानिंग कमीशन ने, जिसमें उन्होंने बताया है कि पहले वर्ष 2007-08 में भारतीय जनता पार्टी का राज था, माननीय वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री थीं, उस समय हमारी क्या स्थिति थी और उसके बाद उन्होंने लिखा है – "All this changed for the worse in the next two years." अगले दो साल में पूरे राजस्थान प्रदेश का बजट गड़बड़ा गया।

(श्री अशोक परनामी)

यह इस बात को दर्शाता है कि बजट प्रस्ताव 2011-12 जो 28 हजार 461 करोड़ का अभी पेश किया, पिछले बजट से 4 हजार 416 करोड़ ज्यादा पेश किया, जिसमें आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि 3700 करोड़ रुपया हम ऊर्जा में हम कोल के कारण खर्च नहीं कर सके, उसको जोड़ने से यह आपका बजट बढ़ा। मैं वर्ष 2010-11 के बजट के बारे में कहना चाहूंगा, सदन में 24 हजार 45 करोड़ का बजट पेश किया गया परन्तु जो अप्रूव्ड बजट बना, वह 23 हजार 563 करोड़ का बना और मुझे यह कहते हुए बहुत ही शर्म हो रही है कि अभी तक, जनवरी तक इस सरकार ने 23 हजार 563 करोड़ बजट में से केवल मात्र 14 हजार 37 करोड़ का बजट खर्च किया, 14 हजार 37 करोड़ के विकास के काम राजस्थान प्रदेश में करवाये जो केवल मात्र 59.57 प्रतिशत होते हैं। मुझे यह मालूम नहीं कि यह दो माह में किस प्रकार से बाकी का बचा हुआ बजट खर्च कर पाएंगे। यदि पिछला हम ले लें तो ये 2,807 करोड़ रुपया दो माह में खर्च कर पाएंगे। इस प्रकार कुल बजट का 70 प्रतिशत तक खर्च यह सरकार कर पाएगी जो इस बात का द्योतक है कि यह सरकार बजट बनाने में तो आगे है परन्तु बजट का एग्जिक्यूशन करने में, बजट को खर्च करने में पीछे है।

मैं विभागवाइज जो बजट का खर्चा हुआ है, वह भी आपके सामने रखना चाहता हूं। कृषि पर 1,853 करोड़ का बजट बनाया गया था, अभी तक केवल मात्र 1,274 करोड़ रुपया खर्च किया गया ; ग्रामीण विकास पर 1,613 करोड़ का बजट बनाया गया, केवल मात्र 967 करोड़ खर्च किए गए ; सिंचाई पर 810 करोड़ का बजट बनाया गया, केवल मात्र 410 करोड़ खर्च किए गए। विद्युत को तो हम मान सकते हैं कि कोल के कारण, परन्तु कोल भी, केन्द्र में आपकी सरकार है, कोल भी लाने की जिम्मेदारी आपकी सरकार थी परन्तु माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया। इसलिए केन्द्र सरकार से कोल नहीं मिलने के कारण विद्युत में भी 9 हजार 935 करोड़ का बजट था, जिसमें से केवल मात्र 5 हजार 807 करोड़ रुपए खर्च किए गए। परिवहन पर 1,257 करोड़ का बजट था, 793 करोड़ खर्च किए गए; सामाजिक सेवाएं 7 हजार 358 करोड़ का बजट था, 4 हजार 391 करोड़ रुपया खर्च किया गया।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं जब पिछली बार सरकार, जब माननीय वसुन्धरा जी की सरकार थी जिसको आज पूरे प्रदेश की जनता याद कर रही है, उसके भी मैं फीगर आपके सामने रखना चाहूंगा। वर्ष 2003-04 में जो बजट

(श्री अशोक परनामी)

प्रस्तुत किया, उसका 109 प्रतिशत खर्च किया गया; 2004-05 में 97 प्रतिशत खर्च किया गया; 2005-06 में 99 प्रतिशत खर्च किया गया; 2006-07 में 102 प्रतिशत खर्च किया गया और 2007-08 में 100 प्रतिशत बजट खर्च किया गया। माननीय सभापति महोदय, बजट बना लेने से राजस्थान प्रदेश का विकास नहीं होना, बजट बनाने के बाद एग्जिक्यूशन जरूरी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी को जिन्होंने पांच वर्ष राजस्थान प्रदेश का विकास करके राजस्थान प्रदेश जो 'बीमारू' प्रदेश होता था, उसको विकासशील प्रदेश की श्रेणी में खड़ा कर दिया और मुझे इस बात की शर्म है कि आज के मुख्य मंत्री महोदय, अशोक गहलोत साहब ने इन दो वर्षों में राजस्थान प्रदेश जो विकासशील प्रदेश गया था, आज पुन: वह गर्त में चला गया है।

सभापति महोदय, यह आर्थिक समीक्षा है 2010-11 की यह भी इनकी सरकार के द्वारा बनायी गयी है। मुझे देखकर के ताज्जुब हुआ कि 2007-08 में 80,88,456 हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया गया हमारे राज में और अभी 2008-09 में केवल मात्र 89,927 हेक्टेयर जमीन को सींचा गया। यह कांग्रेस की सरकार किसान विरोधी सरकार भी है। इसके साथ-साथ मैं, सभापति महोदय, आपको बताना चाहता हूं राज्यों की सड़कों में भी जब हमारी सरकार थी, 2007-08 में हमने 59 किलोमीटर तो नेशनल हाइवे बनाये, स्टेट हाइवे 3,123 किलोमीटर बनाया, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड 1,426 किलोमीटर बनायी, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड 5,639 बनायी और रोड विलेज 18,301 किलोमीटर बनायी परन्तु इस कांग्रेस की सरकार ने पिछले दो वर्षों में केवल मात्र 2 किलोमीटर नेशनल हाइवे रोड बनायी, डिस्ट्रिक्ट रोड 108 किलोमीटर बनायी और जो ग्रामीण की सरकार कहते हैं, ग्राम के गरीबों की हितैषी सरकार कहते हैं, केवल मात्र 1,900 किलोमीटर सड़कें दो वर्षों में बनायी; जबकि हमने पांच वर्षों में 18 हजार किलोमीटर बनायी।

सभापति महोदय, बजट बनाया, वाहवाही लूटी। मैं केवल मात्र एक राजकीय घाटे की बात करता हूं। राजकोषीय घाटा इन्होंने 8,063 करोड़ रुपये दिखाया, ऋण लिया 8,163 करोड़ रुपये और बजट सरप्लस बताया 99 करोड़ रुपये। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप ऋण ले रहे हो और दूसरी तरफ आप सरप्लस बजट बता रहे हो ; वहां तो आप ब्याज दे रहे हो और यहां पर आप थोथी वाहवाही लूटने के लिए सरप्लस बजट बना रहे हो। सभापति महोदय, पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता को इस बार विश्वास था कि बढ़ती महंगाई को रोकने में यह सरकार कदम उठायेगी परन्तु

(श्री अशोक परनामी)

मुझे इस बात का अफसोस है, राजस्थान प्रदेश की जनता को अफसोस है कि इस बजट में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम न करके राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया गया है। दिल्ली प्रदेश की सरकार ने टैक्स कम किया, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने टैक्स कम किया, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है परन्तु यहां की कांग्रेस की सरकार ने वैट में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जिससे कि महंगाई बढ़ी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, क्या बात है? अभी केवल मात्र सात मिनट हुए हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, देखिये, आप चाहे इस सदन को रात के 12.00 बजे तक चलाओ परन्तु यदि सबको आपने बीस मिनट बोलने का वक्त दिया है तो हमें भी बीस मिनट बोलने का वक्त दें। सभापति महोदय, ये हमारे साथ आप अन्याय कर रहे हैं।

श्री सभापति: आप थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): संक्षिप्त कर रहा हूं, सभापति महोदय।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप एक घंटा बोलो। (व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): श्रवण जी, यहीं बोल करके सत्ता बदल देंगे हम, आप चिन्ता मत करो। हां, इसकी आप चिन्ता मत करो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बदल सकते हो, ये पेंट-बुशर्ट बदल सकते हो, सत्ता नहीं बदली जायेगी। ध्यान रखना। (व्यवधान) अभी ये पेंट-बुशर्ट बदल लेंगे। (व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने जब से बजट पेश किया, उन्होंने आते ही कहा कि मैं शराब का सेवन कम करना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, अलाउ कर दिया क्या आपने आगे तक के लिए?

श्री सभापति: कर दिया।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): शराब का सेवन कम करना चाहता हूं। 8.00 से 8.00 बजे तक दुकानों का समय कर दिया, दुकानें कम कर दीं परन्तु बीयर बार के लाइसेंस बढ़ा दिये। उसके कारण शराब की खपत कम नहीं हुई, शराब की खपत बढ़ी है। मैं यह राजस्व प्राप्ति से आपको बताना चाहूंगा कि 2009-10 में 2,300 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई, 2010-11 में 2,460 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई, 2011-12 में 2,623 करोड़ की अनुमानित राजस्व प्राप्ति करने की घोषणा कर रहे हैं। सभापति महोदय, एक तरफ शराब को कम करना चाहते हैं, बिक्री को बंद करना चाहते हैं, दूसरी तरफ शराब की बिक्री को बढ़ा रहे हैं। यदि इतना ही शराब की बिक्री को कम करना चाहते हैं तो इस दिशा में काम करना चाहिए था, जन-जागरण करना चाहिए था परन्तु वह सरकार ने नहीं किया। सभापति महोदय, जयपुर शहर की जनता अपने आप को आज ठगी हुई महसूस कर रही है।

जब राहुल गांधी जी यहां पधारे थे तो उन्होंने जयपुर शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कही थी। उसके कारण ठगी-ठगाई जनता ने, जयपुर की भोली-भाली जनता ने कांग्रेस को सांसद दिया, कांग्रेस को जयपुर शहर का महापौर भी दिया परन्तु इस कांग्रेस की सरकार ने जयपुर शहर को गर्त में डाल दिया। जो जयपुर शहर हमारे समय में विश्व का नवां सुन्दर शहर कहलाता था आज वह ही जयपुर शहर हिन्दुस्तान के 264वें पायदान पर आकर खड़ा हो गया। सभापति महोदय, आज जयपुर शहर में पानी की समस्या है। हम बीसलपुर की योजना लेकर के आये, बीसलपुर का हमने पूरा काम कर दिया, इस सरकार को केवल बीसलपुर का पानी घर-घर तक पहुंचाने का काम करना था परन्तु दो वर्ष बीत गये, अभी तक जयपुर की जनता बीसलपुर के पानी से महरूम है। आज भी जयपुर शहर में बीसलपुर का पानी नहीं मिल रहा है। सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत आश्चर्य हो रहा है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, डिमांड्स पर आप बोल लेना। डिमांड्स अभी हैं, सारे विषय आपके कवर हो जाएंगे।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): मैं खाली बस यह जयपुर पर बोलकर खतम करूंगा।

श्री सभापति: अब आप सम-अप करो।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): केवल मैं 3-4 मिनट बोलूंगा।

श्री सभापति: नहीं, 3-4 मिनट नहीं, अब एक-दो मिनट अलाउ करूंगा मैं आपको। हां, बोलो।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आज जलदाय विभाग की योजना, जोधपुर में तो 24 घंटे पानी मिलेगा...

श्री सभापति: जलदाय विभाग की डिमांड्स पर बोल देना न आप।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): भीलवाड़ा में 24 घंटे पानी मिलेगा, इस प्रकार की जलदाय विभाग की योजना बनायी जा रही है और जयपुर शहर को पानी से महरूम रखा जाएगा। इस प्रकार की योजना बन रही है। सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: अब आप सम-अप कर दो।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, जयपुर शहर को केवल मात्र मेट्रो ट्रेन देने से जयपुर शहर वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बनेगा, जयपुर शहर को अस्पताल की भी आवश्यकता है। इस कांग्रेस की सरकार ने अस्पताल एक भी नहीं दिया जबकि हमारी सरकार ने मानसरोवर में अस्पताल बना दिया, अस्पताल बन करके तैयार खड़ा है परन्तु दो वर्ष तक कांग्रेस की सरकार उस अस्पताल को चालू नहीं कर सकी।

सभापति महोदय, सफाई के लिए कहने की मुझे क्या जरूरत है, खुद माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जयपुर शहर का मास्टर ड्रेनेज प्लान जो 630 करोड़ रुपये का बना था..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करो आप।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ... आज दो वर्ष बीत गये, अभी तक वह मास्टर ड्रेनेज प्लान भी धरातल पर लेकर के नहीं आए।

श्री सभापति: आप विराजो। अब आप विराजो। श्रीमती बसंती देवी मीणा।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, मैं आपको बता दूं, केवल मात्र बजट बना देने से काम नहीं चलेगा, बजट को धरातल पर भी लाने की जरूरत है। मैं जो बजट इन्होंने पेश किया है उसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय जी, वर्ष 2011-12 के बजट पर चर्चा हो रही है, मैं भी इसमें भाग लेते हुए कुछ निवेदन करना चाहती हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में जो

(श्रीमती बसन्ती देवी मीणा)

कल्याणकारी घोषणाएं की हैं, उनके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं। इस बजट में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ मिला है, इस बजट से प्रदेश के विकास को एक नई दिशा मिलेगी।

सभापति महोदय जी, इस बजट में विशेषकर कमजोर वर्गों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। एस.सी., एस.टी. के लोगों के विकास हेतु आगामी वर्ष में एस.सी. के लिए 16.66 प्रतिशत व एस.टी. के लिए 13.02 प्रतिशत नोशनल फ्लो के बजाय, वास्तविक प्रावधान संबंधित विभागों के बजट मदों में अलग से इंगित किया है, इससे इन वर्गों के विकास में और गति मिलेगी।

पंचायती राज संस्थाओं को निर्बंध राशि उपलब्ध कराई है जिससे स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। वार्षिक योजना को बढ़ाने से प्रदेश के विकास की पूरी कल्पना झलकती है। सभापति महोदय जी, धार्मिक सड़क योजना के माध्यम से सड़कों से धार्मिक स्थलों को जोड़ने से लोगों की आस्था और मजबूत होगी। गांवों के अलावा ढाणियों को सड़क से जोड़कर ग्रामीण जनता को अधिक सुविधा देने की कल्पना है।

ऊर्जा के क्षेत्र में 1,860 मेगावाट एवं निजी क्षेत्र में 810 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की इच्छा शक्ति है। बिजली के क्षेत्र में प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करना भी सराहनीय कदम है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी का विशेष आभार कि उन्होंने आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा को रेल से जोड़ने हेतु 1,200 करोड़ का हिस्सा केन्द्र की सरकार को देकर दिल से उस क्षेत्र को विकास से जोड़ने की इच्छाशक्ति दर्शायी है, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, इस बजट भाषण में जो घोषणाएं की गई हैं, उन पर बहुत बोला जा सकता है परन्तु सदन के समय को ध्यान में रखते हुए मैं अधिक नहीं बोलते हुए मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कुछ आवश्यक समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। सभापति महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र घनी जनजाति आबादी वाला क्षेत्र है। विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये उस क्षेत्र की निम्नलिखित समस्याओं का प्राथमिकताओं के आधार पर समाधान कराने हेतु निवेदन है। सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्र उदयपुर संभाग पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर खेती एवं मजदूरी से घर गुजारा चलता है। किसानों के पास दो-दो, चार-चार बीघा जमीन होती है। यदि उसके खेतों में पानी पहुंच जाये तो

(श्रीमती बसन्ती देवी मीणा)

उनको बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। वर्षा का पानी सीधा गुजरात चला जाता है, उस पानी को रोककर आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले किसानों का भला किया जा सकता है। विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में दो महत्वपूर्ण छोटी योजनाएं हैं, देवेन्द्र एनिकट योजना प्रसाद नदी पर और जावर एनिकट योजना, जो आदिवासी क्षेत्र का कल्याण कर सकती हैं। ये पेयजल, सिंचाई और पर्यटन की दृष्टि से बड़ी उपयोगी योजनाएं हैं। वर्षा का पानी डाइवर्ट करके चावण्ड, केजड, हरचन तालाबों में तथा डाया डैम में डाल सकते हैं और आर्थिक रूप से भी बड़ी योजनाएं नहीं हैं। 35 से 40 करोड़ की लागत से हम हजारों किसानों का भला कर सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तो सराडा के दौरे के समय देवेन्द्र एनिकट योजना की घोषणा भी कर रखी है। अत: मेरा निवेदन है कि इन दोनों योजनाओं के लिये आगामी वर्ष में बजट आबंटित कराने की कृपा करें। वैसे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आगामी वर्ष हेतु 416 करोड़ का प्रावधान ऐसी योजनाओं के लिये किया है। उस क्षेत्र में लिफ्ट परियोजनाओं की अधिक आवश्यकता है जो लाभकारी हो सकती हैं।

सभापति महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र में यदि चिकित्सा सुविधा अच्छी होगी तो वहां का हर व्यक्ति स्वस्थ होगा। यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो मेहनत ज्यादा करेगा और वह मानव विकास इंडेक्स में प्रदेश को मदद करेगा। ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु हमें विशेष प्रयास करने होंगे। जनजाति क्षेत्र में खनन कार्य होते हैं, उनमें हमें स्थानीय लोगों को अधिक सुविधा देनी होगी ताकि वे आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें और सरकार पर बोझ न बनें। सभापति महोदय ,जनजाति क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों के लिये छात्रावासों में मैस भत्ता बढ़ाने से उन्हें अधिक सुविधा मिलेगी परन्तु लाभ प्राप्त करने वालों के लिये देखभाल व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

पिछले समय में प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान के माध्यम से प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ देकर मुख्य मंत्रीजी ने गांधी जी की उस अवधारणा को मजबूत किया है जिसमें यह कहा गया था कि अंतिम व्यक्ति के आंख के आंसू पोंछना ही सच्ची सेवा है। सभापति महोदय, मैं यह कह सकती हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी सच्चे गांधीवादी हैं।

आपने बोलने का समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने आजादी के बाद पहली बार लगातार बढ़ोतरी करते हुए 28461 करोड़ की योजना का आकार, 96 पेज और 337 पैरा; प्रथम बजट में 298 पेज, बाद में 301, लगातार बढ़ोतरी और हमें भी बजट में ऐसी आशा नहीं थी लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश कर के यह साबित कर दिया कि गरीबों के दिल का दर्द अगर किसी के मन में है तो वह लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के मन में है।

सभापति महोदय, दो-तीन दिनों से चल रहे वादविवाद में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जो अपने-अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और वरिष्ठतम माननीय सदस्य श्रीमान् कटारिया जी जिस अंदाज में बात कर रहे थे, मानो हकीकत में वे कह रहे हैं, सही वे ही कह रहे हैं लेकिन, सभापति महोदय, आज जो इस तरह से बात कर रहे थे कि अधिकारियों के ऊपर नकेल खींचने वाला हो, सदन के मार्फत मैं पूछना चाहता हूं कि आपके समय में नकेल खींचने वाला अगर कोई था तो वह ललित मोदी था और ललित मोदी द्वारा नकेल खींचते हुए आमेर की हवेलियां बेची गई, आमेर की हवेलियां खरीदी गई और माननीय मुख्य मंत्रीजी वापस ले रहे हैं लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। खरीददार कौन था, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके बी जे पी के शासन के समय नकेल अगर कोई खींचने वाला था तो वह ललित मोदी था।

सभापति महोदय, आज बार-बार बात आ रही है, आज से दो दिन पहले पूर्व सैनिकों के बारे में जो वादविवाद हुआ, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप सैनिकों के हितैषी हैं, पूर्व सैनिकों की अगर आप वास्तव में पैरवी करते हैं तो आपके शासन के समय कितनी बढ़ोतरी की, कितनी सुविधाएं आपने प्रदान कीं, यह मैं पूछना चाहता हूं। सभापति महोदय, सदन में पूर्व सैनिकों की अगर बात की जाती है तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन जिन माननीय सदस्यों ने जो मुद्दा उठाया, उनको मैं पूछना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद से आपके परिवार से कितने सैनिकों की भर्ती हुई, कितने देश की सेवा के लिये काम आ रहे हैं, यह मुझे बताया जाये।

सभापति महोदय, बात आती है पी एम जी एस वाई सड़क की, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की लापरवाही के कारण, अज्ञानता के कारण 250 की आबादी की ढाणियों को वंचित रखा गया सिर्फ रेवेन्यू विलेज ही जोड़े गये। अगर उस समय ध्यान दिया जाता तो 250 की आबादी की ढाणी

(श्री मदन प्रजापत)

आज वंचित नहीं रहती। हमारी बहन और वरिष्ठ सदस्या माननीय किरण माहेश्वरी जी जो कह रही थीं कि 250 की आबादी वाली ढाणियों को हमने जोड़ा, आपने नहीं जोड़ा, आपकी लापरवाही के कारण माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी अब जोड़ने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, अल्पसंख्यकों के बारे में लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में जो प्रावधान रखा और जब बजट पेश कर रहे थे, उस समय भी सामने से आवाज आ रही थी कि अल्पसंख्यकों को यह दे रहे हैं, अल्पसंख्यकों को वह दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि उनके दिल में दर्द हो रहा है। अल्पसंख्यकों के पक्ष में माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने सब कुछ दिया है, उनका मैं ज्यादा जिक्र नहीं करते हुए क्योंकि सभी माननीय सदस्य जानते हैं लेकिन इस टिप्पणी से ऐसा मालूम होता है कि आप अल्पसंख्यक विरोधी हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूं कि जयपुर में हज हाउस के साथ में आपने मजाक किया।

सभापति महोदय, सड़कों के मामले में पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी प्रमोद जी जैन और माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 5,749 ढाणियों को जोड़ने का लक्ष्य और चार हजार करोड़ का बजट, इससे साफ जाहिर होता है कि गांव का विकास अगर किसी के मन में है तो वह माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के है। माननीय सभापति महोदय, चाहे धार्मिक स्थलों का मामला हो, चाहे मिसिंग लिंक्स का मामला हो, सभी सदस्यों की भावना थी कि जब भी हमें मिले तो मिसिंग लिंक्स मिलें और यह मंत्रीजी ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसी वर्ष में जो मिसिंग लिंक्स दी हैं, सदस्यों की भावना की जो कद्र की है, मैं इस बात का भी आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज बिजली के बारे में, मैं इस बात का बार-बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि शासन सम्भालते ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सर्वप्रथम घोषणा की कि किसानों के लिये बिजली की दरें 5 साल तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। इस घोषणा से साबित हो गया कि वास्तव में किसान की पीड़ा किसी के मन में है तो वह लोकप्रिय मुख्य मंत्री के है, किसानों का हितैषी कोई है तो वह माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी है। माननीय सभापति महोदय, आज जो दुर्घटना के मामले में 25 हजार से बढ़ाकर आम-जन की अगर मृत्यु होती है तो उसमें भी ढाई लाख करके यह साबित कर दिया कि अगर आम आदमी की कोई सरकार है तो वह कांग्रेस सरकार है।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय सभापति महोदय, पानी के मामले में, चाहे एस.सी., एस.टी., अल्पसंख्यकों की ढाणियां और बस्तियों के मामले में 3,414 और अगले साल में 6,014 ढाणियों को जोड़कर इन गांवों में और ढाणियों में सुविधा होगी ताकि एस.सी., एस. टी. और अल्पसंख्यक भाई आराम से सुविधा पा सकें ;जहां पानी की तकलीफ थी, ऐसा करके माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो आम ढाणियों को लाभान्वित किया है, इस बात का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज पानी के मामले में जगजाहिर है कि गत सरकार द्वारा बाड़मेर जिले में दुबारा उद्‌घाटन किये गये, चुनरियां ओढ़ी गई और दो पाइप आज भी मौके के ऊपर पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं कल्याणपुर में जिसका उद्‌घाटन किया गया, उस उद्‌घाटन करने का क्या हुआ? लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का कि उन्होंने जो कहा है, वह करके दिखाया कि बालोतरा की जनता को नहर का मीठा पानी पिलाएंगे और मैं आभार व्यक्त करता हूं, माननीय मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने बालोतरा को तुरन्त इमरजेंसी में पानी देने के लिये चाहे दलाऊ में सागर कल्याणपुर हो, चाहे पोकरण फलसूण्ड के लिये हो, दोनों योजनाओं में निरन्तर प्रगति जारी है और आने वाले महीनों में समस्त क्षेत्र को मीठा पानी मिलेगा। मैं लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि चाहे बाड़मेर जिला हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान, आपके दिल में हैं, आपकी भावना है कि आज जो रेगिस्तान में पानी की तकलीफ है, वह आने वाले समय में नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, चाहे चिकित्सा के मामले में 50 पी.एच.सी. और 35 सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने का फैसला लेकर यह साबित कर दिया कि आज निरन्तर हैल्थ के मामले में अगर कोई प्रगति कर सकता है तो वह कांग्रेस सरकार कर सकती है, माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी कर सकते हैं। एक बात करना अलग बात है लेकिन उस बात को हकीकत में बदलना, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आरोप लगाना, यह प्रतिपक्ष का दायित्व है, फर्ज है लेकिन अगर बिना आधार, बिना तथ्यों और बिना सबूत के अगर कोई वरिष्ठ सदस्य, सदन की गरिमा को ध्यान में नहीं रखते हुए, अगर इस तरह की बात कहे और बाद में बात झूठी निकले तो लोग जो बाहर देख रहे हैं, 6-7 करोड़ जनता की नजरों में आपके चेहरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा कि मैं जो बात कर रहा हूं, उस बात में

(श्री मदन प्रजापत)

कितना वज़न है। यदि हकीकत में आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का माद्दा रखते हैं, आवाज उठाने का दम रखते हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आपके समर्थन में हैं लेकिन तथ्य हों, कोई सबूत हों। आरोप लगाने में शर्म नहीं आती है तो बात सुनने की भी ताकत रखो। सुनने में सहनशक्ति नहीं और लगाने में कोई शर्म नहीं और सुनने के मामले में एक प्रतिशत सुनना पसन्द नहीं। दुनिया जानती है, चाहे 8 पी.एम. का मामला हो, चाहे ललित मोदी का मामला हो, चाहे आमेर की हवेलियां हों, मैं नहीं कह रहा हूं, कैलाश जी मेघवाल ने कहा, 5,500 करोड़ का घोटाला, वह जगजाहिर है। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): सभापति महोदय, ये आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अब नहीं कहूंगा। माननीय सभापति महोदय, आम जन के हमेशा उपयोग में आने वाली चाहे दवाओं के मामले में, आज मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के मामले में आम जन को राहत मिलती है, गरीब आदमी मोहताज नहीं हो कि मैं पैसों के बिना इलाज नहीं करवा सकता। आज चाहे प्रशासन-गांव-के-संग अभियान में सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से चाहे पालनहार की पेंशन हो, विधवा हो, विकलांग हो, इनकी पेंशन के बारे में जो हजारों, लाखों की संख्या में आज दिन तक पेंशन मिल रही थी, उससे कई गुना ज्यादा इन शिविरों में दी गई। इसमें जो कमियां हैं, उनके बारे में माननीय सदस्यों ने इस बात का तो जिक्र किया है, मैं भी, माननीय सभापति महोदय, इस बात का समर्थन करता हूं कि वे बाधाएं हटाकर आम विकलांग को मिले, आम विधवा को मिले, आम वृद्ध को पेंशन मिले ताकि उन जरूरत-मंदों का काम निकल सके। इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि यह जनहित की भावना आपके मन में है और हमें विश्वास ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आपके स्वभाव में है, यह पेंशनर्स के बारे में आप हल निकालेंगे।

माननीय सभापति महोदय, छात्रावास में 700 रुपये थे, सवा सात सौ से गत साल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, उनके मन में है कि एक दलित का बेटा, गरीब का बेटा अगर छात्रावास में शिक्षा ग्रहण करे और उसके खाने-पीने की कमी न हो, गत साल बजट में एक हजार रुपये किये और इस साल निरन्तर रेगुलर बढ़ोतरी करते हुए 1,250 रुपये करके यह साबित कर दिया कि अगर

(श्री मदन प्रजापत)

गरीबों की हितैषी कोई सरकार है तो वह कांग्रेस सरकार है, गरीबों का अगर कोई मसीहा है तो वह गांधीवादी नेता लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत जी हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज अल्पसंख्यकों के बारे में, योजना के बारे में और उद्योगों के बारे में मैं बताना चाहता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): एक मिनट, साहब। मैंने अभी दो बातें ही कही हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज बालोतरा के मामले में पावरलूम लगाने की बात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कही है। आज पूरे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र हैं और उन औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने का अगर किसी ने काम किया है तो वह अशोक गहलोत जी ने किया है और बालोतरा जो औद्योगिक नगरी है, उसमें स्मार्ट के अन्दर युवाओं को रोजगार के लिये प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। इस सम्बन्ध में जो योजना और बालोतरा को आपने बार-बार बजट में, इतिहास में पहली बार किसी माननीय मुख्य मंत्री ने जिक्र किया है तो 5 बार बालोतरा का नाम लेकर यह साबित कर दिया कि बालोतरा का विकास आपके मन में है और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में आम योजनाओं का लाभ बालोतरा की जनता को मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, शहरी विकास के मामले में बालोतरा में सीवरेज के मामले में राशि देकर यह साबित कर दिया कि शहरी विकास के मामले में भी आपकी भावना हमारे प्रति है।

और भी महत्वपूर्ण अगर कोई काम हुआ है तो वह गांव में जो चैनमैन होता है, पटवारी के सहयोग के लिये, चार महीनों के लिये जो मेहनताना दिया जाता है, उसमें बढ़ोतरी करते हुए 1,600 रुपये से तीन हजार रुपये करके यह साबित कर दिया कि एक छोटे गरीब की भावना को भी आपने बजट में रखा है।

माननीय सभापति महोदय, चाहे स्वतंत्रता सेनानी का मामला हो, चाहे पटवारियों के मामले में हो, चाहे बूंद-बूंद सिंचाई का मामला हो, इनके अतिरिक्त, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये 28 करोड़ की लागत से, मात्र सौ रुपये में कक्षा आठवीं पास करने के बाद में 12वीं तक की छात्राओं के लिये साइकिल

(श्री मदन प्रजापत)

व्यवस्था जो 300 रुपये से घटाकर मात्र सौ रुपये में, ताकि वे बालिकाएं आराम से पढ़ने जा सकें, आराम से वे अपने घर में जा सकें। अगर बालिका शिक्षा को किसी ने बढ़ावा देने का काम किया है तो वह माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है।

(समय : 20.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, घरों के बारे में बात करें, गांवों में पहली बार अगर इंदिरा गांधी आवास की तर्ज पर एक साथ आने वाले सालों में दस लाख मकान, देश की आजादी के बाद पहली बार एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम अगर किसी ने उठाया है तो वह माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने उठाया है और उनकी गरीबों के प्रति, माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावना है कि आम गरीब, वे भी पक्के मकानों में निवास करें। चाहे शहरों में मकानों की योजना हो, चाहे गांवों की हो, यह तमाम प्रकार के दस लाख की योजना और करों के मामले में चाहे ऊनी कम्बल, गलीचे और हाथ से बने अन्य उत्पाद, ताकि गांव और ढाणी में बैठा हुआ आम व्यक्ति भी रोजगार प्राप्त कर सके।

माननीय सभापति महोदय, चाहे गेहूं, चावल, दाल की बात हो, सामने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि 'दाल-रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ,' माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भगवान राम का और प्रभु का ठेका लेने वाली पार्टी बार-बार प्रभु का तीन दिन से विरोध कर रही है। प्रभु का नाम गलत नहीं है, मालिक का नाम गलत नहीं है, लेकिन वे कह रहे हैं कि आप तो प्रभु के गुण गाओ। यह माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह तो सरकार राम भरोसे चल रही है, राम राज्य लाने वाली पार्टी, राम के अगर भरोसे, जिस मालिक का राज के ऊपर हाथ है तो शायद मैं समझता हूं कि कमी किसी बात की भी सरकार में नहीं होगी। माननीय सभापति महोदय, चाहे टी.वी., सिनेमा और अन्य, कूलर, तमाम लाइफ स्टाइल के लिए जो भी किया है, वह जनता, आम जनता उनकी प्रशंसा कर रही है।

मात्र एक बात मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज मुख्य मंत्रीजी ने एक साथ में राजस्थान में इतने ओवर-ब्रिज लिये। मैं निवेदन करता हूं कि बालोतरा शहर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए रेलवे में एप्रूव्ड है और जो टी.वी.ओ. संख्या होती है, उसमें भी सवा लाख से ऊपर है तो मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है और मुझे विश्वास है कि बालोतरा शहर में दो एप्रूव्ड हैं, तो कम से कम एक ओवर-ब्रिज इसी साल जरूर शुरू होगा, यह हमें भरोसा है।

(श्री मदन प्रजापत)

साथ ही मैं निवेदन करता हूं कि हिन्दुस्तान ही नहीं, विश्व विख्यात औद्योगिक नगरी बालोतरा, जहां कपड़ा जो बनता है, विशेषकर और कहीं ऐसा पाली और बालोतरा के सिवाय काम नहीं, मैं निवेदन करता हूं कि पेटीकोट का जो कपड़ा है, आम महिलाओं के यूज में आता है, मेरा निवेदन है कि कम से कम 90, 100 रुपये तक का जो सिला हुआ पेटीकोट है, उसको वैट मुक्त किया जाए जिससे हजारों-लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है और वे घर बैठे रोजगार पा सकते हैं। 100 रुपये के कपड़े सिले हुए वस्त्र, चाहे नाइटी हो, चाहे पेटीकोट हो, तो यह लाखों रोजगार बढ़ सकता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि यह आने वाले समय में इस पर वैट में राहत दी जाए। यह महिलाओं के हित में है और रोजगार का मामला है, मुझे विश्वास है कि रोजगार को देखते हुए यह हमारी भावना की जरूर कद्र होगी।

विशेषकर कई वर्षों से जो लम्बित मांग है कि बालोतरा जिला बने, डेढ़ सौ और दो सौ किलोमीटर की दूरी, मुझे विश्वास है लेकिन मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि राजस्थान में जब भी जिलों के गठन का निर्णय हो, उसमें सर्वप्रथम अगर कोई जिला बने तो वह सभी मापदंडों को पूरा करता है और बाड़मेर जिले का बालोतरा जिला बने, यही मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं।

साथ ही जी.एस.एस. के मामले में जो व्यवस्थापक लगे हैं, ये मेहनत का काम करते हैं और उनको वेतन आयोग जो है, उनको छठा वेतन आयोग लागू किया जाए ताकि आम सोसाइटी और सहकारिता में, मंत्रीजी भी विराजमान हैं, ताकि उन आम कर्मचारियों को लाभ मिल सके। मात्र कम तनख्वाह और कोई सुविधा नहीं। (व्यवधान) मात्र पांच हजार करोड़ रुपये जो गत साल थे, माननीय सभापति महोदय,... (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप समाप्त करो।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि पांच हजार जो ऋण रबी और खरीफ ...(व्यवधान) पांच हजार करोड़ का ऋण जो वितरित किया था, इस साल छह हजार करोड़ का तुरन्त वितरित किया जाए ताकि आम किसान को राहत मिल सके, आम किसान को सुविधा मिल सके।

तमाम बजट और यह दो-तीन दिनों से पूरे राजस्थान में जो वाहवाही लोग कर रहे हैं, आम जनता कर रही है, ये कह रहे थे कि यह सुनामी बजट है,

(श्री मदन प्रजापत)

यह सुनामी बजट नहीं है, आने वाले और भी बजट अपन देखते हैं कि राजस्थान की कायाकल्प होगी। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी गत सरकार की तरह जयपुर को बेचने वाले नहीं, जयपुर में मेट्रो लाने वाले हैं, वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी लेकिन पूर्व भाजपा की सरकार में जयपुर की सारी रोड्स के ऊपर 90-बी के मार्फत जमीनें बेच दीं...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप समाप्त करो।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): दलितों की जमीन के ऊपर पेट्रोल पम्प बन गए और वे लोग बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, इससे यह साफ जाहिर होता है कि सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। बड़ी शर्म आती है कि आप आरोप लगा रहे हैं। शर्म करो, आप आरोप लगाने के हकदार नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, आपने जो समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती जाहिदा खान।

श्रीमती जाहिदा (कामां): माननीय सभापति महोदय, आपकी इजाजत से मैं वर्ष 2010-11 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान जो राजस्थान की जनता को पारदर्शी, जवाबदेह, सुशासन देने वाली सरकार के लोकप्रिय एवं लोकनायक मुख्य मंत्रीजी ने पेश किये हैं, के पक्ष में अपनी बात सदन के सामने रखना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि एक नए राजस्थान के निर्माण की दिशा में कारगर कदम साबित होने वाला बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन में पेश किया है जो देश में पहली बार एकीकृत वित्तीय प्रणाली से तैयार किया गया है। इस प्रणाली से बजट तैयार करने के लिए विभागों द्वारा संशोधित अनुमानों एवं बजट अनुमानों के प्रस्ताव वित्त विभाग को आन-लाइन पेश किये गये तथा विभाग के स्तर पर भी इन प्रस्तावों को कम्प्यूटर के जरिए ही अन्तिम रूप दिया गया। यह बजट आम जन के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास की सोच के साथ एक लोकनायक नेतृत्व क्षमता के मुख्य मंत्रीजी के सुशासन काल में ही पेश किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगी कि विपक्ष जिस बजट की आलोचना चुनावी बजट कह कर रहा है, ऐसा बजट

(श्रीमती जाहिदा)

जो सरकार अपने तीसरे बजट में पेश कर रही है, वह बजट चुनावी बजट नहीं है अपितु लोक कल्याण की भावना के साथ राज्य के अंतिम छोर पर बैठे आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। किसान के हितों को देखते हुए, ग्रामीण विकास की परिकल्पना के साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी सरकार का ऐसा बजट प्रदेश के इतिहास में पहली बार पेश किया है।

कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रधान मंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी एवं कांग्रेस के ऊर्जावान युवा नेता राहुल गांधी जी देश की जनता को एक पारदर्शी, जवाबदेह एवं सुशासन वाली सरकार देना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ऐसा ही बजट पेश किया है, इसके लिए मैं और पूरा राजस्थान उनका तहेदिल से शुक्रिया अदा करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मेवात विकास बोर्ड की बजट राशि को पूर्व में चार करोड़ से बढ़ाकर सात करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया था। लोक कल्याण की भावना के साथ कार्य करने वाली सरकार मेवात क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास करना चाहती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में मेवात विकास बोर्ड की बजट राशि को बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर साबित कर दिया है कि सरकार माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में मेवात क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखना चाहती। मेवात क्षेत्र की जनता की ओर से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राज्य के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने के लिए धार्मिक सड़क योजना के अन्तर्गत आगामी दो वर्षों में 1,100 किलोमीटर की लम्बाई की सड़कों का निर्माण कराने की योजना बनाई है जिस पर 280 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। माननीय मुख्य मंत्री के उक्त प्रयास से 610 धार्मिक स्थल सड़क मार्ग से जुड़ सकेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सभी विधायकों की भावनाओं को देखते हुए उनके विधान सभा क्षेत्र में 16 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का मिसिंग लिंक योजना में निर्माण कराने तथा 30 से 40 कि.मी. लम्बाई की सड़कों के नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण का कार्य होगा, इसके लिये पूरे सदन के माननीय सदस्यों एवं राज्य की जनता की ओर से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का शुक्रिया अदा करती हूं।

सभापतिजी, कई बार विद्युत दुर्घटना से आमजन के साथ गम्भीर

(श्रीमती जाहिदा)

हादसा हो जाता है जिसमें कई बार निर्दोष लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे परिवारों की पीड़ा की गम्भीरता को संवेदनशील माननीय मुख्य मंत्रीजी ने महसूस किया तथा सरकार द्वारा ऐसे पीड़ित परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार कर दिया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी का यह कदम साबित करता है कि वे किस हद तक संवेदनशील हैं। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की शुक्रगुजार हूं।

सभापतिजी, मुख्य मंत्रीजी ने गरीब तबके के उन पिछड़े लोगों की प्रगति के लिये कारगर कदम उठाये हैं जो वर्षों से उपेक्षित रहे हैं। वर्ष 2010-11 में दिसम्बर माह तक 445 एस.सी., 567 एस.टी. एवं 312 माइनोरिटी समाज की बस्तियों में स्वतन्त्र पेयजल स्रोत स्थापित कराये हैं। राज्य में पेयजल की समस्या को देखते हुए सरकार ने राज्य की 91 प्रतिशत पेयजल योजनाएं भूजल पर आधारित कर तैयार कराई हैं। राज्य में भूजल की स्थिति गम्भीर हालत में पहुंच गयी है, जिसमें राज्य के 249 ब्लाकों में से 198 ब्लाक डार्क जोन में आ गये हैं। भूजल की स्थिति गम्भीर होती जा रही है। पिछले वर्ष आये अच्छे मानसून से स्थिति में सुधार होने की उम्मीद की जा रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस समस्या को भविष्य की विकराल समस्या के रूप में महसूस कर रहे हैं जिसे देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राज्य में 300 वर्ग गज तक के मकानों में वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिये पानी का टांका बनाने को अनिवार्य कर यह साबित कर दिया है कि पानी की एक-एक बूंद को बचाकर ही राज्य को पानी की कमी से बचाया जा सकता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने पूर्व मुख्य मंत्री काल में नारा दिया था कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, आज उक्त नारे की सार्थकता जनता महसूस कर रही है। इसी प्रकार पानी का टांका बनाने की अनिवार्यता के सार्थक परिणाम भी भविष्य में महसूस किये जायेंगे और आने वाली पीढ़ी भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का शुक्रगुजार रहेगी।

सभापतिजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना चाहते हैं। इसके लिये सबसे ज्यादा पिछड़े हुए 50 खण्डों को चुना है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वास्थ्य मानकों में सुधार करने के लिये अतिरिक्त स्टाफ, 108 एम्बुलेंस तथा मेडिकल मोबाइल वैन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का कदम उठाया गया है। ये स्टाफ विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इसी दिशा में सरकार आगामी वर्ष में 50 नये पी.एच.सी.

(श्रीमती जाहिदा)

एवं 35 पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में अपग्रेड कर रही है जिससे इन क्षेत्रों में अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2 अक्टूबर, 2011 से राजकीय अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली सभी आवश्यक दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जो अत्यन्त सराहनीय कदम है जिससे आम आदमी अपना इलाज पैसा नहीं होने के बावजूद भी करा सकेगा। ऐसे मरीज एवं उसके परिवारजन माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस सुविधा को उपलब्ध करवाने के लिये दुआ देंगे।

सभापतिजी, सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिये मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना लागू की गई है। माननीय मुख्य मंत्रीजी प्रत्येक व्यक्ति को कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने के लिये प्रयासरत हैं। गेहूं, दाल, चावल तथा घर की जरूरतों की चीजों के साथ-साथ मनोरंजन के साधनों को करमुक्त कर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक कारगर कदम उठाया है। ऐसा कदम एक किसान नेता तथा आम व्यक्ति की जरूरत को समझने वाला लोकनायक मुख्य मंत्री ही उठा सकता है। इससे पूर्व राज्य में 40 लाख बी पी एल परिवारों को प्रति माह 25 किलोग्राम गेहूं दो रुपये किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिये मैं राज्य के आम व्यक्ति की ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं।

सभापतिजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को लागू करते हुए घोषणा पत्र में किये गये वायदों को राज्य की जनता के कल्याण के लिये लागू करने के लिये ठोस कदम उठाये हैं। माइनोरिटी समाज के विकास के लिये जो वादा कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किया, उसे अमलीजामा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहनाया है। मैं इसके लिये माइनोरिटी समाज की ओर से तहेदिल से शुक्रिया अदा करती हूं।

सभापतिजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राज्य की जनता की मूल आवश्यकता को देखते हुए बजट में प्रत्येक छोटी-बड़ी बात को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया है। यह बजट आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने वाला बजट है। लोकनायक मुख्य मंत्रीजी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। युवाओं को रोजगार, चिकित्सा एवं उच्च शिक्षा में सुधार की बात हो या फिर सड़क यातायात की बात हो, प्रत्येक जरूरत की गम्भीरता को महसूस करके बजट तैयार किया गया है।

(श्रीमती जाहिदा)

मैं अपनी कुछ क्षेत्रीय आवश्यकताओं को और बजट में जोड़ने का अनुरोध माननीय मुख्य मंत्रीजी से करना चाहती हूं। कामां विधान सभा क्षेत्र में पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी एवं गुडगावां कैनाल सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं लेकिन इनका रख-रखाव नहीं होने के कारण पानी की छीजत होती है। मैं इनकी मरम्मत एवं रख-रखाव के लिये 10 करोड़ की राशि का प्रावधान रखने का अनुरोध करती हूं जिससे 38 गांव की जनता को वहां की कृषि भूमि को जल उपलब्ध कराने में उक्त कार्य से सुविधा मिलेगी तथा वहां के लोग लाभान्वित होंगे।

पहाड़ी की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिये पहाड़ी पी एच सी को सी एच सी में अपग्रेड करने का अनुरोध करती हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है। मैं पहाड़ी क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये पी पी पी योजना में महाविद्यालय खोले जाने का अनुरोध करती हूं।

मैं पूरे सदन की ओर से आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से एम एल ए लैड को एक करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ करने की गुजारिश करती हूं।

अन्त में, एक बार दोबारा मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को राज्य को बेहतर बजट देने के लिये अपनी ओर से, सदन की ओर से एवं राज्य की जनता की ओर से शुक्रिया अदाकर बधाई देती हूं। आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अभिषेक मटोरिया।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय सभापति महोदय, बजट 2011-12 के बाद कांग्रेस सरकार यह दावा करती है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जी डी पी ग्रोथ में इजाफा होगा, राज्य की अर्थ-व्यवस्था सुधरेगी। यह बात सही है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 340,42 रुपये से बढ़कर 38,968 रुपये हो गयी अर्थात् 17.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु इसके विपरीत अगर कुछ और भी बढ़ा है तो राजस्थान में बेरोजगारी है और वित्तीय घाटा। आज जनवरी से लेकर 31 दिसम्बर, 2010 तक 2 लाख 752 बेरोजगारों ने रोजगार विभाग में रोजगार के लिये पंजीयन करवाया अर्थात् पिछली बार के मुकाबले 17.5 प्रतिशत ज्यादा। मौजूदा वित्तीय वर्ष के अन्त तक राज्य में कर का भार 1,07,119 करोड़ रुपये बढ़ा है अर्थात् 99,056 करोड़ के मुकाबले 8,063 करोड़

(श्री अभिषेक मटोरिया)

रुपये अधिक। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति के अनुपात में जो कर्जा बढ़ा है, वह भी साढ़े 17 प्रतिशत के अनुपात में बढ़ा है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के हर नागरिक को सरकार द्वारा कर के रूप में जो राहत दी गयी है, वह 36 रुपये 40 पैसे की दी गयी है, उसके विपरीत आम नागरिक की जेबों से पैसा निकाला गया है, वह 71 रुपये और 42 पैसे है। अर्थात् एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले। 255 करोड़ की राहत देकर 506 करोड़ का कर आम नागरिक से वसूला गया है। इस बजट के बाद आम आदमी का, शहरी का, ग्रामीण का घर बनाने का स्वप्न निश्चित रूप से धूमिल हो जायेगा क्योंकि सभी प्रकार की भूमि पर सरकार द्वारा डी एल सी पर 15 प्रतिशत की वृद्धि के बाद निश्चित रूप से घर बनाना कठिन कार्य होगा।

सभापति महोदय, इस सरकार ने पिछले बजट के मुकाबले 16 नयी संस्थाएं, 4 नये कानून व दो नई नीतियां बनायी हैं जैसे कि धार्मिक सड़क योजना, नवजीवन योजना, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्द्धा योजना, पेइंग गेस्ट आवास योजना और ऐसी बहुत सारी योजनाएं, इसके मुकाबले बजट 2010-11 में सरकार ने नीतियां, आयोगों का जो गठन किया था, उनमें से मात्र 17 से लेकर 20 परसेंट नीतियां ही लागू हो पायी हैं। कहां गयी राजस्थान की जल नीति? कहां गयी राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति? कहां गयी राजस्थान की नि:शक्तजन नीति, जन अभाव अभियोजन निराकरण आयोग? आज तक इसके गठन के बाद मामलों का निपटारा बढ़ा है, घटा नहीं। कहां गया राजस्थान का किसान आयोग? क्या हुआ राज्य शहरीकरण आयोग का? ये सरकार की पिछले बजट की घोषणाएं हैं। ये आयोग और नीतियां पूर्व वर्ष में घोषित की गयी थीं, आज दिनांक तक इन पर कोई खास अमल नहीं हुआ।

सभापति महोदय, किसी भी बजट निर्माण में एस एफ सी (स्टेट फाइनेंस कमीशन) का महत्वपूर्ण रोल होता है। आज दिनांक तक 2005 से लेकर 2010 के एस एफ सी के कार्यकाल की समाप्ति के बाद इस वर्तमान सरकार ने एस एफ सी का गठन नहीं किया। यह बहुत बड़ी बात है। एस एफ सी निश्चित रूप से सरकार के बजट निर्माण में राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती, सरकार को इसके लिए मदद देती परन्तु एस एफ सी का गठन नहीं होना बहुत बड़ी और गलत बात है।

बजट 2010-11 में राज्य की वार्षिक योजना का 42 परसेंट हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र पर खर्च किया जाएगा अर्थात् 12,067 करोड़ रुपये। पिछले साल यह राशि

(श्री अभिषेक मटोरिया)

कितनी थी, कुल बजट की 52 प्रतिशत, यानी आधी से भी ज्यादा। राशि थी 12,434 करोड़ रुपये। दोनों सालों के ऊर्जा बजट को अगर जोड़ दिया जाए तो राशि बनती है 24,501 करोड़ रुपये। किसी भी क्षेत्र के सुधार और उसके विकास के लिए चौबीस हजार करोड़ रुपये की राशि बहुत बड़ी होती है परन्तु आज धरातल में यदि सबसे ज्यादा विभाग कोई जूझ रहा है तो वह या तो पुलिस विभाग है या दूसरे नम्बर पर ऊर्जा विभाग है। धरातल पर आज भी बहुत सारे बी पी एल परिवारों के कनेक्शन अधूरे पड़े हैं। कहीं खम्भे लग गये, कहीं मीटर उपलब्ध नहीं हैं, कहीं सर्विस वायर की समस्या है। उसके बाद ट्रांसफार्मर जलने की और नकली ट्रांसफार्मर बनने की एक बहुत बड़ी समस्या है। यह समस्या हमारे बीच में एक माननीय सदस्य ने उठायी। गांव में, ग्राम पंचायतों में और छोटी ढाणियों में कम वोल्टेज की समस्या बहुत आम है। आज भी इस विभाग में साढ़े तेरह हजार पद रिक्त पड़े हैं। और तो और, गांव के अन्तिम ट्रांसफार्मर से पांच सौ मीटर दूर की ढाणी को कनेक्शन देने की जो अव्यवहारिकता है, उसको इस सरकार ने अभी तक समाप्त नहीं किया। वह भी एक बहुत बड़ी बात है। आप चौबीस हजार करोड़ का बजट ऊर्जा क्षेत्र में लगाना चाहते हो और धरातल पर जो समस्याएं हैं, वे आज दिनांक तक समाप्त नहीं हुईं। 2008 के बाद जब मैं विधायक बना था, पूरे बीकानेर सम्भाग में यह उदाहरण था। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर ऐसे हैं जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ। एक साल की लड़ाई के बाद ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर लाइट आयी और सत्ताइस अन्य गांवों का विद्युतीकरण करवाया गया, वह भी पूर्व सरकार की 29 करोड़ की जिला योजना के माध्यम से। आप 24,501 करोड़ रुपये दे रहे हो और अभी तक बी पी एल परिवार के लोग विद्युत कनेक्शन से वंचित हैं। गांवों में विद्युत सप्लाई पूरी नहीं है, उनकी कम वोल्टेज की समस्या आम है, पांच सौ मीटर का दायरा भी आपने समाप्त नहीं किया है।

आपने पिछले बजट में 1,52,781 कृषि कनेक्शन देने की बात कही थी, मिले कितने, मात्र 48 प्रतिशत। 31 दिसम्बर, 2010 तक 95 हजार कनेक्शन और आ गये। जनवरी, फरवरी और मार्च में 56 हजार कृषि कनेक्शन के लिए किसानों ने और आवेदन कर दिया। अर्थात् आपने एक बावन दिये थे, अब एक लाख इकसठ हजार से ऊपर कृषि कनेक्शन बकाया हैं। अगर आप इनका अनुपात निकालो तो मात्र 42 प्रतिशत लोगों को आप कनेक्शन दे पाये हो। उनको देने में आपने कैसे कैसे राशि वसूल की है, कितना-कितना चार्ज लगाया

(श्री अभिषेक मटोरिया)

है, दो हजार रुपये प्रति मीटर के हिसाब से आपने उनसे राशि ली है। वह भी आप उसमें शामिल कर लो।

सभापति महोदय, बजट वर्ष 2010-11 में पैरा संख्या 25 में इन्दिरा गांधी नहर फीडर की मरम्मत के लिए सरकार ने 952 करोड़ रुपया स्वीकृत करने की बात कही थी और राजस्थान में आई जी एन पी फीडर का जो हिस्सा है, उसके लिए 478 करोड़ रुपये की योजना ए आई बी पी के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजने की बात कही थी, अच्छी बात थी, अब क्या हुआ? बजट 2011-12 में वही पैरा संख्या 25, वही 952 करोड़ रुपये, आई जी एन पी की मरम्मत और वही राजस्थान में आई जी एन पी के हिस्से के लिए 401 करोड़ रुपये। यानी 70 करोड़ की राशि जरूर घटी है, पैरा संख्या वही है, राशि वही है। और तो और, इसमें माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा में कहा, इन घोषणाओं को आगामी वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा। मतलब 2010-11 में घोषणा की थी, 2011-12 में आपने उनको लागू करने की बात की है और इन घोषणाओं को पूरा किया जाएगा 2012-13 में। तीन साल निकलने के बाद जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो आगामी बजट में मुख्य मंत्री महोदय क्या घोषणा करेंगे, वह भी स्पष्ट कर दें तो बेहतर होगा।

आपने पिछले बजट में नोहर भादरा के जितने भी वंचित गांवों को सिंचाई सुविधा से जोड़ने के लिए साहवा लिफ्ट परियोजना से जोड़ने की बात कही थी, आज दिनांक तक सर्वे तो दूर, कोई भी टीम गठित नहीं हुई, किसी प्रकार के अधिकारी गांवों में नहीं गये और वे सारे के सारे गांव जितने वंचित हैं, उनमें आज तक सर्वे नहीं हुआ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल मिलाकर छह परियोजनाओं के 263 किलोमीटर की 750 करोड़ की योजनाओं को आपने शुरू करने की बात कही थी, पल्लू से अर्जुनसर तक मेगा हाइवे, वे आज दिनांक तक शुरू नहीं हुईं।

आपने 537 नये उप-केन्द्र खोलने की बात कही थी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि काफी हद तक आपने, पांच सौ के ऊपर उप-केन्द्र खोले परन्तु आधारभूत सुविधाओं के मद्देनजर आज भी वहां पर कमरा, दवाइयां, प्रसव कराने की मेज, मेडिकल किट, नर्सिंग स्टाफ, इन सबकी भयंकर कमी पर मुख्य मंत्रीजी ने बात नहीं कही।

वर्ष 2009-10 में सूचना के अधिकार को सुदृढ़ और मजबूत करने के

(श्री अभिषेक मटोरिया)

लिए आपने राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय खोलने की बात कही थी। इस विभाग को फुटबाल बना दिया। पहले तो ओ टी एस में चलता था, आज वित्त विभाग में चलता है और राजस्थान में आज दिनांक तक मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है। पांच आयुक्तों की नियुक्ति की बात कही थी, मात्र एक हुआ। 90 दिन में जो कार्यवाही होनी चाहिए, वह छह महीने में होती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करो अब आप। डिमांड पर बोल लेना।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): आपने प्रजापत साहब को बीस मिनट बोलने दिया, मेरे लिए आठ मिनट में ही घंटी बजा दी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरे पास समय नोट है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): आप उनका बता दो, कितना था, मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति: मेरे पास सब है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): नहीं, आप उनका बता दो, कितना है।

श्री सभापति: मेरे पास सारा रिकार्ड है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): मेरे पास भी रिकार्ड है, यह रहा। आपने उनको सात बजकर छियालीस मिनट पर शुरू करवाया था और आठ बजकर छह मिनट तक वे बोले थे। बीस मिनट तक वे बोले हैं और मैं आठ मिनट में ही बन्द कर दूं। (व्यवधान)

पिछले बजट में राज्य सरकार ने एक ऐसी घोषणा की थी जो केन्द्र सरकार ने चार महीने पहले लागू की थी। मिड-डे मील के हेल्पर-कम-कुक को ...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): समय की कमी नहीं आने देंगे।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय नौ बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय नौ बजे तक के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय नौ बजे तक बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): पिछले बजट में राज्य सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए एक ऐसी घोषणा की थी, मिड-डे मील में काम करने वाले और भोजन बनाने वाले हेल्पर–कम-कुक को एक हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से देने थे। राज्य सरकार ने यह घोषणा नये बजट में की जबकि केन्द्र सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट विद इमिजियेट इफेक्ट, 1.12.2009 को लागू करने के लिए कहा था। चार महीने इसको लटकाये रखा, अब वह की वह वापस कर दी।

इसी प्रकार बजट 2011-12 में राज्य के संरक्षणविहीन उपेक्षित बच्चे जो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हैं, उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए और संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार की समेकित बाल संरक्षण योजना की क्रियान्विति की घोषणा की है। सभापति महोदय, यह योजना राजस्थान में जनवरी, 2010 से लागू करने की बात केन्द्र सरकार कह चुकी है, 23 मार्च, 2010 को दो करोड़ पच्चीस लाख रुपये आ चुके हैं, वह घोषणा एक साल बाद हो रही है।

बजट 2011-12 में आपने गोगामेड़ी में एक थाना खोलने की बात कही है। मैं इस प्रयास को सराहनीय मानता हूं। नोहर थाने में 653 और भादरा पुलिस थाने में 663 मुकदमे पिछले साल दर्ज हुए। वह राज्य की औसत से काफी अधिक है। संख्या और आबादी की दृष्टि से इसमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा परन्तु मेले के लिए आपने पचास लाख की जो व्यवस्था की है, वह नाकाफी है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए।

राज्य के बजट में सिंचाई जल प्रबन्धन हेतु आपने एक हाइड्रोलाजी एवं वाटर मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट खोलने की बात की। गंगानगर और हनुमानगढ़ से 9 विधायक कांग्रेस की रीति-नीति के जीत कर आये हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़ में दो वर्ष पूर्व जो व्यास कमेटी गठित हुई थी उसने भी गंगानगर में और हनुमानगढ़ के लिए कहा था और सारे के सारे जो मास्टर प्लान और

(श्री अभिषेक मटोरिया)

अनुशंसा की गयी थी, वे इन दोनों जिलों में एक स्थान पर खोलने की बात की गयी थी क्योंकि ये दोनों जिले ऐसे हैं जहां तीनों प्रणालियों से सिंचाई होती है अर्थात् गंग, भाखड़ा और आई.पी.एन.पी. । इसके बावजूद एक व्यक्ति ने इस बात पर चर्चा नहीं की, आब्जेक्शन नहीं उठाया, यह संस्था जो हनुमानगढ़ में या गंगानगर में खुलनी थी, यह संस्था अब बीकानेर में खुलेगी। बीकानेर में खुलने में कहीं आपत्ति नहीं है परन्तु हनुमानगढ़ और गंगानगर का हक मारा जाय, इसमें निश्चित रूप से हमें आपत्ति है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा विभाग में 50 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षक लेने की बात की, 24,406 स्कूल व्याख्याता, 300 संस्कृत शिक्षक, अंतिम बिन्दु है, मैं समाप्त कर रहा हूं, सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: अब बस, जल्दी करो।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): 500 उर्दू शिक्षक और 200 कालेज प्रयोगशाला सहायक यानी 75,406 नौकरियां शिक्षा विभाग में ; पुलिस में 12,000 पुलिसकर्मी, 500 प्रहरी यानी 12,500 ; जिला परिषद में 309 एल.डी.सी., 182 प्रसार अधिकारी, 333 विधि सहायक, 209 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और 121 कनिष्ठ अभियंता, यानी 856 ; चिकित्सा और स्वास्थ्य में आपने कहा है, अभी 355 जूनियर स्पेशलिस्ट, 114 महिला स्वास्थ्यकर्ता, 290 आयुर्वेदिक डाक्टर, 40 यूनानी डाक्टर, 40 होम्योपेथी डाक्टर, 292 आयुर्वेदिक नर्स-कम्पाउंडर, 25 ग्रामीण आयुर्वेदिक डाक्टर, 975 एन.आर.एच.एम., 1,348 नर्सिंग स्टॉफ यानी 3783 ; बिजली वितरण एवं विभिन्न मदों में आपने 8,500 नौकरियों की बात की ; कुल -मिलाकर 1,91,043 नौकरियों की बात की। दो साल में आपने मात्र 93 नौकरियां लगायीं, नहीं तो अब आने वाले तीन साल में दो लाख नौकरियां कैसे लगा दोगे ? यह आपकी बजट घोषणा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करो। ...(व्यवधान)...

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): सभापति महोदय, 2009-10 में पेयजल व सफाई पर 2,750 करोड़ रुपये खर्च करने की सरकार ने बात की, खर्च किये 1876 करोड़, यानी 875 करोड़ आपके शेष रह गये। अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 546 करोड़ रुपये खर्च करने की बात की थी, खर्च किये 517 करोड़, यानी 29 करोड़ आपके फिर शेष रह गये। छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को भरण-

(श्री अभिषेक मटोरिया)

पोषण के लिए आपने 662 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया था, खर्च किये 572 करोड़ क्योंकि ये आपको निश्चित रूप से वोट नहीं देते, वोट लायक इनकी आयु नहीं बनी, यानी 90 करोड़ रुपये आपने इसमें भी खर्च नहीं किये। सभापति महोदय, फसलों के सुधार व विकास पर 729 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा था, आपने खर्च किये मात्र 653 करोड़ रुपये, यहां भी आपने 76 करोड़ रुपये कम खर्च कर के किसानों के साथ अन्याय किया। और तो और, कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित योजनाओं पर आपने 1,912 करोड़ रुपये खर्च करने की बात की थी और प्रावधान किया था, खर्च किया मात्र 675 करोड़ रुपये, फिर से आपने किसानों के हितों पर कुठाराघात करते हुए 236 करोड़ रुपये यहां पर भी कम खर्च किये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने ग्रामीण स्वास्थ्य एवं ग्रामीण एवं पंचायती राज के तहत ग्रामीण विकास पर 2,583 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया था और आपने खर्च किये 2,370 करोड़, फिर 213 करोड़ यहां पर आपने कम खर्च किये।

तो इस प्रकार अपने बजट घोषणाओं को धरातल पर अमल नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से यह हमारे साथ अन्याय होगा।

श्री सभापति: श्री टीकाराम जूली। माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): अपनी बात समाप्त करने से पहले, सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसका धन्यवाद देने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में हनुमानगढ़ में राइस बेल्ट घोषणा करने की बात हो चाहे पीलीबंगा क्षेत्र में सेम की बात हो, आपने बात की गरीबों को दस लाख आवास देने की, आवासों के मामले में कांग्रेस की क्या रीति-नीति है, यह हमने देखा है। विधवाओं और जो हमारे फौजी भाइयों की विधवाओं को वहां पर फ्लैट मिलने थे, आदर्श हाउसिंग सोसायटी में क्या हुआ, कहीं वह राजस्थान में रिपीट नहीं हो जाए।

श्री सभापति: विराजो, विराजो। श्री टीकाराम जूली।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): दस लाख मकान आप तीन साल में देंगे, गरीबों को मिलेंगे, किन अमीरों को मिलेंगे ?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब अंकित नहीं होगा। आपका अंकित नहीं होगा, विराजो आप।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य, विराजो। आप अब डिमांड पर बोल लेना, विराज जाओ आप।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर):×××

श्री सभापति: श्री टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री, परम आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यह बजट आम आदमी, किसान, अल्पसंख्यक, यहां तक कि आदिवासी और सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया है और मैं कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा इस बजट में हमें, आम आदमी को जो फायदा हुआ, वह प्रशासन-गांवों-के-संग का हुआ। पिछली बार जिस प्रकार से गांव-गांव में, ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर प्रशासन-गांवों-के संग अभियान के कैम्प लगे और पूरा प्रशासन गांव के लोगों के बीच में गया और वहां पर लोगों की जो समस्याएं थीं, चाहे वह बच्चों के प्रमाण-पत्र बनाने की बात हो, चाहे वह नि:शक्तजन के प्रमाण-पत्र बनाने की बात हो या नि:शुल्क पट्टे जो बी.पी.एल. परिवार हैं, उनको देने की बात हो, सबके लिए गांव के पंचायत हैडक्वार्टर पर सरकार की तरफ से यह कैम्प लगाया गया था और मुझे खुशी है कि उसमें पूर्व में जो कैम्प लगे, उनकी भांति ना होकर लाखों लोगों को इन कैम्पों में फायदा हुआ है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सड़कों के बारे में सोचा गया है, 250 की आबादी तक की जो ढाणियां रह गयी थीं, उनके लिए 4,000 करोड़ से अधिक कार्य केन्द्र सरकार से स्वीकृत कराये गये हैं जिनमें खास तौर से जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जहां से हमारी आस्था जुड़ी रहती है, वहां श्रद्धालु जाते थे, उनको कच्चे में जाना पड़ता था, उनको पक्का करने के लिए 1,100 किलोमीटर सड़कों को बनाया जायेगा, जिसमें 610 धार्मिक स्थल जुड़ेंगे और 280 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसके साथ के साथ मिसिंग लिंक्स के लिए भी 16 किलोमीटर की जो सड़कें प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए और तीस से चालीस किलोमीटर का नवीनीकरण जो प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दिया गया, निश्चित रूप से सड़कों की दशा सुधरेगी। मैं कहना चाहूंगा कि पिछले राज में जिस प्रकार की सड़कें बनीं, उनकी स्थिति आज देखने काबिल है, जिनकी गारंटी पांच साल की थी वे सड़कें पांच महीने नहीं चलीं और

(श्री टीकाराम जूली)

पिछली सरकार के बड़े अधिकारी तक उन सड़कों की जांच करने गये लेकिन वे सड़कें आज भी जस की तस हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय अशोक जी गहलोत ने खास तौर से सड़कों के प्रति जो एक मापदण्ड अपनाया है, निश्चित तौर पर आम आदमी को इससे लाभ होगा।

आदरणीय अशोक जी गहलोत ने किसानों से वादा किया था कि पांच साल में विद्युत की दरें नहीं बढ़ेंगी, आज लगातार तीसरा बजट है लेकिन किसानों के लिए किसी प्रकार की कोई विद्युत की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गयी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसके साथ के साथ पिछले दो वर्षों में 1,50,781 कनेक्शन जारी किये हैं और इस वर्ष में भी 65 हजार विद्युत कनेक्शन और 500 सौर ऊर्जा आधारित पम्पसेट प्रदान करने की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है और साथ की साथ विद्युत दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी 25 हजार से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है।

पेयजल के लिए मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि एस.सी., एस.टी. और अल्पसंख्यक तबका जहां पर रहता है वहां पर खास तौर से पानी की कमी देखी गयी है और इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया है कि उन लोगों को भी पानी नसीब हो पायेगा।

चिकित्सा सेवाओं में बढ़ोतरी करने के लिए 50 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलना और 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित करना है। साथ की साथ 660 शय्याओं को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और चिकित्सालयों में बढ़ाया जायेगा। मेडिकल स्टाफ बढ़ाने के लिए और बिल्डिंग बनाने के लिए भी इस बजट में करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया है। 104 चिकित्सा परामर्श सेवा, जिसके माध्यम से राजस्थान में कहीं भी बैठा हुआ आम आदमी भी उस पर फोन कर के और नि:शुल्क परामर्श ले सकता है, मैं मानता हूं कि जो लोग हास्पिटल तक नहीं पहुंच पाते और डाक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वे आज एक फोन घुमाकर ही अपनी चिकित्सा के बारे में जान सकेंगे।

मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि आदरणीय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो गरीब के लिए नजरिया अपनाया है, आगामी तीन वर्षों में दस लाख बी.पी.एल. परिवारों को इन्दिरा आवास देने का जो लक्ष्य रखा है, निश्चित तौर

(श्री टीकाराम जूली)

पर इसमें आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, जो आशियाने की तलाश में हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, उनको छत मिल पायेगी।

मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यालय हैं, उनके लिए भी दुर्घटना बीमा जो पहले 20 हजार और 50 हजार था, उसको आज बढ़ाकर पहली क्लास से लेकर बारहवीं तक समान रूप से एक लाख रुपये कर दिया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि एजुकेशन में पिछली बार सरकार ने घोषणाएं तो कर दीं, स्कूल तो क्रमोन्नत कर दिये लेकिन उनमें स्टाफ तक नहीं लगा पाये थे, सीटें भी स्वीकृत नहीं कर पाये थे, वे लगेंगे। अब तो उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पचास हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है और साथ ही साथ तीन सौ संस्कृत शिक्षकों की और पांच सौ उर्दू शिक्षकों की भी घोषणा की है। मैं कहना चाहूंगा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के स्टाफ के लिए 25,406 नये पद सृजित करने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं कहना चाहूंगा आर ओ बी के लिए, अलवर में जिस प्रकार की परिवहन की और ट्रैफिक की व्यवस्था में जो दिक्कत आ रही थी, उसको सुधारने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अलवर यार्ड में 26 करोड़ की लागत से अलवर-मथुरा बाइपास पर 41 करोड़ की लागत से और कला महाविद्यालय के पास 18 करोड़ रुपये की लागत से जो आर ओ बी के निर्माण कराने की घोषणा की है, इस बजट में जो प्रावधान किया है, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिससे कि अलवर के चारों तरफ की ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, वह सुचारु रूप से चल पाएगी।

मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को, पेंशन की जहां बात आती है, विकलांग जो हैं, विधवा हैं, वृद्ध जो लोग हैं, उनके लिए किसी प्रकार का उनका मापदण्ड तय नहीं किया जाए, उन सबको समान रूप से पेंशन दी जाए जिससे कि उनको फायदा मिल सके। मैं कहना चाहूंगा कि विकलांग के कोई न कोई आश्रित तो होता ही है, चाहे उसका बच्चा हो, चाहे माता-पिता हो, चाहे भाई-बहन हो। मैं समझता हूं, बहुत सारे विकलांग आज पेंशन पाने से वंचित हैं। इसी प्रकार से जो वृद्ध हैं, उनके लिए आज इस प्रकार का माहौल है, बच्चे उनको खाना नहीं देते हैं और राशन कार्ड उनके साथ है जिनकी वजह से उनको पेंशन नहीं मिल पाती है। मैं कहना चाहता हूं कि ये मापदण्ड हटाकर सभी लोगों को पेंशन दी जाए।

(श्री टीकाराम जूली)

खास तौर से जिस प्रकार मंहगाई बढ़ी है, विधायक निधि का भी कोटा जो एक करोड़ रुपये का है, उसको बढ़ाकर तीन करोड़ किया जाए जिससे कि एक विधायक जो गांवों में जाता है और आम आदमी के लिए जो पैसे की घोषणा करता है, जहां पैसा लगना चाहिए, वह मैं मानता हूं कि आज इतनी आबादी पर एक करोड़ रुपये, जहां कोई भी काम तीन-चार लाख रुपये की लागत से नहीं हो सकता और एक-एक विधान सभा क्षेत्र में कहीं 300 गांव हैं, कहीं 500 गांव हैं तो वह बंटवारा ही सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसका फायदा आम जन तक नहीं पहुंच पा रहा है।

मैं कहना चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र खास तौर से मेव बाहुल्य क्षेत्र है जिसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चार करोड़ से बढ़ाकर जो मेवात विकास योजना का पैसा था, उसको सात करोड़ रुपये किया था और आज वह पन्द्रह करोड़ रुपये किया है, मैं उसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

मेरे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या पी एच सी जो बहादरपुर कस्बे में है, उसको मैं सी एच सी के लिए कहना चाहूंगा और साथ ही साथ मालाखेड़ा में जो सी एच सी है, उसमें बेड की संख्या बढ़े ; मालाखेड़ा उप-तहसील को तहसील का दर्जा मिले जिससे कि वहां जो किसान हैं, उनको वहीं की वहीं लाभ मिले, उसको शहर नहीं जाना पड़े, परेशान नहीं होना पड़े, उसके सभी प्रकार से साधनों में खर्च नहीं हो। यही मैं कहना चाहूंगा।

पुन: मैं माननीय सभापति जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल खराड़ी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): सभापति महोदय, मैं बजट 2011-12 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। काफी सदस्यों ने इस बजट के पक्ष में और विरोध में कुछ बातें कही हैं, मैं भी आपके समक्ष इस बजट के विरोध में कुछ बातें कहना चाहूंगा। यह तीसरा बजट है और माननीय उदयपुर से आने वाले सदस्य ने पहले कहा था कि यह वास्तव में जितनी भी घोषणाएं हुई, वे सारी की सारी अधिकतर घोषणाएं रिपीट हो रही हैं। घोषणाओं पर अब कितना अमल होगा, वह तो अन्त में जब वापस मार्च में बजट पेश करेंगे तब पता चलेगा।

माननीय सभापति जी, यह आर्थिक समीक्षा है, मैं एक विभाग का जिक्र ज्यादा करूंगा जिसको हम अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग कहते हैं उसका

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

मोटा-मोटा आंकड़ा क्योंकि आंकड़ों के जाल में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि विभाग क्या करता है और कितना उन योजनाओं का जनता तक लाभ पहुंचता है, इस बात का मैं जिक्र करूंगा यहां पर। अनुसूचित जाति, जनजाति उत्थान के लिए एक विभाग गठित किया है आपने अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास निगम। अब इसका आपने देखा होगा, 'विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना की प्रगति', अब प्रगति में क्या है, सभी का नाम मैं लूंगा तो समय बहुत कम है लेकिन मैं कुछ बातों का जिक्र करूंगा यहाँ पर। आपके लक्ष्य हैं और उनकी अनुपालना में जो लक्ष्य प्राप्त किये हैं, मैं वह थोड़े से आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। व्यक्तिगत पम्पसेट लक्ष्य आपने रखा है पचास का और कितना पूरा किया है मात्र छह। आप ताज्जुब करेंगे, क्या कल्पना करेंगे कि गांव का और गरीब का विकास हो जाएगा ?

आगे चलकर के कूप ब्लास्टिंग के ढेर सारे फार्म लोगों के उन पंचायत समिति के दफ्तरों में सड़ रहे हैं, दीमक लग रही है और विभाग को पता नहीं है कि कितने फार्म हमारे पास में आए, कितने स्वीकृत हुए और कितना लक्ष्य है। यहां पर आपका सौ का लक्ष्य रखा है और आपने प्राप्त कितना किया है साठ। ताज्जुब करेंगे, आगे चलकर आपने कुओं को विद्युतीकृत किया है, राज्यपाल के अभिभाषण में तो कम था लेकिन यहां थोड़ी सी प्रगति नजर आ रही है, यहां पर आपने लक्ष्य रखा है 2,500 का और लक्ष्य प्राप्त किया है आपने 595! क्या दर्शाता है यह ?

आगे जाकर के आपने एनिकट निर्माण, एनिकट की तो बात ही क्या कहना, हमारे यहां का पानी जितना ऊपर से बरसता है वह सारा का सारा गुजरात चला जाता है और कंडिशन लगाई है सरकार ने कि जहां कमांड एरिया है, वहां पर एनीकट नहीं बनाया जाएगा। हमारे तो कोई कमांड एरिया नहीं है, सारा का सारा पानी बहकर के गुजरात चला जाता है। वहां पर भी वही गाइड लाइन चलती है, क्या भला होगा ? आपने यहां पर 75 का लक्ष्य रखा है और एक भी एनीकट नहीं बनाया।

आगे आप चलेंगे, केवल टी एस पी एरिया, जनजाति उपयोजना क्षेत्र, इसमें आप देखेंगे, डीजल पम्प सेट कितने दिये हैं, 267 । आज प्रतापगढ़ से लगाकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, आंशिक क्षेत्र चित्तौड़ और सिरोही, इतना बड़ा एरिया है और उसमें आपने 267 लोगों को उस योग्य माना जिनको हमको

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

पम्पसेट देना है। हो गया भला जनजाति का! आगे आप देखें, एनिकट निर्माण केवल मात्र 38 । हो गया कल्याण आदिवासी का। आगे और चलेंगे, यहां पर आपने जनजाति के लिए बजट कितना अलाट किया है, 2010-11 में, 269.74 करोड़ विभिन्न मदों में आबंटित किया है, अब खर्च आपने कितना किया है 2010 तक मात्र 97.70 करोड़ उपयोग किया है। अब आपके यहां पर आकर के देखेंगे तो आपका जो बजट लैप्स हो रहा है, वह 171.94 करोड़ रुपये। अब किसका भला चाहते हैं ? किसका भला करने की बात कर रहे हैं ?

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो विभाग ने अधिकारियों ने विभाग के मंत्री के ध्यान में बातें लाईं नहीं और अगर लाईं तो मंत्री ने इन पर रुचि नहीं दिखाई ।

आगे हैंडपम्पों की तो भरमार है, हम जहां भी जाते हैं, लोग एप्लीकेशन देते हैं कि हैंडपम्प खोदना है, हैंडपम्प खोदना है। हम पानी पिलाने की बात करते हैं लेकिन आपने हैंडपम्प कितने खोदे हैं, मात्र 88 । एक साल में 88 । अब किस बात की हम तालियां पीटें? किस बात का इस बजट के अन्दर हम गुणगान करें?

आगे चलकर के हमने कुओं को विद्युतीकृत किया है, काश्तकार अपने कुए पर बिजली चाहता है, डीजल इतना मंहगा है उससे अपने पम्पसेट चला नहीं सकता है, लेकिन आपने 1,772 काश्तकारों को बिजली दी है। आगे चलकर आपने बस्तियों को विद्युतीकृत किया है मात्र बीस। मेरा यहां पर एक सुझाव है, सभापति महोदय, आपके मार्फत से सरकार को। राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन में तो आप चयनित परिवारों को जोड़ रहे हैं और गांव व गरीब आदमी भी चाहते हैं मेरे घर पर लट्टू जले, जब यह विभाग जनजाति के लिये काम करता है तो क्यों नहीं जितने भी ए पी एल परिवार हैं, उनको जनजाति विभाग से पैसा देकर लाइट दी जाए ? यह मेरा सुझाव है।

सम्पर्क सड़कें मात्र 18 ! अब यह जनजाति का विकास! आगे चलकर मैं चाहूंगा, अभी भी मुख्य मंत्रीजी ने...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट लूंगा। अभी भी मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि सारे लोगों को जो दवाइयां उपलब्ध होंगी, नि:शुल्क देंगे। अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। पिछली बार मुख्य मंत्रीजी ने ही कहा था कि जितनी भी गर्भवती माताएं हैं

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

जापे वाली, जिनका जापा हास्पिटल में हो रहा है, उनको हम गर्म भोजन देंगे। भोजन दे दिया ना? भोजन दे दिया होगा? (व्यवधान) नहीं मिल रहा है। मैं यहां जो भी बात कह रहा हूं जिम्मेदारी से; आप जांच करा के दिखा लेना। इसके बाद अब इसका क्या होगा ?

पिछली बार मुख्य मंत्रीजी ने यह भी कहा था कि जहां पर 108 एम्बुलेंस नहीं दी है, वहां पर सभी जगह हम 108 एम्बुलेंस देंगे। झाड़ोल और कोटड़ा को दे दी ? नहीं दी है। अभी फलासिया में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां की एम्बुलेंस सी एम एच ओ कार्यालय में साल भर से चला रहे हैं। वहां पर लोगों के लिये जो गाड़ी है, वह अधिकारी लेकर घूम रहे हैं। यह है..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: सम-अप करो, माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): आगे चलकर मैं कुछ और बातें कहना चाहूंगा..

श्री सभापति: अब धन्यवाद से बोल लेना।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): लेकिन बार-बार घण्टी बजी तो हमारा ध्यान थोड़ा इधर-उधर हो जाता है।

काफी बातें हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे के लिये कही हैं कि वे तो महलों में रहने वाली हैं, गाड़ी से नीचे उतरती नहीं हैं। आपने समस्या समाधान शिविर की काफी बातें कही हैं लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, पालनहार योजना की अगर किसी ने कल्पना की थी तो हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने की थी। क्योंकि गरीब का कोई आदमी मर जाता था तो उनके बाल-बच्चों को कोई पालने वाला नहीं होता था। पूर्व मुख्य मंत्री ने कहा, मैं राजस्थान की मुख्य मंत्री हूं, मेरे राज्य में अगर कोई बच्चा पिता न होने की वजह से भूख से पीड़ित होता है, उनको खाना खिलाने कोई नहीं आता तो राजकोष के खजाने से मैं व्यवस्था करूंगी। पालनहार योजना बनायी और पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने यह भी कहा कि मेरे राज्य में अगर कोई प्रसूता है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करो आप।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): और जापे में खुराक नहीं मिलने के कारण अगर वह कुपोषित होती है, अगर उसका बच्चा कुपोषित होता है तो यह जिम्मेदारी सरकार की बनती है। इसलिये उन्होंने जननी सुरक्षा योजना लागू की थी। यह योजना उनकी थी।

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी काफी आरोप लगे, इतने सारे आरोपों की तो मैं कहना नहीं चाहूंगा, बार-बार घण्टी लग रही है, इसलिये मैं इतना ही कहकर के...

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अलाउद्दीन आजाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): समय पूरा देंगे नहीं इसलिये कल रखो ना। इधर से बुलाओ साहब।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति जी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2011-12 का जो बजट पेश किया है उसके सम्बन्ध में सदन में पक्ष-विपक्ष की बड़ी सार्थक चर्चा चल रही है मगर हमारी यह आदत हो गयी है कि बहुत ही सही बात और सत्य बात को स्वीकार करने के लिये हम तैयार नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मैं कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहकर के जो समाचार पत्रों ने और दूसरे लोगों ने कुछ बात कही है, वे दो-चार लाइनें आपके सम्मुख पेश करना चाहता हूं जिससे आप यह महसूस कर सकें कि इस बजट के बारे में आम लोगों की क्या राय है। वैसे तो कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि उन्होंने अपने जीवन में इससे खराब बजट कोई नहीं देखा। मैं उनको यह कहता हूं कि जो भी कहा है, कई तो इस बजट को देखते हैं और कई उस पार्टी के बजट को देखते हैं, ऐसे देख-दिखा करके आ रहे हैं। इसलिये वह तो इतना खराब या अच्छा तो जो कुछ भी है सो है, वह निर्णय नहीं कर सकते, मगर मैं कह सकता हूं कि स्वतन्त्र भारत के सारे बजटों में कुछ कम रूप से और कुछ कैसे, हमारा बिलकुल सम्बन्ध देखने का रहा है, हम यह कह सकते हैं कि उस स्थिति में और परिस्थितियों में वे बजट भी अपना महत्व रखते होंगे मगर यह निश्चित है कि आज की तारीख में यह जो बजट रखा गया है, स्वतन्त्र भारत के इतिहास में सभी लोगों को खुश करने और सभी लोगों की सुध लेने के लिये इतना बढ़िया बजट आज तक नहीं रखा गया। 'महंगाई से राहत दिलाने' जयपुरी रजाईयों को बढ़ावा मिलेगा' ,'लघु उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा', सिंगल विंडो सिस्टम से बढ़ेगा रोजगार' ,'देशी-विदेशी पर्यटक होंगे आकर्षित' ,'कलाकारों को मिलेगा सम्मान' ,'रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे' ,'छोटे व्यापारियों को राहत', महिला, आदिवासी एवं गरीबों को समर्पित बजट, 'वर्तमान का भविष्य का सम्बल'; सभी वर्गों को कुछ न कुछ देने की कोशिश की गयी है।

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

मगर मैं अन्त में इसमें एक पंक्ति और जोड़ देना चाहता हूं जो मैंने नहीं, एक प्रसिद्ध समाचार पत्र ने लिखी है कि वित्त मंत्री ने, माननीय वित्त मंत्री ने जोधपुर को जहां महत्व दिया है वहीं विपक्ष की नेता वसुन्धरा राजे जी को भी खुश करने के लिये कोई कसर नहीं छोड़ी है। (व्यवधान) ढूंढो, पढ़ो, बजट को हाथ में लो। (व्यवधान) आप सुनो। हम आपकी चुपचाप सुनते रहे हैं। आप सुनिये और सुनने के बाद कोई जवाब दें। मैं बैठ जाऊंगा, मुझे बता देना आप। (व्यवधान) हां, बता दूंगा अभी आपको। कोई कसर नहीं छोड़ी है इस तरह। (व्यवधान) कल पैदा हुए, छोड़ो अपने आपको यह...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट तो रुको ना। वापस बोलना आप।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 9.30 बजे तक के लिये बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय 9.30 बजे तक बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 9.30 तक बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति जी, दूसरी और अनेकों बातें जो कही गयी हैं, एक माननीय सदस्य जा रहे हैं तो पहले कह दूं, 'बजाओ तालियां', 'बजाओ तालियां', हजार बात करके इस तरह इस सदन में कहा गया। अब जो-जो बातें हैं, जिन पर तालियां बजायी गयी हैं, बजायी जानी चाहिये। राजस्थान का किस वर्ग का ऐसा आदमी होगा जो उन बातों पर ताली बजाना पसन्द नहीं करेगा ?

कहा गया, न तो बजट में सोच है और न विजन है; एक हाथ से दिया है, दूसरे हाथ से ले लिया है; किसान विरोधी, महिला विरोधी, व्यापारी विरोधी... (व्यवधान) हां, वह बताऊंगा अभी। 80 से 100 बार तालियां बजायी गयीं; अब घोषणा ही घोषणा रहेगी; केवल और केवल टैक्सों का बजट; गरीबों का सहारा

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

बीड़ी भी उनसे छीन ली गयी। हां, मैं आज किसी सदस्य का नाम नहीं ले रहा। मैंने थोड़ा अपना इरादा बदल दिया। यहां तुक्का फजीती होती है। जिन्दगी में थोड़े समय के लिये आये हैं, ओछी बातें कहकर के कोई मतलब निकलता नहीं है। मगर मैं यह कहता हूं इस तरह का बजट दिया गया है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, शुरू करना चाहता हूं कि किस तरह से सोच और विजन है। सोच और विजन के बाद में जो राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, जिन्दगी के शुरू से लगाकर आखिर की इनकी सोच है, इनका विचार तरीका गांधीवादी जिन्दगी करने का रहा है। गांधी को सामने लेकर के बातें करते हैं और गांधी ने विजन और सोच के लिये क्या कहा, गांधी ने कहा- "Whenever you are in trouble, whenever you are in doubt and the self becomes too much with you, apply the following tests-recall the face of the poorest and the weakest man in your life whom you have seen, then your doubt would clear and you will be melted out. You think, will he get anything by it, will it be helpful to the hungry and the spiritually starving millions? Then you will find your doubts and yourself melting away." महात्मा गांधी ने कहा, कोई भी निर्णय करो, आप किसी के लिये भी कोई बात करो, भलाई की बात करो, उस आदमी को देखो, बहुत कमजोर और गरीब आदमी को और सोचो कि जो काम आप कर रहे हो वह उसकी जिंदगी

(समय : 21.00 बजे)

में किस काम आयेगा; जब आप देख लोगे तो...। उसी हिसाब से, उसी सोच और उसी विजन से यह बजट तैयार किया गया है। इसमें महिलाओं को, सहरिया विकास, आवास स्कूल, देवनारायण योजना, बुजुर्गों और युवाओं, सभी का ध्यान रखा गया है।

सभापति महोदय, इसमें यह बात कही गयी है कि एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ठगा। कहावत यह है कि एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से दिया मगर यह कि एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ठगा, यह सही है कि 255 करोड़ की राहत दी गयी है और यह भी सही है कि 500 करोड़ रुपये के टैक्स लगाये गये हैं मगर हमको यह ध्यान रखना चाहिये कि सरकार चलाने वाले व्यक्ति यह जानते हैं कि जब तक आपके पास में पैसा नहीं होगा, आप विकास नहीं करेंगे और पैसा उन लोगों से लिया जायेगा जो कि देने के योग्य हों, राहत उन लोगों को दी जायेगी जिनको जरूरत है, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं। यह जाकर के मुख्य मंत्रीजी ने यूं ही नहीं, सारे इलाकों में जाकर के देखने के बाद, लोगों की स्थिति देखकर के पूरे राजस्थान को कुछ न कुछ देने की बात कही है।

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

सभापति महोदय, गेहूं, चावल जो कर-मुक्त किये गये हैं, इनमें 3 हजार करोड़ रुपये का व्यापार होता है, 47 करोड़ रुपया आढतियों को बचेगा, 48 करोड़ रुपया इसमें सरकार को आयेगा। इसमें कहां राशन का आपको दे दिया? लोगों को खाने-पीने के लिए दाल, रोटी दे दी। सभापति महोदय, एक लाख आदमी जयपुरी रजाइयां बनाने का काम करते हैं और इसमें 7 से 10 करोड़ का काम होता है।

लोग कह रहे थे कि आपने बजट दे दिया, यह तो गेहूं, चावल, सब्जियों वगैरह में कोई अंतर नहीं आया। आपको तो यहां यही कहना है, आपको तो हर बात यह कहनी है चाहे वह कितनी ही बढ़िया हो और कितना ही उससे लोगों को फायदा मिला हो। आपको तो इंकार करने के लिये यह बात कहनी है मगर हमको मानना पड़ेगा कि जिन आदमियों को राहत दी गयी है, वे वास्तव में राहत लेने योग्य हैं; जहां गुटखा, सिगरेट, नये वाहन, टैक्सी, जमीन स्टाम्प, बिजली और हवाई टिकट, इन पर जो टैक्स लगाया गया है, वे टैक्स देने योग्य लोग हैं, ये वे लोग-बाग़ नहीं हैं जिनकी पीठ थपथपाकर हम यहां पर विभिन्न प्रकार के अपने विचार प्रकट करें।

सभापति महोदय, पेयजल की समस्या राजस्थान में सबसे खतरनाक समस्या है और जो भी शासन करने वाला व्यक्ति इस समस्या पर ध्यान नहीं देता, वह आम लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता। 249 ब्लाकों में से 198 डार्क जोन में चले गये हैं और वर्तमान स्थिति यह है कि आने वाले समय में पानी की बड़ी दिक्कत आने वाली है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक बात यहां कहना चाहता हूं, मेरे यहां एक तरफ तो बनास निकलती है और एक तरफ चम्बल निकलती है। जब ये बांध नहीं बने थे, बीसलपुर बांध नहीं बना था, कोटा बैराज नहीं बना था, मेरे सामने ये बांध बने हैं, मैंने जमीनें यूं देखी हुई हैं, पूरा क्षेत्र पानी से हरा-भरा रहता था, सवाई माधोपुर हरा-भरा और सम्पन्न जिला था। जबसे इनमें बांध बन गये हैं, तबसे वहां की खुशहाली समाप्त हो गयी है। बांध बनने से, पानी नहीं होने से ऐसी स्थिति हो गयी है कि आप उसमें कुछ कह नहीं सकते।

सभापति महोदय, पिछली गहलोत सरकार ने 248 करोड़ की एक योजना बनायी, पाली घाट योजना, उसको बनाकर के उसका उद्घाटन कर दिया, उसका दफ्तर बना दिया मगर ज्यों ही 2003 में नयी सरकार आयी, ना जाने क्या सवाई माधोपुर जिले से दुश्मनी थी, उस स्कीम को बदलकर के मंडरायल ले गये। पूरी

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

दुनिया में किसी सरकार की ऐसी सोच नहीं होगी कि सवाई माधोपुर में नदी बहकर के जा रही है, 165 किलोमीटर दूर मंडरायल में वह गयी, वहां पानी लिफ्ट किया और वापस यहां ला दिया। इंजीनियरों ने कह दिया कि कोई भी योजना बना दो 488 करोड़ की, ना तो आज और ना कल सवाई माधोपुर को पानी मिलेगा। इस तरह से उस स्कीम को समाप्त कर दिया।

सभापति महोदय, अब मेरी यह मांग है कि जहां से आपको पानी सवाई माधोपुर को देना था, पानी वहां पर है लेकिन अब कोई स्कीम नहीं है। बनास में दुब्बी घाट से पानी जो पूरे सवाई माधोपुर शहर को दिया जाता था, उसको बिलकुल बंद कर दिया, उससे आज कोई पानी नहीं लिया जा रहा है। ऐसे टाइम पर जब पानी के लिये हाहाकार मचा हुआ है, मेरी यह मांग है कि वहां पाली घाट से और दुब्बी बनास घाट से पेयजल योजना चाहे छोटी ही हो, वह चालू की जाये ताकि वहां के लोगों को इंसाफ मिल सके।

सभापति महोदय, सवाई माधोपुर में अभी सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है, उसी क्षेत्र के रहने वाले माननीय विधायक भी इस बात को मानेंगे कि सवाई माधोपुर में सैंक्चुअरी रणथम्भौर, विश्व प्रसिद्ध सैंक्चुअरी है, जितना वहां पर प्रजनन बाघों का है उतना देश के किसी स्थान पर नहीं है। वहां बाघों की संख्या लगभग 40 हो गयी है, एक दर्जन के करीब शावक वहां पर मौजूद हैं। उस सैंक्चुअरी की वजह से हमको कितना त्याग करना पड़ रहा है। यह सब जानते हैं कि तेलशोधक कारखाना मंजूर हुआ सवाई माधोपुर में, काम चालू हो गया, 10 करोड़ रुपये खर्च हो गये लेकिन यह रिपोर्ट आ गयी कि जब तक यह सैंक्चुअरी है, प्रदूषण की वजह से उसको नहीं लगाया जायेगा और वह मथुरा चली गयी। गैस आधारित खाद कारखाना लगना चालू हो गया और उसके बाद यह रिपोर्ट आ गयी कि गेम्स सैंक्चुअरी है, इसको अंता, हाड़ौती में वह ले गये। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भाइयों के यहां है लेकिन हम मारे गये। हमारे ना यह कारखाना लगा, ना वह कारखाना लगा।

सभापति महोदय, मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं कि कारखाने उस स्थान पर लगते हैं जहां पर कारखाने लगने की सुविधाएं हों। सवाई माधोपुर एकमात्र ऐसा स्थान था आजादी से पहले, जहां पर ब्राड गेज लाइन भी थी और मीटर गेज भी थी। आज उसकी यह स्थिति हो गयी है कि उसी की वजह से जो सीमेंट का कारखाना लगा था, जो पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था, 1987 में जब आदरणीय स्वर्गीय

(श्री अलाउदीन आजाद)

शेखावत साहब थे और उद्योग मंत्री भाभड़ा जी थे, उसको बंद कर दिया गया और 4 हजार मजदूरों के परिवार आज बहुत ही दुर्दशा में हैं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): वे नहीं थे, वे नहीं थे। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आप याद कर लेना कि थे कि नहीं थे ...(व्यवधान) बंद कर दिया। हो सकता है, आप सही हो सकते हो, मैं उस पर अड़ता नहीं हूं लेकिन यह है कि वहां मीटिंग हुई और उसके बाद दुबारा उसको चालू करने के लिए बातचीत चली। हमारे पहले के दोनों मंत्री जो थे, उन्होंने कहा कि इसका धुंआ निकाल देंगे, आप इसको चालू कर दो। वह धुंआ निकला कि नहीं निकला, आज 5 हजार मजदूर वहां पर रोते फिर रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वहां पर बहुत ही बढ़िया उच्च कोटि का लाइमस्टोन मिलता है जिससे उस कारखाने को दुबारा चालू किया जा सकता है। प्रधान मंत्री आये तो मैंने एक डेलीगेशन के साथ उनके सामने यह रखा था कि आज पूरी दुनिया में प्रदूषण रहित कारखाने बन रहे हैं, वह कारखाना बनाकर के यहां के लोगों को लाभ पहुंचाया जाये।

सभापति महोदय, एक बात मैं अल्पसंख्यकों के बारे में अपनी कहना चाहता हूं। जो सरकार ने उन्हें कुछ सुविधाएं दी हैं, मैं विनम्रतापूर्वक सभी सदस्यों से चाहे वे किसी भी पार्टी से हों, चाहता हूं कि इस संबंध में ...(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): माननीय सदस्य, इस संबंध में आपको जानकारी नहीं है उस समय कांग्रेस की सरकार थी ...(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): नहीं, नहीं, वह गलत है।...(व्यवधान) मैं आपको बता दूंगा, मेरे पास आ जाना। (व्यवधान) साल की बात तो मैं कहता नहीं हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो बोलो, आप अपना बोलो।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ठीक है, देख लेंगे बाद में। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढबास): बड़ा संघर्ष किया है, लाठियां चली हैं, लाठी झेली है, लाठी खायी है। हमको पता है, आपको नहीं पता। आप तो राज में थे उस समय, अधिकारी थे, आपको पता ही नहीं। (व्यवधान) सवाई माधोपुर की फैक्टरी कांग्रेस के मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर के समय में बंद की गयी।

(श्री रामहेत सिंह)

(व्यवधान) आपको पता ही नहीं है। गलत सूचना दे रहे हो, सदन को गुमराह कर रहे हो।

श्री सभापति: आप विराजो, विराजो। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आप बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): हमने संघर्ष किया है वहां।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सदस्य, आप बात सुनिये। हां, हां, आंदोलन जब आपने किया, लाठियां खायीं और हाथ तुड़वा दिये, जिन लोगों के हाथ टूटे, लूले-लंगड़े फिर रहे हैं लोग-बाग। वह मुझे याद है। मुझे पूरे एक-एक क्षण का याद है और राजस्थान का याद है। अब किसका टाइम था, वह तो नहीं ...(व्यवधान) जिन्होंने आंदोलन किया ...(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): हमने संघर्ष किया है, राठौड़ साहब बैठे हैं, ...(व्यवधान) पूछो, कितना संघर्ष किया है। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): हां, हां, वह मुझे मालूम है, संघर्ष किया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): वह टाइम था मगर उससे पहले तो फैक्टरी बंद हो गयी थी और आपने बंद होने के वर्षों बाद आंदोलन किया।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): फैक्टरी बंद होने के समय ही आंदोलन किया ...(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): यह भवानी सिंह जी थे ...(व्यवधान) इनको भी ध्यान है सारा ...(व्यवधान) हां, आप तो थे।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, मैं अल्पसंख्यकों के बारे में भी आपसे कुछ कह देना चाहता हूं। गहलोत सरकार ने पहली बार अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ निर्णय लेने की कोशिश की है। उन्होंने दो सौ मदरसों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता दी है। अब मेरे कुछ साथी बैठे हुए हैं, इन्होंने कुछ कमेंट किए थे कि यह करो, वह करो मगर मैं आपको बता बता देना चाहता हूं कि ये जो मदरसे हैं ये सरकारी नहीं हैं, सरकारी टीचर्स नहीं हैं इनमें; ये तो गरीब लोगों के अपने खुद के बनाए हुए हैं।

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

उनको सरकार की तरफ से स्तर देकर एक टीचर दे देते हैं और थोड़ी सुविधाएं दे देते हैं, बाकी और कोई सुविधा उनको नहीं मिलती है। 3,500 मदरसों में पैरा टीचर्स जो रखे जाएंगे, वे टीचर्स व मदरसे भी प्राइवेट हैं जो उन्हीं लोगों के हैं। इस तरह से यह कुछ करने की कोशिश की गई है, अब उन्होंने छात्र-छात्राओं को पढ़ने-करने के लिए कोई बात की है मगर मैं यह मांग करता हूं... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आपस में उत्तर-प्रत्युत्तर मत करो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अब आप विराजो।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): देखो, मैं यह चाहता था कि आपसे सीधी बात करूं और वसुन्धराजी की न करूं। अब आप छोड़ दो बात। वसुन्धराजी के मदरसा बोर्ड, मदरसा बोर्ड का पहला चेयरमैन अलाउदीन आजाद को अशोक गहलोत ने बनाया था और पूरा मदरसा बोर्ड बना था, सारे मेम्बर। आपने सिर्फ चेयरमैन और एक सेक्रेटरी बनाकर मदरसों का सत्यानाश करके धर दिया। लाखों रुपए की लूट की, 700 मदरसे बंद हो गए।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): हमने दिए थे। हमने तो सभी मदरसों को सामान दिया था, आप हिसाब लगवाइए उसका। आपने क्या दिया, आपके राज में क्या दिया ?

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): हमने दिया है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): आपके मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत थे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: यह उचित नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): दोनों आवासीय विद्यालय बंद कर दिए, बंद करके पटक रखा है।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आप अपने लोगों से पूछो, हज हाउस बनाने के लिए किस तरह का आपने नाटक किया, आपके मिनिस्टर क्या चाहते थे। मुख्य मंत्रीजी को दूसरी तरफ से निकलना पड़ा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बातचीत न करें। मेरा निवेदन है कि सीधे आप आसन की तरफ देखें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): वक्फ बोर्ड को 50 लाख रुपए

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

दिए हैं। मैं यह चाहता हूं कि अब शिक्षा का प्रसार करने के लिए, शिक्षा का प्रचार करने के लिए हर जिला लेवल पर एक माडल मदरसा बनाया जाना चाहिए। मदरसों को तो उन्हीं को लेते हैं......(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप सम-अप कर लें, माननीय सदस्य।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आपको सुविधा देनी है, डिविजन लेवल पर एक हाई स्कूल के लेवल पर उर्दू स्कूल के टीचर्स को मान्यता दी जानी चाहिए ताकि बच्चों की और उनकी पढ़ाई कराई जा सके।

मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं...

श्री सभापति: अब सम-अप करें, माननीय सदस्य।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आप थोड़ा बोलने तो दीजिए। आप हमेशा मुझे ही क्यों रोकते हैं?

मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब तक नौकरियों में अल्पसंख्यकों को भागीदारी नहीं दी जाएगी तब तक वे दूसरों के मुकाबले आगे नहीं आ सकते। दूसरा, स्टेट के जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं, सब मुसलमानों को नहीं, आप स्टेट के जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं, ओ बी सी में आरक्षण मिला हुआ है, हम यह मांग करते हैं कि उस 27 प्रतिशत आरक्षण में मुसलमानों को 5 प्रतिशत दिया जाए; जो उनकी संख्या है उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह आप टेबल कर देना। अब आप सम-अप करें, आजाद साहब।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): मैं खतम कर रहा हूं, आप बोलने दीजिए। आपने कहा कि पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार ने खर्च कर दिया, कोई परिसम्पत्तियां नहीं बनाई; परिसम्पत्तियां क्या बनाते, यह नहीं देख रहे हैं, जिसमें आप बैठे हुए हो, यह आदरणीय शेखावत साहब ने शुरुआत की और इसमें लाखों-करोड़ों रुपए खर्च करके यह रूप अशोक गहलोत ने दिया है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ...(व्यवधान) उसका बाद में उद्घाटन किया है, आपने तो केवल उद्घाटन किया है।

श्री सभापति: केवल माननीय सदस्य के अलावा किसी का अंकित मत करो आप।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): अब अशोक गहलोत ने उसको चालू करवाया। एक बात और बता देना चाहता हूं आपको कि इस बिल्डिंग के अलावा राजस्थान की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो शिक्षा संकुल है, उसका फाउंडेशन स्टोन भी उन्हीं ने रखा, उद्‌घाटन भी उन्हीं ने किया। याद रखो, यह जो जनपथ है, उस पर जो आप घूम रहे हो, यह आपकी देन नहीं है। 9 साल से आप बरामदे खाली नहीं करवा पाए, अशोक गहलोत ने एक झटके में बरामदे खाली करवाये और ये जितने पुल और आर ओ बी पर चल रहे हैं, ये अशोक गहलोत की देन हैं। परिसम्पत्तियां सृजित करने के मामले में आप देखिए, ...(व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक दिन आएगा, जब ट्रामें चलेंगी, रिंग रोड होगी, टनल बनेगी, रिफाइनरी लगेगी और राजस्थान का एक नया रूप आपको देखने में आएगा और तब भी आप यह कह देंगे कि खाली बातें ही करते हैं, बातें ही हैं, तब आपको याद आएगा और आप उधर ही बैठने के काबिल होंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: शिक्षा मंत्रीजी। (व्यवधान) एक मिनट, मैंने अलाउ किया है।

शासकीय वक्तव्य

कोटा स्थित बंद सेमटेल उद्योग को पुनः प्रारम्भ करना

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज जीरो आवर में कोटा शहर के सेमटेल उद्योग के बंद होने की बात यहां पर उठाई गई और आशंका यह व्यक्त की गई प्रतिपक्ष के द्वारा कि यह जो बंद हुआ है यह श्रमिकों के साथ अन्याय है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो सेमटेल फैक्टरी है, उसको श्रम कानूनों के तहत निश्चित तौर पर चालू करने की बात मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर चालू करेंगे। आज तक जितनी भी इस प्रकार की फैक्टरियां बंद होने की बात आई है, मैंने मेरे विभाग और हमारी सरकार ने तत्काल उनके विरुद्ध कार्यवाही करके एवं उन फैक्टरियों को चालू किया है। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि श्रम कानून के तहत हमने कार्यवाही चालू कर दी है, निश्चित तौर पर उन फैक्टरियों को चालू हम कर देंगे, करवा देंगे, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, इसके लिए माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक चालू करवाएंगे ?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): यह आपस में कोई वादविवाद थोड़े है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): वहां के 700 श्रमिक भूखे-प्यासे गेट पर बैठे हुए हैं, हालात खराब है, कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। इसलिए ऐसे हालात में आप कल चालू करवाएंगे कि परसों चालू करवाएंगे? एक-एक दिन बहुत भारी है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, आप देखिए, ...

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): आप बात तो सुन लें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मंत्री महोदय, आपने ठीक कहा मगर आप यह कर दें कि जब तक आप फैक्टरी चालू नहीं करें तब तक उन मजदूरों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था तो करो।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): उनकी लाइट तक बंद कर दी गई, अभी भी वे अंधेरे में बैठे हुए हैं। वहां पर पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह कोटा से सम्बन्धित मामला है, आप विराजो।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय ,यह बहस का मुद्दा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज सुबह ज्यों ही यह मामला सदन में आया, मैंने तत्काल हमारे जोइंट कमिश्नर को यहां से रवाना कर दिया, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इस बात के लिए पाबन्द कर दिया कि आप तत्काल मैनेजमेंट से बात करें और जितना जल्दी हो उतना...निश्चित तौर पर हम काम करेंगे और तालाबंदी टूटे। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपसे ज्यादा चिंता मुझे है, हमारी सरकार को है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): अच्छी बात है। मैं इतना जरूर चाहता हूं कि फैक्टरी जब चालू हो तो ऐसा नहीं हो कि मैनेजमेंट षड्यंत्र करके मजदूरों की कहीं छंटनी कर दे। तो छंटनी की गारंटी लें कि छंटनी नहीं करे, फैक्टरी चालूकर जितने 700 श्रमिक वहां पर गेट पर भूखे-प्यासे बैठे हुए हैं, उन सभी श्रमिकों को वापस काम पर लिया जाए।

श्री सभापति: अब आप विराजो। श्री रमेश चन्द्र मीणा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य, विराजो।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रमेश चन्द्र मीना (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, अब इस बजट में जो प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि में लक्ष्य रखे गए हैं, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच में संतुलन रहेगा, वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12, यह तीनों के अलग-अलग आंकड़े देखने से, इनको एक्चुअल राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय को देखने से मालूम होता है कि वर्ष 2009-10 इसमें जो मेंडेटरी प्रोविजन और एक्ट के प्रोविजन हैं जो कि राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 के अधीन नेसेसरी हैं, तो न इस वर्ष पूरे होने वाले हैं, न पिछले वर्ष हुए थे और न वर्ष 2009-10 में हुए क्योंकि असल में आंकड़े जो अब उपलब्ध हैं, वर्ष 2009-10 के हैं और उसमें व्यय 40,132 करोड़ का है और राजस्व प्राप्तियां 35,385 करोड़ की। इसी तरह 2010-11 और 2011-12 में भी, इसमें 2010-11 में भारी अंतर है, 2011-12 में कुछ सीमा तक इसका लक्ष्य रखा गया है। तो बजट का मुख्य लक्ष्य जो कि प्रोविजन्स में लिखा गया है, उनको प्राप्त करने की दिशा में सरकार अमल करे, ऐसा मेरा निवेदन है।

दूसरा, जो मुख्य बिन्दु है, अधिनियम की धारा 6, इसमें रखा गया है कि राज्य के घाटे को सकल राज्य देशी उत्पाद का तीन प्रतिशत रखा जाएगा, अब तीन प्रतिशत तो इस वर्ष में होने की सम्भावना कम लगती है लेकिन जो एक्चुअल अनुमान हैं, एक्चुअल हमारे पास में आंकड़े प्राप्त हैं, उसमें वर्ष 2009-10 का 4.03 प्रतिशत है जिसमें अपना लक्ष्य राजस्थान का प्राप्त नहीं हुआ है और राजस्थान के इस बजट में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के क्या प्रावधान हैं, इसके बारे में भी अगर मुख्य मंत्रीजी बताएंगे तो जरा सदन को मालूम चलेगा कि किस प्रकार की नीति, राजकोषीय नीति और वित्तीय नीति का आप पालन करना चाहते हैं।

अब बीच में कई प्रकार की बातें आईं क्योंकि बजट सरकार की नीतियों का भी एक महत्वपूर्ण अंग है और किसी ने बोला था कि अगर कोई भ्रष्टाचार के बारे में मामला हो तो सदन के सामने सबूत के साथ में लाना चाहिए और उसमें सरकार कार्यवाही करेगी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के मामले में और मेरे स्वयं के विधायक कोष के मामले में एक सबूत आया है सामने जिसकी तरफ मैंने रूल 295 में ध्यान दिला दिया था, उससे पहले पिछली 14 तारीख को लिखित में भी दिया। प्रक्रिया तो यह होनी चाहिए कि सरकार के पास में अपने

(श्री रमेश चन्द्र मीना)

आप ही इन लूप-होल्स को प्लग करने की, इनमें सुधार करने की निरन्तर प्रक्रिया रहनी चाहिए परन्तु डी आर डी ए जिला करौली और दूसरी भी डी आर डी ए, उनमें इतनी हालत खराब है कि विधायक कोष से लगाकर और दूसरे भी, सभी मदों में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बोलबाला है। इसलिए मार्च, 2010 में फर्जी पत्र तैयार करके 5-5 लाख रुपये के दो चेकों के माध्यम से, नोटशीट पर कलक्टर तक के साइन हैं और वह नोटशीट पर साइन करके पैसा निकाल लें, जबकि काम नहीं हुआ। सरकारी बाबू से लगाकर स्वयं जिला कलक्टर तक स्वयं इसमें शामिल है, इसके पेपर पर ब्लैक एंड व्हाइट में सारे सबूत हैं लेकिन आज दिन तक सरकार ने केवल एक बाबू को सस्पैंड करने के अलावा और कोई कार्यवाही नहीं की। इससे ज्यादा और क्या सबूत हो सकता है कि तत्कालीन जिला कलक्टर नीरज के. पवन, जिस पर बार-बार यह आरोप लगाये गये थे, जिस पर उनके स्वयं के साइन हैं और अब केवल वित्तीय स्वीकृति, उसकी नोटशीट अवेलेबल है वहां पर, बाकी प्रशासनिक स्वीकृति की नोटशीट है, खाली वित्तीय स्वीकृति, ओरिजनल प्रशासनिक स्वीकृति, ओरिजनल वित्तीय स्वीकृति, टेक्निकल सैंक्शन, वे वहां उपलब्ध नहीं हैं, वहां गायब कर दिये गये हैं और अभी तक पुलिस, प्रशासन और जांच अधिकारी, उसका यह पता नहीं लगा सके कि इसके पीछे दोषी कौन हैं। एक बाबू को सस्पेंड करने के अलावा अभी तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई है जबकि मैंने इस बारे में पहले 295 में भी उल्लेख किया था और आज भी मैं दुबारा सदन के सामने यह मामला रख रहा हूं।तो मुझे आशा है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज पर जो आश्वासन आपने दिया है, उसको साबित करके दिखाएं और इस मामले में ही नहीं अन्य मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, उनसे मुख्य मंत्रीजी की और आपकी मंशा पर भी संदेह होता है क्योंकि जिला कलक्टर लेवल के आदमी को कई बार बचाया है, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की है। अंतिम अफसर जो दस्तखत करने वाला होता है, कानून की दृष्टि से वही जिम्मेदार ज्यादा होता है। इसलिए यह जो नोटशीट पर उन्होंने दस्तखत किये, जिला कलक्टर ने और बाकी नीचे के अधिकारियों ने, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए।

दूसरा, जिला करौली में दूसरे भी मामले हैं, अब बीच में श्रवण कुमार जी को थोड़ी अनईजीनेस महसूस हो रही है क्योंकि मैं स्पेसिफिक उदाहरण दे रहा हूं। मैं इस बात को, व्यक्तिगत बात को देखकर मामलों को सामने नहीं रखना चाहता क्योंकि अपनी निजी सुरक्षा के लिए हमको परवाह नहीं करनी

(श्री रमेश चन्द्र मीना)

चाहिए, विधायकों को, ऐसा मैं मानता हूं लेकिन दिनांक 10.2.2010 को एफ आई आर नं. 15/10, उसके तहत मेरे ड्राइवर का और गाड़ी का अपहरण किया, नामजद रिपोर्ट और नामजद रिपोर्ट, उसमें गन पाइंट पर पचफेरा के बल पर बोलेरो गाड़ी में 6 आदमियों ने अपहरण किया और साथ-साथ में यह कहा, यह समझ कर अपहरण किया कि एम एल ए इसमें है, उन्होंने उस समय यह कहा कि वह कहां है और उसके हाथ काटने हैं हमको। यह एफ आई आर दर्ज की है और आज तक एस एच ओ ने कोई कार्यवाही नहीं की है। बाद में जैसे ही हमको पता लगा, उनको ऐसा लगा कि यह हमारा पीछा कर रहे हैं इसलिए थोड़ी दूर जाकर आधा घंटे डिटेन करने के बाद में छोड़ दिया। एस एच ओ ने नामजद रिपोर्ट दर्ज की है और नामजद रिपोर्ट दर्ज करने के बावजूद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद में, उसी से उत्साहित होकर दुबारा उन्हीं अपराधियों ने और उसी गैंग वालों ने हमारे घर पर आकर कुछ हो-हल्ला मचाया लेकिन सौभाग्य से ऐसा हुआ कि रिवाल्वर भरी होने के बाद भी....

श्री सभापति: यह आप बजट के बाद में विभाग की डिमांड पर बोलते यह। बजट के ऊपर बोलो आप, समय कम है।

श्री रमेश चन्द्र मीना (सपोटरा): नहीं, स्पेसिफिक उदाहरण के रूप में कह रहा हूं क्योंकि बजट इसलिए दिया जाता है...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय ,यह कोई समस्या समाधान शिविर थोड़े ही है। बजट पर बोलना है इनको। (व्यवधान) यह इनको, माननीय सदस्य को बजट पर बोलना है ...(व्यवधान)

श्री रमेश चन्द्र मीना (सपोटरा): बजट पर भी बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): घर पर कौन है और घर के बाहर कौन खड़ा था, क्या मतलब है?

श्री रमेश चन्द्र मीना (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, बजट हम किसलिए पास करते हैं, पुलिस प्रशासन को तनख्वाह देने के लिए पास करते हैं और वह जब जिम्मेदारी से काम नहीं करते...आपको परिभाषा मालूम होनी चाहिए बजट की कि बजट किसलिए पास करते हैं। आप बता दो ....(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रमेश चन्द्र मीना (सपोटरा): कोई बात नहीं, अब फीडबैक किसके भी हों लेकिन यह आपको मालूम होना चाहिए कि यह राजस्थान प्रदेश इस बजट के पीछे चलता है और आपने जब स्पेसिफिक उदाहरण मांगा है तो मैं दे रहा हूं ......(व्यवधान)...

श्री सभापति: एक मिनट थोड़ा सदन का समय ......(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय 10 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय 10 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 10 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रमेश चन्द्र मीना (सपोटरा): अब आपने थोड़ा बोल दिया है तो मैं इस आरोप को बंद करता हूं क्योंकि मुझे लगता है, मैं तो बोलना ही नहीं चाहता था, एक साल हो गया, मैं बोलता ही नहीं, हम तो जैसे हैं, अगर गोली आमने-सामने चल जाती और जो कुछ होता, वह हो जाता। ऐसी कोई परवाह की बात नहीं है क्योंकि मैं तो आय कर में भी जब रहा हूं तब भी तीन बार गोली चल चुकी है हमारे तो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बजट पर बोलो, बजट पर।

श्री रमेश चन्द्र मीना (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, बजट के बारे में अभी हमसे प्रस्ताव लिये गये थे धार्मिक रोड्स के और उन प्रस्तावों के आधार पर 610 जगह सभी विधायक इस पाइंट पर निश्चित यहां दे चुके प्रस्ताव, जिनमें सबके हैं हमारे प्रस्ताव। इन प्रस्तावों को जनता को एक बार हम दे चुके हैं, लगभग 6 महीने पहले उनकी घोषणा कर चुके और वहीं पाइंटों से प्रस्ताव अभी बोलते हैं, 280 करोड़ रुपये के और 1,100 किलोमीटर की सड़कें

(श्री रमेश चन्द्र मीना)

दी जाएंगी। तो जनता अभी हमसे पूछ रही है, जो प्रस्ताव पहले से ही मंजूर हो चुके, उनको बजट में घोषणा करने की आवश्यकता क्या थी? मुख्य मंत्रीजी जब अपने प्रश्न का जवाब दें तो यह बात भी बताएं कि आने वाले के लिए कैसे घोषणा की आपने? क्योंकि जनता तो हमसे पूछेगी न, विधायकों से पूछेगी कि धार्मिक रोड्स के जो प्रस्ताव हैं, वे आपने इस बजट में दिये हैं इसलिए आप हमको दो। तो अब आप निश्चित कर लो, कैसे दोगे?

इसके बाद में कृषि उत्पाद में स्थिर कीमतों पर गत वर्ष की तुलना में 27 परसेंट की वृद्धि हुई जबकि उद्योग में मात्र 1.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब इसमें अपनी अर्थव्यवस्था राजस्थान में...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अभी सम-अप करो आप।

श्री रमेश चन्द्र मीना (सपोटरा): सम-अप कर लिया अब बस।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री रमेश चन्द्र मीना (सपोटरा): राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है लेकिन जिस अनुपात में यहां राजस्थान में कृषि क्षेत्र से रोजगार मिल रहा है और कृषि क्षेत्र का जितना अर्थव्यवस्था में योगदान है, अगर कृषि क्षेत्र को भी जीरो कर दिया जाए तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था माइनस में आ जायेगी। यह जब अपन विश्लेषण करेंगे और जब बजट के प्रस्तावों को देखेंगे तब ध्यान में आयेगा कि राजस्थान में कृषि के लिए अत्यन्त अल्प मात्रा में सहयोग दिया गया है। इसलिए बहुत कुछ सदस्यों ने और भी अपने-अपने प्रस्ताव दिये हैं लेकिन मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि जिस तरह फार्म पोंड बनाने के लिए अपने-अपने सामूहिक रोजगार डवलप करने के लिए नरेगा में प्रस्ताव आते हैं, उसी तरह से कृषि के मामले में नरेगा के माध्यम से मजदूरी का, अन्य साधनों का, जैसे भी उपलब्ध हों, इस प्रकार का सहयोग कृषकों को मिलना चाहिए जिससे कि जैसे सरसों का, चने का मूल्य बहुत कम है तो वह सरसों और चने का मूल्य जिस प्रकार से उसकी लागत होती है, कम से कम उसकी क्षतिपूर्ति सरकार की तरफ से हो जाए। जैसे कि अमेरिका सहित 16 विकसित देशों में किसान को सरकार डायरेक्ट सहायता देती है, उस रूप में कुछ मात्रा में अगर इसका विचार करेंगे तो अपने बजट के लिए ठीक रहेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य। श्री विश्वनाथ मेघवाल।

व्यवस्था का प्रश्न

सदनेतर व्यक्तियों पर आरोप नहीं लगाये जा सकते

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। दो घंटे पहले जब जयपुर सिटी के मामले में बहस चल रही थी.....

श्री सभापति: क्या हो गया पाइंट आफ आर्डर में?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): तब कालीचरण सराफ ने एक बात कही तीन अफसरों के खिलाफ, मंजीत सिंह और श्रीमत पाण्डे साहब के खिलाफ। जब वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उसके बाद भी उन्होंने एलीगेशन लगाये। इसलिए जो एलीगेशन लगाये हैं वे इल्लीगल हैं इसलिए उनको एक्सपंज करवायें।

श्री सभापति: विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह बताओ कि जब यहां सदस्य नहीं हैं और बगैर नोटिस दिये किसी अधिकारी के खिलाफ इस तरह से बोलना लीगल है या इल्लीगल है? ऐसे तो किसी के खिलाफ भी बोला जा सकता है।

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। आपने अपनी बात कह दी न, मैं व्यवस्था दे दूंगा। विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, आप यह बताओ कि जो व्यक्ति यहां सदन का सदस्य नहीं है, उसके खिलाफ नोटिस देना चाहिए था अगर किसी को डायरेक्ट एलीगेशन लगाना हो तो। यह कैसे हो सकता है? यह नहीं सोचा गया।

श्री सभापति: आप विराज जाएं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): विराज तो जायेंगे, आपके आदेश की पालना तो करनी पड़ेगी पर इसको एक्सपंज कराओ।

श्री सभापति: आप विराजो तो सही।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, बजट 2011-12 पर आज चर्चा हो रही है। योजना का आकार 2009-10 में 18,634

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

करोड़ था, 2010-11 में 23,822 करोड़ था, 2011-12 में 28,461 करोड़ है। सभापति महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य मदन जी ने बताया कि हर वर्ष बजट के पेज भी बढ़ते जा रहे हैं और योजना का आकार भी बढ़ता जा रहा है। सिर्फ घोषणाएं होती जा रही हैं, इसमें इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हो रहा है। माननीय वसुंधरा जी के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं होता था और जितना बजट पेश किया जाता था, उसका शत-प्रतिशत इम्प्लीमेंटेशन भी होता था। सभापति महोदय, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, बजट में पेट्रोल और डीजल पर किसी तरह का वैट कम नहीं किया गया है, बिजली की रेट बढ़ा दी गई है और रसोई गैस में भी किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। बात करते हैं एस सी, एस टी की तो एस सी, एस टी के लिए कहा गया है कि इस बार एस सी को 16.66 प्रतिशत और एस टी को 13.2 प्रतिशत नोशनल प्रावधान के बजाय वास्तविक प्रावधान सम्बन्धित विभागों को बजट मदों में अलग से इंगित किया जायेगा। पिछले दो वर्षों में भी जिस तरीके से इन्होंने एस सी, एस टी के लिए बजट आबंटित किया था, उसमें सरकार सिर्फ 9-10 प्रतिशत ही बजट खर्च कर पाई है, जो इस सरकार की एस सी, एस टी के प्रति विफलता का उदाहरण है। 31 विभागों में तो इन्होंने अभी तक खाता ही नहीं खोला है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा हमारे एस सी, एस टी भाईयों को कि यही हालत माइनोरिटी की है। अभी बता रहे थे माइनोरिटी के साथ भी ये ऐसा ही कर रहे हैं और सिर्फ बजट में घोषणा ही की जाती है और किसी प्रकार का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता है।

जल संसाधन की बात करते हैं तो हमारे भाई अभिषेक जी ने भी बताया कि 2010-11 के बजट में पेज नम्बर 25 पर पंजाब में स्थित इंदिरा गांधी फीडर की मरम्मत के लिए भारत सरकार द्वारा 952 करोड़ रुपये की योजना का कार्य अप्रैल, 2010 में शुरू करने की कही गई थी। वही पैरा इस बजट में डालकर के इन्होंने कहा है, जब अप्रैल, 2010 में कार्य शुरू होने वाला था, वह अभी इस बजट में इन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में इसको चालू कर देंगे। बजट की यह स्थिति है जो आपके सामने है। महाराजा गंगासिंह जी द्वारा निर्मित नहर भी आज बंद पड़ी है और सरकार इसके बारे कोई भी किसी प्रकार का बजट प्रावधान नहीं कर रही है। राजस्थान में स्थित अन्य नहरों की स्थिति भी यही है। जितनी भी नहरें राजस्थान में हैं चाहे वह हमारे क्षेत्र की अनूपगढ़ ब्रांच हो, चाहे पूगल ब्रांच हो, चाहे राजस्थान कैनाल मुख्य नहर हो, सबकी हालत ऐसी

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

है। इस बजट में किसी प्रकार का राजस्थान नहर की मेंटीनेंस के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है तो मैं समझता हूं कि यह आम किसान के साथ खिलवाड़ है। जो हमारी अनूपगढ़ ब्रांच नहर है जिसकी कैपेसिटी 2,350 क्यूसेक्स पानी लेने की है, सभापति महोदय, इस सरकार में इन्होंने एक कमेटी बनाई है, अभी उस नहर की स्थिति ऐसी हो गई, इतनी जर्जर हालत है कि उस कमेटी ने डिसिजन किया है कि 2,350 क्यूसेक्स यह नहर पानी नहीं ले सकती, इसलिए 200 क्यूसेक्स पानी कम किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इससे टेल के किसानों को पानी कैसे पहुंचेगा? सरकार गम्भीर नहीं है। सरकार ने किसी तरीके से बजट में ऐसा कोई मेंटीनेंस का प्रावधान नहीं रखा, आम किसानों के साथ यह भी धोखा है।

सभापति महोदय, शिक्षा की हम बात करते हैं तो यह इनका तीसरा बजट है और अभी तक कोई नई स्कूल नहीं खोली गई है। जितनी भी स्कूल क्रमोन्नत की गई हैं, उनमें भी आज तक एक भी अध्यापक नहीं है, सब्जेक्ट के अध्यापक नहीं हैं। अभी बात कर रहे हैं, पिछले बजट में इन्होंने कहा कि 1,750 शिक्षाकर्मी लेंगे सर्व शिक्षा के तहत और इस बजट में भी इन्होंने 50 हजार की घोषणा कर दी है। सिर्फ घोषणा मात्र का बजट ये पेश करते हैं और कांग्रेस सरकार की यह हमेशा की नीति रही है। माननीय वसुंधरा जी के टाइम वसुंधरा जी ने गांव-गांव में स्कूल खोल दी थी जबकि इन्होंने तो समानीकरण, एकीकरण के नाम से खोलने के बजाय स्कूलों को तोड़ा है और स्कूल आज भी शिक्षकों के अभाव में सभी बंद पड़े हैं।

सभापति महोदय, चिकित्सा की हम बात करते हैं तो पैरा 38 में सरकार ने खुद ने माना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संचालन एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी खर्चे के बावजूद भी जनसंख्या वृद्धि दर में समुचित कमी नहीं आ सकी और शिशु व मातृ मृत्यु दर में भी कमी नहीं आ सकी। यह भी सरकार की विफलता है। चिकित्सालयों की हालत की बात कर लेते हैं तो चाहे राजस्थान में एस एम एस की बात हो, चाहे जोधपुर के उम्मेद हास्पिटल की बात हो, चाहे पी बी एम हास्पिटल बीकानेर की बात हो, सब में यही स्थिति है। अभी कल्चर टैस्ट में पाया गया कि स्यूडोमोनाज बैक्टेरिया सब जगह है। हर चिकित्सालय में ऐसी गंदगी फैली हुई है कि पहली बार इतिहास में 22 प्रसूताओं की मौत माननीय मुख्य मंत्रीजी के गृह जिले जोधपुर में हुई है जिसे मैं समझता हूं कि यह हमारे चिकित्सा जगत में भी पहली बार ऐसी घटनाएं हो

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

रही हैं। किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं है। माननीय वसुंधरा जी के टाइम पर बीकानेर में कार्डियक सेंटर चालू हुआ था, यूरो सेंटर चालू हुआ था, न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर चालू हुआ था, ट्रोमा सेंटर चालू हुआ था लेकिन दो साल से हम देख रहे हैं कि वे सेंटर वहीं के वहीं पड़े हैं। मैं समझता हूं कि सरकार चिकित्सा क्षेत्र में भी कोई ऐसा कार्य नहीं कर रही है और बीकानेर के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप यहां आ गये तो चिकित्सालय तो खराब ही होंगे। आप पहुंचो वहां पर वापस।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): पहले आप डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी को वापस भेजो, फिर मैं भी चला जाऊंगा।

सभापति महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में केन्द्र सरकार ने अभी वृद्धि की है, राजस्थान में भी इसी तरह आशा सहयोगिनियों के मानदेय में सरकार आंगनबाड़ी की तरह उनका भी मानदेय बढ़ाये।

खेतों में सरकार डिग्गियां बना रही हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत सारी डिग्गियां बनी हैं लेकिन, सभापति महोदय, बिना बिजली के डिग्गियों में पानी डाल भी देंगे तो उन डिग्गियों का कोई यूज नहीं है। मैंने पिछले बजट में भी मांग की थी 5 एच पी का कनेक्शन बिना वरीयता के सस्ती दर पर कनेक्शन दिया जाए तब जाकर के उन डिग्गियों का कोई औचित्य होगा अदरवाइज इन डिग्गियों का कोई औचित्य नहीं है।

सभापति महोदय, बीकानेर की हर बार बजट में अनदेखी की गई है। 30 साल से बीकानेर में रेलवे बाइपास, सूरसागर पर राजनीति हुआ करती थी लेकिन मैं माननीया वसुन्धरा राजे जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछली बार जब माननीया वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री हुआ करती थीं, बीकानेर की उन्होंने काया पलट दी। सूरसागर की जब बात ये तीस साल से करते थे लेकिन वसुन्धरा जी ने दृढ इच्छा शक्ति से सूरसागर को साफ करवाकर, उसमें स्वच्छ पानी डलवाकर, उसमें नाव तक चलवा दी और आज उस सूरसागर की स्थिति वापस खराब हो रही है। रेलवे बाइपास की बात करते थे, वसुन्धरा जी ने गजनेर रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण चालू किया तब 2007 में, लेकिन आज उसको तीन साल हो गये। मैंने विधान सभा में प्रश्न भी लगाया था, इन्होंने कहा था, विधान सभा के प्रश्न में जवाब आया था कि दिसम्बर, 2009 तक हम उसको कम्प्लीट कर देंगे लेकिन वह आज तक भी कम्प्लीट नहीं हुआ है। बीकानेर की स्थिति बहुत खराब है।

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

बीकानेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, उसके लिए व्यास कमेटी ने रिपोर्ट दी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस पर भी गौर नहीं किया। मैं चाहूंगा कि बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय पर सरकार थोड़ी गम्भीरता दिखाये।

सभापति महोदय, वसुन्धरा जी के वक्त 20,000 काश्तकारों को जो भूदान आबंटित थे, उनको एक ऐतिहासिक फैसला करके खातेदारी दी गई थी। इस गवर्नमेंट में जितनी भी खातेदारी अभी बाकी पड़ी है, उस हेतु सरकार द्वारा भूदान बोर्ड का गठन किया जाये और उनको खातेदारी दी जाये, यह हमारी मांग है।

पिछले बजट में ऊर्जा में किसानों को कहा गया था, किसानों को आवेदन करते ही कृषि कनेक्शन देने की बात कही गई थी जबकि मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एस.सी., एस.टी. का कनेक्शन, एक साल डिमांड नोटिस को भरे हुए हो गया है, एस.सी., एस.टी. का कृषि कनेक्शन उनको आज तक नहीं दिया गया। यह बड़ी विचित्र बात है। एस.सी., एस.टी. कनेक्शन के साथ यह सौतेला व्यवहार हो रहा है। मैं समझता हूं, मंत्रीजी पिछली बार गये थे और मैंने कहा था तो उन्होंने कहा कि दिसम्बर तक पूरा कर देंगे, लेकिन अभी तक वही स्थिति है। सरकार क्या काम करना चाहेगी, हमें पता नहीं।

सभापति महोदय, मैं दो-तीन बात कहकर खतम करना चाहूंगा। फर्श के रूप में काम में आने वाली सीमेंट की कंक्रीट, मोजाइक टाइल्स, जो एक आम नागरिक यूज करता है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, बस एक मिनट। मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन पर 14 प्रतिशत से 5 प्रतिशत टैक्स कर दिया लेकिन जो छोटी सी मोजाइक टाइल बनती है, उस पर मैं चाहूंगा कि जो आम आदमी यूज करता है, उस पर भी 5 प्रतिशत टैक्स किया जाये।

सभापति महोदय, लोहे के कूलर बाडी पर 14 प्रतिशत से 5 प्रतिशत टैक्स कर दिया है, मैं चाहूंगा कि फाइबर बाडी के कूलर हैं जो आम जनता यूज करती है, उन पर भी 14 से 5 प्रतिशत टैक्स किया जाये।

कृषि आधारित ऊन उद्योगों में कर मण्डी शुल्क की देयता भी समाप्त की जाये।

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री सभापति: श्री प्रेमचन्द नागर।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के इस बजट सत्र में गरीब व आम जन के लिए कल्याणकारी बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार के मुखिया एवं सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी का प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहां अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जन भावनाओं को ध्यान में रखकर इतिहास का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट स्पष्ट रूप से गांव व कृषि को समर्पित है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट में योजना का आकार 28,461 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो अनुमोदित योजना से 961 करोड़ रुपये अधिक है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने गत दो वर्षों में लगभग 1.50 लाख कृषकों को विद्युत कनेक्शन जारी किये हैं व आगामी वर्ष में 65,000 कृषकों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जायेंगे। विद्युत दुर्घटना में आम जन की मृत्यु हो जाने पर अनुदान राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दी गई है। सरकार की योजना के मुताबिक आगामी तीन वर्षों में बिजली उत्पादन में राजस्थान अग्रणी प्रदेश हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के विकास के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस बजट सत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गांवों व 250 की आबादी की ढाणियों व मजरों को सड़क से जोड़ने के लिए 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य केन्द्र सरकार से स्वीकृत करवाये गये हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जहां आज भी वर्षा के दौरान मरीजों को दिखाने के लिए बहुत सी बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि उसको चारपाई पर लिटाकर पी.एच.सी. या सी.एच.सी. तक इलाज के लिए उन लोगों को पहुंचाया जाता है। धार्मिक सड़क योजना के अन्तर्गत 1,100 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कर 610 धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक

(श्री प्रेमचन्द नागर)

ऐतिहासिक निर्णय और लिया है। 16 किलोमीटर लम्बाई के मिसिंग लिंक्स, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जो गांव व ढाणियां आबादी के अभाव में सड़कों से नहीं जुड़ पाई थीं, वहां पर भी मिसिंग लिंक्स के जरिये विधायक अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में सड़कों के काम करवा सकेंगे। 30- 40 किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य करवाये जायेंगे।

महोदय, पेयजल आज प्रदेश के सामने चुनौती बनी हुई है। यह एक ऐसा मुद्दा है पूरे प्रदेश के लिए, जिसका हम सबको मिलकर माननीय मुख्य मंत्रीजी के सहयोग से समाधान पूरे राज्य में करना होगा। राज्य के 249 में से 198 ब्लाक्स डार्क जोन में आ चुके हैं। सरकार ने जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हर सम्भव कदम उठाये हैं एवं इसमें धन की कमी नहीं आने दी जायेगी, का भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ध्यान रखा है। एस.सी., एस.टी., माइनोरिटी की बस्तियों में अलग से पेयजल स्रोत विकसित करने के लिए सरकार ने ट्यूबवेल व हैंडपम्प लगवाकर एस.सी., एस.टी. व माइनोरिटी की कई बस्तियों को लाभान्वित किया है।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 230 शय्याओं की बढ़ोतरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर की गई है। चिकित्सा विभाग में जितने भी रिक्त पद हैं, पी.एच.सी. व सी.एच.सी. में जितने डाक्टर्स के, ए.एन.एम. के पद रिक्त थे, उनको आवश्यक रूप से भरा जायेगा एवं आवश्यकता के अनुसार पद सृजित किये गये हैं। सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 2011 से सभी सरकारी अस्पतालों में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवाइयां सभी मरीजों के लिए नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जायेंगी।

सभापति महोदय, सरकार द्वारा चलाये गये अभियान प्रशासन-गांवों-के-संग के अन्तर्गत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से नि:शक्तजनों का चिन्हीकरण कर नि:शक्तजनों को प्रमाण-पत्र जारी कर, पात्रता के आधार पर पेंशन स्वीकृत की जा रही है। गैर-खातेदारी से खातेदारी अधिकार जो वर्षों से गरीब किसानों के लम्बित पड़े हुए थे, उनको इस प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में खातेदारी अधिकार दिलवाये गये। यह एक सराहनीय कदम है मुख्य मंत्री महोदय द्वारा।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के विस्तार करने हेतु हमारी सरकार ने पंचायती राज को पांच विभाग सौंपे हैं, उनका बजट भी सीधा पंचायत राज को आबंटित किया गया है जिससे पंचायती

(श्री प्रेमचन्द नागर)

राज संस्थाएं सुदृढ़ होंगी व ग्रामीण क्षेत्र का विकास सम्भव हो पायेगा, उनके कार्य अपने मूल स्थान पर ही सम्भव हो पायेंगे।

मुख्य मंत्री बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत आने वाले तीन वर्षों में दस लाख ग्रामीण बी पी एल परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जायेंगे। सभी पटवार सर्किलों पर पटवार भवन हेतु चालीस करोड़ रुपये का प्रावधान भी रखा गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में गत वर्ष माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रत्येक ग्राम पंचायत के बच्चों को सुलभ कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं। इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय व माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी लगभग 18 विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये हैं। 380 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, सामूहिक विवाहों के लिए अनुदान, पोषाहार का वितरण करना...।

मैं एक सभी विधायकों की भावनाओं के अनुरूप माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि विधायक कोष का एक करोड़ रुपये जो ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र हैं, उनमें काफी कम पड़ता है; जितनी पंचायतें हम लोगों के पास आती हैं उनमें हम सही तरीके से एक करोड़ रुपये का वितरण भी नहीं कर पाते हैं। अत: मेरा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह विधायक कोष को लगभग तीन करोड़ रुपये करके सभी विधायकों को....

श्री सभापति: एक करोड़ तो है, माननीय सदस्य।

श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा): तीन करोड़ के लिए कह रहे हैं।

श्री सभापति: तीन ?

श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा): हां, तीन। इस बजट को आदर्श कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। प्रदेश की जनता को एक अच्छा बजट देने के लिए पुन: हमारे लोकप्रिय नेता माननीय मुख्य मंत्री महोदय को प्रदेश की जनता की ओर से तहेदिल से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2011 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.52 बजे मंगलवार दिनांक 15 मार्च, 2011 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

छापुडा खुर्द ग्राम पंचायत (विराटनगर) में नरेगा योजनांतर्गत प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

124. **डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की ग्राम पंचायत छापुडा खुर्द में गत दो वर्षों में नरेगा में अनियमितता की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ?

(2) उक्त प्राप्त शिकायतों की जांच में कितने जाब कार्ड फर्जी पाये गये तथा कितने जाब कार्ड निरस्त किये गये व कितने फर्जी जाब कार्डों को मस्टररोल में कार्य करते हुये दर्शाया गया और इनके पेटे कितनी राशि का भुगतान उठाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरण में फर्जी राशि आहरित करने में कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या फर्जी जाब कार्ड बनाने वालों के विरुद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया गया है ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही हुई ?

(5) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में फर्जी जाब कार्ड बनाने वाले सचिव को अभी तक भी नरेगा कार्य में लगा रखा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त प्रकार के कर्मचारी को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराट नगर की ग्राम पंचायत धापुडा खुर्द में नरेगा में अनियमितता की शिकायत जिला कार्यालय को प्राप्त हुई।

(2) प्राप्त शिकायत की जांच तहसीलदार शाहपुरा से कराई गई। जांच रिपोर्ट में फर्जी जाब कार्ड की संख्या के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन यह अवगत कराया है कि 7 जाब कार्ड में फर्जी हाजरी भर कर राशि का

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

भुगतान किया गया है। ग्राम पंचायत से प्राप्त विवरण के अनुसार इन 7 जाबकार्डधारी परिवारों को कार्य करते हुए राशि रुपये 29848/- का भुगतान किया गया है। (जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है)

(3) फर्जी राशि आहरित करने में जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सेवक पदेन उप सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, पोस्टमैन तथा 7 मेटों को दोषी पाया गया है। दोषी पाये गये समस्त लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवायी गयी तथा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को 1 वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है (परिशिष्ट-2)। इसके अतिरिक्त ग्राम रोजगार सहायक को संविदा समाप्ति करने हेतु नोटिस दिया गया है (परिशिष्ट-3)।

(4) जी हां। प्रकरण के सम्बन्घ में ग्राम सेवक पदेन ग्राम सचिव, रोजगार सहायक, पोस्टमैन एवं 7 मेटों के विरूद्ध पुलिस थाना शाहपुरा में दिनांक 16.10.2009 को एफआईआर संख्या 640 दर्ज करायी गयी है। जिस पर पुलिस अनुसन्धान अधिकारी द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी है। अन्तिम रिपोर्ट के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रोटेस्ट एप्लीकेशन प्रस्तुत करने के लिए विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति विराट नगर को निर्देशित किया गया है। पुलिस थाना शाहपुरा की अन्तिम रिपोर्ट परिशिष्ट-4 पर तथा प्रोटेस्ट एप्लीकेशन लगाने हेतु दिए गए निर्देश परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(5) सम्बन्धित ग्राम सेवक एवं पदेन ग्राम सचिव को उसके द्वारा की गयी अनियमितता के कारण उसे दण्डादिष्ट करने के उपरान्त अन्यत्र ग्राम पंचायत में पदस्थापित कर दिया गया है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

नगर विधान सभा क्षेत्र में संचालित गौशाला

125. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नगर में एक पंजीकृत गौशाला सेवल मन्दिर (सीकरी) में संचालित है ? यदि हां, तो क्या उक्त में गायों के रख-रखाव के लिए नायब तहसीलदार सीकरी की अध्यक्षता में कोई समिति गठित है ? उक्त समिति गायों के चारे पानी की क्या व्यवस्था करती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अनीता सिंह)

(2) क्या गौशाला आयोग द्वारा उक्त गोशाला के लिए अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों ? संबंधित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नगर व कामां में स्थित गौशालाओं में विद्युत सम्बन्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। गायों के रख-रखाव के लिए नायब तहसीलदार सीकरी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा गोशाला में संधारित गायों के चारे की व्यवस्था दान दाताओं द्वारा दी जाने वाली सहायता से की जाती है। गायों के लिए पानी की व्यवस्था गौशाला में उपलब्ध ट्यूबवेल से की जाती है।

(2) जी हां । राजस्थान गो सेवा आयोग जयपुर द्वारा गोवध से बचाकर सेवल गौशाला को उपलब्ध कराये गये गोवंश के पालन-पोषण हेतु निम्नानुसार राशि गो सेवा समिति गोशाला सेवल मन्दिर तेस्की सीकरी जिला भरतपुर को स्वीकृत की गई है ।

अ. दिनांक 24.1.2002 राशि रु. 1.00 लाख

ब. दिनांक 16.10.2002 राशि रु. 4950

स. दिनांक 9.5.2005 राशि रु. 12190

राजस्थान गोसेवा आयोग जयपुर के अनुदान से सम्बन्धित नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(3) वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं में विद्युत सम्बन्ध करवाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान गो सेवा आयोग

60, शिवाजी नगर, सिविल लाइन्स, जयपुर- 302006

(दूरभाष 2220245, 2224339)

वध से बचाये गोवंश के पालन-पोषण हेतु योजना

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 दिनांक 25/8/95 से समस्त राज्य में लागू है।

जो व्यक्ति गोवंशीय पशुओं का उनके वध के प्रयोजन से निर्यात करता है उनके विरूद्ध उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है और पकड़े गये गोवंश के पालन-पोषण हेतु सक्षम गोशाला/संस्था को सक्षम अधिकारियों द्वारा सुपुर्द किया जाता है। ऐसे पकड़े हुये गोवंश के पालन पोषण हेतु आयोग की ओर से यह योजना प्रस्तावित है।

गोशालायें/गोसदन इस कार्य में महती भूमिका निभा सकते हैं। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न दिशा निर्देश दिये जाते हैं, जिनकी पालना किया जाना अनिवार्य है :-

1. किसी सरकारी एजेन्सी (सक्षम पुलिस अधिकारी अथवा जिला कलक्टर) के माध्यम से प्राप्त गोवंश को आपके यहां जमा करवाने पर आप उन्हें लेकर गोवंश प्राप्ती रसीद जारी करेंगे।
2. प्राप्त होने पर इन पशुओं का विवरण अनिवार्य रूप से एक पंजिका में दर्ज किया जावेगा और प्रतिदिन गोवंश की उपस्थिति पंजिका में दर्ज की जायेगी। पंजिका में गोवंश की असामयिक मृत्यु/कमी होने पर विशेष विवरण सहित टिप्पणी दर्ज कर आयोग को अनिवार्य रूप से सूचित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित गोशाला की होगी।

गौवंश

3. प्राप्त गोवंश की पहचान हेतु गोवंश के सींगो को पीले रंग मार्किंग स्याही से चिन्हित किया जायेगा या प्रत्येक गोवंश के बायें कान में इयर टेग लगवाकर गौशाला में शेष वंश से पृथक रूप से बाड़े में पालन-पोषण हेतु अनिवार्य रूप से रखा जावेगा। गोवंश के सींगो से पीले रंग के हल्के होने या हटने पर प्रत्येक माह गोशाला द्वारा पुन: चिन्हित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. आयोग द्वारा या आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्तियों/अधिकारियों द्वारा गोशाला में वध से बचाये गये गोवंश के उपस्थिति का निरीक्षण समय-समय पर किया जायेगा। निरीक्षण के समय उपस्थिति व चिन्हित गोवंश को ही आधार मानकर आयोग द्वारा अनुदान दिया जायेगा।

5. गोवंश के प्राप्त होने पर उसी सप्ताह के अंत में सूचना राजस्थान गोसेवा आयोग को अनिवार्य रूप से भिजवाई जावे। तीन माह के पश्चात् उक्त योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिये किये जाने वाले आवेदनों पर आयोग द्वारा विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

6. माह के अन्त में गोवंश की संख्या के आधार पर अनुदान राशि रु. 5 प्रति गोवंश प्रति दिन की दर से बिल बनाकर दावा किया जायेगा यह बिल स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी से अथवा उसके अभाव में किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाकर भिजवाना होगा। यदि उस गांव में उपरोक्त दोनों में से कोई भी उपस्थित न हो तो स्थानीय पाठशाला के मुख्याध्यापक से इसका प्रमाणीकरण करावें। गोवंश की दैनिक हाजरी भी प्रपत्र में भिजवानी होगी व प्रमाणित करानी होगी।

आयोग से प्राप्त राशि का इन्द्राज गोशाला को अनिवार्य रूप से कैश बुक में किया जावेगा और आयोग को रसीद भिजवाई जावेगी। इस हेतु लेजर में भी अलग से इन्द्राज किया जावेगा। गोशाला द्वारा आडिट में राजस्थान गोसेवा आयोग से अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का उल्लेख किया जायेगा।

जब इन गोवंश को छोड़ा जावेगा अथवा इनकी मृत्यु हो जाने अथवा इनकी बिक्री होने पर भी सम्बन्धित नक्शे में सूचना दी जावेगी।

प्रत्येक तीन माह में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मुकदमे में हुई प्रगति व गोवंश की स्थिति के बारे में सम्बन्धित सक्षम पुलिस अधिकारी की टिप्पणी सहित प्रगति रिपोर्ट से अनिवार्य रूप से आयोग को अवगत कराया जायेगा।

ह./-
(डा. तपेश माथुर)

ग्राम पंचायत स्तर पर मिनी बैंकों की स्थापना

126. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सहकारी समितियों के रूप में मिनी बैंक खोलने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वर्तमान में कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियां मिनी बैंक के रूप में संचालित हैं तथा कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में

(श्री गोपाल मीणा)

अभी सहकारी समितियां मिनी बैंक के रूप में नहीं हैं ? ग्राम पंचायत की नाम सहित जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब शेष रही ग्राम पंचायतों में कब तक सहकारी समितियों के रूप में मिनी बैंक खोल दिए जाएंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश की ऐसी सभी ग्राम पंचायतों, जिसमें ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है, वहां पर मिनी बैंक की उप शाखा खोलने का निर्णय दिनांक 30.6.2009 को लिया गया। निर्णय की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में जिन ग्राम पंचायतों में मिनी बैंक संचालित है तथा जिन ग्राम पंचायतों में मिनी बैंक संचालित नहीं है, की जिलेवार सूची परिशिष्ट -2 पर संलग्न है।

(3) ऐसी ग्राम सेवा सहकारी समितियां, जहां मिनी बैंकों का गठन नहीं हुआ है, वहां मिनी बैंक खोलने हेतु संचय नामक योजना दिनांक 6.8.2010 से प्रभावित की गई है। योजना के निर्धारित प्रावधान पूर्ण होते ही चिन्हित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मिनी बैंक का गठन कर दिया जाता है।

(प्रति व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय महाविद्यालय बीबीरानी (अलवर) में व्याख्याताओं के रिक्त पद

127. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर के राजकीय महाविद्यालय बीबीरानी में व्याख्याताओं के कितने पद स्वीकृत व रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय बीबीरानी तहसील कोटकासिम में विज्ञान संकाय नहीं है? यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को विज्ञान संकाय के अध्ययन की दृष्टि में सरकार उक्त महाविद्यालय

(श्री रामहेत सिंह)

में विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय बीबीरानी में विभिन्न विषयों में व्याख्याताओं के 17 पद स्वीकृत हैं, और 09 पद रिक्त हैं। सूची संलग्नक-अ संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। विभाग में व्याख्याताओं के रिक्त पदों में से 457 रिक्त पदों पर व्याख्याताओं के चयन हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती हेतु विज्ञप्ति दिनांक 21.09.2010 को जारी की जा चुकी है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर बीबीरानी महाविद्यालय के रिक्त पदों को भरने हेतु विचार किया जाएगा।

(3) जी हां। विभाग की वार्षिक योजना में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण राजकीय क्षेत्र में विज्ञान संकाय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

स्ववित्तपोषी योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय विकास समिति के माध्यम से यदि विज्ञान संकाय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो विचार किया जा सकता है।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	विषय	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	अर्थशास्त्र	1	1	0
2.	अंग्रेजी	1	1	0
3.	भूगोल	5	1	4
4.	हिन्दी	2	1	1
5.	इतिहास	1	1	0
6.	राजनीति शास्त्र	3	2	1
7.	संस्कृत	1	1	0
8.	ए.बी.एस.टी.	1	0	1
9.	व्या. प्रशासन	1	0	1
10.	ई.ए.एफ.एम.	1	0	1

जयपुर शहर के केन्द्रीय कारागार के स्थानान्तरण हेतु भूमि

128. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) व **श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जयपुर शहर के वर्तमान केन्द्रीय कारागार को अन्यत्र स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण से जमीन आबंटित करने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो कितनी भूमि आबंटन हेतु और जयपुर विकास प्राधिकरण ने किस स्थान पर कितनी जमीन आबंटित की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नही। न्यायालय परिसर से दूरी, बंदियों को समुचित चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता तथा उनसे सुविधाजनक तरीके से परिजनों के मिलने की आवश्यकता तथा अन्य प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त समुचित भूमि उपलब्ध होने पर केन्द्रीय कारागार को स्थानान्तरित किया जाने का निर्णय लिया जायेगा।

(2) कारागार भवन वर्तमान बंदी संख्या के लिये अपर्याप्त होना, भविष्य की आवश्यकता तथा दण्डित बंदियों हेतु पृथक कारागार निर्माण के लिये विभाग द्वारा वर्तमान न्यायालय परिसर से लगभग 10 किलोमीटर की परिधि में उपयुक्त 200 बीघा भूमि चिन्हित कर जेल विभाग को आबंटित करने हेतु जयपुर कलक्टर को अनुरोध किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय कारागृह जयपुर हेतु ग्राम बगराना में 95 बीघा 15 बिस्वा भूमि आरक्षित किया गया है। स्थान की उपयुक्तता का परीक्षण किया जा रहा है।

बाजरा एवं मूंग की फसल का समर्थन मूल्य

129. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर बाजरा एवं मूंग की फसल खरीदने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो वर्ष 2010 में कितना टन बाजरा किन-किन खरीद केन्द्रों से खरीदा एवं किसानों को कुल कितना भुगतान किया गया ?

(श्री भवानी सिंह राजावत)

(2) क्या यह भी सही है कि किसान को बाजरा एवं मूंग की फसल को सरकारी खरीद की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने के कारण समर्थन मूल्य से कम दामों पर बेचना पड़ा ? यदि हां, तो सरकार द्वारा समय पर खरीद की व्यवस्था नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा राजस्थान में समर्थन मूल्य पर बाजरा एवं मूंग खरीद करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2010-11 में कुल 178.50 क्विंटल बाजरा खरीदा, जिसमें से भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित सवाई माधोपुर केन्द्र में 109 क्विंटल एवं राजफैड द्वारा चौथ का बरवाड़ा केन्द्र में 69.50 क्विंटल बाजरा खरीदा। किसानों को कुल 1,57,080 रुपये का भुगतान किया गया।

(2) यह सही नहीं है। बाजरा की राज्य में सरकारी खरीद की राजफैड एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद करने के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं करने बाबत विभाग द्वारा निर्देशित कर दिया गया। बाजरा भारत सरकार से निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने के कारण समर्थन मूल्य पर पर्याप्त खरीद नहीं हो सकी।

शीतलहर से प्रभावित फसलों का प्राकृतिक आपदा में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव

130. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करें :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में रबी की फसल में शीतलहर से सरसों, चना, सब्जी एवं अन्य फसलों की बर्बादी को प्राकृतिक आपदा नहीं माना जाता है? क्या सरकार द्वारा इसको प्राकृतिक आपदा में शामिल कराने हेतु प्रयास किये हैं? यदि हां, तो किये गये प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को इसे आपदा में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या अब सरकार केन्द्र सरकार को उक्त प्रस्ताव भिजवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा जारी सी.आर.एफ. मानदण्डों में अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं में शीतलहर शामिल नहीं है। राज्य सरकार द्वारा शीतलहर को अधिसूचित प्राकृतिक आपदा में शामिल करने हेतु समय-समय पर प्रयास किये गये हैं। विवरण (परिशिष्ट-1) संलग्न है।

(2) इसका उत्तर बिन्दु संख्या 1 में दे दिया गया है।

(3) राज्य सरकार द्वारा पूर्व में किये गये प्रयासों के संदर्भ में केन्द्र सरकार से प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कोटपूतली के विद्यालयों में दोषपूर्ण मध्याह्न भोजन

131. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत दो वर्षों में मिड-डे-मील में खराब व घटिया किस्म के खाने से कहां-कहां कितने-कितने छात्र बीमार हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त संबंध में अब तक किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के विद्यालयों में वितरित मिड-डे-मील का निरीक्षण किस-किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया ? निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण प्रपत्र - 'अ' में संलग्न कर दिया गया है ।

(2) विवरण प्रपत्र - 'अ' एवं 'ब' मे संलग्न कर दिया गया है।

(3) गत दो वर्षों मे विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के विद्यालयों में वितरित मिड-डे-मील का निरीक्षण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न कर दिया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट परिशिष्ट-'द' पर संलग्न कर दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

बूचावास (तारानगर), चूरू में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत प्रीमियम एवं मुआवजा राशि का निर्धारण

132. श्री रोहिताश कुमार (बानसूर) व **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत रबी 2009-10 में किसानों द्वारा कुल कितना प्रीमियम दिया गया तथा कितनी फसल नष्ट होने पर कुल कितने किसान कितनी मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी हुये तथा दिसम्बर, 2010 तक कुल कितनी मुआवजा राशि प्रदान की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में बीमा प्रीमियम राशि व मुआवजा राशि के निर्धारण का क्या आधार/मानदण्ड है ?

(3) क्या यह सही है कि बूचावास (तारानगर), चूरू में रबी 2009-10 की प्रीमियम राशि व मुआवजा राशि का निर्धारण तहसील तारानगर के अन्य गांव के स्केल आफ फाइनेन्स के आधार पर नहीं किये जाने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कम प्रीमियम व कम मुआवजा राशि का निर्धारण करने के दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार बूचावास (तारानगर), चूरू के किसानों को रबी 2009-10 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में कम मुआवजा दिये जाने की भरपाई करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत रबी 2009-10 में कृषकों द्वारा कुल 24.63 करोड रुपये का प्रीमियम दिया गया एवं 79,480 कृषकों को 50.49 करोड रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया, जिसमें से दिसम्बर-2010 तक 30.30 करोड रुपये का मुआवजा बीमित कृषकों को किया जा चुका है । बीमित कृषकों को शेष मुआवजा राशि का भुगतान मार्च के प्रथम सप्ताह में कर दिया गया है।

(2) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप कृषकों से बीमित राशि पर प्रीमियम बाजरा 3.5%, खाद्यान्न एवं दलहनी फसलों पर 2.5%, तिलहनी फसलों पर 3.5%, रबी फसलों के अन्तर्गत गेहूं 1.5%, खाद्यान्न एवं तिलहन 2.00% एवं वाणिज्यिक फसलों में वास्तविक

(कृषि मंत्री)

बीमांकिक दरों के अनुसार निर्धारित है । लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्रीमियम में 10% का अनुदान दिया जाता है ।

मुआवजे हेतु तहसील स्तर पर गारण्टी उपज एवं वास्तविक उपज के आधार पर निम्न सूत्र निर्धारित किया हुआ है, जिसके आधार पर गणना की जाती है :-

$$\text{मुआवजा राशि} = \frac{\text{गारण्टी उपज - वास्तविक उपज}}{\text{गारण्टी उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

उपरोक्त सूत्र भारत सरकार की मार्गदर्शिका अनुसार निर्धारित है।

(3) जी नहीं । ऐसी कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है । इस योजना में प्रीमियम राशि निर्धारित दर के अनुसार ही वसूल की गई। तारानगर तहसील में रबी 2009-10 में चना फसल में 18,231 कृषकों को 27.94 करोड रुपये का मुआवजा दिया जाना था जिसमें से अभी तक 16.67 करोड रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है । बीमित कृषकों को शेष मुआवजा राशि का भुगतान मार्च के प्रथम सप्ताह में कर दिया गया है ।

(4) जी नहीं । इस योजना में बैंक द्वारा बीमित की गई राशि के अनुरूप बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित सूत्र के अनुसार गणना कर बीमित कृषकों को मुआवजा दिया गया है । इस योजना में कम दिए गए मुआवजे की भरपाई किए जाने का प्रावधान योजना की मार्गदर्शिका में निहित नहीं है ।

प्रदेश में संचालित बचत एवं साख समितियों का निरीक्षण

133. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कुल कितनी क्रेडिट सहकारी समितियां (बचत एवं साख समितियां) हैं एवं उक्त की कितनी शाखाएं है? जिलेवार संख्या एवं शाखाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनी सहकारी संस्थाओं का कार्यक्षेत्र एक से अधिक जिलों में है? क्या उक्त की स्वीकृति सरकार से ली गई? यदि हां, तो किस-किस संस्था ने व नहीं, तो क्यों?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(3) उक्त सहकारी संस्थाओं की कुल कितनी डिपोजिट है? क्या सहकारी नियमों में उक्त डिपोजिट का कुछ प्रतिशत रिजर्व रखने का प्रावधान है ? यदि हां, तो कितना और इस तरह की राशि किस बैंक में डिपोजिट है ? क्या सहकारी संस्था अधिनियम, 2003 के नियम 68 के तहत इस तरह का निर्देश जारी रखने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि ऐसी सहकारी संस्थाएं नियमित सदस्य नहीं बनाकर नोमिनल सदस्य बनाकर ही डिपोजिट ले रही हैं ताकि इनकी शेयर कैपिटल पांच लाख के भीतर-भीतर ही रहे ?

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त समितियों की सामयिक निरीक्षण की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

(6) उक्त सहकारी समितियों द्वारा कितनी राशि के ऋण दिये जा सकते हैं तथा इसकी सिक्योरिटी में इनके द्वारा क्या-क्या बंधक रखा जा सकता/रखा जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत कुल 817 क्रेडिट सहकारी समितियां (बचत एवं साख समितियां) कार्यरत हैं एवं इनकी 317 शाखाएं हैं, जिनकी जिलेवार संख्या एवं शाखाओं की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में राज्य के सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत 6 क्रेडिट सहकारी समितियों का कार्यक्षेत्र एक से अधिक जिलों में है, जिनकी स्वीकृति विभाग से ली गई है। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) इन सहकारी संस्थाओं में कुल 62603.75 लाख रू. की डिपोजिट है।

जी हां। राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 68 के अनुसार निक्षेप स्वीकार करने वाली तथा नगद साख स्वीकृत करने वाली सोसायटियों के लिए रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारितानुसार तरल संसाधन रखे जाने के प्रावधान है। विभाग द्वारा उक्त संस्थाओं में डिपोजिट का कुछ भाग रिजर्व रखने संबंधी कोई दिशानिर्देश अभी तक जारी नहीं किये गये हैं। ऐसे निर्देश जारी कराने का विचार है।

(सहकारिता मंत्री)

(4) जी हां। किन्तु विभाग के निर्देश दिनांक 22.06.07 में केवल सदस्यों की ही जमायें स्वीकार करने संबंधी प्रावधान उपनियमों में रखने के निर्देश दिये गये हैं।

(5) जी नहीं । राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 में रजिस्ट्रार द्वारा इन सहकारी समितियों का निरीक्षण किये जा सकने के प्रावधान नहीं है।

(6) इन सहकारी समितियों द्वारा दिये जाने वाले ऋण की राशि एवं इस हेतु ली जाने वाली सिक्योरिटी संबंधित सहकारी संस्था द्वारा अपनी उपविधियों के अध्यधीन रहते हुए बनाई गई अपनी लेंडिंग पालिसी के अनुसार निर्धारित की जाती है, जो पृथक-पृथक समितियों में पृथक-पृथक है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में महाविद्यालय की स्थापना

134. **श्री सूरजभान** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। विभाग की वार्षिक योजना में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण राजकीय क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन एवं सम्बद्ध दुग्ध संघों में व्याप्त अनियमितताएं

135. **डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड) व **श्री सुखराम** (बसेड़ी) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन एवं उससे सम्बद्ध डेयरियों में वर्ष 2001 से जनवरी, 2011 तक कितने अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार के कितने प्रकरण सरकार के सामने आए? उक्त प्रकरणों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अधिकारी/कर्मचारियों का निलम्बन किया गया? यदि हां, तो कब एवं उक्त पर कितनी राशि के भ्रष्टाचार के आरोप थे? उक्त राशि की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(3) क्या उक्त प्रकरणों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही चल रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन एवं उससे सम्बद्ध डेयरियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध वर्ष 2001 से जनवरी, 2011 तक भ्रष्टाचार के 91 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 74 प्रकरणों की सूचना मय कार्यवाही विवरण प्रदर्श "अ" पर संलग्न है। शेष 17 प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज किये गये हैं, जिसका विवरण प्रदर्श "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त अधिकारी/कर्मचारियों में से जिनका निलम्बन किया गया है एवं उन पर आरोपित राशि की वसूली की कार्यवाही का विवरण प्रदर्श ''ख'' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज नहीं कराया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

सोजत में चक्रवाती तूफान से क्षति

136. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में दिसम्बर, 2010 में कितने गांवों में चक्रवाती तूफान आया था? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार चक्रवाती तूफान से कृषकों के चारा, फसल व मेंहदी को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान की जांच रिपोर्ट पटवार हल्कों से मंगाई गई है? क्या उक्त रिपोर्ट कृषकों से मिलकर नहीं भेजी है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 13.11.2010 को पाली जिले के विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्राम सोजत रोड एवं आसपास के अल्प क्षेत्र में चक्रवात (तेज अंधड़ एवं वर्षा) आया था।

(2) प्राकृतिक आपदा से खड़ी फसलों में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान दर्ज होने पर ही आपदा राहत कोष (सीआरएफ) से कृषि आदान अनुदान के रूप में सहायता दी जा सकती है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में हुए नुकसान की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट जिला कलक्टर द्वारा प्राप्त की गयी है । इसमें किसी का दोष नहीं पाया गया है।

पाली एवं रोहट तहसील के अन्त्योदयी परिवारों को बी.पी.एल. योजना का लाभ

137. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अन्त्योदयी परिवार कार्ड जारी करने के लिये सरकार द्वारा क्या कोई मानदंड निर्धारित किये हुए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला पाली की तहसील पाली एवं रोहट में किस-किस को अन्त्योदयी परिवार कार्ड जारी किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अन्त्योदयी योजना में उन्हीं परिवारों को सम्मिलित किया जाता है जो अत्यधिक निर्धन की श्रेणी में आते हैं ? यदि हां, तो अन्त्योदयी कार्ड धारक परिवारों को बी.पी.एल. परिवारों के लिये बनी कौन-कौनसी योजना में लाभान्वित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो अत्यधिक निर्धन होने के बावजूद भी उन्हें बी.पी.एल. परिवारों हेतु बनी योजनाओं से क्यों वंचित रखा जा रहा है ?

(4) क्या सरकार अन्त्योदयी कार्डधारी परिवारों को बी.पी.एल. परिवारों हेतु बनी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा कार्ड, इन्द्रा आवास, पन्नाधाय पारिवारिक सहायता योजना एवं वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन आदि योजनाओं में लाभान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल सर्वे कराया जाता है। सर्वे में चयनित बीपीएल परिवारों में से भारत सरकार द्वारा आबंटित संख्या के अनुसार अन्त्योदय योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों में से निर्धनतम परिवारों का चयन किया जाता है। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों का चयन पंचायतीराज विभाग एवं शहरी क्षेत्रों में स्वायत्तशासी संस्था के द्वारा किया जाता है। चयनित परिवारों की सूची के आधार पर राशन कार्ड जारी किये जाते हैं। भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला पाली की तहसील पाली ग्रामीण क्षेत्र में 1920 व पाली शहर (नगर परिषद क्षेत्र) में 966 तथा तहसील रोहट में 1982 अन्त्योदयी राशन कार्ड जारी किये हुये हैं। उक्त तीनों परिवारवाइज सूचियां क्रमशः परिशिष्ट-2-1, 2-2, 2-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि निर्धन में से निर्धनतम परिवारों को अन्त्योदय योजना की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। खाद्य विभाग द्वारा बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न, केरोसीन, चीनी आदि से लाभान्वित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत वर्तमान में बी.पी.एल. परिवारों को 25 किलो गेहूं प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह 2/- रुपये किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि अन्त्योदय परिवारों को 35 किलो गेहूं प्रति राशन कार्ड 2/- रुपये किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों को समान रूप से 500 ग्राम प्रति यूनिट लेवी चीनी 13.50 रुपये प्रतिकिलो तथा केरोसीन 13.75 रुपये प्रति लीटर की दर से बिना गैस कनेक्शन धारियों को 3 लीटर प्रति राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्य मंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना एवं राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी राजस्थान के तहत बी.पी.एल. परिवारों व वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशनधारियों को चिकित्सा सुविधा राजकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध करवाई जाती है। यदि अन्त्योदय कार्डधारी परिवार इन श्रेणियों के अन्तर्गत चयिनत है, तो उनको भी राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

(4) जी हां। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार बीपीएल श्रेणी में शामिल

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

अन्त्योदय परिवारों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा कार्ड, इन्दिरा आवास, पन्नाधाय पारिवारिक सहायता योजना एवं वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन आदि योजनाओं में लाभान्वित किया जा रहा है।

(प्रतियां व सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

बाजार हस्तक्षेप योजनान्तर्गत जिंसों के क्रय एवं कीमत का निर्धारण

138. श्री रामनारायण मीणा (देवली उनियारा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य की कुल कृषि भूमि में से कितनी प्रतिशत भूमि सिंचित तथा कितनी असिंचित है तथा सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र की प्रमुख फसलें कौन-कौनसी हैं ?

(2) सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र में पृथक्-पृथक् किस्म की फसलों को पैदा करने में कितनी लागत आती है तथा प्रति एकड़ किसान को क्या बचत होती है ?

(3) क्या यह सही है कि अनुमानित लागत तथा अनुमानित शुद्ध लाभ के आंकड़े सही नहीं होने से कृषकों के हित में सही योजनाओं का निर्धारण नहीं हो पा रहा है तथा असिंचित क्षेत्र से किसान को हानि हो रही है ? क्या किसानों को उचित बाजार मूल्य दिलवाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना अन्तर्गत जिन्सों के क्रय एवं कीमत निर्धारण के सम्बन्ध में प्रभावी ध्यान देने तथा कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक? बाजार हस्तक्षेप योजनान्तर्गत निर्धारित दर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) राज्य में कुल कृषि भूमि लगभग 210 लाख हैक्टेयर है, जिसमें से शुद्ध सिंचित क्षेत्र लगभग 62.26 लाख हैक्टेयर है जो कि कुल कृषि भूमि का 30 प्रतिशत है ।

सिंचित क्षेत्र की प्रमुख फसलें गेहूं, सरसों, चना, दालें, गन्ना, मक्का, कपास, सोयाबीन इत्यादि हैं तथा असिंचित क्षेत्र की प्रमुख फसलें बाजरा, मक्का, ग्वार, चना, सरसों, दालें इत्यादि हैं ।

(कृषि मंत्री)

(2) पृथक-पृथक फसलों में लागत की गणना करते समय कृषि आदानों के मूल्य, श्रम की लागत आदि को सम्मिलित किया जाता है तथा उसके आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं । राज्य के अलग-अलग भागों में जलवायु, मृदा तथा अन्य कारकों में भिन्नता होने के कारण फसलों की उत्पादन लागत एवं उत्पादकता में काफी अन्तर होता है जिसके फलस्वरूप प्रति एकड़ किसान को प्राप्त बचत में भी भिन्नता होती है। अतः सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र में सम्पूर्ण राज्य के लिए एकरूपता से उत्पादन लागत तथा बचत का आंकलन करना सम्भव नहीं है ।

(3) जी नहीं । यह सही नहीं है कि अनुमानित लागत एवं अनुमानित शुद्ध लाभ के आंकड़े सही नहीं होने से कृषकों के हित में सही योजनाओं का निर्धारण नहीं हो पा रहा है । विभाग द्वारा सिंचित तथा असिंचित क्षेत्र के कृषकों के हित को ध्यान में रखकर ही योजनाओं का निर्धारण किया जाता है। इसके साथ-साथ योजनाओं का निर्धारण अन्य तथ्यों यथा सिंचाई जल की उपलब्धता, स्थान विशेष की जलवायु तथा भूमि की उर्वरता आदि अनेक तथ्यों को भी ध्यान में रखा जाता है। विभाग द्वारा क्रियान्वित कई योजनाओं/ कार्यक्रमों का निर्धारण तथा दिशा निर्देश भारत सरकार से प्राप्त होते हैं एवं योजनाओं का क्रियान्वयन उन दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाता है । कृषकों को उचित बाजार मूल्य दिलवाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष खरीफ एवं रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है तथा राज्य सरकार कृषक हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिन्सों की खरीद करती है ।

(4) किसी भी फसल विशेष के भाव अचानक गिरने पर भारत सरकार द्वारा उस फसल की उत्पादन लागत को मद्देनजर रखते हुए क्रय मूल्य निर्धारित कर राज्य सरकार के माध्यम से कृषकों की पैदावार को खरीदने की व्यवस्था की जाती है। बाजार हस्तक्षेप योजना अन्तर्गत पूर्व में दरों का निर्धारण नहीं किया जाता है।

कामां में संचालित सहकारी उपभोक्ता संघ की नवीन दुकान

139. श्रीमती जाहिदा खान (कामां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती जाहिदा खान)

(1) राज्य में राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की मेडिकल दुकानें खोलने के क्या मानदण्ड हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र कामां में कितनी राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की मेडिकल की दुकानें संचालित हैं? क्या सरकार और नई दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किसी क्षेत्र में स्थानीय जिला सहकारी भण्डार/क्रय विक्रय सहकारी समिति की मेडिकल दुकान नहीं हो एवं राज्य सरकार के कार्मिकों, पेन्शनरों एवं आमजन की मांग प्राप्त होने पर राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि, जयपुर द्वारा सर्वे करवाया जाता है, जिसमें खोली जाने वाली प्रस्तावित मेडिकल दुकानों के क्षेत्र की जनता की मांग, संबंधित चिकित्सालय के आउटडोर के दैनिक मरीजों की संख्या एवं प्रस्तावित मेडिकल दुकान की लाभदायकता का आंकलन किया जाता है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर संबंधित क्षेत्र के राजकीय चिकित्सालय द्वारा प्रस्तावित मेडिकल दुकान हेतु स्थान उपलब्ध करवाये जाने अथवा चिकित्सालय के समीप उपयुक्त निजी स्थान देखकर, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर द्वारा अपनी मेडिकल दुकानें खोली जाती हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र कामां में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि, जयपुर द्वारा वर्तमान में कोई मेडिकल दुकान संचालित नहीं की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र कामां में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर अपनी मेडिकल दुकान खोलने का विचार नहीं रखता है। कामां में भरतपुर सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा मेडिकल की एक दुकान संचालित है।

प्रदेश में संचालित निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण हेतु नियामक आयोग

140. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में निजी विश्वविद्यालयों को रियायती दर पर भूमि का आबंटन किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस विश्वविद्यालय को कितनी-कितनी ?

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(2) क्या जमीन आबंटन के बाद विश्वविद्यालयों द्वारा कार्य करना शुरू कर दिया गया ? यदि हां, तो किस-किस विश्वविद्यालय द्वारा व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती के मानदण्ड निर्धारित हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालय यू.जी.सी. द्वारा अपनाये जा रहे मानदण्डों को पूरा करते हैं ? यदि नहीं, तो उन पर प्रभावी नियन्त्रण के लिए सरकार की क्या व्यवस्था है ?

(5) क्या सरकार निजी विश्वविद्यालयों के नियन्त्रण के लिए नियामक आयोग बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निजी विश्वविद्यालयों को भूमि आबंटन के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। प्रायोजक निकाय को भूमि की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होती है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 19 संस्थाओं को प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु स्वीकृति दी है। इन विश्वविद्यालयों के संचालन हेतु संस्थाओं के पास उपलब्ध भूमि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। अब तक स्थापित 18 निजी विश्वविद्यालयों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। दिसम्बर, 2010 में अध्यादेश द्वारा स्थापित रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) द्वारा शैक्षणिक कार्य आगामी सत्र से प्रारम्भ किया जावेगा।

(3) जी नहीं। निजी विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की भर्ती हेतु पृथक से मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं परन्तु अधिनियमों की धारा 38 में उपलब्ध प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि की अनुपालना करने के लिये आबद्ध हैं।

निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति यू.जी.सी. के मापदण्डानुसार एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति राज्य सरकार के नियमानुसार की जाती है।

होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जाती है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(4) जी हां। सिंघानियां विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुन्झुनूं) को छोड़कर शेष सभी विश्वविद्यालयों द्वारा यू.जी.सी. के मापदण्डों की अनुपालना की जा रही है। सिंघानियां विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुन्झुनूं) की इस प्रकरण पर एक रिट याचिका संख्या 8102/2009–सिंघानियां विश्वविद्यालय बनाम यूनिवर्सिटी ग्राण्टस कमिशन एवं अन्य मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन है।

निजी विश्वविद्यालयों पर सरकार के नियंत्रण हेतु इनके अधिनियमों की धारा 41 में राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां एवं धारा 44 में कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियों का प्रावधान है जिसके तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर विश्वविद्यालय को विघटित किया जा सकता है।

(5) जी हां। रेग्यूलेटरी मेकेनिज्म पर विचार कर सुझाव देने हेतु कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट-1

निजी विश्वविद्यालयों के संचालन हेतु उपलब्ध भूमि का विवरण

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम व स्थान	स्थापना का वर्ष	उपलब्ध भूमि का विवरण
1	2	3	4
1.	एमिटी विश्वविद्यालय, राजस्थान, जयपुर	2007	152 एकड़ भूमि रीको से क्रय की गई है।
2.	जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर	2007	9.11 हैक्टेयर भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित की गई है। शेष भूमि निजी खातेदारों से क्रय की गई है। कुल भूमि 15.18 हैक्टेयर उपलब्ध है।
3.	सर पदमपत सिंघानियां विश्वविद्यालय, उदयपुर	2007	समस्त 87.822 एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा डीएलसी दर पर आबंटित की गई है।

1	2	3	4
4.	सिंघानियां विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुन्झुनूं)	2007	30 एकड़ भूमि जिला कलक्टर, झुन्झुनूं द्वारा डी.एल.सी. दर पर आबंटित की गई थी। जिला कलक्टर से प्राप्त सूचनानुसार आदेश दिनांक 28.7.2008 के द्वारा उक्त आबंटन आदेश निरस्त किया जा चुका है।
5.	निम्स विश्वविद्यालय, राजस्थान, जयपुर	2008	60.67 एकड़ भूमि निजी खातेदारों से क्रय की गई है।
6.	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर	2008	राज्य सरकार द्वारा 30 एकड़ भूमि आबंटित की गई है किन्तु अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। विश्वविद्यालय निजी खातेदारों से क्रय की गई 31.95 एकड़ भूमि पर संचालित है।
7.	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर	2008	राज्य सरकार द्वारा 30 एकड़ भूमि आबंटित की गई है एवं 30 एकड़ विस्तार हेतु आरक्षित की हुई है।
8.	जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर	2008	30 एकड़ भूमि स्वयं द्वारा क्रय की गई है।
9.	भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर	2008	32 एकड़ भूमि स्वयं की खातेदारी में उपलब्ध है।
10.	जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर	2008	31 एकड़ भूमि स्वयं के स्तर पर निजी खातेदारों से क्रय की गई है।
11.	मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़	2008	30 एकड़ भूमि जिला कलक्टर चित्तौडगढ़ द्वारा सशुल्क आबंटित की गई है।

1	2	3	4
12.	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला (झुन्झुनूं)	2008	30 एकड़ भूमि कलक्टर, झुन्झुनूं द्वारा आबंटित की गई है।
13.	महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर	2008	47.47 एकड़ भूमि रीको से आबंटित करवाई गई है।
14.	होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर	2009	33.77 एकड़ भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित की गई है।
15.	श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुन्झुनूं)	2009	12.55 हैक्टेयर भूमि पिलानी एग्रीकल्चर रिसर्च संस्थान समिति सेन्टर से क्रय की गई है।
16.	एनआईआईटी विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर)	2009	100 एकड़ भूमि कलक्टर, अलवर द्वारा आबंटित की गई है।
17.	डा. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक)	2009	42.29 एकड़ भूमि रीको से क्रय की गई है।
18.	पेसिफिक एकेडमी आफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च विश्वविद्यालय, उदयपुर	2010	42.91 एकड़ भूमि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा आबंटित की गई है।
19.	रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर)	2010	19.93 हैक्टेयर भूमि कलक्टर, अलवर द्वारा आबंटित की गई है।

राज्य कर्मियों की निगरानी में उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्य सामग्री का वितरण

141. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम व चीनी मिलों से खाद्य सामग्री का

(डा. दिगम्बर सिंह)

उठाव कर उचित मूल्य की दुकानों को आपूर्ति करने का नीतिगत निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो जनवरी, 2011 तक कितनी सामग्री उचित मूल्य की दुकानों को आपूर्ति की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों से खाद्य वितरण का कार्य प्रत्येक माह सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में किये जाने का तय किया है ? यदि हां, तो पूर्ववर्ती व्यवस्था व वर्तमान व्यवस्था में राशन डीलर्स के विरुद्ध शिकायतों में कितनी बढ़ोतरी या कमी हुई ? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. स्थापित किया गया है। निगम के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य के बाहर स्थित चीनी मिलों से खाद्यान्न सामग्री एवं चीनी का निर्धारित अवधि में उठाव कर उचित मूल्य की दुकानों को बिना किसी विलम्ब के आपूर्ति करना होगा। जनवरी, 2011 तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा कोई भी खाद्य सामग्री का उठाव नहीं किया गया।

(2) जी हां। यह सही है कि सरकार ने उचित मूल्य दुकानों से खाद्य वितरण का कार्य प्रत्येक माह सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में करने का निर्णय लिया है। पूर्ववर्ती व्यवस्था व वर्तमान व्यवस्था में राशन डीलरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों में कमी/वृद्धि का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

बिन्दु संख्या 2 :- पूर्ववर्ती व्यवस्था व वर्तमान व्यवस्था में राशन डीलर्स के विरुद्ध शिकायतों में वृद्धि/कमी

क्र. सं.	जिला	माह मई 2009 से जनवरी 2010 तक पूर्ववर्ती व्यवस्था में उचित मूल्य दुकानों की प्राप्त शिकायतों की संख्या	माह मई 2010 से जनवरी 2011 तक पूववर्ती व्यवस्था में उचित मूल्य दुकानों की प्राप्त शिकायतों की संख्या	कमी/वृद्धि (कालम 4-3)
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	31	19	-12
2.	अलवर	104	80	-24
3.	बांसवाड़ा	85	55	-30
4.	बारां	14	5	-9
5.	बाड़मेर	16	14	-2
6.	भरतपुर	62	52	-10
7.	भीलवाड़ा	6	2	-4
8.	बीकानेर	75	63	-12
9.	बूंदी	33	22	-11
10.	चित्तौड़गढ़	37	41	4
11.	चूरू	23	9	-14
12.	दौसा	37	29	-8
13.	धौलपुर	122	39	-83
14.	डूंगरपुर	29	10	-19

1	2	3	4	5
15.	गंगानगर	102	44	-58
16.	हनुमानगढ़	59	48	-11
17.	जयपुर (ग्रामीण)	37		-37
18.	जयपुर (शहर)	69	18	-51
19.	जैसलमेर	10	4	-6
20.	जालौर	51	20	-31
21.	झालावाड़	11	3	-8
22.	झुन्झुनूं	61	35	-26
23.	जोधपुर	21	3	-18
24.	करोली	65	54	-11
25.	कोटा	92	52	-40
26.	नागौर	38	27	-11
27.	पाली	62	37	-25
28.	प्रतापगढ़	13	8	-5
29.	राजसमन्द	21	2	-19
30.	सीकर	—	0	-0
31.	सिरोही	4	0	-4
32.	सवाईमाधोपुर	115	22	-93
33.	टोंक	24	7	-17
34.	उदयपुर	81	57	-24
	योग	**1610**	**881**	**-729**

ग्रामीण क्षेत्रों में घर एवं फसलों के अग्नि पीड़ितों को मुआवजा

142. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के गांवों में किसी व्यक्ति का घर एवं खेत-खलिहान का पूरा सामान जलने पर कितनी सहायता राशि किस मद से दिये जाने का प्रावधान है? संबंधित आदेशों/परिपत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त देय सहायता राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा गांवों में किसी व्यक्ति का घर/सामान व खेत में खड़ी फसल प्राकृतिक अग्निकाण्ड से जल जाने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित सी.आर.एफ. मानदण्डानुसार सहायता दी जाती है। मानदण्डों की प्रति का (परिशिष्ट-1) संलग्न है।

(2) सी.आर.एफ. मानदण्ड भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाया जाना भी भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। राज्य सरकार द्वारा उक्त राशि को बढ़ाने हेतु भारत सरकार को पत्र लिखे गये हैं।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण

143. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करें :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर निर्मित होने वाले राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण पूरा हो चुका है? यदि नहीं, तो कितने केन्द्रों का निर्माण किया जाना शेष है और इन्हें पूरा करने की निर्धारित समय सीमा क्या थी?

(2) राजीव गांधी सेवा केन्द्रों को समय सीमा में पूर्ण नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं? क्या सरकार द्वारा विलम्ब के कारणों का पता लगाया जाकर जिम्मेदारी तय की गई है? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब शेष बचे हुए केन्द्र कब तक पूर्ण करा लिये जायेंगे?

उत्तर

(1) दिनांक 4.03.2011 तक 386 ग्राम पंचायतों में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सेवा केन्द्र का निर्माण कार्य कराया जाना है। इन्हे पूर्ण कराने की समय सीमा 31.03.2011 प्रस्तावित की गई थी।

(2) सेवा केन्द्र निर्माण में विलम्ब के निम्न कारण रहे हैं :-

1. भूमि चयन मे स्थानीय व्यक्तियों द्वारा विवाद।
2. इन सेवा केन्द्रों का निर्माण कार्य नरेगा योजना में किया जा रहा है। अच्छे मानसून के कारण श्रमिकों की समय पर उपलब्धता की कमी।
3. पंचायत समिति स्तर पर की गई निविदाओं के आधार पर ग्राम पंचायतों द्वारा सामग्री क्रय न करना।
4. निर्माण सामग्री को नियमानुसार क्रय में प्रक्रियात्मक समस्याएं।

सेवा केन्द्रों के निर्माण समय पर पूर्ण नहीं होने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अतः किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(3) अधिकाशं सेवा केन्द्रो का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन्हें आगामी वित्तीय वर्ष की प्रथम छह माही में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रयुक्त हानिकारक रसायनों पर प्रतिबंध

144. श्री मानसिंह (परबतसर) व **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कृषि उत्पादों की पैदावार बढ़ाने के लिये रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन कृषि उत्पादों की पैदावार बढ़ाने के लिये किन-किन रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त में से कई रसायन मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से?

(श्री मानसिंह)

(3) कृषि उत्पादों की पैदावार बढ़ाने के लिये मैलाथियोन, एंडोसल्फान, फास्फोमिडोन, मोनक्रोटोफास आदि रसायनों का प्रयोग मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से किस प्रकार हानिकारक है ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार राज्य में इन रसायनों पर प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। फसलों को कीट-व्याधियों से बचाने के लिए तकनिकी सिफारिश के अनुसार पौध संरक्षण रसायनों का प्रयोग किया जाता है । राज्य में बोई जाने वाली सभी फसलों में कीट/व्याधियों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर विभागीय सिफारिशानुसार पैकेज आफ प्रेक्टिसेज में सम्मिलित पौध संरक्षण रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिससे कीट/व्याधियों का समय पर नियंत्रण हो सके एवं उनसे होने वाले नुकसान से फसलों को बचाया जा सके। विभागीय सिफारिश के आधार पर फसलवार उपयोग में लिए जा रहे पौध संरक्षण रसायनों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) पौध संरक्षण रसायनों का सही मात्रा में, सही समय व सही विधि से उपयोग किये जाने पर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। पौध संरक्षण रसायन मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक तब हो सकते हैं जब फसलों में उनका प्रयोग निर्धारित मात्रा से अधिक तथा गलत तरीके से किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वृहद श्रृंखला वाले क्लोरिनेटेड रसायन तथा लम्बी अवधि तक अस्तित्व में रहने वाले रसायन खाद्य श्रृंखला में सम्मिलित होकर पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। पौध संरक्षण कार्यों में सम्मिलित रसायनों में लक्षित कीट/व्याधियों के लिए प्रत्यक्षतः घातक होते हैं तथा एक अन्तराल के बाद इनका अवशिष्ट प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाता है।

(3) फसलों को कीट-व्याधियों से बचाने के लिए मैलाथियोन, एण्डोसल्फान, फास्फोमिडोन, मोनोक्रोटोफास आदि रसायनों का कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी गयी सिफारिश के अनुसार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा तथा गलत तरीके से इनको उपयोग में लिए जाने पर इन रसायनों के अवशिष्ट सह अणु खाद्य श्रृंखला एवं पर्यावरण को दूषित कर मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से

(कृषि मंत्री)

हानिकारक हो सकते हैं। इन रसायनों में से मोनोक्रोटोफास 36 प्रतिशत एस.एल. को भारत सरकार द्वारा सब्जियों में उपयोग हेतु प्रतिबन्धित किया गया है तथा फास्फोमिडोन 85 प्रतिशत एस.एल. के निर्माण, आयात एवं उपयोग को भी केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिबन्धित किया जा चुका है।

(4) भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रहण निदेशालय तथा केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीयन समिति फरीदाबाद द्वारा कृषि में उपयोग किये जाने वाले पौध संरक्षण रसायनों का पंजीयन तथा प्रतिबंधित किये जाते है। पौध संरक्षण रसायनों पर प्रतिबन्ध लगाना भारत सरकार का विषय है । भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किये गये पौध संरक्षण रसायनों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कार्यस्थल पर मृत्यु अथवा विकलांग होमगार्डों को मुआवजा राशि

193. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या नागरिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में होमगार्ड के कितने पद स्वीकृत हैं, उनमें से कितने भरे हुए हैं और कितने पद रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त होमगार्डों को वर्ष में न्यूनतम कितने दिन काम पर रखा जाता है तथा इन्हें कितना-कितना वेतन व भत्ते दिये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या होमगार्ड की ड्यूटी पर मृत्यु अथवा विकलांग हो जाने पर इन्हें कोई सहायता राशि अथवा मुआवजा दिया जाता है ? यदि हां, तो गत दो वर्षों में राज्य में ड्यूटी करते हुए कितने होमगार्डों की मृत्यु हुई, कितने घायल विकलांग हुए और उन्हें कितना-कितना मुआवजा दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में होम गार्डस स्वयं सेवक के 29634 पद स्वीकृत हैं 24710 होम गार्डस स्वयं सेवक आन रोल है। 4924 पद रिक्त हैं।

(2) राज्य में होम गार्डस स्वयं सेवकों को वर्ष में काम पर रखे जाने की कोई अवधि निर्धारित नही हैं और ना ही ये स्वयं सेवक राज्य कर्मचारियों की भांति नियमित कर्मचारी हैं। इन्हे आवश्यकता के समय कानून–व्यवस्था बनाये रखने हेतु समय–समय पर नियोजित किया जाता है। नियोजन की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय भत्ता दिया जाता है। जो संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) होम गार्डस स्वयं सेवकों के राजकीय कर्तव्य का निर्वहन करते हुए म़त्यु हो जाने पर पेंशन नियम 1996 के नियम 75 के अन्तर्गत अनुगृह अनुदान व सामूहिक दुर्घटना पोलिसी की राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागीय कल्याण कोष से भी स्वयं सेवक की डयूटी के दौरान मृत्यु हो जाने पर सहायता राशि दी जाती है।

गत दो वर्षो में 20 होम गार्डस की डयूटी के दौरान अलग अलग स्थिति में मृत्यु हो जाने पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है:–

(नागरिक सुरक्षा मंत्री)

1. तीन होम गार्डस स्वयं सेवकों को राजकीय कार्य (Attributable to duty) के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये प्रति सदस्य का भुगतान किया गया है।
2. 09 होम गार्डस स्वयं सेवकों की राजकीय कार्य सम्पादन के दौरान दुर्घटना से मृत्यु होने पर ऐसे प्रत्येक सदस्य को एक लाख रुपये का भुगतान किया गया है।
3. शेष अन्य 08 होम गार्डस स्वयं सेवकों की राजकीय ड्यूटी के दौरान बीमारी अथवा प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर विभागीय कल्याण कोष से वर्तमान नीति अनुसार भुगतान किया गया।
4. इस प्रकार सभी 20 मृतक गृह रक्षा स्वयं सेवकों को 6 लाख रुपये राशि का विभागीय कल्याण कोष से भी उनके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान किया गया है।

परिशिष्ट "अ"

शहरी/ग्रामीण होम गार्डस को स्वीकृत ड्यूटी भत्ता दिनांक 01.05.2010 से

क्र. सं.	विवरण	दर
1.	ड्यूटी भत्ता	180/- रु. प्रतिदिन
2.	परिवहन भत्ता (8 कि.मी. से अधिक दूरी पर नियोजन करने पर)	12/- रु. प्रतिदिन
3.	विराम भत्ता	55/- रु. प्रतिदिन
4.	वर्दी धुलाई भत्ता (10/- रु. प्रति सप्ताह)	50/- रु. प्रतिमाह अधिकतम

बोर्डर होम गार्डस को स्वीकृत ड्यूटी भत्ता

पद	वेतन	मंहगाई भत्ता 45 प्रतिशत	यात्रा भत्ता	धुलाई भत्ता	प्रतिदिन	योग प्रति माह
सारजेन्ट/कार्पोरल	7100	3195	1650	50	400	11995
लैस कार्पोरल/गार्डस मैन	7000	3150	1650	50	395	11850
कुक/वाटर केरियर	6050	2722.50	1650	—	347	10422.50

बीकानेर जिले के कारागार भवनों का जीर्णोद्धार

194. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनवरी माह में पुलिस महानिरीक्षक कारागार ने केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर एवं जिले की उपकारागृहों का निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो निरीक्षण के दौरान क्या कमियां पाई गईं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि जिले की केन्द्रीय कारागृह व उपकारागृहों में प्रहरियों की भारी कमी है ? यदि हां, तो सरकार कब तक भर्ती कर रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या कारागृहों के भवनों, कर्मचारियों व अधिकारियों के जर्जर आवासों के संबंध में कोई शिकायत रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इन जर्जर भवनों व आवासों का जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जनवरी माह में पुलिस महानिरीक्षक कारागार द्वारा श्रीगंगानगर जिले की केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर एवं उप कारागृह रायसिंहनगर, करणपुर एवं सूरतगढ का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में पाई गई कमियों का विवरण परिशिष्ट 'ए' पर उपलब्ध है।

(2) केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर एवं उप कारागृह रायसिंहनगर, करणपुर एवं सूरतगढ़ पर स्वीकृत एवं रिक्त प्रहरियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	कारागृह का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर	46	24	22
2.	उप कारागृह रायसिंहनगर	12	7	5
3.	उप कारागृह करणपुर	10	4	6
4.	उप कारागृह सूरतगढ़	9	7	2

उक्त कारागृहों पर प्रहरियों के रिक्त पदों के विरुद्व केन्द्रीय कारागृह गंगानगर में 27 बोर्डर होमगार्ड तथा उप कारागृह रायसिंहनगर एवं सूरतगढ़ में 2-2 होमगार्ड स्वंयसेवक तैनात किये गये हैं।

(कारागार राज्य मंत्री)

विभाग में प्रहरियों के रिक्त पदों की आंशिक पूर्ति किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 550 प्रहरी भर्ती करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त नियुक्ति प्रक्रिया राजस्थान जेल अधीनस्थ सेवा नियमों में संशोधन के पश्चात की जायेगी।

(3) राज्य के विभिन्न कारागृहों एवं विभागीय आवासीय भवनों की मरम्मत हेतु समय-समय पर कारागार मुख्यालय को प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, जिनकी पूर्ति के लिये विभाग को आबंटित बजट का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में राज्य में गैर आवासीय मरम्मत कार्यों के लिये 834.32 लाख रुपये एवं आवासीय मरम्मत कार्यों के लिये 225.86 लाख रुपये के प्रस्ताव लम्बित है, जिनमें क्रमश: 40.97 लाख एवं 1.34 लाख रुपये जिला गंगानगर के कारागृह भवनों एवं आवासों से संबंधित है। बजट की उपलब्धता दृष्टिगत रख प्राथमिकतायें निर्धारित कर मरम्मत कार्य कराया जायेगा।

परिशिष्ट-ए

केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर एवं जिले की उप कारागृहों पर पुलिस महानिरीक्षक (कारागार) द्वारा जनवरी-11 में किये गये निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों का विवरण

क्र. सं.	कारागृह का नाम	निरीक्षण दिनांक	पाई गई कमियां
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय कारागृह गंगानगर	29.01.2011	1. स्टाफ की कमी। 2. बैरिक्स के गेट व टायलेट एवं बाथरूम की मरम्मत की आवश्यकता। 3. मेनवाल क्षतिग्रस्त। 4. लाइव वायर ढीले होना। 5. विचाराधीन बंदियों एवं दण्डित बंदियों को अलग रखने की आवश्यकता 6. बैरिक्स में बंदियों के पास सामान के रजिस्टर की आवश्यकता। 7. हथियारों की साफ-सफाई की आवश्यकता। 8. आवधिक समीक्षा की बैठक प्रतिमाह कराने बाबत। 9. उद्योगशाला हेतु नये पद के सृजित। 10. बंदियों के हिस्ट्री टिकिट। 11. पैरोल/सलाहकार रजिस्टर संधारित किये जाने बाबत। 12. तारीख पेशियों का हिस्ट्री टिकिट में अंकन की आवश्यकता। 13. बजट की आवश्यकता। 14. शौचालयों की साफ-सफाई की आवश्यकता।

1	2	3	4
2.	उपकारागृह रायसिंहनगर	29.01.2011	1. स्टाफ की कमी। 2. शौचालयों में साफ-सफाई की कमी। 3. तलाशी रजिस्टर संधारित नहीं होना। 4. बैरिक्स में बंदियों के पास सामान के रजिस्टर का नहीं होना। 5. हथियारों की साफ-सफाई की आवश्यकता। 6. चिकित्साधिकारी एवं मेलनर्स द्वारा की सेवायें सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से देने की आवश्यकता। 7. हिस्ट्री टिकिट उपलब्ध कराने बाबत तथा तारीख पेशी के बाद अंकन करना। 8. वाण्टेड रजिस्टर का न होना। 9. बजट की कमी। 10. पानी की नलियों में सफाई नहीं होना।
3.	उपकारागृह श्रीकरणपुर	29.01.2011	1. स्टाफ की कमी। 2. भोजनालय व बैरिक्स की साफ-सफाई की आवश्यकता। 3. मेनवाल पर लाइव वायर की आवश्यकता। 4. तलाशी रजिस्टर का न होना। 5. हथियारों की साफ-सफाई की आवश्यकता। 6. चिकित्साधिकारी एवं मेलनर्स द्वारा की सेवायें सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से देने की आवश्यकता।

1	2	3	4
3.	उप कारागृह श्रीकरणपुर	29.01.2011	7. सी.एन.डब्ल्यू./सी.ओ./सी.डब्ल्यू. रजिस्टर का संधारण। 8. वाण्टेड रजिस्टर का न होना। 9. बजट की कमी।
4.	उप कारागृह, सूरतगढ़	29.01.2011	1. स्टाफ की कमी। 2. शौचालयों की साफ-सफाई की आवश्यकता। 3. तलाशी रजिस्टर संधारित नहीं होना। 4. हथियारों की साफ-सफाई की आवश्यकता। 5. चिकित्साधिकारी एवं मेलनर्स द्वारा की सेवायें सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से देने की आवश्यकता। 6. मुलाकात की पर्ची का अभाव। 7. सी.डी./आर.एल.डी. रजिस्टर संधारित करने की आवश्यकता। 8. वाण्टेड रजिस्टर का न होना। 9. बजट की कमी।

राज्य की कारागारों में सुधार हेतु कार्य-योजना

195. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य की विभिन्न कारागारों में कैदियों को रखने की क्षमता एवं वर्तमान में जेलवार रह रहे कैदियों की संख्या कितनी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के समक्ष कारागार में कैदियों को होने वाली परेशानी से मुक्ति दिलवाये जाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य की कारागृहों की (बंदी खुले शिविरों सहित) बंदी क्षमता 17796 है। दिनांक 31.12.10 की स्थिति के अनुसार 17194 बंदी निरुद्ध थे। जिनका जेलवार विवरण परिशिष्ट-ए पर उपलब्ध है।

(2) राज्य की जेलों में कैदियों को परेशानी जैसी स्थिति नही है। जेलों की स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है, जो विचाराधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर जिले में शीतलहर से प्रभावित किसानों को मुआवजा

196. श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर में शीतलहर एवं पाले के कारण रबी की फसल प्रभावित हुई है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस फसली कुप्रभाव से किसानों की पैदावार कम होगी ?

(3) क्या सरकार उन्हें मुआवजा/समर्थन मूल्य देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस दर से व कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रबी 2010-11 में भरतपुर जिले में मौसम आधारित फसल बीमा

(कृषि मंत्री)

योजना की क्रियान्विति एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से की गई है । इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम तापमान का जोखिम 16 दिसम्बर-10 से 20 फरवरी-2011 तक कवर किया गया है । सरसों एवं चना फसल हेतु मानक तापमान 2.5°C रखा गया है तथा आलू फसल में मानक तापमान 4°C रखा गया है । भरतपुर जिले में नेशनल कोलेटरल मेनेजमेन्ट सर्विसेज लिमिटेड [NCMSL] द्वारा स्थापित 10 स्वचालित मौसम केन्द्रों में कम तापमान होने पर नियमानुसार बीमा कम्पनी द्वारा मुआवजा दिया जाएगा । अभी मौसम संबंधी अधिकृत आंकड़े नेशनल कोलेटरल मेनेजमेन्ट सर्विसेज लिमिटेड से प्राप्त नहीं हुए हैं ।

इस योजना में मुआवजा जोखिम अवधि समाप्त होने के 45 दिवस में किए जाने का प्रावधान है। इस योजना में फसलों में खराबे के प्रतिशत का आंकलन नहीं किया जाता है ।

(2) जी हां । शीतलहर एवं पाले से फसलों की पैदावार प्रभावित होना स्वाभाविक है ।

(3) राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू है तथा इसके निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा । मौसम आधारित फसल बीमा योजना के मापदण्डों के अनुसार मानक तापमान से विचलन होने पर मुआवजा राशि का जोखिम अवधि समाप्त होने के 45 दिन में भुगतान किया जाता है । मुआवजे की गणना तापमान की न्यूनतम सीमा 2.5°C से 10C तक तापमान कम होने पर चना फसल में प्रति हैक्टर 500 रुपये की दर से मुआवजा देय होगा एवं 1°C से 0°C तक कम होने पर प्रति हैक्टेयर 1250 रुपये की दर से मुआवजा देय होगा । सरसों फसल में 2.5°C से 1°C तक तापमान कम होने पर प्रति हैक्टेयर 250 की दर से मुआवजा देय होगा तथा 1°C से 0°C तक कम होने पर प्रति हैक्टेयर 1000 रुपये की दर से मुआवजा देय होगा । आलू फसल में 4°C से 2°C तक तापमान कम होने पर प्रति हैक्टेयर रुपये 300 की दर से मुआवजा देय होगा तथा 2°C से 0°C तक कम होने पर प्रति हैक्टेयर 600 रुपये की दर से मुआवजा देय होगा ।

न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है जिसका संबंध मौसम आधारित फसल बीमा योजना से नहीं है ।

सहाड़ा में नवीन कृषि भवन

197. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कृषि विभाग के भवन कहां-कहां पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में कृषि विभाग के नये भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में पंचायत समिति सहाड़ा का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं पंचायत समिति सुवाणा और रायपुर की आंशिक ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं। उक्त विधान सभा क्षेत्र में कृषि विभाग के भवनों की स्थिति निम्नानुसार है-

सुवाणा – सांगवा, गुरला, तख्तपुरा, बरडोद **सहाड़ा** – सहाड़ा, लाखोला, सोनियाणा, कांगणी, कोशीथल, उम्मेदपुरा, उल्लई, नान्दशां, आमली, महेन्द्रगढ़, पोटला, सातलियास, खांखला, सरगांव **रायपुर** - रायपुर, नाहरी, नांदशा, आशाहोली, बोरियापुरा, देवरिया, झडोल, मोखुन्दा, पालरां, कोट

(2) विभाग के स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ए.पी.एल. परिवारों को वितरण हेतु आबंटित चावल की दर

198. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2010 में जनवरी से दिसम्बर तक ए.पी.एल. परिवारों को सस्ता चावल वितरण करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितना चावल किस-किस दर से सरकार द्वारा क्रय किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चावलों में से किस-किस जिले को कितना-कितना आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्रय किये गये चावलों में ए.पी.एल. परिवारों को किस-किस दर से वितरण किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि भारत सरकार द्वारा आबंटित सस्ता चावल राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010 में जनवरी से दिसम्बर तक एपीएल परिवारों को सस्ता चावल वितरण किया गया है। चावल की मात्रा एवं दर का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	योजना का नाम	आबंटित मात्रा (मै. टन में)	अवधि	प्रति किलो वितरण दर (रुपये में)
1.	विशेष तदर्थ योजना (प्रथम आबंटन)	20000	जून, 10 से दिसम्बर, 10	13.00
2.	विशेष तदर्थ योजना (द्वितीय आबंटन)	20000	अगस्त, 10 से दिसम्बर, 10	13.00
3.	एपीएल योजना	6436	अगस्त, 10 से जनवरी, 11	9.50

(2) जिलेवार आबंटन का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) उक्त चावलों में से एपीएल परिवारों को एपीएल योजना के अन्तर्गत 9.50 रुपये प्रति किलो तथा विशेष तदर्थ योजना के अन्तर्गत 13.00 रुपये प्रति किलो की दर से वितरण किया गया है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

बिन्दु संख्या 1 व 2 :- चावल के आबंटन की सूचना

क्र. सं.	जिला	विशेष तदर्थ जून 10 से सितम्बर 10	विशेष तदर्थ अगस्त 10 से सितम्बर 10	एपीएल अगस्त 10 से जनवरी 11
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	1000	800	1578
2.	अलवर	500	500	2292
3.	बांसवाड़ा	500	500	546
4.	बारां	500	500	672
5.	बाड़मेर	500	500	1164
6.	भरतपुर	500	800	1062
7.	भीलवाड़ा	500	500	1410
8.	बीकानेर	500	800	1062
9.	बूंदी	500	500	534
10.	चित्तौड़गढ़	500	500	798
11.	चूरू	500	500	1170
12.	दौसा	500	500	972
13.	धौलपुर	700	500	636
14.	डूंगरपुर	500	500	402
15.	गंगानगर	500	500	1422
16.	हनुमानगढ़	0	500	1296
17.	जयपुर (ग्रामीण)	950	1000	2214
18.	जयपुर (शहर)	1000	500	2196

1	2	3	4	5
19.	जैसलमेर	500	500	330
20.	जालौर	500	500	852
21.	झालावाड़	0	500	828
22.	झुन्झुनूं	500	500	1368
23.	जोधपुर	1450	1000	2142
24.	करोली	0	500	540
25.	कोटा	1000	800	1224
26.	नागौर	500	500	2130
27.	पाली	500	500	1500
28.	प्रतापगढ़	500	500	384
29.	राजसमन्द	500	500	576
30.	सीकर	500	500	1608
31.	सिरोही	500	500	612
32.	सवाईमाधोपुर	500	500	936
33.	टोंक	500	500	846
34.	उदयपुर	1000	800	1314
	योग	**20000**	**19500**	**38616**

निवाई-पीपलू में नवीन गैस एजेन्सी हेतु अनुशंसा

199. श्री कमल बैरवा (निवाई) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्तमान में कौन-कौनसी गैस एजेन्सियां संचालित हैं ? क्या यह एजेन्सियां विधान सभा क्षेत्र निवाई के लिए पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपखण्ड निवाई में नई गैस एजेन्सियां

(श्री कमल बैरवा)

स्वीकृत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उपखण्ड निवाई व पीपलू में कितने उपभोक्ताओं को नये कनेक्शन देने लम्बित हैं तथा उन्हें अब कब तक गैस कनेक्शन दे दिये जायेंगे?

(3) वर्तमान में उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग करवाने की अवधि कितने दिवस निर्धारित की गई है और क्या गैस एजेन्सियों द्वारा निर्धारित नियमों की पालना की जा रही है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्तमान में मैसर्स प्रतीक गैस एजेन्सी, एचपीसीएल वनस्थली निवाई, एवं मैसर्स चन्देल इण्डेन ग्रामीण वितरक पीपलू संचालित है। राज्य स्तरीय समन्वयक से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र निवाई में दो गैस एजेन्सी (एक बीपीसीएल, बनस्थली तथा आईओसीएल, झिलाई) खोलने हेतु संबंधित तेल कम्पनियों द्वारा क्रमशः दिनांक 17.10.2009 एवं 11.02.2011 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

(2) राज्य स्तरीय समन्वयक की सूचना के अनुसार वर्तमान में उपखण्ड निवाई व पीपलू में वितरक के पास गैस कनेक्शन देने हेतु कोई भी सूची लम्बित नहीं है।

(3) राज्य में तेल विपणन कम्पनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक से प्राप्त सूचना के अनुसार कोई भी गैस धारक उपभोक्ता (असली ग्राहक) अपनी रिफिल प्राप्ति के बाद अपने घरेलू उपयोग के लिए आवश्यकतानुसार जब चाहे तब गैस बुक करा सकता है एवं अपने अधिकृत पते पर (जो पता वितरक के रिकार्ड में अंकित है) प्राप्त कर सकता है।

जिला प्रशासन द्वारा वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु निवाई उपखण्ड क्षेत्र में उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग कराने की अवधि 15 दिवस निर्धारित की हुई है, जिसकी पालना हेतु गैस एजेन्सियों को पाबन्द किया हुआ है।

बायतू में नवीन राशन कार्डों का वितरण

200. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

क्या यह सही है कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से रसद सामग्री का वितरण एवं अन्य कार्यों हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा राशनकार्ड जारी किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या विधान सभा क्षेत्र बायतू की समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा नये राशनकार्ड उपलब्ध करवा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों के ग्रामीणों को नये राशनकार्ड जारी करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। नियंत्रित मूल्य की दुकानों के माध्यम से रसद सामग्री हेतु राशनकार्ड ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं बनाये जाते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के राशनकार्ड बनाने के लिये विकास अधिकारियों को प्राधिकृत किया हुआ है। विधान सभा क्षेत्र बायतू की ग्राम पंचायतों में बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय अन्न योजना में नये राशनकार्ड जारी कर दिये गये हैं, किन्तु एपीएल श्रेणी का यदि कोई नया राशनकार्ड बनवाना चाहता है, तो वह सामान्य प्रक्रिया के तहत बनवा सकता है।

सिरोही जिले में पदस्थापित खाद्य निरीक्षक

201. श्री राईया मीणा (आसपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करें :-

(1) जिला सिरोही में दिनांक 1 जनवरी, 2009 से 15 फरवरी, 2011 के बीच खाद्य/पैट्रोलियम पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए क्या कार्यवाई की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में सिरोही जिले में कौन-कौन खाद्य निरीक्षक कार्यरत रहे हैं ? इन्हें सेम्पलिंग के क्या लक्ष्य दिये गये थे एवं इन्होंने कितने लक्ष्य हासिल किये ? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में सरकार द्वारा किस-किस खाद्य निरीक्षक के खिलाफ कार्यवाई की गई एवं उसके क्या कारण थे ? उक्त निरीक्षक की वर्तमान में क्या स्थिति है एवं कहां पदस्थापित है ? तिथि सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पैट्रोलियम पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये विभाग द्वारा दिनांक 22.06.2009 से निरन्तर शुद्ध के लिये युद्ध अभियान चलाया जा रहा है,

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

जिसके सार्थक परिणाम आये हैं। इसके अलावा 06 फरवरी, 2011 से राज्य स्तरीय दो सतर्कता दलों का गठन किया जाकर सम्पूर्ण राज्य में कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने हेतु जिला सिरोही में वर्ष 2009 में एक तथा वर्ष 2010 में दो खाद्य निरीक्षकों को पदस्थापित कर व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच व नमूनीकरण की कार्यवाही करवाई गई। दिनांक 22.06.2009 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी निरन्तर रूप से चलाया जा रहा है। 1 जनवरी, 2009 से 15 फरवरी, 2011 तक जिले में 132 नमूने विभिन्न खाद्य पदार्थों के जांच हेतु लिए गए, जिनमें से 49 नमूने मिलावटी/ मिसब्राण्ड पाये गये। मिलावटी/मिसब्राण्ड पाये गये नमूनों में से 17 प्रकरणों में चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा शेष 32 नमूनों के चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अनुसंधान प्रक्रियाधीन है।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त अवधि में जिले में निम्नानुसार खाद्य निरीक्षक कार्यरत थे:-

1. श्री रजनीश शर्मा दिनांक 13.07.2009 से 27.08.2009 तक
2. श्री औंकार चन्द त्रिवेदी दिनांक 04.01.2010 से निरन्तर
3. श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता जुलाई, 2010 से 03.11.2010 तक

उक्त खाद्य निरीक्षकों को प्रतिमाह मई, 2010 तक मासिक लक्ष्य 8 का तथा जून, 2010 के बाद मासिक 12 नमूने जांच हेतु लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इनके द्वारा तथा संभाग मुख्यालय एवं केन्द्रीय दल के खाद्य निरीक्षकों द्वारा जांच हेतु लिये गये नमूनों का मासिक विवरण परिशिष्ट-अ तथा संकलित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त अवधि में श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, लैब टेक्नीशियन, अधिकृत खाद्य निरीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होने के कारण निलम्बन की कार्यवाही की गई। वर्तमान में उक्त कार्मिक जो मूलत: लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था, परन्तु इन्हें खाद्य निरीक्षक की शक्तियां प्रदत्त कर खाद्य निरीक्षक का कार्य संपादित करवाया जा रहा था। भ्रष्टाचार की शिकायत के कारण इनको दी गई खाद्य निरीक्षक की शक्तियां प्रतिबंधित कर इनको लैब टेक्नीशियन से मूल पद पर ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दाता, जिला सीकर में पदस्थापित किया गया है।

परिशिष्ट "अ"

जिला सिरोही में 01 जनवरी, 2009 से 15 फरवरी, 2011 तक का खाद्य निरीक्षकों को माहवार आबंटित लक्ष्य तथा किये गये कार्य विवरण

खाद्य निरीक्षक का नाम	नमूनीकरण माह	आवंटित लक्ष्य (मासिक)	मासिक लिये गये नमूनों की संख्या	मासिक अपमिश्रित/मिसब्राण्ड पाये गये नमूनों की संख्या	न्यायालय में प्रस्तुत किये गये चालानों की संख्या	चालान प्रस्तुत करने से शेष प्रकरणों की संख्या	चालान प्रस्तुत न करने के कारण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
श्री श्याम सुन्दर पुरोहित	जुलाई 09	0	3	1	—	1	सेवानिवृति
श्री सुरेन्द्र कुमार ठकराल	अगस्त 09	0	5	2	2	—	—
श्री रजनीश शर्मा	जुलाई 09	8	12	8	8	—	—
श्री रजनीश शर्मा	अगस्त 09	8	8	2	2	—	—
श्री औं कारचन्द त्रिवेदी	जनवरी 10	8	2	1	—	1	कार्यवाही जारी
श्री औं कारचन्द त्रिवेदी	फरवरी 10	8	9	2	—	2	कार्यवाही जारी व अनुसंधान
श्री औं कारचन्द त्रिवेदी	मार्च 10	8	9	1	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8
श्री औंकारचन्द त्रिवेदी	अप्रैल 10	8	11	3	—	3	—
श्री औंकारचन्द त्रिवेदी	मई 10	8	1	—	—	—	उपार्जित अवकाश
श्री औंकारचन्द त्रिवेदी	जून 10	12	—	—	—	—	उपार्जित अवकाश
श्री औंकारचन्द त्रिवेदी	जुलाई 10	12	3	—	—	—	15 उपार्जित अवकाश
श्री औंकारचन्द त्रिवेदी	अगस्त 10	12	9	3	—	3	कार्यवाही जारी व अनुसंधान
श्री औंकारचन्द त्रिवेदी	सितम्बर 10	12	5	1	—	1	कार्यवाही जारी व अनुसंधान
श्री औंकारचन्द त्रिवेदी	अक्टूबर 10	12	—	—	—	—	उपार्जित अवकाश
श्री औंकारचन्द त्रिवेदी	नवम्बर 10	12	—	—	—	—	उपार्जित अवकाश
श्री औंकारचन्द त्रिवेदी	दिसम्बर 10	12	—	—	—	—	—
श्री औंकारचन्द त्रिवेदी	जनवरी 11	12	—	—	—	—	—
श्री औंकारचन्द त्रिवेदी	फरवरी 11	12	3	परिणाम शेष	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता	जुलाई 10	12	14	8	1	5	कार्यवाही जारी व अनुसंधान
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता	अगस्त 10	12	13	7	3	6	कार्यवाही जारी व अनुसंधान
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता	सितम्बर 10	12	14	—	—	—	—
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता	अक्टूबर 10	12	12	8	—	8	कार्यवाही जारी व अनुसंधान
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता	नवम्बर 10	1	4	1	3	1	कार्यवाही जारी व अनुसंधान
श्री चरण सिंह	अप्रैल 10	0	3	1	1	—	—
कुल योग		**213**	**132**	**49**	**17**	**32**	**—**

परिशिष्ट "ब"

जिला सिरोही में 01 जनवरी, 2009 से 15 फरवरी, 2011 तक का खाद्य निरीक्षक अनुसार किये गये कार्य का विवरण

खाद्य निरीक्षक का नाम व पदस्थापन स्थान	नमूनीकरण माह	आबंटित लक्ष्य (मासिक)	मासिक लिये गये नमूनों की संख्या	मासिक अपमिश्रित/ मिसब्राण्ड पाये गये नमूनोंकी संख्या	न्यायालय में प्रस्तुत किये गये चालानों की संख्या	चालान प्रस्तुत करने से शेष प्रकरणों की संख्या	चालान प्रस्तुत न करने के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
श्री श्याम सुन्दर पुरोहित/संयुक्त निदेशक जोन जोधपुर कार्यालय	जुलाई 2009	0	3	1	0	1	कार्यवाही जारी व अनुसंधान
श्री सुरेन्द्र कुमार ठकराल/केन्द्रीय दल निदेशालय मुख्यालय	अगस्त 2009	0	5	2	2	0	कार्यवाही जारी व अनुसंधान
श्री रजनीश शर्मा/कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही	जुलाई-अगस्त 2009	16	20	10	10	0	कार्यवाही जारी व अनुसंधान

1	2	3	4	5	6	7	8
श्री औं कार चन्द त्रिवेदी/कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही	जनवरी 2010 से 15.02.11 तक	148	52	11	0	11	कार्यवाही जारी व अनुसंधान
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता/कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही	जुलाई 2010 से 3 नवम्बर 2010 तक	49	49	24	4	20	कार्यवाही जारी व अनुसंधान
श्री चरण सिंह/केन्द्रीय दल मुख्यालय	अप्रैल 2010	0	3	1	1	—	कार्यवाही जारी व अनुसंधान
कुल योग		**213**	**132**	**49**	**17**	**32**	—

मकराना में लम्बित विद्युत कनेक्शन

202. श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना में गत पांच वर्षो से अब तक घरेलू, व्यावसायिक, कृषि एवं औद्योगिक विद्युत कनेक्शनों के लिये जमा पत्रावलियों में से अधिकांश प्रकरणों में आज तक विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त अवधि में प्राप्त आवेदनों, निरस्त आवेदनों डिमाण्ड जमा के उपरान्त विद्युत कनेक्शन से वंचित आवेदकों का प्रत्येक कार्यालयवार विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विद्युत कनेक्शनों से वंचित आवेदकों को कनेक्शन जारी करने व निरस्त पत्रावलियों को पुनर्जीवित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मकराना में गत पांच वर्षो में घरेलू, व्यावसायिक, कृषि एवं औद्योगिक श्रेणी में जारी विद्युत कनेक्शनों की कार्यालयवार स्थिति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

शेष रहे कनेक्शन सामान की उपलब्धता के अनुसार यथाशीघ्र जारी किये जा रहे हैं।

(2) मांग पत्र जमा करने वाले सभी आवेदकों को कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

वर्तमान में निरस्त पत्रावलियों को कृषि कनेक्शन के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणी के कनेक्शन हेतु पुनर्जीवित करने की कोई नीति नहीं है।

कृषि कनेक्शन हेतु दिनांक 1.4.2008 के पश्चात् किसी कारण मांग पत्र जमा न होने के कारण निरस्त पत्रावलियों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रपत्र-अ

विधान सभा क्षेत्र मकराना में गत पांच वर्षों में (जनवरी 2011 तक) जारी घरेलू, व्यावसायिक, कृषि एवं औद्योगिक विद्युत कनेक्शनों का विवरण

श्रेणी	सहायक अभियन्ता (पवस), मकराना				सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) मकराना			
	घरेलू	अघरेलू	औद्योगिक	कृषि	घरेलू	अघरेलू	औद्योगिक	कृषि
प्राप्त आवेदन	1790	581	150	6	6286	284	67	459
जारी कनेक्शनों की संख्या	1761	568	125	4	4569	273	57	115
डिमाण्ड जमा के उपरान्त विद्युत कनेक्शन से वंचित आवेदक	2	0	21	2	384	4	2	6
निरस्त आवेदन	27	13	4	0	1333	7	8	338

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

केकड़ी के बी.पी.एल. परिवारों में लम्बित विद्युत कनेक्शन

203. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के अन्तर्गत अब तक कितने बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है तथा कितने शेष हैं ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब सरकार द्वारा शेष रहे बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन कब तक दे दिया जायेगा?

(3) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल कितने राजस्व ग्रामों, ढाणियों एवं मजरों में अब तक बिजली नहीं पहुंचाई गई है ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) बिजली की सुविधा से वंचित रहे ग्रामों में अलग-अलग वर्तमान में कुल कितने बी.पी.एल. परिवार रह रहे हैं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में चयनित 8188 बीपीएल परिवारों में से 5814 बीपीएल परिवारों को माह फरवरी, 2011 तक घरेलू कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं एवं 2374 बीपीएल परिवारों को कनेक्शन दिया जाना शेष है। ग्रामवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) शेष रहे 2374 बीपीएल परिवारों में से 2357 परिवारों को घरेलू कनेक्शन प्रदान करने के लिए पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बनाकर केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है। स्वीकृति आने पर इन परिवारों को कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है।

17 बीपीएल परिवार 100 से कम आबादी वाली ढाणियों में निवास करते हैं, जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में कनेक्शन हेतु पात्रता नहीं रखते हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी अन्तर्गत सभी 191 राजस्व ग्राम विद्युतीकृत है तथा 92 ढाणियों/मजरों में से 80 ढाणियां/मजरें विद्युतीकृत हैं। अविद्युतीकृत 12 ढाणियां/मजरें का विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) जी हां। उक्त 12 ढाणियों में से 10 अविद्युतीकृत ढाणियों का विद्युतीकरण पूरक राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर किया जाना प्रस्तावित है। शेष 2 ढाणियां क्रमशः बैरवा का झोंपडा एवं बगरिया का झोंपड़ा 100 से कम आबादी वाली है जिनकी वर्तमान में विद्युतीकरण हेतु पात्रता नहीं है।

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कोई भी गांव विद्युत सुविधा से वंचित नहीं है। वर्तमान में अलग-अलग ढाणियों में 153 परिवार बिजली की सुविधा से वंचित हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

उदयपुर ग्रामीण के आवासीय क्षेत्रों की विद्युत लाइनों का अन्यत्र स्थानान्तरण

204. श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में बसी हुई आबादी के ऊपर से हाइपावर बिजली की लाइनें गुजर रही हैं ? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में ? नाम व स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जन-धन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुये घनी आबादियों/बस्तियों के ऊपर से गुजरने वाली हाइपावर लाइनों को हटाने/अन्यत्र ले जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में आबादी के ऊपर कुछ जगहों पर हाइपावर बिजली की लाइनें गुजर रही हैं। निगम द्वारा लाइन पूर्व में खींची गई थी तत्पश्चात् लाइनों के नीचे अनाधिकृत रूप से आवासों का निर्माण किया गया है। उक्त क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

सवीना कच्ची बस्ती, तीतरडर गांव, बूझडा, नाई गांव में राइस मिल के पास, राताखेत, चौकड़िया, मनवाखेड़ा, हिरणमगरी सेक्टर 3 कुम्भानगर, नरेन्द्र नगर, नोखा, कानपुर, लियो का गुढा स्कूल, बड़ी भारद्वाज की बाड़ी, महावीर कालोनी, साईफन, पुला नाई रोड, गढमगरी शोभागपुरा, लाल बोट चौराहा, बेसिक स्कूल, चीकलवास, बड़ी मोया चौराहा, नवरत्न नदी के पास,

(ऊर्जा मंत्री)

नवलोक भुवाणा, धनश्री वाटिका, इन्द्रा कालोनी, राजेश्वर नन्द कालोनी, कुकर मंगरी नवाधार।

(2) जनधन के लिये घातक हाई पावर लाइनों को हटाने के लिये आवेदक/आवेदकों द्वारा आवेदन करने पर विद्युत निगम ने प्रावधान किया हुआ है कि लाइन शिफ्ट करने के कार्य में होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत भाग निगम वहन करेगा तथा व्यय के अनुमानक की 50 प्रतिशत राशि आवेदक द्वारा जमा कराने पर लाइन हटाई/अन्यत्र ले जाई जा सकती है।

प्रश्न संख्या-205

(स्थगित)

विराटनगर के विद्युत उपकेन्द्रों पर विद्युत भार

206. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में विद्युत कम्पनियों ने 11/33 के उप विद्युत् केन्द्रों के प्रस्तावों में से चार की मंजूरी दी थी, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो विराटनगर तहसील में कितने 132 के.वी. उप विद्युत केन्द्र एवं 11/33 के कितने सब ग्रिड के स्थापित हैं तथा किन-किन ग्राम पंचायतों में संचालित हैं ?

(2) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में कितने कृषि कुए/बोरिंग विद्युत द्वारा संचालित है तथा कितने घरेलू/लघु उद्योग इकाई संचालित हैं ? ग्राम पंचायतानुसार घरेलू लघु उद्योग/कृषि कनेक्शन की संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) राजस्थान में जिलेवार/विधान सभावार स्थापित सब ग्रिड स्टेशनों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में कुल 12 सब स्टेशनों के प्रस्ताव में से 4 सब स्टेशन स्वीकृत किये गये थे। उनमें से 3 की स्वीकृति निरस्त की गई। विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में 33/11 केवी के 18 सब स्टेशन स्थापित हैं, जिनका ग्राम पंचायतवार विवरण निम्न प्रकार है:- 1 पावटा, 2 मंडा, 3 प्रागपुरा, 4 रजनौता, 5 बादनगर, 6 सांईवाड, 7 छापुराखुर्द,

(ऊर्जा मंत्री)

8 रामपुरा, 9 बादलजोडी, 10 आन्तेला, 11 नौरंगपुरा, 12 विराटनगर, 13 जवानपुरा, 14 किशनपुरा, 15 भाभरू, 16 हरकिशनपुरा, 17 ककराना, (कुहाडा) एवं 18 बीलवाडी।

विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की तहसील विराटनगर में 132 केवी का एक भी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित नही है।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में 9602 कृषि कुए/बोरिंग विद्युत द्वारा संचालित हैं तथा घरेलू 25279 व 281 लघु उद्योग इकाइयां संचालित हैं।

ग्राम पंचायतानुसार घरेलू, लघु उद्योगों/कृषि कनेक्शन की संख्या का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) राजस्थान में जिलेवार ग्रिड सब स्टेशनों का संख्या विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

बीकानेर जिले में विधायक/सांसद द्वारा अनुशंषित कार्य

207. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर जिले में सांसद/विधायक क्षेत्रीय विकास योजना (एमपी/ एमएलए एलएडी) के अन्तर्गत गत 10 वर्षों में कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त कार्यों की विद्युत निगम को कब-कब कितनी राशि प्राप्त हुई तथा यह कार्य कब सम्पादित करवाये गये ? विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राशि जमा होने के बावजूद लम्बे समय तक कार्य नहीं करवाये जाने के क्या कारण रहे ? स्वीकृतिवार विलम्ब के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे लापरवाह अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

(5) क्या सरकार उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों को सम्पादित करने हेतु समयसीमा तय करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में सांसद/विधायक क्षेत्रीय विकास योजना (एमपी/एमएलए एलएडी) के अन्तर्गत गत 10 वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त कार्यों हेतु विद्युत निगम को प्राप्त राशि तथा कार्यो के सम्पादन संबंधित विवरण भी परिशिष्ट 'अ' में दर्शाया गया हैं।

(3) राशि जमा होने के पश्चात् कार्य को पूर्ण करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करना, आदेश जारी करना एवं आवश्यक लाइनों से संबधित सामान की व्यवस्था आदि में समय लगना स्वाभाविक है। संबंधित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध हैं।

(4) नियमित प्रक्रिया के तहत उपरोक्त कार्य को पूर्ण करने में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(5) उक्त योजना के अन्तर्गत राशि जमा होने के पश्चात् ही कार्यों के सम्पादन हेतु समय सीमा में आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजगढ़ पंचायत समिति (चूरू) के अविद्युतीकृत ग्राम/ढाणियां

208. श्रीमती कमला कस्वां (चूरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत आबाद किन-किन ढाणियों को चिह्नित कर स्वीकृत/विद्युतीकृत किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त सभी ढाणियां आबादी भूमि में स्थित हैं ? यदि नहीं, तो कितनी एवं कौन-कौनसी ऐसी ढाणियां हैं, जो गोचर अथवा कृषि भूमि में आबाद हैं ?

(3) क्या सरकार शेष रही ढाणियों को विद्युतीकृत किये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) में राजीव गांधी ग्रामीण

(ऊर्जा मंत्री)

विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित सभी 35 आबाद ढाणियों को चिन्हित कर विद्युतीकृत किया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त 35 ढाणियों में से आबादी भूमि में 6, गोचर भूमि में 22, कृषि भूमि में 5 एवं गोचर/कृषि भूमि में 2 ढाणियां स्थित हैं।

(3) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 100 से ऊपर की आबादी की अविद्युतीकृत ढाणियों को ही विद्युतीकृत करने का प्रावधान है। चूरू जिले की पंचायत समिति राजगढ़ की 100 से अधिक आबादी की सभी ढाणियां विद्युतीकृत हो चुकी हैं। 100 से कम आबादी वाली ढाणियों के विद्युतीकरण के लिये फिलहाल वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

प्रपत्र-अ

कार्यालय मुख्य अभियंता (पवस) जोधपुर डिस्काम : बीकानेर
पंचायत समिति राजगढ़ में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत स्वीकृत एवं विद्युतीकृत की गई ढाणियों की सूची

क्र. सं.	उपखण्ड	ढाणी का नाम	राजस्व ग्राम	किस क्षेत्र में स्थित है
1	2	3	4	5
1.	सादुलपुर	बावरियों की ढाणी	राजपुरिया	आबादी भूमि में
2.		कुम्हारों की ढाणी	डोकवा	गोचर भूमि में
3.		चमारों की ढाणी	गगौर	गोचर भूमि में
4.		जवाहारा की ढाणी	हांसियबास	कृषि क्षेत्र में
5.		मेहड़ा की ढाणी	जोधावास	आबादी भूमि में
6.	सादुलपुर ग्रामीण	गणेश की ढाणी	नेशल	गोचर भूमि में
7.		गरासियों की ढाणी	नेशल	गोचर भूमि में
8.		बीका की ढाणी	रावतसर कुंजल	गोचर भूमि व कृषि भूमि
9.		ढाणी दोलाना जोहड़	राउ ताल	गोचर भूमि में
10.		जोहड़ा वाली ढाणी	कलाणा टिब्बा	गोचर भूमि में

1	2	3	4	5
11.	सादुलपुर ग्रामीण	हरिजन बस्ती ढाणी	खबरपुरा	गोचर भूमि में
12.		झाझडियों की ढाणी	लीलावठी	गोचर भूमि में
13.		ढाणी महला	भैंसली	कृषि भूमि में
14.		ढाणी परतु वाली	भैंसली	गोचर भूमि में
15.		हरिजन ढाणी	ढाणी मौजी	गोचर भूमि में
16.		रांवा की ढाणी	सांखू	कृषि भूमि में
17.		धानकों की ढाणी	नेशल	गोचर भूमि व कृषि भूमि
18.		हरिजन बस्ती	भरिण्ड	गोचर भूमि में
19.		निरवाणों की ढाणी	नुहन्द	गोचर भूमि में
20.		धानकों की ढाणी	बैरासर छोटा	गोचर भूमि में
21.		कान्धराण की ढाणी	कान्धराण	गांव से लगी हुई गोचर भूमि में
22.		अमरसिंह चमार की ढाणी	निमा	गोचर भूमि में
23.		बावरियों की ढाणी	बास किरतान	गोचर भूमि में
24.		जोगीवाला जोहडा	हरपालू कुबड़ी	आबादी भूमि में
25.		इन्द्रा कालोनी	रावतसर कुंजला	आबादी भूमि में
26.		चिमना की ढाणी	हमीरवास बड़ा	आबादी भूमि में
27.		नायकों की ढाणी	गुगलवा	कृषि भूमि में
28.		हरिजन बस्ती	बैरासर छोटा	गोचर भूमि में
29.		इन्द्रा कालोनी	जनाउ खारी	गोचर भूमि में
30.		जाखड़ की ढाणी	निमा	कृषि भूमि में

1	2	3	4	5
31.		भगत जी की ढाणी	कालोड़ी	गोचर भूमि में
32.		शेराराम पूनियां की ढाणी	कालोड़ी	गोचर भूमि में
33.		हरिजन बस्ती	जयपुरिया पट्टा	गोचर भूमि में
34.		भोलोथिया की ढाणी	राजपुरिया	आबादी भूमि में
35.		ढाणी स्वामीयान	सेओवा	गोचर भूमि में

मुख्य अभियंता (पवस)

बड़ी सादड़ी के ग्राम/ढाणियों में विद्युतीकरण कार्य

209. श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के कौन-कौन से गांव/ढाणियों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांव/ढाणियों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का कार्य किसी फर्म/कम्पनी के मार्फत किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन अधिकारियों की देखरेख में उक्त कार्यकारी एजेन्सी ने अब तक किस गांव/ढाणी के लिए कितने पोल स्वीकृत किये और कितने पोल कहां लगाये तथा कितने कनेक्शन चालू किये ? प्रत्येक गांव/ढाणी क्षेत्र के लिए उक्त फर्म द्वारा बनायी गई कार्ययोजना, पूर्ण-अपूर्ण कार्य, इस कार्य पेटे सरकार से आहरित की गई धनराशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रस्तावित योजना एवं प्राप्त आवेदनों के अनुपात में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकरण का कार्य आज दिनांक तक नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त में कितने संवेदक/कम्पनी दोषी पाये गये ?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के बीपीएल बाहुल्य गांवों में बीपीएल परिवारों की संख्यानुपात में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युत पोल स्वीकृत कर पूर्ण विद्युतीकरण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के गांव व ढाणियां जिनमें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। उक्त गांव/ढाणियों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य मैसर्स जीनस पावर इनफ्रास्टैक्चर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। उक्त कार्य सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता के निर्देशन में किया जाता है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में गांव/ढाणी में लगाये गये पोलों, बनायी गई कार्य योजना, पूर्ण/अपूर्ण कार्य एवं जारी कनेक्शनों का विवरण उक्त परिशिष्ट 'अ' में दर्शाया गया है। केन्द्र द्वारा चितौड़गढ़ जिले के लिए माह फरवरी 2011 तक प्राप्त राशि रुपये 49.28 करोड़ हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा जिले की योजना के लिए ही राशि आहरित की जाती है।

(3) जी हां। प्रस्तावित योजना एवं प्राप्त आवेदनों के अनुपात में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। इसके लिए मैसर्स जीनस पावर इनफ्रास्टैक्चर पर कार्य समय पर पूर्ण नहीं किये जाने के कारण कार्य आदेश के अनुसार जुर्माना राशि लगाई जा रही है।

(4) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में उक्त योजना के अन्तर्गत नेशनल सर्वे 2002 की सूची के आधार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण केन्द्र सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार योजनान्तर्गत विद्युत पोल स्वीकृत कर विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा हैं एवं दिनांक 31.12.2011 तक स्वीकृत योजना को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ तहसील (जोधपुर) में पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना के तहत आयोजित शिविर

210. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करें :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में ''पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार" योजना प्रारम्भ की गई है ? यदि हां, तो कब ? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के प्रारम्भ से अब तक तहसील शेरगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा शिविर नियमित रूप से आयोजित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो शिविर कब-कब आयोजित किये गये व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रदेश में "पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना" दिनांक 01.08.2009 से संचालित है । योजनान्तर्गत प्रदेश के उन ग्राम पंचायतों के गांव में नजदीक के पशु चिकित्सालय से प्रतिमाह एक पशु चिकित्सा शिविर एवं गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जहां वर्तमान में विभागीय पशु चिकित्सा संस्था कार्यरत नहीं है।

(2) जी हां। योजनान्तर्गत तहसील शेरगढ़ में आयोजित शिविरों का गांववार एवं दिनांकवार विवरण संलग्न है ।

तहसील शेरगढ़ में "पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार" योजनान्तर्गत शिविरों के आयोजन की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	प्रत्येक माह की शिविर आयोजन की दिनांक
1	2	3
1.	तिबना खिरजा	दिनांक 11 को
2.	साई	दिनांक 11 को
3.	गुमानसिंहपुरा	दिनांक 11 को
4.	चाबा	दिनांक 17 को
5.	भोमसागर	दिनांक 19 को
6.	चुतरपुरा	दिनांक 21 को
7.	पाबूसर	दिनांक 11 को
8.	जेतसर	दिनांक 17 को
9.	उटवालिया	दिनांक 11 को
10.	गुमानपुरा	दिनांक 17 को

1	2	3
11.	सोलंकिया तला	दिनांक 19 को
12.	सुवालिया	दिनांक 21 को
13.	देवराजगढ़	दिनांक 24 को
14.	गडा	दिनांक 17 को
15.	भाण्डू	दिनांक 11 को
16.	सियादा	दिनांक 19 को
17.	साबरसर	दिनांक 11 को
18.	हिमतपुरा	दिनांक 21 को
19.	उटाम्बर	दिनांक 11 को
20.	बिराई	दिनांक 17 को
21.	नीम्बो का गांव	दिनांक 19 को
22.	गोपालसर	दिनांक 17 को
23.	डेरिया	दिनांक 11 को
24.	बारनाउ	दिनांक 11 को
25.	भालू अनोपगढ़	दिनांक 17 को
26.	सेखाला	दिनांक 11 को
27.	देडा	दिनांक 11 को
28.	केतूकलां	दिनांक 17 को
29.	कुई इन्दा	दिनांक 19 को
30.	बेलवा राणाजी	दिनांक 11 को
31.	बेलवा खतरीयान	दिनांक 17 को
32.	खारीबेरी	दिनांक 24 को
33.	ढाढानिया सासण	दिनांक 11 को
34.	दुगर	दिनांक 17 को
35.	भाटेलाई	दिनांक 19 को

सिरोही जिले में नवीन पशु चिकित्सालय

211. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या जिला सिरोही में नए पशु चिकित्सालय खोले जाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक ?

उत्तर

वर्तमान में सिरोही जिले में नये पशु चिकित्सालय खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

नागौर जिले की गौशालाओं को देय अनुदान राशि में बढ़ोतरी

212. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में कितनी गौशालाएं पंजीकृत हैं ? तहसील एवं ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2010-11 की अनुदान राशि उक्त गौशालाओं को जारी कर दी है ? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार महंगाई बढ़ने के कारण गौशालाओं का अनुदान बढ़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में गौशाला अधिनियम 1960 के तहत 328 गौशालाएं पंजीकृत हैं। तहसीलवार एवं ग्रामवार पंजीकृत गौशालाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां। जिला कलक्टर नागौर को जिले के सम्वत 2066 में अभावग्रस्त घोषित होने के कारण वित्तीय वर्ष 2010-11 में गौशाला अनुदान मद में राशि रु. 1776.07 लाख आबंटित कर दी गई है।

(3) अभाव अवधि के दौरान गौशालाओं को अनुदान भारत सरकार द्वारा जारी सी.आर.एफ. मानदण्ड के अनुसार दिया जाता है। इसमें बढ़ोतरी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रामगढ़ (अलवर) में नवीन पशु चिकित्सालय

213. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में कुल कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां संचालित हैं ?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में नए पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में कुल 8 पशु चिकित्सालय निम्नानुसार संचालित हैं।

1. प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, रामगढ़
2. पशु चिकित्सालय, बहाला
3. पशु चिकित्सालय, नौगावां
4. पशु चिकित्सालय, गोविन्दगढ़
5. पशु चिकित्सालय, ऊंटवाल
6. पशु चिकित्सालय, बूटोली
7. पशु चिकित्सालय, बडोदामेव
8. पशु चिकित्सालय, गण्डूरा

(2) वर्तमान में रामगढ़ (अलवर) में नये पशु चिकित्सालय खोले जाने प्रस्तावित नहीं हैं । पशु चिकित्सालय आवश्यकतानुसार खोले जाते हैं।

राज्य में संचालित दुग्ध उत्पादक प्राथमिक सहकारी समितियां

214. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में को-ऑपरेटिव डेयरी की स्थापना कब व किस उद्देश्य से की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कितनी व कहां दुग्ध उत्पादक प्राथमिक सहकारी समितियां हैं एवं कितनी केन्द्रीय समितियां कहां-कहां पर स्थापित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1975 में विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भ में 6 पूर्वी जिलों में डेयरी विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। सहकारिता अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 में राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसमें तत्समय राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की समस्त गतिविधियों को स्थानान्तरित कर दिया गया।

इसके गठन का मुख्य उद्देश्य -

- दूध एवं दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, दुग्ध संकलन, प्रसंस्करण एवं विपणन गतिविधियों के संचालन हेतु प्रभावी आधारभूत ढांचे का सृजन करना।
- दुग्ध उत्पादकों को बिचौलियों से मुक्त कर सहकारिता की भावना के अनुरूप उनके दूध का नियमित रूप से उचित प्रतिफल प्रदान करना।
- दुग्ध उत्पादक, जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं, का विभिन्न सामाजिक योजनाओं एवं तकनीकी आदान सुविधाओं के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास सुनिश्चित करना।
- राज्य के बहुसंख्यक उपभोक्ताओं को समुचित दर पर गुणवत्तायुक्त दूध एवं दुग्ध पदार्थों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित कराना इत्यादि सम्मिलित है।

(2) राज्य में कुल 12,187 पंजीकृत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां स्थापित हैं, जिनका संघवार विवरण प्रदर्श-"क" पर संलग्न है।

जिला दुग्ध संघ (केन्द्रीय समितियां) का स्थानवार विवरण प्रदर्श-"ख" पर संलग्न है।

प्रदर्श "क"

राज्य में राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि. से सम्बद्ध जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की पंजीकृत समितियों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	दुग्ध संघ का नाम	पंजीकृत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	649
2.	अलवर	979
3.	बांसवाड़ा	239
4.	बाड़मेर	262
5.	बीकानेर	757
6.	भरतपुर	276
7.	भीलवाड़ा	900
8.	चित्तौड़गढ़	739
9.	चूरू	292
10.	श्रीगंगानगर	1025
11.	जालौर-सिरोही	488
12.	जयपुर	1758
13.	जोधपुर	644
14.	झालावाड़	239
15.	कोटा	470
16.	पाली	502
17.	नागौर	268
18.	सीकर	468

1	2	3
19.	सवाई माधोपुर	231
20.	टोंक	317
21	उदयपुर	684
	कुल योग	**12187**

प्रदर्श "ख"

राज्य में राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि. से सम्बद्ध जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (केन्द्रीय समितियां) का स्थानवार विवरण

क्र. सं.	**जिला दुग्ध संघ (केन्द्रीय समितियों) का नाम**	**मुख्यालय स्थान**
1	**2**	**3**
1.	अजमेर	अजमेर
2.	अलवर	अलवर
3.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
4.	बाड़मेर	बाड़मेर
5.	बीकानेर	बीकानेर
6.	भरतपुर	भरतपुर
7.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
8.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
9.	चूरू	सरदारशहर
10.	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़
11.	जालौर-सिरोही	रानीवाड़ा
12.	जयपुर	जयपुर
13.	जोधपुर	जोधपुर
14.	झालावाड़-बारां	झालावाड़

1	2	3
15.	कोटा	कोटा
16.	पाली	पाली
17.	नागौर	नागौर
18.	सीकर-झुन्झुनूं	सीकर
19.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
20.	टोंक	टोंक
21	उदयपुर	उदयपुर

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड घिनोई (जयपुर) का सरस आरोग्य बीमा योजना अन्तर्गत बकाया बिल का भुगतान

215. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमि., जयपुर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की डेयरी में दूध देने वालों को सरस आरोग्य बीमा की सुविधा दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है ? यदि हां, तो उक्त संबंधी नियम/मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमि., घिनोई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में भी दुग्ध देने वाले ग्रामीणों की सरस आरोग्य बीमा की सुविधा का प्रावधान है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमि., घिनोई तहसील चौमूं, जिला जयपुर में दूध देने वाले श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री रणमल शर्मा के सरस आरोग्य बीमा पालिसी संख्या जी.एफ./81/मेडिक्लेम/09-10/06 कार्ड नं. आस.सी.डी.एफ.10/5/100/5272ए तथा कार्ड नं. सी.ए./90000428ए है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि श्री राधेश्याम शर्मा दिनांक 22-9-2009 को बीमार हो गये थे और इन्होंने अपना इलाज कराने में काफी राशि व्यय कर रुपये 10253.00 मात्र के मेडिकल बिल विपुल मेडिकल कार्पोरेशन टी.पी.ए.

(श्री राजकुमार रिणवां)

प्राइवेट लिमि., एस-10, श्याम नगर, अजमेर रोड़, जयपुर में प्रस्तुत किये हैं ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति के मेडिकल क्लेम के प्रकरण की पत्रावली 11 आर.बी.ओ. 251 ए 0449 दिनांक 22-12-2010 वित्त भवन, जयपुर में श्री अमित जौहरी के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण का निस्तारण कब तक करा दिया जावेगा ?

(6) क्या सरकार उक्त व्यक्ति को अपने मेडिकल बिलों का भुगतान शीघ्र कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(7) अब उक्त प्रकरण का निस्तारण कब तक कर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मानदण्ड की प्रति प्रदर्श-"क" पर संलग्न है।

पालिसी की प्रति प्रदर्श-"ख" पर संलग्न है।

एमओयू की प्रति प्रदर्श-"ग" पर संलग्न है।

(2) जी हां। 1 अप्रैल, 2006 से है।

(3) जी हां। विवरण प्रदर्श-"घ" पर संलग्न है।

(4) यह सही है कि श्री राधेश्याम शर्मा ने बीमार होने के उपरान्त इलाज के एवज में रुपये-10,253.00 के बिल प्रस्तुत किये थे।

श्री राधेश्याम शर्मा दिनांक 22 सितम्बर, 2009 को बीमार होकर हार्ट एण्ड जनरल हास्पिटल, जयपुर में भर्ती हुए एवं दिनांक 25 सितम्बर, 2009 को डिस्चार्ज हुए। श्री शर्मा को विपुल टी.पी.ए. द्वारा उक्त अवधि में कराये गये इलाज के लिए प्रस्तुत दावा संख्या 10CB02SIA0139 का कैश लैस दावा राशि का भुगतान रुपये-1,34,394/- चैक संख्या 364535 दिनांक 12 जनवरी, 2010 द्वारा किया जा चुका था। श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा इसी अवधि (22-09-2009 से 25-09-2009) का पुनर्भरण दावा संख्या 11RBP2SIA0449 राशि रुपये-10,253/- का दावा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत पुनर्भरण दावा निजी चिकित्सालय में करवाये गये जांच एवं दवाइयों से संबंधित था। चूंकि

(डेयरी राज्य मंत्री)

पूर्व में श्री राधेश्याम को उनके द्वारा प्रस्तुत कैश लैस दावे में रुपये-1,34,394/- का भुगतान जारी किया जा चुका था, जिसमें 22-09-2009 से 25-09-2009 तक कराई गई जांच व दवाई राशि (पैकेज में सम्मिलित थी)। इस कारण टी.पी.ए. द्वारा श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा प्रस्तुत पुनर्भरण दावे के विरुद्ध कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई। पालिसी नियमानुसार सीजीएचएस पैकेज में डिस्चार्ज के पश्चात 15 दिवस तक करवाये गये इलाज का खर्चा पैकेज में ही सम्मिलित होता है और पुनर्भरण दावे में प्रस्तुत समस्त बिल डिस्चार्ज दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में होने के कारण टी.पी.ए. द्वारा दावा खारिज कर दिया गया है।

(5) जी नहीं ।

(6) जी नहीं। क्योंकि हार्ट एण्ड जनरल हास्पीटल द्वारा श्री राधेश्याम शर्मा से 10,253 रु. गलत प्राप्त कर लिए गए जो नियमानुसार नहीं था अत: दावा राशि 10,253 रु. का अविलम्ब पुर्न भुगतान करने हेतु विपुल टी.पी.ए. द्वारा सम्बिन्धत निजी चिकित्सालय को निर्देशित किया गया जिसके फलस्वरूप हार्ट एवं जनरल हास्पीटल द्वारा चैक संख्या 998818 दिनांक 05.03.2011 द्वारा राशि रु. 10,253/- का भुगतान श्री राधेश्याम शर्मा को करके सूचित किया गया है। प्रदर्श- "ड" पर संलग्न है।

(7) उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

गृह निर्माण सहकारी समितियों के मानिटरिंग में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

216. श्री रोहिताश कुमार (बानसूर) व श्री **राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर में कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, इनमें से कितनी समितियों ने सहकारी अधिनियम 2001 एवं नियम 2003 के अनुसार अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अपना ऑडिट नहीं करवाया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रोहिताश कुमार)

(2) वर्ष 2009-10 व 2010-11 में गृह निर्माण सहकारी समितियों के लिए सरकार द्वारा बनाये गये मानिटरिंग प्रकोष्ठ में कितनी शिकायतें दर्ज की गईं तथा प्राप्त शिकायतों के आधार पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(3) गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने पर रजिस्ट्रार सहकारिता द्वारा कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरुद्ध धारा 55 व 30 ए के तहत जांच के आदेश दिये गये व कितनों में पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करने के निर्देश दिये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार ने दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 तक जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरुद्ध 10 से अधिक परिवाद या शिकायतें दर्ज हैं, उन्हें काली सूची में डालने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो अब तक कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों को काली सूची में डाला गया ?

(5) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में कई गृह निर्माण सहकारी समितियों का मूल रिकार्ड रजिस्ट्रार कार्यालय से गायब हो गया है ? यदि हां, तो उन समितियों की संख्या व उनके द्वारा काटे गये भू-खण्डों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर (शहर) की सीमा में कुल 226 गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। इनमें से 131 गृह निर्माण सहकारी समितियों ने सहकारी अधिनियम, 2001 एवं नियम 2003 के अनुसार अंकेक्षण नहीं करवाया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सहकारिता विभाग द्वारा बनाये गये मानिटरिंग प्रकोष्ठ में वर्ष 2009-10 व 2010-11 में 83 सोसायटियों के विरूद्ध 877 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सोसायटियों एवं शिकायतकर्ताओं के पक्षों को जानने के पश्चात 630 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष के संबंध में प्रक्रिया जारी है।

(3) गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने पर रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग द्वारा अधिनियम की धारा-55 के तहत 06 व 30(1) के तहत 26 गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरुद्ध जांच के आदेश दिये गये व कुल 9 मामलों में पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करने के निर्देश दिये। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सहकारिता मंत्री)

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित दुकानों पर जेनेरिक दवाओं के स्थान पर महंगी दवाओं का वितरण

217. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित मेडिकल की दुकानों में प्रमुख दवा कम्पनियों की जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं ? यदि हां, तो जनवरी, 2010 से दिसम्बर, 2010 तक जयपुर एवं अलवर शहर स्थित किन-किन दुकानों पर कितनी-कितनी जेनेरिक दवाइयों की बिक्री हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त दुकानों पर चिकित्सकों द्वारा पेंशनरों की डायरी में जेनेरिक नाम से दवाइयां लिखे जाने के बावजूद भी उपभोक्ता संघ की दुकानों पर अन्य कम्पनियों के उत्पाद जो कि अधिक महंगे होते हैं, दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही को रोकने के लिए कोई प्रयास किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जनवरी, 2010 से दिसम्बर, 2010 तक उपभोक्ता संघ द्वारा जयपुर में अपनी 37 मेडिकल की दुकानों से कुल 30,33,050.45 रुपये की जेनेरिक दवाइयों की बिक्री की गई। दुकानवार बिक्री का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उपभोक्ता संघ की अलवर शहर में कोई मेडिकल की दुकान नहीं है।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट-1

मेडिकल अनुभाग में संचालित विक्रय केन्द्रों पर जेनेरिक औषधियों की बिक्री सूचना
(1 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक)

क्र. सं.	शाखा का नाम	बिक्री राशि
1	2	3
1.	एसएमएस प्रथम	700.00
2.	एसएमएस द्वितीय	500.00
3.	एसएमएस 4	150.00
4.	एसएमएस बांगड	170330.00
5.	जे.डी.ए. परिसर	150.00
6.	चेस्ट अस्पताल	502.10
7.	गांधीनगर प्रथम	50.00
8.	जयपुरिया अस्पताल	33800.00
9.	जयपुरिया अस्पताल जयपुरिया	2870.00
10.	जन औषिध केन्द्र जयपुरिया	279793.00
11.	झोटवाडा पुरानी	5990.00
12.	झोटवाडा नई	3486.00
13.	कांवटिया	16317.00
14.	कांवटिया परिसर	38720.00
15.	जन औषधि केन्द्र कांवटिया	405119.35
16.	मालवीय नगर सैक्टर 3	1250.00
17.	राजभवन	2075.00
18.	सचिवालय परिसर	250.00
19.	सेठी कॉलोनी	616.00
20.	सांगानेर परिसर	1560.00
21.	विधान सभा	417373.00

1	2	3
22.	प्रताप नगर सैक्टर-11	56.00
23.	बस्सी	460.00
24.	चौमूं शाखा	5830.00
25.	निवाई	17053.00
26.	फागी	19500.00
27.	दूदू	45600.00
28.	बगरू	16200.00
29.	झालाना डूंगरी	80.00
30.	तूंगा	1000.00
31.	मोती कटला।	2000.00
32.	पुरानी बस्ती।	1000.00
33.	न्यू कॉलोनी	200.00
34.	सिरह डयोढी	500.00
35.	आमेर परिसर	5000.00
36.	आमेर	500.00
37.	शाहपुरा	3500.00
	योग	**3033050.45**

पेंशनरों को दवा प्राप्ति हेतु चिकित्सा पंजिका की छाया प्रति की अनिवार्यता में छूट

218. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पेंशनरों को चिकित्सा पंजिका में लिखी गई औषधियों को सहकारी दुकानों से लेने की क्या प्रक्रिया है?

(2) क्या सरकार इस प्रक्रिया का सरलीकरण करने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि पेंशनर संगठनों ने सहकारी दुकानों पर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

चिकित्सा पंजिका की छाया-प्रति देने की अनिवार्यता समाप्त करने हेतु कई बार मांग उठाई है ? यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या विचार है ?

उत्तर

(1) पेंशनरों को चिकित्सा पंजिका में लिखी गई औषधियों को उपभोक्ता संघ के दवा विक्रय केन्द्रों से लेने की प्रकिया निम्नानुसार है:-

1. कोषाधिकारी पेंशन स्तर से जारी की गई मेडिकल डायरी में अधिकृत चिकित्सक द्वारा लिखी गई औषधियां प्राप्त करने हेतु सहकारी दवा केन्द्रो पर मेडिकल डायरी के मुख्य पृष्ठ, डायरी नवीनीकरण एवं दवा की पर्ची की छायाप्रति प्रस्तुत करने पर, संबंधित दवा विक्रय केन्द्र द्वारा कम्प्यूटराइज्ड बिल जारी करते हुए औषधियां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। संबंधित पेंशनर को बिल की एक प्रति दी जाकर कार्यालय प्रति पर हस्ताक्षर लिये जाते हैं। पेंशनर को उपलब्ध कराई गई औषधियों की राशि का इन्द्राज मेडिकल डायरी में किया जाता है।

2. मेडिकल डायरी में लिखी गई औषधियां उपभोक्ता संघ के विक्रय केन्द्र पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विक्रय केन्द्र द्वारा कम्प्यूटराइज्ड अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (एन.ए.सी.) जारी किया जाता है।

3. पेंशनर द्वारा मेडिकल डायरी पर लिखी औषधियों को प्राप्त करने हेतु स्वयं उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अधिकृत व्यक्ति के संबंध में अधिकार पत्र लेने के पश्चात उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 व 2 पर अपनाई प्रकिया ही उपभोक्ता संघ के दवा विक्रय केन्द्र पर अपनाई जाती है।

(2) सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर समय-समय पर सरलीकरण किया जाता है।

(3) जी हां। कोषालय स्तर पर यह जांच करने हेतु कि दवा विक्रेता द्वारा पेंशनर को चिकित्सक द्वारा चिकित्सा पंजिका में लिखी गई दवाइयां ही उपलब्ध कराई गई हैं एवं अधिकृत दवा विक्रेता द्वारा जारी बिलों की कोषालय स्तर पर जांच के लिए चिकित्सा पंजिका की छायाप्रति प्राप्त करना आवश्यक है। पेंशनर की सुविधा हेतु चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाइयों की कार्बन कापी अथवा डुप्लीकेट प्रति के आधार पर भी दवा उपलब्ध कराने के प्रावधान किये हुए हैं।

ग्राम सहकारी समिति माधोगढ़ (बस्सी) के प्रबन्धक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

219. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बस्सी जिला जयपुर की ग्राम सहकारी समिति माधोगढ़ में किसानों को मिलने वाला ऋण एवं खाद बीज नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) ग्राम सहकारी समिति माधोगढ़, बस्सी जिला जयपुर में जनवरी, 2009 से आज तक कितने कृषकों को किस योजना के तहत लाभांवित किया गया एवं ग्राम सहकारी समिति माधोगढ़ प्रबंधक के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) माधोगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा जनवरी 2009 से 18.2.2011 तक निम्नानुसार ऋण वितरण किया गया है:-

क्र. सं.	मद	कृषकों की संख्या	राशि (रुपये में)
1.	अल्पकालीन (नकद)	305	4800750
2.	अल्पकालीन खाद-बीज	105	340420
	योग	**410**	**5141170**

श्री रमेश चन्द शर्मा, प्रबन्धक, माधोगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच ऋण पर्यवेक्षक, बस्सी द्वारा करवाई गई। जांच में शिकायत सही नहीं पाई गई।

जनता नगर आवासीय योजना, सोडाला (जयपुर) का नियमन

220. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करें :-

(1) क्या जलमहल हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि. द्वारा जनता

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

नगर, लक्ष्मी नगर के पीछे सोडाला, जयपुर में भू-खण्डों का आबंटन किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश सोसायटी द्वारा जयपुर शहर की कालोनियों का शिविर लगाकर नियमितिकरण कर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे जारी कर दिये हैं ? यदि हां, तो उक्त योजना का नियमितिकरण क्यों नहीं किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में प्लाट नं. 159 से 165 तक के भूखण्ड आबंटित किये थे ? यदि हां, तो आबंटन पत्र, जमा राशि की रसीद एवं साइट प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अब उक्त आवासों के नियमन हेतु शिविर लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जलमहल हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि. द्वारा योजना जनता नगर, राकड़ी (लक्ष्मी नगर के पीछे) सोडाला, जयपुर में भू-खण्डो का आबंटन किया गया हैं। भू-खण्डो के आबंटन की अवधि वर्ष 1978 से 1980 रही है।

(2) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर ऐसी योजनाओं के नियमन शिविर लगाये जा रहे हैं जो राज्य सरकार द्वारा नियमन हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करती है। उक्त योजना दिनांक 06.01.2003 को जयपुर विकास प्राधिकरण की जोनल स्तरीय कमेटी द्वारा योजना के स्वामित्व व विक्रेता के नामों में अन्तर होने के कारण निरस्त की जा चुकी है।

(3) जी हां। यह सही है कि उक्त योजना में प्लाट नं. 159 से 165 तक के भूखण्ड आबंटित किये गये थे। समिति कार्यालय में सम्बन्धित सदस्यों के आबंटन पत्र, जमा राशि की रसीदें तथा साइट प्लान उपलब्ध नहीं है।

(4) जी नहीं। क्योंकि योजना दिनांक 06.01.2003 को जयपुर विकास प्राधिकरण की जोनल लेवल कमेटी द्वारा निरस्त की जा चुकी है। पूर्व के तथ्य यथावत रहने के कारण योजना का शिविर लगाने का विचार नहीं है।

कोटपूतली/देवली-उनियारा के कृषकों को नाबार्ड में कृषि ऋण माफी एवं राहत योजना अन्तर्गत लम्बित प्रकरण

221. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली एवं देवली-उनियारा में कृषि ऋण माफी एवं राहत योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008 से 2010 की अवधि में कितने कृषकों का ऋण माफी क्लेम पूर्ण कार्यवाही होने के पश्चात् भी अभी तक लम्बित है? कृषकों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रबंधक, दी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, टोंक ने पत्र क्रमांक 15016 दिनांक 28-12-2010 द्वारा उप महाप्रबन्धक (निरी.पर्य.) दी राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि., जयपुर को ऋण माफी हेतु प्रेषित किया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पत्र में वर्णित कृषक का कृषि ऋण माफी एवं राहत योजना 2008 का ऋण माफी क्लेम अभी तक लम्बित है ? यदि हां, तो क्लेम पास नहीं होने के लिए कौन जिम्मेदार है तथा अब कब तक क्लेम का निस्तारण कर राशि का भुगतान कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली एवं देवली-उनियारा के किन-किन कृषकों का नाबार्ड में कृषि ऋण माफी एवं राहत योजना 2008 के ऋण माफी क्लेम कब-कब से किन कारणों से लम्बित हैं? इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं तथा अब कब तक क्लेम पास करके कृषकों के खातों में राशि जमा करवा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि ऋण माफी एवं राहत योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008 से 2010 की अवधि में विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली एवं देवली-उनियारा के सदस्य कृषक का ऋण माफी दावा लम्बित नहीं है।

(2) केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., टोंक ने नाबार्ड से ऋण माफी क्लेम का पुनर्भरण प्राप्त करने हेतु दावा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., जयपुर को प्रेषित किया। पत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। परन्तु उक्त पत्र राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., जयपुर में प्राप्त होना नहीं पाया गया है।

(सहकारिता मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) श्री कैलाश पुत्र श्री ग्यारसी दास, सदस्य भूरीभडाज ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं देवली-उनियारा विधान सभा क्षेत्र के कृषक श्री रामप्रसाद पुत्र श्री गोपी मीणा निवासी ग्राम सूथड़ा तहसील उनियारा ऋणी केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., टोंक के क्लेम नाबार्ड को भेजने बकाया हैं। उक्त दोनों प्रकरणों में नाबार्ड को अब तक क्लेम न भेजने के कारणों की जांच की जा रही है परन्तु उक्त दोनों कृषकों को योजनान्तर्गत राहत दी जा चुकी है।

परिशिष्ट-1

दी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., टोंक

क्रमांक 15016 दिनांक 28.12.10

उप महाप्रबंधक (निरी. पर्य.),
दि राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि.,
जयपुर।

विषय :- कृषि ऋण माफी एवं राहत योजना 2008 के ऋण माफी क्लेम बाबत।

प्रसंग :- आपका पत्रांक RSCB/नि. पर्य./2010-11/5677 दिनांक 14.09.10

महोदय,

प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में श्रम है कि श्री रामप्रसाद पुत्र श्री गोपी मीणा का ऋण माफी क्लेम योजना अनुसार परिवेदना स्वीकार कर भिजवाया था। "भूमि जोत वर्गीकरण" आकार कृषि गतिविधियों में मानकर वापस लौटाया गया था। परिवेदनार्थी का ऋण फसली .ऋण में सम्मिलित है। भू मापदण्ड आकार अन्य कृषक में पूर्ण कर दिया गया था। जबकि परिवेदनार्थी का भू आकार 1.67 हैक्टेयर भूमि आता है। योजना अनुसार लघु सीमान्त की श्रेणी में आता है।

पुन: प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर ऋण माफी क्लेम प्रपत्र 96896/- नाबार्ड को प्रेषित हेतु भिजवाया जा रहा है।

संलग्न :- 1. भू मापदण्ड।
2. योजना की प्रति।

ह./-
(प्रबंधक निदेशक)

घड़साना पंचायत समिति में अनुबंध पर नियुक्त कार्मिक

222. श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति घड़साना में अनुबन्ध के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो क्या इन भर्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों व दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें

उत्तर

नवसृजित पंचायत समिति घड़साना में निम्न कार्मिक अनुबन्ध पर रखे गये हैं :-

1- कम्प्यूटर आपरेटर - 2

2- सहायक कर्मचारी – 3

पद अनुबन्ध पर भरे जाने थे तथा नवसृजित पंचायत समिति होने के कारण बजट का अभाव था, ऐसी स्थिति में समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी नहीं कर अनुबन्ध के सृजित पदों की सार्वजनिक सूचना जारी कर तहसील, उपखण्ड कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाई गई।

वित्त विभाग के निर्देशानुसार कार्मिक अनुबन्ध पर लिये गये हैं, इसलिये इन पदों हेतु विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। सहायक कर्मचारी को मानदेय प्रतिमाह 2600 रुपये एवं कम्प्यूटर आपरेटर मय कम्प्यूटर को प्रतिमाह 6000 रुपये की दर से भुगतान किया जा रहा है। उक्त दरें वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित हैं।

शिवगंज (सिरोही) तहसीलदार के विरुद्ध दर्ज टिप्पणी का निस्तारण

223. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिला परिषद् की साधारण सभा की 2010 में आयोजित एक बैठक के कार्यवाही विवरण में तहसीलदार शिवगंज के विरुद्ध टिप्पणी अंकित कर राजस्व मंडल अजमेर को कार्यवाही के लिए प्रेषित

(श्री भंवरू खान)

की गई थी ? यदि हां, तो टिप्पणी की प्रति एवं राजस्व मंडल अजमेर को उक्त तहसीलदार के विरुद्ध लिखे गये पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त तहसीलदार शिवगंज के विरुद्ध वास्तव में कोई प्रस्ताव जिला परिषद् सिरोही की साधारण सभा ने नहीं लिया था ? यदि हां, तो क्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह कृत्य दुर्भावनावश किया गया ? क्या सरकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ?

(3) राजस्व मंडल अजमेर ने उक्त संबंध में जिला कलक्टर सिरोही को क्या पत्र लिखा और जिला कलक्टर सिरोही ने राजस्व मंडल अजमेर को क्या उत्तर भेजा ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जिला परिषद् सिरोही की गत बैठक में तहसीलदार शिवगंज के विरुद्ध कार्यवाही विवरण में लिखी गई उक्त टिप्पणी को मनगढ़ंत बताया जाकर उसकी पुष्टि न करते हुए उसे निरस्त किया गया है ?

उत्तर

(1) जिला परिषद, सिरोही की सामान्य बैठक दिनांक 28.9.2010 के कार्यवाही विवरण में तहसीलदार शिवगंज के विरुद्व कार्यवाही किये जाने के लिये राजस्व मण्डल को लिखे जाने का अंकन किया गया है । जिसके संबंध में जिला प्रमुख, सिरोही द्वारा अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर को पत्र क्रमांक 280 दिनांक 13.11.2010 लिखे गये थे । सामान्य बैठक दिनांक 28.9.2010 की कार्यवाही विवरण व जिला प्रमुख, सिरोही द्वारा लिखे गये पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । (परिशिष्ट-क)

(2) उक्त तहसीलदार, शिवगंज के विरूद्व कार्यवाही किये जाने के लिये राजस्व मण्डल को लिखे जाने का अंकन किया गया था । जिसे जिला परिषद की सामान्य बैठक दिनांक 06.01.2011 के प्रस्ताव सख्या-1 (गत बैठक दिनांक 28.09.2010 की कार्यवाही का अनुमोदन) में गत सामान्य बैठक में तहसीलदार शिवगंज के विरुद्व टिप्पणी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में लिये गये अंकन को निरस्त कर उक्त अंकन को गत बैठक कार्यवाही विवरण से हटाये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया । इस मामले में किसी अधिकारी की दुर्भावना का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है । सामान्य बैठक दिनांक 06.01.2011 की प्रति संलग्न है । (परिशिष्ट-ख)

(पंचायती राज मंत्री)

(3) जी हां । उप निबन्धक (जांच), राजस्व मण्डल राज. अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 3.12.2010 के साथ जिला प्रमुख, सिरोही के शिकायती पत्र की प्रति जिला कलक्टर, सिरोही को संलग्न भिजवाते हुए निर्देशानुसार शिकायत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर अपनी टिप्पणी अविलम्ब प्रेषित करने के लिये लिखा गया था । जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा प्रकरण की जांच अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही से करवाई गई तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही की जांच रिपोर्ट दिनांक 3.2.2011 के आधार पर जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा उप निबन्धक (जांच) राजस्व मण्डल, अजमेर को लिखे पत्र क्रमांक 175 दिनांक 14.2.2011 में जिला परिषद की बैठक दिनांक 6.1.2011 में बैठक दिनांक 28.9.2010 में श्री नन्दकिशोर राजौरा तहसीलदार शिवगंज के विरुद्ध टिप्पणी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में लिये गये निर्णय को निरस्त कर उक्त प्रस्ताव गत बैठक कार्यवाही विवरण से हटाने का निर्णय लिया जाने के कारण शिकायत पत्र में अंकित तथ्य प्रमाणित नहीं होने का उत्तर दिया गया है । राजस्व मण्डल, अजमेर का पत्र एवं जिला कलक्टर, सिरोही की जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है । (परिशिष्ट-ग)

(4) उक्त बैठक दिनांक 8.9.2010 के कार्यवाही विवरण में तहसीलदार शिवगंज के विरुद्ध किये गये अंकन को मनगढ़ंत नहीं लिखा गया । प्रस्ताव में "उपस्थित सदस्यगणों ने गत सामान्य बैठक दिनांक 28.9.2010 में तहसीलदार शिवगंज श्री नन्दकिशोर राजोरा के विरुद्ध टिप्पणी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में लिये गये निर्णय को निरस्त कर उक्त प्रस्ताव को गत बैठक कार्यवाही विवरण से हटाये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।"

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सिरोही जिला परिषद् द्वारा किये गये स्थानान्तरण प्रकरण

224. श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिला परिषद् ने जनवरी, 2011 में दर्जनों शिक्षकों, ग्राम सेवकों, नर्स/कम्पाउण्डर के स्थानान्तरण किये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थानान्तरण अंतर पंचायत समिति ने किये जाकर एक गांव

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

से दूसरे गांव पंचायत समिति की प्रशासनिक समिति के अधिकारों का अतिक्रमण कर किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्थानान्तरणों के विरोध में जिले की शिवगंज, सिरोही, पिंडवाड़ा व रेवदर पंचायत समिति के प्रधान जिला कलक्टर से मिले हैं और प्रधानों ने आयुक्त पंचायतीराज, पंचायतीराज मंत्री व मुख्य मंत्री को ज्ञापन भी भेजे हैं ? यदि हां, तो ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्थानान्तरणों में भारी अनियमितताएं हुई हैं और सिरोही पंचायत समिति की गत बैठक के बाद समस्त पंचायत समिति सदस्यों ने जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री महिपाल सिंह को ज्ञापन देकर उक्त स्थानान्तरणों को निरस्त करने की मांग की है ?

(4) पंचायतीराज के स्थानान्तरणों के संबंध में मुख्य सचिव श्री एस. अहमद द्वारा 2010 में जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार उक्त आदेश की पालना कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो सिरोही जिले में नियम विरुद्ध जनवरी, 2011 में किये गये उक्त स्थानान्तरण कब तक निरस्त किये जाएंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त स्थानान्तरण पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति के अधिकारों का अतिक्रमण कर किये जाने संबंधी प्रकरण परीक्षणाधीन है।

(2) जी हां। यह सही है कि पंचायत समिति के प्रधान जिला कलक्टर से मिले हैं। पंचायत समिति शिवगंज के प्रधान श्री अचलाराम माली द्वारा आयुक्त पंचायतीराज को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। ज्ञापन की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) उक्त स्थानान्तरणों में अनियमितता के संबंध में परीक्षण किया जा रहा है। पंचायत समितियों के समस्त सदस्यों द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर महिपाल सिंह को कोई ज्ञापन प्राप्त होना नही पाया है।

(4) पंचायतीराज के स्थानान्तरणों के संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी आज्ञा क्रमांक 28 दिनांक 2.10.10 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न

(पंचायतीराज मंत्री)

है। जी हां, राज्य सरकार उक्त आदेशों की पालना करने का विचार रखती है। सिरोही जिले में जनवरी 2011 में किये गये उक्त स्थानान्तरणों के संबंध में परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जैसलमेर जिले में अग्निकांड पीड़ितों को मुआवजा

225. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के ग्राम व ढाणी में आग लग जाने पर दिये जाने वाले मुआवजे के क्या नियम हैं ? प्रभावित लोगों को अधिकतम कितने समय में मुआवजा दिया जाता है ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 10 वर्षों में जैसलमेर जिले में कितने लोग कब-कब अग्नि दुर्घटना से प्रभावित हुए व उन्हें कितना मुआवजा कब-कब प्रदान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के किसी ग्राम/ढाणी में प्राकृतिक अग्निकाण्ड हो जाने की स्थिति में, प्रभावित परिवारों को आपदा राहत निधि के निर्धारित मानदण्डानुसार सहायता प्रदान की जाती है। मानदण्डों की प्रति (परिशिष्ट-1) संलग्न है। प्रभावित लोगों को सहायता दिए जाने संबंधी पूर्ण तथ्यों के साथ प्रकरण जिला कार्यालय में प्राप्त होने के शीघ्र पश्चात् सहायता प्रदान की जाती है।

(2) जैसलमेर जिले में गत 10 वर्षों में अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों एवं उन्हें आपदा राहत निधि मानदण्डानुसार दी गई सहायता का विवरण (परिशिष्ट-2) संलग्न है।

(प्रति व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

किशनगढ़बास में अग्निकांड पीड़ितों को मुआवजा राशि

226. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामहेत सिंह)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अग्निकाण्ड सहायता के लिए मानदण्ड/नियम निर्धारित हैं? यदि हां, तो मानदण्ड/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में गत तीन वर्षों में कितने अग्निकाण्ड कहां-कहां हुये और उनमें कितनी सहायता किस-किस व्यक्ति को दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के अग्निकाण्ड में सहायता के प्रकरण लम्बित हैं? यदि हां, तो किस-किस अग्निकाण्ड में सहायता देने के प्रकरण लम्बित हैं और अब कब तक पीड़ितों को सहायता राशि प्रदान कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा अग्निकाण्ड में स्वीकृत सहायता राशि वास्तविक नुकसान की अपेक्षा काफी कम होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार अग्निकाण्ड में देय सहायता राशि बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में प्राकृतिक अग्निकाण्डों से प्रभावितों को सहायता देने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों की प्रति (परिशिष्ट-1) संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में गत तीन वर्षो में हुए अग्निकाण्डों का वर्षवार, ग्रामवार, व्यक्तिवार व दी गयी सहायता का विवरण (परिशिष्ट-2) संलग्न है।

(3) जी हां। तहसील कोटकासिम के ग्राम मतलवास के श्री विलयसिंह पुत्र श्री बुधराम चमार व श्री बुधराम पुत्र श्री कन्हैया चमार को आक्षेपों की पूर्ति नहीं कराये जाने के कारण भुगतान किया जाना शेष है। इसी तहसील के ग्राम अहीरबासना के श्री थावर राम पुत्र श्री प्रभातीराम कुम्हार को सीआरएफ मानदण्डों के अनुसार सहायता देय नहीं होने के कारण प्रकरण निरस्त कर दिया गया।

(4) राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक अग्निकाण्डों से पीड़ितों को सीआरएफ मानदण्डानुसार दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने हेतु भारत सरकार को लिखा जा चुका है। भारत सरकार से उत्तर आना अपेक्षित है।

(प्रति व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

खोरी ग्राम, तहसील बस्सी (जयपुर) के अग्निकांड पीड़ितों बी.पी.एल. को विशेष आर्थिक सहायता

227. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में अग्निकांड से हुये नुकसान से पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जाती है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बीपीएल, स्टेट बीपीएल परिवार के घर पर अग्नि से हुये नुकसान पर सरकार द्वारा विशेष पैकेज दिया जाता है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम खोरी, ढाणी भोपा, तहसील बस्सी (जयपुर) के स्टेट बीपीएल परिवार का घर दिनांक 21-10-2010 को भीषण अग्निकांड से जल गया था तथा उक्त परिवार को जनवरी, 2011 तक कुछ भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त स्टेट बीपीएल परिवार के पुनर्वास के लिये विशेष पैकेज जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में प्राकृतिक अग्निकाण्ड से हुए नुकसान से पीड़ित परिवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीआरएफ नार्म्स के तहत सहायता दी जाती है। प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी नहीं। क्योंकि विशेष पैकेज दिये जाने का सी.आर.एफ. में कोई प्रावधान नहीं है।

(3) पीड़ित परिवार को सी.आर.एफ. मानदण्डानुसार दिनांक 28.2.2011 को 13,000 रुपये भुगतान कर दिया गया है।

(4) बिन्दु संख्या 3 के उत्तर के अनुसार।

(5) बिन्दु संख्या 2 के उत्तर के अनुसार।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रतापगढ़ जिले में बी.पी.एल. परिवारों को स्वीकृत इन्दिरा आवास

228. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये स्वीकृत इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत गत दो वर्षों में प्रतापगढ़ जिले की किस-किस पंचायत समिति के किस-किस ग्राम पंचायत के बी.पी.एल. परिवारों को इंदिरा आवास स्वीकृत किये गये ? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2008-09 में उक्त योजना के अन्तर्गत प्रतापगढ़ जिले की किस-किस पंचायत समिति के परिवारों को स्वीकृत इंदिरा आवास के कितने इंदिरा आवास अधूरे हैं और किन-किन व्यक्तियों को किन-किन कारणों से भुगतान नहीं किया गया ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ जिले द्वारा इन्दिरा आवास योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2010-11 से किया जा रहा है, इससे पूर्व योजना का क्रियान्वयन क्रमशः चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिले द्वारा किया जा रहा था।

प्रतापगढ़ जिले की निम्नांकित पंचायत समितियों को गत दो वर्षों में (2008-09, 2009-10) सम्बन्धित जिलों द्वारा इन्दिरा आवास की स्वीकृतियां जारी की गई थी जो निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	स्वीकृत आवासों की संख्या	
		वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10
1.	अरनोद	246	117
2.	छोटी सादड़ी	87	122
3.	धरियावाद	150	228
4.	पीपलखूंट	153	102
5.	प्रतापगढ़	359	362
	योग	**995**	**931**

(ग्रामीण विकास मंत्री)

ग्राम पंचायतवार स्वीकृत लाभार्थियों की सूची परिशिष्ट-अ (पृष्ठ 1 से 53) संलग्न है।

(2) वर्ष 2008-09 में इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन क्रमशः चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, एवं उदयपुर जिले द्वारा किया जा रहा था । प्रतापगढ़ जिले की निम्नांकित पंचायत समितियों में वर्ष 2008-09 में अधूरे रहे इन्दिरा आवासों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	**पंचायत समिति का नाम**	**स्वीकृत आवासों की संख्या वर्ष 2008-09**	**भुगतान नहीं होने का कारण**
1.	अरनोद	99	लाभार्थियों द्वारा प्रपत्र 3 व 4 प्रस्तुत नहीं करने के कारण भुगतान नहीं किया गया
2.	छोटी सादड़ी	48	
3.	पीपलखूंट	20	
4.	प्रतापगढ़	50	
5.	धरियावाद	—	
	योग	**217**	

पंचायत समितिवार परिशिष्ट-ब (पृष्ठ 54 से 61) संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

मेवात क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत विकास कार्यों हेतु बजट राशि में वृद्धि

229. श्रीमती जाहिदा खान (कामां) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार मेवात क्षेत्र में शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं अन्य विकास कार्यों हेतु मेवात विकास योजना के मौजूदा बजट में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी और कब तक ?

(2) गत पांच वर्षों में मेवात विकास योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में क्या-क्या विकास कार्य कराये गए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बजट 2011-12 के बजट भाषण में मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत मौजूदा बजट में बढ़ोतरी करते हुये रुपये 15.00 करोड़ किया जाना प्रस्तावित है।

(2) गत पांच वर्षो में मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में कराये गये विकास कार्यो का विवरण संलग्न परि.-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कानूजा ग्राम पंचायत (पाली) के बी.पी.एल. परिवारों को इंदिरा आवास आबंटन में अनियमितता

230. श्री सी. एल. प्रेमी (केशोरायपाटन) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करें :-

(1) जिला पाली की पंचायत समिति रायपुर में कितने प्रकार की बीपीएल सूचियां संधारित की जा रही हैं ? उक्त पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कानूजा से संबंधित गत पांच वर्ष से जनवरी, 2011 तक की प्रत्येक बीपीएल सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों से अब तक कानूजा पंचायत के बीपीएल प्रार्थियों ने इंदिरा आवास के लिये आवेदन किये हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक आवेदन पत्र की प्राप्ति तिथि, प्रार्थी का पूर्ण नाम, पता एवं आवेदन में अंकित बीपीएल सूची क्रमांक सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि गत पांच वर्षो से अब तक ग्राम पंचायत कानूजा के बीपीएल परिवारों को इंदिरा आवास आबंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त में से किन-किन बीपीएल सूचियों को आधार मान कर इंदिरा आवासों का आबंटन किन-किन व्यक्तियों को कब-कब किया गया ? संबंधित बीपीएल सूची के क्रमांक सहित इंदिरा आवास के लाभान्वितों की सूची सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कानूजा की बीपीएल सूची क्रमांक 126, 135, 138 फार्म संख्या 5684715, 5684893, 5684568 के इंदिरा आवास आवेदकों को नजरअंदाज करके उक्त के बाद आने वाली बीपीएल सूची क्रमांक 139 फार्म संख्या 5684743 को इंदिरा आवास आबंटित कर दिया गया ?

(श्री सी.एल. प्रेमी)

(5) क्या सरकार बीपीएल सूची की राजकीय रेकार्ड में हेराफेरी कर भ्रष्टाचार/अनियमितता कर बीपीएल के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये किये गये इंदिरा आवास आबंटन को निरस्त करने व प्राथमिकता के आधार पर आवेदक को इंदिरा आवास आबंटन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला पाली की पंचायत समिति रायपुर में दो प्रकार की बीपीएल सूचियां संधारित की जा रही हैं।

1. बीपीएल 2002 सूची परिशिष्ट-अ

2. स्टेट बीपीएल सूची परिशिष्ट-ब

(2) जी हां विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) जी हां यह सही है कि गत 5 वर्षों में अब तक ग्राम पंचायत कानूजा में बीपीएल 2002 की सूची में से इन्दिरा आवास की तैयार की गई स्थाई प्रतीक्षा सूची की पात्रता शून्य कोड एवं एक कोड को आधार मानकर इन्दिरा आवास स्वीकृत किये गये हैं। सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं। बी.पी.एल. सूची में किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं हुई है इसमें कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नही है एवं इन्दिरा आवास का आबंटन वरीयता क्रम के अनुसार ही किया जा रहा है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजस्थान शैक्षणिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियमान्तर्गत अनुदानित संस्थाओं के समायोजित कार्मिकों की सेवा अवधि का निर्धारण

231. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में राजस्थान शैक्षणिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम लागू कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसाराम चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत ग्रामीण सेवाओं में न जाकर गैर सरकारी अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत रहने वाले शिक्षकों व अन्य मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों के विरुद्ध दी जा रही अनुदान राशि निरन्तर दी जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि गैर सरकारी अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त नियम 2010 के तहत ग्रामीण सेवा में जाने पर उनकी नई सेवा नियुक्ति की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनकी पुरानी सेवाओं को सेवा अवधि में मानकर राज्य सेवा में समायोजित करने का विचार रखती है ?

(4) वर्तमान में उक्त अनुदानित महाविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में कितने-कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं ? अनुदानित महाविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का तुलनात्मक संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) राज्य में कुल कितने गैर सरकारी अनुदानित विभिन्न स्तर के महाविद्यालय हैं ? राज्य सरकार द्वारा इन्हें प्रति वर्ष कितनी राशि अनुदान में दी जाती है ?

(6) राज्य में कुल कितने महाविद्यालय ग्रामीण सेवा क्षेत्र में हैं और उनमें किन-किन विषयों के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(7) क्या सरकार महाविद्यालयों में विषय अध्यापकों के पद रिक्त न होने पर उक्त नियमों के अन्तर्गत पदस्थापित कर्मियों को उसी वेतनमान में राज्य सरकार के अन्य विभागों में दूसरे पदों पर भी लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस पद पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान स्वेच्छता ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 25.01.11 के द्वारा 1 फरवरी, 2011 से प्रवृत्त हो गये है। नियमों की प्रति संलग्नक “अ” संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ग्रामीण सेवाओं में न जाकर गैर सरकारी अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत रहने वाले शिक्षकों एवं अन्य मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों के विरूद्ध अनुदान

(उच्च शिक्षा मंत्री)

राशि दी जावेगी अथवा नहीं, के संबंध में राजस्थान स्वेच्छता ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 में कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी हां। गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में नियमित रूप से नियुक्त ऐसे विद्यमान कर्मचारियों को जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को स्वीकृत सहायता प्राप्त पद के प्रति कार्यरत है, राजस्थान स्वेच्छता ग्रामीण शिक्षा सेवा अधीन नियमों में दिये गये निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जावेगा। कर्मचारी के पास तत्समय पदों के लिए समान संवर्ग के सरकारी कर्मचारी पर लागू सुसंगत सेवा नियमों के अनुसार अपेक्षित शैक्षिक वृत्तिक अर्हता होनी चाहिए तथा ऐसे पदों का जिन पर ऐसे कर्मचारियों की सरकार में नियुक्ति की जावेगी कर्मचारियों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए पृथक मृत संवर्ग गठित होगा। परन्तु नियमों के अनुसार उन्हें सुनिश्चित कैरियर वृद्धि/कैरियर समुन्नति स्कीम का लाभ अनुज्ञात किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को अनुज्ञात है। सुनिश्चित कैरियर वृद्धि/कैरियर समुन्नति स्कीम की मंजूरी के प्रयोजनार्थ कालावधि गणना स्वीकृत और सहायता प्राप्त पदों पर उनकी नियुक्ति की तारीख से की जायेगी।

(4) वर्तमान में अनुदानित महाविद्यालयों में वर्ष 2010-11 में 77176 विद्यार्थियों का नामांकन है तथा राजकीय महाविद्यालयों में 220138 विद्यार्थियों का नामांकन है।

(5) राज्य में कुल 71 अनुदानित महाविद्यालय/संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं में से नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़ को राज्याधीन लेने की सशर्त स्वीकृति जारी की गई है। अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में 27.50 करोड़ की अनुदान सहायता जारी की गई थी तथा चालू वित्तीय वर्ष में 2010-11 में 42.50 करोड़ की अनुदान सहायता जारी की जा रही है।

(6) राज्य में ग्रामीण सेवा क्षेत्र में कुल 12 महाविद्यालय हैं, महाविद्यालयों की सूची मय व्याख्याताओं के विषयवार रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "ब" संलग्न की मेज पर रख दी गई है।

(7) नियमों के अनुसार नियुक्त कर्मचारियों को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में के महाविद्यालयों/यथा स्थिति, विद्यालयों में अनुसूची संलग्नक "अ" के स्तम्भ सं. 2 में विनिर्दिष्ट समतुल्य पदों पर पदस्थापित किया जावेगा, तथापि सरकार में ऐसा समतुल्य पद न होने के मामले उन्हें सहायता प्राप्त पदों के समान वेतनमान वाले अन्य पदों पर नियुक्त किया जायेगा।

(प्रति व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा में रखी गयी)

महाविद्यालय डूंगरपुर में रिक्त पद

232. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) महाविद्यालय डूंगरपुर में कुल कितने पद सृजित हैं एवं कितने प्रोफेसर कार्यरत हैं ?

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) महाविद्यालय डूंगरपुर में विभिन्न वर्गों के कुल 100 पद स्वीकृत हैं एवं 51 शिक्षक कार्यरत हैं।

(2) जी हां। व्याख्याताओं के रिक्त पदों में से 457 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

राजकीय महाविद्यालय सोजत का स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नयन

233. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सोजत में राजकीय महाविद्यालय संचालित है?

(2) क्या सरकार उक्त स्नातक स्तर के महाविद्यालय में हिन्दी, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र व इतिहास विषय स्वीकृत कर उक्त महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में फिलहाल हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र व इतिहास विषय खोले जाने की योजना नहीं है।

राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों/सहायक प्रोफेसरों/शारीरिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति

234. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) व **श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों एवं शारीरिक शिक्षा (योग) विभाग में नियुक्ति के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं ? यदि हां, तो कब व कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए ?

(2) क्या जिन पदों के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये, उन पदों पर नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों और अब कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। विज्ञापन वर्ष 2007-08 व 2010 में जारी किया गया था, जिसके तहत लगभग 20,180 आवेदन प्राप्त हुये हैं।

(2) वर्ष 2009 में प्रोफेसर के 12 पदों पर नियुक्ति की गई है। शेष विज्ञापित पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

लक्ष्मणगढ़ में विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

235. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिनांक 01 जनवरी, 2009 से जनवरी, 2011 तक पंचायतीराज अन्तर्गत समस्त योजनाओं में विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण, ग्रामवार स्वीकृत राशि, कार्यकारी एजेन्सी, योजना अनुसार सदन की मेज पर रखें।

(2) महानरेगा योजना के तहत दिनांक, 01 अप्रैल, 2010 से अब तक विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में स्वीकृत किये गये पक्के कार्यों का विवरण ग्रामवार सदन की मेज पर रखें ।

(3) सीकर जिले में महानरेगा योजनान्तर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से अब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग को कार्यकारी एजेन्सी बनाकर कौन-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कौनसी ग्रेवल सड़कें कहां-कहां स्वीकृत की गई? विवरण विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) 01 जनवरी, 2009 से अब तक पंचायत राज अन्तर्गत समस्त योजनाओं में विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ में स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण ग्रामवार स्वीकृत राशि, कार्यकारी एजेन्सी, योजना अनुसार "परिशिष्ट-1" पर संलग्न है।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 01 अप्रैल, 2010 से अब तक विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में स्वीकृत किये गये पक्के कार्यों का विवरण ग्रामवार "परिशिष्ट-2" पर संलग्न है।

(3) सीकर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 01 अप्रैल, 2010 से अब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग को कार्यकारी एजेन्सी बनाकर स्वीकृत की ग्रेवल सडकों का विवरण "परिशिष्ठ-3" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

महानरेगा योजनान्तर्गत जिला स्तर पर क्रय सामग्री की जांच

236. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नरेगा के लिए जिला स्तर पर क्रय किये गये समस्त सामान की खरीद की जांच के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या जांच पूरी कर ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त जांच कब तक पूरी करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकार द्वारा इस तरह के कोई आदेश जारी नहीं किये हैं। सरकार के द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर ही जांच की जाती है।

(2) सरकार द्वारा इस तरह के कोई आदेश ही जारी नहीं किये हैं। अतः पूरी कराने की कोई समय अवधि लागू नहीं होती है।

रेवदर में महानरेगा योजनान्तर्गत अपूर्ण कार्य

237. श्री जगसीराम (रेवदर) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के गांव/ढाणी क्षेत्रों में नरेगा के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग एवं वन विभाग व पंचायत समिति के मार्फत पक्के कार्य कराये गये हैं ? यदि हां, तो जनवरी, 2009 से अब तक कराये गये पूर्ण, अपूर्ण, प्रस्तावित, स्वीकृत कार्यों की प्रत्येक पंचायत समिति की ग्राम पंचायतवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त में से सभी प्रत्येक पूर्ण, अपूर्ण, प्रस्तावित, स्वीकृत कार्य में कार्य की प्रकृति व आवश्यकतानुसार मेटेरियल पेटे पर्याप्त राशि स्वीकृत नहीं किये जाने से कार्य अधूरे व अनुपयोगी व गुणवत्ताहीन सिद्ध हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन कार्यों के लिए मेटेरियल पेटे अतिरिक्त धनराशि और स्वीकृत कर इन कार्यों को पूर्ण करते हुए उपयोगी व गुणवत्तापूर्ण बनाने का विचार रखती है तथा भविष्य में ऐसे किसी भी कार्य की स्वीकृति में मेटेरियल पेटे आवश्यकतानुसार पर्याप्त स्वीकृति का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रेवदर के गांव ढाणी क्षेत्रों में नरेगा के तहत पक्के कार्य करवाये गये हैं। जनवरी, 2009 से अब तक के कार्यों की स्वीकृति, पूर्ण, प्रगतिरत, अपूर्ण, शुरू नहीं तथा प्रस्तावित कार्यों की संख्या का विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अन्तर्गत आने वाली दोनों पंचायत समितियों का ग्राम पंचायतवार एवं विभागवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) महानरेगा योजनान्तर्गत कार्यकारी एजेन्सियों से प्राप्त प्रस्तावों एवं तकनीकी स्वीकृतियों के आधार पर ही श्रम एवं मेटेरियल पेटे कार्यवार राशि स्वीकृत की गई है। कोई भी कार्य राशि के कारण अधूरे व अनुपयोगी एवं गुणवत्ताहीन नहीं है।

परिशिष्ट-1

पंचायत समिति-रेवदर

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	स्वीकृत	पूर्ण	प्रगतिरत	अपूर्ण	शुरू नहीं	प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जैतावाड़ा	2	1	1	0	0	5
2.	सोरडा	3	2	1	0	0	5
3.	पीथापुरा	8	3	1	0	4	12
4.	मंडार	23	12	11	0	0	14
5.	मगरीवाड़ा	8	4	3	0	1	13
6.	पादर	21	7	6	0	8	5
7.	गुंदवाडा	11	111	1	0	0	8
8.	भैरूगढ़	17	5	1	1	0	5
9.	भटाणा	19	8	7	0	4	8
10.	लुणोल	12	11	1	0	0	21
11.	जोलपुर	18	4	1	2	11	23
12.	पोसीतरा	7	5	2	0	0	7
13.	गुलाबगंज	14	9	1	0	4	18
14.	पामेरा	5	4	1	0	0	8
15.	जीरावल	5	2	1	0	2	10
16.	रायपुर	1	0	1	0	0	2
17.	वरमान	5	3	1	0	1	10
18.	बासन	6	5	1	0	0	28
19.	मारोल	13	12	1	0	0	70

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	धवली	23	14	4	0	5	2
21.	डाक	12	9	1	0	2	1
22.	डबाणी	10	9	1	0	0	18
23.	रेवदर	22	18	4	0	0	25
24.	धाण	20	9	3	0	18	56
25.	सिरोडी	31	23	4	0	2	13
26.	नागाणी	17	14	2	0	1	15
27.	उडवारिया	44	28	12	0	1	19
28.	दत्ताणी	3	1	1	0	1	7
29.	दांतराई	1	0	1	0	0	4
30.	निम्बज	15	7	6	0	2	18
31.	सेलवाडा	16	15	1	0	0	19
32.	रोहुआ	7	6	1	0	0	12
33.	सोनेला	8	8	0	0	0	5
34.	मकावल	12	7	5	0	0	24
35.	दौलपुरा	9	8	1	0	0	5
36.	बाट	2	1	1	0	0	5
37.	अनादरा	112	87	12	1	11	35
योग		**562**	**372**	**103**	**4**	**78**	**555**

पंचायत समिति-आबूरोड

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	स्वीकृत	पूर्ण	प्रगतिरत	अपूर्ण	शुरू नहीं	प्रस्तावित
1.	ओर	5	4	1	0	0	0
2.	जांबुडी	15	12	1	2	0	0
3.	आकराभट्टा	3	2	1	0	0	0
4.	गिरवर	26	22	4	0	0	0
5.	मावल	9	7	1	0	1	0
6.	क्यारिया	15	7	0	8	0	0
7.	बहादुरपुरा	21	7	1	12	1	0
8.	सांतपुर	2	1	1	0	0	0
9.	मूंगथला	7	4	1	2	0	0
10.	सियावा	5	0	1	0	4	0
11.	सुरपगला	16	3	1	12	0	0
12.	चंडेला	4	3	1	0	0	0
13.	आवल	4	3	1	0	0	0
14.	खडात	11	10	1	0	0	0
15.	मोरथला	4	3	1	0	0	0
16.	चनार	26	15	3	0	8	0
योग		**173**	**103**	**20**	**36**	**14**	**0**

विभाग

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	स्वीकृत	पूर्ण	प्रगतिरत	अपूर्ण	शुरू नहीं	प्रस्तावित
1.	सार्व. निर्माण वि.	0	0	0	0	0	0
2.	जल संसाधन वि.	11	0	11	0	0	25
3.	वन विभाग	0	0	0	0	0	0
योग		**11**	**0**	**11**	**0**	**0**	**25**

प्रश्न संख्या-238

(स्थगित)

हरित राजस्थान योजनान्तर्गत वृक्षारोपण हेतु व्यय राशि

239. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) व **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मा. मुख्य मंत्री महोदय के बजट अभिभाषणों में हरित राजस्थान योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वृक्षारोपण करवाये जाने हेतु घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो उक्त घोषणा के अन्तर्गत अब तक कितने वृक्षों का रोपण हुआ और उनमें से कितने जीवित हैं?

(2) सरकार द्वारा उक्त वृक्षारोपण हेतु किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ?

(3) प्रदेश में वर्ष 2008 में कितना प्रतिशत हरित क्षेत्र था और वर्तमान में कितना प्रतिशत है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट अभिभाषण में हरित राजस्थान योजनान्तर्गत प्रदेश में वृक्षारोपण करवाये जाने की घोषणा की गयी थी। उक्त घोषणा के अन्तर्गत अब तक 305.24 लाख पौधे लगाये गये। जीवित पौधों की औपचारिक रूप से गणना नहीं करायी गयी है, परन्तु जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत पौधे जीवित हैं।

(2) सरकार द्वारा वृक्षारोपण हेतु विभिन्न मदों पर कुल 11261.65 लाख की राशि व्यय की गई।

(3) वन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट वर्ष 2009 जो कि वर्ष 2007 की स्थिति दर्शाती है के अनुसार राजस्थान राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.11 प्रतिशत क्षेत्र ही वृक्षाच्छादित है। इसके पश्चातवर्ती वर्षों की सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी नहीं हुई है।

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 17 फरवरी, 2011)

फर्जी पेंशन डायरियों का जांच प्रकरण

7. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि फर्जी पेंशनर्स डायरियां छाप कर अवैध रूप से दवा लेने का मामला सरकार की जानकारी में आया है, जिसमें नकली डायरियों द्वारा लाखों रुपये की दवाइयां उपभोक्ता भण्डारों से नि:शुल्क ली गई थीं? यदि हां, तो गत दो वर्षों में इस तरह की कितनी फर्जी डायरियां पकड़ी गईं और सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या सरकार ने इस प्रकरण में चिकित्सकों, उपभोक्ता संघ एवं कोषाधिकारियों की संलिप्तता की जांच करा कर दोषियों को चिह्नित किया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फर्जी पेंशनर्स डायरियों के आधार पर राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ से अवैध रूप से नि:शुल्क दवाइयां प्राप्त करने का मामला जानकारी में आया है। प्रकरण की विस्तृत जांच करने के लिए प्रबंध निदेशक उपभोक्ता संघ की अध्यक्षता में जांच दल गठित किया गया है। जांच दल ने दिनांक 22.2.11 को अन्तरिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार 663 संदिग्ध पीपीओ धारकों को दवाइयां उपलब्ध करवाये जाने की रिपोर्ट है। जांच पूर्ण होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। प्रबंध निदेशक उपभोक्ता संघ ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट भेजी है। सहकारी विभाग स्तर पर राज्य के सभी सहकारी उपभोक्ता भण्डारों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

(2) इस प्रकरण में प्रबंध निदेशक कानफैड जांच कर रहे हैं। जांच पूर्ण होते ही यथोचित कार्यवाही की जायेगी।